पंचदश माला, खंड 35, अंक 21

शुक्रवार, 6 सितम्बर, 2013
15 भाद्रपद, 1935 (शक)

लोक सभा वाद-विवाद

(हिन्दी संस्करण)

चौदहवां सत्र
(पंद्रहवीं लोक सभा)

सत्यमेव जयते

Gazettes & Debates Section
Parliament Library Building
Room No. FB-025
Block 'G'
Acc. No. 90
Dated 12 Sept 2016

(खंड 35 में अंक 11 से 21 तक हैं)

लोक सभा सचिवालय
नई दिल्ली
मूल्य : अस्सी रुपये

सम्पादक मण्डल

एस. बाल शेखर
महासचिव
लोक सभा

देवेन्द्र सिंह
अपर सचिव

सरिता नागपाल
निदेशक

अजीत सिंह यादव
अपर निदेशक

अरूणा वशिष्ठ
संयुक्त निदेशक

कीर्ति यादव
सम्पादक

© 2013 लोक सभा सचिवालय

हिन्दी संस्करण में सम्मिलित मूल हिन्दी कार्यवाही ही प्रामाणिक मानी जाएगी। इसमें सम्मिलित मूलतः अंग्रेजी और अन्य भाषाओं में दिए गए भाषणों का हिन्दी अनुवाद प्रामाणिक नहीं माना जाएगा। पूर्ण प्रामाणिक संस्करण के लिए क पया लोक सभा वाद–विवाद का मूल संस्करण देखें।

लोक सभा सचिवालय की पूर्व स्वीक ति के बिना किसी भी सामग्री की न तो नकल की जाए और न ही पुनः प्रतिलिपि तैयार की जाए, साथ ही उसका वितरण, पुनः प्रकाशन, डाउनलोड, प्रदर्शन तथा किसी अन्य कार्य के लिए इस्तेमाल अथवा किसी अन्य रूप या साधन द्वारा प्रेषण न किया जाए, यह प्रतिबंध केवल इलेक्ट्रॉनिक, मैकेनिकल, फोटोप्रति, रिकॉर्डिंग आदि तक सीमित नहीं है। तथापि इस सामग्री का केवल निजी, गैर वाणिज्यिक प्रयोग हेतु प्रदर्शन, नकल और वितरण किया जा सकता है बशर्ते कि सामग्री में किसी प्रकार का परिवर्तन न किया जाए और सभी प्रतिलिप्यधिकार (कॉपीराइट) तथा सामग्री में अन्तर्विष्ट अन्य स्वामित्व संबंधी सूचनायें सुरक्षित रहें।

विषय-सूची

[पंचदश माला, खंड 35, चौदहवां सत्र, 2013/1935 (शक)]

अंक 21, शुक्रवार, 6 सितम्बर, 2013/15 भाद्रपद, 1935 (शक)

विषय	कॉलम
निधन संबंधी उल्लेख	1-2
सभा पटल पर रखे गए पत्र	2-7, 77
प्राक्कलन समिति	
25वां और 26वां प्रतिवेदन	7
विशेषाधिकार समिति	
चौथा प्रतिवेदन	7
रेल अभिसमय समिति	
(एक) आठवां प्रतिवेदन	8
(दो) विवरण	8
महिलाओं को शक्तियां प्रदान करने संबंधी समिति	
21वां प्रतिवेदन	8
मानव संसाधन विकास संबंधी स्थायी समिति	
257वां प्रतिवेदन	9
सदस्यों द्वारा निवेदन	
(एक) चीन द्वारा भारतीय भूभाग पर कथित रूप से कब्जा किए जाने के बारे में	10-13
(दो) भारत के संविधान की आठवीं अनुसूची में भोजपुरी भाषा को शामिल किए जाने के बारे में	20-24
(तीन) भारतीय भाषाओं को हतोत्साहित करने के कथित दृष्टांत जैसा कि संघ लोक सभा आयोग ने प्रारंभिक और मुख्य परीक्षाओं के प्रारूपों में संशोधन करके किया है जिससे सिविल सेवा प्रत्याशियों को कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है, के बारे में	25-29
(चार) राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार बोर्ड के अध्यक्ष श्री श्यामसरन द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट के बारे में	271-293

विषय	कॉलम
नियम 377 के अधीन मामले	
(एक) केरल के एर्नाकुलम जिले में पुथेनक्रूज में केन्द्रीय भांडागार के प्रस्तावित उच्च प्रौद्योगिकी युक्त गोदाम की स्थापना के कार्य में तेजी लाए जाने की आवश्यकता	
श्री के.पी. धनपालन	36
(दो) उत्तर प्रदेश में बाढ़ प्रभावित लोगों को सहायता पहुंचाने के लिए सभी आवश्यक उपाय किए जाने की आवश्यकता	
श्री जगदम्बिका पाल	36-37
(तीन) हरियाणा के भिवानी और महेन्द्रगढ़ जिलों में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत संपर्क सड़कों के निर्माण के लिए धनराशि स्वीकृत किए जाने की आवश्यकता	
श्रीमती श्रुति चौधरी	37-38
(चार) राष्ट्रीय औषध मूल्य निर्धारण प्राधिकरण द्वारा निर्धारित अधिकतम मूल्य से ऊंची दर पर औषधियां बेचने वाले फार्मा कंपनियों के विरुद्ध कठोर कार्यवाही किए जाने की आवश्यकता	
श्री एम.आई. शानवास	38
(पांच) उत्तर प्रदेश के श्रावस्ती जिले में महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के कार्यान्वयन को सुचारू बनाए जाने की आवश्यकता	
डॉ. विनय कुमार पाण्डेय	39
(छह) कर्नाटक के चामराजनगर संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में कावेरी और काबिनी नदियों के तटबंधों को मजबूत करने के लिए धनराशि स्वीकृत किए जाने की आवश्यकता	
श्री आर. ध्रुवनारायण	39-40
(सात) बिहार में प्रतिवर्ष आने वाली बाढ़ और सूखे की समस्या का समाधान किए जाने की आवश्यकता	
श्रीमती रमा देवी	40
(आठ) गुजरात के भरूच और नर्मदा जिलों के वनों में सूखे बांस को काटने की अनुमति दिए जाने की आवश्यकता	
श्री मनसुखभाई डी. वसावा	41
(नौ) मध्य प्रदेश के छतरपुर में महाराज छत्रसाल बुंदेलखंड विश्वविद्यालय की स्थापना के लिए मध्य प्रदेश विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2011 को राष्ट्रपति की अनुमति शीघ्र दिए जाने की आवश्यकता	
श्री जितेन्द्र सिंह बुन्देला	41-42

विषय	कॉलम
मंत्री द्वारा वक्तव्य	
लद्दाख में सीमावर्ती बुनियादी ढांचे के संबंध में राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार बोर्ड के अध्यक्ष श्री श्याम सरन द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट	
श्री ए.के. एंटनी	77-78
राज्य सभा से संदेश	
और	
राज्य सभा द्वारा यथापारित विधेयक	83-84, 209, 271
पथ विक्रेता (जीविका संरक्षण और पथ विक्रय विनियमन) विधेयक, 2012	
श्री अनंत गंगाराम गीते	42-45
श्री सैयद शाहनवाज हुसैन	46-77
श्रीमती मीना सिंह	78-82, 85
श्री एन. पीताम्बर कुरूप	86-89
श्री रमाशंकर राजभर	89-90
श्रीमती पूनम वेलजीभाई जाट	90-91
श्रीमती बोचा झांसी लक्ष्मी	91-92
श्री जे.एम. आरून रशीद	92-94
डॉ. किरीट प्रेमजीभाई सोलंकी	94-95
श्रीमती जयश्रीबेन पटेल	95-96
डॉ. एम. तम्बिदुरई	96-97
श्री सी. राजेन्द्रन	97-98
श्री दारा सिंह चौहान	99-101
श्रीमती दर्शना जरदोश	101
श्री अशोक अर्गल	101-102
श्री अर्जुन राम मेघवाल	102
श्री महेन्द्र सिंह पी. चौहाण	102-103
डॉ. रत्ना डे	103-105
श्री वीरेन्द्र कश्यप	105-106
श्री आधि शंकर	106-109
श्री महेन्द्र कुमार राय	109-110
डॉ. संजीव गणेश नाईक	110-113
श्री जयंत चौधरी	113-114

विषय	कॉलम
श्री भर्तृहरि महताब	114–115
श्री निखिल कुमार चौधरी	115
श्री प्रबोध पाण्डा	115–120
श्रीमती रमा देवी	120–121
श्री नामा नागेश्वर राव	121–122
श्री एम. कृष्णास्वामी	122–124
श्री सतपाल महाराज	124–126
श्री जगदानंद सिंह	126–128
श्री गणेश सिंह	128–131
श्री जगदम्बिका पाल	131–132
श्री संजय निरूपम	133–136
श्री पन्ना लाल पुनिया	136
श्री नृपेन्द्र नाथ राय	136–138
श्री एस. गांधीसेलवन	138–139
श्री असादुद्दीन ओवैसी	139–141
डॉ. तरूण मंडल	141–142
श्रीमती पुतुल कुमारी	142–144
श्री गोरखनाथ पाण्डेय	144–145
श्री आर. थामराईसेलवन	145–146
डॉ. गिरिजा व्यास	146–147
श्रीमती सुषमा स्वराज	152
खंड 2 से 40 और 1	152–175
पारित करने के लिए प्रस्ताव	175
राजीव गांधी राष्ट्रीय विमानन विश्वविद्यालय विधेयक, 2013	
विचार करने के लिए प्रस्ताव	176
श्री अजित सिंह	176–178
श्री अनंत कुमार	178–184
श्री शैलेन्द्र कुमार	184
श्री सतपाल महाराज	184–186
श्री आर. थामराईसेलवन	186–188
श्री गोरखनाथ पाण्डेय	188
प्रो. सौगत राय	188–190

विषय	कॉलम
डॉ. किरीट प्रेमजीभाई सोलंकी	190
श्री सुशील कुमार सिंह	190-191
श्री टी.आर. बालू	192
श्री अर्जुन राम मेघवाल	192-193
शेख सैदुल हक	193-194
श्रीमती दर्शना जरदोश	194
श्री महेन्द्रसिंह पी. चौहाण	194-195
श्रीमती जयश्रीबेन पटेल	195
श्री एस. सेम्मलई	196
श्री नामा नागेश्वर राव	196-197
श्री अशोक अर्गल	197-198
श्री सानछुमा खुंगुर बैसीमुथियारी	198-199
श्री जगदम्बिका पाल	202
डॉ. विनय कुमार पाण्डेय	202-203
खंड 2 से 48 और 1	209
पारित करने के लिए प्रस्ताव	209
हाथ से मैला उठाने वाले कर्मियों के नियोजन का प्रतिषेध और उनका पुनर्वास विधेयक, 2012	
विचार करने के लिए प्रस्ताव	210
कुमारी शैलजा	210-212
श्री अर्जुन राम मेघवाल	212-214
श्री सतपाल महाराज	214
श्री भर्तृहरि महताब	214-218
श्री राजय्या सिरिसिल्ला	218-220
श्रीमती दर्शना जरदोश	220
श्रीमती जयश्रीबेन पटेल	220
श्री शैलेन्द्र कुमार	220-221
श्री भक्त चरण दास	221-222
श्री वीरेन्द्र कश्यप	222-2224
डॉ. बलीराम	224-225
श्री महेन्द्रसिंह पी. चौहाण	225
प्रो. रामशंकर	225
श्री महेश्वर हजारी	226
डॉ. रत्ना डे	226-228
श्री आधि शंकर	228-230

विषय	कॉलम
श्रीमती सुष्मिता बाउरी	230-231
श्री जगदम्बिका पाल	231-232
श्री मोहन जेना	232-234
डॉ. संजीव गणेश नाईक	234-235
श्री एम. आनंदन	235-237
डॉ. किरीट प्रेमजीभाई सोलंकी	237
श्री नामा नागेश्वर राव	237-238
श्री पन्ना लाल पुनिया	238-241
श्री प्रबोध पाण्डा	241-242
श्री जगदानंद सिंह	242
खंड 2 से 36 और 1	248-259
पारित करने के लिए प्रस्ताव	259
संसद (निरर्हता निवारण) संशोधन विधेयक, 2013	
विचार करने के लिए प्रस्ताव	260
श्री कपिल सिब्बल	260-261
खंड 2 और 1	261
पारित करने के लिए प्रस्ताव	261
लोक प्रतिनिधित्व (संशोधन और विधिमान्यकरण) विधेयक, 2013	
विचार करने के लिए प्रस्ताव	261
श्री कपिल सिब्बल	261-262
श्री भर्तृहरि महताब	262-263
श्री कीर्ति आजाद	263-265
श्री पी. करूणाकरन	266
श्री कल्याण बनर्जी	266
श्री टी.के.एस. इलेंगोवन	266-267
श्री शैलेन्द्र कुमार	267-268
श्री दिनेश त्रिवेदी	268
श्री दारा सिंह चौहान	268-269
खंड 2 से 4 और 1	261-262
पारित करने के लिए प्रस्ताव	262
आधे घंटे की चर्चा	
फसल के नुकसान के लिए किसानों को मुआवजा	
श्री शैलेन्द्र कुमार	294-296
श्री तारिक अनवर	298-304
राष्ट्र गीत	304

लोक सभा के पदाधिकारी

अध्यक्ष

श्रीमती मीरा कुमार

उपाध्यक्ष

श्री कड़िया मुंडा

सभापति तालिका

श्री बसुदेव आचार्य
श्री पी.सी. चाको
श्रीमती सुमित्रा महाजन
श्री इन्दर सिंह नामधारी
श्री फ्रांसिस्को कोज्मी सारदीना
श्री अर्जुन चरण सेठी
डॉ. रघुवंश प्रसाद सिंह
डॉ. एम. तम्बिदुरई
श्री सतपाल महाराज
श्री जगदम्बिका पाल

महासचिव

श्री एस. बाल शेखर

लोक सभा

शुक्रवार, 6 सितम्बर, 2013/5 भाद्रपद, 1935 (शक)

लोक सभा पूर्वाह्न ग्यारह बजे समवेत हुई।

[**अध्यक्ष महोदया** *पीठासीन हुईं*]

निधन संबंधी उल्लेख

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदया : माननीय सदस्यों, मुझे अपने दो पूर्व सदस्यों, सर्वश्री भगवान दत्त शास्त्री और हरि किशोर सिंह के दु:खद निधन के बारे में इस सभा को सूचित करना है।

श्री भगवान दत्त शास्त्री तत्कालीन विंध्य प्रदेश के शहडोल-सीधी संसदीय निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करते हुए सन् 1952 से 1956 तक पहली लोक सभा के सदस्य थे।

श्री भगवान दत्त शास्त्री का 93 वर्ष की आयु में 24 जुलाई, 2013 को रीवा, मध्य प्रदेश में निधन हो गया।

श्री हरि किशोर सिंह बिहार के पुपरी और शिवहर संसदीय निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करते हुए पांचवीं, नौवीं और दसवीं लोक सभा के सदस्य थे।

श्री सिंह ने 1990-91 के दौरान विदेश राज्य मंत्री के रूप में कार्य किया था। उन्होंने रेल अभिसमय समिति के अध्यक्ष के रूप में भी कार्य किया था।

अनेक देशों की यात्रा करने वाले श्री सिंह ने 1991 में अबुजा, नाइजीरिया में दक्षिण अफ्रीका संबंधी राष्ट्रमंडल देशों के विदेश मंत्रियों की समिति में भारत का प्रतिनिधित्व किया था। वह 1976 में व्यापार और विकास संबंधी संयुक्त राष्ट्र सम्मेमलन के शिष्टमंडल का हिस्सा थे।

श्री हरि किशोर सिंह का 79 वर्ष की आयु में 28 अगस्त, 2013 को नई दिल्ली में निधन हो गया।

हम अपने पूर्व सदस्यों के निधन पर गहरा शोक व्यक्त करते हैं और मुझे विश्वास है कि यह सभा साथ शोकाकुल परिवारों के प्रति अपनी संवेदना व्यक्त करने में मेरा साथ देगी।

अब सदस्यगण दिवंगत आत्माओं के सम्मान में थोड़ी देर मौन खड़े होंगे।

पूर्वाह्न 11.02 बजे

तत्पश्चात् सदस्यगण थोड़ी देर मौन खड़े रहे।

पूर्वाह्न 11.03 बजे

सभा पटल पर रखे गए पत्र

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदया : अब सभा पटल पर पत्र रखे जायेंगे। श्रीमती संतोष चौधरी।

...(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री सुदीप बंदोपाध्याय (कोलकाता उत्तर) : दार्जिलिंग के बारे में केन्द्र सरकार का हस्तक्षेप बंद करो।...*(व्यवधान)*

श्री शैलेन्द्र कुमार (कौशाम्बी) : मैडम, चीन ने भारत की ज़मीन पर कब्ज़ा कर रखा है।...*(व्यवधान)*

पूर्वाह्न 11.03½ बजे

इस समय श्री कल्याण बनर्जी, श्री शैलेन्द्र कुमार और कुछ अन्य माननीय सदस्य आगे आकर सभा पटल के निकट फर्श पर खड़े हो गए।

...(व्यवधान)

[अनुवाद]

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती संतोष चौधरी) : मैं श्री गुलाम नबी आजाद की ओर से खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम, 2006 की धारा 92 के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखती हूं:-

(1) खाद्य सुरक्षा और मानक (खाद्य उत्पाद मानक और खाद्य योजक). संशोधन विनियम, 2013 जो 12 जुलाई, 2013 के भारत के राज्यपत्र में अधिसूचना संख्या 5/15015/30/2012 में प्रकाशित हुए थे।

[ग्रंथालय में रखी गयी। *देखिए* संख्या एल.टी. 9719/15/13]

(2) भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण (अधिकारियों और कर्मचारियों के वेतन, भत्ते और सेवा की अन्य शर्तें) विनियम, 2013 जो 30 जुलाई, 2013 के भारत के राजपत्र

[श्रीमती संतोष चौधरी]

में अधिसूचना संख्या एफ. सं. ए-21021/01/2010-एडमिन. एफएसएसएआई में प्रकाशित हुए थे।

[ग्रंथालय में रखी गयी। *देखिए* संख्या एल.टी. 9720/15/13]

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदया : श्री वी. नारायणसामी – यहां उपस्थित नहीं हैं। श्रीमती परनीत कौर।

...(व्यवधान)

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती परनीत कौर) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखती हूं:–

(1) दक्षिण एशियाई विश्वविद्यालय अधिनियम, 2008 के खंड 31(2) के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):–

(एक) दक्षिण एशियाई विश्वविद्यालय पहला विनियम, 2013, जो 7 अगस्त, 2013 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या एफ. सं. बी I-321/60/11 में प्रकाशित हुए थे।

(दो) दक्षिण एशियाई विश्वविद्यालय पहला नियम, 2013, जो 7 अगस्त, 2013 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या एफ. सं. बी I-321/60/11 में प्रकाशित हुए थे।

(तीन) दक्षिण एशियाई विश्वविद्यालय (कठिनाइयों का निवारण) आदेश, 2012, जो 20 जनवरी, 2012 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या का.आ. 136(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(2) उपर्युक्त मद संख्या (1) के (तीन) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गये। *देखिए* संख्या एल.टी. 9722/15/13]

...(व्यवधान)

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर.पी.एन. सिंह) : मैं केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल अधिनियम, 1949 की धारा 18 की उप-धारा (3) के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं:–

(1) केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल, समूह 'ख' (योधक परा-चिकित्सकीय पद) भर्ती नियम, 2011, जो 12 नवम्बर, 2011 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.क.नि. 308 में प्रकाशित हुए थे।

(2) केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल, समूह 'ग' (योधक परा-चिकित्सकीय पद) भर्ती नियम, 2011, जो 30 जुलाई 2011 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.क.नि. 220 में प्रकाशित हुए थे।

(3) केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल, निरीक्षक (वरिष्ठ ग्रंथालय और सूचना सहायक), उप-निरीक्षक (ग्रंथालय और सूचना सहायक), हेड कांस्टेबल (ग्रंथालय लिपिक) और कांस्टेबल (ग्रंथालय परिचारक) भर्ती नियम, 2011, जो 9 अगस्त, 2011 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.क.नि. 608(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(4) केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल, समूह 'ग' (योधक परा-चिकित्सीय पद) भर्ती नियम, 2011, जो 30 जुलाई, 2011 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.क.नि. 219(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(5) केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल, सहायक कमांडेंट (अनुसचिवीय) समूह 'क' पद, भर्ती नियम, 2011, जो 30 अगस्त, 2011 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.क.नि. 652(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(6) केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल, सहायक कमांडेंट (निजी सचिव) समूह 'क' पद, भर्ती नियम, 2011, जो 30 अगस्त, 2011 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.क.नि. 653(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(7) केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल, समूह 'क' (सामान्य ड्यूटी) अधिकारी भर्ती (संशोधन) नियम, 2012, जो 18 अगस्त, 2012 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.क.नि. 209 में प्रकाशित हुए थे।

(8) केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल, समूह 'क' (सामान्य ड्यूटी) अधिकारी भर्ती (संशोधन) नियम, 2012, जो 14 जनवरी, 2013 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.क.नि. 22(अ) में प्रकाशित हुए थे।

[ग्रंथालय में रखी गई। *देखिए* संख्या एल.टी. 9723/15/13]

...(व्यवधान)

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती दीपा दासमुंशी): मैं मेट्रो रेल (संकर्म सन्निर्माण) अधिनियम, 1978 की धारा 4 की उप-धारा (1) के अंतर्गत जारी अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 511(अ) को 29 जुलाई, 2013 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिसके द्वारा 20 मई, 2012 की अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 408(अ) को, सिवाय ऐसे निरस्तीकरण से पूर्व की गई बातों अथवा किए जाने के लिए लोप की गई बातों को छोड़कर, निरस्त किया गया है, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखती हूं।

[ग्रंथालय में रखी गई। *देखिए* संख्या एल.टी. 9724/15/13]

...(व्यवधान)

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जेसुदासु सीलम) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं:–

(1) संविधान के अनुच्छेद 151(1) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):–

(एक) मार्च, 2012 को सामप्त हुए वर्ष के लिए भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक का प्रतिवेदन–संघ सरकार (सिविल) (2013 का संख्यांक 19)–अनुपालन लेखापरीक्षा टिप्पणियां।

(दो) मार्च, 2012 को समाप्त हुए वर्ष के लिए भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक का प्रतिवेदन–संघ सरकार (2013 का संख्यांक 21)–अनुपालन लेखापरीक्षा–भारत में प्रतिकारात्मक वनरोपण, पर्यावरण और वन मंत्रालय।

(तीन) मार्च, 2012 को समाप्त हुए वर्ष के लिए भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक का प्रतिवेदन–संघ सरकार (2013 का संख्यांक 22)–अनुपालन लेखापरीक्षा–वैज्ञानिक और पर्यावरणीय मंत्रालय/विभाग।

[ग्रंथालय में रखी गई। *देखिए* संख्या एल.टी. 9725/15/13]

(2) धन-शोधन अधिनियम, 2002 की धारा 74 के अंतर्गत निम्नलिखित अधिचूनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):–

(एक) सा.का.नि. 578(अ) जो 29 अगस्त, 2013 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा 1 जुलाई, 2005 की अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 440(अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(दो) सा.का.नि. 579(अ) जो 29 अगस्त, 2013 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा 1 जुलाई, 2005 की अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 441(अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(तीन) धन-शोधन निवारण (अभिलेखों का अनुरक्षण) संशोधन नियम, 2013, जो 27 अगस्त, 2013 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 576(अ) में प्रकाशित हुए थे तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

[ग्रंथालय में रखी गई। *देखिए* संख्या एल.टी. 9726/15/13]

(3) केन्द्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम, 1944 की धारा 38 की उप-धारा (2) के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):–

(एक) सा.का.नि. 335(अ) जो 23 मई, 2013 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा उत्पादन कारखानों से उत्पाद शुल्क वाले ऐसे सभी माल को अंतर्राष्ट्रीय विमानपत्तनों में प्रस्थान कक्ष या आगमन कक्ष के गोदाम या शुल्क मुक्त दुकानों के खुदरा बिक्री केन्द्रों जिन्हें सीमा-शुल्क अधिनियम, 1962 की धारा 57 या 58 के अंतर्गत 'वेयरहाउस' के रूप में नियत या लाइसेंस दिया गया है, में रखा जाना है तथा उनको भारत से बाहर जाने वाले यात्रियों या बाहर से आने वाले चालक दल के सदस्यों को विदेशी मुद्रा के एवज में बेचा जाना है, हटाए जाने की सुविधा प्रदान करता है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(दो) सा.का.नि. 336(अ) जो 23 मई, 2013 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा 26 जून, 2001 की अधिसूचना संख्या 38/2001-के.उ.शु. (एनटी) में कतिपय संशोधन किए गए हैं तथा जिसमें 14 अगस्त, 2013 की अधिसूचना संख्या सा.क.नि. 545(अ) और 14 अगस्त, 2013 की सा.का.नि. 553(अ) का शुद्धिपत्र (केवल हिन्दी संस्करण) दिया गया है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(तीन) सा.का.नि. 337(अ) जो 23 मई, 2013 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा 26 जून, 2001 की अधिसूचना संख्या 36/2001-के.उ.शु.

[श्री जेसुदासु सीलम]

(एनटी) में कतिपय संशोधन किए गए हैं तथा जिसमें 14 अगस्त, 2013 की अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 546(अ) और 14 अगस्त, 2013 की सा.का.नि. 554(अ) का शुद्धिपत्र (केवल हिन्दी संस्करण) दिया गया है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

[ग्रंथालय में रखी गई। *देखिए* संख्या एल.टी. 9727/15/13]

पूर्वाह्न 11.05 बजे

प्राक्कलन समिति

25वां और 26वां प्रतिवेदन

[अनुवाद]

श्री फ्रांसिस्को कोज्मी सारदीना (दक्षिण-गोवा) : मैं प्राक्कलन समिति निम्नलिखित प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत करता हूं:-

(1) मानव संसाधन विकास मंत्रालय (उच्चतर शिक्षा विभाग) से संबंधित "भारत में उच्चतर शिक्षा" विषय के बारे में 25वां प्रतिवेदन।

(2) महिला और बाल विकास मंत्रालय तथा स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय से संबंधित "शिशुओं और माताओं में कुपोषण" विषय के बारे में 26वां प्रतिवेदन।

...(व्यवधान)

पूर्वाह्न 11.05½ बजे

विशेषाधिकार समिति

चौथा प्रतिवेदन

[अनुवाद]

श्री पी.सी. चाको (थ्रिशूर) : मैं विशेषाधिकार समिति (15वीं लोक सभा) का चौथा प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं।

...(व्यवधान)

पूर्वाह्न 11.06 बजे

रेल अभिसमय समिति

(एक) आठवां प्रतिवेदन

[अनुवाद]

श्री अर्जुन चरण सेठी (भद्रक) : मैं "पिछड़े क्षेत्रों के विकास में रेलवे की भागीदारी" के बारे में रेल अभिसमय समिति (2009) के पांचवें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई संबंधी 8वां प्रतिवेदन (15वीं लोक सभा) प्रस्तुत करता हूं।

...(व्यवधान)

(दो) विवरण

श्री अर्जुन चरण सेठी : मैं रेल मंत्रालय की "लम्बित चालू परियोजनाओं – चेरथल्प, केरल में ऑटोकास्ट फैक्टरी की स्थापना – एक अध्ययन" के बारे में रेल अभिसमय समिति (2009) के चौथे प्रतिवेदन में समाविष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्यवाही संबंधी समिति के 7वें प्रतिवेदन के अध्याय-एक में समाविष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा अंतिम-की-गई-कार्यवाही को दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं।

...(व्यवधान)

पूर्वाह्न 11.06½ बजे

महिलाओं को शक्तियां प्रदान करने संबंधी समिति

21वां प्रतिवेदन

[अनुवाद]

राजकुमारी रत्ना सिंह (प्रतापगढ़) : मैं 'पुलिस बल में महिलाओं की कार्य दशाएं' विषय पर महिलाओं को शक्तियां प्रदान करने संबंधी समिति (2012-13) का 21वां प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत करती हूं।

...(व्यवधान)

पूर्वाह्न 11.07 बजे

मानव संसाधन विकास संबंधी स्थायी समिति

257वां प्रतिवेदन

[अनुवाद]

श्री चार्ल्स डिएस (नामनिर्देशित) : मैं केन्द्रीय विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2012 के संबंध में मानव संसाधन विकास संबंधी स्थायी समिति का 257वां प्रतिवेदन सभा पटल पर रखता हूं।

...(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री नीरज शेखर (बलिया) : रक्षा मंत्री जवाब दें।...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदया : वे आ रहे हैं और जवाब देंगे, वे आयेंगे।

...(व्यवधान)

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदया : वह आ रहे हैं।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदया : रक्षा मंत्री वक्तव्य देने के लिए सभा में आ रहे हैं।

...(व्यवधान)

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदया : आप लोग अपनी सीट पर जाइये।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदया : थोड़ा सदन को चलाने दीजिए।

...(व्यवधान)

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदया : वह आ रहे हैं।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदया : सभा पूर्वाह्न 11.20 बजे पुनः समवेत होने के लिए स्थगित होती है।

पूर्वाह्न 11.08 बजे

तत्पश्चात् लोक सभा पूर्वाह्न 11.20 बजे तक के लिए स्थगित हुई।

पूर्वाह्न 11.20 बजे

लोक सभा पूर्वाह्न 11.20 बजे पुनःसमवेत हुई।

[**अध्यक्ष महोदया** *पीठासीन हुईं*]

सदस्यों द्वारा निवेदन

(एक) चीन द्वारा भारतीय भू-भाग पर कथित रूप से कब्जा किए जाने के बारे में

...(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री शैलेन्द्र कुमार (कौशाम्बी) : अध्यक्ष महोदया, हमने चाइना के मामले पर नोटिस दिया है।...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदया : श्री यशवंत सिन्हा। आप बोलिये, आपका नाम बुलाया है।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदया : आप लोग क्यों खड़े हो जाते हैं? आप बैठिये।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदया : इनके बाद आपको बुलाएंगे मुलायम सिंह जी।

...(व्यवधान)

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदया : कार्यवाही वृत्तांत में और कुछ भी सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

*(व्यवधान)...**

[हिन्दी]

श्री यशवंत सिन्हा (हज़ारीबाग) : अध्यक्ष महोदया, मैंने कल शाम को इसी सदन में राष्ट्रीय सुरक्षा का एक गंभीर मुद्दा उठाया था। मैंने सरकार से यह मांग रखी थी कि इस पर रक्षा मंत्री का एक बयान आए क्योंकि चीन हमारी सीमा के अंदर घुस आया है और बहुत सारी भूमि पर उसने कब्ज़ा कर लिया है। मैं आपके माध्यम से सरकार से जानना चाहता हूं कि सरकार इस महत्वपूर्ण मुद्दे पर कब बयान देगी, कितने बजे बयान देगी, यह सरकार हम लोगों को स्पष्ट करे।...*(व्यवधान)*

---

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

श्री मुलायम सिंह यादव (मैनपुरी) : अध्यक्ष महोदया, मैं 14 सालों से लगातार सदन के अंदर और सदन के बाहर बोल रहा हूं कि चीन हिन्दुस्तान पर हमला करेगा और उसकी कुदृष्टि इधर लगी हुई है। मैंने कई उदाहरण भी दिये। उसने नेहरू जी को धोखा दिया। चीन द्वारा हमला करने और हमारी धरती पर कब्ज़ा करने की वजह से सदमे के कारण ही नेहरू जी का निधन हुआ। यह बात लोहिया जी ने उसी वक्त कही थी, लेकिन किसी ने उसका खंडन नहीं किया। आज चीन ने हमारी धरती पर कब्जा किया है और धीरे-धीरे कब्ज़ा करता चला आ रहा है। देश की सीमाएं सुरक्षित नहीं हैं तो आप देश को कहां सुरक्षित रख सकते हैं? छोड़िये, हमारा आर्थिक संकट और महंगाई वगैरह की बात, आप केवल देश की सीमा की सुरक्षा कर दो। अगर देश की सीमा की सुरक्षा कर दोगे तो भी हम शांत हो जाएंगे, लेकिन देश के सवाल पर हम कभी भी चुप नहीं बैठ सकते हैं। अध्यक्ष महोदय, आप स्पष्ट कीजिए, रक्षा मंत्री को बुलाइए। मैंने उनको एक शब्द कह दिया तो आप मुझसे नाराज़ हो गए कि मैंने रक्षा मंत्री का अपमान किया है। व्यक्ति बड़ा है या देश बड़ा है? वे हमारी सीमाओं की रक्षा ही नहीं कर पा रहे हैं।...*(व्यवधान)* अध्यक्ष महोदया, मुझे पूरी जानकारी है, मैं 14 सालों से बोल रहा हूं और जब से हाउस में आया हूं तब से बोल रहा हूं लेकिन आप बताएं कि सरकार ने क्या किया? यह कब्ज़ा क्यों हुआ? सच बात यह है कि अगर आप देश की सीमाओं की सुरक्षा नहीं कर सकते हैं तो जनता खड़ी होगी। आपको एक मिनट भी सत्ता में रहने का अधिकार नहीं है, यदि आप देश की सुरक्षा नहीं कर सकते हैं। हम महंगाई से जूझ रहे हैं, बेरोज़गारी से जुझ रहे हैं, गरीबी से जूझ रहे हैं। इस सब बर्दाश्त करने को तैयार हैं लेकिन इस देश की सीमा की रक्षा होनी चाहिए। आपने इसके लिए क्या उपाय किया है? उन्होंने पहले आकर झंडे गाड़े, फिर निशान लगाए। हम भी रक्षा मंत्री रह चुके हैं। हमारे समय में उन्होंने एक किलोमीटर भीतर निशान लगाए थे तो हमने उनके चार किलोमीटर भीतर निशान लगा दिये। आप रक्षा मंत्रालय के अधिकारियों को बुलाइए और पता लगाइए कि हमने उस समय यह किया था या नहीं, या उस समय के जनरल को बुलाइए। इस तरह से हमने देश की सीमा की रक्षा की थी और आपने हर तरह से चौपट कर दिया। महंगाई, भ्रष्टाचार, घोटाला, वगैरह जो कुछ हुआ, सब कुछ भूलकर अगर देश की सीमाओं की सुरक्षा कर देते तो भी हमें संतोष होता। यह सरकार बाकायदा ...* है, और हमारी सेना बहादुर है।...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदया : कृपया इसे कार्यवाही वृत्तांत से हटा दें।

[हिन्दी]

श्री मुलायम सिंह यादव : यह मेरी अपील है कि सरकार यहां गारंटी दे कि चीनियों को कब हटाने वाले हैं। हमारी सेना तैयार है।...*(व्यवधान)* हमारी बात हुई है।...*(व्यवधान)* उन्होंने कहा है कि अगर सरकार हमको किसी भी तरह के निर्देश दे तो हम चीनियों को खदेड़ देंगे। फिर आपने क्यों निर्देश नहीं दिए?...*(व्यवधान)* जब आर्मी चीफ ने कहा कि हमें निर्देश दीजिए हम चीनीयों को खदेड़ देंगे, लेकिन आपने निर्देश नहीं दिए। इतनी ...* सरकार रहकर के आप देश में क्या बदलाव करेंगे? आप ...* हैं, हम कह रहे हैं। आप ...* हैं और हमारी सेना बहादुर है। आप ...* दिखा रहे हैं और सेना बहादुरी दिखा रही है। यह देश की रक्षा का सवाल है, मैं जानना चाहता हूं कि आपने इस संबंध में क्या किया है?

श्री शेर सिंह घुबाया (फ़िरोज़पुर) : मैडम, पंजाब में किसानों की हालत खराब है...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदया : आप लोग बैठ जाइए। बात कुछ और चल रही है। हम हरसिमरत कौर बादल जी को बाद में बोलने के लिए बुलाएंगे।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदया : आप क्यों खड़े हो गए? बैठ जाइए।

...(व्यवधान)

श्री दारा सिंह चौहान (घोसी) : महोदया, यह बहुत महत्वपूर्ण मामला है। यह देश की सीमाओं का मामला है। यह मामला सदन में कई बार आया है।...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदया : आप बैठ जाइए, मंत्री जी को बोलने दीजिए।

शहरी विकास मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्री (श्री कमल नाथ) : मैडम, माननीय मुलायम सिंह जी ने जो मामला उठाया है और यशवंत सिन्हा जी ने इस सदन में भी जिक्र किया था। इसमें कोई शक नहीं है कि यह गंभीर मामला है और मैं माननीय मुलायम सिंह जी को बड़े स्पष्ट रूप में कहना चाहता हूं कि न तो यह सरकार कमज़ोर है... *(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदया : आप लोग मंत्री जी को सुन लीजिए।

...(व्यवधान)

श्री कमल नाथ : यह सरकार कमज़ोर नहीं है और न ...* है। ...*(व्यवधान)* बहुत सारी अफ़वाहें उड़ती हैं और सरकार का कोई चीज़ दबाने या छिपाने का लक्ष्य नहीं है।...*(व्यवधान)*

*अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार कार्यवाही-वृत्तांत से निकाल दिया गया।

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

श्री मुलायम सिंह यादव : यह घपला नहीं है, यह देश की सीमा का मामला है। आप सीमा के सवाल पर बोलिए।...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदया : आप मंत्री जी को बोलने दीजिए।

...(व्यवधान)

श्री कमल नाथ : मैं उसी पर बोल रहा हूं। रक्षा मंत्री जी आज एक बजे सदन में बयान देंगे और मुझे पूरा विश्वास है कि उनके बयान के बाद पूरे सदन को तसल्ली होगी।...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदया : श्री सुदीप बंदोपाध्याय।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदया : आप उन्हें बोलने दीजिए, अब बोलने का उनका समय है।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदया : आप लोग बैठ जाइए। हमने बोलने के लिए उनका नाम पुकारा है।

...(व्यवधान)

[अनुवाद]

श्री सुदीप बंदोपाध्याय (कोलकाता उत्तर) : अध्यक्ष महोदया, पश्चिम बंगाल का विभाजन करने के लिए जानबूझकर और प्रेरित प्रयास किए जा रहे हैं। हमें आशंका हैं कि केंद्र सरकार भी इसमें भूमिका निभा रही है। इस माह 3 सितम्बर को जब पश्चिम बंगाल की मुख्य मंत्री कुमारी ममता बनर्जी स्थिति को शांत करने के लिए दार्जिलिंग जिले की यात्रा कर रही थी तब दुर्भाग्य से भारत के गृह मंत्री गोरखा जनमुक्ति मोर्चा के नेताओं से मिल रहे थे जो गोरखालैंड के नाम पर पश्चिम बंगाल के विभाजन हेतु नारे लगा रहे थे। वे यहां दिल्ली में बैठक कर रहे थे।

मैं आपका ध्यान इस पत्र की ओर दिलाता हूं जो प्रधानमंत्री ने 1 अगस्त को माननीय मुख्य मंत्री को लिखा था जिसे मैं रिकॉर्ड पर रखना चाहता हूं। उन्होंने लिखा:

"प्रिय ममता जी, मैंने मामले पर विचार किया है।"

वह पहले का पत्र है। उससे पूर्व भी विभिन्न केंद्रीय मंत्री और नेता पश्चिम बंगाल के गोरखालैंड नेताओं से मुलाकात कर रहे थे। प्रधानमंत्री लिख रहे है:–

"मैंने मामले पर विचार किया है। मैं समझता हूं कि यद्यपि दिल्ली में जीजेएमएम नेताओं के साथ कार्यकारी स्तर पर कुछ अनौपचारिक सम्पर्क रहे हैं, उन्हें राज्य सरकार की पीठ के पीछे जाने के लिए प्रोत्साहित करने अथवा किसी भी तरह जीटीए कार्यकारी समझौतों को प्रभावित करने की कोई मंशा या कोशिश नहीं थी। प्रधानमंत्री स्पष्ट रूप से 1 अगस्त को लिखते हैं– मैंने केंद्र सरकार के कार्मिकों को निर्देश दिया है कि जीजेएमएम के नेतृत्व के साथ कोई भी बैठक राज्य सरकार से परामर्श करके की जानी चाहिए और यह कि उन्हें घटनाक्रम की जानकारी आपको देनी चाहिए।"

किन्तु 3 सितम्बर को गृह मंत्री स्वयं उनसे मिले जिसके कारण माननीय मुख्य मंत्री ने 5 सितम्बर को प्रधानमंत्री को एक पत्र लिखा था जिसमें उन्होंने लिखा:–

"कृपया अपने दिनांक 1 अगस्त, 2013 के पत्र जिसकी मैंने पावती दी है, के संबंध में मैं यह कहने के लिए बाध्य हूं कि आपके स्पष्ट निर्देशों के बाद भी कि बिना राज्य सरकार के परामर्श के केन्द्र सरकार द्वारा जीजेएमएम नेतृत्व के साथ कोई भी बैठक नहीं की जाएगी, केन्द्रीय गृह मंत्री 3 सितम्बर, 2013 को हमें सूचना दिए बिना जीजेएमए के शिष्टमंडल से मिले।

यह अत्यधिक विचलित करने वाली बात है कि केन्द्र सरकार 1 सितम्बर, 2013 को जीजेएम के प्रतिनिधियों से मिलने को तैयार हुई जब मैं अपने सभी वरिष्ठ सरकारी अधिकारियों, मुख्य सचिव, गृह सचिव, पुलिस महानिदेशक आदि के साथ कलिम्पोंग में एक सार्वजनिक बैठक में भाग लेने के लिए दार्जीलिंग में उपस्थित था। मैं यह कहने के लिए बाध्य हूं कि केन्द्र सरकार द्वारा बैठक के निर्धारिण का समय दुर्भाग्यपूर्ण था। इस कदम से जानबूझकर बांटो और राज करो की नीति लागू की गयी जिससे मेरे राज्य में राजनीतिक अव्यवस्था को प्रोत्साहन मिला।"

आखिर में, वह लिखी हैं:–

"आप इस बात से सहमत होंगे कि केन्द्र सरकार की तरफ से राज्य के आंतरिक मामलों में लगातार हस्तक्षेप से राज्य में न केवल राजनीतिक संकट को बढ़ावा मिल रहा है बल्कि यह संविधान में उपबंधित संघीय ढांचे को भी नुकसान पहुंचा रहा है। मेरा मानना है कि इस वास्तविक स्थिति को आपकी सूचना हेतु लाना सही है।"

महोदया, मैं कहना चाहता हूं कि पश्चिम बंगाल में 294 विधान सभा खंड हैं। दार्जीलिंग में केवल तीन विधान सभा खंड है – पहला, दार्जीलिंग, दूसरा–कुर्सीयोंग और तीसरा कलिम्पोंग। किसी जिला क्षेत्र के तीन विधान सभा सदस्य एक अलग राज्य की मांग कैसे कर सकते हैं? एक संसदीय

[श्री सुदीप बंदोपाध्याय]

निर्वाचन क्षेत्र तक इसमें नहीं आता है। जहां का प्रतिनिधित्व श्री जसवंत सिंह करते हैं, उसमें तीन पहाड़ से और चार मैदान से हैं। इसलिए यह विचार बेतुका है। हम चाहते हैं कि केन्द्र सरकार माननीय प्रधानमंत्री द्वारा दिए गए आश्वासन का अनुसरण करने का प्रयास करें। हम माननीय प्रधानमंत्री की स्थिति जानते हैं। कई बार, एक तरीके से वह ऐसा सोचते हैं। उनकी सरकार उनके तरीके से प्रतिक्रिया नहीं करती। यह एक अप्रत्याशित उदाहरण होगा यदि वे ऐसा करने का प्रयत्न करें। हमारा कहना यह है कि भविष्य में किसी भी अलग राज्य के मामले में, केन्द्र सरकार को गोरखालैंड राज्य के लिए जीजेएम नेता द्वारा की जा रही मांग को कोई भी प्रोत्साहन नहीं देना चाहिए। उन्हें पूरी तरह राज्य सरकार के साथ खड़ा होना चाहिए और उन्हें राज्य को अपनी इच्छा से निर्णय लेने की अनुमति देनी चाहिए।

डॉ. तरुण मंडल (जयनगर) : महोदया, आपकी अनुमति से मैं श्री सुदीप बंदोपाध्याय द्वारा दार्जीलिंग के संबंध में जताई गई चिन्ता से स्वयं को सम्बद्ध करना चाहता हूं।

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदया : श्री जय प्रकाश अग्रवाल, बोलिए।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदया : बैठ जाइए।

...(व्यवधान)

श्री जय प्रकाश अग्रवाल (उत्तर-पूर्व दिल्ली) : अध्यक्ष महोदया, मैं आपका धन्यवाद करता हूं और कंस्टीट्यूशन के नाम से जुड़ा हुआ एक मुद्दा मैं आपके सामने रखना चाहता हूं।

महोदया, मैं यह जानना चाहता हूं कि जो प्रॉपर्टी इस हाउस की है, जिसकी कस्टोडियन आप हैं, इस प्रॉपर्टी को कोई भी व्यक्ति किसी पर्टीक्युलर प्राइवेट क्लब के नाम से कैसे इस्तेमाल कर सकता है? मैं यह जानना चाहता हूं कि कंस्टीट्यूशन क्लब के नाम से जो जगह पार्लियामेंट हाउस की थी, वह किसी प्राइवेट क्लब के पास कैसे चली गयी? उसके अंदर कैसे पूरी अन-ऑथोराइज्ड कंस्ट्रक्शन हो गयी? वह सारी कंस्ट्रक्शन पी.डब्ल्यू.डी. ने की। वहां मैरेज हॉल खोल दिया गया। क्या कंस्टीट्यूशन क्लब के नाम से मैरेज हॉल खोला जा सकता है?*...(व्यवधान)* क्या कंस्टीट्यूशन क्लब के नाम से रात में शादी-ब्याह किए जा सकते हैं?*...(व्यवधान)* वहां पर टैक्स वालों के साथ लेना-देना होता है।*...(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदया : ठीक है।

...(व्यवधान)

श्री निशिकांत दुबे (गोड्डा) : आपका एजेंडा सही नहीं है।*...(व्यवधान)*

श्री जय प्रकाश अग्रवाल : अध्यक्ष महोदया, वह प्रॉपर्टी इस हाउस की प्रॉपर्टी है।*...(व्यवधान)* लोक सभा के कितने मेम्बर उस क्लब के मेम्बर हैं?*...(व्यवधान)* लोक सभा के 5% लोग भी उसके मेम्बर नहीं हैं।*...(व्यवधान)* जहां 25 रुपये मेम्बरशिप होती थी, वहां दो-दो लाख रुपये की मेम्बरशिप है।*...(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदया : बैठ जाइए।

...(व्यवधान)

श्री जय प्रकाश अग्रवाल : यहां बैठ कर हम गरीब आदमी की बात करते हैं और वहां रईसज़ादे उस क्लब को चला रहे हैं।*...(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदया : ठीक है।

...(व्यवधान)

श्री जय प्रकाश अग्रवाल : महोदया, मैं जानना चाहता हूं कि वह प्रॉपर्टी कैसे चली गयी?*...(व्यवधान)* ल्युटियन ज़ोन में इतनी बड़ी कंस्ट्रक्शन कैसे हुई?*...(व्यवधान)* वहां किसने इज़ाजत दी?*...(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदया : श्री जय प्रकाश अग्रवाल द्वारा उठाए गए विषय से कैप्टन जय नारायण प्रसाद निषाद और श्री पन्ना लाल पुनिया स्वयं को संबद्ध करते हैं।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदया : बैठ जाइए। आप लोग बैठ जाइए।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदया : क्यों आप लोग हर वक्त गुस्सा दिखाते हैं?

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदया : बैठिए।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदया : वीरेन्द्र कुमार जी, बोलिए।

...(व्यवधान)

श्री वीरेन्द्र कुमार (टीकमगढ़) : अध्यक्ष महोदया, मैं आपके माध्यम से सदन का ध्यान एक महत्वपूर्ण विषय की ओर दिलाना चाहता हूं। ...*(व्यवधान)* दुनिया भर में पैदा होने वाले एक-चौथाई बच्चों की लंबाई कुपोषण के कारण न्यूनतम पैमाने से भी कम रह जाती है।...*(व्यवधान)* इनमें सबसे ज्यादा चौंकाने वाली बात यह है कि ऐसे ठिगनेपन का शिकार होने वाले बच्चे, दुनिया के 38 प्रतिशत बच्चे अपने ही देश के हैं। ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदया : बैठ जाइए।

...*(व्यवधान)*

श्री वीरेन्द्र कुमार : संयुक्त राष्ट्र की एजेंसी यूनिसेफ ने अपनी ताज़ा रिपोर्ट में यह पाया है।...*(व्यवधान)* रिपोर्ट के अनुसार कुपोषण की वज़ह से ठिगने रह गए पांच वर्ष तक के 80 प्रतिशत बच्चे चौदह देशों में हैं। ...*(व्यवधान)* इनमें से भारत सबसे ऊपर है लेकिन बाकी के सभी देश मिलकर 42% होते हैं। हमारे यहां पांच साल तक की उम्र का हर दूसरा बच्चा लगभग 48 प्रतिशत इस समस्या का शिकार है।

अध्यक्ष महोदया : आप बैठ जाइए। आप क्यों खड़े हैं?

...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदया : बैठ जाइए।

...*(व्यवधान)*

श्री वीरेन्द्र कुमार : भारत में गंभीर या सामान्य रूप से इसके शिकार हुए बच्चों की संख्या 6.17 करोड़ है। इसी तरह कुपोषण के कारण लम्बाई के मुकाबले वज़न कम रह जाने के लिहाज से भारत पहले नम्बर पर है। यहां ढाई करोड़ बच्चे इसका शिकार हैं, जब कि दुनिया भर में 5.2 करोड़ बच्चे ऐसे पाए गए हैं। भारत में पैदा होने वाले बच्चों को देखें तो इनमें से 20 प्रतिशत से ज्यादा कम वजन के होते हैं। इसी तरह कुपोषण के कारण बच्चों में बीमारियां और अपंगता से लेकर मृत्यु तक प्रमुख कारण बनते हैं। कम उम्र में विकास ठीक नहीं होने से भविष्य में उसकी शिक्षा, आय और उत्पादकता पर गंभीर प्रभाव पड़ता है।

अध्यक्ष महोदया, मैं आपके माध्यम से सदन में अनुरोध करना चाहता हूं कि कुपोषण से होने वाली मृत्यु दर कम करने एवं बच्चों को स्वास्थ्य की दृष्टि से चलने वाली केन्द्र सरकार की योजनाएं आंगनवाड़ी बाल चिकित्सा आदि की समीक्षा करके, ठीक ढंग से करवाने एवं दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध कार्यवाही करने के कदम उठाने की पहल केन्द्र सरकार द्वारा शीघ्र की जानी चाहिए।

अध्यक्ष महोदया : श्रीमती रमा देवी, श्री रावसाहेब दादाराव दान्वे, श्री अशोक अर्गल, श्री अर्जुन राम मेघवाल, श्रीमती ज्योति धुर्वे, श्री हंसराज गंगाराम अहीर, श्री लालूभाई बी. पटेल, श्री ए.टी. नाना पाटील, श्री मोहन जेना, श्री वीरेन्द्र कश्यप, श्री नरेनभाई काछदिया, श्री जितेन्द्र सिंह बुन्देला श्री वीरेन्द्र कुमार द्वारा उठाए गए विषय से अपने को सम्बद्ध करते हैं।

...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदया : श्री पोन्नम प्रभाकर – अनुपस्थित।

...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदया : आप बैठ जाइए, थोड़ी शांति रखिए, सब को बारी-बारी बुलाएंगे।

...*(व्यवधान)*

श्री नृपेन्द्र नाथ राय (कूच बिहार) : मैडम, मैं आपके माध्यम से सरकार की दृष्टि इस ओर आकर्षित करना चाहता हूं। ये सरकार किसान की बातें करती है, लेकिन केन्द्र सरकार सोई हुई है। देश में 60 परसेंट से ऊपर किसान हैं। इस समय सारा वेस्ट बंगाल, बिहार के कुछ इलाके, असम, ओडिशा और कई अन्य राज्यों में किसानों की अत्यधिक लाभजनक फसल जूट है। केन्द्र सरकार ने इस बार जो एमएसपी लगाया, उसका रेट इस बार 2300 रुपए क्विंटल है, जब कि पिछले साल उसका रेट 2200 रुपए था। क्या केन्द्र सरकार किसानों को भीख दे रही है? जूट उत्पादन का खर्च बढ़ गया है, फर्टिलाइज़र का दाम बढ़ गया है और लेबर का दाम भी बढ़ गया है। किसान उसे बाजार में बेचने लगे।

अध्यक्ष महोदया, मेरी आपके माध्यम से सरकार से मांग है कि केन्द्र सरकार किसानों के लिए जो संस्थाक है, जिसका नाम जेसीआई है, वह किसानों के हितों के लिए गांव-गांव जाकर किसानों से जूट खरीदे। जो एमएसपी लगाया है, वह बहुत कम है, उसे 2300 रुॅपए से बढ़ा कर पांच हजार रुपए क्विंटल करे।

अध्यक्ष महोदया : श्री महेन्द्र कुमार राय, डॉ. अनूप कुमार साहा, श्री शक्ति मोहन मलिक, डॉ. तरुण मंडल, श्री नृपेन्द्र नाथ राय द्वारा उठाय गए विषय से अपने को सम्बद्ध करते हैं।

श्री नीरज शेखर (बलिया) : अध्यक्ष महोदया, आपने मुझे आज बोलने का मौका दिया, मैं आपका आभार व्यक्त करना चाहता हूं। बाढ़ की वजह से जो संकट पूर्वी उत्तर प्रदेश और बिहार में आया है, पिछले करीब 40 दिनों से मेरे लोक सभा क्षेत्र में पूर्वांचल में लोग बाढ़ से घिरे हुए हैं। एक-एक घर एक-एक टापू बन गया है। राज्य सरकार बहुत सारे काम कर रही है, खाद्यान्न वहां बांट रही है। वहां पर तिरपाल और दवाइयां देने का काम राज्य सरकार कर रही है। लेकिन बाढ़ के बाद पानी धीरे-धीरे कम हो रहा है, जो कटान की समस्या है, कटान से लाखों एकड़ जमीन गंगा नदी में विलीन हो रही है। लोगों के घर गिर रहे हैं। हजारों हैक्टेयर

[श्री नीरज शेखर]

फसल बर्बाद हो गई है। उसके मुआवजे के लिए जो राज्य सरकार कार्य कर रही है, मैं चाहूंगा कि केन्द्र सरकार का सहयोग राज्य सरकार को मिले। वहां पर जो मुआवजा देने की बात है, जिनके घर गिर गए हैं, आप जानते हैं, उस पीड़ा को आप समझ सकती हैं। किसान और गरीब व्यक्ति को अपना घर अपने हाथों से तोड़ना पड़ता है, क्योंकि वह जानता है कि अगले दिन उसका घर गंगा के कटान में गिर जाएगा, तो वह घर अपने हाथों से तोड़ रहा है। केन्द्र सरकार को उनकी पीड़ा को समझने की जरूरत है। हमेशा कहते हैं कि राज्य सरकार से आना चाहिए, क्यों, क्या केन्द्र सरकार का कोई दायित्व नहीं बनता कि वहां पर जाकर सर्वे कराए। उनकी टीम वहां जाकर देखे। न केवल उत्तर प्रदेश में बल्कि बिहार, बंगाल, मध्य प्रदेश, पंजाब, हर जगह बाढ़ आई हुई है! केन्द्र सरकार कह रही हैं, जब तक राज्य सरकार नहीं भेजेगी, राज्य सरकार भेज रही है। केन्द्र सरकार का दायित्व बनता है, क्या हम लोग भारत के वासी नहीं हैं? क्या केन्द्र सरकार कभी वहां जाकर देखने का कष्ट नहीं कर सकती है कि वहां कैसी स्थिति है? केन्द्र सरकार की टीम आज तक वहां पर नहीं गई। केन्द्र सरकार वहां टीम भेजे और पता करे, वहां पर क्या चाहिए। केन्द्र सरकार क्या सहयोग दे सकती है? वहां हजारों हैक्टेयर फसल बर्बाद हो गयी है, मेरे बलिया लोक सभा क्षेत्र में किसानों की एक लाख हैक्टेयर फसल बर्बाद हो गयी है। जब किसान कुछ उत्पाद ही नहीं कर पायेगा, तो वहां वह अगली बार कैसे फसल उत्पादित करेगा? राज्य सरकार चाहती है कि अधिक से अधिक सहयोग केन्द्र सरकार करे। बलिया के करीब जो सारे ब्लॉक्स हैं, बलिया, गाजीपुर, रेवतीपुर, मोहमदाबाद, सोहाव, बैरिया ब्लॉक सभी पानी में डूबे हुए हैं।

महोदया, मैं चाहूंगा कि कटान पीड़ितों के लिए केन्द्र सरकार की कोई योजना बने। वहां पर आदरणीय लालू जी का क्षेत्र आता है, वहां पर कोई मुआवजा नहीं मिल रहा है।...*(व्यवधान)* कटान से हजारों घर विलीन हो रहे हैं।...*(व्यवधान)* मैं आपके माध्यम से आग्रह करूंगा कि केन्द्र सरकार वहां टीम भेजे और सर्वे कराये तथा राज्य सरकार को भारी से भारी सहयोग करे।

अध्यक्ष महोदया : श्री देवजी एम. पटेल, श्री दानवे रावसाहेब पाटील, श्री ए.टी. नाना पाटील, श्री जगदम्बिका पाल, श्री गोरखनाथ पाण्डेय, श्रीमती मीना सिंह, श्री पन्ना लाल पुनिया, श्री कमल किशोर 'कमांडो' और श्रीमती पुतुल कुमारी अपने आपको श्री नीरज शेखर जी के विषय के साथ सम्बद्ध करते हैं।

श्री हुक्मदेव नारायण यादव (मधुबनी) : महोदया, मैं आपका ध्यान, सदन का ध्यान, सरकार का ध्यान और खासकर के जितने पिछड़े वर्ग के सदस्य इस सदन में हैं, उनका ध्यान इस बात की ओर आकृष्ट करना चाहता हूं कि जो पिछड़ा वर्ग राष्ट्रीय आयोग है, उसे संवैधानिक दर्जा नहीं दिया गया है। जो अन्य दूसरे आयोग हैं, अनुसूचित जाति-जनजाति आयोग है या महिला आयोग है या अल्पसंख्यक आयोग है या अन्य दूसरे आयोग हैं, उन आयोगों के अध्यक्ष और सदस्यों को जो अधिकार प्राप्त हैं, वे अधिकार अन्य पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष और उस आयोग के सदस्यों को प्राप्त नहीं हैं। इसके कारण पिछड़े वर्गों की जो सूची आती है या पिछड़े वर्गों को जो 27 प्रतिशत का आरक्षण विभिन्न सरकारी उपक्रमों में, विश्वविद्यालयों में मिलना चाहिए, वह नहीं मिल पाता है। मैं उस समिति का सदस्य हूं और हमारे जो पिछड़ा वर्ग की समिति के अध्यक्ष हैं, हांडिक साहब, उनकी कमेटी ने अपनी रिपोर्ट दी है कि अन्यक पिछड़ा वर्ग राष्ट्रीय आयोग को संवैधानिक दर्जा दिया जाये और पिछड़े वर्गों को 27 प्रतिशत आरक्षण देने में कहीं भी अगर रोक हो रही है तो आयोग उसकी निगरानी करे। अन्य पिछड़े वर्गों में जो अति पिछड़े वर्ग के लोग हैं, जो करीब-करीब अनुसूचित जाति और जनजाति के बराबर हैं, उन पर भी देश के अंदर जहां सामाजिक अन्याय होता है, उनके लिए आयोग कोई नोटिस नहीं ले पाता है। इसलिए इस आयोग को इतना शक्तिशाली और बलवान बनाया जाये, इसे संवैधानिक अधिकार दिया जाये कि पिछड़े वर्गों के कल्याण के लिए देश भर में वह काम कर सके और 27 परसेंट आरक्षण को वह पूरे तौर पर लागू करवा सके। जो संस्था इसे लागू न करे, उस पर वह आयोग कार्रवाई कर सके।...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदया : श्री देवजी एम. पटेल, डॉ. संजय जायसवाल, श्री गणेश सिंह, श्री ए. सम्पत, श्री पन्ना लाला पुनिया, श्री रामसिंह राठवा, श्रीमती रमा देवी, श्रीमती दर्शना जरदोश, श्री अशोक अर्गल, श्री वीरेन्द्र कुमार, श्री सोहन पोटाई और श्रीमती कमला देवी पटले अपने आपको श्री हुक्मदेव नारायण यादव जी के विषय के साथ सम्बद्ध करते हैं।

पूर्वाह्न 11.43 बजे

सदस्यों द्वारा निवेदन — *जारी*

(दो) भारत के संविधान की आठवीं अनुसूची में भोजपुरी भाषा को शामिल किए जाने के बारे में

[हिन्दी]

श्री प्रभुनाथ सिंह (महाराजगंज) अध्यक्ष महोदया, पहले भी कई बार भोजपुरी का सवाल हमने सदन में उठाया और एक बार ध्यानाकर्षण प्रस्ताव के माध्यम से हमने सवाल उठाया था तो भूतपूर्व गृह मंत्री श्री शिवराज पाटिल साहब ने आश्वासन दिया था कि शीघ्र ही भोजपुरी भाषा और राजस्थानी भाषा को अष्टम सूची में शामिल किया जायेगा। इतना ही नहीं फिर दोबारा ध्यानाकर्षण प्रस्ताव पर श्रीप्रकाश जायसवाल जी ने भी आश्वासन दिया था, लेकिन इस आश्वासन के बावजूद आज तक भोजपुरी भाषा को अष्टम सूची में शामिल नहीं किया गया है।...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : आप बोलिए।

...(व्यवधान)

श्री प्रभुनाथ सिंह : अध्यक्ष महोदया, 22 करोड़ लोग इस दुनिया में भोजपुरी भाषा बोलने वाले हैं। 40 से 50 लाख लोगों द्वारा...*(व्यवधान)* बोली जाने वाली भाषा को अष्टम सूची में शामिल कर दिया है।...*(व्यवधान)* भोजपुरी भाषा मात्र देश ही नहीं बल्कि विदेश में भी मॉरीशस, सूरीनाम, फिजी, ब्रिटिश गुयाना, ट्रिनीडाड एंड टोबैगो, हॉलैण्ड, नेपाल, वेस्टइंडीज एवं दक्षिण अमेरिका में कई आईलैण्ड आदि देशों में 40 से 50 प्रतिशत जनसंख्या द्वारा बोली जाती है।...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदया : इसके अतिरिक्त कुछ भी कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

*(व्यवधान)...**

[हिन्दी]

श्री प्रभुनाथ सिंह : कई देशों में तो भोजपुरी भाषा को द्वितीय राजभाषा के रूप में भी मान्यता प्राप्त है।...*(व्यवधान)* भोजपुरी भाषा बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, झारखंड, उत्तराखंड, छत्तीसगढ़ के अलावा देश के सभी औद्योगिक नगर जैसे दिल्ली, मुम्बई, कोलकाता, अहमदाबाद, सूरत, गुड़गांव, फरीदाबाद, पानीपत, लुधियाना, दुर्गापुर, चेन्नई आदि में 30 से 40 प्रतिशत जनसंख्या भोजपुरी भाषा बोलने वालों की है।...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदया : यह क्या कर रहे हैं? उनको बोलने दीजिए।

...(व्यवधान)

श्री प्रभुनाथ सिंह : भोजपुरी भाषी लोग प्रमुख औद्योगिक नगरों एवं देश के औद्योगिक विकास में अपनी श्रम शक्ति से अग्रणी भूमिका निभा रहे हैं, फिर भी भोजपुरी भाषा उपेक्षा का शिकार है।...*(व्यवधान)* भोजपुरी भाषा की पढ़ाई बिहार उत्तर प्रदेश एवं झारखंड आदि राज्यों में इंटरमीडिएट से एम.ए. तक होती है।...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदया : यह क्या कर रहे हैं?

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदया : सुन तो लीजिए कि वह क्या कह रहे हैं।

...(व्यवधान)

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदया : आप खड़े क्यों हैं?

...(व्यवधान)

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदया : बैठ जाइए, उनको बोल लेने दीजिए।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदया : सुन ती लीजिए कि वह क्या कह रहे हैं।

...(व्यवधान)

श्री प्रभुनाथ सिंह : भोजपुरी भाषा में समृद्ध साहित्य, पत्र-पत्रिका, अखबार आदि नियमित रूप से प्रकाशित होता है जिसके करोड़ों पाठक हैं।...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदया : बैठ जाइए।

...(व्यवधान)

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदया : आप खड़े क्यों हैं?

...(व्यवधान)

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदया : बैठ जाइए, उनको बोल लेने दीजिए।

...(व्यवधान)

श्री प्रभुनाथ सिंह : बिहार, उत्तर प्रदेश, झारखंड राज्य के दूरदर्शन केन्द्र एवं आकाशवाणी केन्द्र से प्रतिदिन भोजपुरी भाषा में गीत-संगीत एवं धारावाहिक प्रसारित होता है।...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदया : सुन लीजिए, वह क्या कह रहे हैं।

...(व्यवधान)

श्री प्रभुनाथ सिंह : भोजपुरी भाषा के गीत और सिनेमा...*(व्यवधान)* व्यवसाय बन चुका है।...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदया : रघुवंश बाबू, बैठ जाइए।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदया : सुन लीजिए, वह क्या बोल रहे हैं, सुन लीजिए।

...(व्यवधान)

---

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

श्री प्रभुनाथ सिंह : वर्तमान समय में दो सौ से ज्यादा भोजपुरी सिनेमा का निर्माण हो रहा है,...*(व्यवधान)* जिसके निर्माण में भारत के अग्रणी निर्माता, निर्देशक एवं कलाकारों की मुख्य भूमिका है।...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदया : बैठ जाइए।

...*(व्यवधान)*

श्री प्रभुनाथ सिंह : भोजपुरी सिनेमा की लोकप्रियता इतनी बढ़ गयी है कि इसकी शूटिंग देश-विदेश में हो रही है। साथ ही राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर के कलाकार इसमें भाग ले रहे हैं।...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदया : आप क्यों खड़े हो गए? बैठ जाइए।

...*(व्यवधान)*

श्री प्रभुनाथ सिंह : भोजपुरी गीतों की सीडी का भी विदेशों में काम हो रहा है।...*(व्यवधान)*

माननीय अध्यक्ष महोदया, हम आपका संरक्षण चाहेंगे।...*(व्यवधान)* हम आपसे संरक्षण चाहेंगे। जब पूर्वांचल एकता मंच की मीटिंग होती है तो आप जाती हैं। लोग वहां अपनी बात कहते हैं, आप भी भरोसा देती हैं। यहां सरकार मौजूद है। सरकार को भरोसा देना चाहिए कि भोजपुरी को अष्टम सूची में शामिल करने का बिल इस सदन में कब तक लाया जाएगा? यह आज सरकार को स्पष्ट तौर पर बता देना चाहिए।...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदया : अब हो गया, समाप्त करिए।

...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदया : अब हो गया, आपने बोल लिया।

...*(व्यवधान)*

श्री प्रभुनाथ सिंह : अध्यक्ष महोदया, हम आपका संरक्षण चाहेंगे। ...*(व्यवधान)* सरकार के दो-दो बार, तीन-तीन बार के आश्वासन के बावजूद अभी तक सदन में भोजपुरी बिल नहीं आ सका।...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदया : आप क्यों बोलेंगे? इसमें आपका नाम नहीं है, बैठ जाइए।

...*(व्यवधान)*

श्री प्रभुनाथ सिंह : यहां सरकार मौजूद है।...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदया : श्री रतन सिंह, श्री सी. शिवासामी, श्री बद्रीराम जाखड़, श्री गोपाल सिंह शेखावत, श्री अर्जुन राम मेघवाल, श्री देवजी एम. पटेल, डॉ. संजय जायसवाल, श्री सैयद शाहनवाज़ हुसैन, श्री पन्ना लाल पुनिया, श्री गणेश सिंह, श्री कमल किशोर 'कमांडो' अपने आपको श्री प्रभुनाथ सिंह जी के विषय के साथ संबद्ध करते हैं।

[हिन्दी]

शरद यादव जी, अब आप बोलिए।

...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदया : रघुवंश बाबू, बैठिए।

...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदया : जगदम्बिका पाल जी बैठ जाइए।

...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदया : आप खड़े क्यों हैं? मैंने आपका नाम नहीं पुकारा है। कृपया बैठ जाइये।

...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदया : इसके अतिरिक्त कुछ भी कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं होगा।

*(व्यवधान)...**

[हिन्दी]

श्री शरद यादव (मधेपुरा) **:** अध्यक्ष जी, मैंने आज एडनर्जमेंट मोशन दिया था।...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदया : ठीक है। अपने स्थान पर बैठ जाइये।

...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री शरद यादव : मुलायम सिंह जी और प्रभुनाथ जी ने जिस सवाल को उठाया, मैं उसका समर्थन करता हूं।...*(व्यवधान)* मैं एक गंभीर मामला उठाना चाहता हूं। हालत यह है कि इस देश के...*(व्यवधान)*

श्री जगदम्बिका पाल (डुमरियागंज) **:** अध्यक्ष जी, मेरा प्वाइंट ऑफ ऑडर है।...*(व्यवधान)*

---

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

श्री हरिन पाठक (अहमदाबाद पूर्व) : जीरो ऑवर में प्वाइंट ऑफ आर्डर नहीं होता।...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदया : जो मुझे बोलना चाहिए, आप क्यों बोले जा रहे हैं? बैठिए।

...(व्यवधान)

पूर्वाह्न 11.50 बजे

सदस्यों द्वारा निवेदन .... *जारी*

(तीन) भारतीय भाषाओं को हतोत्साहित करने के कथित दृष्टांत जैसा कि संघ लोक सेवा आयोग ने प्रारंभिक और मुख्य परीक्षाओं के प्रारूपों में संशोधन करके किया है जिससे सिविल सेवा प्रत्याशियों को कठिनायों का सामना करना पड़ रहा है के बारे में

[हिन्दी]

श्री शरद यादव : अध्यक्ष जी, आपके माध्यम से माननीय सदस्यों से मेरा निवेदन है कि यदि शांति से सुनेंगे तो सबकी बात सुन ली जाएगी। एक बात मैं निवेदन करना चाहता हूं कि पिछली बार भी भाषा के सवाल पर यहां पूरा सदन खड़ा हुआ था। यूपीएससी में मैं एक ही बानगी आपके सामने रखना चाहता हूं कि हिन्दुस्तान की कोई भी भारतीय भाषा हो, चाहे तेलगू हो, तमिल हो, मराठी हो, गुजराती हो, राजस्थानी हो...*(व्यवधान)* संपूर्ण भारतीय भाषाओं और भोजपुरी को इसमें इंक्ल्यूड करें।...*(व्यवधान)* सुन तो लीजिए। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि क्या हालत है कि जो भारतीय भाषाओं के बच्चे थे, उनकी संख्या वर्ष 2008 में 5083 थी, वर्ष 2009 में 4839 हो गयी, वर्ष 2010 में 4156 हो गयी। वर्ष 2011 में 1,682, यानी बच्चों की संख्या पांच गुना घट गई है, संपूर्ण भारत की जो अन्य भारतीय भाषाएं हैं, उनकी संख्या पांच गुना घट गई है। भारतीय भाषाओं में पढ़ने वाले जो बच्चे हैं, जो स्कूलों में भारतीय भाषाओं में पढ़ते हैं, वे बच्चे किस तरह से...*(व्यवधान)* यह अग्रवाल जो यूपीएससी का अध्यक्ष है...*(व्यवधान)* सदन तो कानून बनाता है *...(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदया : इसके अतिरिक्त कुछ भी कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं होगा।

*(व्यवधान)...**

[हिन्दी]

श्री शरद यादव : अध्यक्ष महोदया जी, यूपीएससी के मामले में *...(व्यवधान)* हां, मैं कह रहा हूं कि पांच हजार में से सौ बच्चे पास हुए, मैं अकेले हिन्दी की बात नहीं कर रहा हूं। सारी भारतीय भाषाओं के बच्चों की संख्या पांच से दस गुना घट गई है, मैं आपसे कहना चाहता हूं कि जरा-सी मांग है, भोजपुरी इस देश की बहुत बड़ी भाषा है,...*(व्यवधान)* राजस्थानी भी देश की भाषा है।...*(व्यवधान)* मैं सभी भारतीय भाषाओं के बारे में बोल रहा हूं।...*(व्यवधान)* यह अभी थोड़े ही इंक्लूड हो रही हैं।...*(व्यवधान)*

मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि इसी तरह के रिजर्वेशन पर दो मंत्रियों का भाषण होता है। एक मंत्री कहता है, कांस्टीट्यूशन बेंच का जो फैसला है, हम उसे नहीं मानेंगे, जैसा पहले रिजर्वेशन था, वैसा रहेगा, अभी एम्स हैं, हेल्थ मिनिस्टर ने सिर्फ असिस्टेंट प्रोफेसर का निकाला है।

श्री प्रभुनाथ सिंह : शरद जी आप बात को डायवर्ट मत कीजिए। अभी भोजपुरी का सवाल है, आप इस पर सवाल उठाइए।...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदया : कृपया आप सभी बैठ जाइए।

...(व्यवधान)

श्री शरद यादव : यह पूरी भारतीय भाषाओं का सवाल है।... *(व्यवधान)*

श्री हुक्मदेव नारायण यादव (मधुबनी) : सारे देश की देसी भाषा का सवाल है। गरीबों के साथ अन्याय हो रहा है।...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदया : आप ऐसा नहीं करिए।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदया : अब आप किसलिए इतना आक्रोश में आ रहे हैं?

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदया : आपने बोल दिया, अब आप बैठ जाइए।

...(व्यवधान)

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदया : इसके अतिरिक्त कुछ भी कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं होगा।

*(व्यवधान)...**

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

[हिन्दी]

श्री शरद यादव : रिजर्वेशन का मुद्दा मैने उठा दिया।...*(व्यवधान)* सारी भारतीय भाषाएं हमारी हैं।...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदया : श्री पी.एल. पुनिया, श्री शैलेन्द्र कुमार, श्रीमती रमादेवी, श्री अशोक अर्गल, श्रीमती कमला देवी पटले, श्रीमती ज्योति धुर्वे, श्री हंसराज गं. अहीर, श्री सोहन पोटाई, श्री अर्जुन राम मेघवाल, श्री रामसिंह राठवा, श्री देवजी एम. पटेल शून्य प्रहर में श्री शरद यादव द्वारा उठाए गए विषय से स्वयं को संबद्ध करते हैं।

...(व्यवधान)

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदया : माननीय सदस्यगण, देखिए चूंकि माननीय सदस्य सभी भारतीय भाषाओं को इतना अधिक सम्मान देते हैं इसलिए इस सभा में 22 भाषाएं हैं। यह विश्व में एकमात्र ऐसी सभा है जहां 22 भाषाओं में कार्य होता है। मुझे लगता है यदि हमें और भाषाओं की जरूरत है तो हमें ऐसा करना चाहिए।

...(व्यवधान)

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदया : नहीं, हिन्दी और अंग्रेजी सभी भाषाएं हैं।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदया : अब आप कहिएगा कि तेलुगु भाषा में बोलिए। यह तो कोई मांग नहीं हुई है। हम जिस भाषा में बोल रहे हैं, वे सब भारत की भाषाएं हैं और हमें इस बात का बहुत गर्व है। यह एक खुली बात है कि और भी भाषाओं को इस पर लाना हे, सदन इसमें विचार कर रहा है।

श्रीमती हरसिमरत कौर बादल (भटिंडा) **:** आपने मुझे एक बहुत ही गंभीर विषय पर बोलने का मौका दिया, इसके लिए धन्यवाद। मैं आपका इस बात के लिए शुकराना करना चाहती हूं कि आज मैंने एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर एडजर्नमेंट मोशन दिया था कि हमारे काफी राज्यों में जो बाढ़ आई हुई है, उससे पीड़ित किसानों के कम्पैनसेशन की बात की जाए।...*(व्यवधान)*

श्री हुक्मदेव नारायण यादव : महोदया, शरद जी को अपनी बात कनक्लूड करने दीजिए।...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदया : उन्होंने कनक्लूड कर लिया है। वे और कितना लम्बा बोलेंगे।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदया : आप उन्हें कनक्लूड करने दीजिए। आपकी बात पूरी हो गई है।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदया : हम बाध्य नहीं कर सकते।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदया : आप मुझे फोर्स मत कीजिए।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदया : आप क्यों खड़े हैं? क्या उन्हें हर समय आपके समर्थन की जरूरत पड़ती है? आप बैठ जाइए। शरद जी, प्लीज़ आप अपनी बात कनक्लूड कीजिए।

...(व्यवधान)

श्री शरद यादव : अंत में मेरा निवेदन है कि आपने भारतीय भाषाओं के गौरव के बारे में कहा जबकि इसे रोज गिराया जा रहा है।...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदया : ठीक है, अब आप अपनी बात समाप्त कीजिए।

...(व्यवधान)

श्री शरद यादव : भारत मां की बोली रोज धकेली जा रही है। *...(व्यवधान)* पहले आईएएस, आईपीएस में बहुत लोग आते थे, आज उनकी संख्या पांच हजार से सौ हो गई है। इसलिए मैं सरकार से इस बारे में कहना चाहता हूं। यहां कोई नहीं बैठे हैं। आप बताइए कि इसका क्या इलाज हो।...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदया : ठीक है, अब आप अपनी बात समाप्त कीजिए। मैंने महिला सांसद को बोलने के लिए खड़ा किया है। अब आप अपनी बात समाप्त कीजिए।

...(व्यवधान)

श्री शरद यादव : रिजर्वेशन के मामले में...*(व्यवधान)* दोनों मंत्रियों ने जवाब दिया था।...*(व्यवधान)*

श्रीमती हरसिमरत कौर बादल (भटिंडा) **:** शरद जी, मुझे किसानों के बारे में बहुत जरूरी बात कहने दीजिए।...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदया : ठीक है। हरसिमरत जी खड़ी हैं।

...(व्यवधान)

श्री शरद यादव : आज एम्स में असिस्टैंट प्रोफैसर्स की जगह निकालकर हैल्थ मिनिस्टर...*(व्यवधान)*

श्रीमती हरसिमरत कौर बादल : शरद जी, किसानों की बात बहुत जरूरी है, मुझे कहने दीजिए।...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदया : आप बैठ जाइए।

...(व्यवधान)

श्रीमती हरसिमरत कौर बादल : मैडम, मैं आपका धन्यवाद करना चाहती हूं।...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदया : अब क्या हो गया? फिर सब खड़े हो रहे हैं।

...(व्यवधान)

श्रीमती हरसिमरत कौर बादल : आपने मुझे बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर बोलने का मौका दिया।...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदया : आप सब बैठ जाइए। मंत्री जी बोल रहे हैं।

...(व्यवधान)

ग्रामीण विकास मंत्री (श्री जयराम रमेश) : स्पीकर महोदया, भोजपुरी और राजस्थानी भाषा के बारे में काफी लम्बे समय से चर्चा चल रही है। सरकार की ओर से कई बार गृह मंत्री जी द्वारा आश्वासन भी दिया गया है। आज जो भावनाएं प्रकट की गई हैं, मैं उनसे गृह मंत्री जी को जरूर अवगत करवाऊंगा।

मुलायम सिंह जी ने उर्दू के बारे में जो बात उठाई है, मैं उन्हें जानकारी देना चाहता हूं कि उर्दू आठवें शैड्यूल में शामिल हो चुकी है।

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदया : हरसिमरत कौर जी, अब आप बोलिए।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदया : मैं उन्हें बोलने के लिए खड़ा कर रही हूं। आप सब क्यों खड़े हो रहे हैं। सदन में एक महिला सदस्य खड़ी हो रही है। बैठ जाइए।

...(व्यवधान)

श्रीमती हरसिमरत कौर बादल (भटिंडा) **:** शरद जी, किसानों की बात करने दीजिए।...*(व्यवधान)* मैडम, मैं आपका शुकराना करती हूं कि आज आपने मुझे बहुत ही महत्वपूर्ण विषय उठाने का मौका दिया है। आज देशभर में बाढ़ से पीड़ित किसानों के जो हालात हैं, उनके कम्पैनसेशन के बारे में इस हाउस में चर्चा हो, मैं समझती हूं कि यह बहुत महत्वपूर्ण बात है। लेकिन मुझे इस बात का अफसोस है कि कल भी जब नियम 193 के अंतर्गत इस विषय पर चर्चा लगी, सरकार ने अपने बिल पास करवाने के लिए किसानों की पीड़ा को पीछे कर दिया। सदन के आखिरी दिनों में जो सबसे जरूरी बात थी, उसके बारे में इस सदन में कोई चर्चा नहीं हुई है। एक तरफ सरकार किसानों के हालात पर खाद्य सुरक्षा आदि कई चीजों के ढोंग करती है, बिल पास कराती है।...*(व्यवधान)* लेकिन कई राज्यों में हजारों, लाखों किसानों का जो नुकसान हुआ है, उनके कम्पैनसेशन के बारे में जो चर्चा करनी चाहिए, उसके लिए यहां न ही कोई मंत्री सुनने के लिए मौजूद है और न ही जवाब देने के लिए मौजूद है। मुझे इस बात का बहुत दु:ख है।

मैडम, आज कई राज्यों में जहां किसानों की लाखों, करोड़ एकड़ की फसल बर्बाद हो गई, वहीं जो कच्चे मकानों में रहते हैं, उनके मकान भी बर्बाद हो गए, उनके पशु भी बर्बाद हो गए और उन्हें जान बचाकर कहां-कहां भागना पड़ रहा है। आप समझ सकती हैं कि उनका भविष्य कैसा होगा। आज वे भुखमरी, बेबसी के साथ ही नहीं जी रहे बल्कि आगे की जिंदगी का भी सामना कर रहे हैं। उन्हें अपना भविष्य अच्छा नजर नहीं आ रहा है।

मध्याह्न 12.00 बजे

मैडम, ऐसी हालत में देखा जाये कि सरकार की तरफ से इन पीड़ितों को कैसे कम्पैनसेशन दिया जाता है, तो मैं समझती हूं कि यह जले पर नमक छिड़कने की बात है। एक इंसान को मात्र 20 रुपया दिन का और खानी-पीने के लिए 15 रुपया दिन का कम्पैनसेशन केन्द्र सरकार से मिलता है। यदि किसी का मकान नष्ट हो जाता है, तो उसे केवल 3200 रुपये ...*(व्यवधान)* बिट्टू जी, जब आप अपने किसानों की पीड़ा अपनी सरकार को नहीं पहुंचा सकते, तो कम से कम जो पहुंचा रहे हैं, उन पर बाधा न लगायें।...*(व्यवधान)*

मैडम, सबसे अफसोस की बात है कि जो लाखों की गिनती में ...*(व्यवधान)* चाहे जितने मर्जी जानवर मिल जायें, आपको सिर्फ एक जानवर...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदया : आपकी बात पूरी हो गयी है।

...(व्यवधान)

श्रीमती हरसिमरत कौर बादल : मैडम, यह बहुत जरूरी बात है। आप मुझे दो मिनट बोलने दीजिए।...*(व्यवधान)* किसानों को अब तक मुआवजा...*(व्यवधान)* मैडम दो मिनट बोलने दीजिए।...*(व्यवधान)* 40 हजार रुपये एकड़ का उनका खर्चा बनता है, तो कम से कम इस मुआवजे को दिया जाये।...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदया : अब, शेख सैदुल हक अपनी बात रखेंगे।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदया : शेख सैदुल हक द्वारा किए जा रहे निवेदन के अतिरिक्त कुछ भी कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

...(व्यवधान)

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदया : श्री हंसराज गं. अहीर, श्री राम सिंह राठवा, श्रीमती कमला देवी पटले, श्री सोहन पोटाई, श्री ए.टी. नाना पाटील, श्री लालूभाई बाबूभाई पटेल, श्रीमती ज्योति धुर्वे, श्री रावसाहेब दादाराव दानवे, डॉ. संजय जायसवाल, श्री देवजी एम. पटेल, श्रीमती रमा देवी, श्री अशोक अर्गल, श्रीमती पूनम वेलजीभाई जाट, श्री नारेनभाई कछादिया, श्री मनसुखभाई डी. वसावा और श्री गोरखनाथ पाण्डेय अपने आपको श्रीमती हरसिमरत कौर बादल के विषय के साथ सम्बद्ध करते हैं।

...(व्यवधान)

[अनुवाद]

शेख सैदुल हक (वर्धमान-दुर्गापुर) **:** अध्यक्ष महोदया मुझे बोलने का अवसर देने के लिए आपको धन्यवाद। मैं एक महत्वपूर्ण मुद्दा उठाना चाहता हूं। 1965 में भारत-पाकिस्तान युद्ध के पश्चात्, जब माननीय लाल बहादुर शास्त्री भारत के प्रधानमंत्री थे, उस समय 10,000 किसानों और उनके परिवारों, जिनमें अविभाजित पंजाब के 5,000 सिख परिवार थे, को कच्छ क्षेत्र में बंजर जमीन को उपजाऊ बनाने और खेती करने के लिए बुलाया गया था। उनके कठिन प्रयासों से लगभग 1 लाख एकड़ जमीन उपजाऊ बन गयी है। उन लोगों को वहां रहते हुए 50 से 60 वर्ष से भी अधिक समय हो गया है। वे वहां के मतदाता बन गए हैं; और उनके पास राशन कार्ड भी हैं।...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदया : माननीय सदस्यगण, कृपया अपने स्थान पर बैठ जाइये। वह पहले ही बोल चुकी हैं। शेख सैदुल हक को उनका निवेदन जारी रखने दीजिए।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदया : यह ठीक नहीं है। नहीं कृपया बैठ जाइये।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदया : कृपया बैठ जाइये। जब कोई दूसरा माननीय सदस्य अपनी बात रख रहा हो, उसके लिए सम्मान दर्शाइये।

...(व्यवधान)

शेख सैदुल हक : महोदया, अभी 2010 में गुजरात सरकार ने जिलाधिकारी के माध्यम से एक परिपत्र जारी किया है जिसमें किसानों के उन 5,000 सिख परिवारों को, जो वहां लगभग 60 वर्ष से किसान के तौर पर रह रहे हैं, यह कहा गया है कि उन्हें उनकी जमीन खाली करनी होगी। हमें यह सूचना मिली है कि वहां एक नया पत्तन बनने जा रहा है। वह जमीन बहुत मूल्यवान है। यही कारण है कि बड़े व्यवसायिक घराने उस जमीन को लेने के लिए दबाव बना रहे हैं; और गुजरात सरकार व्यवसायिक घरानों के इशारों पर काम कर रही है। यही कारण है कि वे प्रभावित किसान उच्च न्यायालय की शरण में गए, जिसने सरकार के परिपत्र को खारिज कर दिया...*(व्यवधान)*

अब, ऐसा पता चला है कि गुजरात सरकार इस मुद्दे पर उच्चतम न्यायालय जा रही है। इस मामले में पंजाब के मुख्य मंत्री ने गुजरात सरकार से बात की है परंतु उसका कोई परिणाम नहीं निकला।...*(व्यवधान)*

अब, वे 5,000 सिख किसान, अपने परिवार सहित काफी चिंतित हैं और उनका अस्तित्व खतरे में है।... इसीलिए, मैं केन्द्र सरकार से आग्रह करता हूं कि इस मामले पर गुजरात सरकार से बात करें ताकि लगभग 60 वर्षों से कच्छ क्षेत्र में निवास करने वाले 5,000 सिख किसानों की बल पूर्वक बेदखली न हो सके।

अध्यक्ष महोदया : अब, श्रीमती सुमित्रा महाजन बोलेंगी।

...(व्यवधान)

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदया : आप सब बैठ जाइये। यह क्या कर रहे हैं?

...(व्यवधान)

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदया : आप मुझ पर इस प्रकार दबाव नहीं डाल सकते। नहीं।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदया : कृपया बैठ जाइए।

...(व्यवधान)

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदया : इस तरह नहीं होगा।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदया : आप सब बैठ जाइये। सुमित्रा जी बोल रही हैं, इसलिए आप सब बैठ जाइये।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदया : आपने अपनी बात कह दी है। कल आपके माननीय सदस्य भी बोले थे और आज आप बोली हैं। इसके बाद चर्चा हो रही है। आप अपनी सीट पर जाकर बैठ जाइये।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदया : सुमित्रा जी, आप बोलिये।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदया : सुमित्रा जी, क्या आपको बोलना है?

...(व्यवधान)

अपराह्न 12.03 बजे

इस समय श्री शेर सिंह घुबाया, श्री गणेश सिंह और कुछ अन्य माननीय सदस्य आगे आकर सभा पटल के निकट खड़े हो गए।

[अनुवाद]

श्री एम.बी. राजेश (पालक्काड़) : अध्यक्ष महोदया, मुझे यह अवसर प्रदान करने के लिए धन्यवाद। मैं एक बहुत गंभीर मानवाधिकार हनन का मामला उठाना चाहता हूं जो परसों केरल में घटित हुआ था। *...(व्यवधान)* पुलिस ने एक नवयुवक पर निर्दयता से हमला किया। *...(व्यवधान)* यह मुख्यमंत्री के विरुद्ध काला झण्डा लेकर प्रदर्शन कर रहा था और उस पर पुलिस द्वारा निर्दयतापूर्ण रूप से हमला किया गया। *...(व्यवधान)* उसके गुप्तांगों को पुलिस ने क्षति पहुंचायी। ऐसा केरल में कभी नहीं हुआ था।*...(व्यवधान)*

अपराह्न 12.06 बजे

इस समय, श्री शैलेन्द्र कुमार आगे आकर सभा पटल के निकट खड़े हो गए।

इस प्रकार, अध्यक्ष महोदया, यह घोर अन्याय है। यह गंभीर मानवाधिकार हनन का मामला है। हम इस पर सरकार के प्रत्युत्तर की मांग करते हैं।. *..(व्यवधान)* केन्द्र सरकार को इस मानवाधिकार हनन पर अपनी प्रतिक्रिया देनी चाहिए।*...(व्यवधान)*

मैं इस मामले में मानवाधिकार हनन की जांच की मांग करता हूं और केन्द्र सरकार को इस मुद्दे पर अपनी प्रतिक्रिया देनी चाहिए।*... (व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदया : इसके अतिरिक्त कुछ भी कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

*(व्यवधान)...**

अध्यक्ष महोदया : श्री एम.बी. राजेश द्वारा उठाए गए मामले के साथ सम्बद्ध होने के लिए श्री ए. सम्पत, श्री पी. करुणाकरन और श्री पी.के. बिजू को अनुमति दी जाती है।

...(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री सुशील कुमार सिंह (औरंगाबाद) : मैडम, आपने मुझे बोलने का मौका दिया, इसके लिए मैं आभार प्रकट करता हूं। मुझे आपका संरक्षण चाहिए।*...(व्यवधान)* में लोक महत्व के अत्यंत महत्वपूर्ण विषय को सदन में उठाना चाहता हूं।*...(व्यवधान)* एक अंतर्राज्जीय सिंचाई परियोजना है, जो झारखंड और बिहार के चार-चार संसदीय क्षेत्रों और तीन जिलों– पलामू, औरंगाबाद और गया के सवा लाख हैक्टेयर जमीम की सिंचाई करने वाली है।*...(व्यवधान)* मैं आपको बताना चाहता हूं कि इस सिंचाई परियोजना पर 1975 में काम शुरू हुआ। अभी तक हजारों करोड़ रुपए इस परियोजना के निर्माण पर खर्च हो चुके।*...(व्यवधान)* किसानों की जमीन अधिग्रहित कर ली गयी, नहरें खोद दी गयीं,*...(व्यवधान)* लेकिन कुटकू डैम में स्लूईस गेट के अभाव में यह डैम अभी तक बरसाती नहर के रूप में है।*...(व्यवधान)* इससे अभी तक कोई सिंचाई का कार्य शुरू नहीं हुआ है। अनिश्चित रूप से सिंचाई होती है। किसानों की सात-आठ हजार हैक्टेयर जमीन ले ली गयी।*...(व्यवधान)* हजारों करोड़ रुपए इस परियोजना पर खर्च कर दिये गये। इसका स्थापना व्यय प्रतिवर्ष 12 करोड़ रुपए है, लेकिन इस सिंचाई परियोजना, जो एक अंतर्राज्जीय सिंचाई परियोजना है, से किसानों को कोई लाभ नहीं मिल रहा है।*...(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदया, भारत सरकार के वन एवं पर्यावरण मंत्रालय ने वर्ष 2007 में कुटकू डैम में स्लूईस गेट लगाने पर पर्यावरण के कारण प्रतिबंध लगा दिया है।*...(व्यवधान)* इसमें बेतला नेशनल पार्क तथा विभिन्न परियोजनाओं की जमीनें डूबेगी, यह कारण बताया गया है। एक तरफ सरकार खाद्य सुरक्षा बिल लाती है और दूसरी तरफ इतने महत्वपूर्ण सिंचाई

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

[श्री सुशील कुमार सिंह]

परियोजना अधूरी है। मैं आपके माध्यम से भारत सरकार से मांग करता हूं कि कुटकू डैम, जो एक महत्वपूर्ण सिंचाई परियोजना है, को शुरू करने के लिए सरकार कदम उठाए।...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदया : अब समाप्त कीजिए।

...(व्यवधान)

श्री सुशील कुमार सिंह : 25 लाख किसानों और खेतिहर मज़दूरों के लिए यह महत्वपूर्ण सिंचाई परियोजना है, लेकिन 38 सालों से अधूरा है।...*(व्यवधान)* भारत सरकार ने जो स्लूईस गेट के निर्माण पर प्रतिबंध लगाया हुआ है, उसे हटाये, अनापत्ति प्रमाण-पत्र दे, उस डैम में फाटक लगे ताकि सवा लाख हैक्टेयर जमीन की सिंचाई हो सके।...*(व्यवधान)* जो इलाका बंजर है, जो इलाका पूरी तरह से उग्रवाद से प्रभावित है, वहां इस महत्वपूर्ण सिंचाई परियोजना की ओर सरकार ध्यान दे।...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदया : किसानों की जो समस्या है, जो पीड़ा है, दु:ख-दर्द है, उससे हम लोग सभी दु:खी हैं, पूरा सदन दु:खी है। इसीलिए यहां पर उस विषय पर आज शाम की एक चर्चा लगी हुई है, उस पर चर्चा हो जाएगी और चर्चा पूरे विस्तार से होगी।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदया : इसके अलावा मैं और क्या करूं? जब मैं कह रही हूं कि चर्चा करा देंगे, तो बैठ जाइए।

अपराह्न 12.09 बजे

इस समय, श्री शैलेन्द्र कुमार, श्री शेर सिंह घुबाया, श्री गणेश सिंह और कुछ अन्य माननीय सदस्य अपने-अपने स्थान पर वापस चले गए।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदया : शून्य काल समाप्त होता है। शेष मामलों पर दिन के अंत में विचार किया जाएगा।

पूर्वाह्न 12.09½ बजे

नियम 377 के अधीन मामले*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदया : माननीय सदस्यो, नियम 377 के अधीन मामले सभा पटल पर रखे जाएंगे। वे सदस्य जिन्हें आज नियम 377 के अधीन मामले उठाने के लिए अनुमति प्रदान की गई है और उन्हें उठाना चाहते हैं, 20 मिनट के अंदर व्यक्तिगत रूप से सभा पटल पर पर्ची दे सकते हैं। केवल उन्हीं मामलों को सभा पटल पर रखा गया माना जायेगा जिनके लिए निर्धारित समय के अंदर सभा पटल पर पर्चियां प्राप्त हो जाएंगी। अन्य सभी को व्यपगत माना जाएगा।

(एक) केरल के एर्नाकुलम जिले में पुथेनक्रूज में केन्द्रीय भांडागार के प्रस्तावित उच्च प्रौद्योगिकी युक्त गोदाम की स्थापना के कार्य में तेजी लाए जाने की आवश्यकता

श्री के.पी. धनपालन (चालाकुडी) : चूंकि भारत सरकार खाद्य सुरक्षा अधिनियम के माध्यम से सभी के लिए पर्याप्त भोजन सुनिश्चित करना चाहती है, खराब भंडारण और परिवहन या चोरी के कारण खाद्यान्नों की क्षति अभी भी बड़ा मुद्दा है। पिछले चार वर्षों की अवधि में खराब भंडारण सुविधाओं के कारण अनुमानत: 6,00,000 टन खाद्यान्न नष्ट हो गए हैं। खाद्यान्नों की इस प्रकार की क्षति से देश की खाद्य सुरक्षा प्रतिकूल रूप से प्रभावित हो सकती है। तथापि, अपर्याप्त भंडारण सुविधा के कारण खाद्यान्नों की अनुमानित क्षति के मूल्य की तुलना करने पर थोड़े अधिक लीज़ दर पर भी अधिक गोदाम सुविधाओं की स्थापना ही समय की आवश्यकता है। यदि हम सुविधाओं से युक्त गोदामों की अधिक संख्या में स्थापना जैसे अच्छे उपायों के माध्यम से पर्याप्त मात्रा में खाद्यान्नों का संरक्षण कर सकें तो इस प्रकार बचाया गया खाद्यान्न कुछ महीनों तक देश की मांग को पूरा करने के काम आ सकेगा। केरल के एर्नाकुलम जिले के पुथेनक्रूज में एक सेंट्रल वेयरहाऊसिंग कॉर्पोरेशन गोदाम की स्थापना हेतु एक प्रस्ताव सीडब्ल्यूसी नई दिल्ली को भेजा गया है। प्रस्तावित गोदाम की स्थिति एनएच-25 कोच्चि-थोंडी रोड (पुराना एनएच-49, कोच्चि-मदुराई) के पास है। यह स्थान प्रस्तावित स्मार्ट सिटी और पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स, अम्बलामुगल, वल्लरपडोम इंटरनेशनल कंटेनर टर्मिनल, एनएनजी टर्मिनल पुथुवाइप इत्यादि के भी पास है। एर्नाकुलम के जिला कलक्टर ने पुथेनक्रूज के उपर्युक्त गोदाम हेतु प्रस्तावित भूमि के लिए लीज़ के रूप में बाजार मूल्य के 10% की सिफारिश की है।

इसलिए, मैं सरकार से निवेदन करता हूं कि वह केरल के एर्नाकुलम जिले में पुथेनक्रूज में केन्द्रीय भांडागार (सेंट्रल वेयरहाउसिंग) के प्रस्तावित उच्च प्रौद्योगिकी युक्त गोदाम की स्थापना के लिए तत्काल ही आवश्यक कदम उठाए।

(दो) उत्तर प्रदेश में बाढ़ प्रभावित लोगों को सहायता पहुंचाने के लिए सभी आवश्यक उपाय किए जाने की आवश्यकता

[हिन्दी]

श्री जगदम्बिका पाल (डुमरियागंज) : उत्तर प्रदेश में लगभग सभी

*सभा पटल पर रखे माने गये।

नदियों जैसे राप्ति, बुढ़ी राप्ति, सरजू, गंगा, बेतवा, जमुना नदी आदि में बाढ़ का प्रकोप जारी है जिससे लगभग दर्जनों जिले जैसे सिद्धार्थनगर, बस्ती, सन्त कबीर नगर, गोरखपुर, फैजाबाद, इलाहाबाद, वाराणसी आदि के सैकड़ों ग्राम प्रकोप में आ चुके हैं। इन नदियों के किनारे बसे गांवों का अस्तित्व खतरे में है। किसानों की फसलें पूरी तरह बर्बाद हो चुकी है। इसके बाद भी प्रशासन द्वारा बाढ़ बचाव कार्य में काफी लापरवाही के चलते वहां की जनता में काफी रोष एवं आक्रोश व्याप्त है। इसलिए मैं बाढ़ पीड़ितों की मदद के लिए भारत सरकार से त्वरित कार्यवाही की मांग करता हूं। उत्तर प्रदेश में इस वर्ष बाढ़ से लगभग 235 लोगों की मौत हो चुकी है तथा 1500 गांव जलमग्न हुए। काफी जन एवं धन की क्षति हुई है।

(तीन) हरियाणा के भिवानी और महेन्द्रगढ़ जिलों में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत संपर्क सड़कों के निर्माण के लिए धनराशि स्वीकृत किए जाने की आवश्यकता

[अनुवाद]

श्रीमती श्रुति चौधरी (भिवानी-महेन्द्रगढ़) : मैं प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना (पीएमजीएसवाई) चरण-दो एक अंतर्गत भिवानी और महेन्द्रगढ़ जिलों में संपर्क सड़कों के निर्माण की आवश्यकता के संबंध में सरकार का ध्यान आकृष्ट करना चाहती हूं। ये दक्षिण हरियाणा के सर्वाधिक पिछड़े जिले हैं।

मैंने अप्रैल, 2010 में हरियाणा सरकार को अपने भिवानी-महेन्द्रगढ़ संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में पीएमजीएसवाई के अंतर्गत संपर्क सड़कों का निर्माण हेतु एक सूची प्रेषित की थी परन्तु, इस योजना के प्रथम चरण में हरियाणा को केन्द्रीय निधियां जारी न किए जाने के कारण यह कार्य आरंभ नहीं किया जा सका। बाद में, मुझे यह पता चला कि केन्द्र सरकार ने पीएमजीएसवाई के चरण-दो में हरियाणा में संपर्क सड़कों के निर्माण हेतु निधियां जारी करने के लिए अपना अनुमोदन दे दिया है। अतः, मैंने कार्यवाही करने हेतु 29.05.2013 को माननीय पीडब्ल्यूडी मंत्री (बी एंड आर) को पुनः भिवानी जिले में भिवानी तोशाम दादरी, भद्रा और लोहारू और महेन्द्रगढ़ जिले में महेन्द्रगढ़, नारनौल, नांगल चौधरी और अटेली में संपर्क सड़कों की ब्लॉक-वार सूची प्रेषित की है। यहां यह बताना समीचीन है कि गांवों में ग्रामीण संपर्कता/संपर्क सड़कों का आभाव है। चूंकि, संपर्क सड़कें किसी भी क्षेत्र के विकास हेतु एक मुख्य घटक होती हैं इसलिए, इस अत्यावश्यक कार्य को प्राथमिकता के आधार पर किया जाना अपेक्षित है। हाल में हुई वर्षा ने इस क्षेत्र की स्थिति को और बदतर बना दिया है। यात्रियों को यात्रा करने में बहुत कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है।

अतः, मेरा अध्यक्ष पीठ के माध्यम से माननीय ग्रामीण विकास मंत्री जी से यह अनुरोध है कि वह इस मामले की जांच करें और व्यापक जन हित में हरियाणा सरकार के सहयोग से मेरे संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में संपर्क संड़कों और संबंधित अवसंरचना के निर्माण तथा मौजूदा संपर्क सड़कों की मरम्मत के लिए शीघ्र केन्द्रीय निधियां जारी करने हेतु संबंधित प्राधिकारियों को निर्देश दें।

(चार) राष्ट्रीय औषध मूल्य निर्धारण प्राधिकरण द्वारा निर्धारित अधिकतम मूल्य से ऊंची दर पर औषधियां बेचने वाले फार्मा कंपनियों के विरुद्ध कठोर कार्यवाही किए जाने की आवश्यकता

श्री एम.आई. शानवास (वायनाड) : भेषज विभाग (डीओपी) ने अपने विधायी आदेश के माध्यम से यह स्पष्ट किया है कि औषध कंपनियां, जोकि नियंत्रित मूल्यों के अंतर्गत आने वाली आवश्यक औषधियों के पुराने स्टॉक को राष्ट्रीय औषध मूल्य निर्धारण प्राधिकरण (एनपीपीए) द्वारा निर्धारित अधिकतम मूल्य से ऊंची दर पर बेच रही हैं उन्हें ऐसा करने की अनुमति नहीं दी जाएगी। नये औषध मूल्य नियंत्रण आदेश (डीपीसीओ) के अनुसार, आमतौर पर इस्तेमाल की जाने वाली दर्द निवारक दवा, पेरासीटामोल, एंटीबायोटिक एजीथ्रोमाइसिन और मधुमेह रोधी इंसुलिन सहित लगभग 151 औषधियों, अधिकतम मूल्य निर्धारित किए जाने की अधिसूचना जारी करने की 45 दिनों की अवधि बीत जाने पर अर्थात् इस वर्ष 29 जुलाई से, राष्ट्रीय औषध मूल्य निर्धारण प्राधिकरण (एनपीपीए) द्वारा निर्धारित दरों पर उपलब्ध होनी चाहिए थीं। तथापि, इस आदेश की पूर्ण रूप से अवहलेना की गई है और पूरे देश में खुदरा दवा विक्रेताओं द्वारा नकली दवाइयां बनाने और उन्हें पुरानी दरों पर बेचे जाने की कई घटनाएं सामने आई हैं। अनेक खुदरा विक्रेताओं की इस कार्यवाही से उन मरीजों पर बुरा प्रभाव पड़ रहा है जिन्हें सरकार के द्वारा दवाइयों के मूल्य में कमी करने के आदेश से कुछ राहत मिली थी। कुछ कंपनियों का यह भी कहना है कि फिर से लेबल लगी और पैक की गई 151 औषधियों का केवल 15% से 20% भाग ही बाजार में पहुंचा है। मेरा सरकार से यह अनुरोध है कि औषधियों की कृत्रिम कमी पैदा करने वाले और सरकार के आदेश की अवहेलना का प्रयास करने वाले खुदरा विक्रेताओं के विरुद्ध कड़ी कार्यवाही की जाए। मेरा सरकार से यह भी अनुरोध है कि ऐसी गतिविधियों में संलिप्त खुदरा विक्रेता और स्टॉकिस्ट जो कि मरीजों को घटी हुई दरों पर औषधियों का लाभ प्राप्त करने के अधिकार से वंचित कर रहे हैं उनका औचक निरीक्षण करने के लिए एक समर्पित सतर्कता स्कंध का गठन किया जाए। मेरा सरकार से यह भी अनुरोध है कि विनियामक द्वारा निर्धारित अधिकतम सीमा में ऊंची दरों पर दवाइयां बेचने क लिए फार्मा कंपनियों से दंड के रूप में एनपीपीए द्वारा 2500 करोड़ रुपये की वसूली करने की प्रक्रिया में भी तेजी लाई जाए।

(पांच) उत्तर प्रदेश के श्रावस्ती जिले में महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के कार्यान्वयन को सुचारू बनाए जाने की आवश्यकता

[हिन्दी]

डॉ. विनय कुमार पाण्डेय (श्रावस्ती) : मैं सरकार का ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहूंगा कि मेरे निर्वाचन क्षेत्र अंतर्गत जनपद श्रावस्ती में केन्द्र की विभिन्न विकास योजनाओं में कृषि विभाग की भूमि संरक्षण, मनरेगा, एमएसडीपी व अन्य विकास योजनाओं में व्याप्त अनियमितताओं की ओर आकृष्ट करना चाहूंगा।

जनपद श्रावस्ती में मनरेगा योजना के अंतर्गत संचालित वन विभाग के सुजानडीह पौधशाला में नाबालिग बच्चों द्वारा पौध रोपण का कार्य करवाया गया है। इन नाबालिग बच्चों को एक हजार पौध रोपण के लिए महज 70 रुपये मजदूरी दी गई है। ऐसा मेरे संज्ञान में लाया गया है कि नाबालिग बच्चों द्वारा मनरेगा अंतर्गत पौध रोपण की जानकारी रेंजर गिरंट सहित डीएफओ को भी थी। परन्तु जानबूझकर गिरंट वन विभाग के उक्त पौधशाला में बाल श्रमिकों को लगाकर बाल श्रम अधिनियम का उल्लंघन करने के साथ-साथ मनरेगा की मजदूरी की रकम कामगारों को नहीं दी गई है।

अत: मैं मंत्री महोदय से अनुरोध करना चाहूंगा कि उपरोक्त प्रकरण की निष्पक्ष जांच कराते हुए दोषियों के विरुद्ध आवश्यक कार्यवाही करवाए जाने का कष्ट करें।

(छह) कर्नाटक के चामराजनगर संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में कावेरी और काबिनी नदियों के तटबंधों को मजबूत करने के लिए धनराशि स्वीकृत किए जाने की आवश्यकता

[अनुवाद]

श्री आर. ध्रुवनारायण (चामराजनगर) : मैं केन्द्र द्वारा प्रायोजित बाढ़ प्रबंधन कार्यक्रम के अंतर्गत कर्नाटक में मेरे निर्वाचन क्षेत्र चामराजनगर के अंतर्गत कावेरी और काबिनी नदियों के तटबंधों को मजबूत करने के लिए पर्याप्त धनराशि स्वीकृत और आवंटित किए जाने के संबंध में सरकार का ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं।

मैं यह कहना चाहता हूं कि चामराजनगर में अनेक गांव अर्थात् धानागिरी, मुल्लुर येदाकुरिया, साथेगाला, हंपापुरा, कावेरीपुरा नंजनगुड आदि कावेरी और काबिनी नदियों के किनारे स्थित हैं और प्रत्येक वर्ष उन्हें बाढ़ का प्रकोप झेलना पड़ता है तथा खड़ी फसलों, मकानों और अन्य संपत्तियों की भारी हानि उठानी पड़ती है। अत: इन नदियों के किनारों पर तट सुरक्षा कार्य किया जाना अत्यावश्यक है।

चामराजनगर में गंभीर स्थिति के दृष्टिगत मेरा माननीय जल संसाधन मंत्री से नम्र निवेदन है कि केन्द्र द्वारा प्रायोजित बाढ़ प्रबंधन कार्यक्रम के अंतर्गत कावेरी और काबिनी नदियों के तटबंधों को मजबूत करने के लिए पर्याप्त धनराशि स्वीकृत और आवंटित की जाए।

(सात) बिहार में प्रति वर्ष आने वाली बाढ़ और सूखे की समस्या का समाधान किए जाने की आवश्यकता

[हिन्दी]

श्रीमती रमा देवी (शिवहर) : बिहार की कुल आबादी का 76 प्रतिशत भाग कृषि पर निर्भर है और इसमें एक-तिहाई से ज्यादा भाग खेतों की सिंचाई के लिए वर्षा पर निर्भर करता है। परंतु सदन को बताते हुए खेद हो रहा है कि बिहार का एक हिस्सा हर साल बाढ़ की चपेट में रहता है और दूसरा हिस्सा सूखे की चपेट में। केन्द्र सरकार द्वारा इस संबंध में बाढ़ एवं सुखाड़ की समस्या का समाधान करने हेतु जो स्थायी उपाय किए जाने हैं वह अभी तक नहीं किए गए हैं। आजादी के 67 वर्ष बाद भी इस समस्या के निदान के लिए कोई ठोस नीति नहीं बनाई गई है। इस वर्ष 15 अगस्त तक बिहार में 27 प्रतिशत से कम बारिश हुई। नवादा एवं सीतामढ़ी में तो 72 प्रतिशत सामान्य से कम बारिश हुई है। वहीं गया, वैशाली, लखीसराय, पूर्वी चम्पारण, शिवहर, समस्तीपुर, जहानाबाद आदि में 50 से लेकर 68 प्रतिशत तक सामान्य से कम वर्षा के कारण स्थिति भयावह हो गई है। परंतु अभी तक राज्य के कई जिलों को सूखाग्रस्त घोषित नहीं किया गया है जबकि वर्ष 2010 में 21 प्रतिशत कम वर्षा हुई थी जिसमें राज्य के सभी जिलों को सूखाग्रस्त घोषित कर दिया गया। दूसरी ओर उत्तरी बिहार के कई जिले बाढ़ से प्रभावित रहते हैं जिसमें करोड़ों रुपये की फसल को नुकसान पहुंचता है। कई लोगों की जानें चली जाती हैं और सैकड़ों पशुओं की मौत हो जाती है। इस साल पटना, मुजफ्फरपुर, किशनगंज, पूर्णिया, अररिया, कटिहार, सुपौल, सहरसा एवं गोपालगंज जिलों के कुल 43 प्रखंडों के 2152 गांव के 20 लाख लोग बाढ़ से प्रभावित रहे हैं। बाढ़ से बचने के लिए कोसी क्षेत्र में हाई लेवल डैम, कमला के ऊपर चीसापानी में हाई लेवल डैम व बागमती के ऊपर नूनथर में हाई लेवल डैम निर्माण हेतु सरकार द्वारा अपेक्षित कार्यवाही नहीं की गई है। सोन नहर की मरम्मत के लिए सरकार द्वारा दी गई राशि का इस कार्य में अभी तक उपयोग नहीं किया गया है।

अत: सरकार से अनुरोध है कि बिहार में सुखाड़ एवं बाढ़ की समस्या जो हर साल आती है उसका स्थायी समाधान किया जाए जिससे लोगों के जान-माल की रक्षा के साथ-साथ देश में खाद्यान्न एवं सब्जियों का उत्पादन को बढ़ाया जा सके।

(आठ) गुजरात के भरूच और नर्मदा जिलों के वनों में सूखे बांस को काटने की अनुमति दिए जाने की आवश्यकता

श्री मनसुखभाई डी. वसावा (भरूच) : मेरे संसदीय क्षेत्र भरूच के भरूच जिले और नर्मदा में अधिकांश रूप से जंगल है और यहां बांस की पैदावार काफी संख्या में होती है और यह बांस झुंड के झुंड में खड़े रहते हैं। जब यह पकने लगते हैं तो उसमें एक फूल आता है उसके बाद यह सूखने लगते हैं। परन्तु वन कानूनों की वजह से सूखने के बावजूद इन बांसों की कटाई नहीं हो पाती है। इन सूखे बांस के झुंडों में आग बड़ी तेजी के साथ पकड़ती है। असामाजिक तत्वों द्वारा इन सूखे बांसों में आग लगाने की संभावना बनी रहती है। कई बार जंगलों में जो आग लगती है उसका महत्वपूर्ण कारण इन सूखे बांसों में आग लगना होता है जिससे एक तो वन सम्पदा का नुकसान होता है और दूसरी ओर जंगल की हरी भरी वनस्पति को भी नुकसान पहुंचता है। इस प्रकार की जंगलों में आग लगने से जानवरों एवं लोगों के घरों को नुकसान पहुंचने का खतरा भी बना रहता है। बांसों को फूल लगने के बाद तुरंत काट लेना चाहिए जिससे ये सूखने पर आग का कारण न बने सकें। इससे उद्योगों को कच्चे माल की प्राप्ति एवं वन क्षेत्र में नई वनस्पति को पैदा करने के अवसर मिलेंगे।

सरकार से अनुरोध है कि वन कानूनों में इस तरह से परिवर्तन किया जाए कि बांसों में फूल आने के बाद इसको काटने की अनुमति स्वत: मिल जाए जिससे वन सम्पदा का हम राष्ट्रहित में उपयोग कर सकें और राजस्व की प्राप्त कर सकें।

(नौ) मध्य प्रदेश के छतरपुर में महाराज छत्रसाल बुंदेलखंड विश्वविद्यालय की स्थापना के लिए मध्य प्रदेश विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2011 को राष्ट्रपति की अनुमति शीघ्र दिए जाने की आवश्यकता

श्री जितेन्द्र सिंह बुन्देला (खजुराहो) : केन्द्रीय मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा वर्ष 2009 में डॉ. हरिसिंह गौर विश्वविद्यालय, सागर (मध्य प्रदेश) को केन्द्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा दिए जाने के बाद इस क्षेत्र में नवीन विश्वविद्यालय की आवश्यकता को देखते हुए मध्य प्रदेश सरकार ने महाराजा छत्रसाल बुन्देलखंड विश्वविद्यालय छतरपुर (मध्य प्रदेश) नाम से नए विश्वविद्यालय की स्थापना की ताकि डॉ. हरिसिंह गौर विश्वविद्यालय सागर से संबंधित क्षेत्रान्तर्गत जिले के शासकीय/अशासकीय शिक्षण संस्थाओं को नए विश्वविद्यालय से संबद्ध किया जा सके और यहां के लोगों की शैक्षणिक समस्याओं का निराकरण हो सके।

इस हेतु मध्य प्रदेश सरकार द्वारा मध्य प्रदेश विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2011 बिना संशोधन के पारित किया गया और इसको विधि एवं विधायी विभाग मध्य प्रदेश शासन के माध्यम से दिनांक 12.08.2011 को महामहिम राष्ट्रपति जी की स्वीकृति के लिए सचिव, गृह मंत्रालय, भारत सरकार को भेजा गया है, किन्तु अभी तक इस विषय में कोई कार्यवाही गृह मंत्रालय की ओर से नहीं की गई।

अत: मेरा सरकार से अनुरोध है कि वह मध्य प्रदेश विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2011 (क्रमांक 26 सन् 2011) दिनांक 20.07.2011 पर महामहिम राष्ट्रपति जी की स्वीकृति प्राप्त कर शीघ्र राज्य सरकार को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

अपराह्न 12.10 बजे

पथ विक्रेता (जीविका संरक्षण और पथ विक्रय विनियमन) विधेयक, 2012 ... *जारी*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदया : मद संख्या 15, श्री अनंत गंगाराम गीते।

...(व्यवधान)

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदया : अनंत गीते जी, आप बोलिए।

श्री अनंत गंगाराम गीते (रायगढ़) : अध्यक्ष महोदया, मैं इस विधेयक के बारे में बोलने के लिए खड़ा हुआ हूं।...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदया : कार्यवाही-वृत्तांत में और कुछ भी सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

*(व्यवधान)...**

[हिन्दी]

श्री अनंत गंगाराम गीते : अध्यक्ष महोदया, उसी विषय को आगे बढ़ाते हुए मैं कहना चाहता हूं कि सारे देश में जो स्ट्रीट वेंडर्स हैं, उनकी सुरक्षा और संरक्षण को लेकर यह विधेयक लाया गया है, लेकिन इस विधेयक को जब हम कानून में परिवर्तित करेंगे, तो उस कानून को सफल बनाने के लिए, उस कानून को लागू करने की जिम्मेदारी जिन संस्थाओं पर हैं, अध्यक्ष जी, आपके माध्यम से मैं मंत्री जी का ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहूंगा। इस विधेयक के माध्यम से आपने देश में जितने

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

[श्री अनंत गंगाराम गीते]

भी स्ट्रीट वेंडर्स हैं, उनके रजिस्ट्रेशन का प्रॉविजन किया है। जितने भी स्ट्रीट वेंडर्स हैं, उनको सर्टिफिकेट्स इश्यू किए जाएंगे। जितने भी स्ट्रीट वेंडर्स हैं, उनके लिए टाउन वेंडिंग कमेटी एप्वाइंट की जाएगी, जिसमें 40 प्रतिशत स्ट्रीट वेंडर्स होंगे, उसमें एससी, एसटी, ओबीसी, महिला आदि सभी लोगों को शामिल किया जाएगा। स्ट्रीट वेंडर्स को आज जो पुलिस की ओर से हटाया जाता है, कार्रवाई की जाती है, वह कार्रवाई नहीं की जाएगी, उसको रोका जाएगा। इस प्रकार की बातें हैं। एक छोटा स्ट्रीट वेंडर एक तरह से अपने लिए स्वरोजगार का निर्माण करता है और उसके माध्यम से अपना एवं अपने परिवार का गुजारा करता है। उन स्ट्रीट वेंडर्स के संरक्षण के लिए यह विधेयक लाया गया है, इसलिए हमने इस विधेयक का समर्थन किया है। लेकिन समर्थन करते हुए मैं कहना चाहता हूं कि इस विधेयक के कानून बनने के बाद इसका क्रियान्वयन होना है। इस देश के छोटे-बड़े शहरों, महानगरों में ये स्ट्रीट वेंडर्स अपना व्यवसाय करते हैं, तो अंत में इसका क्रियान्वयन उन सभी शहरों को करना है। इसका मतलब यह है कि उन शहरों में जो लोकल अथॉरिटीज हैं, चाहे नगर पंचायत हो, चाहे नगर निगम हो, चाहे नगरपालिका हो, चाहे महानगरपालिका हो, उनको इस कानून को लागू करना है और सारी सुविधाएं उन स्ट्रीट वेंडर्स को मुहैया करानी हैं। मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से कहना चाहूंगा कि लाखों स्ट्रीट वेंडर्स की सुरक्षा के लिए इस विधेयक के माध्यम से हम कानून बनाने जा रहे हैं। उसके साथ-साथ सोशल सिक्योरिटी देने का भी प्रयास हम करने जा रहे हैं। ऐसे में जिन संस्थाओं को इस कानून को लागू करना है, वे सभी लोकल सेल्फ-गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन्स हैं, स्थानीय स्वराज्य संस्थाएं हैं। मैं यह जानना चाहूंगा कि क्या आपने इसके बारे में इन स्थानीय स्वराज्य संस्थाओं से चर्चा की है? क्या ये स्थानीय स्वराज्य संस्थाएं इस कानून को लागू के लिए सक्षम हैं? क्या आपने स्थानीय स्वराज्य संस्थाओं को इस कानून को लागू करने के लिए सक्षम बनाने के लिए कोई प्रावधान इस विधेयक में रखा है? इन स्थानीय स्वराज्य संस्थाओं को करने के लिए कोई कानून बनाने की बात आपने इस विधेयक में की है? जहां तक मेरी जानकारी है, इस प्रकार का कोई प्रावधान इस विधेयक में मुझे नहीं दिखाई देता है। अध्यक्ष जी, यह बात मैं आपके माध्यम से मंत्री जी के समक्ष रखना चाहता हूं कि कल ही इस सदन की एक माननीय सदस्या, कांग्रेस पार्टी की सदस्या बोल रही थीं।...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदया : अब समाप्त कीजिए।

...(व्यवधान)

श्री अनंत गंगाराम गीते : समाप्त करूंगा अध्यक्ष जी, लेकिन कुछ अहम मुद्दे हैं। केवल कानून बनाने से उसका लाभ नहीं मिलेगा, उस कानून का क्रियान्वयन होना जरूरी है। उसका अमल होना जरूरी है। अमल होने के बारे में जो आशंकाएं और बाधाएं हैं, उनको किस प्रकार से हटाया जाए, इसकी ओर से ध्यान आकर्षित कर रहा हूं। इसके लिए मैं एक उदाहरण देना चाहता हूं।...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदया : अब उदाहरण देने का समय नहीं है। आपका समय समाप्त हो गया है।

श्री अनंत गंगाराम गीते: इसी सदन की एक माननीय सदस्या ने शून्य काल में राइट टू एजुकेशन का मामला उठाया था। उन्होंने कहा था कि जब से यह कानून बना है, उनके यहां पांच-पांच साल से शिक्षकों को वेतन नहीं मिला है। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि केवल कानून बनाने से ही कुछ नहीं होगा।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदया : श्री सैयद शाहनवाज़ हुसैन के भाषण के अतिरिक्त कार्यवाही-वृत्तांत में और कुछ नहीं सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

*(व्यवधान)...**

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदया : काफी हो गया, अब आपकी पार्टी का एलाटिड टाइम खत्म हो गया है इसलिए अपनी बात समाप्त करें।

श्री शाहनवाज़ हुसैन। आप शुरू क्यों नहीं करते।

श्री अनंत गंगाराम गीते : मैं अपनी बात समाप्त ही कर रहा हूं। मैं एक उदाहरण देना चाहता हूं।

अध्यक्ष महोदया : ठीक है, समाप्त करें। आज अंतिम दिन है, हम लोगों को काफी काम करना है।

श्री अनंत गंगाराम गीते : यह कानून किस लिए बनाया जा रहा है, स्ट्रीट वेंडर्स की सुरक्षा और संरक्षण के लिए। अध्यक्ष महोदया, आखिरी मुद्दा मुझे कहने दीजिए।

अध्यक्ष महोदया : बोलिए, लेकिन आखिरी मुद्दा आप बहुत लम्बा खींचेंगे।

श्री अनंत गंगाराम गीते : मैं मुम्बई की ओर आपका ध्यान आकर्षित

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

करना चाहता हूं। वहां लगभग सात लाख स्ट्रीट वेंडर्स हैं। आप मुझे दो मिनट का समय दीजिए।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदया : नहीं, मेरे पास समय की भारी कमी है। नहीं, कृपया बैठिए। अपने स्थान पर बैठिए।

[हिन्दी]

श्री अनंत गंगाराम गीते : मैं अंतिम बात कहना चाहता हूं।

अध्यक्ष महोदया : नहीं, अब समय नहीं है। आपको चार मिनट बोलना था, आपने दस मिनट ले लिए हैं।

श्री अनंत गंगाराम गीते : अध्यक्ष जी, यदि सचमुच में स्ट्रीट वेंडर्स को न्याय देना है, सचमुच संरक्षण देना है, तो सात लाख से ज्यादा स्ट्रीट वेंडर्स मुम्बई में हैं।

अध्यक्ष महोदया : शाहनवाज़ जी, आप बोलिए, उनकी बात पूरी हो गई है।

श्री अनंत गंगाराम गीते : मुम्बई में सात लाख से ज्यादा स्ट्रीट वेंडर्स हैं।

अध्यक्ष महोदया : ठीक है, अब हो गया, अब अपनी बात समाप्त करें।

श्री अनंत गंगाराम गीते : कैसे आप एक-एक स्ट्रीट वेंडर्स को लाइसेंस इश्यू करेंगे? स्ट्रीट पर कोई वेंडर नहीं बैठ सकता है, मंदिर और मस्जिद के पास कोई वेंडर नहीं बैठ सकता है। मैं यह जानना चाहूंगा कि आप कानून बनाने की बात कर रहे हैं तो जो लोकल अथोरिटीज हैं, उनकी जिम्मेदारी है इसे लागू करने की।

अध्यक्ष महोदया : अब आप बैठ जाएं। क्या कर रहे हैं आप?

श्री अनंत गंगाराम गीते : क्या उनके पास इतनी पावर है कि वे ऐसा कर सकती हैं, तो क्या यह उनके अधिकारों पर अतिक्रमण नहीं होगा? यदि आप ऐसा नहीं करना चाहते हैं तो उन लोकल अथोरिटीज को सक्षम करने की जिम्मेदारी इस सरकार की है और उसका प्रावधान कानून में होना आवश्यक है।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदया : ठीक है, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।

[हिन्दी]

श्री सैयद शाहनवाज़ हुसैन (भागलपुर) : अध्यक्ष महोदया, मैं आपका शुक्रगुजार हूं और अपनी नेता सुषमा स्वराज जी का भी शुक्रगुजार हूं, जिसकी वजह से मुझे ऐसी समस्या पर बोलने का मौका मिला, जो गरीबों से, मुफलिसों से जुड़ी हुई है यानि स्ट्रीट वेंडर्स से जड़ी हुई हैं। हम कहते हैं कि अगर भारत को देखना है, उसकी संस्कृति को देखना और समझना है तो भारत के गांवों को देखिए। अगर आप गांव को देखते हैं तो वह किसानों को देखें। आज उनकी जिस तरह से हालत है, बहुत बड़ी तादाद में उनमें बेरोजगारी बढ़ रही है। जो किसान बड़ी तादाद में पहले खेती करते थे, आज उनकी खेती की लागत भी नहीं निकल पा रही है, उल्टे उन पर कर्ज का बोझ बढ़ता जा रहा है। इस कारण किसान अपना गांव छोड़कर शहरों की ओर जा रहे हैं, महानगरों की ओर जा रहे हैं। महानगरों में उनके लिए न तो रहने की जगह है और सोने की जगह है। इसके अलावा कोई उन पर यकीन करने वाला नहीं होता है। इसलिए वे सड़क या पटड़ी पर रेहड़ी आदि लगाकर, थोड़ा पैसा खर्च करके जीवनयापन का काम करते हैं।

पिछले दस सालों में यूपीए सरकार में किसानों द्वारा आत्महत्या के केसेज बढ़े हैं, भ्रष्टाचार बढ़ा है और बेरोजगारी बढ़ी है। इस वजह से बड़ी तादाद में लोग गांवों से पलायन करने को मजबूर हुए हैं। वे महानगरों में आते हैं, उनके पास रेहड़ी या पटड़ी पर सामान लगाकर बेचने के अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं होता। आज औद्योगिक उत्पादन घट रहा है, उद्योग बंद हो रहे हैं। मैं 1986 में दिल्ली आया था और वैस्ट दिल्ली में रहता था। वहां पर मैं देखता था कि बड़ी तादाद में लोग साइकिलों से जाते थे। ऐसा लगता था जैसे कोई रैली हो रही है। वे लोग मायापुरी में फैक्टरीज में जाते थे। अगर किसी को वहां रैली करनी हो तो उनकी साइकिलों पर झंडा लगा दो, लोगों को जमा करने की जरूरत नहीं, क्योंकि इतनी तादाद में साइकिलों पर लोग जाते थे कि लगता था जैसे रैली में जा रहे हों। यह इसलिए नहीं था कि उस समय मेट्रो नहीं थी, जो आज है। पैट्रोल-डीजल महंगा है और उस वक्त भी बहुत सस्ता नहीं था लेकिन लोग साइकिल से फैक्ट्री जाते थे, रोजगार तलाशते थे और उन्हें कोई न कोई रोजगार दिल्ली में मिल जाता था। दूसरे महानगरों में भी लोग रोजगार तलाशने के लिए जाते थे, लेकिन आज उनके पास कोई उपाय नहीं है। समाज के अंतिम पायदान पर अगर कोई व्यक्ति है तो वह रेहड़ी-पटरी वाला है जो छोटी सी दुकान सड़क पर लगा लेता है। उसके बारे में हम लोगों ने बहुत चिंता की है।

आज मैं अपने नेता अटल बिहारी वाजपेयी जी को याद करना चाहूंगा जिन्होंने असंगठित मजदूरों के लिए काम शुरू किया था, साथ ही अपने

[श्री सैयद शाहनवाज़ हुसैन]

स्वर्गीय नेता साहब सिंह वर्मा जी को भी याद करना चाहूंगा। जब वे लेबर मिनिस्टर थे तब उन्होंने असंगठित क्षेत्र में कामगारों के लिए सामाजिक सुरक्षा योजना शुरू की थी। मेरे पास वर्ष 2003 का वह पम्फलेट मौजूद है जिसमें उन्होंने असंगठित मजदूरों की चिंता व्यक्त की थी। आजादी के इतने साल बाद अगर किसी ने असंगठित मजदूरों की चिंता की तो हमारे माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने और दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री स्वर्गीय साहब सिंह वर्मा जी ने की थी। उन्होंने असंगठित मजदूरों की श्रेणी में इसे रखा था। उनका इंश्योरेंस कैसे हो, इसका विकास कैसे हो, उसकी पूरी चिंता उन्होंने की थी। मिनिस्ट्री ऑफ लेबर ने उस वक्त उनके लिए एक गाइडलाइन बनाई थी जिसकी एक कॉपी अध्यक्ष महोदया, मैं अपने साथ लाया हूं।

आज स्ट्रीट वेंडर्स के रोजगार और सुरक्षा के लिए योजना बनाई गयी है। मैं इस बिल के बारे में कहना चाहता हूं कि यह माननीय मंत्री का पहला बिल है। माननीय मंत्री महोदया हमारी पुरानी साथी हैं, बहुत अच्छे स्वभाव की हैं, हम सब इनका आदर करते हैं, ये कभी गुस्सा और नाराज नहीं होती हैं। हम लोग पक्ष-विपक्ष में रहते हुए इनसे वाद-विवाद करते हैं लेकिन इन्होंने हर बातों का बहुत सरल स्वभाव से जवाब दिया है। मंत्री के तौर पर यह इनका पहला बिल है। माननीया आपको मंत्री बनाने में इन्होंने बहुत देर कर दी और यह बिल लाने में भी बहुत देर कर दी है। काश, आपको पहले मंत्री बनाया होता तो आप पहले बिल लेकर आतीं।

अध्यक्ष महोदया, राजस्थान में हम लोगों का, भाजपा का जो तूफान चल रहा है उसे रोकने के लिए देर से इन्हें वहां पर खड़ा किया गया है, लेकिन वह तूफान चल चुका है। वहां पर आप लोगों से गलतियां हो चुकी हैं, वे आपको मंत्री पहले बनाते क्योंकि हम तो बहुत पहले से आपके बारे में उम्मीद करते थे। आप बहुत वरिष्ठ सदस्य हैं। कांग्रेस में जो चंद अच्छे लोग हैं उनमें हम माननीया गिरजा व्यास जी को शुमार करते हैं। जब मैं भारत सरकार में मंत्री था तो जो भी काम गिरजा जी बुनकरों के लिए कहती थीं मैं तुरंत उसे कर दिया करता था। इस बात की वे गवाह हैं कि मंत्री रहते हुए हम लोगों का व्यवहार बहुत शालीन था और इसका कई बार इन्होंने जिक्र भी किया है। इसलिए अध्यक्षा जी, मैं आपके माध्यम से गुजारिश करना चाहता हूं कि "बहुत देर कर दी हुजूर आते-आते।"

अध्यक्ष महोदया, मुझे कोई गलतफहमी नहीं है क्योंकि हम संसद की शक्ति को और सरकार की शक्ति को जानते हैं। लेकिन सरकार की शक्ति के ऊपर एक महाशक्ति है जिसका नाम नेशनल एडवाइजरी कौंसिल है और वह बड़ी ताकतवर है। हम जानते हैं कि कैबिनेट में भी वही आता है जो एनएसी से तय होकर आता है। भारत के संविधान ने सारे अधिकार कैबिनेट को दिये हैं लेकिन कैबिनेट में बैठे लोगों ने मौन रूप से सारे अधिकार एनएसी को दे दिये हैं और उसकी अध्यक्षा यूपीए चेयर-पर्सन हैं। वे आज यहां मौजूद नहीं है इसलिए मैं उनके नाम का जिक्र नहीं करूंगा, वे स्वास्थ्य लाभ करें, ऐसी मैं कामना भी करता हूं। एनएसी नो जो ड्राफ्ट बनाया, वह देर से बनाया।

पेंशन बिल जो हमने शुरू किया, उसको आप लेकर आए तो हमने सपोर्ट किया। हम विपक्ष में हैं तो हम फराख दिल हैं। हम छोटे दिल से राजनीति में नहीं आए हैं। हमारे नेता अटल बिहार वाजपेयी जी की एक कविता है – "छोटे मन से कोई बड़ा नहीं होता और टूटे मन से कोई खड़ा नहीं होता।" हम बड़े मन से काम करते हैं। कई बार हम लोगों को जनता कह भी देती है। हम लोग देश के हित के लिए विपक्ष में बैठे हैं। अगर हम विपक्ष में बैठे हैं क्योंकि हमारी संख्या कम है। विदिशा के लोगों ने हजारीबाग के लोगों ने दरभंगा के लोगों ने, गुड्डा के लोगों ने भागलपुर के लोगों ने आपकी सरकार बनाने के लिए वोट नहीं दिया, उन्होंने तो हमारी सरकार बनाने के लिए वोट दिया था। हम लोग जीत कर आ गए। हमारी नेता सुषमा स्वराज जी भारी बहुमत से जीत कर आयीं। बहुत लोग उम्मीद कर रहे थे कि हमारी सरकार बनेगी, लेकिन संख्या कम हो गयी और आप सत्ता में आ गए। लोकतंत्र में जो सरकार होती है, जैसे बिहार में आपको दो ही सीट मिलीं। एक सीट से माननीय अध्यक्ष महोदया जीतीं तो बड़ी शाख्यित हैं और दूसरी हमारे मौलाना असरारूल हक साहब जीते। अगर बिहार में हम देखें तो आपको कोई मैंडेट ही नहीं दिया गया। लेकिन आपकी सरकार चूंकि लोकतंत्र है, इसलिए जो जीता वही सिकंदर। आप जीत कए तो आप सरकार में हैं, सत्ता में हैं और इसे नाते आपको यह मौका मिला है। आप लोग जो बिल लाए हैं, जो गरीबों के मुद्दे हैं। आपकी दिक्कत यह है, कई बार मैं आपको समझता कि आप क्या कर रहे हैं? कई फैसले आप गरीबों के हित में बड़ी देर से लाते हैं। लेकिन चलिए देर आए दुरुस्त आए। पहले तो आप एफडीआई ले आते हैं जो रिटेल सैक्टर में छोटा-छोटा रोजगार कर रहे हैं, उनके हाथ काट दो, बाहर से अमेरिकी लोगों को ले आओ। अमेरिकी दुकान खोल दो, इसके लिए आप इंतजाम करते हैं और जब देखते हैं कि एफडीआई रिटेल में आपके प्रयास के बाद भी कोई आ नहीं रहा है तो फिर आप गरीबों की चिंता करने लग जाते हैं। आपकी ब्लैक एंड व्हाइट पिक्चर मैं बराबर देखता हूं। कई बार गरीबों के लिए ब्लैक नीति और बाद में फिर व्हाइट नीति लेकर आ जाते हैं तो आपकी फिल्म ब्लैक एंड व्हाइट है। इसलिए यह एनएससी

में भी, कई बार हमें लगता है कि आप वाजपेयी जी की सरकार की कई योजनाओं को चला रहे हैं। अध्यक्ष महोदया, इसमें क्रिटीसिज्म करने की बात नहीं है, लेकिन मैं मंत्री जी को आपके माध्मय से कुछ याद दिलाना चाहता हूं कि जो वाजपेयी जी की सरकार की योजना है, कई योजनाओं को आप चला रहे हैं, जैसे सर्वशिक्षा अभियान को आप चला रहे हैं, मैं शुक्रिया अदा करता हूं। आप पीएमजीएसवाई को चला रहे हैं, मैं शुक्रिया अदा करता हूं अन्त्योदय अन्न योजना चला रहे हैं, हमारे दीनदयाल उपाध्याय जी, जिन्होंने अन्त्योदय का सूत्र दिया, उसकी योजना हमारे संस्थापक अध्यक्ष की योजना को आप चला रहे हैं। नेशनल हाइवे में आप थोड़ा धीरे चल रहे हैं। इस योजना में थोड़ा स्पीड ब्रेकर लगा कर चल रहे हैं। आप हमारी कुछ योजनाओं को आगे बढ़ा रहे हैं। यह सही है कि दो-तीन योजनाएं आप भी ले कर आए हैं जैसे राजीव गांधी विद्युतीकरण योजना। माशा अल्लाह इस योजना के बारे में मैं क्या कहूं, इस योजना को नज़र न लग जाए। मैडम, बोर्ड लगा है लेकिन राजीव गांधी विद्युतीकरण में बल्ब नहीं जल रहा है।...(व्यवधान) वह कुटीर ज्योति थी, उसका नाम बदल दिया। आज भी राजीव गांधी जी के नाम पर एक और योजना सिविल एविएशन में आने वाली है। उसके बारे में हमारे पूर्व नागरिक उड्डयन मंत्री श्री अनंत कुमार जी बोलेंगे, इसलिए मैं उसके बारे में नहीं बोलूंगा। आप मनरेगा भी लाए, लेकिन यूपीए सरकार में जो योजनाएं लाए हैं, वे फ्लाप योजना क्यों बनाते हैं? आज आपकी सफल योजनाएं वहीं हैं, जो अटल बिहारी वाजपेयी जी ने शुरू की थीं। विपक्ष में रहते हुए जब हम कभी आपका किसी मुद्दे में साथ देते हैं, अध्यक्ष महोदया, मैं अपनी पार्टी का प्रवक्ता भी हूं और पार्लियामेंटरी पार्टी से भी जो कुछ भी यहां घटता है, हमारी नेात सुषमा स्वराज जी हमें कहती हैं कि बाहर जाकर इस बारे में टिप्पणी भी अपनी पार्टी की तरफ ये करता हूं। मुझे कई बार दर्द भी होता है कि हम कितना बोलें। हम बोलते-बोलते थक गए, लेकिन आप जागते ही नहीं हैं। हम आपको जगाते-जगाते थक गए, लेकिन आप उठते ही नहीं हैं। यह बात भी सही है कि वही खबर बनती है, जिस पर झगड़ा हो। कल मैं वक्फ बिल पर बोला, लेकिन कहीं खबर नहीं छपी और कहीं पर दो मुस्लिम भाई के साथ अगर कोई छोटी सी बात मुहावरा भी आ जाएगा, तो उस पर हंगामा बरपा हो जाएगा। लेकिन जब अच्छा काम होगा जैसे आज उर्दू अखबार में जरूर फ्रंट पेज पर हैडलाइन में वक्फ़ का मुद्दा बना लेकिन और जगह जैसे श्री गणेश सिंह जी ने कहा कि आप प्रवक्ता होकर बोले लेकिन कहीं नहीं छपा। मैं कई बार देखता हूं कि जब हम आपका साथ देते हैं तब हमारे हाथ जल जाते हैं। आपकी इमेज ऐसी हो गई है कि अगर आप लोगों का हम साथ भी देते हैं तब भी हमारा हाथ जल जाता है। हमारी नेता प्रतिपक्ष जो देश के हित में कई मुद्दों पर आपके साथ खड़ी होती हैं, तो ये कम्युनिस्ट वाले चुपचाप हमसे समझौता कर भी लेते हैं और आकर कहते हैं कि हमें बोलने दो, ये करने दो लेकिन जब अपना मतलब निकाल लेते हैं तो बाहर जाकर बयान देते हैं कि भाजपा, कांग्रेस दोनों मिल गईं। हम मिलते नहीं हैं। हम तो नदी की दो धारा हैं जो कभी नहीं मिल सकते।... *(व्यवधान)* लेकिन हम देश के मुद्दे पर जब साथ देते हैं तो कहा जाता है कि भारतीय जनता पार्टी मिल गई। कई बार...*(व्यवधान)* निरुपम जी, इस हाउस में मैं। आपसे वरिष्ठ हूं। 14 साल से हूं। आप उस हाउस में थे। मेरी उम्र पर मत जाइए।...*(व्यवधान)* मेरी पार्टी ने यहां तुष्टिकरण नहीं कर रखा है। हमारी नेता, प्रतिपक्ष ने नियम के तहत हमको यहां बैठाल रखा है। कई बार लोगों को लगता होगा कि ये शाहनवाज़ हैं, इसलिए इनको आगे सुषमा जी ने बैठाया होगा। लेकिन मैं भी यशवंत जी के साथ, सुषमा जी के साथ मंत्री रहा हूं। इसलिए बैठाया है। हम लोग भी वरिष्ठ हैं। उम्र में कम लगें लेकिन ऐसा नहीं है कि हमको टोक दीजिए। हमारे साथ भी वरिष्ठ सांसद जैसा व्यवहार किया जाना चाहिए।...*(व्यवधान)* इसलिए यह जो एनएससी का ड्राफ्ट है, वाजपेयी जी की सरकार के सुझाव को आप देर से मानें लेकिन मैंने देखा कि एनएससी के सुझाव को भी आप इतनी देर से लाए हैं। इसका मतलब मैडम की बात भी आप लोग आजकल नहीं सुन रहे हैं। हमें बड़ा दर्द हो रहा है। हम लोग समझते थे कि मैडम की बात आप लोग जरूर मानते होंगे क्योंकि गरीबों के बारे में इसमें बहुत सी बातें कही गयी हैं।

मैं स्ट्रीट वेंडर फैमिली से नहीं आता हूं लेकिन जो शिक्षक हैं, उनकी भी बहुत आय नहीं होती है। मैं शिक्षक-पुत्र हूं। इस नाते मुझे किसी झोंपड़ी में जाकर गरीबी देखने की जरूरत नहीं है। सुपौल में मेरा खड़ का मकान था। वह जो खड़ होता है, मैडम, आप तो जानती हैं। ...*(व्यवधान)* खपड़ा नहीं, खपड़ा तो बिहार में बड़े अमीर लोग यूज करते हैं। हम युवा नेता हैं। किसी बड़े घर में पैदा होकर युवा नेता नहीं कहलाते हैं बल्कि एक शिक्षक के घर में पैदा हुए और आज हम सांसद बने हैं। भागलपुर की जनता ने मुझे यह स्थान दिया है कि मैं यहां बोल पा रहा हूं। लेकिन हमने गरीबी देखी। ये जो गरीब लोग हैं, जो फुटकर लोग हैं, उनके बारे में आपने यह बिल बनाया है। इसलिए मैं इस बिल का कोई विरोध करने के लिए खड़ा नहीं हुआ हूं और वह भी गिरिजा जी बिल लाएं क्योंकि मैडम, हम लोग अगर ज्यादा तारीफ कर देंगे तो आपकी पार्टी आपकी दुश्मन हो जाएगी।...*(व्यवधान)* इसलिए कम कर रहे हैं।...*(व्यवधान)* जोशी जी, बिल पर ही हम बोल रहे हैं। गरीबी मतलब बिल वेंडर के लिए है। इसलिए इस पर स्ट्रीट वेंडर की बहुत सारी समस्याएं हैं कि स्ट्रीट वेंडर आकर पटरी लगाता है, रेड़ी लगाता है, पुलिस वाला आता है, खासकर दिल्ली और मुम्बई में क्योंकि पिछले दिनों से हमारी सरकार बहुत दिनों से नहीं है और...*(व्यवधान)*

[श्री सैयद शाहनवाज़ हुसैन]

जयपुर में भी आपकी ही सरकार है जहां की मैडम हैं और... *(व्यवधान)*

श्री महेश जोशी (जयपुर) : आप देश हित में उधर ही रहेंगे और हम देश हित में इधर ही रहेंगे।...*(व्यवधान)*

श्री सैयद शाहनवाज़ हुसैन : जयपुर में इस बार बीजेपी का कमल खिलेगा। गलती से पंजा खिला था।...*(व्यवधान)* जितना बोलिएगा, रहने दीजिए। छोड़ दीजिए। इसलिए हमारे 2004 में नेशनल पॉलिसी फॉर स्ट्रीट वेंडर वाजपेयी जी ने बनाई थी। स्ट्रीट वेंडर के लिए सिर्फ रजिस्ट्रेशन की सुविधा होनी चाहिए। जो नेशनल पॉलिसी बनी, उसमें उसका रजिस्ट्रेशन पूरी तरह होना चाहिए लेकिन में आपके माध्यम से मंत्री जी का ध्यान एक बात की तरफ आकर्षित करना चाहूंगा कि एक तरफ तो चर्चा हो रही है कि हम लाइसेंस राज से देश को मुक्त करेंगे और मंत्री जी इस बात का ध्यान रख लीजिए कि कहीं लाइसेंस लेने के लिए आपकी फोटो और जैसे राष्ट्रपति जी ने दिल्ली सरकार को फटकार लगाई कि जो भी योजना बना रहे हैं, उसमें मंत्री जी और मुख्य मंत्री जी की अपनी फोटो डाल देते हैं, आज ही के अखबार में है। राष्ट्रपति जी ने फोन पर कहा है। इसलिए ऐसा न हो जाए कि लाइसेंस उसी को दीजिए जिस पर आपकी तस्वीर हो, आपकी पार्टी का निशान हो। जब हम भी कोई कानून पार्लियामेंट में बनाते हैं तो वह गरीबों की मदद करने के लिए ही बनाते हैं। उसके लिए और परेशानी पैदा हो जाए, इसलिए कानून नहीं बनाते हैं। रजिस्ट्रेशन करने और लाइसेंस देने का ध्यान रखना चाहिए ताकि गरीब आदमी किसी के दरवाजे पर नहीं भटके, नेताजी के दरवाजे पर चक्कर न मारे, उसे सलाम न करना पड़े। इस विधेयक की बहुत चर्चा है।

अध्यक्ष महोदया, आप विदेश गई हैं और मुझे भी आपके साथ कई बार विदेश जाने का सौभाग्य मिला है। आप स्विट्जरलैंड, इंग्लैंड, अमेरिका में किताबों की दुकान पर चले जाएं, अगर बढ़िया किताब कहीं नहीं मिलेगी तो वहां जो स्ट्रीट वैंडर की दुकान, फुटपाथ पर मिल जाएगी। इसकी एक अलग दुनिया है और खरीदने वाले बहुत लोग होते हैं। इस प्रकार के लोग एफडीआई वाले हैं, इनकी समझ में नहीं आएगा कि स्ट्रीट वेंडर पूरी दुनिया में हैं। स्ट्रीट वेंडर गांव में भी होते हैं, दिल्ली में हैं, मुंबई में हैं। आप पटना में जाइए। महोदया, आप भागलपुर गई थी। हम वहां हाजिर नहीं हो पाए थे लेकिन आपका स्वागत हमारे लोगों ने किया था। जब आप सर्किट हाउस से निकली होंगी तो आपने देखा होगा कि घंटाघर तक बगल में स्ट्रीट वैंडर्स हैं। उनकी चिंता कौन करेंगा? बड़े शहरों और महानगरों ने की है? हम गांव में पैदा हुए, वहां हाट होता है। अब गांव की जमीन महंगी हो रही है इसलिए कोई जंमीदार लगाने नहीं दे रहा है। वह कहता है कि मेरे दरवाजे पर हाट मत लगाओ।

महोदया, स्ट्रीट वैंडर के विधेयक में जिन चीजों का जिक्र किया है, कुछ चीजों का ध्यान रखना चाहिए। आप कानून रहे हैं, आपके विभाग का नाम शहरी गरीबी उपशमन है तो आप गांव की चिंता भी सरकार के बिहॉफ पर कर रहे हैं। आप ऑन बिहॉफ ऑफ दि कैबिनेट, ऑन बिहॉफ ऑफ दि गवर्नमेंट बिल लेकर आई हैं। कई छोटे गांव हैं जो बड़े हाट बन गए। आपको पॉलिसी बनानी चाहिए। जिस तरह मध्य प्रदेश की सरकार के मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान, जो गरीबों के नेता माने जाते हैं, उन्होंने बहुत अच्छी योजनाएं चलाई हैं। उन्होंने गांव और शहरों के स्ट्रीट वैंडर के लिए पहले कानून बनाया। बनाना तो केंद्र को था लेकिन आप लोगों ने नहीं बनाया और आप लोग नहीं बनाते हैं तो जहां हमारी पार्टी राज में होती है, करती है, गरीबों की खिदमत आप लोगों से पूछकर तो करेंगे नहीं। यह तो हम लोगों को करनी पड़ती है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री ने वहां कानून बनाया है। छोटे-छोटे काम करने वाले लोग जैसे कोई आलू लेकर आ गया। प्याज लेकर तो आजकल कोई स्ट्रीट वैंडर आता नहीं है क्योंकि इतना महंगा कर दिया है।...*(व्यवधान)*

मैडम, आजकल प्याज तो लॉकर में मिलता है। आप जानती हैं कि सबसे ज्यादा नुकसान तो हमें होता है। हमारे ज्यादातर नेता लोग प्याज और लहसुन नहीं खाते हैं लेकिन हम बिरयानी और कोरमा खाने वाले लोग हैं। सबसे ज्यादा प्याज माइनोरिटी के लोग खाते हैं। लोग कहते हैं, प्याज के बारे में सारी कहावत माइनरोरिटी के लोगों की होती है।... *(व्यवधान)*

श्री शैलेन्द्र कुमार (कौशाम्बी) : दलित भी खाते हैं।

श्री सैयद शाहनवाज़ हुसैन : हम दलित पर भी आ रहे हैं।

श्री शैलेन्द्र कुमार : प्याज, नमक और रोटी उनका खाना है।

श्री सैयद शाहनवाज़ हुसैन : माइनोरिटी और दलित अलग-अलग थोड़े हैं। आप क्यों अलग कर रहे हैं? मुझे समाजवादी पार्टी कल से माइनोरिटी के मुद्दे पर तंग कर रही है। इनके एक भी माइनोरिटी के एमपी जीतकर नहीं आए हैं। बीजेपी को सांप्रदायिक कहते हैं, यहां तो एक मुस्लिम एमपी है। समाजवादी अपने को सैक्युलर कहती है, एक भी मुस्लिम एमपी नहीं हैं। आरजेडी में भी नहीं है।

मैं माइनोरिटी के लोगों का दर्द रख रहा हूं।

श्री नीरज शेखर (बलिया) : महोदया, माइनोरिटी के हितैषी तो उस तरफ बैठे हैं, हम तो बीच में ही रहेंगे।

श्री सैयद शाहनवाज़ हुसैन : आप देखिए कि कितनी टोकाटाकी हो रही है।...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदया : आप सुन लीजिए।

...(व्यवधान)

श्री सैयद शाहनवाज़ हुसैन : मैडम, मैं संबद्ध करता हूं, हम सही में हितैषी हैं क्योंकि हम इस मुल्क से मोहब्बत करने वाले, हर व्यक्ति से प्यार करते हैं जो इस भारत माता की संतान है।... *(व्यवधान)*

श्री नीरज शेखर : गुजरात में क्या हो रहा है, सारी दुनिया को पता है।...*(व्यवधान)*

श्री सैयद शाहनवाज़ हुसैन : जो जननी मातृभूमि मानता है उससे हम प्यार करते हैं इसलिए हम माइनोरिटी से भी प्यार करते हैं।... *(व्यवधान)*

श्री नीरज शेखर : वीज़ा के लिए लड़ाई कर रहे हैं।...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदया : आप उनको बोलने दीजिए।

...(व्यवधान)

श्री सैयद शाहनवाज़ हुसैन : इनके राज में एक मुस्लिम डीएसपी मर गया, उसे ये लोग नहीं बचा पाए।...*(व्यवधान)*

श्री नीरज शेखर : इस पर भी आप लोग गलत हैं।... *(व्यवधान)*

श्री सैयद शाहनवाज़ हुसैन : इनके राज में मरा है, मैंने यह कहा और कुछ नहीं कहा है। इल्ज़ाम कहां लगाया? आप बिना बात के बोल रहे हैं। मैंने इल्ज़ाम नहीं लगाया।...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदया : आप क्या कर रहे हैं? आप बोलिए।

...(व्यवधान)

श्री सैयद शाहनवाज़ हुसैन : मैडम, अकलियत के लोग डीएसपी या एसपी नहीं होते हैं, एक डीएसपी हुआ बेचारा और वह भी मर गया। इसके लिए मुझे दर्द है। अब मुलायम जी तो इसका दर्द तो नहीं रखेंगे। *...(व्यवधान)* हमारी सरकार ने इस पर बहुत काम किया है। मैं कह रहा था कि प्याज की बात कह रहा था कि बड़ी महंगाई हो गई है इसलिए स्ट्रीट वैंडर आजकल प्याज भी नहीं बेच रहे हैं। अब आप कहेंगे कि बात प्याज पर क्यों ले आए? शाहनवाज़ हुसैन क्या बोल रहे हैं? मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि लोग ताजा प्याज खरीदना चाहते हैं। *...(व्यवधान)* मैडम, थोड़ा संरक्षण दीजिए। मैं कितना शालीन सांसद हूं, मैं कभी किसी को नहीं टोकता हूं लेकिन मुझे कितना टोकते हैं। *...(व्यवधान)*

श्री शैलेन्द्र कुमार : ये पूरा सेशन ऐसे ही बोलते हैं।

श्री सैयद शाहनवाज़ हुसैन : मैडम, शैलेन्द्र जी वर्ल्ड रिकॉर्ड बना रहे हैं, सबसे ज्यादा बोलते हैं, सबसे ज्यादा टोकते हैं।

अध्यक्ष महोदया : आप बोलिए, आप सबके साथ बातचीत में लग जाते हैं।

...(व्यवधान)

श्री सैयद शाहनवाज़ हुसैन : अध्यक्ष महोदया, ऐसा कोई सिस्टम नहीं है कि कान बंद हो जाए। मेरी दिक्कत यह है कि कोई बोलता है तो सीधे आवाज बाएं कान को आती है। इधर से तो आती नहीं है, अब या तो कान में कुछ लगाकर आएंगे, तभी बोल पाएंगे। मैडम, मैं कान में ये लगा लेता हूं, इतनी टोका टोकी है, समाजवादी पार्टी के लोग मुझे बोलने नहीं दे रहे हैं।...*(व्यवधान)* मुझे पता है कि इससे इनका वोट भी कम हो जाएगा, मुझे पता है। हमारे बड़े समर्थक यूपी में हैं, वे सब इन लोगों से नाराज हो जाएंगे।...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदया, मैं आपके जरिए कहना चाहता हूं कि मंत्री मोहतरमा बहुत अच्छा बिल लाई हैं। इसमें कुछ कमियां है, आपको गरीब लोगों की चिंता करनी चाहिए। स्ट्रीट वैंडर बहुत गरीब, पिछड़े, दलित और माइनोरिटी के लोग होते हैं। आप जानती हैं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार में इन लोगों के लिए सबसे ज्यादा काम अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार ने किया था। इसलिए जब स्ट्रीट वैंडर का मुद्दा आया तो हम कोई सियासत नहीं कर रहे हैं। हमारे लिए राजनीति सियासत नहीं है, इबादत है। हम गरीबों की सेवा इबादत जानकर करते हैं। यशवंत सिन्हा आईएएस से रिजाइन करके आए हैं। आप खुद फॉरेन सर्विस से रिजाइन करके आई हैं।...*(व्यवधान)*

श्री शैलेन्द्र कुमार : अध्यक्ष महोदया, ये मुद्दे से भटक जाते हैं *...(व्यवधान)*

श्री सैयद शाहनवाज़ हुसैन : मैडम आप हर बार हम लोगों को डांटती हैं, आप थोड़ा उधर भी डांट दीजिए।...*(व्यवधान)* हमारी स्पीकर साहिबा की तारीफ भी इनको पसंद नहीं है।

अध्यक्ष महोदया : आप बोलिए।

श्री सैयद शाहनवाज़ हुसैन : आप फॉरेन सर्विस से खुद रिजाइन करके आई।

श्री शैलेन्द्र कुमार : मक्खन पालिश ज्यादा नहीं चलेगा।

श्री सैयद शाहनवाज़ हुसैन : मक्खन ऐसा लगाएंगे यूपी में कि 50 सीट जीत जाएंगे, आप दस सीट पर रह जाएंगे।

अध्यक्ष महोदया : आप बोलिए। आप विषय पर बोलिए। आप सुनिए। शैलेन्द्र जी क्या कर रहे हैं?

...(व्यवधान)

श्री सैयद शाहनवाज़ हुसैन : हमारी नेता प्रतिपक्ष बहुत बड़ी वकील होते हुए सियासत में सेवा के लिए आई हैं। स्ट्रीट वैंडर का मुद्दा आया है, तो मेरा कहना है कि और मुद्दों पर बीजेपी और समाजवादी पार्टी लड़ी है लेकिन कम से कम गरीबों के मुद्दे पर मत लड़िए। यह अच्छा नहीं है।

महोदया, अब मैं लास्ट प्वाइंट पर आ रहा हूं। गिरिजा जी ने बिल में दिया है कि लाइसेंस होगा, जगह बनेगी और हाइजिन का भी ध्यान रखना होगा। गरीब आदमी जो अपने तन पर मैला कपड़ा पहनकर आता है वह हाइजिन कहां से मैन्टेन करेगा? जब आप गरीबों के लिए हाइजिन कर देंगे तो दूसरा विभाग भी वहां पहुंच जाएगा और कहेगा कि गोलगप्पे का पानी टेस्ट करवाओ। मुंबई में एक बार ऐसा हुआ था अगर शिव सेना और बीजेपी के लोगों ने प्रोटेक्ट न किया होता तो आज कोई भी चौपाटी पर भेजपूड़ी न बेच पाता। बिहार में झालमूड़ी बेचते हैं। अब ये कहें कि अपना डिब्बा दिखाओ, यह डिब्बा कहा से लाए, कौन सी कंपनी का है तो वह झालमूड़ी कहां से बेचेगा? इंस्पेक्टर राज को फिर से लागू मत कीजिए।

दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं कि जो पथ विक्रेता हैं...*(व्यवधान)* आप मुझे बोलने दीजिए।

अध्यक्ष महोदया : आप उनकी बात सुन लीजिए, आप टोका-टाकी क्यों कर रहे हैं, आप बोलिये। आप भी उन्हें उकसा रहे हैं, यह भी सोच लीजिए। आप भी कुछ ऐसा बोल देते हैं कि वह फिर बोलने लगते हैं। अप सिर्फ अपनी बात बोलिये।

श्री सैयद शाहनवाज़ हुसैन : मैडम, अब मैं उनकी तरफ देखूंगा भी नहीं, मैं सिर्फ आपको देखकर बोलूंगा। यह जो हाइजिन मेन्टिनेन्स का मुद्दा है, इसका भी ध्यान रखा जाए। जो पथ विक्रेता हैं, उनके स्वास्थ्य की चिंता भी की जानी चाहिए, जैसे फैक्टरी में जो वर्कर्स काम करते हैं, उनके स्वास्थ्य के लिए ईएसआई की तर्ज पर चिंता होनी चाहिए। *...(व्यवधान)*

मैडम, अगर किसी पथ विक्रेता का निधन हो जाता है तो वह स्ट्रीट पर रहता है, उसकी लाश भी वहीं पड़ी रहती है, उसकी चिंता करने वाला कोई नहीं है। वह गांव में अपनी बीवी-बच्चों को छोड़कर आता है। वह अपना गांव, अपना घर, अपना परिवार, अपने भाई-बहन को छोड़कर आता है। कोई दिल्ली शौक से नहीं आता, कोई लाल किला घूमने नहीं आता। यहां लोग दर्द लेकर आते हैं। आज भी यहां बिहार से बड़ी तादाद में लोग आ रहे हैं। हमारे यहां बहुत बड़ी फैक्टरियां नहीं लग पाईं। आज भी बिहार में ज्यादा उद्योग-धंधे नहीं लग पाये, इसलिए बड़ी तादाद में लोग यहां आ रहे हैं। ये लोग रोजगार की तलाश में आ रहे हैं और जब लोग रोजगार की तलाश में आते हैं तो वे पटरी पर छोटी सी रेहड़ी लगा लेते हैं। परंतु अगर उनका देहान्त हो जाए तो उनके परिवार के लोगों को इसकी सूचना भी देरी से मिलती है। उनकी लाश को लावारिस कह दिया जाता है। मैं आपके जरिय कहना चाहता हूं, संजय निरुपम जी आप मंत्री जी को मेरी बात सुनने दीजिए, आप बाद में बात कर लीजिएगा, वह आपकी पार्टी की हैं। आप हमारी तरफ से उधर गये हैं, थोड़ी कम बात कीजिए। आप हमारे अपने आदमी थे, उधर चले गये हैं। इसलिए मैडम, जब उनका देहान्त हो जाए तो उनका कम से कम पांच लाख का इंश्योरेंस होना चाहिए। क्योंकि अगर वह कमाने आया है तो उस पर पूरा परिवार डिपैंड करता है। अगर वह बीमार हो जाता है तो उसका इलाज होना चाहिए और अगर उसका देहान्त हो जाए तो सरकार को उसको कम से कम पांच लाख रुपया देना चाहिए।

अध्यक्ष महोदया, अब मैं अपनी बात को समाप्त कर रहा हूं। जो स्ट्रीट वैंडर्स होते हैं, वे जब कहीं पर दुकान लगाते हैं, मैंने स्ट्रीट वैंडर्स का दर्द देखा है। मैं सुबह-सुबह जाता हूं और रेहड़ी-पटरी वालों को देखता हूं। मैं संसद की कार्यवाही के बाद सीधे भागलपुर कोलकाता होकर जाता हूं, कई बार जहाज में आपसे मुलाकात भी हुई है। उसके बाद वहीं से ट्रेन पकड़ता हूं, फिर भागलपुर से कोलकाता आता हूं

और जब मैं कोलकाता आता हूं तो ट्रेन सुबह पांच बजे पहुंचती है। कोलकाता में आपने देखा होगा कि जैसे ही स्टेशन से आगे चलते हैं, सुबह चार बजे बाजार लगता है, पांच बजे बाजार लगता है। उससे थोड़ा आगे जाता हूं तो देखता हूं कि वहां पर जो छोटे-छोटे स्ट्रीट वैंडर्स हैं, जो चाय की दुकान चला रहे हैं, भूजा की दुकान चला रहे हैं, वे जिस पटरी पर दुकान लगाते हैं, उसी पर सिकुड़े हुए, सोये हुए नजर आते हैं। उनके रहने का कोई इंतजाम नहीं है। इसलिए सरकार इसमें यह जोड़े कि जो स्ट्रीट वैंडर्स हैं, उनके रहने के लिए भी कोई शैल्टर सरकार बनाये, उनके लिए नाइट शैल्टर होने चाहिए। अभी ममता जी वहां मुख्य मंत्री बन गई हैं तो वह उनके लिए कुछ कर रही होंगी, कम्युनिष्ट पार्टी के लोग खाली बात करते थे, कुछ करते नहीं थे। खाली गरीबों की **बात करना** और कांग्रेस की तरह गरीबों की चर्चा करना तथा गरीबों को और गरीब करना। जो स्ट्रीट वैंडर्स हैं, जो पटरी पर सिकुड़े हुए सोये होते हैं, मैं वहां जाड़े में गया हूं। कई बार मुझे महसूस हुआ है कि काश इनके ऊपर कोई कम्बल डालने वाला होता। इसलिए स्ट्रीट वैंडर्स के रहने का इंतजाम सरकार को करना चाहिए। हमारे संविधान में बराबरी का अधिकार मिला है, आप जो बिल लेकर आये हैं, इस बिल में आपने कहा है कि संविधान के अनुच्छेद 14 में जिसमें समानता का सिद्धांत है, जिसमें अमीरों और गरीबों के बीच में बराबरी का सिद्धांत है, इसी को ध्यान में रखकर आप बिल लाये हैं। जो बेकारी, बुढ़ापा और बेरोजगारी है, उसे ध्यान में रखते हुए जो संविधान के तहत अधिकार है, आप यह जो बिल लेकर आये हैं तो आप सिर्फ पब्लिसिटी के लिए यह मत कीजिए, यह फूड सिक्युरिटी बिल की तरह मत कीजिए कि पास हुआ नहीं पहले फोटो खिचवाने शुरू कर दिये। यानी आपकी पहली नजर वोट पर है, गरीबों की भूख मिटाने पर नहीं, अपनी वोट की भूख मिटाने पर नजर है। आपकी नजर स्ट्रीट वैंडर्स पर नहीं है। आप समझ रहे हैं कि आप स्ट्रीट पर जाने वाले हैं, आप सत्ता से बाहर जाने वाले हैं और मैं समझता हूं कि इसके बाद आप सत्ता में आने वाले नहीं हैं। लेकिन जो आपकी कमियां हैं, हम उन कमियों को आपको बतायेंगे। कई बार लोग हमसे पूछते हैं कि आपने फूड सिक्युरिटी बिल क्यों पास कराया तो हम कहते हैं कि क्या करें गरीबों के लिए यह बिल लाये तो सही, लेकिन इसमें बहुत कमियां हैं। जब हम सरकार में आयेंगे तो इन कमियों को पहली बार ठीक करेंगे।

मैडम, मैं पार्टी को प्रवक्ता भी हूं, इस नाते और एक सांसद के नाते बड़ी जिम्मेदारी से कहता हूं कि पहले छह महीने इन्होंने जो गलत और आधे-अधूरे बिल पास किये, उन्हें हम ठीक करेंगे। हम फूड सिक्युरिटी बिल को भी ठीक करेंगे और स्ट्रीट वैंडर्स बिल में जो कमियां हैं, उन्हें सुधारने का काम करेंगे और लैंड एक्युजिशन बिल में भी जो कमियां हैं, उन्हें भी सुधारेंगे।...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदया : अब आप समाप्त कीजिए।

श्री सैयद शाहनवाज़ हुसैन : अब मैं समाप्त करता हूं।...*(व्यवधान)* लालू जी के साथ दिक्कत यह है कि कांग्रेस किससे समझौता करेगी, शरद जी से करेगी या लालू जी से करेगी, यह भी देश में चलता है। दोनों कांग्रेस को खुश करने में लगे हुए हैं, कांग्रेस को मनाने में लगे हुए हैं, मंत्रियों की आवभगत में लगे हैं। बिहार में मंत्री जा रहा है, रोज रिसीव करना, रोज उसकी तारीफ करना। लेकिन मुझे पता नहीं कि कांग्रेस किससे करेगी, जिससे भी करे, लेकिन वहां एनडीए के लोग ही जीतेंगे। बिहार में 2004 में एक बार हम जीत चुके हैं। हम चालीस की चालीस सीटें जीतकर आयेंगे और बिहार का व्यक्ति प्रधानमंत्री के नाम का प्रस्ताव करेगा। इतना हम जरूर कह सकते हैं।

मैडम, मैं आपका बहुत शुक्रिया अदा करता हूं।...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदया : मद संख्या 3, श्री नारायणसामी।

[हिन्दी]

श्री सैयद शाहनवाज़ हुसैन : मैडम, मैं आपका थैंक यू जरूर करूंगा।

अध्यक्ष महोदया: ठीक है, आप बोलिये।

श्री सैयद शाहनवाज़ हुसैन : मुझे यह तहजीब और तमदुन में सिखाया गया है कि जब मैं बोलूं तो शुक्रिया अदा करके बात खत्म करूं। मैं आपका बहुत शुक्रिया अदा करता हूं। आप चेयर पर हैं तो हम आपको नेता मानकर नहीं बल्कि अध्यक्ष मानकर बोलते हैं। इसलिए लालू जी की बात से प्रभावित नहीं होना है। हम लोग बहुत जिम्मेदारी से कहते हैं कि यह बिल लेकर आए, इसमें जो कमियां हैं, उन्हें दुरुस्त कीजिए, ईमानदारी से काम कीजिए। भारतीय जनता पार्टी इस देश के लिए, इस देश के हित में जो भी काम होगा, उसे चाहे कोई भी करेगा, भारतीय जनता पार्टी उसके साथ खड़ी रहती है, क्योंकि हमारे लिए व्यक्ति से बड़ा दल और दल से बड़ा देश होता है। इसलिए हम इस बिल को सपोर्ट कर रहे हैं।

سید شاہنواز حسین (بھاگلپور): محترمہ اسپیکر صاحبہ، میں آپ کا شکر گزار ہوں اور اپنی نیتا سشما سوراج جی کا بھی شکر گزار ہوں جن کی وجہ سے مجھے اس اہم ایشو پر بولنے کا موقع ملا، جو غریبوں سے مفلسوں سے جڑی ہے یعنی اسٹریٹ وینڈرس سے جڑی ہے۔ ہم کہتے ہیں کہ اگر ہندوستان کو دیکھنا ہے، اس کی تہذیب کو دیکھنا ہے اور سمجھنا ہے تو اس کے گاؤں کو دیکھئے۔ اگر آپ گاؤں کو دیکھتے ہیں تو وہاں کسانوں کو دیکھئے۔ آج ان کی جو حالت ہے، بہت بڑی تعداد میں ان میں بے روزگاری بڑھ رہی ہے۔ جو کسان پہلے بڑی تعداد میں کھیتی کرتے تھے، آج ان کی کھیتی کی لاگت بھی نہیں نکل پا رہی ہے، اس لئے ان پر قرض کا بوجھ بڑھتا جا رہا ہے۔ اس وجہ سے کسان اپنا گاؤں چھوڑ کر شہروں کی طرف کوچ کر رہے ہیں۔ بڑے بڑے شہروں میں ان کے لئے نہ تو رہنے کی جگہ ہے اور نہ سونے کی۔ اس کے علاوہ کوئی ان پر یقین کرنے والا نہیں ہوتا۔ اس لئے وہ سڑک پر، پٹری پر وغیرہ پر تھوڑا سا پیسہ خرچ کر کے اپنا گزر بسر کرتے ہیں۔

پچھلے دس سالوں میں یو۔پی۔اے۔ سرکار میں کسانوں کی خودکشی کے بہت زیادہ معاملے سامنے آئے ہیں، بھرشٹاچار بڑھا ہے، بے روزگاری بڑھی ہے۔ اس وجہ سے بڑی تعداد میں لوگ گاؤں سے شہروں کی طرف کوچ کرنے پر مجبور ہوئے ہیں۔ وہ شہروں میں آتے ہیں، ان کے پاس ریہڑی یا پٹری پر سامان لگا کر بیچنے کے علاوہ کوئی دوسرا راستہ نہیں ہوتا۔ آج صنعتی اتپادن گھٹ رہا ہے، صنعتیں بند ہو رہی ہیں۔ 1986 میں دلی آیا تھا اور مغربی دلی میں رہتا تھا۔ وہاں پر میں دیکھتا تھا کہ بڑی تعداد میں لوگ سائیکلوں سے جاتے ہیں۔ ایسا لگتا تھا جیسے کوئی ریلی ہو رہی ہو۔ وہ لوگ مایاپوری میں فیکٹریز میں جاتے تھے۔ اگر کسی کو وہاں ریلی کرنی ہو تو ان کی سائیکلوں پر جھنڈا لگا دو، لوگوں کو جمع کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ کیونکہ اتنی بڑی تعداد میں لوگ سائیکلوں پر جاتے تھے کہ لگتا تھا جیسے ریلی میں جا رہے ہیں۔ یہ اس لئے نہیں تھا کہ اس وقت میٹرو نہیں تھی، جو آج ہے۔

پیٹرول، ڈیزل مہنگا ہے اور اس وقت بھی بہت زیادہ سستا نہیں تھا، لیکن لوگ سائیکل سے فیکٹری جاتے تھے، روزگار تلاشتے تھے اور انہیں کوئی نہ کوئی روزگار دلی میں مل ہی جاتا تھا۔ دوسرے شہروں میں بھی لوگ روزگار تلاشنے کے لئے جاتے تھے، لیکن آج ان کے پاس کوئی حل نہیں ہے۔ معاشرہ کے آخری پائیدان پر اگر کوئی انسان ہے تو وہ ریہڑی پٹری والا ہے، جو چھوٹی سی دوکان سڑک پر لگا لیتا ہے ان کے بارے میں ہم لوگوں نے بہت فکر کی ہے۔

آج میں اپنے نیتا اٹل بہاری باجپئی جی کو یاد کرنا چاہوں گا، جنہوں نے اسنگٹھت مزدوروں کے لئے کام شروع کیا تھا، ساتھ ہی اپنے سور گئے صاحب سنگھ ورما جی کو بھی یاد کرنا چاہوں گا۔ جب وہ لیبر منسٹر تھے تب انہوں نے اسنگٹھت علاقوں میں کامگاروں کے لئے سماجک سرکشا اسکیم شروع کی تھی۔ میرے پاس سال 2003 کا وہ پمفلیٹ موجود ہے جس میں انہوں نے اسنگٹھت مزدوروں کے بارے میں فکر کی تھی۔ آزادی کے اتنے سال بعد اگر کسی نے اسنگٹھت مزدوروں کے بارے میں سوچا تو ہمارے ہر دل عزیز اٹل بہاری باجپئی جی نے اور دلی کے سابق وزیر اعلیٰ صاحب سنگھ ورما جی نے۔ انہوں نے اسنگٹھت مزدوروں کی کیٹگری میں اسے رکھا تھا، ان کا انشورینس کیسے ہو، ان کی ترقی کیسے ہو، اس کی پوری فکر انہوں نے کی تھی، منسٹری آف

لیبر نے اس وقت ان کے لئے ایک گائڈ لائن بنائی تھی، جس کی ایک کاپی اسپیکر صاحب میں اپنے ساتھ لایا ہوں۔

آج اسٹریٹ وینڈرس کے روزگار اور ان کی حفاظت کے لئے اسکیمیں بنائی گئی ہیں۔ میں اس بل کے بارے میں کہنا چاہتا ہوں کہ یہ عزت مآب منتری جی کا پہلا بل ہے۔ محترمہ منتری صاحبہ ہماری بہت پرانی ساتھی ہیں۔ بہت اچھے اخلاق کی مالک ہیں، ہم سب ان کی بہت عزت کرتے ہیں، یہ کبھی غصہ اور ناراض نہیں ہوتی ہیں۔ ہم لوگ ساتھ میں یا مخالفت میں رہتے ہوئے بھی ان سے بات کرتے رہتے ہیں، لیکن انہوں نے ہر بات کا بہت اچھی طرح سے اچھے اخلاق سے جواب دیا ہے۔ بحیثیت منتری یہ ان کا پہلا بل ہے۔ محترمہ آپ کو منتری بنانے میں انہوں نے بہت دیر کر دی اور یہ بل لانے میں بھی بہت دیر کر دی۔ کاش آپ کو پہلے منتری بنایا ہوتا تو آپ یہ بل پہلے لے آتی۔

اسپیکر صاحب، راجستھان میں ہم لوگوں کا، بھاجپا کا جو طوفان چل رہا ہے، روکنے کے لئے دیر سے انہیں وہاں پر کھڑا کیا گیا ہے، لیکن وہ طوفان چل چکا ہے۔ وہاں پر آپ لوگوں سے غلطیاں ہو چکی ہیں، وہ آپ کو منتری پہلے بناتے کیونکہ ہم تو بہت پہلے سے آپ کے بارے میں امید کرتے تھے۔ آپ بہت سینئر ممبر ہیں، کانگریس میں جو چند اچھے لوگ ہیں، ان میں ہم آپ کو بھی شمار کرتے ہیں۔ جب میں بھارت سرکار میں منتری تھا تو جو بھی کام گرجا دیاس جی بنکروں کے لئے کہتی تھی میں پورا اسے کر دیا کرتا تھا۔ اس بات کی وہ گواہ ہیں کہ منتری رہتے ہوئے ہم لوگوں کا برتاؤ بہت پرسکون تھا اور اس کا کئی بات انہوں نے ذکر بھی کیا ہے۔ اس لئے اسپیکر صاحب، میں آپ کے ذریعے سے گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ بہت دیر کر دی حضور آتے آتے۔

اسپیکر صاحب، مجھے کوئی غلط فہمی نہیں ہے کیونکہ ہم اس ایوان کی طاقت کو اور سرکار کی طاقت کو جانتے ہیں۔ لیکن سرکار کی طاقت کے اوپر ایک بہت بڑی طاقت ہے، جس کا نام نیشنل ایڈوائزری کاؤنسل ہے اور وہ بہت زیادہ طاقتور ہے۔ ہم جانتے ہیں کہ کیبنیٹ میں بھی وہی آتا ہے جو این۔اے۔سی۔ سے طے ہو کر آتا ہے۔ ہندوستان کے آئین نے سارے حقوق کیبنیٹ کو دئے ہیں لیکن کیبنیٹ میں بیٹھے ہوئے لوگوں نے مول روپ سے سارے حقوق این۔اے۔سی۔ کو دے دئے ہیں، اور اس کی سرپرست یو۔پی۔اے۔ کی چیئرپرسن ہیں۔ وہ آج یہاں موجود نہیں ہیں اس لئے میں ان کے نام کا یہاں ذکر نہیں کروں گا، وہ جلدی سے صحت یاب ہو کر آئیں، ایسی میں دعا کرتا ہوں، امید کرتا ہوں۔ این۔اے۔سی۔ نے جو ڈرافٹ بنایا وہ بہت دیر سے بنایا۔

حفاظتی بل جو ہم نے شروع کیا، اس کو آپ لے کر آئے ہم نے اسے سپورٹ کیا۔ ہم اپوزیشن میں ہیں، تو ہم فراخ دل ہیں۔ ہم چھوٹے دل سے سیاست میں نہیں آئے ہیں۔ ہمارے قائد اٹل بہاری باجپئی جی کی ایک کویتا ہے۔

چھوٹے من سے کوئی بڑا نہیں ہوتا
اور ٹوٹے من سے کوئی کھڑا نہیں ہوتا

ہم بڑے من سے کام کرتے ہیں، کئی بار ہم لوگوں کو عوام کہہ بھی دیتے ہیں۔ ہم لوگ ملک کے مفاد کے لئے اپوزیشن

میں بیٹھے ہیں۔ اگر ہم اپوزیشن میں بیٹھے ہیں کیونکہ ہماری تعداد کم ہے۔ ویدیشا کے لوگوں نے، ہزاری باغ کے لوگوں نے، دربھنگہ کے لوگوں نے، گڈا کے لوگوں نے، بھاگلپور کے لوگوں نے آپ کی سرکار بنانے کے لئے ووٹ نہیں دیا، انہوں نے تو ہماری سرکار بنانے کے لئے ووٹ دیا تھا۔ ہم لوگ جیت کر آگئے۔ ہماری نیتا سشما سوراج جی اکثریت سے جیت کر آگئیں، بہت لوگ امید کر رہے تھے کہ ہماری سرکار بنے گی، لیکن تعداد کم ہو گئی اور آپ حکومت میں آگئے۔ جمہوریت میں جو سرکار ہوتی ہے، جیسے بہار میں آپ کو صرف دو ہی سیٹ ملیں۔ ایک سیٹ سے اسپیکر صاحبہ جیتی جو بڑی شخصیت کی مالک ہیں اور دوسرے ہمارے مولانا اسرارالحق صاحب جیتے۔ اگر بہار میں ہم دیکھیں تو آپ کو کوئی مینڈیٹ ہی نہیں دیا گیا ہے۔ لیکن آپ کی سرکار کیونکہ لوگ منتر ہے اس لئے جو جیتا وہی سکندر۔ آپ جیت گئے تو آپ سرکار میں ہیں اور اس ناطے آپ کو یہ موقع ملا ہے۔ آپ لوگ جو بل لائے ہیں، جو غریبوں کے مدعے ہیں۔ آپ کی دقت یہ ہے میں کئی بار آپ کو سمجھاتا ہوں کہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ کئی فیصلے آپ کے غریبوں کے مفاد میں بہت دیری سے لیتے ہیں۔ لیکن چلئے دیر آئے درست آئے۔ پہلے تو آپ ایف۔ڈی۔آئی۔ لے آتے ہیں۔ جو ریٹیل سیکٹر میں چھوٹا چھوٹا روزگار کر رہے ہیں، ان کے ہاتھ کاٹ دو، باہر سے امریکی لوگوں کو لے آؤ۔ امریکی دوکان کھول دو، اس کے لئے آپ انتظام کرتے ہیں اور پھر جب دیکھتے ہیں کہ ایف۔ڈی۔آئی۔ ریٹیل میں آپ کی کوشش کے باوجود بھی کوئی نہیں آ رہا ہے تو آپ پھر غریبوں کی فکر میں لگ جاتے ہیں۔ آپ کی بلیک اینڈ وہائٹ پکچر میں برابر دیکھتا ہوں۔ کئی بار غریبوں کے لئے بلیک میں اور بعد میں پھر وہائٹ میں لے کر آتے ہیں۔ اس لئے یو۔پی۔اے۔ میں بھی کئی بار ہمیں لگتا ہے کہ آپ باجپئی جی کی سرکار کی کئی یوجناؤں کو چلا رہے ہیں۔ اسپیکر صاحبہ، اس میں نکتہ چینی کرنے کی کوئی بات نہیں ہے۔ لیکن منتری جی کو آپ کے ذریعہ کچھ یاد دلانا چاہتا ہوں کہ باجپئی جی کی سرکار کی یوجنا ہے، کئی یوجناؤں کو آپ چلا رہے ہیں، جیسے سب کے لئے تعلیم ابھیان آپ چلا رہے ہیں، میں شکریہ ادا کرتا ہوں۔ آپ پی۔ایم۔جی۔ایس۔وائی۔ کو چلا رہے ہیں، میں شکریہ ادا کرتا ہوں۔ انتیودے ان یوجنا چلا رہے ہیں، ہمارے دین دیال اپادھیائے جی، جنہوں نے انتیودے کا فارمولہ دیا۔ ان کی یوجنا ہمارے سمستی پور کے ادھیکش جی کی یوجنا کو آپ چلا رہے ہیں۔ نیشنل ہائی وے پر آپ تھوڑا دھیرے چل رہے ہیں۔ اس یوجنا میں تھوڑا اسپیڈ بریکر لگا کر چل رہے ہیں۔ آپ ہماری کچھ یوجناؤں کو آگے بڑھا رہے ہیں۔ یہ سچ ہے کہ دو۔تین یوجنائیں آپ بھی لے کر آئے ہیں، جیسے راجیو گاندھی ودیوتی کرن یوجنا، ماشاءاللہ اس یوجنا کے بارے میں، میں کیا کہوں، اس یوجنا کو نظر نہ لگ جائے۔ میڈم پورا لگا ہے، لیکن راجیو گاندھی ودیوتی کرن یوجنا میں بلب نہیں جل رہا ہے (مداخلت)۔ وہ نیر وتی تھی، اس کا نام بدل دیا۔ آج بھی راجیو گاندھی جی کے نام پر ایک اور یوجنا ہول ایجوکیشن میں آنے والی ہیں۔ اس کے لئے ہمارے سابق ہیومن ایجوکیشن منسٹر جناب اشوک کمار جی بولیں گے۔ اس لئے میں اس کے بارے میں نہیں بولوں گا۔ آپ منریگا لائے، لیکن یو۔پی۔اے۔ سرکار میں جو بھی یوجنائیں لاتے ہیں وہ فلاپ یوجنائیں کیوں بناتے ہیں۔ آج آپ کی کامیاب یوجنائیں وہی ہیں جو اٹل بہاری باجپئی جی نے شروع کی تھی۔ اپوزیشن میں رہتے ہوئے جب ہم آپ کا کسی مدعے میں

ساتھ دیتے ہیں، میڈم میں اپنی پارٹی کا ترجمان بھی ہوں اور پارلیامنٹری پارٹی سے بھی جو کچھ یہاں ہوتا ہے، ہماری نیتا سشما سوراج جی ہمیں کہتی ہیں کہ باہر جا کر اس بارے میں تبھی بھی اپنی پارٹی کی طرف سے کرتا ہوں۔ مجھے کئی بار درد بھی ہوتا ہے کہ ہم کتنا بولیں۔ ہم بولتے بولتے تھک گئے لیکن آپ جاگتے ہی نہیں۔ ہم آپ کو جگاتے جگاتے تھک گئے لیکن آپ اٹھتے ہی نہیں ہیں۔ یہ بات بھی سہی ہے کہ خبر وہی بنتی ہے جس پر جھگڑا ہو۔ کل میں وقف بل پر بولا، لیکن کہیں خبر نہیں چھپی اور کہیں دو مسلم بھائی کے ساتھ اگر کوئی چھوٹی سی بات مہاورہ بھی آ جائے گا تو ہنگامہ برپا ہو جائے گا۔

لیکن جب اچھا کام ہوگا جیسے آج اردو اخبارات میں ضرور فرنٹ پیج پر ہیڈ لائن میں وقف کا مدعا بنا لیکن اور جگہ جیسے ابھی گنیش سنگھ جی نے کہا کہ آپ ترجمان ہو کر بولے لیکن کہیں نہیں چھپا۔ میں کئی بار دیکھتا ہوں کہ جب ہم آپ کا ساتھ دیتے ہیں تو ہمارے ہاتھ جل جاتے ہیں۔ آپ کی امیج ایسی ہو گئی ہے کہ اگر آپ لوگوں کا ہم ساتھ بھی دیتے ہیں تب بھی ہمارا ہاتھ جل جاتا ہے۔ ہماری لیڈر آف اپوزیشن جو ملک کے مفاد میں کئی مدعوں پر آپ کے ساتھ کھڑی ہوتی ہیں، تو یہ کیبنٹ والے چپ چاپ ہم سے سمجھوتہ کر بھی لیتے ہیں اور آ کر کہتے ہیں کہ ہمیں بولنے دو، یہ کرنے دو لیکن جب اپنا مطلب نکال لیتے ہیں تو باہر جا کر بیان دیتے ہیں کہ بھاجپا کانگریس دونوں مل گئے ہیں۔ ہم ملتے نہیں ہیں، ہم تو ندی کی دو دھارا ہیں جو کبھی نہیں مل سکیں۔۔۔ (مداخلت)۔۔۔ لیکن ہم ملک کے مفاد میں جب ساتھ دیتے ہیں تو کہا جاتا ہے کہ بھاجپا مل گئی ہے۔ کئی بار (مداخلت)۔۔۔ تر وہم جی اس ہاؤس میں میں آپ سے سینئر ہوں، 14 سال سے ہوں۔ آپ اس ہاؤس میں نئے ہیں۔ میری عمر پر مت جائیے۔ میری پارٹی نے یہاں تعظیم نہیں کر رکھا ہے۔ ہماری نیتا نے نیم کے تحت ہم کو یہاں بیٹھا رکھا ہے۔ کئی بار لوگوں کو لگتا ہوگا کہ یہ شاہنواز ہے، اس لئے انکو آگے سشما جی نے بیٹھایا ہوگا۔ لیکن میں کبھی یشونت جی کے ساتھ، سشما جی کے ساتھ منتری رہا ہوں، اس لئے بیٹھایا ہے۔ ہم لوگ بھی سینئر ہیں۔ عمر میں کم ہیں لیکن ایسا نہیں ہے کہ ہم کو ٹوک دیجئے۔ ہمارے ساتھ بھی سینئر ممبر جیسا برتاؤ کیا جانا چاہئے۔۔۔ (مداخلت)۔۔۔ اس لئے یہ جو این۔ اے۔ سی۔ کا ڈرافٹ ہے ہاکرز جی کی سرکار کو آپ دیر سے مانیں لیکن میں نے دیکھا ہے این۔ اے۔ سی۔ کے بھاؤں کو بھی آپ اتنی دیر سے لائے ہیں۔ اس کا مطلب میڈم کی بات بھی آپ لوگ آج کل نہیں سن رہے ہیں۔ ہمیں بڑا اچنبھا ہو رہا ہے۔ ہم لوگ سمجھتے تھے کہ میڈم کی بات آپ لوگ ضرور مانتے ہوں گے کیونکہ غریبوں کے بارے میں اس میں بہت ساری باتیں کہی گئی ہیں۔

میں اسٹریٹ وینڈر فیملی سے نہیں آتا ہوں، لیکن جو استاد ہیں ان کی بھی بہت زیادہ تنخواہ نہیں ہوتی ہے۔ میں ایک ٹیچر کا بیٹا ہوں، اس لئے مجھے کسی جھوپڑی میں جا کر غریبی دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اسکول میں میرا گھر کا مکان تھا۔ وہ جو گھر ہوتا ہے میڈم آپ تو جانتی ہیں۔ (مداخلت)۔۔۔ کھپڑا نہیں کھپڑا تو بہار میں بڑے امیر لوگ استعمال کرتے ہیں۔ ہم تو جانتے تھے ہیں، کسی بڑے گھر میں پیدا ہو کر یووا نیتا نہیں کہلاتے بلکہ ایک ٹیچر کے گھر پیدا ہوئے اور آج ہم ممبر آف پارلیمنٹ بن گئے۔ بھاگلپور کی عوام نے مجھے یہ مقام دیا ہے کہ میں یہاں بول پا رہا ہوں۔ لیکن ہم نے غریبی دیکھی ہے۔ یہ جو غریب لوگ ہیں، فوٹکر لوگ ہیں،

ان کے بارے میں آپ نے یہ بل بنایا ہے اس لئے میں اس بل کی مخالفت کرنے کے لئے کھڑا نہیں ہوا ہوں اور وہ بھی آکر کر جا جی بل لائیں کیونکہ میڈم، اگر ہم لوگ زیادہ تعریف کر دیں گے تو آپ کی پارٹی آپ کی دشمن ہو جائے گی۔ (مداخلت)۔۔۔اس لئے کم کر رہے ہیں۔ جوشی جی بل پر ہی ہم بول رہے ہیں۔ غریبی مطلب بل وینڈر کے لئے ہے اس لئے اس پر اسٹریٹ وینڈر کی بہت ساری سمسیائیں ہیں کہ اسٹریٹ وینڈر آکر پٹری لگاتا ہے، ریڑھی لگاتا ہے، پولس والا آتا ہے خاص کر دہلی اور ممبئی میں کیونکہ پچھلے کافی دنوں سے ہماری سرکار نہیں ہے (مداخلت)۔۔۔ جے پور میں بھی آپ ہی کی سرکار ہے جہاں کی میڈم ہیں۔ (مداخلت)۔۔۔

سید شاہنواز حسین (بھاگلپور): ۔ جے پور میں اس بار بی۔ جے۔ پی۔ کا کمل کھلے گا غلطی سے پنجہ کھلا تھا۔ (مداخلت)۔۔۔جتنا بولئے گا، رہنے دیجئے۔ اس لئے ہمارے 2004 میں نیشنل پالیسی فور اسٹریٹ وینڈر باجپئی جی نے بنائی تھی۔ اسٹریٹ وینڈر کے لئے صرف رجسٹریشن کی سہولیات ہونی چاہئے۔ جو نیشنل پالیسی تھی، اس میں اس کا رجسٹریشن پوری طرح ہونا چاہئے۔ لیکن میں آپ کے ذریعہ سے منتری جی کا دھیان اپنی بات کی طرف دلانا چاہتا ہوں کہ ایک طرف تو بحث ہو رہی ہے کہ ہم لائسنس راج سے ملک کو آزاد کریں گے اور منتری جی اس بات کا دھیان رکھ لیجئے کہیں لائسنس لینے کے لئے آپ کی فوٹو اور جیسے راشٹرپتی جی نے دہلی سرکار کو پھٹکار لگائی ہے کہ جو بھی یوجنا بنا رہے ہیں اس میں منتری جی اور وزیر اعلیٰ کی اپنی فوٹو ڈال دیتے ہیں، آج ہی کے اخبار میں ہے راشٹرپتی جی نے فون پر کہا ہے۔ اس لئے ایسا نہ ہو جائے، لائسنس اسی کو دیجئے جس پر آپ کی تصویر ہو، آپ کی پارٹی کا نشان ہو، جب ہم بھی کوئی قانون پارلیمنٹ میں بناتے ہیں تو وہ غریبوں کی مدد کرنے کے لئے بناتے ہیں۔ اس کے لئے اور پریشانی پیدا ہو جائے اس لئے قانون نہیں بناتے ہیں، رجسٹریشن کرنے اور لائسنس دینے کا دھیان رکھنا چاہئے تاکہ غریب آدمی کسی دروازے پر نہ بھٹکے، نیتا جی کے دروازے پر چکر نہ مارے، اسے سلام نہ کرنا پڑے اس بل کی بہت چرچہ ہے۔

اسپیکر صاحبہ، آپ غیر ممالک کا دورہ کر چکی ہیں، اور میری بھی خوش قسمتی ہے کہ میں بھی کئی بار آپ کے ساتھ غیر ممالک کا دورہ کر چکا ہوں، آپ سوئزرلینڈ، انگلینڈ، امریکہ میں کتابوں کی دوکان پر چلے جائیں، اگر بڑیا کتاب کہیں نہیں ملے گی تو وہاں جو اسٹریٹ وینڈر کی دوکان، فٹ پاتھ پر مل جائے گی۔ اس کی ایک الگ دنیا ہے اور خریدنے والے بہت لوگ ہوتے ہیں۔ اس سرکار کے لوگ ایف۔ڈی۔آئی۔ والے ہیں، ان کی سمجھ میں نہیں آئے گا کہ اسٹریٹ وینڈر پوری دنیا میں ہے۔ اسٹریٹ وینڈر گاؤں میں بھی ہوتے ہیں، دہلی میں ہیں، ممبئی میں ہیں۔ آپ پٹنہ میں جائیے۔ محترمہ آپ بھاگلپور گئیں تھیں۔ ہم وہاں حاضر نہیں ہو پائے تھے لیکن آپ کا سواگت ہمارے لوگوں نے کیا تھا۔ جب آپ سرکٹ ہاؤس سے نکلی ہوں گی تو آپ نے دیکھا ہوگا کھادو گھر تک بغل میں اسٹریٹ وینڈر ہیں۔ ان کی فکر کون کرے گا؟ بڑے بڑے شہروں نے کی ہے؟ ہم گاؤں میں پیدا ہوئے، وہاں ہاٹ ہوتا ہے، اب گاؤں کی زمین مہنگی ہو رہی ہے اس لئے کوئی زمیندار لگانے نہیں دے رہا ہے۔۔۔

کہتا ہے کہ میرے دروازے پر ہاٹ مت لگاؤ۔

محترمہ اسپیکر صاحبہ، اسٹریٹ وینڈرس کے بل میں جن چیزوں کا ذکر کیا ہے، کچھ چیزوں کا دھیان رکھنا چاہئے۔ جب آپ قانون بنا ہی رہے ہیں تو آپ کے ملک کا نام شہری غریبی اپشمن ہے تو آپ گاؤں کی فکر بھی سرکار کی طرف سے کر رہے ہیں۔ آپ آن بی ہاف آف دی کمیونٹی، آن بی ہاف آف دی گورنمنٹ بل لے کر آئی ہیں۔ کئی چھوٹے گاؤں ہیں جو بڑے ہاٹ بن گئے ہیں، آپ کو پالیسی بنانی چاہئے۔ جس طرح مدھیہ پردیش کی سرکار کے وزیر اعلیٰ جناب شیوراج سنگھ چوہان، جو غریبوں کے مسیحا مانے جاتے ہیں، انہوں نے بہت اچھی یوجنائیں بنائی ہیں۔ انہوں نے گاؤں اور شہروں کے اسٹریٹ وینڈرس کے لئے پہلے قانون بنایا۔ بنانا تو مرکزی سرکار کو تھا لیکن آپ لوگوں نے نہیں بنایا، اور آپ لوگ نہیں بناتے ہیں تو جہاں ہماری پارٹی حکومت میں ہوتی ہے کرتی ہے۔ غریبوں کی خدمت آپ لوگوں سے پوچھ کر تو کریں گے نہیں۔ یہ تو ہم لوگوں کو کرنی پڑتی ہے۔ مدھیہ پردیش کے وزیر اعلیٰ نے وہاں قانون بنایا ہے۔ چھوٹے چھوٹے کام کرنے والے لوگ جیسے کوئی آلو لے کر آ گیا۔ پیاز لے کر تو آج کوئی اسٹریٹ وینڈرس آتا ہی نہیں کیونکہ اتنا مہنگا کر دیا ہے۔ (مداخلت)۔۔۔

میڈم، آج کل تو پیاز تول کر ملتا ہے۔ آپ جانتی ہیں کہ سب سے زیادہ نقصان تو کس کا ہوتا ہے۔ ہمارے زیادہ تر جین لوگ پیاز اور لہسن کھاتے ہی نہیں ہیں، لیکن ہم بریانی اور قورمہ کھانے والے لوگ ہیں، سب سے زیادہ پیاز اقلیت کے لوگ کھاتے ہیں۔ لوگ کہتے ہیں، پیاز کے بارے میں ساری کہاوت اقلیت کے لوگوں کی ہوتی ہے۔ (مداخلت)۔۔۔

سید شاہنواز حسین (بھاگلپور): محترمہ، اقلیت اور دلت الگ الگ تھوڑے ہیں۔ آپ کیوں الگ الگ کر رہے ہیں؟ مجھے سماجوادی پارٹی کے لوگ کل سے اقلیتوں کے مدعے پر تنگ کر رہے ہیں۔ ان کے ایک بھی ممبر آف پارلیمنٹ جیت کر نہیں آئے ہیں۔ بی۔ جے۔ پی۔ کو کمیونل پارٹی کہتے ہیں، یہاں تو ایک مسلم ایک ایم۔ پی۔ ہیں، سماجوادی اپنے آپ کو سیکولر کہتے ہیں، ایک بھی مسلم ایم۔ پی۔ نہیں ہے، آر۔ جے۔ ڈی۔ میں بھی نہیں ہے۔

سید شاہنواز حسین (بھاگلپور): میڈم، میں کہنا چاہتا ہوں کہ ہم سچی ہیں تو مستثنیٰ ہیں کیونکہ ہم اس ملک سے محبت کرنے والے ہیں، ہر انسان سے پیار کرتے ہیں، جو اس بھارت ماتا کی سنتان ہیں (مداخلت)۔۔۔

سید شاہنواز حسین (بھاگلپور): ان کے راج میں ایک مسلم ڈی۔ ایس۔ پی۔ مر گئے، اسے یہ لوگ نہیں بچا پائے۔ (مداخلت)۔۔۔ ان کے راج میں مرا ہے۔ میں نے یہ کہا ہے اور کچھ نہیں کہا ہے۔ الزام کہاں لگایا ہے۔ آپ بنا بات کے بول رہے ہیں۔ میں نے الزام نہیں لگایا ہے (مداخلت)۔۔۔

سید شاہنواز حسین (بھاگلپور): میڈم، اقلیت کے لوگ ڈی۔ ایس۔ پی۔ یا ایس۔ پی۔ نہیں ہوتے ہیں، ایک ڈی۔ ایس۔ پی۔ ہمارا بے چارہ وہ بھی مر گیا۔ اس کے لئے مجھے درد ہے۔ اب ملائم جی تو اس کا درد نہیں رکھیں گے۔ (مداخلت)۔۔۔

ہماری سرکار نے اس پر بہت کام کیا ہے۔ میں کہہ رہا تھا کہ پیاز کی بات کہہ رہا تھا کہ بڑی مہنگائی ہو گئی ہے اس لئے اسٹریٹ

وینڈرس آج کل پیاز بھی نہیں بیچ رہے ہیں۔ اب آپ کہیں گے کہ بات پیاز پر کیوں لے آئے؟ شاہنواز حسین کیا بول رہے ہیں؟ میں اس لئے بول رہا ہوں کہ لوگ تازہ پیاز خریدنا چاہتے ہیں۔ (مداخلت)۔۔۔ میڈم، تھوڑا اسٹرکشن دیجئے۔ میں کتنا شالین ممبر ہوں، میں کبھی کسی کو نہیں ٹوکتا ہوں، لیکن مجھے کتنا ٹوکا جاتا ہے۔ (مداخلت)۔۔ میڈم شیلیندر جی ورلڈ ریکارڈ بنا رہے ہیں، سب سے زیادہ بولتے ہیں، سب سے زیادہ ٹوکتے ہیں۔۔ (مداخلت)۔

سید شاہنواز حسین (بھاگلپور): میڈم، ایسا کوئی سسٹم نہیں ہے کہ کام بند ہو جائیں۔ میری دقت یہ ہے کہ کوئی بولتا ہے تو سیدھے آواز بائیں کان کو آتی ہے۔ ادھر سے تو آتی نہیں ہے، اب یا تو کان میں کچھ لگا کر آئیں گے، تبھی بول پائیں گے۔ میڈم، میں کان میں یہ لگا لیتا ہوں، اتنی ٹوکا ٹوکی ہے، سماج وادی پارٹی کے لوگ مجھے بولنے نہیں دیں گے۔ (مداخلت)۔۔ مجھے پتہ ہے اس سے ان کا ووٹ بھی کم ہو جائے گا، مجھے پتہ ہے۔ ہمارے بڑے سمرتھک یو۔ پی۔ میں ہیں وہ سب ان لوگوں سے ناراض ہو جائیں گے۔ (مداخلت)۔۔

اسپیکر صاحبہ، میں آپ کے ذریعہ کہنا چاہتا ہوں کہ منتری صاحبہ بہت اچھا بل لائی ہیں، اس میں کچھ کمیاں ہیں، آپ کو غریب لوگوں کی فکر کرنی چاہئے، اسٹریٹ وینڈرس بہت غریب، پچھڑے، دلت اور اقلیتوں کے لوگ ہوتے ہیں۔ آپ جانتی ہیں کہ بھارتیہ جنتا پارٹی کی سرکار میں ان لوگوں کے لئے سب سے زیادہ کام اٹل بہاری باجپئی جی کی سرکار نے کیا تھا۔ اس لئے جب اسٹریٹ وینڈرس کا مدعا آیا تو ہم کوئی سیاست نہیں کر رہے ہیں۔ ہمارے لئے راجنیتی سیاست نہیں ہے، عبادت ہے۔ ہم غریبوں کی خدمت عبادت سمجھ کر کرتے ہیں۔ یشونت سنہا جی آئی۔ اے۔ ایس۔ سے ریزائن کرکے آئے ہیں۔ آپ خود وزارت خارجہ (foreign service) سے ریزائن کرکے آئی ہیں۔ (مداخلت)۔ میڈم، آپ ہر بار ہم لوگوں کو ہی ڈانٹتی ہیں، آپ تھوڑا ادھر بھی ڈانٹ دیجئے۔ (مداخلت)۔۔ ہماری اسپیکر صاحبہ کی تعریف بھی ان لوگوں کو پسند نہیں ہے۔ (مداخلت)۔ لکھن ایسا لگائیں گے کہ یو۔ پی۔ میں 50 سیٹ جیت کر آئیں گے آپ دس سیٹ پر ہی رہ جائیں گے۔

سید شاہنواز حسین (بھاگلپور): ہماری نیتا بہت بڑی وکیل ہوتے ہوئے بھی سیاست میں خدمت کے لئے آئی ہیں۔ اسٹریٹ وینڈر کا مدعا آیا ہے، تو میرا کہنا ہے کہ اور مدعوں پر بی۔ جے۔ پی۔ سے سماجوادی پارٹی لڑی ہے لیکن کم سے کم غریبوں کے مدعوں پر مت لڑیئے۔ یہ اچھا نہیں ہے۔

میڈم، اب میں لاسٹ پوائنٹ پر آ رہا ہوں، گرجا جی، آپ نے بل میں دیا ہے کہ لائسنس ہوگا، جگہ بنے گی، اور ہائجین کا بھی دھیان رکھنا ہوگا۔ غریب آدمی جو اپنے بدن پر میلا کپڑا پہن کر آتا ہے، وہ ہائی جین کہاں سے مینٹین کرے گا؟ جب آپ غریبوں کے لئے ہائی جین کر دیں گے تو دوسرا محکمہ بھی پہنچ جائے گا اور کہے گا کہ گول گپے کا پانی ٹیسٹ کرواؤ۔ ممبئی میں ایک بار ایسا ہوا تھا، اگر شوسینا اور بی۔ جے۔ پی۔ کے لوگوں نے پروٹیسٹ نہ کیا ہوتا تو آج کوئی بھی چوپاٹی پر بھیل پوری نہ بیچ پاتا؟ بہار میں جھال موڑی بیچتے ہیں؟ اب یہ کہیں کہ اپنا ڈبہ دکھاؤ، یہ ڈبہ کہاں سے لائے، کونسی کمپنی کا ہے تو وہ جھال موڑی کہاں سے بے

ہے گا؟ اسپیکر صاحب کو پھر سے لاگو مت کیجئے۔ دوسری بات میں کہنا چاہتا ہوں کہ جو پتھ وکریتا ہیں (مداخلت)۔۔۔آپ مجھے بولنے دیجئے۔

سید شاہنواز حسین (بھاگلپور): میڈم، اب میں ان کی طرف دیکھوں گا بھی نہیں، میں صرف آپ کو دیکھ کر بولوں گا۔ یہ جو ہائی جین سینیٹیشن کا مدعا ہے، اس کا بھی دھیان رکھا جائے۔ جو پتھ وکریتا ہیں ان کی صحت کا بھی خیال رکھا جانا چاہئے۔ جیسے فیکٹری میں جو ورکرس کام کرتے ہیں، ان کی صحت کے لئے ای۔ایس۔آئی۔ کی طرز پر فکر ہونی چاہئے۔ (مداخلت)۔ میڈم، اگر کسی پتھ وکریتا کی موت ہو جاتی ہے تو وہ اسٹریٹ پر دکھتا ہے، ان کی لاش بھی وہیں پڑی رہتی ہے، اس کی فکر کرنے والا کوئی نہیں ہے۔ وہ گاؤں میں اپنے بیوی، بچوں کو چھوڑ کر آتا ہے، وہ اپنا گاؤں، اپنا گھر، اپنی فیملی کو چھوڑ کر آتا ہے، کوئی دہلی شوق سے نہیں آتا ہے، کوئی لال قلعہ گھومنے نہیں آتا، یہاں لوگ روزی روٹی کمانے آتے ہیں۔ آج بھی بہار سے بڑی تعداد میں لوگ آ رہے ہیں۔ ہمارے یہاں بہت بڑی فیکٹریز نہیں لگ پائیں۔ آج بھی بہار میں زیادہ صنعتیں نہیں لگ پائیں، اس لئے بڑی تعداد میں لوگ یہاں آ رہے ہیں۔ یہ لوگ روزگار کی تلاش میں آ رہے ہیں، اور جب لوگ روزگار کی تلاش میں آتے ہیں تو وہ پٹری پر چھوٹی سی ریہڑی لگا لیتے ہیں۔ لیکن اگر ان کی موت ہو جائے تو ان کی فیملی کے لوگوں کو اس کی خبر بھی دیری سے ملتی ہے۔ ان کی لاش کو لاوارث کہہ دیا جاتا ہے۔ میں آپ کے ذریعہ کہنا چاہتا ہوں، [illegible] جی، آپ منتری جی کو میری بات سننے دیجئے، آپ بعد میں بات کر لیجئے گا، وہ آپ کی پارٹی کی ہیں۔ آپ ہماری طرف سے ادھر گئے ہیں، تھوڑی کم بات کیجئے، آپ ہمارے اپنے آدمی ہیں، ادھر چلے گئے ہیں۔ اس لئے میڈم، جب ان کا دیہانت ہو جائے تو ان کا کم سے کم پانچ لاکھ کا انشورنس ہونا چاہئے کیونکہ اگر وہ کمانے آیا ہے تو اس پر پورا خاندان پوری فیملی ڈیپینڈ کرتا ہے۔ اگر وہ بیمار ہو جاتا ہے تو اس کا علاج ہونا چاہئے، اور اگر وہ انتقال فرما جائے تو سرکار کو اس کو کم سے کم پانچ لاکھ روپے دینا چاہئے۔

اسپیکر صاحب، اب میں اپنی بات ختم کر رہا ہوں، جو اسٹریٹ وینڈرس ہوتے ہیں وہ جب کہیں پر دوکان لگاتے ہیں، میں نے اسٹریٹ وینڈرس کا درد دیکھا ہے۔ میں صبح صبح جاتا ہوں اور ریہڑی پٹری والوں کو دیکھتا ہوں۔ میں پارلیمنٹ کی کاروائی کے بعد سیدھے بھاگلپور، کولکتہ ہو کر جاتا ہوں کئی بار جہاز میں آپ سے ملاقات بھی ہوئی ہے۔ اس کے بعد وہیں سے ٹرین پکڑتا ہوں، پھر بھاگلپور سے کولکتہ آتا ہوں اور جب میں کولکتہ آتا ہوں تو ٹرین صبح پانچ بجے پہنچتی ہے۔ کولکتہ میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ جیسے ہی اسٹیشن سے آگے چلتے ہیں صبح چار بجے بازار لگتا ہے، پانچ بجے بازار لگتا ہے، اس سے تھوڑا آگے جاتا ہوں تو دیکھتا ہوں کہ وہاں پر جو چھوٹے چھوٹے اسٹریٹ وینڈرس ہیں، جو چائے کی دوکان چلا رہے ہیں، بھجا کی دوکان چلا رہے ہیں، وہ جس پٹری پر دوکان لگاتے ہیں اسی پر سکوڑے ہوئے سو جاتے ہیں، ان کے رہنے کا کوئی انتظام نہیں ہے، اس لئے سرکار اس میں یہ جوڑے کہ جو اسٹریٹ وینڈرس ہیں ان کے رہنے کے لئے بھی کوئی شیلٹر سرکار بنائے، ان کے لئے نائٹ شیلٹر ہونی چاہئے۔ ابھی ممتا جی وہاں وزیر اعلیٰ بن گئیں ہیں تو ان کے لئے کچھ کر رہی ہوں گی، کمیونسٹ پارٹی کے لوگ خالی بات کرتے تھے، کچھ کرتے نہیں

تھے۔ خالی غریبوں کی بات کرنا اور کانگریس کی طرح غریبوں کی چرچا کرنا اور غریبوں کو اور غریب کرنا۔ جو اسٹریٹ وینڈرس ہیں، جو پٹری پر سوئے ہوئے ہیں، میں وہاں جاڑے میں گیا ہوں، کئی بار مجھے محسوس ہوا ہے کہ کاش ان کے اوپر کمبل ڈالنے والا ہوتا اس لئے اسٹریٹ وینڈرس کے رہنے کا انتظام سرکار کو کرنا چاہئے۔ ہمارے آئین میں برابری کا حق ملا ہے۔ آپ جو بل لے کر آئے ہیں اس بل میں آپ نے کہا ہے کہ آئین کی دفعہ 14 میں جس میں برابری کا سمادھان ہے، جس میں امیروں اور غریبوں کے بیچ میں برابری کا سمادھان ہے اس کو دھیان میں رکھ کر آپ بل لائے ہیں۔ جو بے کاری، بڑھاپا اور بے روزگاری ہے، اسے دھیان میں رکھتے ہوئے جو آئین کے تحت حقوق ملے ہیں، آپ یہ جو بل لے کر آئے ہیں تو آپ صرف پبلسٹی کے لئے یہ مت کیجئے، یہ فوڈ سکیورٹی بل کی طرح مت کیجئے کہ پاس ہوا نہیں پہلے فوٹو چھپانے شروع کر دئے۔ یعنی آپ کی پہلی نظر ووٹ پر ہے، غریبوں کی بھوک مٹانے پر نہیں۔ اپنے ووٹ کی بھوک مٹانے پر نظر ہے۔

آپ کی نظر اسٹریٹ وینڈرس پر نہیں ہے، آپ مجبور ہے ہیں کہ آپ اسٹریٹ پر جانے والے ہیں، آپ حکومت سے باہر جانے والے ہیں، اور میں سمجھتا ہوں کہ اس کے بعد آپ حکومت میں دوبارہ آنے والے نہیں ہیں۔ لیکن جو آپ کی کمیاں ہیں ہم ان کمیوں کو آپ کو بتائیں گے۔ کئی بار لوگ ہم سے پوچھتے ہیں کہ آپ نے فوڈ سکیورٹی بل کیوں پاس کروایا تو ہم کہتے ہیں کہ کیا کریں غریبوں کے لئے یہ بل لائے تو سہی، لیکن اس میں بہت کمیاں ہیں۔ جب ہم سرکار میں آئیں گے تو ان کمیوں کو پہلی بار ٹھیک کریں گے۔

میڈم، میں پارٹی کا ترجمان بھی ہوں، اس ناطے اور ایک ممبر آف پارلیمنٹ کی ناطے بڑی ذمہ داری سے کہتا ہوں کہ پہلے چھ مہینے انہوں نے جو غلط اور آدھے ادھورے بل پاس کئے انہیں ہم ٹھیک کریں گے۔ ہم فوڈ سکیورٹی بل کو بھی ٹھیک کریں گے اور اسٹریٹ وینڈرس بل میں بھی جو کمیاں ہیں انہیں سدھارنے کا کام کریں گے اور لینڈ ایکویزیشن بل میں بھی جو کمیاں ہیں انہیں بھی سدھاریں گے۔ (مداخلت)۔۔۔ اب میں ختم کر رہا ہوں۔

لالو جی کے ساتھ دقت یہ ہے کہ کانگریس کس سے گٹھ جوڑ کرے گی شرد جی سے کرے گی یا لالو جی سے کرے گی یہ بھی ملک میں چلتا ہے۔ دونوں کانگریس کو خوش کرنے میں لگیں ہیں، کانگریس کو منانے میں لگیں ہیں، منتریوں کی آؤ بھگت میں لگے ہیں۔ بہار میں منتری جا رہا ہے، روز ریسیو کرنا، روز ان کی تعریف کرنا۔ لیکن مجھے پتہ نہیں کہ کانگریس کس سے کرے گی، جس سے بھی کرے لیکن وہاں این ڈی اے کو لوگ ہی جتائیں گے۔ بہار میں 2004 میں ایک بار ہم جیت چکے ہیں۔ ہم 40 کی 40 سیٹیں جیت کر آئیں گے اور بہار کا عام آدمی وزیر اعظم کے نام کا پرستاؤ کرے گا۔

سید شاہنواز حسین (بھاگلپور): مجھے یہ تہذیب و تمدن میں سکھایا گیا ہے کہ جب میں بولوں تو شکریہ ادا کرکے بات ختم کروں۔ میں آپ کا بہت شکریہ ادا کرتا ہوں۔ آپ چیئر پر ہیں تو ہم آپ کو بہنا مان کر بلکہ دیدی مان کر بولتے ہیں۔ اس لئے لالو جی کی بات سے متاثر نہیں ہوتا ہے۔ ہم لوگ بہت ذمہ داری سے کہتے ہیں کہ یہ بل لے کر آئے، اس

، جو کمیاں ہیں انہیں درست کیجئے، ایمانداری سے کام کیجئے۔ بھارتیہ جنتا پارٹی اس ملک کے لئے، اس ملک کے مفاد میں جو کام ہوگا اسے چاہے کوئی بھی کرے گا بھارتیہ جنتا پارٹی اس کے ساتھ کھڑی رہتی ہے، کیونکہ ہمارے لئے انسان سے بڑی پارٹی پارٹی سے بڑا ملک ہے۔ اس لئے ہم اس بل کو سپورٹ کر رہے ہیں۔ میں آپ کا بہت بہت شکریہ ادا کرتا ہوں۔۔۔

(ختم شد)

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदया : जो सदस्यगण, अपने भाषण लिखित रूप में देना चाहते हैं वे उन्हें सभा पटल पर रख सकते हैं। आज मध्याह्न भोजन अवकाश नहीं होगा।

अपराह्न 12.53 बजे

सभा-पटल पर रखे गए पत्र—*जारी*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदया : मद संख्या 3, श्री नारायणसामी।

कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री (श्री वी. नारायणसामी) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं:—

(1) अखिल भारतीय सेवा अधिनियम, 1951 की धारा 3 की उपधारा (2) के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):—

(एक) भारतीय प्रशासनिक सेवा (संवर्ग संख्या का नियतन) तीसरा संशोधन विनियम, 2013, जो 6 अप्रैल, 2013 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 80 में प्रकाशित हुए थे।

(दो) भारतीय पुलिस सेवा (संवर्ग संख्या का नियतन) चौथा संशोधन विनियम, 2013, जो 28 मार्च, 2013 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 81 में प्रकाशित हुए थे।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाले दो विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। *देखिए* संख्या एल.टी. 9721/15/13]

अपराह्न 12.54 बजे

मंत्री द्वारा वक्तव्य

लद्दाख में सीमावर्ती बुनियादी ढांचे के संबंध में राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार बोर्ड के अध्यक्ष श्री श्याम सरन द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट*

[अनुवाद]

रक्षा मंत्री (श्री ए.के. एंटनी) : अध्यक्ष महोदया, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार बोर्ड के अध्यक्ष श्री श्याम सरन ने 2 से 9 अगस्त, 2013 तक लद्दाख का दौरा किया। उन्होंने लद्दाख में आधारभूत ढांचे पर एक रिपोर्ट प्रस्तु की है जिसकी एक प्रति प्रधानमंत्री कार्यालय द्वारा 2 सितम्बर, 2013 को अन्यों के साथ-साथ रक्षा मंत्रालय को भेजी गई है। यह रिपोर्ट मुख्य रूप से सीमा पर आधारभूत ढांचे पर केन्द्रित है परन्तु उसमें इस क्षेत्र से संबंधित अनेक पहलुओं को भी उठाया गया है जिनमें व्यापक गतिविधियों और आवश्यकताओं को शामिल किया गया है।

मोटे तौर पर, इस रिपोर्ट में लद्दाख और पड़ोसी क्षेत्रों के बीच सम्पर्क सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक सीमावर्ती अवसंरचना के विकास में हुई प्रगति की समीक्षा की गई।...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री शैलेन्द्र कुमार (कौशाम्बी) : महोदया, माइक में से आवाज आ रही है, डिस्टर्बेंस हो रहा है।

अध्यक्ष महोदया : चैक करवा लेते हैं।

...(व्यवधान)

[अनुवाद]

श्री ए.के. एंटनी : मोटे तौर पर, इस रिपोर्ट में लद्दाख और पड़ोसी क्षेत्रों के बीच संपर्क सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक सीमावर्ती अवसंरचना के विकास में हुई प्रगति की समीक्षा की गई है। इस संदर्भ में अन्य के साथ-साथ सड़कों के निर्माण और रखरखाव के लिए आधुनिक मशीनरी की उपलब्धता, सड़कों के उन्नयन, सुरंग बनाने और वैकल्पिक संयोजन जैसे मुद्दों पर भी चर्चा की गई है। इस रिपोर्ट में इस क्षेत्र में हवाई सुविधाओं की आवश्यकता के साथ-साथ, भूमि अधिग्रहण और पर्यावरण तथा वन्य-जीव संबंधी स्वीकृतियों से संबंधित मुद्दों को भी उठाया गया है। इस रिपोर्ट में इसके अतिरिक्त अन्य के साथ-साथ स्थानीय युवाओं को रोजगार के अवसर, पर्यटन, मोबाइल तथा इंटरनेट सम्पर्क, कानून और व्यवस्था, आईटीबीपी के लिए बेहतर साजो-सामान और सुविधाएं, स्थानीय लोगों की कुछ शिकायतें जैसे अन्य मामले भी शामिल किए गए हैं।

मैं स्पष्ट रूपन से बताना चाहता हूं कि श्री श्याम सरन ने इस रिपोर्ट में यह नहीं कहा है कि चीन ने भारतीय भू-भाग के किसी हिस्से पर कब्जा किया है अथवा वहां भारत के प्रवेश करने पर रोक लगाई है। मैं सभा को आश्वस्त करना चाहूंगा कि भारत का अपने भू-भाग के किसी भी हिस्से को चीन को दे देने का कोई प्रश्न ही नहीं है। सरकार भारत की सुरक्षा को प्रभावित करने वाले सभी घटनाक्रमों पर निरंतर नजर रखती है और इसकी सुरक्षा के लिए सभी आवश्यक उपाय करती है। मैं सभा को यह आश्वासन भी देना चाहता हूं कि सरकार हमारे राष्ट्रीय हित की

*सभा पटल पर रखी गई और ग्रंथालय में भी रखी गई। *देखिए* संख्या एल.टी. 9728/15/13.

[श्री ए.के. एंटनी]

सुरक्षा के लिए सीमावर्ती क्षेत्रों में हमारी क्षमताओं को सुदृढ़ करना जारी रखेगी।...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री मुलायम सिंह यादव (मैनपुरी) : अध्यक्ष महोदया, ऐसे नहीं चलेगा।...*(व्यवधान)* पूरे वक्तव्य में सदन को गुमराह किया गया है। ...*(व्यवधान)*

श्री शैलेन्द्र कुमार : मैडम इसमें तथ्यों को छुपाया गया है।... *(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदया : नियमों में कोई प्रावधान नहीं है। नियम 372 में किसी प्रकार का स्पष्टीकरण देने पर रोक है

[हिन्दी]

आप नोटिस दे दीजिए।

...(व्यवधान)

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदया : यशवंत सिन्हा जी, आप काफी वरिष्ठ सदस्य हैं। आप नियम बानते हैं।

...(व्यवधान)

अपराह्न 12.57 बजे

इस समय, श्री शैलेन्द्र कुमार और कुछ अन्य माननीय सदस्य आगे आकर सभा पटल के निकट खड़े हो गए।

अपराह्न 12.58 बजे

पथ विक्रेता (जीविका संरक्षण और पथ विक्रय विनियमन) विधेयक, 2012 ... *जारी*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदया : अब हम मद संख्या 15 पर दोबारा चलते हैं – श्रीमती मीना सिंह।...

...(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्रीमती मीना सिंह (आरा) : मैडम, आपने मुझे पथ विक्रेता (जीविका संरक्षण और पथ विक्रय विनियमन) विधेयक, 2012 पर बोलने की अनुमति प्रदान की, इसके लिए मैं आपके प्रति आभार प्रकट करती हूं।...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदया : आप नोटिस दे दीजिए। हम आपको बुलवा लेंगे।

...(व्यवधान)

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदया : मैं कुछ नहीं कर सकती। मुझे नियमों का पालन करना है और नियम यह कहता है कि वक्तव्य के बाद कोई चर्चा या स्पष्टीकरण प्रश्न नहीं होता है। आप सभी नियमों के बारे में जानते हो और कृपया नियमों का पालन करें। यदि मैं ही सभी नियमों की अवहेलना करूंगी तो सभा की कार्यवाही कैसे चलेगी?

...(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्रीमती मीना सिंह : मैडम, मैं अपनी पार्टी, जनता दल-यू की तरफ से इस बिल के समर्थन में बोलने के लिए खड़ी हुई हूं।...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदया : अगर आपको चर्चा करानी है तो आप नोटिस दे दीजिए। हम चर्चा करा देंगे।

...(व्यवधान)

श्रीमती मीना सिंह : मैडम, इस बिल के समर्थन का कारण है कि मैं और मेरी पार्टी यह महसूस करती है कि इस देश के लाखों फुटपाथ विक्रेताओं एवं फेरी वाले की जिंदगी बेहद नारकीय है।...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदया : आप नोटिस दे दीजिए। हम चर्चा करा देंगे।

...(व्यवधान)

श्रीमती मीना सिंह : वे लोग जिल्लत की जिंदगी जीने को विवश हैं।...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदया : आप सभी लोक सभा के प्रक्रिया और कार्य संचालन नियमों के नियम 372 के बारे में जानते हैं।

...(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्रीमती मीना सिंह : मैडम, हम सभी जानते हैं कि फुटपाथ पर दुकान एवं फेरी का काम वही महिला या पुरुष करता है जो समाज का काफी गरीब व्यक्ति होता है।...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदया : इस तरह से मत कीजिए। जब हम कह रहे हैं कि हम चर्चा करवा देंगे।

...(व्यवधान)

श्रीमती मीना सिंह : अधिकांश: महिलाएं फुटपाथ पर दुकान लगा कर या फेरी का काम कर के अपने परिवार का पेट पालती हैं।... *(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदया : हम नियम-372 का उल्लंघन कैसे करें?

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदया : हम ऐसा नहीं कर सकते हैं।

...(व्यवधान)

श्रीमती मीना सिंह : मैडम, बहुत दु:ख के साथ यह कहना पड़ रहा है कि विभिन्न सरकारी एजेंसियां, चाहे वह नगर निगम हो, नगर पालिका हो, नगर पंचायत हो या फिर स्थानीय पुलिस के लोग हों, इन विक्रेताओं के साथ फुटबाल जैसा व्यवहार करते हैं। जो आता है, वह इन्हें किक लगा कर चला जाता है।...*(व्यवधान)*

अपराह्न 1.00 बजे

अध्यक्ष महोदया : आप नोटिस दीजिए, हम चर्चा करायेंगे।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदया : यह हमारे ऊपर है, हम कह रहे हैं कि हम यहां चर्चा करायेंगे। आप नोटिस दीजिए।

...(व्यवधान)

श्रीमती मीना सिंह : ये लोग अपना और अपने परिवार का पेट पालने के लिए सारी जिल्लत को बर्दाश्त करते रहते हैं।...*(व्यवधान)*

अपराह्न 1.0½ बजे

इस समय, श्री शैलेन्द्र कुमार और कुछ अन्य माननीय सदस्य अपने-अपने स्थान पर वापस चले गए।

श्रीमती मीना सिंह : महोदया, मैं बहुत सारे फुटपाथ विक्रेता और फेरी वालों को जानती हूं।...*(व्यवधान)* जो 10 प्रतिशत से लेकर 25 प्रतिशत मासिक ब्याज की दर पर स्थानीय साहूकारों से ऋण लेकर उस धंधे को करते हैं।...*(व्यवधान)* क्योंकि उनके पास पूंजी का कोई दूसरा जरिया नहीं होता है।...*(व्यवधान)* इतना महंगा ऋण लेकर कोई व्यक्ति फुटपाथ पर दुकान लगाता है...*(व्यवधान)* और उसके बाद नगर निगम, नगर पालिका या पुलिस के लोग वहां पहुंचकर उसके सामान को नाले में फेंक देते हैं।...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदया : सभा अपराह्न 2.00 बजे पुन: समवेत होने के लिए स्थगित होती है।

अपराह्न 1.01 बजे

तत्पश्चात् लोक सभा अपराह्न 2.00 बजे तक के लिए स्थगित हुई।

अपराह्न 2.00 बजे

लोक सभा अपराह्न 2.00 बजे पुन: समवेत हुई।

[**उपाध्यक्ष महोदय** *पीठासीन हुए*]

[हिन्दी]

श्री शैलेन्द्र कुमार (कौशाम्बी) : उपाध्यक्ष महोदय, माननीय रक्षा मंत्री को हाउस में बुलाया जाए।...*(व्यवधान)* माननीय मुलायम सिंह जी उनसे कुछ प्रश्न करेंगे।...*(व्यवधान)*

श्री यशवंत सिन्हा (हज़ारीबाग) : हम लोगों को मौका मिलना चाहिए।...*(व्यवधान)* रक्षा मंत्री कुछ भी बोलते चले जाएंगे यह ठीक नहीं है।...*(व्यवधान)* मैं फॉर्मर विदेश मंत्री रहा हूं। क्या हमें दो मिनट बोलने का मौका नहीं मिलेगा?

श्री कीर्ति आज़ाद (दरभंगा) : उपाध्यक्ष महोदय, सुबह माननीय यशवंत सिन्हा जी ने लिखकर दिया था।...*(व्यवधान)* यहां सरकार जवाब नहीं दे रही थी तो हमने सरकार से मांग की थी कि इसके ऊपर एक स्टेटमैंट दिया जाए। स्टेटमैंट के लिए नोटिस पहले यशवंत जी ने दिया हुआ है। अब वे कुछ सवाल पूछना चाहते हैं।...*(व्यवधान)* यह देश की अस्मिता की बात है।...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री (श्री वी. नारायणसामी) : महोदय, एक मंत्री द्वारा वक्तव्य देने के बाद, हम इस सभा में उसपर तत्काल चर्चा नहीं कर सकते हैं...*(व्यवधान)* परम्परा यह है कि एक मंत्री द्वारा वक्तव्य दिए जाने के बाद वक्तव्य पर कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया जाता है... *(व्यवधान)* इस सभा में यह नियम है...*(व्यवधान)* यह इस सभा की परम्परा है। यदि वे चाहते हैं तो उन्हें सूचना देने दीजिए। माननीय अध्यक्षा जी उसपर विचार करेंगी...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

उपाध्यक्ष महोदय : श्रीमती मीना सिंह।

श्रीमती मीना सिंह (आरा) : उपाध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्यों को शांत कराइए।...*(व्यवधान)* महोदय, भोजनावकाश से पूर्व मैंने इस बिल पर बोलना शुरू किया था।...*(व्यवधान)* आप लोग शांत हो जाइए। मेरी बात तो सुन लीजिए।...*(व्यवधान)* हमें बोलने तो दीजिए। ऐसा नहीं करिये।...*(व्यवधान)*

अपराह्न 2.04 बजे

इस समय श्री शैलेन्द्र कुमार और कुछ अन्य माननीय सदस्य आगे आकर सभा पटल के निकट खड़े हो गए।

...(व्यवधान)

श्री वी. नारायणसामी : आप लोग इस विषय पर नोटिस दीजिए और डिसक्शन मांगिए।...*(व्यवधान)*

अपराह्न 2.05 बजे

तत्पश्चात् लोक सभा अपराह्न 3.00 बजे तक के लिए स्थगित हुई।

अपराह्न 3.00 बजे

लोक सभा अपराह्न 3.00 बजे पुन: समवेत हुई।

[**श्री फ्रांसिस्को कोज्मी सारदीना** *पीठासीन हुए*]

...(व्यवधान)

[अनुवाद]

सभापति महोदय : मैं आपको समय दूंगा। कृपया अपनी सीट पर बैठिए।

...(व्यवधान)

सभापति महोदय : महासचिव महोदय।

अपराह्न 3.01 बजे

राज्य सभा से संदेश और राज्य सभा द्वारा यथापारित विधेयक*

[अनुवाद]

महासचिव महोदय : महोदय, मुझे राज्य सभा के महासचिव से प्राप्त निम्नलिखित संदेशों की सूचना देनी है:–

(एक) "राज्य सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमों के नियम 111 के उपबंधों के अनुसरण में, मुझे राज्य सभा द्वारा 5 सितम्बर, 2013 को हुई अपनी बैठक में भारत के संविधान के अनुच्छेद 368 के उपबंधों के अनुसार पारित संविधान (एक सौ बीसवां संशोधन) विधेयक, 2013 की एक प्रति संलग्न करने का निदेश हुआ है।"

(दो) "राज्य सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमों के नियम 127 के उपबंधों के अनुसरण में, मुझे लोक सभा को यह बताने का निदेश हुआ है कि राज्य सभा 5 सितम्बर, 2013 को हुई अपनी बैठक में लोक सभा द्वारा 27 अगस्त, 2013 को हुई अपनी बैठक में पारित किए गए भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (संशोधन) विधेयक, 2013 से बिना किसी संशोधन के सहमत हुई।"

2. महोदय, मैं राज्य सभा द्वारा 5 सितम्बर, 2013 को यथापारित संविधान (एक सौ बीसवां संशोधन) विधेयक, 2013 सभा पटल पर रखता हूं।

...(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री यशवंत सिन्हा (हज़ारीबाग) : महोदय, रक्षा मंत्री का इस सदन में एक बयान हुआ था। मैंने लिख कर दिया कि मैं उस पर चर्चा चाहता हूं। हम उन से कुछ सवाल पूछना चाहते हैं। सवाल पूछने में जो भी वक्त लगे, मैं सरकार से चाहता हूं कि आज वह हमें आश्वस्त करें कि आज ही इस सदन में रक्षा मंत्री के बयान पर चर्चा होगी। बताइए। आज ही होगी।

श्री मुलायम सिंह यादव (मैनपुरी) : महोदय, उन्होंने जो कहा है, वह सही है। हमने जो कुछ कहा या रक्षा मंत्री ने कहा, अगर इस पर चर्चा हो जाए, चाहे संक्षिप्त चर्चा ही करा दें तो कम से कम कंफ्यूजन तो दूर हो जाएगा। कंफ्यूजन दूर कीजिए। सरकार स्पष्ट बता दे। हम यह नहीं कहते कि हमने जो कहा, वह ही सच है और यशवंत सिन्हा साहब जो कह रहे हैं, वह सच है। आपके सामने क्या सच्चाई है? जहां तक रक्षा मंत्री का बयान है, उसका कोई मतलब ही नहीं है। आप ने पढ़ कर बता दिया। आप खुद अकेले में आकर बता दीजिए, यहां सदन में मत कहिए। क्या देश की रक्षा के बारे में ऐसे बयान दिया जाता है? यह है असली बात। रक्षा मंत्री ने उलझाया है।

शहरी विकास मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्री (श्री कमल नाथ) : महोदय, कल माननीय सदस्य यशवंत सिन्हा जी ने आग्रह किया था कि

*सभा पटल पर रखा गया।

रक्षा मंत्री आ कर बयान दें। किस पर बयान दें? 640 वर्ग किलोमीटर जो भारत की भूमि है, उस पर चीन के कब्ज़े के बारे में। मैंने उस समय स्वीकार किया था कि रक्षा मंत्री आ कर बयान देंगे। आज रक्षा मंत्री जी ने आकर बयान दिया और उन्होंने साफ और स्पष्ट कहा कि जो भारत की कोई 640 वर्ग किलोमीटर भूमि के कब्ज़े की बात है, जिस श्याम शरण जी की रिपोर्ट का जिक्र किया गया था, यह बिल्कुल सत्य नहीं है। श्याम शरण ने भी इसका खंडन किया है।...*(व्यवधान)* उन्होंने जो सही बात थी, बड़े साफ तरीके से, संसद में अपने बयान में कही है। वह बिल्कुल स्पष्ट है। माननीय मुलायम सिंह जी ने अभी इसका जिक्र किया है। अभी भी इसमें अगर कोई भ्रम है, अभी भी इसमें अगर कोई क्लैरिफिकेशन की आवश्यकता है तो आज हाउस का बिजनेस है। जब यह बिजनेस खत्म हो जाता है, रक्षा मंत्री जी राज्य सभा में हैं तो बिजनेस के खत्म हो जाने के बाद और राज्य सभा में उनके स्पष्टीकरण के बाद मैं उन से निवेदन करूंगा कि वे हाउस में आएं और आपके कोई भी प्रश्न हों, उसका जवाब दें।

अपराह्न 3.05 बजे

पथ विक्रेता (जीविका संरक्षण और पथ विक्रय विनियमन) विधेयक, 2012 ... *जारी*

[अनुवाद]

सभापति महोदय : सभा मद संख्या 15 पर विचार करेगी। श्रीमती मीना सिंह।

[हिन्दी]

श्रीमती मीना सिंह (आरा) : सभापति महोदय, भोजनावकाश से पूर्व मैंने इस बिल पर बोलना शुरू किया था, परन्तु व्यवधान के कारण मैं अपनी बात पूरी नहीं कर पाई थी। मैं अपनी पार्टी जनता दल यू की तरफ से इस बिल के समर्थन में बोलने के लिए खड़ी हुई हूं। इस बिल के समर्थन का कारण मैं और मेरी पार्टी यह महसूस करती है कि इस देश के लाखों फुटपाथ विक्रेताओं एवं फेरी वालों की जिन्दगी बेहद नारकीय है। ये लोग जिल्लत की जिन्दगी जीन को विवश हैं। सभी यह जानते हैं कि फुटपाथ पर दुकान एवं फेरी का काम वही महिला या पुरुष करता है, जो समाज काफी गरीब व्यक्ति होता है। अधिकांशत: महिलाएं फुटपाथ पर दुकान लगा कर या फेरी का काम करके अपने परिवार का पेट पालते हैं।

सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से कहना चाहती हूं कि मुझे बहुत दु:ख के साथ कहना पड़ रहा है कि विभिन्न सरकारी एजेंसियां, चाहे वह नगरनिगम, नगरपालिका, नगर पंचायत या फिर स्थानीय पुलिस के लोग हों, इन विक्रेताओं के साथ फुटपाथ जैसा व्यवहार करते हैं। जो आता है, वही इन्हें किक लगा कर चला जाता है। फुटपाथ के विक्रेता या फेरी वाले अपना एवं अपने परिवार का पेट पालने के लिए सारी जिल्लत को बर्दाश्त करते रहते हैं। बहुत सारे फुटपाथ विक्रेता या फेरी वालों को जानती हूं, जो दस प्रतिशत से लेकर 25 प्रतिशत तक मासिक ब्याज पर स्थानीय साहूकारों से ऋण लेकर इस धंधे को करते हैं, क्योंकि उनके पास पूंजी का कोई दूसरा जरिया नहीं होता है।

सभापति महोदय, मैं आपके माध्मय से कहना चाहती हूं कि महंगा ऋण लेकर जब कोई व्यक्ति फुटपाथ पर दुकान लगाता है और उसके बाद नगरनिगम, नगरपालिका या पुलिस वालों के लोग वहां पहुंच करके उनके सामानों को नाली में फेंक देते हैं, उन्हें गालियां देते हैं। ऐसी घटना को देख करके, सुन करके मन पीड़ा से भर जाता है। जिस किसी भी दिन इस प्रकार की घटना ऐसे विक्रेताओं के साथ घटती है, मुझे पूरा यकीन है कि उस दिन उसके घर में चूल्हा नहीं जलता होगा।

सभापति महोदय, मैं उम्मीद करती हूं कि इस बिल के पास होने के बाद इस देश के गरीब, फुटपाथ विक्रेता एवं फेरी वालों की जिन्दगी में खुशहाली आएगी। मैं इसके लिए माननीय मंत्री बहन गिरिजा व्यास जी को बधाई देती हूं। इस बिल के इन विक्रेताओं के साथ शहर में अलग से जगह निर्धारित करने की व्यवस्था की गई है। मेरी मांग है कि फुटपाथ पर विक्रेताओं के लिए ऐसी जगह आरक्षित की जाए, जो जगह मुख्य मार्ग पर हो, क्योंकि मुख्य मार्ग पर इधर जगह नहीं दी जाएगी, तो वहां कोई खरीददारी ही नहीं मेरी दूसरी मांग है कि इन छोटे व्यापारियों के लिए सुलभता से ऋण उपलब्ध कराने की उपलब्धता की जाए, जिससे ये लोग स्थानीय सूदखोरो के हाथ लूटने से बच सकें। मेरी तीसरी मांग है कि जो फुटपाथ विक्रेता सामान बेचने के लिए खड़े हैं, उन सामानों एवं उनकी जीवन बीमा का प्रबंध किया जाए। मेरी अंतिम मांग है कि ऐसी व्यवस्था की जाए, जिससे सरकारी लोगों एवं पुलिस द्वारा इनका शोषण न किया जाए, क्योंकि आज के दिन इनकी आमदनी का चौथा हिस्सा यही लोग वसूल लेते हैं। इन्हीं लोगों द्वारा वसूला जाता है।

सभापति महोदय, मैं अपनी बात इस विश्वास के साथ समाप्त करती हूं कि इस कानून का कठोरता से पालन किया जाएगा। हमारे देश के लाखों फुटपाथ विक्रेताओं एवं फेरी वालों के परिवारों में खुशहाली आएगी।

[अनुवाद]

***श्री एन. पीताम्बर कुरूप** (कोल्लम) : यह विधेयक गरीब पथ विक्रेताओं जो असीम कष्ट उठाते हैं और जिनका पुलिस तथा स्थानीय

---

*भाषण सभा पटल पर रखा गया।

[श्री एन. पीताम्बर कुरूप]

प्राधिकारियों द्वारा उत्पीड़न किया जाता है, की मदद के लिए एक बड़ा कदम है। पथ विक्रेता और फेरीवाले शहरी आबादी का महत्वपूर्ण भाग है। पथ विक्रेता वे होते हैं जिन्हें अपनी कम शिक्षा और कौशल के कारण लाभकारी अनौपाचारिक क्षेत्र में नियमित रोजगार नहीं मिल पाता। वे अपनी जीविका अपने अल्प वित्तीय स्त्रोतों और कठिन परिश्रम के माध्यम से कमाते हैं। बेरोजगारी ग्रामीण क्षेत्रों से शहरी क्षेत्रों में लोगों के प्रवास और पथ विक्रय में लगने का प्रमुख कारण हैं। पथ विक्रय स्वरोजगार का स्त्रोत प्रदान करता है और बड़े सरकारी हस्तक्षेप के बिना ही शहरी गरीबी उन्मूलन के उपाय के तौर पर कार्य करता है। पथ विक्रय बहुसंख्यक शहरी आबादी को सस्ती और सुविधाजनक सेवाएं प्रदान करने के लिए एक साधन के रूप में भी कार्य करता है और इसका शहरी पूर्ति शृंखला में एक महत्वपूर्ण स्थान होता है और यह शहरी क्षेत्रों के भीतर आर्थिक विकास प्रक्रिया का अभिन्न अंग है। राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संगठन के 55वें चक्र (1999-2000) पर आधारित असंगित क्षेत्र में उद्यमों के लिए राष्ट्रीय आयोग की रिपोर्ट के अनुसार शहरी क्षेत्रों में पथ विक्रेताओं की अनुमानित संख्या 17 से 25 लाख के बीच थी। शहरी पथ विक्रेताओं संबंधी राष्ट्रीय नीति, 2009 के अनुसार कई शहरों में पथ विक्रेता आबादी का लगभग 2 प्रतिशत होने का अनुमान है और लगभग हर शहर में इन पथ विक्रेताओं का एक बड़ा भाग महिलाएं हैं। इसलिए, यह आवश्यक हो जाता है कि इन विक्रेताओं को अनुकूल और उत्पीड़न-मुक्त वातावरण में अपनी जीविका कमाने के लिए सक्षम बनाया जाए। विधेयक का उद्देश्य पथ विक्रेताओं को उत्पीड़न के बिना ईमानदारी से जीविकोपार्जन के लिए समर्थ बनाने के लिए एक कानूनी ढांचे के द्वारा सड़क-किनारे रास्तों पर भीड़भाड़ से बचने और सड़कों पर निर्बाध यातायात सुनिश्चित करने के लिए पथ विक्रय क्रियाकलापों के विनियमन हेतु तंत्र प्रदान करना है।

अभी तक 5 राज्यों नामत: झारखंड, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मध्य प्रदेश और राजस्थान ने पथ विक्रेताओं के लिए अपने राज्य विधान अधिनियमित किए हैं।

विधेयक में पथ विक्रय संबंधी कार्य करने की इच्छा रखने वाले व्यक्ति के अनिवार्य पंजीकरण का उपबंध किया गया है। पथ विक्रेताओं को विक्रय का प्रमाण-पत्र और पहचान पत्र जारी किए जाएंगे। उनके कुछ अधिकार और कर्त्तव्य होंगे। एक नगर विक्रय समिति का गठन किया जाएगा जिसमें पथ विक्रेताओं का न्यूनतम चालीस प्रतिशत प्रतिनिधित्व होगा जिसमें से एक तिहाई महिला पथ विक्रेता होंगे और अ.जा./अ.ज.जा./अ.पि.व./ अल्पसंख्यकों तथा नि:शक्त व्यक्तियों का उचित प्रतिनिधित्व होगा। विधेयक में पथ विक्रेताओं की शिकायतों के समाधान और विवादों के निपटारे पर विचार किया गया है। पथ विक्रेताओं को सुरक्षा उपलब्ध कराने के लिए उपाय किए जाएंगे। पथ विक्रेताओं को विक्रय के प्रमाण-पत्र की शर्तों के अनुसार पथ विक्रय करते हुए किसी व्यक्ति या पुलिस या किसी अन्य प्राधिकारी द्वारा अपने विक्रय के अधिकार से नहीं रोका जाएगा।

जहां विधेयक एक स्वागत योग्य कदम है वहीं मैं मंत्री जी के विचारार्थ निम्नलिखित सुझाव देता हूं:-

1. रेलवे भूमि पर और स्टेशनों के बाहर कार्य करने वाले विक्रेताओं के लिए पर्याप्त विनियमन की कमी है और इस विधेयक के उपबंधों से ऐसे विक्रेताओं को बाहर रखने से रेलवे प्राधिकारियों और पुलिस द्वारा उनके उत्पीड़न और शोषण की संभावना रहेगी। इन विक्रेताओं, जो यात्रियों और रेलवे स्टेशनों के निकट रहने वाले लोगों को आवश्यक सुविधाएं प्रदान करते हैं, के हितों की विधेयक के उपबंधों के संबंध में सुरक्षा किए जाने की आवश्यकता है।

2. विक्रेताओं, जो बस स्टैंड, टैक्सी स्टैंड, मेट्रो स्टेशनों के पास और सार्वजनिक तथा निजी परिवहन के भीतर आवश्यक सेवाएं प्रदान करते हैं उनकी भी विधेयक के उपबंधों के संबंध में सुरक्षा की जानी चाहिए।

3. इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि विक्रय की अनुमति मांगने वाले अधिकांश आवेदक साक्षर नहीं हैं, उन्हें जटिल प्रक्रिया से गुजरने के लिए नहीं कहा जाना चाहिए और मतदाता पहचान पत्र/पैन कार्ड/ड्राइविंग लाइसेंस/आधार कार्ड/राशन कार्ड/बिजली बिल/टेलीफोन बिल इत्यादि जैसे आसानी से उपलब्ध किसी एक दस्तावेज की आवश्यकता होनी चाहिए।

4. सभी विद्यमान विक्रेताओं का अवश्य पंजीकरण किया जाना चाहिए। विक्रय के प्रमाण-पत्र के नवीकरण हेतु स्पष्ट समय-सीमा न होने पर स्थानीय निकाय अपनी मर्जी से विक्रय के प्रमाण का नवीकरण कर सकते हैं जिससे पथ विक्रेताओं का उत्पीड़न हो सकता है। अत: विक्रय के प्रमाण-पत्र का प्रत्येक तीन वर्ष में नवीकरण किया जाना चाहिए और विधेयक में इस विषय में उपबंध किया जाना चाहिए।

5. सांविधिक समय-सीमा, जिसमें विवाद निपटान समितियों को अपना निर्णय देना चाहिए, अंतर्विष्ट करने के अलावा क्षेत्रीय शिकायत निवारण प्रणाली गठित करने के लिए एक तंत्र पर विचार किया जाए।

इन्हीं शब्दों के साथ, मैं इस ऐतिहासिक विधेयक का समर्थन करता

हूं जिसका उद्देश्य पथ विक्रेताओं के जीविका अधिकार और सामाजिक सुरक्षा की रक्षा करना है।

[हिन्दी]

***श्री रमाशंकर राजभर** (सलेमपुर) : समाज के अंतिम परिश्रमियों को कठिन परिश्रम कर अपना परिवार पालन वाले लोगों को कानूनी संरक्षण देने वाले पथ विक्रेता जीविका संरक्षण बिल पर मैं विचार व्यक्त करना चाहता हूं:

छेड़ने से मूक भी वाचाल हो जाता है
टूटने से शीशा भी काल हो जाता है
देश के गरीबों को इतना ना सताओ लोगों
जलने से कोयला भी लाल हो जाता है।

काफी प्रयास के बाद इन गरीबों की सुधि ली गयी। इसकी जितनी सराहना की जाए कम है। इसको जमीनी स्तर पर लागू करना बड़ी चुनौती है। इस पर तो प्रदेशों द्वारा ही प्रभावी कदम उठाना चाहिए था, परंतु चूक हुई। प्रजातंत्र में बड़ी दुस्वारी है कि जो न बोले उसकी आवाज दबी रह जाती है। अब मैं बिल पर आता हूं। बिल में प्राकृतिक बाजार की परिभाषा करनी होगी यह ठीक है। 50 वर्ष से कार्यरत व्यक्ति के साथ आवेदित दिन तक पात्र श्रेणी खुली है, पात्र होगा परंतु केवल नगर, शहर ही कार्य क्षेत्र माना गया है। जबकि ब्लॉक मुख्यालयों पर ढेला इत्यादि लगाने वाले, ग्रामीण चौराहों पर ठेला, खोमचा, चौकी आदि लगाकर जीवन यापन करने वालों को छोड़ा जा रहा है जो ठीक नहीं है। अब आप ही बताएं ग्रामीण चौराहे पर गुमटी व्यवसाइयों, चौराहे के बगल में जमीन पर मछली बेचने वालों, एक लाठी गाड़कर मीट बेचने वालों, चौकी पर बैठकर मुर्गी बेचने वालों, इंडिया गेट, लाला किला, पार्क, हाट व अस्थाई मेला, भीड़ के स्थान पर भुट्टा भूनकर बेचने वाले बच्चे, महिलाओं को छोड़ना उचित नहीं है। 4 वर्ष से ऊपर व्यक्ति ही पात्र होगा, इसमें भी खामी है क्योंकि आप इंडिया गेट पर ही 20 से 60 वर्ष की मां मक्का भूनती है। 8 से 10 वर्ष की बच्ची व बच्चा उसका सहयोग करते हैं। पुलिस वाले को देखते हैं तो कड़ाही व मक्के को लेकर भागते हैं उनके लिए क्या प्रावधान करना उचित नहीं है।

पूरे देश के 2.5 प्रतिशत गरीबों को इंतजाम करते समय जम्मू और कश्मीर को छोड़ा जा रहा है। क्या जम्मू और कश्मीर में गरीब नहीं हैं। जबकि पहाड़ियों में काफी गरीब पहाड़ी खाद्यों के साथ रोड के किनारे मिलते ही है। बिल में रेलवे भूमि में इनको जाने की मनाही होगी जबकि देश के प्रत्येक रेलवे स्टेशन के बाहर होते ही यह उपलब्ध है।

एक बड़ी समस्या यह है कि इनके रजिस्ट्रेशन हेतु संबंधित संस्थाओं को अलग से इनके लिए काउंटर खोलने का जिक्र नहीं है। इनको रजिस्ट्रेशन में काफी झेलना पड़ेगा। आम तौर पर ऐसे व्यवसाइयों को कानून की पेचीदगी मालूम नहीं होगी। इसलिए इनको 6 माही कार्यशाला/प्रशिक्षण दिया जाए, तुम्हें कैसे कार्य करना है और कैसे कानून संरक्षण प्राप्त है। विवाद समाधान तंत्र में इनका एक प्रतिनिधि भी शामिल हो। पथ विक्रय योजना के 5 वर्षीय समीक्षा में अधिकांश शहरी पथ विक्रेता के साथ ग्रामीण पथ विक्रेता भी शामिल किए जाए। नगर विक्रय समिति परिलक्षित किया जाए। पथ विक्रेताओं के कार्यों में पुलिस हस्तक्षेप बंद किया जाए। इनके संगठन को प्रभावी व कानूनी अधिकार दिया जाए, इनकी संख्या को प्रतिबंधित न किया जाए।

पथ विक्रेता पूरे दिन खड़ा रहकर अपने परिवार का भरण-पोषण कर देश को एक बड़ी समस्या से निजात दिला रहे हैं। इसलिए इनको जीवन बीमा, स्वास्थ्य सुविधा, बच्चों को पढ़ाने एवं शहरी विकास योजनाओं में इनको वरीयता देनी होगी, इनको कानूनी संरक्षण जितना आवश्यक है उतना ही आवश्यक है। इनको विकास योजनाओं में वरीयता देना, बुरे व्यसनों से मुक्ति कार्यक्रम इनके बीच चलाना होगा। आज जो बिल पास हो रहा है वह निश्चित तौर पर पथ विक्रेताओं के पक्ष में है। यह कारण बन जाने से अब कोई भी इन्हें न तो जब चाहे तब उजाड़ देगा और न ही सामान फेंक पाएगा और न ही पंजीकृत पथ विक्रेताओं से अवैध वसूली हो पाएगी। सही मायने में देश के करोड़ों सभी तरह के पटरी व्यवसायी इस कानून के बन जाने से खुले में सांस लेंगे।

[अनुवाद]

***श्रीमती पूनम वेलजीभाई जाट** (कच्छ) : पथ विक्रेता संबंधी विधेयक भारत के गरीब लोगों के कल्याण के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण और लम्बे समय से प्रतीक्षित विधेयक है। परन्तु मैं मंत्री जी का ध्यान इस बात की ओर आकृष्ट करना चाहूंगी कि इस विधेयक से गरीब पथ विक्रेताओं को सहायता मिलनी चाहिए न कि पहले से ही भ्रष्टाचार और महंगाई की मार झेल रहे गरीब पथ विक्रेताओं को परेशान करने हेतु यह पुलिस के लिए एक हथियार बने। उन्हें आसानी से लाइसेंस मिलना चाहिए और उन्हें स्थानीय अधिकारियों द्वारा इसके लिए परेशान नहीं किया जाना चाहिए। इस विधेयक से पथ विक्रेताओं के कल्याण को बढ़ावा मिलना चाहिए और उन्हें कम ब्याज दर पर ऋण दिया जाना चाहिए। पथ विक्रेताओं की मृत्यु पर उनके परिवार के सदस्यों को एक निश्चित धनराशि भी दी जानी चाहिए क्योंकि उनकी सड़क पर ही मृत्यु हो जाती हे और यहां तक कि उनका सही प्रकार से अंतिम संस्कार भी नहीं हो पाता है। सरकार को

*भाषण सभा पटल पर रखा गया।

*भाषण सभा पटल पर रखा गया।

[श्रीमती पूनम वेलजीभाई जाट]

पथ विक्रेताओं जोकि पिछड़े समुदायों, अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अल्पसंख्यकों से संबंधित हैं, के कल्याण के लिए इस विधेयक का ईमानदारी से कार्यान्वयन करना चाहिये। सम्पूर्ण देश केन्द्र सरकार की ओर देख रहा है क्योंकि प्रत्यक्ष विदेशी निवेश करने के बाद सरकार ने पथ विक्रेताओं और उनके कल्याण के बारे में सोचा, परन्तु दोनों परस्पर विरोधी हैं। मैं मुंबई जैसे शहरों में रह चुकी हूं जहां पथ विक्रेताओं को स्थानीय अधिकारियों और पुलिस द्वारा मिलकर परेशान किया जाता है। इसलिए, मुझे उम्मीद है कि यह विधेयक पथ विक्रेताओं के जीवन में एक बदलाव लायेगा।

***श्रीमती बोचा झांसी लक्ष्मी** (विजयनगरम) : पथ विक्रेता (जीविका संरक्षण और पथ विक्रय विनियमन) विधेयक, 2012 एक महत्वपूर्ण विधेयक है। इस विधेयक का उद्देश्य पथ विक्रेताओं के जीविका के अधिकार की रक्षा करना और विक्रय क्षेत्रों के सीमांकन, पथ विक्रय के लिए शर्तें और निर्बंधनों के माध्यम से पथ विक्रय का विनियमन सुनिश्चित करना है।

हम सभी इस बात से अवगत हैं कि पथ विक्रेताओं का जीवन खुशहाल नहीं है। वे दयनीय जीवन जीते हैं। कुछ बहुत अच्छे दिन होते हैं; कुछ दिन उतने अच्छे नहीं होते हैं; और यहां तक कि कुछ दिन बहुत बुरे होते हैं। यह सीज़न पर निर्भर करता है। उनकी आय कम या ज्यादा होती रहती है; सड़क पर बेचने से उनकी निश्चित आय की उम्मीद कभी नहीं की जा सकती है। इस पर निर्भर नहीं रहा जा सकता है। दु:खद बात यह है कि यद्यपि वे लोगों की सामान्य और वास्तविक आवश्यकताओं का ध्यान रखते हैं, जो बाजार जाते हैं या जपनी जरूरत की चीजें खरीदने के लिए सड़क पर जाते हैं, परन्तु पथ विक्रेताओं को जवीन यापन करने हेतु कोई स्थान नहीं मिलता है। छोटे दुकानों का जीवन इस अर्थ में सार्थक नहीं है कि वे दिन के अंत में निराश होकर वापस लौटते हैं और जब वे सोने जाते हैं तो अगले दिन की कोई आशा की किरण नहीं दिखायी देती है।

संक्षेप में, पथ विक्रेताओं की यही स्थिति है। वास्तव में, अपने छोटे कार्य को जारी रखने के लिए उनके पास कोई स्थान नहीं है। उन्हें पुलिस या नगरनिगम के अधिकारियों की दया पर निर्भर रहना पड़ता है। प्राय: उन्हें इन अधिकारियों द्वारा लूट लिया जाता है और उनके तथाकथित लाभ को अधिकारियों द्वारा छीन लिया जाात है। इस प्रकार की दु:खद स्थिति इन पथ विक्रेताओं की है।

उपर्युक्त सभी कारकों पर विचार करते हुए और अधिकांशत: जिसका मैंने यहां उल्लेख नहीं किया है, हमारी संप्रग-दो सरकार, इस निष्कर्ष पर पहुंची है और प्राथमिक रूप से पथ विक्रेताओं को एक संतोषजनक आजीविका और जीवन प्रदान करने के लिए उनके कार्य को सरल बनाने के लिए इस महत्वपूर्ण विधेयक को लेकर आई है। मुझे उम्मीद है कि माननीय सदस्यगण विभिन्न दलगत भावनाओं से ऊपर उठकर इस महत्वपूर्ण विधेयक को लाने में सरकार के प्रयास की सराहना करेंगे। उपस्थित सभी सदस्य इस विधेयक को पारित कराने में अपना सहयोग देंगे।

यदि यह विधेयक एक अधिनियम या नियम बने तो मुझे अत्यंत खुशी होगी जिससे आये दिन होने वाले पथ विक्रेताओं के उत्पीड़न पर रोक लगेगी। मैं इतने महत्वपूर्ण सामाजिक विधान को लाने में हुई देरी के बारे में विस्तार में नहीं आना चाहता। देर आए दुरुस्त आए।

इससे निसन्देह देश के पथ विक्रेताओं की बड़ी जनसंख्या को सामाजिक सुरक्षा प्राप्त होगी। इस महत्वपूर्ण विधेयक के पारित होने के साथ ही उनसे उनकी आजीविका को सुनिश्चित किया जा सकेगा और उनके जवीन में संतुलन आ जायेगा।

मैंने असंगठित क्षेत्र उद्यम संबंधी राष्ट्रीय आयोग के एक प्रतिवेदन को पढ़ा है जिसमें पथ विक्रेताओं, विशेषत: शहरों में पथ विक्रेताओं की संख्या 17 से 25 लाख के बीच बतायी गई है। यह सन् 1999-2000 का आंकड़ा है। उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण के 20 वर्ष पूर्ण होने के साथ और सभी क्षेत्रों में भारी विकास होने के साथ यह संख्या कई गुना हो गयी होगी।

उस अर्थ में, यह विधेयक बिल्कुल सही समय पर आया है। इसीलिए, मैं पथ विक्रेता (आजीविका संरक्षण और पथ विक्रय विनियमन) विधेयक, 2012 का समर्थन करती हूं।

***श्री जे.एम. आरुन रशीद** (थेनी) : मैं बहु-प्रतीक्षित (पथ विक्रेता जीविका संरक्षण और पथ विक्रेता विनियमन) विधेयक, 2012 का पूर्ण हृदय से समर्थन करता हूं जिसे इस सम्मानित सभा में पारित किया जाना है। देश के लाखों गरीब पथ विक्रेताओं के आंसुओं को पोंछने का महान सपना अब पूरा हो रहा है। इस अवसर पर, इस सम्मानित सभा में इस महत्वपूर्ण विधेयक को लाने के लिए मैं हमारी नेता श्रीमती सोनिया गांधी जी को धन्यवाद देना चाहता हूं।

यदि यह विधेयक अधिनियमित हो जाता है, तो इससे 10 मिलियन लोगों का जीवन बेहतर होगा। एक सर्वेक्षण रिपोर्ट के अनुसार यह भारत में पथ विक्रेताओं की संख्या है। सर्वेक्षण रिपोर्ट दर्शाती है कि मुंबई में सर्वाधिक 2,50,000, दिल्ली में 2,00,000, कोलकाता में 1,50,000 से अधिक और अहमदाबाद में 1,00,000 पथ विक्रेता हैं।

*भाषण सभा पटल पर रखा गया।

*भाषण सभा पटल पर रखा गया।

कठिन परिश्रम और नाममात्र की आम की जिंदगी के बोझ से दबे हुए ज्यादातर पथ विक्रेता अपने मूल क्षेत्र की निर्धनता के कारण विस्थापित हुए प्रवासी हैं। अपने गांवों की गरीबी के कारण वहां से आये पथ विक्रेताओं ने शहरों की झुग्गियों में अपने घर बनाए हैं और फुटपाथों पर सामान बेचकर अपनी आजीविका कमा रहे हैं। ये पुलिस और निगम अधिकारियों द्वारा उत्पीड़न और जबरन वसूली के आसान शिकार बनते हैं, जिस जगह पर वे वर्षों से अपना सामान बेच रहे हैं उस जगह से उन्हें बिना किसी पूर्व सूचना के हटा दिया जाता है। ये अक्सर महत्वाकांक्षी नगर नियोजकों की आंख का काँटा बनते हैं विशेषकर तब जब शहरों को विश्वस्तरीय शहरों में बदला जाता है।

पथ विक्रेताओं की शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार की स्थितियों में सुधार के लिए सतत् और लगातार प्रयास किये जाने की आवश्यकता है। इन पथ विक्रेताओं को संरक्षण तरीकों में समुचित प्रशिक्षण दिया जाना चाहिए। और उनके बिना बिके समान को संरक्षित रखने के लिए उन्हें एक सार्वजनिक शीत भंडारण गृह उपलब्ध कराया जा सकता है।

भीड़-भाड़ वाले क्षेत्रों में असुविधा से बचने के लिए, पथ विक्रय हेतु विशेष रूप से अलग से एक बाजार स्थल आवंटित किया जाना चाहिए जहां पथ विक्रेता अपना सामान बेच सकते हैं। पथ विक्रेताओं को पुलिस, निगम अधिकारियों और स्थानीय प्रभावों संबंधी उत्पीड़न से बचाने के लिए शहर के पुलिस आयुक्त के नेतृत्व में एक सतर्कता दल का गठन किया जाना चाहिए।

मैं एक सुझाव देना चाहता हूं कि यह विधेयक रेलवे विक्रेताओं पर भी लागू होना चाहिए। जो लोग सामान्य डिब्बों में यात्रा करते हैं उनमें से ज्यादातर लोग गरीब यात्री होते हैं तो महंगे खाद्य सामान नहीं खरीद सकते, वे इन विक्रेताओं से कम कीमत पर खाद्य सामग्री खरीद सकते हैं। रेल विभाग इन विक्रेताओं को केवल सीलबंद सामान बेचने की अनुमति दे क्योंकि यह स्वास्थ्य से संबंधित है।

मैं रेलवे विक्रेता यात्रियों और पुलिस के बीच संदेश वाहक और मध्य कड़ी बन सकते हैं क्योंकि ये विक्रेता डकैतों, जेबकतरों, सेंधमारों और आरजकतत्वों जैसे असामाजिक तत्वों की गतिविधियां पहचान सकते हैं। रेल विभाग को इन्हें समुचित पहचान पत्र और रेलवे पास देने चाहिएं ताकि आरपीएफ इनके साथ दुर्व्यवहार न करे सके।

मैं, हमारी प्रिय नेता श्रीमती सोनिया गांधी जी का बहुत आभारी हूं और उन्हें धन्यवाद देता हूं क्योंकि वह अकाल और भूख से होने वाली मौतों को रोकने के लिए गरीब ग्रामीणों के लिए नरेगा लाईं और सरकारी काम-काज में पारदर्शिता लाने तथा भ्रष्टाचार को मिटाने के लिए आम आदमी को समर्थ बनाने के लिए वह आरटीआई लाईं। अभी हाल ही में, हमारी प्रिय नेता श्रीमती सोनिया गांधी जी अपने सर्वोत्तम प्रयासों से गरीब लोगों के लिए एक महत्वपूर्ण विधेयक खाद्य सुरक्षा विधेयक लाई हैं ताकि कोई भी बिना भोजन के न रहे और अब गरीब पथ विक्रेताओं के अधिकारों की रक्षा करने के लिए वह पथ विक्रेता अधिनियम ला रही है।

मैं, एक बार फिर आम लोगों और यहां तक कि पथ विक्रेताओं की सुविधा के लिए ऐसा महत्वपूर्ण विधान लाने के लिए हमारी प्रिय नेता श्रीमती सोनिया गांधी जी, हमारे युवा नेता श्री राहुल गांधी जी और हमारे प्रधानमंत्री डॉ. मनमोहन सिंह जी का आभारी हूं। केवल हमारी संप्रग अध्यक्ष सोनिया जी गरीब पथ विक्रेताओं का दर्द समझती हैं। विपक्ष को समझना चाहिये कि इस देश का असली नेता कौन है। साथ ही, इस देश के लोगों को आम गरीब लोगों/निर्धन/अक्षम लोगों को जानना चाहिए। हर कोई हमारी नेता सोनिया जी को चाहता है जो इस देश के गरीबों और दलितों का दर्द समझती है। इन्हीं शब्दों के साथ, मैं इस विधेयक का स्वागत करता हूं।

[हिन्दी]

***डॉ. किरीट प्रेमजीभाई सोलंकी** (अहमदाबाद पश्चिम) : महोदय, मैं इस बिल का स्वागत करता हूं। मगर मैं इस बाबत पर अपना दुःख व्यक्त करता हूं कि गरीब, दलित और किसानों के छोटे-छोटे रोजगार सृजन की बात एनडीए की सरकार ने बहुत पहले की थी, वह बड़े देर से आया है। फिर भी देर आए, दुरस्त आए। मैं उसका स्वागत करता हूं।

मैं अहमदाबाद क्षेत्र से प्रतिनिधित्व करता हूं। मैं सदन को बताना चाहता हूं कि अहमदाबाद में साबरमती नदी के तट पर कई सालों से स्ट्रीट वेंडरों के लिए हर रविवार के दिन एक बाजार भरती है। उसे 'गुजरी बाजार' नाम से जाना जाता है। वहां छोटे-छोटे वेंडर्स अपनी छोटी सी दुकान अलग-अलग प्रकार की चीजें बेचते हैं। वह चीजें बहुत सस्ते दामों पर बेची जाती है और वहां से पूरे घर का सामान, जीवन जरूरी चीजें एवं पुस्तकें मिल सकती हैं और बहुत ही किफायती दामों पर बेची जाती है। वहां से पुरानी चीजें रेडियो, ग्रामोफोन आदि सब कुछ प्राप्त होता है। यह व्यवस्था लोगों की ओर से बनी है। उसे महानगरपालिका का समर्थन प्राप्त होता है।

मैं उन गरीबों के लिए भी जरूरी व्यवस्था उपलब्ध कराने की मांग करता हूं। उन्हें पुलिस एवं अधिकारियों की ओर से किसी भी प्रकार की मुश्किलें एवं असुविधाएं न हो, उनका ध्यान रखना चाहिए। उन लोगों को खासकर खाद्य वस्तुएं बेचने वाले को सिर्फ हाइजीन के नाम पर दंडित न किया जाए, उसका ध्यान रखना होगा।

---

*भाषण सभा पटल पर रखा गया।

[डॉ. किरीट प्रेमजीभाई सोलंकी]

उनके स्वास्थ्य इंश्योरेंस, उनके रिहेबीलिटेशन, बच्चों की पढ़ाई, सोशल सिक्युरिटी एवं घर उपलब्ध कराने की मांग करता हूं।

मेरा क्षेत्र अहमदाबाद, पहले मांचेस्टर ऑफ इंडिया से जाना जाता था। वहां टैक्सटाइल मिलें चलती थीं। मगर पिछले कुछ सालों से मिलें बंद होते हुए कई लोग बेरोजगार हुए हैं। इस नई पॉलिसी में ऐसे बेरोजगारों को समाविष्ट करना चाहिए।

***श्रीमती जयश्रीबेन पटेल** (महेसाणा) : वाजपेयी सरकार 2004 में स्ट्रीट वेंडर पॉलिसी लायी थी। लेकिन पास नहीं हो पायी। हमारे देश में ज्यादातार लोग गांव में बसते हैं। लेकिन वहां रोजगार की कमियों के कारण किसानों को और अन्य लोगों को शहरों की ओर पलायन करना पड़ता है। मुम्बई, दिल्ली, कोलकाता तथा चेन्नई जैसे शहरों में रेड़ी-पटरी लगानी पड़ती है। वहां पर चाय, नमकीन रेडिमेड पकड़ों की दुकान लगाकर रोजगार करना पड़ता है।

मुंबई में कहावत है कि वहां रोटला मिलता है लेकिन ओटला (मकान) नहीं मिलता।

इस बिल के तहत मेरे कुछ सुझाव इस प्रकार हैं:–

1. एफडीआई में रीटेल सेक्टर को बाहर रखा जाए।
2. लाइसेंस राज और इंस्पेक्टर राज खत्म किया जाए लेकिन स्ट्रीट वेंडरों को एक स्पेशियल जोन दिया जाए और आई कार्ड दिया जाए।
3. असंगठित मजदूर सुरक्षा योजना बनाई जाए।
4. उनके खुराक और स्वास्थ्य की चिंता की जाए।
5. फुटपाथ विक्रेताओं के लिए मकान आवास की योजना नाईट शेड या शैल्टर हाउस बनाया जाए।
6. उनकी मृत्यु पर 5 लाख की बीमा स्कीम लागू की जाए।
7. उनकी मृत्यु पर उनकी लाश को घर तक पहुंचाने का प्रावधान किया जाए।
8. परिवार की बेकारी, बेरोजगारी का ध्यान रखा जाए।
9. भारतीय संविधान के कॉलम 14 में समानता की जो बात कही गई है उनके तहत वह भी भारत माता की संतान हैं। उनके सुरक्षा और स्वास्थ्य का ध्यान रखा जाए क्योंकि वह भी एक प्रकार से जनता की सेवा ही करते हैं।

[अनुवाद]

सभापति महोदय : माननीय मंत्री, कमल नाथ जी।

...(व्यवधान)

शहरी विकास मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्री (श्री कमल नाथ) : सभापति महोदय, मैं माननीय सदस्यों से एक अनुरोध करना चाहता हूं। हमने कहा था कि आज हम कुछ कार्य पारित कराने जा रहे हैं। इसे शीघ्रतापूर्वक पारित करने के लिए, मैं सभी माननीय सदस्यों से अनुरोध करता हूं कि या तो वे किसी वक्ता का नाम न दें – यह मात्र एक अनुरोध है – अथवा यदि वे वक्ता का नाम देते हैं तो एक वक्ता मात्र दो मिनट के लिए ही बोलें। ये ऐसे विधेयक हैं जो अपने आप में महत्वपूर्ण हैं। ये सामाजिक विधेयक हैं। इसलिए, मैंने यह अनुरोध किया है, क्योंकि रक्षा मंत्री को भी आना है। मेरे यह मानने और हमारी सरकार के यह मानने कि राज्य सभी में अपने स्पष्टीकरण के पश्चात् रक्षा मंत्री यहां आयेंगे और इस कार्य के पारित होने के आलोक में, मेरा सदस्यों से अनुरोध है कि या तो वक्ताओं का नाम न दें अथवा मात्र दो मिनट के लिए बोलने वाले वक्ताओं का नाम दें।*...(व्यवधान)*

सभापति महोदय : माननीय सदस्य बोल रहे हैं।

...(व्यवधान)

डॉ. तम्बिदुरई (करुर) : महोदय, मैं यह कहना चाहता हूं कि... *(व्यवधान)* महोदय, एक मिनट रुकें। मंत्री जी ने कहा कि सदस्यों के अनुरोध पर रक्षा मंत्री आने वाले हैं। यदि उस शर्त पर, जैसा वह कह रहे हैं, हमें पारित किए जाने वाले विधेयकों को स्वीकार करना होगा, तो हम उसे स्वीकार नहीं कर सकते। वह शर्त नहीं रख सकते। क्योंकि हमें विधेयक पर चर्चा के लिए पर्याप्त समय चाहिए, इसलिए आपको हमारे सदस्यों को बोलने की अनुमति देनी चाहिए। उस शर्त को हम नहीं मान सकते।

सभापति महोदय : यह एक अनुरोध है, शर्त नहीं।

...(व्यवधान)

सभापति महोदय : ठीक है, कृपया अब समय नष्ट मत कीजिए।

...(व्यवधान)

सभापति महोदय : मैं समय दे रहा हूं; श्री सी. राजेन्द्रन। मैं आपको मात्र दो मिनट दूंगा।

...(व्यवधान)

*भाषण सभा पटल पर रखा गया।

सभापति महोदय : अपनी बारी आने दीजिए। कृपया अभी बैठ जाइये। जब आपकी बारी आयेगी, तो मैं आपको समय दूंगा।

...(व्यवधान)

श्री सी. राजेन्द्रन (चेन्नई दक्षिण) : धन्यवाद, सभापति महोदय, मैं, पथ विक्रेता (जीविका संरक्षण और पक्ष विक्रय विनियमन) विधेयक पर बोलने के लिए खड़ा हुआ हूं।

श्री टी.आर. बालू (श्रीपेरम्बदूर) : महोदय, कृपया मुझे बोलने की अनुमति दें...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय : ठीक है, किन्तु द्रमुक के बाद।

श्री टी.आर. बालू : आप उन्हें पहले बोलने की अनुमति कैसे दे सकते हैं? ये कैसे संभव है?...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय : मैं आपको बोलने के लिए बुलाऊंगा।

...(व्यवधान)

श्री टी.आर बालू : द्रमुक के बाद अन्नाद्रमुक की बारी आएगी। आप नियमों का उल्लंघन क्यों कर रहे हैं?...*(व्यवधान)*

श्री सी. राजेन्द्रन : पथ विक्रेता शहरी जनसंख्या का एक बहुत महत्वपूर्ण और मुख्य हिस्सा हैं। लोग अपने शिक्षा और कौशल के कम स्तर के कारण पथ विक्रय को एक व्यवसाय के रूप में चुनते हैं। पथ विक्रय स्व-रोजगार का एक स्रोत है और सरकारी सहायता और मदद के बिना वे इस माध्यम से अपनी गरीबी दूर करते हैं। अत: उनकी सहायता किए जाने की जरूरत है और इसे इस प्रकार से विनियमित किया जाए कि उनकी आजीविका में किसी प्रकार की बाधा न आए।

सरकार द्वारा इस विधेयक को पारित करने से पहले कई मुद्दों पर विचार किया जाना चाहिए। इस समय पथ विक्रय को निगम के कानूनों द्वारा विनियमित किया जाता है जिन्हें राज्य विधानमंडल बनाते हैं... *(व्यवधान)*

सभापति महोदय : माननीय सदस्यगण, कृपया शांति बनाए रखें।

...(व्यवधान)

श्री सी. राजेन्द्रन : जब निगम के जोन बनाने की बात आती है तो यह विषय राज्य सूची का है। वर्ष 2006 और 2009 में भी मंत्री जी ने लोक सभा में एक प्रश्न के उत्तर में यह कहा था कि 'पथ विक्रय' राज्य का एक विषय है। अत: मैं समझता हूं कि यह बेहतर होगा कि ऐसे कानून बनाने का काम राज्य सरकारों पर छोड़ दिया जाए।

दूसरे, सरकार ने यह कहा है कि इस विधेयक को रेलवे भूमि, रेलवे परिसर और ट्रेनों में लागू नहीं किया जाएगा। भारत में, रेलवे अधिकारियों और कर्मचारियों के लिए अनन्य क्षेत्र हैं। ऐसे क्षेत्रों में पथ विक्रेताओं का क्या होगा? यदि वे ऐसे क्षेत्रों में विक्रय करेंगे तो क्या उन्हें कानून का उल्लंघन करने वाला माना जाएगा और उन्हें दंड दिया जाएगा? अत: इस संबंध में इस विधेयक में संशोधन करना जरूरी है। इस विषय की जांच करने वाले संसदीय स्थायी समिति ने यह सिफारिश की है कि इस विधेयक को रेलवे भूमि पर भी लागू किया जाए किन्तु सरकार ने इसे स्वीकार नहीं किया है।

विधेयक यह कहता है कि राज्य सरकारें पथ विक्रेताओं को विक्रय प्रमाण-पत्र जारी करे किन्तु इस वे कानून विनिर्दिष्ट नहीं हैं जिनका राज्यों को पालन करना है। ऐसे कानूनों की अनुपस्थिति में, इस विधेयक को जिस प्रयोजन हेतु बनाया जा रहा है वह प्रयोजन निष्फल हो जाएगा।

विधेयक यह कहता है कि इस अधिनियम के उपबंधों का उल्लंघन करने के मामले में, विक्रेताओं पर अधिकतम 2000/- रु. का अर्थ दंड लगाया जाएगा। यद्यपि विधेयक में कोई न्यूनतम अर्थ दंड निर्दिष्ट नहीं हैं। तथापि सुझाया गया अधिकतम अर्थ दंड पथ विक्रेताओं के लिए काफी अधिक है। विधेयक को पुन: बनाये जाने की आवश्यकता है ताकि यह बताया जा सके कि पहले तीन उल्लंघन पर तर्क संगत जुर्माना लगाया जाएगा और इसके बाद अधिकतम 2000/- रु. का जुर्माना लगेगा। इसकी अनुपस्थिति में, न्यायनिर्णयन प्राधिकारी पहले उल्लंघन के लिए भी 2000/- रु. का जुर्माना लगाने के लिए स्वतंत्र है और यदि ऐसा होता है तो गरीब पथ विक्रेता एक विनियम स्थिति में होंगे। सरकार को इस संबंध में इस उपबंध को बदलने और उसमें संशोधन करने की जरूरत है।

विधेयक में यह अपेक्षित है कि स्थानीय प्राधिकरण आयोजना प्राधिकरण के साथ मिलकर पथ विक्रेता आयोजना बनाएंगे। यद्यपि विक्रय प्रमाण-पत्र जारी करने की प्रक्रिया में टाउन विक्रय समिति को शामिल करना होगा, पथ विक्रय योजना बनाने के लिए विधेयक में टाउन विक्रय समिति से सलाह लेने की जरूरत नहीं है। टाउन विक्रय समिति से सलाह के अभाव में पथ विक्रय आयोजना बनाने और बाद में उत्पन्न होने वाले विवादों के समाधान में विवाद उत्पन्न होगा। अत: इस संबंध में भी एक संशोधन किए जाने की जरूरत है।

इन टिप्पणियों के साथ यह आशा करते हुए कि माननीय मंत्री जी इन पर विचार करेंगे और उपयुक्त संशोधन लाएंगे। मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

[हिन्दी]

श्री दारा सिंह चौहान (घोसी) : महोदय, मैं आपको धन्यवाद देता हूं कि आपने मुझे बोलने का समय दिया। आज जो पथ विक्रेता (जीविका संरक्षण और पथ विक्रय विनियमन) विधेयक, 2012 आया है, मैं माननीया मंत्री श्रीमती गिरिजा ब्यास जी को बधाई दूंगा कि देर आये, दुरुस्त आये, कम से कम इतने महत्वपूर्ण बिल को इतनी देर में, चाहे इसका कारण चुनाव ही क्यों न हो, अगर आप इसे लाये हैं तो हम इसके बारे में चर्चा जरूर करना चाहेंगे क्योंकि यह गरीबों का मामला है।

महोदय, अगर इस देश में गरीबों की वास्तविक तस्वीर को देखना हो, अगर उनके बारे में जानना हो तो देश के जो कुछ प्रमुख महानगर हैं, चाहे दिल्ली हो, कोलकाता हो, बम्बई हो, अहमदाबाद हो, अन्य कोई भी हो, ऐसी जगह जाने पर हमें इस देश की गरीबी की सच्चाई दिखने लगती है, इसे बताने की जरूरत नहीं है।

महोदय, यह बिल ठेला-खोमचे पर मूंगफली बेचने वाले, भूजा बेचने वाले, पानी-पूड़ी बेचने वाले, खिलौने बेचने वाले, छोटे-छोटे बच्चों के नये-पुराने कपड़े बेचने वालों के लिए है। ये आपको ठेले पर सामान लेकर चलते हुए गलियों में मिल जायेंगे। महानगरों के अलावा छोटे-छोटे शहरों में भी, देश और प्रदेश में हर जगह पर ये मिलते हैं और उनकी जो हालत है, यह किसी से छिपी हुई नहीं है। वे कौन लोग हैं? वे गरीब लोग हैं, बेबस हैं, लाचार हैं, भूमिहीन हैं, जिनके पास न खेती है, न रहने के लिए मकान है, वे उसी ठेले के आधार पर अपने जीवन की गाड़ी चलाने के लिए मजबूर हैं।

महोदय, आप जानते हैं कि गरीब, जिनके पास पैसा नहीं है, उन लोगों को किसी तरीके से बैंक से लोन भी नहीं मिलता है।...*(व्यवधान)* सभापति महोदय, हाउस को ऑर्डर में कीजिए।

[अनुवाद]

सभापति महोदय : माननीय सदस्यगण, कृपया सभा में व्यवस्था बनाए रखें।

...(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री दारा सिंह चौहान : सभापति जी, उनके पास पैसा भी नहीं है, उन्हें बैंक से लोन भी नहीं मिल सकता है, चूंकि बैंक से ऋण लेने की कंडीशन है। वे सूदखोरों के दरवाजे पर जाने को मजबूर हैं और आप जानते हैं कि जो सूदखोर बड़े-बड़े लोग हैं, जो सूद पर पैसा ठेले पर सामान बेचने के लिए देते हैं, वे उनसे ब्याज ही नहीं बल्कि चक्रवृद्धि ब्याज से भी कई गुना ज्यादा ब्याज लेते हैं। जो बेचारे 12-14 घंटे धूप और बरसात में अपने सामान को लेकर घूमता है उसकी आधी कमाई सूदखोर की झोली में चली जाती है।

आप जानते हैं कि उनके हालात क्या हैं? आप दिल्ली के करोलबाग, लाजपत नगर, सरोजनी नगर में चले जाइए, किसी भी मार्केट में आप जाएंगे तो आपको अचानक पता चलेगा कि सड़क के किनारे जो सामान बेचने वाले छोटे-छोटे दुकानदार हैं, अपने सामान को ले कर भाग रहे हैं। उनसे पूछने पर पता चलता है कि इंस्पेक्टर आ रहा है। जो सबसे बड़ा खतरा फूटपाथ पर सामान बेचने वाले लोगों का है, मैं अपने संसदीय क्षेत्र एवं कहीं की बात करूं, पूरे देश में किसी भी दुकान के सामने वे अगर अपना सामान बेचते हैं, तो उन्हें दुकानदार वहां से भगाता है कि हमारे दुकान के सामने तुम्हारा ठेला कैसा? अगर सड़क के हाशिए में आ गया तो नगरपालिका या महापालिका के लोग डंडा ले कर दौड़ाते हैं कि यहां तुम क्यों हो? लाइसेंस मिलने के बाद भी उसे किसी सड़क या दुकान के सामने रुकने के लिए जगह नहीं है, इजाजत नहीं मिलती है।

सभापति महोदय, इसलिए मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि ऐसे लोगों के लिए आपका संरक्षण क्या है? जो पुलिस का शोषण होता है, जब देखिए तो पुलिस आती है और उसके ऊपर डंडा बजाती है। जब उनके जो जी में आया वह किया। अगर उनके पास सेब है तो पुलिस वाले सेब ले लेते हैं। ये खिलौना हाथ में ले कर चले जाते हैं। चूंकि फूटपाथ पर सामान बेचने वाले गरीब हैं, इसलिए वह उनसे सवाल नहीं कर सकता है। जो कमाता है, वह पूरा का पूरा सूदखोरी में चला जाता है।

सभापति महोदय, वे ठेले वाले गरीब हैं, दुकानदार हैं, भुंजा, चना, मूंगफली, सब्जी, फल और कपड़ा बेचने वाले हैं, उनकी आधी कमाई केवल रिश्वत में चली जाती है। उसके बाद उसे कोई संरक्षण नहीं मिलता है। उनके पास रहने का मकान नहीं है, रहने का स्थान नहीं है। आप दिल्ली के लालकिला के पास चले जाइए, जो मेट्रो स्अेशन है, वहां पर जो गरीब लोग हैं, उत्तर प्रदेश और पूर्वांचल के जो गरीब लोग हैं, आप जूहु चौपाटी में चले जाइए, आप कोलकाता या अहमदाबाद चले जाइए, मुझे कोलकाता में जाने का मौका मिला है, मुझे आज भी लगता है कि आजादी के इतने दिनारें बाद, जब मुल्क इक्कीसवीं सदी में आगे बढ़ रहा है, आज साइंस और टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में इतने आगे बढ़ जाने के बाद भी, यहां आदमी, आदमी को खींचता है। इस देश में रहने वाले गरीबों का कैसा दुर्भाग्य है? आपने भी देखा होगा। आपका संसदीय क्षेत्र गोवा है। आप वहां समुद्र के किनारे देखिए, वहां पर जो छोटे-छोटे सामान और खिलौने बेचने वाले लोग हैं, वे पूर्वांचल और दूसरे प्रदेशों के गरीब लोग हैं। जिन्हें रोजी-रोटी नहीं मिलती है। कोई उद्योग-धंधों में जाने का उन्हें मौका नहीं मिला।

सभापति महोदय जी, आज ये बेचारे गरीब मेट्रो स्टेशन के सामने हाथ फैलाते हैं। दलाल उसका ठेका ले लेते हैं कि तुमको लालकिला के सामने या कहीं भी दुकान दिलाएंगे। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि आज भी देश में बहुत सारी जमीनें खाली पड़ी हैं, जिसका माननीय मंत्री जी इसमें प्रावधान करें, तो मैं समझता हूं कि जहां देश में राजस्व की प्राप्ति बड़े पैमाने पर हो सकती है, उनको ठिकाना भी मिल सकता है। हमारे संसदीय क्षेत्र में, चाहे रतनपुरा, मऊ, घोसी, धिंदारा हो या दोहरीघाट हो, रेलवे की जो जमीन है, जो किनारे है, बेकार पड़ी हुई है, लेकिन अगर ठेला रखने वाला, अगर कोई पर्दे का गुमंटी या दुकान बना कर रख दिया, उसको भी रेलवे के लोग बर्खास्त कर देते हैं।

सभापति महोदय, मैं माननीय मंत्री जी से कहना चाहूंगा कि अगर वास्तव में आपके मन में ठेले, खोमचे वालों के लिए पीड़ा है, तो उनके लिए कुछ इंतजाम किया जाए। उन्हें सड़क पर कोई दुकानदार खड़ा नहीं होने देता। नगरपालिका, महापालिका के लोग सड़क के हाशिए में ठेला खड़ा नहीं करने देते। उनके पास रहने का कोई ठौर-ठिकाना नहीं है। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि पूरे देश में रेलवे की जो बची हुई जमीन है, अगर वह जमीन उन्हें रहने के लिए आवंटित कर दी जाए तो शायद वे अपना कारोबार कर सकते हैं और अपनी जिंदगी बसर कर सकते हैं।

इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

***श्रीमती दर्शना जरदोश** (सूरत) : आज मंत्री जी जो बिल ला रहे हैं, जिसमें छोटे स्ट्रीट वेंडर के लिए जो भी बात है उनका हम समर्थन करते हैं। एनडीए के शासन में वाजपेयी जी के समय में जो ये बिल की शुरुआत हुई थी, आज बहुत साल बाद जो बिल आया है, ये गरीब स्ट्रीट वेंटर के लिए, अच्छी बात है।

उनके लिए बीमा का प्रावधान होना चाहिए। रात को अपने गांव से शहर में अगर आते हैं तो रात को रैन बसैरा, हेल्थ या जनसुविधा के लिए भी प्रावधान किया जाए। आजादी के इतने सालों बाद गरीब ठेलेवालों के लिए ये जो सोच है, एफडीआई के चलते उनकी आमदनी पर जो असर होने वाला है, की भी सरकार ने इस बिल के जरिए उनको जो आरक्षित करके जो सुविधा देने की व्यवस्था की है वो गरीबी निर्मूलन पर पहला कदम है। जिनमें ज्यादातर महिलाएं अपना काम करती है, उनको संरक्षण मिलेगा।

***श्री अशोक अर्गल** (भिंड) : माननीय मंत्री डॉ. गिरिजा व्यास जो बिल लेकर आई है उस बिल का समर्थन करता हूं। इस बिल से फुटपाथ पर, ठेलों पर अपना व्यवसाय करते हैं, उनके संरक्षण की जरूरत है। प्राय: देखने में आता है कि कभी नगरपालिका के लोग, कभी पुलिस वाले, कभी भी आकर परेशान करते हैं तथा कभी-कभी मुम्बई, दिल्ली, कोलकाता, चैन्ने और बड़े-बड़े शहरों में माहवारी (हफ्ता) भी वसूल करते हैं। कभी-कभी तो उनका ठेला-सामान सड़क पर फेंक दिया जाता है जिससे गरीब व्यक्ति जो इस तरह का व्यवसाय करते हैं उनके घर पर उस दिन ठीक से खाना भी नहीं बन पाता है। इस बिल से हाथ ठेला, खिलौना, मूंगफली, थवजी, कपड़े विक्रेताओं को सुविधा होगी। गरीब की कोई जाति नहीं होती है। यदि उसके पास धन-दौलत होती तब वह गली-गली एवं फुटपाथ पर नहीं घूमता। मेरा सरकार से इसमें कहना है कि ऐसा व्यवसाय करने वालों को बैंक लोन दे अपनी गारंटी पर। जिससे उसे व्यवसाय करने में सुविधा होगी। मुझे लगता है कि इस बिल से गरीबों को संरक्षण मिलेगा।

***श्री अर्जुन मेघवाल** (बीकानेर) : मैं पथ विक्रेता (जीविका संरक्षण और पथ विक्रय विनियमन) विधेयक, 2012 की चर्चा में मेरे कुछ सुझाव ले करना चाहता हूं जो निम्नानुसार हैं:-

1. यह बिल नगरीय गरीबी दूर करने के उद्देश्य से लाया गया है। लेकिन विक्रय प्रमाण-पत्र जारी करने की प्रक्रिया यदि जटिल रहती है तो फिर से इंस्पेक्टर राज स्थापित होने की संभावना बनी रहती है। अत: इस संबंध में सचेत रहने की आवश्यकता है।

2. बिल में स्थानीय प्राधिकारी को परिभाषित किया गया है तथा चल विक्रेता एवं पथ विक्रेता को भी परिभाषित किया गया है। लेकिन स्थानीय प्राधिकारी जिसमें नगर निगम, छावनी बोर्ड और पंचायत के अधिकारी/कर्मचारी किस तरह का व्यवहार करते हैं और यह अधिनियम बनने के बाद उनके व्यवहार में कैसा परिवर्तन आएगा, इस स्थिति को ठीक करने के लिए बिल में कोई प्रावधान नहीं किया गया है। अत: इस गैप को भरने की आवश्यकता है।

3. बिल के क्लॉज 10 में चल विक्रेता/पथ विक्रेता के विक्रय प्रमाण-पत्र को रद्द करने का अधिकार दिया गया है। इसका दुरुपयोग नहीं हो ऐसे प्रावधान करने की आवश्यकता है।

4. बिल में सामाजिक सुरक्षा के नाम पर प्रावधान करने की व्यवस्था की गयी है, लेकिन चल विक्रेता व पथ विक्रेता के बीमा कवर के प्रावधान को भी सुनिश्चित किया जाना आवश्यक है।

***श्री महेन्द्रसिंह पी. चौहाण** (साबरकांठा) : मैं पथ विक्रेता (जीविका संरक्षण और पथ विक्रय विनियमन) विधेयक, 2012 का समर्थन करता हूं।

*भाषण सभा पटल पर रखा गया।

*भाषण सभा पटल पर रखा गया।

[श्री महेन्द्रसिंह पी. चौहाण]

यह विधेयक थोड़ा विलंब से लाया गया है। इस विधेयक की जरूरत काफी लंबे समय से देश महसूस कर रहा था। यह विधेयक देश के करोड़ों लोगों को राहत देगा। देश के तमाम शहरों की सड़कें न सिर्फ कामगार, गरीबों तथा अभावग्रस्त लोगों की आश्रयस्थली है वरन उनकी रोजी-रोटी का केंद्र भी है, जहां पर सस्ते और आकर्षक सामानों की दुकान सजाते हैं। शहरों में सड़क किनारे फुटपाथ पर ऐसे अनेक पुरुष और महिलाएं कपड़े, खिलौने, किताबें, फल एवं सब्जियां, पकाया हुआ भोजन तथा घरेलू इस्तेमाल की चीजें एवं सजावटी सामान बेचते मिल जाएंगे। एक अनुमान के अनुसार भारत में तकरीबन एक करोड़ लोग इस तरह सड़क किनारे सामान बेचते हुए अपनी जीविका कमाते हैं। यह विधेयक इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि पटरी-सड़कों पर जो लोग छोटा-मोटा कारोबार करके अपना जीवन चलाते हैं उन्हें आम तौर पर गैर-कानूनी माना जाता है। इन लोगों के व्यापार की एक बड़ी लागत पुलिस, नगरपालिका और इसी किस्म के सरकार लोगों को रिश्वत देने में निकल जाती है। यह देश की एक ऐसी अनौचारिक अर्थव्यवस्था है जो करोड़ों हिन्दुस्तानियों को स्वावलंबी बनाती है। स्ट्रीट वैंडर्स का जीवन बहुत कठिन होता है। देश के सात शहरों में किए गए सर्वे से पता चला है कि उनकी कामकाजी स्थितियां बहुत खराब हैं। उन्हें दिन में दस से बाहर घंटे काम करना पड़ता है और उनके पास मौसम के प्रकोप से बचने का कोई साधन नहीं होता है। अब जब सरकार पटरी वालों के अधिकारों के लिए कानून बनाने जा रही है तो शहरों में उनके लिए भी जगह छोड़ी जाएगी। इस तरह थोड़ी पूंजी और ज्यादा मेहनत के जरिए रोजगार कमाने वाले इन लोगों को जरूरी पहचान और सम्मान मिल जाएगा। इसी के साथ मैं पुनः इस बिल का समर्थन करता हूं।

[अनुवाद]

डॉ. रत्ना डे (हुगली) : माननीय सभापति महोदय, सर्वप्रथम मैं, इस पथ विक्रेता (जीविका संरक्षण और पथ विक्रय विनियमन) विधेयक, 2012 पर बोलने का अवसर देने के लिए आपका धन्यवाद करती हूं।

इस विधेयक का उद्देश्य पथ विक्रेताओं के आजीविका अधिकारों का संरक्षण करना और विक्रय जोन के परिसीमन, पथ विक्रय के लिए शर्तें और प्रतिबंध आदि के माध्यम से पथ विक्रय को विनियमित करना है।

इस विधेयक की मुख्य विशेषताओं पर आने से पूर्व, मैं पथ विक्रेताओं के बारे में बोलना चाहती हूं। जैसा कि सब जानते हैं, पथ विक्रेता एक सामान्य जीवन व्यतीत करते हैं—हम यह भी कह सकते हैं कि वे मुश्किल से गुजारा करते हैं—और वे उस दिन की कमाई पर निर्भर करता है। वे ऐसे छोटे दुकानदार नहीं हैं जिसके पास अपने कारोबार के लिए कोई जगह है। "पथ विक्रेता" नाम से ही यह पता चलता है कि वे सड़क पर कारोबार करते हैं। उनके पास कारोबार के लिए कोई स्थान नहीं है। ऐसी कठिन परिस्थितियों में उनका जीवन चलता है। मुझे आशा है कि इस विधेयक से देशभर में पथ विक्रय का काम सुगम बनेगा।

पथ विक्रेता प्रायः अधिकारियों और अधिकारियों के उत्पीड़न का शिकार बनते हैं। उन्हें कोई संरक्षण और सामाजिक सुरक्षा प्राप्त नहीं है और उनकी आजीविका सारे दिन अनिश्चित स्थिति से रहती है। वे 'जितना कमाना उतना खाना' वाला जीवन व्यतीत करते हैं।

महोदय, असंगठित क्षेत्र में राष्ट्रीय उद्यम आयोग की रिपोर्ट के अनुसार, हमारे पास 1999-2000 में शहरी क्षेत्रों में लगभग 17 से 25 लाख पथ विक्रेता होने का अनुमान है। पिछले दशक में यह आंकड़ा बढ़कर दो गुना हो गया होगा। अतः देशभर में पथ विक्रय को विनियमित करने का यह सही समय है।

शहरी पथ विक्रेताओं को सहायता देने का प्रस्ताव है और इस पहलू को राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन में एक घटक के रूप में शामिल किया गया है। क्या माननीय मंत्री जी इस पर और स्थिति पर और रोशनी डालेंगे।

क्या माननीय मंत्री जी शहरी पथ विक्रेताओं संबंधी संशोधित राष्ट्रीय नीति की मुख्य विशेषताओं पर भी प्रकाश डालेंगे? क्या मंत्रालय ने पथ विक्रेताओं के संबंध में राज्य स्तर पर विभिन्न नीतियों का अध्ययन किया है?

यदि हां, तो क्या माननीय मंत्री बतायेंगे कि क्या पथ विक्रेताओं संबंधी राज्य की ऐसी नीतियों की कुछ प्रमुख विशेषताओं को इस विधेयक में शामिल किया गया है?

इस विधेयक के बारे में यह और भी महत्वपूर्ण है कि यह देशभर में पथ विक्रय के विनियमन के लिए एक समान विधिक तंत्र की स्थापना करता है।

आवास शहरी गरीबी उन्मूलन संबंधी संसदीय स्थायी समिति ने 13 मार्च, 2013 को अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत कर दिया था। समिति ने विधेयक का पूर्ण अध्ययन करने के लिए छह माह से अधिक समय लिया; और तब इसने अपनी सिफारिशें दीं।

समिति ने सुझाव दिए थे जिनपर सरकार द्वारा विचार किया जाना चाहिए और स्वीकार किया जाना चाहिए। उदाहरणार्थ, नगर विक्रय समिति के सदस्यों का पांच वर्ष का नियत कार्यकाल होना चाहिए। मैं समझती हूं कि यह एक महत्वपूर्ण सिफारिश है जो टीवीसी, जो पूरी प्रक्रिया नियंत्रित करती है, के सदस्यों के कार्यकाल का वर्णन करती है।

संसदीय स्थायी समिति ने यह सिफारिश भी की थी कि विक्रय प्रमाण-पत्र एक माह के भीतर जारी किया जाना चाहिए। परन्तु विधेयक में रहस्यात्मक ढंग से टीवीसी के लिए विक्रय प्रमाण-पत्र जारी करने के लिए किसी समय-सीमा का उपबंध नहीं किया गया है। किसी विक्रेता को टीवीसी से प्रमाण-पत्र के लिए कितनी प्रतीक्षा करनी चाहिए? इसलिए इस सिफारिश को विधेयक में शामिल किया जाना चाहिए।

संसदीय स्थायी समिति की एक और महत्वपूर्ण सिफारिश है कि विक्रय प्रमाण-पत्र का प्रत्येक तीन वर्ष में नवीकरण किया जाना चाहिए। यह भी एक महत्वपूर्ण सिफारिश है और आवश्यक संशोधन लाए इसे भी विधेयक में शामिल किया जाना चाहिए।

अपने विचार व्यक्त करते हुए मैं इस बारे में बहुत सतर्क हूं कि टीवीसी को हर चीज पर निर्णय लेने की पूर्ण शक्ति न मिले।

यह देश के लिए बहुत शुभ नहीं है। अब तक म्यूनिसिपल कानून पथ विक्रेताओं पर लागू होते थे। कानूनों और अधिनियमों की कोई कमी नहीं है परन्तु जब कार्यान्वयन और जरूरतमंद तक पहुंचने की बात आती है तो इसका हमारे देश में अभाव है। इस विधेयक के साथ पथ विक्रेताओं की समवर्ती सूची में लाने के प्रयास किए जा रहे हैं।

मुझे आशा है कि इस विधेयक से पथ विक्रेताओं को राहत की सांस मिलेगी।

[हिन्दी]

***श्री वीरेन्द्र कश्यप** (शिमला) : पथ विक्रेता (जीविका संरक्षण और पथ विक्रय विनियमन) विधेयक, 2012 एक अच्छा कानून बनने जा रहा है। मैं इसका स्वागत करता हूं। आज के युग में गांव से लोग शहर की ओर आजीविका कमाने के लिए आ रहे हैं। हमारे देश को कहा जाता रहा है कि हम कृषि प्रधान देश में रहते हैं। एक समय था जब हमारे देश में 90 प्रतिशत से अधिक लोग गांव में रहते थे, अब लगभग यह आबादी 60-65 प्रतिशत रह गई है। यानि गांव के लोग शहरों में आ रहे हैं। वहां वह किस प्रकार अपनी रोजी-रोटी पूरी करेंगे यह सोचने का विषय है। लोग इसलिए कहीं न कहीं छोटा-मोटा काम करेंगे और म्युनिसिपलिटी के क्षेत्र में और कानूनी तरीके से कोई न कोई कार्य करेंगे। इस प्रकार के गरीब लोगों को किस प्रकार वहां की स्थानीय पुलिस व स्थानीय प्रशासन शोषण ही नहीं परंतु उनको प्रताड़ित भी करती है। इसलिए इस प्रकार के लोगों को कानूनी संरक्षण मिले इसकी आवश्यकता थी और इस कानून के माध्यम से इसका लाभ उन्हें मिलेगा। इसके लिए मैं कुछ सुझाव दे रहा हूं जिसे इसमें समायोजित किया जाए। मैं पथ विक्रेता (जीविका संरक्षण और पथ विक्रेता विनियमन) विधेयक, 2012 की चर्चा में मेरे कुछ सुझाव आपकी अनुमति से ले करना चाहता हूं जो निम्नानुसार है:—

1. यह बिल नगरी गरीबी दूर करने के उद्देश्य से लाया गया है, लेकिन विक्रय प्रमाण-पत्र जारी करने की प्रक्रिया यदि जटिल रहती है तो फिर से इंस्पेक्टर राज स्थापित होने की संभावना बनी रहती है। अत: इस संबंध में सचेत रहने की आवश्यकता है।

2. बिल में स्थानीय प्राधिकारी को परिभाषित किया गया है तथा चल विक्रेता एवं पथ विक्रेता को भी परिभाषित किया गया है, लेकिन स्थानीय प्राधिकारी जिसमें नगर निगम, छावनी बोर्ड और पंचायत के अधिकारी/कर्मचारी किस तरह का व्यवहार करते हैं और यह अधिनियम बनने के बाद उनके व्यवहार में कैसा परिवर्तन आएगा इस स्थिति को ठीक करने के लिए बिल में कोई प्रावधान नहीं किया गया है। अत: इस गेप को भरने की आवश्यकता है।

3. बिल के क्लॉज 10 में चल विक्रेता/पथ विक्रेता के विक्रय प्रमाण-पत्र को रद्द करने का अधिकार दिया गया है। इसका दुरुपयोग नहीं हो ऐसे प्रावधान करने की आवश्यकता है।

4. बिल में सामाजिक सुरक्षा के नाम पर प्रावधान करने की व्यवस्था की गई है, लेकिन चल विक्रेता व पथ विक्रेता के बीमा कवर को प्रावधान को भी सुनिश्चित किया जाना आवश्यक है।

[अनुवाद]

श्री आधि शंकर (कल्लाकुरिची) : महोदय, मैं पथ विक्रेता (जीविका संरक्षण और पथ विक्रय का विनियमन) विधेयक, 2012 पर चर्चा में भाग लेने की अनुमति देने के लिए आपको धन्यवाद देता हूं।

द्रमुक पार्टी की ओर से मैं इस विधेयक का समर्थन करने के लिए खड़ा हुआ हूं। सभापति महोदय, आज पथ विक्रय बड़ी संख्या में शहरी गरीबों के लिए रोजगार का महत्वपूर्ण स्रोत है क्योंकि इसके लिए कम कौशल और लघु वित्तीय साधनों की आवश्यकता होती है। पथ विक्रेता वह व्यक्ति होता है जो स्थायी निर्मित ढांचे के बिना किन्तु अस्थायी ढांचे के साथ अथवा मोबाइल स्टाल अथवा सिर पर लादकर जनता के लिए वस्तुओं या सेवाओं की बिक्री उपलब्ध कराते हैं।

महोदय, प्रस्तावित विधेयक का उद्देश्य सार्वजनिक क्षेत्रों में पथ विक्रेताओं को विनियमित करना और उनके अधिकारों की रक्षा करना है।

*भाषण सभा पटल पर रखा गया।

[श्री आधि शंकर]

विधेयक का उद्देश्य पथ विक्रेताओं को सामाजिक सुरक्षा और जीविका के अधिकार प्रदान करना है।

महोदय, हमारे देश में पथ विक्रेताओं की कुल संख्या लगभग 10 मिलियन होने का अनुमान है। कुछ अध्ययनों ने अनुमान लगाया है कि पथ विक्रेता महानगरों की आबादी का लगभग तीन प्रतिशत है। मुम्बई में मोटे तौर पर, चार लाख पथ विक्रेता हैं और कोलकाता में लगभग दो लाख पथ विक्रेता हैं। चैन्ने में लगभग दो लाख पथ विक्रेता हैं। वे लोगों को सस्ती दरों पर वस्तुओं और सेवाओं की उपलब्धता भी सुनिश्चित करते हैं।

जहां तक उनकी मजदूरी का संबंध है तो पथ विक्रेताओं की औसत आय बहुत ही कम है। यह 40 रुपये से 80 रुपये प्रतिदिन तक है। वे घंटों तक बहुत खराब हालात में कार्य करते हैं और बार-बार म्युनिसिपल अधिकारियों और पुलिस कर्मियों द्वारा उत्पीड़न किया जाता है। विक्रेताओं की आय का बड़ा भाग रिश्वत और संरक्षण खर्च के रूप में जाता है।

पथ विक्रेताओं पर एक अध्ययन ने अनुमान लगाया है कि विक्रेता अपनी आय का 10 से 20 प्रतिशत के बीच भाग किराये के रूप में भुगतान करते हैं। पथ विक्रेताओं से संबंधित राज्य-कानून अलग-अलग हैं। अधिकांश नगरपालिकाएं पथ विक्रेताओं को लाइसेंस प्रदान करती हैं। कुछ राज्यों में लॉटरी के द्वारा इस क्षेत्र में दुकानें आवंटित की जाती हैं। अनेक पथ विक्रेताओं के लिए पटरी पर भी स्थान आरक्षित किया जाता है।

राष्ट्रीय स्तर पर नीति और राज्य स्तर पर कार्यान्वयन पर चुनौती रहा है। अभी तक केवल तीन राज्यों ने इस नीति को कार्यान्वित किया है। इस नीति के आधार पर हर समय पथ विक्रेताओं के बारे में प्रारूप कानूनों पर चर्चा चल रही है। देश में पथ विक्रेताओं के बारे में एक राष्ट्रीय कानून के लिए समर्थन में महत्वपूर्ण प्रगति हुई है। कुछ संगठनों द्वारा उठाई गई श्रमिकों की कुछ महत्वपूर्ण मांगे हैं:—

1. बहुराष्ट्रीय खुदरा लेन और प्रत्यक्ष विदेशी निवेश का भारत में पारम्परिक खुदरा क्षेत्र, जिसमें पथ विक्रेता भी शामिल हैं, पर प्रभाव।

2. जीविका के उनके अधिकार का संरक्षण संभवत: सबसे महत्वपूर्ण विषयों में से एक है जिस पर संघर्ष छेड़ा जा रहा है।

3. इसके अतिरिक्त, शहरी स्थान का हिस्सा रखने और शहरी सेवाओं के प्रदाता के बजाय एक कंटक के रूप में न देखे जाने का अधिकार एक और मुद्दा है जिसके साथ आंदोलन बढ़ता जा रहा है।

4. अनेक प्रारूप विधानों में पथ विक्रेताओं के लिए पर्याप्त जीविका और संरक्षण सुनिश्चित करने पर जोर दिया जा रहा है।

राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो के हाल के डाटा के अनुसार, 2012 में देशभर में पाए गए कुल लगभग 38,000 बिना पहचान वाले शवों में से लगभग 4000 दिल्ली में पाये गए थे जो कि नौ शव प्रतिदिन का औसत है।

अन्य बड़े राज्यों, जिनमें बड़ी संख्या में ऐसी घटनाएं हुई हैं, में महाराष्ट्र शामिल है जो लगभग 6,000 बिल पहचान वाले शवों के साथ सूची में सबसे ऊपर है। तमिलनाडु में यह 2012 में लगभग 6,000 था और उत्तर प्रदेश में यह 4,000 था।

ये अधिकांशत: श्रमिक हैं जो किराये का स्थान नहीं ले सकते। सामान्यत: वे खराब मौसम के कारण मरते हैं और उनके शव रेलवे लाइन के किनारे तथा आईएसबीटी क्षेत्रों के निकट मिलते हैं। मुख्य रूप से श्रमिक वर्ग के प्रवासी के तौर पर वे बड़ी संख्या में इन क्षेत्रों में रहते हैं। ये लोग मुख्यत: भिखारी, गुब्बारे-विक्रेता, रिक्शा चालक और पथ विक्रेताओं के रूप में कार्य करते हैं जो फ्लाईओवरों या रेलवे लाइन के निकट खडंचों पर सोते हैं और सड़क दुर्घटनाओं में मर जाते हैं।

चूंकि विधेयक में पथ विक्रेताओं को विनिर्दिष्ट विक्रय क्षेत्रों में कार्य करने और पहचान-पत्र रखने की अनुमति देने का प्रस्ताव किया गया है इसलिए मेरा सरकार से अनुरोध है कि कुछ क्षेत्रों में उनके लिए कुछ रिक्त भूखंडों की पाहचान की जाए और उन्हें विनिर्दिष्ट समय के दौरान विक्रेताओं को व्यापार करने के लिए खोल देना चाहिए। यह पहले आओ पहले पाओ के आधार पर, कार्य कर सकता है। स्थायी दुकानों से आखिर में भूमि के अधिकार की मांग उठ सकती है।

पथ विक्रेताओं की कार्य-दशाओं के बारे में मेरा कहना है कि उन्हें बहुत कम सामाजिक सुरक्षा प्राप्त है। पथों पर उनकी कार्य-दशाओं से उनके सामने अनेक सुरक्षा और स्वास्थ्य संबंधी मुद्दे खड़े हो जाते हैं।

वे अक्सर माइग्रेन, हाइपर एसिडिटी, हाइपर टेंशन, और उच्च रक्तचाप जैसी तनाव से जुड़ी बीमारियों से पीड़ित हो जाते हैं। शौचालयों की कमी का महिलाओं के स्वास्थ्य पर विपरीत प्रभाव पड़ता है और उनमें से बहुत सी महिलाएं यूरिनरी संक्रमण और गुर्दों की बीमारी से पीड़ित होती हैं। चल महिला पथ विक्रेता भी सुरक्षा की समस्या का सामना करती हैं।

विक्रेताओं को अक्सर जन कंटक माना जाता है। उन पर पैदल चलने वालों को उनके स्थान से वंचित करने, यातायात जाम करवाने और समाज विरोधी गतिविधियों से सम्पर्क रखने का आरोप लगाया जाता है।

मैं मंत्री से अनुरोध करता हूं कि पथ विक्रेताओं की कार्य-दशाओं को विनियमित करें और उनकी रक्षा करें।

इन्हीं शब्दों के साथ में अपना भाषण समाप्त करता हूं।

***श्री महेन्द्र कुमार राय** (जलपाईगुड़ी) : आदरणीय सभापति महोदय मैं पथ विक्रेता (जीविका संरक्षण और पथ विक्रय विनियमन) विधेयक, 2012 पर बोलने के लिए खड़ा हुआ हूं और मैं माननीय मंत्री को इस विधेयक को पुर:स्थापित करने के लिए धन्यवाद देता हूं। मैं आपसे अनुरोध करना चाहता हूं कि इस विधेयक पर बारीकी से चर्चा करने के लिए पर्याप्त समय दिया जिए क्योंकि यह समाज के वंचित और असहाय वर्गों अर्थात् पथ विक्रेताओं से संबंधित है। महोदय, हमारे देश में आर्थिक रूप से पिछड़े और अशिक्षित लोगों की संख्या दिन-प्रति-दिन बढ़ रही है। पथ विक्रय व्यवसाय में एक करोड़ से अधिक लोग लगे हैं। केन्द्र सरकार द्वारा 1990 और 1991 के वर्षों में अपनाई गई आर्थिक उदारीकरण की नीति के परिणामस्वरूप उनकी संख्या में बहुत तेजी से बढ़ोत्तरी हुई है। एक तरफ तो उद्योग बंद हो रहे हैं, नई फैक्ट्रियां और उद्योग भी नहीं लगाए जा रहे हैं। हजारों फैक्ट्री कामगार बेरोजगार हो गये हैं और वे लगातार महानगरों के लिए प्रवास कर रहे हैं। दूसरी तरफ हमारा खस्ताहाल कृषि क्षेत्र है जो नष्ट होने की कगार पर है। किसानों को उनके उत्पादों का पारिश्रमिक भी नहीं मिल रहा है। आज वे अपनी लागत भी वसूल नहीं कर सकते। इस तरह कृषि श्रमिक भी कस्बों और शहरों का रुख कर रहे हैं। किसी को भी कोई नौकरी नहीं मिल पा रही है। इसलिए ये सभी बेरोजगार कामगार, चाहे वे औद्योगिक क्षेत्र से हो अथवा कृषि क्षेत्र से, वे पथ विक्रय पर निर्भर रहने के लिए बाध्य हैं। इससे भी अधिक दुर्भाग्यपूर्ण ये है कि उनके पास कोई अधिकार नहीं हैं। पुलिस वाले, निगम अधिकारी और बदमाश इन विक्रेताओं का उत्पीड़न और शोषण कर रहे हैं। चांदनी चौक इलाके में चले जाइये और वहां आपको पता चलेगा कि पुलिस उनसे 200 रुपए प्रतिदिन की उगाही कर रही है जबकि निगम के अधिकारी 200 रुपए प्रति माह इन असहाय विक्रेताओं से ले रहे हैं। यहां तक कि सफाईकर्मियों को भी 10 रुपए रोजाना देना पड़ता है। यह जमीनी वास्तविकता है। बहुत से माननीय सदस्यों ने इस मुद्दे को उठाया है और सरकार को इस समस्या पर गंभीरतापूर्वक ध्यान देना चाहिए।

महोदय, मैं माननीय मंत्री को हार्दिक धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने इस विधेयक को लाने की कृपा की। यद्यपि मैं ज्यादा कुछ नहीं कहना चाहता, फिर भी मैं कुछ बिन्दुओं का उल्लेख करना चाहूंगा। इसमें एक प्रावधान यह है कि जो व्यक्ति 14 वर्ष से अधिक आयु के होंगे उन्हें विक्रय हेतु लाइसेंस दिया जाएगा परन्तु यह सरकार की राष्ट्रीय शिक्षा नीति के साथ विरोधाभास पैदा करता है जिसमें यह लिखा है कि वर्ष 2020 तक सभी बच्चों को शिक्षित बनाया जायेगा। यदि 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को विक्रय हेतु अनुमति दी जाएगी तो सार्वजनिक शिक्षा का उद्देश्य असफल हो जाएगा। हमारा दृष्टिकोण यह है कि यह प्रावधान बाल श्रम को प्रोत्साहित करेगा। मेरा विशेष सुझाव यह है कि केवल उन्हीं व्यक्तियों को विक्रय लाइसेंस दिया जाए जो 18 वर्ष से अधिक आयु के हों। इस आयु से कम आयु के किसी भी व्यक्ति के पथ विक्रय के इस व्यवसाय को अपनाने की अनुमति बिल्कुल नहीं दी जानी चाहिए।

मेरा दूसरा बिन्दु यह है कि यह विधेयक उन लोगों को कोई अधिकार नहीं देता जो रेलवे प्लेटफॉर्म अथवा इससे सटी रेलवे भूमि पर विक्रय का काम करते हैं। स्थाई समिति ने यह सिफारिश की है कि रेलवे स्टेशनों और आस-पास के क्षेत्रों में विक्रय के इस प्रावधान पर मंत्रालय द्वारा विचार किया जाना चाहिए। यदि विक्रेताओं को कोई अधिकार नहीं दिये जाते हैं तो फिर रेलवे पुलिस और रेलवे अधिकारी इन विक्रेताओं का उत्पीड़न करना जारी रखेंगे। दूसरा बिन्दु यह है कि दण्ड को 2,000/- रुपए किया गया है परंतु मेरा सुझाव है कि इसे कम करके मात्र 200/- रुपए रखा जाए। प्रमाण-पत्र जारी करने के मामले में एक महीने की समय-सीमा निर्धारित की गई है परंतु मेरा सुझाव है कि इसे मात्र 15 दिन किया जाए।

आदरणीय महोदय, हटाए जाने और पुनरावंटन के मामले में केवल 7 दिन की सूचना का प्रावधान रखा गया है। तथापि स्थाई समिति ने सिफारिश की है कि इस प्रकार हटाने और पुनरावंटन हेतु कम से कम एक माह दिया जाए। अंतिम बिन्दु जो मैं उठाना चाहता हूं वह यह है कि जब शहरी क्षेत्रों में विक्रय नीति बनानी हो तो पक्षकारों अर्थात् पथ विक्रेताओं को भरोसे में लिया जाए और नगरीय विक्रय समिति की आयोजना के समय उनके प्रतिनिधियों को इसमें शामिल किया जाए। यह माननीय मंत्री से मेरा अनुरोध है।

इन कुछ शब्दों के साथ, इस चर्चा में मुझे भाग लेने की अनुमति प्रदान करने के लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं और अपना भाषण समाप्त करता हूं।

[हिन्दी]

डॉ. संजीव गणेश नाईक (ठाणे) : महोदय, मैं शुक्रिया अदा करता हूं कि आपने आज इस बिल को सदन में रखा है।

*मूलत: बंगाली में दिये गये भाषण के अंग्रेजी अनुवाद का हिन्दी रूपांतर।

[डॉ. संजीव गणेश नाईक]

महोदया, मुझे याद है कि जब मैं वर्ष 2004 में नवी मुंबई महानगरपालिका का महापौर था, तब यह विधेयक सूचना के तौर पर लाने की कोशिश की थी और आज मैं एक सांसद बना हूं, यह बिल सदन में आया है। मुझे बहुत खुशी है कि उस वक्त महाराष्ट्र सरकार और खासकर नवी मुंबई महानगरपालिका ने जो सुझाव दिए थे, उनमें से बहुत से सुझावों को इस बिल में लिया गया है, इसलिए मैं माननीय मंत्री जी को धन्यवाद देता हूं। मुझे खुशी है कि ऐसा करते वक्त हम दो चीजों को सामने दे रहे हैं। हम न केवल पथ विक्रेताओं को अधिकार **दे रहे हैं,** उनको बहुत दिनों से जो तकलीफ हो रही थी, उससे राहत **दे रहे हैं,** उसके साथ ही उस इलाके में जो गंदगी होती थी, पथ विक्रेता कहीं भी जाकर बैठते थे, अपनी चीज को बेचने की कोशिश करते थे, तो उससे वहां के लोकल लोगों को भी राहत मिलने वाली है। मुम्बई जैसी शहर में कोई भी कहीं भी जाकर फुटपाथ पर बैठता है, अपनी चीज बेचने की कोशिश करता है, उसमें उसे बहुत सी चीजों का सामना करना पड़ता है, जैसे कई बार कोई व्यक्ति ऋण लेकर व्यापार शुरू करता है। बहुत बार ऐसा होता है कि वह उससे उद्ग्रासित हो जाता है, चला जाता है। मैं समझता हूं कि मुंबई जैसे शहर में हिन्दुस्तान के अनेक राज्यों से आए हुए लोग हैं और बहुत लोग ऐसे हैं जिन्होंने छोटे धंधों से शुरुआत करके आज बड़े बिजनेसमैन बन चुके हैं और वे फुटपाथ से ही जाकर अमीर बन गए हैं। इसलिए मैं समझता हूं कि इन लोगों के लिए यह विधेयक बहुत महत्वपूर्ण है। मैं समझता हूं कि आपने इस बिल में कई चीजें शामिल की हैं। मैं कुछ सुझाव देना चाहूंगा। जो हमारे पथ विक्रेता होते हैं, उन्हें आप इस बिल के जरिए अधिकार दे रहे हैं रहने का। शहरी इलाकों में बहुत सी आवासीय योजनाएं चल रही हैं, उन्हें भी इन योजनाओं के तहत छोटा-मोटा मकान मिलता है, तो आप भी इसमें इनका सहयोग करेंगे। इसलिए आवश्यक है कि इस बारे में राज्य सरकारों को भी बताना चाहिए, जिससे उनके हित में बात हो सके।

हम यहां इस विधेयक को पारित करेंगे। उसके बाद आपको राज्य सरकारों के पास भेजना है पारित करने के लिए, लेकिन राज्य सरकारों को यह बताना होगा कि किन-किन शहरों में इन लोगों को कौन-कौन सी जगह पर बिठाना चाहिए। आज देखें तो बहुत सी ऐसी जगहों पर ये लोग वेंडिंग का काम करते हैं कि चलना-फिरना मुश्किल हो जाता है। मुम्बई जैसे शहर में जहां पौने दो करोड़ की आबादी है और उसके बगल में मेरे संसदीय क्षेत्र ठाणे और नवी मुम्बई में तीन लाख पथ विक्रेता हैं। आज जब हम लोगों को कोई समस्या होती है तो हम कमिश्नर से बात करते हैं तो वह कहते हैं कि क्या करें जगह नहीं है। इसलिए राज्य सरकारों को ऐसी योजना लानी होगी, जिसके माध्यम से आने वाले 100 साल की प्लानिंग हो, क्योंकि आबादी दिन प्रतिदिन बढ़ रही है। इसलिए राज्यों को सही ढंग से चीजें बतानी चाहिए।

आपने स्ट्रीट वैंडर्स को लाइसेंस देने की बात कही है। वह लाइसेंस उसी जगह का होना चाहिए, वरना काफी झगड़े होते हैं। वे लोग देखते हैं कि अमुक जगह अच्छा व्यापार हो रहा है, अच्छी आमदनी हो रही है तो वहां गुटबाजी शुरू हो जाती है और मारपीट तक की नौबत आ जाती है। मुम्बई जैसे शहर में अगर किसी जगह 10,000 रुपए से कोई काम शुरू करता है और अच्छी आमदनी करता है तो वह उस जगह को, ठेले को, दो-तीन लाख रुपए में किसी दूसरे को बेच देता है। इस तरह की काफी दिक्कतें आती हैं। यह चीज बड़े शहरों में ज्यादा होती है। इसलिए मंत्री जी को इस पर निश्चित रूप से ध्यान देना चाहिए।

दूसरी बात यह है कि आप इनके लिए कार्ड की व्यवस्था करने जा रही हैं। मैं चाहूंगा कि आधार कार्ड से इसे संचालित करें, क्योंकि बहुत सी चीजें आजकल आधार कार्ड के माध्यम से हो रही हैं। अगर कोई एक व्यक्ति एक जगह से किसी कारणवश दूसरी जगह पर जाता है तो उसका सारा रिकॉर्ड भी जाना चाहिए और उसके लिए वहां कोई जगह रहनी चाहिए। जैसे नौकरियों में ट्रांसफर प्रणाली में होता है। इस बारे में राज्य सरकारों को कुछ प्रतिशत जगह रखनी चाहिए कि अगर कोई व्यक्ति किसी कारण से एक जगह से दूसरी जगह जाता है तो उसके लिए वहां ठेला आदि लगाने का प्रावधान हो और वह वहां व्यापार कर सके। इस बारे में भी सरकार को ध्यान देने की जरूरत है।

जहां तक अनहाइजेनिक और हाइजेनिक चीजों की बात है, राज्य सरकारों को भी यहां से नियम बनाने को कहना चाहिए कि किस चीज को वह अपने व्यापार या व्यवसाय में शामिल करे। आपने उनके इंश्योरेंस का प्रावधान इस विधेयक में किया है, यह एक अच्छी बात है। अगर कोई स्ट्रीट वेंडर गलती करता है और उसका सामान प्रशासन उठा ले जाता है तो वह वापस नहीं दिया जाता है। इससे उसके व्यापार पर असर पड़ता है, क्योंकि उसने अपना काम चलाने के लिए बाजार से कर्ज लिया होता है। इसलिए ऐसा कोई प्रावधान इसमें होना चाहिए, जो मेरे ख्याल से नहीं है। अगर किसी का सामान गलती से चला गया और वापस नहीं आता तो दो-चार दिन बाद वह कहां से पैसा लेकर दोबारा अपना काम शुरू करेगा। अत: इस तरह का प्रावधान इसमें जरूर करना चाहिए।

अंतिम बात मैं यह कहना चाहता हूं कि यह कानून सिर्फ कागजों तक ही सीमित न रहे, बल्कि आप सभी राज्य सरकारों से कहें कि इस पर अमल करना चाहिए और सभी राज्य सरकारों को एक ही तरीके से अमल करना चाहिए। एक जगह चार बाई पांच की जगह होगी तो दूसरी जगह छह बाई आठ की होगी। इसलिए एक समान होनी चाहिए और यह लिखना चाहिए कि जो ठेला होगा वह किस साइज का होगा। इतना ही

कहकर मैं अपनी बात समाप्त करता हूं और इस बिल का समर्थन करता हूं।

[अनुवाद]

***श्री जयंत चौधरी** (मथुरा) : इस विधेयक को इस सम्मानित सभा के विचार हेतु रखने के लिए मैं माननीय मंत्री और सरकार के प्रति अपनी प्रसन्नता व्यक्त करना चाहता हूं।

पथ विक्रय हमारे देश में समाज के गरीब और वंचित वर्गों हेतु रोजगार का एक महत्वपूर्ण साधन है। यह क्षेत्र व्यापक रूप से असंगठित है और इससे हमारे देश में अनुमानत: एक करोड़ से ज्यादा लोगों को आजीविका सहायता मिल रही है। यह उन लोगों हेतु आदर्श रूप से पहला रोजगार होता है जो हाल ही में ग्रामीण क्षेत्रों से शहरी क्षेत्रों में आते हैं और अकुशल होते हैं तथा बिना किसी पूंजी आधार के यह अन्य व्यवसायों की सहायता हेतु पर्याप्त होता है। यह ऐतिहासिक विधान एक तरफ शहरी आयोजना के संदर्भ में इस तरह संतुलित दिखाई देता है कि निर्धनतम व्यक्ति जिन्हें इस काम में राहत मिलती है, को सुरक्षा उपलब्ध कराने के मानवीय दृष्टिकोण के साथ विक्रेताओं को स्वास्थ्यकर और सतत् रूप से संगठित करने की आवश्यकता पूर्ण की है और स्थानीय किसानों, विनिर्माताओं और उपभोक्ताओं को मूल्यवान सेवा उपलब्ध कराता है।

मैं यह सुनिश्चित करने में राज्यों की महत्वपूर्ण भूमिका का उल्लेख करना चाहता हूं कि इस कानून को सच्चे अर्थों में लागू किया जाए। यह विधेयक अध्याय नौ के अंतर्गत विशेष रूप से पुलिस अथवा अन्य किसी प्राधिकरण द्वारा उत्पीड़न के विरुद्ध सुरक्षा उपलब्ध कराता है। यह प्रशंसनीय है लेकिन यह देखना बाकी हे कि इस प्रस्ताव के प्रति राज्य सरकारें कितनी प्रतिक्रियात्मक हैं। मैं उन दो मुद्दों का भी उल्लेख करूंगा जिन्हें मैं चाहता हूं कि मंत्री समुचित प्रतिक्रिया दें।

पहला, पथ विक्रेताओं के प्रतिनिधियों को आयोजना प्रक्रिया का अंग बनाया जाए। अध्याय छह के अंतर्गत पथ विक्रय योजना में, विधेयक कहता है कि "प्रत्येक स्थानीय प्राधिकरण आयोजना प्राधिकरण के साथ परामर्श कर पांच वर्ष में एक बार शहरी पथ विक्रेताओं की विशाल संख्या को उनके व्यवसाय को चलाने के लिये सहायक परिस्थितियों को प्रोत्साहित करने के लिए एक योजना बनायेगा।" इसमें विशेष रूप से यह सुनिश्चित करने के लिए पथ विक्रेताओं के प्रतिनिधियों का उल्लेख होना चाहिए कि समानता के लिए पथ विक्रय आयोजना के निर्माण में उनकी भागीदारी आवश्यक है।

मैं यह भी कहना चाहता हूं कि जन प्रतिनिधियों के तौर पर संसद और राज्य विधान सभा के सदस्यों को भी जिला स्तरीय आयोजना प्रक्रिया का अंग बनाना चाहिये जैसा कि इस विधेयक में परिकलित किया गया है। हमारे निर्वाचन क्षेत्र के लोग अक्सर हमारे पास आते हैं उन्हें यह लगता है कि गलियों को साफ करने और अक्सर स्थानीय अधिकारियों द्वारा प्रताड़ित किए जाने वाले विक्रेताओं को सुरक्षा उपलब्ध कराने में हमारी भूमिका है।

इन दो अनुशंसाओं के साथ, मैं इस पहल हेतु सरकार को धन्यवाद देता हूं और पथ विक्रेता/जीविका संरक्षण और पथ विक्रय विनियमन विधेयक, 2013 के प्रति अपने दल का समर्थन व्यक्त करता हूं।

श्री भर्तृहरि महताब (कटक) : सभापति महोदय, मैं यहां आज पथ विक्रेता (आजीविका संरक्षण और पथ विक्रय विनियमन) विधेयक, 2012 संबंधी चर्चा में भाग लेने के लिए खड़ा हुआ हूं। इस विधेयक पर चर्चा करने से पहले मैं बताऊंगा कि 'पथ विक्रेता' कौन है? "वे ऐसे व्यक्ति हैं जो अस्थायी दुकान या चलते फिरते स्टाल से लोगों को माल एवं सेवाएं बेचते हैं।" वे दो प्राधिकारियों—यातायात पुलिस और नगर निगम अधिकारियों की सीमा क्षेत्र में आते हैं।

वर्ष 1989 में, सर्वोच्च न्यायालय ने निर्णय दिया था कि पथ विक्रेताओं को विनियम और समुचित प्रतिबंध के अंतर्गत अपने कार्य-व्यापार करने का मूलाधिकार है। वर्ष 2010 में, अर्थात् 21 वर्षों के बाद, सुर्वोच्च न्यायालय ने सरकारों को, केन्द्र और राज्य सरकारों दोनों को, निर्देश दिया था कि वे पथ विक्रेताओं के आजीविका अधिकारों को मान्यता देने तथा पथ विक्रय क्रियाकलापों को नियंत्रित करने के लिए जून, 2011 तक एक कानून बनाएं।

छत्तीसगढ़, राजस्थान, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश और ओडिशा सहित कई राज्यों ने पथ विक्रय पर कानून और नीतियां बनाई हैं। इसके बाद यह विधेयक आया है। मैं मंत्री जी को बधाई देता हूं। शायद यह पहला विधेयक है जिसे वे इस पन्द्रहवीं लोक सभा में एक कैबिनेट मंत्री बनने के पश्चात् आज ला रही है। मैं उन्हें तहेदिल से धन्यवाद देता हूं क्योंकि वह सर्वोच्च न्यायालय से दृढ़ सलाह एवं दिशा-निर्देश मिलने के पश्चात् यह विधेयक लायी हैं। यह ग्रामीण क्षेत्रों से शहरी क्षेत्रों को प्रव्रजन करने वाले लोगों का ध्यान रखता है। उनके राज्य राजस्थान में, मेरे राज्य ओडिशा में हमने एक नीति बनाया है; हमने कानून बनाया है।

इस विधेयक का उद्देश्य पथ विक्रेताओं के आजीविका अधिकार के संरक्षण के साथ-साथ विक्रय क्षेत्रों के सीमांकन के माध्यम से पथ विक्रय को विनियमित करना है। कोई व्यक्ति जो पथ विक्रय करना चाहता है उसे टाउन वेंडिंग कामिटी के पास पंजीकरण कराना होगा। यह विधेयक विक्रय प्रमाण-पत्र जारी करने, विक्रय क्षेत्रों के आवंटन और प्रति जोन

*भाषण सभा पटल पर रखा गया।

[श्री भर्तृहरि महताब]

विक्रेताओं की संख्या निर्धारित करने में सरकार द्वारा अपनाए जाने वाले सिद्धांतों के बारे में नहीं बतलाता है। इस प्रकार के मापदंडों की अनुपस्थिति से कानूनी ढांचे में समरूपता सुनिश्चित करने हेतु एक कानून बनाने के उद्देश्य को आघात पहुंचेगा। इस विधेयक में पथ विक्रय योजना के निर्माण में पणधारियों से विचार-विमर्श करने की कोई आवश्यकता नहीं है। इससे उचित ढंग से इस योजना के निर्धारण को सुनिश्चित करने में सुरक्षापायों के अभाव को बढ़ावा मिलेगा। वास्तव में, केन्द्रीय विधि राज्य विधियों पर अभिभावी प्रभाव होगा जो इस विधेयक के साथ असंगत है।

वर्तमान में, महोदय, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और राजस्थान जैसे कुछ राज्यों ने, जिनका मैंने उल्लेख किया है, पथ विक्रय को विनियमित करने के लिए शहरी स्थानीय निकायों को शक्ति प्रदान करने के लिए कानून पारित किया है। राज्य सरकारों को इस मुद्दे पर कानून बनाने के लिए राज्य सूची के मद संख्या 5, जो स्थानीय सरकार और नगर निगम को कवर करती है, से शक्ति प्राप्त होता है। प्रश्न यह है कि क्या संसद को इस प्रकार के कानून बनाने का अधिकार है? वर्ष 2006 में, इस सभा में एक प्रश्न के उत्तर में, सरकार ने कहा था: "पथ विक्रय राज्य सूची का विषय है। केन्द्र सरकार को पथ विक्रय पर कानून बनाने का कोई अधिकार नहीं है।" वर्ष 2009 में, पुन:, एक वैसी ही स्थिति आयी और एक मॉडल विधेयक के प्रारूपण के प्रस्ताव पर चर्चा प्रारंभ हुई। राष्ट्रीय सलाहकार परिषद् ने बाद में कहा: "पथ विक्रय पर कानून का निर्माण राज्यों द्वारा किया जाना चाहिए। केन्द्र का उत्तरदायित्व एक मॉडल विधेयक की सिफारिश तक ही सीमित हो सकता है।" इसने यह भी कहा: "आजीविका और रोजगार के मुद्दे पर केन्द्रीय विधि न्यायोचित है क्योंकि ऐसी भारत के उच्चतम न्यायालय द्वारा सलाह दी गई थी।"

इसलिए, यह विधेयक तीन मुख्य उद्देश्यों में संतुलन स्थापित करने का प्रयास करता है: पहला, पथ विक्रेताओं के आजीविका के अधिकार को सुनिश्चित करना; दूसरा, भीड़भाड़ रहित सार्वजनिक स्थान एवं मार्ग; और तीसरा, ग्राहकों हेतु विक्रय सेवाओं की सुविधा। तथापि, यह विधेयक पथ विक्रय के विनियमन के कई पहलुओं को पथ विक्रय स्कीम के लिए छोड़ देता है और राज्य सरकारों द्वारा विनिर्मित किया जायेगा तथा स्थानीय प्राधिकारियों द्वारा क्रियान्वित किया जायेगा। यहां मैं कहूंगा कि यहां तीन मुख्य मुद्दे हैं क्योंकि चौथे के लिए, पहले ही कुछ संशोधन किए गए हैं। पहला, संसद का क्षेत्राधिकार है; दूसरा, विधेयक का संतुलनकारी उद्देश्य – आजीविका अधिकार और शहरी योजना आवश्यकताएं; और तीसरा पथ विक्रय योजना के निर्माण में पणधारियों से विचार-विमर्श का अभाव है।

महोदय, मैं मंत्री जी का ध्यान विधेयक के दो विशिष्ट खंडों–खंड 35 और अन्य खंड 20 के परन्तुक–की ओर आकर्षित करना चाहूंगा। इस विधेयक के तहत टीवीसी की सीमित भूमिका है परन्तु छत्तीसगढ़ और राजस्थान जैसे राज्यों में पथ विक्रय पर कानून और ओडिशा के मामले में, पथ विक्रय नीति विक्रय क्षेत्रों की पहचान और नाम रखने तथा प्रत्येक क्षेत्र की विक्रय क्षमता निश्चित करने के लिए टीवीसी को शक्ति प्रदान करता है। यह खंड 35 के परन्तुक के संबंध में है और जब केन्द्रीय विधि राज्य विधि के आगे पहुंच जाएगा तो समस्या उत्पन्न होगी क्योंकि कई राज्यों में पहले से ही नीतियां लागू हैं। मैं मंत्री महोदया को बधाई देता हूं क्योंकि वे खंड 35 के परन्तुक में मौजूद उन चार लाइनों को हटाकर इस पहलू के संबंध में एक संशोधन प्रस्तुत करने जा रही हैं। मुझे खुशी है कि मंत्री जी उसे मिटा रही हैं। अत:, यह मुद्दा अब नहीं रहेगा। जहां पहले से कानून है, वहां यह प्रचलित रहेगा। केन्द्रीय विधि से किसी प्रकार का अवरोध उत्पन्न नहीं होगा।

अब मैं खंड 20 का उल्लेख करूंगा। इस विधेयक के अंतर्गत स्थानीय प्राधिकारी एक विवाद निवारण समिति का गठन करेगा। उसमें एक सब-जज या एक न्यायिक मजिस्ट्रेट या एक कार्यपालक मजिस्ट्रेट और पथ विक्रय और आम बाजारों में अनुभवी अन्य व्यक्ति होंगे। तथापि, राजस्थान में, जहां की माननीय मंत्री महोदया हैं और ओडिशा में, जहां का मैं हूं, टीवीसी को पथ विक्रेताओं के बीच विवादों को हल करने की शक्ति दी गई है। इस विधेयक के अंतर्गत यदि राज्य विधि और केन्द्रीय विधि में अंतर है तो केन्द्रीय विधि लागू होगी। इसका अर्थ है कि टीवीसी की सीमित भूमिका रहेगी और वह पंजीकरण तथा विक्रय प्रमाण-पत्र जारी करने एवं नवीनीकरण करने तथा पथ विक्रेताओं के रिकॉर्ड रखने तक है। उसके आगे, मैं कहूंगा वहां कोई शिकायत निवारण तंत्र नहीं है। इसको सही करने की आवश्यकता है। इसके आगे, मैं कहूंगा कि इस विधेयक में टीवीसी के सदस्यों के लिए किसी कार्यकाल की कोई व्यवस्था नहीं है। पथ विक्रेताओं को विक्रय क्षेत्रों को लीज़ या किराये पर नहीं देना चाहिए। इस विधेयक में विक्रय प्रमाण-पत्रों के नवीनीकरण की कोई व्यवस्था नहीं है।

मेरे पास अन्य मुद्दा है। मुझे उम्मीद है कि कुछ अन्य माननीय सदस्य भी मंत्री महोदया का ध्यान आकर्षित कर चुके हैं। यह 14 वर्ष से ऊपर के किसी को लाइसेंस के साथ एक विक्रेता के रूप में अनुमति देने के संबंध में है। उनकी कुल संख्या शहरी क्षेत्र या वार्ड के 2.5 प्रतिशत तक सीमित रखते हुए, किशोरों को पथ विक्रेताओं के रूप में कार्य करने की अनुमति देने से क्या यह विधेयक गलत दिशा में नहीं जायेगा?

अंत में, मैं एक समाचार-पत्र से उद्धरण दूंगा:

[हिन्दी]

"फुटपाथ दुकानें चलाने के लिए नहीं होते, लेकिन शहरों में हॉकिंग जोन जरूर होने चाहिए – समस्या नहीं यह समाधान है।"

***श्री निखिल कुमार चौधरी** (कटिहार) : फुटपाथ दुकानदारों के जीवनयापन की सुरक्षा के लिए जो बिल प्रस्तुत है उसका समर्थन करते हुए कुछ आवश्यक सुझाव देना चाहता हूं जिससे इन फुटपाथ दुकानदारों एवं आश्रितों की रोजी-रोटी एवं जीने का अधिकार सुरक्षित रह सकें।

फुटपाथ एवं सड़कों एवं गलियों में अपनी छोटी-मोटी दुकानें लगाकर अपने पेट को भरने के साथ अपने-अपने परिवारों के जीवन को चलाने का काम करने वाले वो लोग हैं जिन्हें कहीं कोई रोजगार प्राप्त नहीं हो सका। तब विवश होकर जीवन को जोखिम में डालकर ये गरीब लोग अपनी जिन्दगी को बचाने के लिए फुटपाथ पर रहकर समाज को सेवा देकर अपनी जीविकोपार्जन के लिए छोटी-छोटी दुकानें चलाकर देश के लिए कोई बोझा नहीं बन रहे हैं।

इन गरीब लोगों के प्रति राष्ट्र की पूरी संवेदना है। हम चाहते हैं कि ये गरीब लोग मेहनती भी है एवं हुनरमंद भी है, को सरकार पूरा सहयोग करें।

फुटपाथ पर अपनी कठिनाई-भरी जिन्दगी जीने वाली लोग भूमिहीन एवं गरीब हैं। अत: इनके लिए आवास की व्यवस्था होनी चाहिए। जिस स्थान पर वह अपने हुनर से अपना रोजगार चला रहे हैं उस स्थान पर उनका रोजगार करने का शेड या दुकान बनाकर दें। इनके लिए सामाजिक पेंशन की सुविधा प्रदान की जाए। रोजगार को ठीक ढंग से चलाने हेतु बैंक कम दर के ब्याज पर ऋण देने की व्यवस्था को सरकार कानून बनाए। इनके एवं आश्रितों को स्वास्थ्य बीमा योजना का लाभ मिले। जहां-जहां इस तरह के फुटपाथ दुकानदार हैं उनके बच्चों के लिए शिक्षा का प्रबंध होना चाहिए। सरकार अच्छा बिल लायी है, अत: मैं इसका समर्थन करता हूं।

अपराह्न 4.00 बजे

[अनुवाद]

श्री प्रबोध पांडा (मिदनापुर) : धन्यवाद, माननीय सभापति महोदय, मैं पथ विक्रेता (जीविका संरक्षण और पथ विक्रय विनियमन) विधेयक, 2012 का समर्थन करने के लिए खड़ा हुआ हूं। महोदय, हमारे देश में प्राचीनकाल से पथ विक्रय एक व्यवसाय के रूप में रहा है।

बहुत से वक्ताओं ने हमारे देश में पथ विक्रेताओं की अनुमानित संख्या का उल्लेख किया है। यह एक करोड़ से अधिक हो सकती है। हॉकर्स संग्राम समिति द्वारा कराये गए अध्ययन के अनुसार मुम्बई में यह संख्या 2.50 लाख से अधिक है; दिल्ली में यह दो लाख से अधिक है; कोलकाता में यह 1.50 लाख है और अहमदाबाद में यह एक लाख से अधिक है। सामान्यतया, यह कहा जा सकता है कि प्रत्येक नगर और शहर की लगभग तीन प्रतिशत आबादी पथ विक्रय के व्यवसाय में लगी हुई है। मैं मंत्री जी को यह विधेयक लाने के लिए बधाई देता हूं। इसकी बहुत समय से प्रतीक्षा थी। इसे बहुत पहले लाया जाना चाहिए था।

मंत्री जी को स्ट्रीट हॉकर्स के आंदोलनों की जानकारी होगी। हॉकर्स संग्राम समिति द्वारा पूरे देश में यह किया जा रहा है। वे कई बार मंत्री से मिले। उन्होंने पहले ही मंत्री जी और विभाग को कई बार ज्ञापन दिया है। इसके साथ ही मैं श्रमिकों को भी बधाई देता हूं जो इसके लिए लड़ रहे हैं। इन चीजों का जिक्र करते हुए मैं कुछ बातें कहना चाहता हूं।

यह बहुत अच्छा है कि वे सामाजिक सुरक्षा प्रदान कर रहे हैं जिसकी कमी है। जहां तक पथ विक्रय व्यापार का प्रश्न है तो इसे सरकार के हस्तक्षेप के बिना स्वरोजगार माना जाता है। किन्तु उन्हें गरिमापूर्ण तरीके से जीना चाहिए। इसलिए, सामाजिक सुरक्षा की आवश्यकता है। वे वही प्रदान कर रहे हैं। इसीलिए, मैं मंत्रीजी को बधाई देता हूं।

एक और चीज जिसके लिए मैं मंत्री जी को बधाई देता हूं वह पथ विक्रेताओं के लिए ऋण, बीमा और सामाजिक सुरक्षा की अन्य कल्याण योजनाएं उपलब्ध कराने के लिए संवर्धनात्मक उपाय के बारे में है। अन्य सभी चीजों का उल्लेख किया जा चुका है। यह बहुत अच्छा है। मेरे पास कुछ प्रश्न हैं जो अन्य सदस्यों द्वारा भी उठाये गए हैं। पथ विक्रय का विनियमन राज्य विधानमंडलों द्वारा अधिनियमित किए गए नागर कानूनों द्वारा किया जाता है। इसलिए, प्रश्न यह है कि इसे समवर्ती सूची में रखा गया है या नहीं। यदि नहीं तो यह समस्या कैसे हल होगी, कल इस संबंध में राज्य सरकारों के साथ कोई विवाद या मतभेद होगा।

एक अन्य मुद्दा है कि विधेयक में सरकार द्वारा विक्रय प्रमाण-पत्र जारी करने, विक्रय क्षेत्रों का आवंटन करने और प्रति क्षेत्र विक्रेताओं की संख्या के लिए अपनाए जाने वाले सिद्धांतों को स्पष्ट नहीं किया गया है। ऐसे मानदंडों की अनुपस्थिति से कानूनी ढांचे में एकरूपता सुनिश्चित करने के लिए कानून बनाने का उद्देश्य विफल हो सकता है।

मेरा तीसरा बिन्दु यह है कि विधेयक में इस बात का उल्लेख नहीं है कि पथ विक्रय की योजना तैयार करते हुए हितधारकों से परामर्श किया जाना चाहिए। इससे यह सुनिश्चित करने में सुरक्षा की कमी हो सकती है कि योजना का निर्धारण निष्पक्ष रूप से किया जाए।

*भाषण सभा पटल पर रखा गया।

[श्री प्रबोध पांडा]

चौथी बात यह है कि जैसा मैंने पहले कहा है केन्द्रीय कानून का राज्य कानून पर अभिभावी प्रभाव रहेगा। परन्तु पथ विक्रेता शहरों और नगरों तक ही सीमित नहीं हैं। बड़ी संख्या में पथ विक्रेता ग्रामीण क्षेत्रों में हैं। यहां तक कि नगरों में विशेषरूप से उन क्षेत्रों में जिन्हें रेलवे नगर कहा जाता है बड़ी संख्या में पथ विक्रेता हैं। जहां तक मेरे निर्वाचन क्षेत्र खड़गपुर का संबंध है तो इसे रेलवे नगर कहा जाता है। इसलिए हजारों स्ट्रीट हॉकर पथों पर अपना व्यापार कर रहे हैं जहां रेलवे इसमें शामिल नहीं है। उनके लिए क्या सुरक्षा है? हम मोबाइल हॉकरों, मोबाइल विक्रेताओं के बारे में बात कर रहे हैं जो रेलवे में विक्रय का कार्य कर रहे हैं। उनके लिए कोई सुरक्षा नहीं है। आपको उनके बारे में सोचना होगा। यदि अभी ऐसा संभव नहीं है तो आपको बाद में उनके बारे में सोचना होगा। सबको पता है कि पथ विक्रेताओं को स्थानीय अधिकारियों और यातायात पुलिस या स्थानीय पुलिस द्वारा परेशान किया जाता है। यह पर्याप्त नहीं है। इस विधेयक में इस संबंध में उपबंध नहीं किया गया है।

मैं धारा 16, अध्याय 4 का उल्लेख कर रहा हूं। यह बहुत अच्छा है कि नगर विक्रय समिति (टाउन वेडिंग कमिटी) वहां है। वार्ड विक्रय समिति (वार्ड वेंडिग कमिटी) भी बहुत अच्छी है। विक्रय समिति के गठन के प्रस्ताव का स्वागत है। इसमें सभी वर्गों के लोगों तथा महिलाओं, अनुसूचित जातियों, अ.पि. वर्गों इत्यादि को शामिल किया गया है और वे लाइसेंस जारी करेंगे। परन्तु यहां यह लिखा है कि जहां स्थानीय प्राधिकारी इस बात से संतुष्ट हो जाता है कि पथ विक्रेता अधिनियम अथवा इसके लिए बने नियमों और योजनाओं के अंतर्गत अपने कर्त्तव्यों और दायित्वों के निर्वहन में लगातार विफल रहा है तो वह ऐसे पथ विक्रेताओं को ऐसी रीति से जो योजना में विनिर्दिष्ट की जाए, बेदखल कर सकता है। 'नगर विक्रय समिति के परामर्श से' जैसा कोई उपबंध नहीं है। नगर विक्रय समिति लाइसेंस जारी कर सकती है परन्तु यदि स्थानीय प्राधिकारी संतुष्ट नहीं होता है तो वह विक्रेताओं को बेदखल कर सकता है। इस पर पुनर्विचार किया जाना चाहिए और इसका पुनर्गठन किया जाना चाहिए और यह संशोधन किया जाना चाहिए।

सभापति महोदय : पांडा जी, कृपया अब समाप्त कीजिए।

श्री प्रबोध पांडा : जी हां, महोदय, मैं समाप्त कर रहा हूं पथ विक्रेताओं के लिए कोई योजना बनाने से पूर्व नगर विक्रय समिति और वार्ड वेंडिग कमिटी से परामर्श किया जाना चाहिए। सरकार को सभा को उस समय-सीमा का विश्वास दिलाना चाहिए जिसमें यह ग्रामीण पथ विक्रेताओं को शामिल करने के लिए और उन पथ विक्रेताओं को शामिल करने के लिए जो अपना व्यापार रेलवे में कर रहे हैं, इस प्रकार का कानून बनाने जा रही है।

मैं पूरी तरह से इस विधेयक का समर्थन करता हूं परन्तु कुछ प्रश्नों और कुछ संशोधनों के साथ और मैं समझता हूं कि मंत्री जी इनका उत्तर देंगे। मैं माननीय मंत्री से आग्रह करता हूं कि स्थानीय प्राधिकारी को इतनी शक्ति न दें कि वे नगर विक्रय समिति से परामर्श के बिना किसी पथ विक्रेता को बेदखल कर सकें।

[हिन्दी]

***श्रीमती रमा देवी** (शिवहर) : आज पथ विक्रेता (जीविका संरक्षण और पथ विक्रय विनियमन) विधेयक, 2012 माननीय मंत्री डॉ. गिरिजा व्यास द्वारा 5 सितम्बर को पेश किया गया। इसके विषय में हम लोगों को उन लोगों की व्यथा बहुत नजदीक से देखने को मिलता है।

भारत ऐसा देश है कि देश में अधिक संख्या गरीबों की है। ऐसे राजनीति करने वाले लोग अपने तो बैठकर राज किए लेकिन जनता को गरीब रखा की समय आने पर कुछ पैसों का टुकड़ा फेंकने पर वोट मिल जाए। आज परिस्थिति इन राजनीतियों की देन है। ये गरीब लोग अपने जीवन यापन करने के लिए अपने परिवार, बच्चों का पालन-पोषण करने के लिए छोटे-छोटे रोजगार सड़क के किनारे दुकान लगाते हैं। इसके लिए इनको बहुत सारे लोगों का ध्यान रखना पड़ता है। कभी पुलिस वाले को, कभी कमीशन खाने वाले को, यहां तक कि इतना दबदा रहता है कि इनकी दुकान सड़कों पर लगाने को मना कर देना इनका समान फेंक देता है। कच्चा सामान खाने-पीने का सामान तो बर्बाद हो जाता है। छोटे दुकानदार हमेशा डरा-सहमा रहता है। क्योंकि घर का खर्च इनके ऊपर ही रहता है। आर्थिक परिस्थिति इनका इतना कमजोर रहता है कि साहूकार से कर्ज सूद पर लेना पड़ता है। ऐसी परिस्थिति जब आती है तो ये सड़कों पर रहते ही हैं और इनको अपने जीवन का बहुमूल्य समय समाप्त हो जाता है। इनके बच्चे पढ़ नहीं पाता जो आगे का भविष्य उज्ज्वल नहीं हो पाता है।

मैं मांग करती हूं कि सड़कों पर काम करने वाले को स्थान निश्चित करे। इनको शेड का इंतजाम करें। सरकार के तरफ से पूंजी की व्यवस्था करें। इनके रात्री शेड की व्यवस्था से सुरक्षित अनुभव करेंगे।

ये हमारे देश के निवासी है और सरकार का कर्त्तव्य बनता है कि इनके साथ जो दुर्व्यवहार हो रहा है उसे हमेशा अपने को सुरक्षित महसूस करें। इनके बच्चे अपने माता-पिता के दयनीय स्थिति को देखकर इनका मनोबल टूट जाता है जिससे आगे अपना भविष्य नहीं बना पाते और इससे

*भाषण सभा पटल पर रखा गया।

गरीबी और शिक्षा बाधित होती है। हमारे देश में जो गरीबी है उसे आप से अनुरोध है कि इनका परिवार को आगे बढ़ने और इनका आगे के भविष्य आप के हाथ में है।

माननीय मंत्री जी ये विधेयक लाकर लाखों लोगों को जीवन का सुधार और आगे अच्छे जीवन जीने के लिए व्यवस्था की है। इसके लिए आपको मेरी तरफ से धन्यवाद। माननीय मंत्री जी ये बिल तो छोटा दिखता है लेकिन लाखों जनता का दर्द इसमें समाहित है। आप ये बिल लाकर इनका दर्द बांटने का काम किया है। इसके लिए भी धन्यवाद देती हूं।

[अनुवाद]

श्री नामा नागेश्वर राव (खम्माम) : पथ विक्रेता (जीविका संरक्षण और पथ विक्रय विनियमन) विधेयक, 2012 पर बोलने का अवसर देने के लिए मैं माननीय सभापति का धन्यवाद करता हूं।

[हिन्दी]

मैं सबसे पहले माननीय मंत्री गिरिजा व्यास जी को धन्यवाद देना चाहता हूं कि कम से कम इलैक्शन से पहले गरीबों के बारे में सोचकर बिल लाई हैं। मिनिस्टर बनने के बाद खुद कोशिश करके किसी तरह से बिल लेकर आई हैं। यह बहुत महत्वपूर्ण बिल है। प्रेजेंट इकनोमिक सिचुएशन में गांव से बहुत लोगों ने शहरों में अपना शुरू कर दिया है। जब ये यूपीए सरकार आई है तब से यह परसेंटेज बहुत बढ़ गई है। भारत में करीब दो से ज्यादा परसेंट पापुलेशन पास के शहरों में आकर अपना सामान बेच रही है। आज इन लोगों को प्रोटेक्ट करने के लिए बिल लाया गया है। हम इसे सपोर्ट कर रहे हैं लेकिन कुछ सुझाव भी देना चाहते हैं।

महोदय, तेलुगू देशम पार्टी के चंद्रबाबू नायडू के समय में गांव से पास के शहरों में स्ट्रीट वैंडर्स के लिए राइट टू बाजार, किसान बाजार के लिए शहरों में कुछ लोकेशन सिलैक्ट की गई थी। इसमें स्ट्रीट वैंडर्स के लिए प्रोवीजन किए गए थे। हर एक डिस्ट्रिक्ट हैडक्वार्टर और हैदराबाद जैसी सिटी में महत्वपूर्ण जगहों पर जोन लोकेट किए। अभी रिसेंटली भुवनेश्वर में वर्तमान सरकार ने बहुत अच्छा सिस्टम बनाया है। इसमें एंटायर भुवनेश्वर के लिए 52 स्ट्रीट वैंडिंग जोन्स को आइडेंटिफाई किया गया है। हर जोन में कितने नंबर होने चाहिए, लोकेट किया और सिस्टेमैटिक काम किया। यह काफी अच्छा रहा है मेरा सुझाव है कि इस तरह से कुछ कीजिए। मैं बहुत कुछ कहना चाहता हूं लेकिन समय कम है। आप राइट टू बाजार के मॉडल को जरूर देखें।

महोदय, सर्टिफिकेट इश्यू करने के लिए समयबद्ध सीमा होनी चाहिए। सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण बात यह है कि इसकी समय-सीमा निश्चित करनी चाहिए। इसी तरह रिनुअल के लिए पीरियड मेंशन होना चाहिए। जो सामान अगर उठाकर लेकर गए हैं, कान्फिसकेटिड किया है, उसे रिलीज करने के बारे में बताना चाहिए। पहली बात तो यह है कि सामान कान्फिसकेटिड नहीं करना चाहिए, स्ट्रीट वैंडर का सामान लेकर चले जाएंगे तो उसका जीना मुश्किल हो जाएगा। जो भी फाइन करना है कर दीजिए लेकिन उसका सामान लेकर नहीं जाना चाहिए।

महोदय, आखिर में मैं यही कहना चाहता हूं कि चैप्टर 3 आइटम नं. 8 में वैंडिंग फीस रखी गई है, इसमें नामिनल फीस होनी चाहिए। अगर इस प्रोवीजन को ओपनली रखेंगे तो ज्यादा फीस देने से दिक्कत होने का स्कोप होगा। इसके साथ बिल को इम्पलीमेंट करने के लिए काफी फाइनेंस की जरूरत है। फाइनेंस के बारे में स्टेट गवर्नमेंट और सैंट्रल गवर्नमेंट ने कहा है हम धनराशि उपलब्ध कराएंगे। मेरा कहना है कि परसेंटेज फिक्स करनी चाहिए कि कितना परसेंट राज्य सरकार बियर करेगी और कितना परसेंट केन्द्र सरकार बियर करेगी।

महोदय, मेरी कांस्टीचुएंसी खम्माम में स्ट्रीट वैंडर्स के लिए हमें भी बहुत बार जोनल स्ट्रीट में जाना पड़ता है। पुलिस बहुत दिक्कत करती है, अथॉरिटी बहुत दिक्कत करती हैं। जब हम कांस्टीचुएंसी में होते हैं, वे लोग हमारे पास परेशानी लेकर आते हैं तो उनसे बात करने के लिए जाते हैं। ऑलरेडी बहुत जगह रेलवे लैंड और म्युनिसिपल लैंड में टैम्परेरी हाट में स्ट्रीट वैंडिंग कर रहे हैं, उन्हें लाइसेंस देकर परमानेंट करना चाहिए। अगर उन लोगों को निकालना है तो जोन में शॉप एलोकेट करके निकालना चाहिए। नहीं तो इन लोगों का जीना मुश्किल हो जाएगा। सरकार को इस तरह का प्रोवीजन रखना चाहिए।

इसके साथ ही मैं अपनी बात समाप्त करते हुए इस बिल का समर्थन करता हूं।

[अनुवाद]

***श्री एम. कृष्णास्वामी** (अरानी) : संप्रग की अध्यक्ष श्रीमती सोनिया गांधी जी के सपनों को साकार करने और डॉ. मनमोहन सिंह के नेतृत्व वाली संप्रग सरकार द्वारा सभा के समक्ष लाया गया यह एक और कल्याणकारी विधान है। संप्रग सरकार ने अपनी दोनों पारियों में कई ऐतिहासिक विधान प्रस्तुत किए हैं जिन्होंने आम आदमी के जीवन को बेहतर बनाया है और यह विधान सकारात्मक बदलाव लाने की प्रक्रिया में एक और मील का पत्थर है। मैं माननीय मंत्री जी को बधाई देता हूं। यह विधेयक समाज के सबसे कमजोर और उपेक्षित लोगों की रक्षा करने वाला है। मैं पथ विक्रेताओं की दयनीय स्थिति के बारे में जानता हूं क्योंकि मैं प्रतिदिन सुबह की सैर के समय उनसे मिलता हूं । वे तरह-तरह की सब्जियां, फल और अन्य सामान बेचने के लिए घर-घर जाते हैं।

लोगों की यह सोच है कि जब आप कुछ बेचने के लिए उनके घर

*भाषण सभा पटल पर रखा गया।

[श्री एम. कृष्णास्वामी]

जाते हो तो वे मोल-भाव करने लग जाते हैं। सब्जियां ताजा होती हैं क्योंकि वे सुबह-सुबह 2-3 बजे उठते हैं और थोक बाजार जाते हैं। इस विधेयक के माध्यम से हम उन्हें छोटे ऋण के लिए साहूकारों द्वारा अत्यधिक ब्याज लेने से बचा सकते हैं। उदाहरण के लिए यदि वे 800/- रु. उधार लेते हैं तो उन्हें एक दिन में 1000/- रु. वापस करने पड़ते हैं।

विक्रेता सामान वाली गाड़ी या रिक्शा को खींचते हैं किन्तु ट्रैफिक पुलिस उन्हें परेशान करती है और निगम अधिकारी भी उन्हें कठिनाई में डालते हैं। पथ विक्रेताओं को शिक्षा ऋण की भांति बैंक ऋण दिया जाना चाहिए। शिक्षा ऋण के कारण हजारों छात्रों को लाभ होता है। वे इसका पुनर्भुगतान भी कर रहे हैं। इसी प्रकार, विक्रेता भी पुनर्भुगतान करेंगे और उनका जीवन आरामदायक हो जाएगा। कुछ चूककर्त्ता भी हो सकते हैं जो कोई बड़ी बात नहीं है। यदि विक्रेताओं के परिवार में कोई मर जाता है तो सरकार को उन्हें कुछ धनराशि देकर उनकी सहायता करनी चाहिए। मैं माननीय मंत्री जी को बधाई देता हूं।

शायद ही कोई ऐसा व्यक्ति होगा जिसकी पथ विक्रेताओं से बातचीत न होती हो और जो हमारे दैनिक जीवन में उनकी सहायक भूमिका को स्वीकार न करता हो। वे हमारे समाज का एक ऐस हिस्सा हैं जिनके हमारे रोजमर्रा के जीवन में योगदान को ज्यादातर भुला दिया जाता है। उनका उद्यम कौशल उनकी आजीविका कमाने में सहायता करता है। हमारी जनसंख्या के इतने बड़े हिस्से के जीवन को बेहतर बनाना ही इस विधेयक का उद्देश्य है। स्व-रोजगार करने वाले पथ विक्रेता काफी मेहनती जीवन व्यतीत करते हैं। वे काफी सुबह सेले कर देर रात तक परिश्रम करते हैं और प्राय: 16 घंटों से अधिक काम करते हैं। उनका रोजमर्रा का जीवन इतनी सुबह शुरू होता है जब हममें से अधिकांश लोग गहरी नींद में होते हैं। वे थोक बाजार जाते हैं, अपना सौदा खरीदते हैं, अपने कारोबार की जगह आते हैं, सामान को अलग-अलग करते हैं और उनकी खुदरा बिक्री करते हैं। जब तक हम उठते हैं वे तीन-चार घंटे काम कर चुके होते हैं और अपने माल की बिक्री करके कमाई करने का प्रयास करते हैं। उनकी सेवा से ही हमारा जीवन आरामदायक और इस हद तक सरल बना है कि हम अनावश्यक चिंता से बच जाते हैं। यह विधेयक पथ विक्रेताओं को बेहतर स्थान देने और अपने आजीवका को बेहतर तरीके से कमाने में आ रही परेशानी को दूर करने की मांग करता है। हम सब जानते हैं कि पथ विक्रेता हमारी जनएंख्या के अपेक्षाकृत गरीब तबके से संबंधित है जो असंगठित होते हैं। यह विधेयक जनता की आवाजाही में न्यूनतम गतिरोध उत्पन्न करने के मद्देनज़र उनके कार्यकलापों को विनियमित करने का तंत्र प्रदान करके पथ विक्रेताओं को आसानी से एक ईमानदार जीवन जीने की व्यवस्था करता है।

यह पथ विक्रेताओं को कुछ संरक्षण प्रदान करने की गारंटी भी देता है। जहां तक प्रत्येक व्यक्ति को पथ विक्रय कार्यकलाप करने हेतु अनिवार्य पंजीकरण करने और उन्हें विक्रय प्रमाण-पत्र और पहचान-पत्र जारी करने का संबंध है, विधेयक में प्रत्येक स्थानीय प्राधिकरण में एक नगर विक्रय समिति, जिसमें 40% पथ विक्रेता होंगे का गठन करने का प्रावधान है जिसमें विभिन्न वर्ग के विक्रेताओं का समुचित प्रतिनिधित्व होगा। विक्रेताओं की सामाजिक सुरक्षा एक महत्वपूर्ण पहलू है जोकि इन वर्गों के कल्याण हेतु अनिवार्य है। विधेयक का ध्येय पथ विक्रेताओं के लिए क्रेडिट, बीमा और सामाजिक सुरक्षा की अन्य कल्याणकारी योजनाओं को उपलब्ध कराने संबंधी उपाय करना है।

विधेयक पंजीकृत विक्रेताओं के अधिकारों की रक्षा करता है और उन्हें निर्दिष्ट सड़क पर माल बेचने के अधिकार से रोकने वाले किसी व्यक्ति या पुलिस या किसी अन्य प्राधिकारी से उनकी रक्षा करता है। निस्संदेह यह उपाय कानून का पालन करने वाले पथ विक्रेताओं के लिए भारी राहत देने का एक स्रोत है। विधेयक में विक्रय जोन और आसपास के क्षेत्रों में सफाई और स्वच्छता लागू करने का भी प्रावधान है।

एक ओर जहां हम किसी मॉल या सरकारी शोरूम में बेचे गए उत्पाद के लिए अत्यधिक कीमत का भुगतान करते हैं वहीं दूसरी ओर किसी साधारण पथ विक्रेता द्वारा वही उत्पाद बेचने पर हम मोल भाव करते हैं और कई बार उचित कीमत देने पर भी तैयार नहीं होते हैं। मैडम ने काफी अच्छा विधेयक पुर:स्थापित किया है।

मुझे यह भी आशा है कि इस विधान से विक्रेता भी नैतिक मानकों का कड़ाई से पालन करेंगे। हमें यह महसूस करना चाहिए कि आम जनता और विक्रेता एक दूसरे के लिए बने हैं। कोई भी एक दूसरे के बिना नहीं रह सकता है और इस विधेयक में पथ विक्रेताओं के कल्याण की मांग की गई है।

मैं इस विधेयक का तहेदिल से समर्थन करता हूं और इसकी प्रशंसा करता हूं।

[हिन्दी]

***श्री सतपाल महाराज** (गढ़वाल) : मैं पथ विक्रेता बिल का समर्थन करता हूं। हमारे देश के शहरों में ही नहीं अपितु गांवों, कस्बों में भी लाखों लोग अपने परिवार का भरण पोषण सम्मान करने के लिए सड़क पर ही सीमित साधनों द्वारा छोटा-मोटा कार्य कर रहे हैं। धन व शिक्षा के अभाव में लोग सड़क पर ही सामान बेच जीवन यापन कर रहे हैं।

*भाषण सभा पटल पर रखा गया।

मेट्रो सिटिज ही नहीं अन्य शहरों में भी जब आप जाएंगे तो देखेंगे कि लोग सड़क पर सामान बेच रहे हैं। यह भी दृष्टिगोचर आपको होगा कि इन पथ विक्रेताओं से पुलिस वाले, नगर निगम/नगर पालिका वालों के साथ-साथ स्थानीय दबंग भी इनसे हफ्ता वसूली व इनका सामान फ्री में ही उठा कर ले जाते हैं और वे बेचारे बेबसी में कुछ भी नहीं कह पाते, न कुछ कर पाते क्योंकि उन्हें सम्माननीय तरीके से इसी प्रकार कार्य कर परिवार को पालना है।

मेरे ही संसदीय क्षेत्र के अंतर्गत कोटद्वार, में जो कि जिला पौड़ी गढ़वाल के अंतर्गत आता है, वहां कि कैनाल मार्किट में खोखों में सैंकड़ों व्यक्ति कार्य कर परिवार का पेट पाल रहे हैं। ये लोग सन् 1980 से ही इस मार्किट में कार्य कर रहे हैं। 1980 से ही सिंचाई विभाग इनसे लीज के रूप में राजस्व लेता रहा है परंतु अचानक सन् 2000 से विभाग ने इनसे राजस्व लेना बंद कर दिया है। लीज न लेने के कारण विभागीय अधिकारियों द्वारा अब इन्हें उठाने का नोटिस देकर इनका उत्पीड़न किया जा रहा है। सिंचाई विभाग खोखे वालों से तो लीज नहीं ले रहा, परंतु गृहकर अभी तक नियमित रूप से ले रहा है। इन लोगों के खोखों के कारण न तो वहां यातायात बाधित होता है और न ही किसी अन्य को किसी प्रकार की परेशानी होती है क्योंकि जिस जगह ये खोखे हैं वहां केवल पैदल व्यक्ति या दुपहिया वाहन ही निकल सकता है। ऐसे में जो लोग कार्य कर रहे हैं, उन्हें इस प्रकार सुविधाएं देनी चाहिए जिसे वहां वे वर्षों से कार्य कर रहे हैं, वहां उन्हें करने दिया जाए। इसी प्रकार पौड़ी तथा रामनगर जिला नैनीताल में भी पथ विक्रेताओं को बिना किसी सूचना के कभी भी हटा दिया जाता है अथवा उनका सामान जब्त कर लिया जाता है।

बिल में सरकार द्वारा अच्छे प्रावधान किए गए हैं पर मेरे कुछ अन्य सुझाव हैं जिस पर भी सरकार को ध्यान देना चाहिए।

इन पथ विक्रेताओं के लिए हाट विकसित किए जाने चाहिए। ये हाट वाटर प्रूफ बनने चाहिए। जिससे वर्षा के मौसम में भी ये लोग सुचारू रूप से कार्य करते रहें तथा इनके सामान को भी नुकसान न पहुंचे।

इन लोगों को क्रेडिट कार्ड, इंश्यूरेंस फैसलिटी प्रदान करनी चाहिए। साथ ही इनका रजिस्ट्रेशन करना चाहिए। महिलाओं, विकलांगों, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अल्पसंख्यक व अन्य पिछड़ा वर्गों को प्राथमिकता देनी चाहिए।

पथ विक्रेताओं के बच्चों को शिक्षा के लिए कोई योजना बनाकर उन्हें निःशुल्क शिक्षा प्राप्त करवानी चाहिए। सामाजिक व व्यवसायिक हितों की रक्षा के लिए योजना बनानी चाहिए। उनके व उनके परिवार के लिए कल्याणकारी योजनाएं बनाकर कार्यान्वित करनी चाहिए। उनकी परेशानियों, समस्याओं को दूर करने के लिए एक सेल का गठन किया जाना चाहिए, जो उनकी समस्याओं को विस्तार से सुनकर उनका शीघ्र निदान कर सके।

पथ विक्रेताओं व उनके परिवार के सदस्यों के जीवन स्तर को ऊपर उठाने के लिए एक कार्य योजना तैयार की जानी चाहिए।

इनके साथ-साथ पथ विक्रेताओं के लिए भी दिशा-निर्देश बनने चाहिए जिसमें उन्हें यह हलफनामा देना होगा कि उनके कार्य स्थल के आसपास साफ-सफाई रखनी होगी। बरसात के मौसम यह सुनिश्चित करना होगा कि वहां जल भराव न हो ताकि कोई महामारी न फैले।

अंत में अपनी बात समाप्त करते हुए पथ विक्रेता बिल, 2012 का समर्थन करता हूं।

श्री जगदानंद सिंह (बक्सर) : माननीय सभापति महोदय, मैं पथ विक्रेता (जीविका संरक्षण और पथ विक्रय विनियमन) विधेयक, 2012 के समर्थन में बोलने के लिए खड़ा हुआ हूं। इस देश में व्यवयास और व्यापार करने का मौलिक अधिकार है। यह अब तक धनवानों के लिए था और अब गरीब भी सम्मानजनक व्यवसाय कर पाएं, इस कानून से इन्हें अधिकार मिल जाएगा।

महोदय, ये कौन लोग हैं जिनके लिए विधेयक लाया गया है? ये वे हैं जो लगातार 12 घंटे जीविकोपार्जन के लिए फुटपाथों पर काम कर रहे हैं। मौसमी प्रकोप, चाहे वह गर्मी हो, जाड़ा हो, बरसात हो, फुटपॉथों पर अपने जीविकोपार्जन के लिए लगातार प्रयास करते हैं। जिनके लिए देश अब तक स्वास्थ्य और सामाजिक सुरक्षा का कोई इंतजाम नहीं कर पाया है। इनकी आमदनी न्यूनतम मजदूरी से भी कम होती है। पूरे देश के पैमाने पर जो आकलन किया गया है, इस पेशे के माध्यम से औसत एक व्यक्ति 70 रुपये से अधिक नहीं कमा पाता है और महिलाएं 40 रुपये से अधिक नहीं कमा पाती हैं। इसके लिए उनके पास कोई पूंजी नहीं है, कोई बैंक, कोई सरकारी संस्थान, कोई कोऑपरेटिव संस्थान आदि इन्हें सूद पर पैसा नहीं देता। स्ट्रीट वैंडर्स को वही लोग सूद पर पैसा देते हैं, जो शाम को मूल और सूद के साथ वसूल लेते हैं और कहीं-कहीं इन निरीह और अनाथ लोगों को 110 प्रतिशत सूद देना पड़ता है। इसके साथ वे जो कुछ भी कमाते हैं, इस नियम के न होने के कारण जिस पुलिस, प्रशासन की कृपा से अपने जीविकोपार्जन के लिए सड़कों पर बैठ पाते हैं, उन्हें अलग से घूस देनी पड़ती है। उनके पास पूंजी नहीं हैं, उन्हें कोई बैंक पैसा नहीं देता और जो थोड़ा बहुत वे व्यवसाय करके कमाते हैं, वह घूस देने में चला जाता है।

महोदय, जब टाउन प्लानिंग होती है तो पार्कों, अस्पतालों, ऑफिस, आवासीय कॉलोनी, बस, रेल टर्मिनल के साथ माल और शॉपिंग के लिए तो टाउन प्लानिंग होती है, लेकिन गरीबों के लिए कोई ऐसा स्थान उस

[श्री जगदानंद सिंह]

प्लानिंग का हिस्सा नहीं बनता, जहां वे लोग भी अपने जीविकोपार्जन का साधन पैदा कर सकें। इनके बारे में शहरों में रहने वाली इनकी दो प्रतिशत आबादी का आकलन है। ये कौन लोग हैं, ये स्वरोजगार पैदा करते हैं, इसमें कहीं भी सरकार का सहयोग नहीं है। जबकि सरकार की स्वरोजगार की नीति है। लेकिन ये लोग स्वयं ही पूंजी जुटाते हैं, प्रकृति के खिलाफ लड़ते हैं और भूखे रहकर न्यूनतम मजदूरी से कम पर अपने बूते पर स्वरोजगार करते हैं। ये लोग सबको सेवा देते हैं। शहर के रहने वाले गरीब लोगों के लिए सुलभ और किफायती सेवा के ये स्रोत हैं। ये हमारे समाज के आवश्यक अंग हैं। ये अपने में अनाथ भले ही हो सकते हैं, लेकिन ये सबका सहयोग करते हैं, बिल्कुल दरवाजे पर जाकर अपना सामान देते हैं। ये लोग रेहड़ी चलाकर या फुटपाथ पर अपने सामान का विक्रय करके गुजारा करते हैं। ये लोग अपनी आजीविका अल्प पूंजी में चलाते हैं। ये कोई साधारण लोग नहीं हैं। ये असंगठित पथ विक्रेताओं के लगातार प्रयास के बाद इस स्थिति तक यह बात आई है। यह ठीक है कि इस नियम के अनुसार अब इन्हें कानूनी दर्जा दिया जायेगा। इन्हें नागरिक सुविधाएं भी दी जायेंगी। डाउन वैंडिंग कमेटी के द्वारा पारदर्शी विनियमन भी होगा। फेरी वालों को संगठन बनाने के लिए कानून इजाजत देगा। भागीदारी की प्रक्रियाएं, पुलिस प्रशासन, एसोसिएशन और नागरिकों को मिलाकर जो टाउन वैंडिंग समिति बनेगी, उसमें सबके प्रतिनिधि रहेंगे और स्वनियमन की कल्पना की गई है। ये स्वयं ही अपना पेशा कर पायेंगे, लेकिन जो नगर की सुविधाएं हैं, उसमें भी इनके द्वारा कोई परेशान नहीं आयेगी।

महोदय, तीन वर्षों में यह विधेयक लम्बित है। राष्ट्रीय नीति 2004 में बनी, संशोधन 2009 में हुआ। माननीय सुप्रीम कोर्ट का सरकार को 2010 में निर्देश हुआ और आज यह विधेयक कानून का स्वरूप लेने के लिए आया है। इस देश में इनकी एक करोड़ से अधिक संख्या है, जो सड़कों पर अपने जीविकोपार्जन के एिल संघर्ष कर रहे हैं। इन एक करोड़ लोगों में केवल 55 हजार लोग ही ऐसे हैं, जिन्हें प्रमाण पत्र या लाइसेंस मिल पाया है कि वे काम कर सकें, बाकी सब बेसहारा लोग अन्य लोगों के द्वारा प्रताड़ित होते रहते हैं। टाउन वैंडिंग कमेटी का कान्सैप्ट बहुत अच्छा है और इसमें पचास प्रतिशत सरकारी कार्मिक होंगे। 40 प्रतिशत वेंडरों के द्वारा निर्वाचित होंगे। लेकिन 10 प्रतिशत वेंडर ही इसमें शामिल होंगे। माननीय मंत्री जी, इसको थोड़ा सा फिर से देखा जाए। जो अनाथ रहे हैं, राजनैतिक रूप से, सामाजिक रूप से, प्रताड़ित होते हुए, वर्षों के बाद संगठित हो कर, जब इस स्तर पर आए हैं तो निश्चित ही उन्हें प्रमाण-पत्र दिया जाएगा, परिचय पत्र दिया जाएगा। आप वेंडिंग जोन बनाएंगे। उनके प्रमाण-पत्र में अवधि भी तय होगी कि इतने ही दिन काम करेंगे। यदि कहीं गलती हो गई तो आप उन पर ढाई सौ रुपये का जुर्माना कर देंगे। ये लोग दया के पात्र हैं। शायद जुर्माना देने का मतलब है कि जो थोड़ी बहुत पूंजी हाथ में आती है, प्रताड़ित होने के बाद वह भी हाथ से चली जाएगी। इस नियम में है कि अगर कोई स्थान बदलने के लिए कहा जाएगा तो इनको 15 दिन का ही समय देंगे। मैं आपसे आग्रह करता हूं कि स्थान बदलने के लिए यदि इनको कहीं से तो कम से कम 3 महीने का समय तो मिलना ही चाहिए।

दूसरी बात है, मैं यह सलाह देना चाहता हूं कि जब इतनी बात इनके लिए हो रही है और इनको कानूनी मान्यता मिलने जा रही है तो कृपया कर इस स्वरोज़गार के लिए जो इस पूरे देश का कानून बना हुआ है, स्वरोजगार के लिए लोग सहायता देते हैं, बैंकों के द्वारा अब इन्हें भी, क्योंकि अब नियमित हो रहे हैं, इनको आप एक आधार देने जा रहे हैं तो इनकी पूंजी भी इनके हाथ में आ सके, ताकि ये केवल सड़क पर ही न रहें, ये व्यापार करते हुए आगे भी जा सकें, इसलिए बैंकों का भी कहीं न कहीं इनको समर्थन मिलना चाहिए। ताकि केवल फुटपाथ पर ही न रह जाएं, प्रकृति के खिलाफ़ लड़ते हुए, जो सेवा कर रहे हैं, उनको सहयोग भी मिले। इन्हीं शब्दों के साथ मैं इस बिल का पुरज़ोर समर्थन करता हूं। *...(व्यवधान)*

सभापति महोदय : यह सब रिकॉर्ड में नहीं जाएगा।

*(व्यवधान)...**

श्री गणेश सिंह (सतना) : सभापति जी, मैं पथ विक्रेता (जीविका संरक्षण और पथ विक्रय विनियमन) विधेयक, 2012 पर बोलने के लिए खड़ा हुआ हूं। सरकार ने बहुत लंबे समय के बाद इन गरीबों के बारे में चिंता की है। देश की बहुत बड़ी आबादी का एक बड़ा हिस्सा आज पटरियों पर बैठकर अपनी जीविका को चलाने के लिए मजबूर है।

गांवों के लोग सर्वाधिक संख्या में शहरों की ओर पलायन कर रहे हैं। मैं मानता हूं कि गांवों में जो परंपरागत व्यापार थे, वे जो बंद हो गए हैं। उस कारण से लोग रोजी रोटी की तलाश में शहरों की ओर भाग रहे हैं। जब उनको कहीं और काम नहीं मिलता है तो वे सड़क के किनारे बैठ कर अपनी जीविका को चलने के लिए छोटे-छोटे धंधे करने का काम कर रहे हैं।

महोदय, उनका सचमुच एक असंगठित क्षेत्र है। उनका कोई संगठन नहीं है। इस वजह से उनका शोषण भी बहुत हो रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने भी इस बात को माना है कि उनको जीविकोपार्जन करने का अधिकार है और सरकार को उनके लिए कुछ न कुछ सुविधाएं उपलब्ध कराने का

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

काम करना चाहिए। आज उनके लिए किसी भी शहर में जगह तय नहीं है। पुलिस का भय रहता है और खास तौर पर बड़े शहरों में ज्यादा होता है। मुंबई, कोलकाता, बेंगलुरु और दिल्ली आदि जो बड़े-बड़े शहर हैं, वहां पर पुलिस के लोग आज भी हफ्ता वसूल कर रहे हैं। उनके क्षेत्रों के जो गुंडा किस्म के लोग होते हैं, उनको भी पैसा देना पड़ता है। नगरी निकाय का जो भय है, वह तो है ही क्योंकि म्यूनिसिपल के अपने अलग कानून हैं। उन क्षेत्रों की जो ठेकेदारी दे दी जाती हैं, सड़कों के किनारे जो लोग रोजगार करते हैं, उनसे जबरन पैसा वसूली होती है। उनके हफ्ता वसूली होती है। यह समस्याएं उनके सामने हैं। बरसात के दिनों में उनका जो सामान खराब होता है, छाता लेकर वे बेचारे अपनी रोजी-रोटी की तलाश में बैठे रहते हैं। जब उनका सामान खराब हो जाता है, उसके लिए कोई भी व्यवस्था नहीं है।

एक बात तो मैं जरूर कहूंगा कि आज इस बिल के माध्यम से उनकी बहुत सारी समस्याओं के निदान का इसमें प्रावधान रखा गया है, लेकिन मुझे लगता है कि उनमें और गहराई से जाने की जरूरत है। इस बिल के माध्यम से उनके रजिस्ट्रेशन आदि की जो व्यवस्था होनी है, इस विधेयक के पारित होने के बाद तो जहां पर वे वर्तमान में मौजूद हैं, अगर उनको वहां से हटाकर सर्वेक्षण कराया जायेगा तो बड़ी संख्या में वे तो बाहर ही रह जायेंगे। इस बात को ध्यान में रखा जाये ताकि उनके साथ अन्याय न होने पाये। इसी तरह से जो समिति बनने वाली है, उसमें प्रावधान तो 40 प्रतिशत इन्हीं दुकानदारों के बीच के प्रतिनिधियों को लेने का है, लेकिन मेरा मानना है कि 40 प्रतिशत कम है, उसे 50 प्रतिशत के आसपास करना चाहिए। आधा उनके हिस्से में हो और आधा जो और जनप्रतिनिधि या म्यूनिसिपल समिति के जो सदस्य होंगे, उनमें से बनेंगे। मैं समझता हूं कि ऐसा करने पर ही उनके साथ न्याय हो पायेगा। जहां पर उनके लिए जगह आरक्षित हो, वहां कम से कम सुरक्षा की दृष्टि से सीसीटीवी कैमरे लगने चाहिए, वहां पर उनके लिए पेयजल की व्यवस्था होनी चाहिए, बिजली आदि की व्यवस्था होनी चाहिए, शौचालय आदि की व्यवस्था होनी चाहिए। कई बार देखा जाता है कि वे बेचारे रात में वहीं सो जाते हैं, उनके लिए रैन बसेरा की व्यवस्था होनी चाहिए, मुझे लगता है कि ये सारी सुविधाएं भी इसमें जोड़ा जाना जरूरी हैं। उनके सामान की रक्षा के लिए उसका बीमा होना बहुत जरूरी है। वे बचारे बहुत मुश्किल से किसी से पैसा उधार लेकर अपने जीविकोपार्जन का काम करते हैं, लेकिन अगर वह सामान खराब हो गया तो उनकी भरपाई कहां से होगी, यह उनके लिए सबसे बड़ा सवाल है। उनके बच्चों की पढ़ाई-लिखाई की व्यवस्था, उनके लिए आवास की व्यवस्था होनी चाहिए और सस्ती ब्याज दर पर उन्हें ऋण उपलब्ध होना चाहिए।

मैं माननीया मंत्री जी का ध्यान आकृष्ट कराना चाहता हूं कि आप तो इस बिल को अभी लाये हैं, लेकिन वर्ष 2012 में हमारी मध्य प्रदेश की सरकार ने इन गरीबों के लिए एक कानून बनाया। उन्होंने उसमें प्रावधान किया और अब तक 82 हजार हितग्राहियों का सर्वे कराकर उन्होंने उनको परिचय-पत्र दे दिया। उससे हमें कुछ न कुछ सीखना चाहिए। हॉकर जोन बना दिया, उन्होंने तीन हॉकर जोन बनाये, एक ग्रीन शेड, एक यलो शेड और एक रेड शेड। ग्रीन शेड में उन्होंने कहा कि जहां हम उनको भूखंड देंगे, जहां पर उन्हें दुकान लगानी है, वह जगह उनकी आरक्षित होगी और उससे उनको बेदखल नहीं किया जा सकता है, उनको अधिकार-पत्र देंगे। इसी तरह से यलो शेड में समय निर्धारित किया गया है। यलो शेड में उन्होंने समय निर्धारित किया है कि आप सुबह इतने बजे से लेकर रात इतने बजे तक ही इस पर अपना रोजगार कर सकते हैं। रेड जोन को उन्होंने छोड़ दिया है, जहां पर बहुत भीड़-भाड़ का इलाका होता है, नेशनल हाइवे है या कोई स्कूल है, कॉलेज है, हॉस्पिटल है, ऐसी जगहों पर उन्होंने प्रतिबन्धित किया है और बाकी जगहों पर उनको पूरी सुविधा देने की कोशिश की है। वे उन्हें पांच हजार रुपये तक का लोन बैंक से सस्ती ब्याज दर पर दिला रहे हैं और ढाई हजार रुपये की उनको सब्सिडी दे रहे हैं। मात्र 250 रुपये उनका प्रीमियम जमा होता है, बाकी का उनका कर्ज होगा और एक साल का उनको पांच हजार का क्रेडिट कार्ड मिलेगा। इसके बाद दूसरे साल से उनको 25 हजार का क्रेडिट कार्ड मिलेगा। इसकी पूरी गारंटी राज्य सरकार ले रही है। ऐसी सुविधा उन्होंने उसमें की है। मैं चाहूंगा कि इस बात को आप अपने इस विधेयक में भी शामिल करें। इसी तरह से उन्होंने उन जगहों को विकसित करने के लिए, जहां पर शहर में वह क्षेत्र हैं, जहां पर ये बैठते हैं, उसको सुरक्षित रखने के लिए उन्होंने अभी तक 14 करोड़ रुपया दिया है ताकि उसे विकसित किया जाये। इसी तरह से इसमें भी प्रावधान होना चाहिए।

माननीया मंत्री जी मैं आपसे निवेदन करूंगा कि जो व्यवस्था मध्य प्रदेश सरकार ने की है, उसको अगर इस विधेयक में शामिल करेंगे तो इसकी सार्थकता और सिद्ध होगी। उन्होंने सिर्फ इतना ही नहीं किया, उन्होंने इन गरीबों को एक रुपये किलो का गेहूं, दो रुपये किलो का चावल आदि भी देने का प्रावधान किया है। उनकी बेटियों की शादी के लिए 15 हजार रुपये देने का प्रावधान किया है। उनके लिए निःशुल्क दवाई, निःशुल्क जांच की भी व्यवस्था की है। उनके बच्चों की पढ़ाई के लिए व्यवस्था की है। ये सारी सुविधायें उन्होंने दी हैं। यहां तक कि अगर उनके घर में कोई बीमार हो जाये और गंभीर बीमारी से वह ग्रसित हो जाये तो उसका इलाज सरकार अपने खर्च पर राज्य बीमारी सहायता के माध्यम से करायेगी। ये सारी सुविधाएं उन परिवारों के लिए होनी चाहिए। उनका अंतिम संस्कार भी सम्मान पूर्वक हो जाए, इसकी भी व्यवस्था सरकार ने की है। मैं इतना ही निवेदन करूंगा कि इस बिल में एक तरफ आप एफडीआई ला रहे हैं। बड़े शहरों में जो एफडीआई आएगा, ऐसे चार करोड़ परिवार

[श्री गणेश सिंह]

पूरे देश में हैं जिनका व्यापार बंद होने वाला है। ऐसे समय पर आपने इनकी चिन्ता की है। निश्चित तौर पर इनको और गारंटी देने की जरूरत है। सिर्फ उनको सुरक्षा के नाम पर कोई हटाएगा नहीं, कोई बेदखल नहीं करेगा, इतने में काम चलने वाला नहीं है। उनके व्यापार को संरक्षित करने के लिए और तमाम उपाय इसके साथ जोड़िए, तभी इस बिल की सार्थकता है। मैं इस बिल का समर्थन करते हुए आपका धन्यवाद करता हूं।

***श्री जगदम्बिका पाल** (डुमरियागंज) : माननीय मंत्री द्वारा प्रस्तुत विधेयक में देश के करोड़ों लोग को अधिकार कानूनी तौर से सुरक्षित हो सके। उक्त विधेयक में देश के शहरी आबादी के 2.5% आबादी जो सड़कों के फुटपाथ पर परिवार की जीविका हेतु अस्थायी दुकानें लगाते हैं। ये ज्यादातार वो लोग हैं जो गांवों में रोजगार के अभाव में शहरों की ओर पलायन करते हैं और शहरों में जाकर के फुटपाथ पर रेहड़ी, खोमचें की दुकान लगाकर अपने परिवार का भरण-पोषण करते हैं। बिडम्बना है कि ज्यादातर स्ट्रीट वेन्डर्स के पास रहने के लिए कोई जगह नहीं होती है। फलस्वरूप दिन में फेरी एवं दुकान लगाते हैं और रात को उसी फुटपाथ पर सो जाते हैं। दिनभर की थकावट के बाद ठीक से उन्हें पुलिस सोने नहीं देती है। यहां तक कि दुकान लगाने के लिए उन्हें पुलिस, नगरपालिका, आसामाजिक तत्वों को पैसा देना पड़ता है। फिर भी सुरक्षित नहीं रहते हैं। कभी-कभी उनकी पूरी पूंजी लगाकर के जिस सामान की बिक्री करते हैं उसे स्थानीय नगर की संस्थाएं एवं प्रशासन जब्त कर लेती है जिसके कारण उनके समक्ष पुन: पूंजी का अभाव हो जाता है। भर्ती के अभाव में उन्हें मजदूरी करने के लिए बाध्य होना पड़ता है। अभी यह परंपरा है कि ग्रामीण क्षेत्र का गरीब जब गांव में परिवार के भरण-पोषण के लिए काम नहीं मिलता है तो वह गांव छोड़कर शहरों एवं महानगरों के लिए रास्ता पकड़ता है। आज पूरे भारत में उत्तर प्रदेश के पूर्वी हिस्से सिद्धार्थनगर, बलरामपुर, बस्ती, महाराजगंज, बहराइच, गोरखपुर, संत कबीरनगर, बाराबंकी, गोंडा एवं देवरिया, जौनपुर, वाराणसी आदि जिले के लाखों लोग मुम्बई एवं उनके उप-नगरों में फुटपाथ पर गुजर-बसर कर रहे हैं। फुटपाथ उनकी जीविका एवं निवास दोनों है। दिन में गर्मी, बरसात एवं जाड़े में छोटी-मोटी दुकान करके परिवार का सहारा बनते हैं। इसीलिए कांग्रेस एवं यूपीए की सरकार द्वारा उन करोड़ों लोगों के लिए जीने की सुरक्षा एवं कानून बना करके अधिकार प्रदान करने का प्रयास किया गया है। अभी तक पथ-विक्रेता को कोई जीविका का संरक्षण नहीं मिलता है। यहां तक कि उनके लिए कोई पथ विक्रय, पथ-विक्रेता (जीविका संरक्षण और पथ-विक्रय विनियमन) विधेयक, 2012 सदन में प्रस्तुत किया गया है। इस बिल के पास होने के बाद पथ-विक्रेताओं का रजिस्ट्रीकरण किया जाना अनिवार्य होगा। हर पथ-विक्रेता को रजिस्ट्रीकरण का प्रमाण-पत्र जारी किया जाए। ऐसी दशा में वही व्यक्ति पथ में विक्रय के लिए दुकान लगा सकता है जिसके पास रजिस्ट्रीकरण का प्रमाण-पत्र होगा। ऐसी परिस्थिति में पथ-विक्रेता को अधिकारों की सुरक्षा सुनिश्चित होगा।

इस कानून के बन जाने के बाद प्रत्येक पथ-विक्रेता को उसे आवंटित विक्रय जोनों में विक्रय प्रमाण-पत्र और समुचित सरकार द्वारा विरचित स्कीम में वर्णित निबंधनों और शर्तों के अनुसार पथ-विक्रय क्रियाकलापों का कारबार करने का अधिकार होगा। प्रत्येक ऐसा पथ-विक्रेता जिनके पास विक्रय प्रमाण-पत्र है, धारा 18 के अधीन उसके पुन: स्थापन की दशा में अपने विक्रय क्रियाकलाप करने के लिए यथास्थिति ऐसे नवीन स्थल या क्षेत्र का हकदार होगा जो स्थानीय प्राधिकारी द्वारा अवधारित किया जाए। पथ-विक्रेता के अंतर्गत कई तरह के विक्रेता होते हैं। पहला स्थिर विक्रेता, दूसरा चल-विक्रेता या कोई अन्य प्रवर्ग जो विहित किया जाए। यदि पथ-विक्रेता के लिए स्कीम नहीं होगी तो वह अपने परिवार के प्रति कैसे जिम्मेदारी निभाएगा। क्योंकि घर की पत्नी अपने सुहाग को परिवार के सहारा के लिए खाने की पोटली बांध करके शहर के लिए खाना करती है तो उसके आंखें में एक ही सपना होता है कि मेरा पति परदेश जाकर के फुटपाथ पर रोजी-रोटी के लिए छोटा-मोटा काम करके गांव के लिए पैसा भेजेगा तभी घर का खर्च चलेगा। इस विधेयक से इस तरह के सभी लोगों को सुरक्षा प्रदान करेगी। पूरे सिद्धार्थनगर जनपद के प्रत्येक परिवार से एक व्यक्ति बाहर शहरों में मुम्बई, दिल्ली, अहमदाबाद, सूरत, चेन्नई, कोलकाता में जाता है। आज पूरा सिद्धार्थनगर मनीआर्डर इकोनोमी से लोगों की रोटी-रोटी चलती है। इसलिए इस ऐतिहासिक बिल जो पथ-विक्रेता नगरीय जनसंख्चया के एक महत्वपूर्ण भाग का गठन करते हैं।

पथ-विक्रेता वे लोग हैं जो अपनी शिक्षा और कौशल के निम्न स्तर के कारण पारिश्रमिक रूपी प्रारंभिक सेक्टर में नियमित काम पाने में असमर्थ है। वे अपनी जीविका अपने अल्प वित्तीय संसाधनों और श्रम साध्य साम्या के माध्यम से उपार्जित करते हैं। पथ-विक्रेय स्व-नियोजन का एक साधन उपलब्ध कराता है और इस प्रकार वह सरकार के किसी बड़े हस्तक्षेप के बिना नगरीय गरीबी को खत्म करने के एक उपाय के रूप में कार्य करता है। पथ-विक्रय अधिकांश नगरीय जन-समुदाय को सस्ती एवं और साथ ही सुगम सेवाएं उपलब्ध कराने के एक परिकरण के रूप में कार्य करता है। ये नगरीय क्षेत्रों में आर्थिक वृद्धि की प्रक्रिया का एक एकीकृत भाग है।

अत: मैं माननीय मंत्री जी द्वारा प्रस्तुत पथ-विक्रेता (जीविका संरक्षण और पथ-विक्रेता विनियमन) विधेयक, 2012 का समर्थन करता हूं।

*भाषण सभा पटल पर रखा गया।

श्री संजय निरुपम (मुम्बई उत्तर) : सभापति जी, बहुत-बहुत शुक्रिया। फेरी वाला यानी हमारे समाज का आर्थिक दृष्टिकोण से सबसे नीचे पायदान पर खड़ा हुआ समाज का एक वर्ग। ऐसे कमज़ोर, महागरीब वर्ग के लिए देश के सर्वोच्च सदन में हम कानून बना रहे हैं, सबसे पहले मैं इस सर्वोच्च सदन को सलाम करता हूं। हमारी बहन कुमारी गिरिजा व्यास जी, जो मंत्री पद का पदभार ग्रहण करने के बाद जो पहला बिल इस देश के फेरीवाला, रेहड़ीवाला, स्ट्रीट वैंडर और हॉकर्स के कल्याण के लिए लेकर आई हैं, इसके लिए मैं मंत्री जी को भी बहुत-बहुत शुक्रिया अदा करता हूं।

महोदय, फेरी वालों का विषय एक अर्से से कम से कम मुम्बई में एक बहुत ही विवादास्पद विषय माना जाता रहा है। लोग मजबूरी में सड़क पर बैठकर, चाहे धूप हो या बारिश हो, इस फेरी का धंधा करते हैं। एक सवाल उठाया गया कि अलग-अलग राज्यों ने कानून बनाए लेकिन सैन्टर ने कभी कानून नहीं बनाया क्योंकि स्ट्रीट वैंडिंग स्टेट सब्जैक्ट है, यह बार-बार कहा जाता रहा है। इस पार्लियामेंट में 2006 में, 2009 में क्वश्चन आवर के दौरान केन्द्र के मंत्री महोदय ने कहा कि यह स्टेट सब्जैक्ट है इसलिए हॉकर्स के बारे में हम कुछ नहीं कर पा रहे हैं, जबकि सुप्रीम कोर्ट बार-बार कह रहा है कि हॉकिंग एक फंडामैंटल राइट है, हॉकिंग एक लाइवलीहुड का विषय है और यह अधिकार सबके पास है। सुप्रीम कोर्ट के इंटरवैंशन के बाद एक नेशनल पॉलिसी ऑन हॉकिंग बनी। उसके बाद उस आधार पर अलग राज्यों ने कानून बनाए। उसके बाद नेशनल एडवाइजरी काउंसिल दृश्य में आई। हमारी कांग्रेस अध्यक्षा श्रीमती सोनिया गांधी जी को मैं बहुत-बहुत धन्यवाद दूंगा। कि उन्होंने इन गरीबों का विषय अपने हाथ में लिया। उन्होंने कहा कि हो सकता है कि संविधान के हिसाब से स्ट्रीट वैंडिंग स्टेट सब्जैक्ट हो, लेकिन यह लोगों के जीवनयापन से जुड़ा हुआ विषय है। यह सोशल सिक्यूरिटी से जुड़ा हुआ विषय है, यह रोज़गार से जुड़ा हुआ विषय है और इसलिए संविधान की समवर्ती सूची में यह आता है और इस आधार पर केन्द्र सरकार कानून बना सकती है और उसी समवर्ती सूची के आधार पर केन्द्र सरकार ने कानून बनाने का काम शुरू किया और आज हमारी मंत्री महोदय यहां पर विधेयक लेकर आई हैं तो मैं सबसे पहले यूपीए चेयरपरसन को, मंत्री महोदय को और सरकार को, देश के तमाम फेरी वालों की तरफ से बहुत-बहुत धन्यवाद दूंगा और बहुत-बहुत शुक्रिया अदा करूंगा।

इस बिल में जो दो-तीन बड़े विषय हैं, उन विषयों की ओर मैं मंत्री जी का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। पहला आपने इसमें नैचुरल मार्केट की बात कही है। नैचुरल मार्केट में आप जो बड़ी परिभाषा कहेंगे, मैं पढ़ दूंगा, लेकिन मेरे पास वक्त कम है, मैं पढ़ना नहीं चाहता हूं। उसमें कहीं न कहीं मेला, बाजार, हाट और मंदिरों और मस्जिदों के बाहर सदियों से जो बाजार लग रहे हैं, उन बाजारों का जिक्र होना चाहिए। पहले सुप्रीम कोर्ट का एक आदेश आया था कि मंदिर, मस्जिद, स्कूल, कॉलेज, ऐसे सार्वजनिक स्थलों के 150 किलोमीटर के आसपास कोई हॉकिंग नहीं होगी। उसके आधार पर पुलिस, ट्रैफिक पुलिस और म्युनिसिपैलिटी वाले डंडा लेकर घूमने लगे और फेरी वालों के खिलाफ इस प्रकार कार्रवाई करने लगे जैसे कोई गुनाह कर रहे हैं। मुझे लगता है कि इस कानून के तहत जब रूल्स बनेंगे तो रूल्स बनाते समय इसको क्लैरिफाई किया जाए कि मंदिरों के बाहर ज़माने से जो चल रहे हैं, जैसे हमारे यहां मुम्बई में सिद्धिविनायक मंदिर के बाहर जो मार्केट लगे हुए हैं, कोई फूल बेच रहा है, कोई सब्जी बेच रहा है, कोई प्रसाद के आइटम बेच रहा है, कोई मंदिर में चढ़ावा के आइटम बेच रहा है, उन लोगों के लिए विशेष इंतजाम यहां होना चाहिए।

स्टैंडिंग कमेटी ने रिकमैंड किया था कि दो महत्वपूर्ण चीजें होनी चाहिए। रेलवेज़ को इस कानून के तहत शामिल करना चाहिए। हिन्दुस्तान के तमाम रेलवे स्टेशनों पर और स्टेशनों के बाहर वैंडिंग एक बहुत बड़ा व्यवसाय है। चाहे मुम्बई में कितने भी लोकल स्टेशन आप देखेंगे, उनके बाहर वैंडिंग और हॉकिंग चलती रहती है। रेलवेज़ को इस कानून के तहत शामिल नहीं किया गया है। मेरा निवेदन होगा कि रेलवे को शामिल किया जाए। रेलवे के परिसर के तहत जितनी भी वैंडिंग होती है, उस वैंडिंग को रैगुलेट करने की आवश्यकता है, वरना आज स्थिति यह है कि हमारे देश में मुम्बई में जो ब्लाइंड लोग हैं, वे अलग-अलग स्टेशनों के बाहर खड़े होकर कुछ चीज़ें बेचते हैं। आरपीएफ के लोग उनको डंडे मार-मार कर भगाते हैं। कई बार मैंने इंटरवीन किया और उन लोगों को बचाने की कोशिश। अब बार-बार एक एमपी या एमएलए कब तक इंटरवीन करेगा तो उस रेलवे के हद में काम करने वाले जो हॉकर्स हैं, उनको कैसे इसमें शामिल किया जाए, इस विषय के ऊपर ध्यान देने की आवश्यकता है।

आपने जो टाउन वैंडिंग कमेटी बनाई है, जिसके तहत हम सारे हॉकर्स का रजिस्ट्रेशन करेंगे और सर्टीफिकेट देंगे। टीवीसी में आपने जो रिप्रेजेंटेशन हॉकर्स को दिया है, वह अच्छा दिया है। सात साल मुम्बई जैसे शहर में या फिर दिल्ली जैसे महानगरों में आप देखेंगे कि जो बिल्डिंगों में रहने वाले लोग हैं उनके और हॉकर्स के बीच में एक द्वंद्व चलता रहता है। आप बिल्डिंग के बाहर बैठ कर हॉकिंग नहीं कर सकते हैं। मैं समझता हूं कि वह बिल्डिंग वालों का दुख-दर्द है। लेकिन ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि पहले से कोई व्यवस्था नहीं थी। हॉकिंग हमेशा से इल्लीगल रही है। हॉकिंग कभी लीगल नहीं रही है और यह इल्लीगल रहे, इसमें बहुत लोगों का इंटरेस्ट है। चाहे पुलिस विभाग हो या ट्रैफिक विभाग हो या मुनिसिपैलिटी वाले हों, क्योंकि इल्लीगल हॉकिंग एक बहुत-बहुत बड़ा रैकिट है। इस रैकिट को खत्म करने के लिए जब रेग्युलेट करने के उद्देश्य से कानून

[श्री संजय निरुपम]

लाए हैं, तो टीवीसी में जो स्थानीय बिल्डिंग वाले लोग हैं, रेजिडेंशियल लोग हैं, लोकल लोग हैं, उन्हें भी हिस्सा मिलना चाहिए, उनकी भी राय लेनी चाहिए। हॉकिंग जोन, नो-हॉकिंग जोन, सुप्रीम कोर्ट के आदेश से मुम्बई में एक विषय आया कि 110 नो हॉकिंग जोंस क्रिएट कीजिए। नो हॉकिंग जोंस क्रिएट हो गए, लेकिन हॉकिंग जोन क्रिएट नहीं हो रहे हैं। बरसों से जो लोग हॉकिंग कर रहे हैं, उन्हें डंडा मार कर वहां से भगा दिया। लोग 30-40 साल से वहां धंधा कर रहे हैं, उन्हें कहा गया कि आर्डर है आप यहां हॉकिंग नहीं कर सकते हैं। लेकिन कोर्ट ने यह भी कहा था कि हॉकिंग जोन भी क्रिएट किए जाएं, लेकिन आज तक हॉकिंग जोन क्रिएट नहीं हुए। मेरा मानना है कि जो वैंडिंग जोन क्रिएट करने का प्रस्ताव है, उसके तहत इसके ऊपर जोर दिया जाए क्योंकि वैंडिंग जोन क्रिएट करना बहुत आसान काम नहीं है। वैंडिंग जोन क्रिएट करने जाएंगे तो स्थानीय जो लोग हैं, उन लोगों से भी राय-विचार करना होता है।

मैं एक पेनल्टी से जुड़ी बात कहना चाहता हूं। मुझे यह पढ़ना पड़ेगा क्योंकि पेनल्ट में यहां गलतियां हैं। मैं मंत्री महोदय का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि एक जगह पर ऐसा अरेंजमेंट है, एक सैक्शन-3 और चैप्टर-4 है।

[अनुवाद]

अध्याय दो-पथ विक्रेताओं का पुन:स्थापन -- में यह कहा गया है कि प्रत्येक पथ विक्रेता, जो कि सूचना की उक्त अवधि बीत जाने पर उसे आवंटित स्थल पर अपना पुन:स्थापन या स्थल को खाली नहीं करता है तो उस पर ऐसी चूक करने के लिए प्रत्येक दिन के लिए दंड का भुगतान करना होगा जिसकी धनराशि स्थानीय प्राधिकारी द्वारा पांच सौ रुपये तक अवधारित की जा सकती है। इसके अतिरिक्त, अध्याय दस-दांडिक उपबंध में यह कहा गया है कि यदि कोई पथ विक्रेता, बिक्री करने विक्रय प्रमाण-पत्र प्राप्त किए बिना बिक्री करता है तो उसे ऐसे प्रत्येक अपराध के लिए शास्ति का भुगतान करना होगा जिसकी धनराशि स्थानीय प्राधिकारी द्वारा दो हजार रुपये तक अवधारित की जा सकती है।

[हिन्दी]

अब एक टमाटर बेचने वाला गरीब आदमी उस टोकरी में मुश्किल से 10 किलो टमाटर ले कर बैठा है और उसका पूरा धंधा दो सौ, ढाई सौ या तीन सौ रुपए से ज्यादा का नहीं है, अगर उसके खिलाफ एक्शन लेते हैं और उससे कोई गलती हो जाती है, उसके लिए आप राज्य सरकार और म्यूनिसिपैलिटी आथोरिटीज़ को छूट देते हैं कि दो हजार तक की पैनल्टी ले सकते हैं, मुझे लगता है कि यह उसके ऊपर अन्याय होगा। पैनल्टी की रकम सौ रुपए, डेढ़ सौ या ढाई सौ रुपए के अंदर होनी चाहिए क्योंकि उसकी पूरी कमाई ढाई सौ, तीन सौ रुपए के करीब है। पैनल्टी के बारे में क्लैरिटी देना बहुत आवश्यक है।

मंत्री जी, मैं एक आखिरी बात की तरफ आपका ध्यान आकर्षित करूंगा। यह जो सर्टीफिकेट देना है, उसकी टाइम लिमिट तय होनी चाहिए। स्टैंडिंग कमेटी ने भी कहा था कि किसी गरीब ने, किसी फेरी वाले ने जो एप्लीकेशन दी है, उसे एक महीने के अंदर सर्टीफिकेट मिलना चाहिए नहीं तो वह भटकता रह जाएगा। वह हमारे जैसे लोगों के पास आएगा कि मेरी अनुशंसा टीवीसी के नाम पर कीजिए। मेरा आपसे निवेदन है कि सर्टीफिकेट के लिए टाइम फिक्स होना चाहिए। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जो पहले से स्ट्रीट वैंडिंग में हैं, उनका क्या करेंगे? इस कानून के तहत उन सभी को रेग्युलेट करना चाहिए। उदाहरण के लिए मुम्बई में सात लाख हॉकर्स हैं। महानगरपालिका ने उनको रेग्युलेराइज नहीं किया है। मैं ऐसा चाहता हूं कि इस कानून के तहत केन्द्र सरकार ऐसा निर्देश दे कि मुम्बई के सारे के सारे सात लाख हॉकर्स रेग्युलेट किया जाए, उनका रजिस्ट्रेशन हो, उनको सर्टीफिकेट दिया जाए ताकि मुम्बई में हमेशा के लिए हॉकर्स और पुलिस वालों के बीच जो विवाद चल रहा है और पुलिस तथा ट्रैफिक डिपार्टमेंट का जो शोषण चल रहा है, वह शोषण सदा के लिए खत्म हो जाए। नये को तो लेना है, लेकिन पुराने को रेग्युलेट करने के बाद नये लोगों को इनडक्ट करना चाहिए, ऐसा मेरा आपसे निवेदन है।

***श्री पन्ना लाल पुनिया** (बाराबंकी) : स्ट्रीट वेंडर्स या पटरी व्यापारी शहरी क्षेत्र का महत्वपूर्ण भाग है। यह वही वर्ग है जिन्हें नियमित रोजगार न मिलने के कारण इस असंगठित क्षेत्र के माध्यम से अपने परिवार का पालन पोषण करते हैं। शहर के हर क्षेत्र में सही दाम पर सामान भी उपलब्ध कराने का काम करते हैं। पहली बार इन्हें अधिकार दिए जा रहे हैं। लोगों को सुविधा भी मिले और पटरी व्यापारी की वजह से यातायात में व्यवधान न हो। इस बिल के माध्यम से इस वर्ग की शिकायतों को दूर करने की व्यवस्था की गई है। यातायात में व्यवधान न हो इसके लिए हर पांच वर्ष में पटरी व्यापारियों के लिए योजना बनाने की भी व्यवस्था की जा रही है। इस वर्ग को पंजीकृत कर, ऋण, बीमा तथा सामाजिक सुरक्षा का प्रावधान किया जा रहा है। इस वर्ग को सम्मान उपलब्ध होगा।

अच्छा प्रस्ताव है। सामाजिक कानून है। माननीय मंत्री जी द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव का समर्थन करता हूं।

श्री नृपेन्द्र नाथ राय (कूच बिहार) : चेयरमैन साहब, सबसे पहले मैं आपको और माननीय मंत्री जी को धन्यवाद देता हूं कि बहुत दिनों

*भाषण सभा पटल पर रखा गया।

तक सोचने-समझने के बाद उन्होंने गरीबों के लिए, मज़दूरों के लिए यह बिल लाया है।

हमारे पहले बहुत ऑनरेबल मेम्बर्स ने बहुत चर्चा की है। मुझे जो समय मिला है, उस समय के मुताबिक मैं अपनी बात को खत्म करूंगा। स्ट्रीट वेंडर्स का जो यह बिल है, इसको मेरा समर्थन है। पहली बार सरकार ने गरीबों के बारे में एक अच्छा बिल लाया है। बिना कोई वोटिंग के यह बिल पास हो जाएगा। स्ट्रीट वेंडर्स के ऊपर सबसे ज्यादा जुल्म शहरों में होता है। आप दिल्ली जाएं, मुम्बई जाएं, कोलकाता जाएं, जितने भी मैट्रोपोलिटन्स शहर हैं, उसमें आप जाएंगे तो देखेंगे कि वेंडर्स से जुड़े हुए जो लोग हैं, वे गरीब हैं। कुछ वेंडर्स शहर के हैं। गांव में खेती मंद होने के कारण किसान कम होते जा रहे हैं। कृषि कार्य कम होते जा रहे हैं। कृषि कार्य छोड़ कर लोग शहरों में आकर बेच रहे हैं। वे लोग भी वेंडर में लगे हुए हैं। लेकिन इसमें समस्या है। गांव छोड़कर बहुत लोग शहरों में काम करने के लिए आए हैं। आप शहर में जाइए, जितने भी वहां लेबर्स हैं, वे गांव से आए हैं। दिक्कत यह है कि लोग गांव से आकर शहर में वेंडरी के कार्य में जुड़े हुए हैं। जो स्थानीय लोग हैं, वे तो ठीक हैं। उनकी जान-पहचान है। उनके पीछे अच्छे लोग हैं। हमारे संविधान ने अधिकार दिया है कि हिन्दुस्तान में सारे लोगों को जीने का अधिकार है। जो गांव छोड़कर शहरों में वेंडरी शुरू करते हैं, उनके ऊपर बहुत जुल्म होता है। जो पहले से ही शहर में इससे जुड़े हुए हैं, वे जुल्म करते हैं। फिर जो पुलिस हैं, जो ट्रैफिक पुलिस हैं, वे भी जुल्म करते हैं। मैं चाहता हूं कि जो नए वेंडर्स काम शुरू करने जो रहे हैं, उसको भी ठीक करना चाहिए क्योंकि पहले वाला वेंडर नए वेंडर पर जुल्म करता है। कभी-कभी इधर-उधर मैं घूमता हूं। आप दिल्ली में जाएं। उनको पुलिस भी तंग करती है क्योंकि किसी ज़ोन में कहीं कोई लिमिटेड दुकान नहीं है। पुलिस देख कर वेंडर वाला जल्दी-जल्दी दुकान उठा लेता है। पुलिस से जुगाड़ कर के वेंडर वाला दुकान हटा लेता है। कभी आप घूमिए तो आप यह देखेंगे। फिर पुलिस इधर-उधर कर के चला जाता है और फिर वेंडर वाला दुकान खोल देता है। मैं यही देखता हूं। गरीबों के ऊपर यह जो जुल्म है, यह बंद होना चाहिए।

महोदय, हमारा मिशन साक्षर भारत का है। सब शिशु को, आखिरी पीढ़ी को हम एजुकेशन देना चाहते हैं। लेकिन इस बिल में यह बोला गया कि चौदह साल की उम्र से ऊपर हमारे जितने भी लोग हैं, उन्हें अपने जीने के लिए काम चुनने का अधिकार है। मैं मंत्री जी से अनुरोध करूंगा कि यह ठीक नहीं है। हम लोग एजुकेशन देना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि हिन्दुस्तान दुनिया का सबसे बड़ा एजुकेशन स्टेट बने। हमारे जो शिशु हैं, वे निरक्षर न रहें। इसलिए चौदह साल को हटा कर चौदह साल वाले वेंडर को कोई लाइसेंस नहीं देना चाहिए। इससे बाल मजदूरी बढ़ जाएगी और गरीब लड़के सब कुछ छोड़कर वेंडरी में जाएंगे। इसलिए मंत्री जी और हमारी जो स्टैंडिंग कमेटी हैं, वे इसके बारे में सोचें। मंत्री जी इसके बारे में करेक्शन करें।

महोदय, जो बड़े दुकानदार हैं, बड़े बिजनेसमेन हैं, उन्हें लोन मिलता है, सुविधा मिलती है, पॉलिसी मिलती है। आप सारे देश में देखिए, चाहे शहर हो या गांव, वहां जो वेंडर्स हैं, उनको बैंकों से कोई सुविधा नहीं मिलती है क्योंकि उनके पास कोई जान-पहचान नहीं है, जगह नहीं है, मकान नहीं हैं। आप जाकर देखिए कि वे वेंडरी किसी और जगह करते हैं और रात कहां काटते हैं। फ्लाई ओवर के नीचे, मेट्रो के ब्रिज की सीढ़ी के नीचे वेंडर वाले सोते हैं। इसलिए ऐसे वेंडर वाले जिनके पास घर नहीं है इसका सर्वे करना चाहिए। इसका सर्वे करना चाहिए कि वेंडर वाले को ज़ोन चाहिए और उसके परिवार वालों के लिए जगह चाहिए। टाउन में, बसावट में बहुत जगह है। दिल्ली में बहुत जगह है। गांव से जुड़े हुए दिल्ली शहर में जाएं तो आप देखेंगे कि जितने भी बस्ती बने हैं जैसे बसंत कुंज है और जैसा यमुना पार बस्ती है, वहां माफिया रहते हैं। वे लोगों को जगह देकर डंडा लेकर परिवारों से रुपया मांगते हैं, हफ्ता मांगते हैं कि रुपया दो तब रहो, नहीं तो दिल्ली छोड़ कर बाहर जाओ, यहां आपके लिए जगह नहीं है। इन गरीबों का क्या कसूर है?

महोदय, सरकार ने आजादी के बाद पहली बार इस बिल को लाया है। इस बिल पर मेरा समर्थन है। वेंडर्स के बारे में सबकी सहमति है। आपने मुझे मौका दिया, आपको धन्यवाद देते हुए, मंत्री जी को धन्यवाद देते हुए मैं अपना वक्तव्य समाप्त करता हूं।

[अनुवाद]

***श्री एस. गांधीसेलवन** (नामाक्कल) : यह विधेयक सही समय पर प्रस्तुत किया गया है क्योंकि इसका उद्देश्य पूरे देश में पथ विक्रय कार्यकलापों का विनियमन करना है।

विधेयक का अध्ययन करते हुए मैंने शहरी पथ विक्रेताओं को सहायता प्रदान करने संबंधी एक प्रस्ताव देखा और इसे राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन के अंतर्गत एक घटक के रूप में शामिल किया गया है। क्या मंत्री महोदय इस स्थिति पर कुछ और प्रकाश डालेंगे?

शहरी पथ विक्रेताओं संबंधी संशोधित राष्ट्रीय नीति की विभिन्न महत्वपूर्ण विशेषताएं क्या हैं? मेरा यह सुझाव है कि केन्द्र सरकार को पथ विक्रेताओं संबंधी राज्य स्तरीय नीतियों का अध्ययन करना चाहिए जिससे केन्द्र सरकार को एक व्यापक विधेयक तैयार करने में सहायता मिलेगी।

---

*भाषण सभा पटल पर रखा गया।

[श्री एस. गांधीसेलवन]

इस विधेयक का एक अन्य महत्वपूर्ण पहलू यह है कि इसका उद्देश्य पूरे देश में पथ विक्रेय के विनियमन हेतु एक समान कानूनी तंत्र की स्थापना करना है।

इस विधेयक को 6 सितम्बर, 2012 को पुर:स्थापित किया गया था जिसके पश्चात् 9 सितम्बर, 2012 को इसे आवास और शहरी गरीबी उपमशन संबंधी विभागों से संबद्ध संसदीय स्थायी समिति को सौंपा गया। समिति ने अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत कर दिया है जिसमें अनेक सिफारिशें शामिल हैं।

एक सिफारिश यह है कि नगर विक्रय समिति (टीवीसी) के सदस्यों का 5 वर्ष का नियत कार्यकाल होना चाहिए। मुझे आशा है कि यह सिफारिश इस पूरी प्रक्रिया को शासित करने वाले समिति के कार्य को सुप्रवाही बनाने की मंशा से की गई है।

एक अन्य महत्वपूर्ण सिफारिश यह है कि विक्रय प्रमाण-पत्र एक माह की अवधि के भीतर जारी किया जाए। मैं इसकी गहराई में नहीं जाना चाहता कि मूल विधेयक में समय-सीमा नियत करने के इस अति महत्वपूर्ण पहलू को बाहर क्यों रखा गया है। मुझे आशा है कि सरकार स्थायी समिति की सिफारिश को स्वीकार करेगी।

प्रत्येक तीन वर्ष पर विक्रय प्रमाण-पत्र का नवीकरण एक सामान्य प्रक्रिया है और मुझे आशा है कि इस सिफारिश को भी स्वीकार करने में कोई समस्या नहीं होगी।

तात्पर्य यह है कि आजाद के 66 वर्षों के बाद पथ विक्रेताओं को आजादी मिली है। यह एक अच्छा संकेत है कि अब सरकार पूरे देश में पथ विक्रेताओं की आजीविका को आसान बनाने के लिए प्रभावी पहल कर रही हैं।

अत:, मैं इस महत्वपूर्ण विधेयक का समर्थन करता हूं।

[हिन्दी]

श्री असादूद्दीन ओवेसी (हैदराबाद) : सर, आपने मुझे बोलने का मौका दिया, इसके लिए आपका बहुत-बहुत शुक्रिया। यह जो बिल लाया गया है, मैं इसका खेरमकदम करता हूं। मेरा जो मुशाहयदा है, वह यह है कि हमारी पार्लियामानी जम्हूरियत को जिन अफराद ने, जिन तबके के लोगों ने मजबूत रखा और अभी भी उनका यकीन इस पार्लियामानी जम्हूरियत में है। ये तमाम के तमाम गरीब तबके से ताल्लुक रखने वाले लोग हैं। यही लोग, जो इस पेशे को इख्तियार किए हुए हैं, चाहे वे चिलचिलाती धूप हो या मूसलाधार बारिश हो या कड़ाके की सर्दी हो, वे बराबर रोड के ऊपर बैठ कर अपना कारोबार करते हैं। जैसा कि मिनिस्टर साहिबा ने अपने शुरुआती कलमात में कहा कि हमारे मुल्क की दो फीसद आबादी इस पेशे पर अख्तियार कर चुकी है।

मेरा जो मुशाहयदा है, वह यह है कि मेरे शहर में कम से कम डेढ़ से दो लाख के करीब लोग इस कारोबार को करते हैं। तमाम आंध्र प्रदेश और महाराष्ट्र, जो हमारी मुतस्सिल रियासत है, पड़ौसी रिसायत है, जहां मुझे जाने का मौका मिलता है। जो शहरी इलाके हैं, वहां पर 60 फीसद से ज्यादा मुस्लिम, अकलियत के लोग ये कारोबार करते हैं। चाहे वे मेवा बेचते हों या छोटी-छोटी चीजें बना कर बेचते हों। ये जो कानून लाया जा रहा है, मैं इसका खेरमुकदम करता हूं। मगर हमारी रियासत में भी इस तरह के कानून हैं, बावजूद इसके खास तौर से ट्रैफिक पुलिस और इंतजामिया की तरफ से इनको बार-बार हरासा किया जाता है। इसके तालुक से मैं आपके जरिए ये मिनिस्टर साहिबा से गुजारिश करूंगा कि इस बिल को पास हो जाने के बाद वे हिन्दुस्तान के बड़े-बड़े शहरों में जाएं, इस तरह का एक प्रोग्राम करें ताकि मुखामी इंतजामिया को भी मालूम हो कि ये एक रोजगार का मसला है और हम इनको उस जगह से अगर बेदखल करते हैं तो हम इनके घर के अफरादे खानदान को भूखा या फिर कोई गलत काम करने के लिए मजबूर करते हैं।

सर, मैं आपको मिसाल देना चाह रहा हूं कि मेरी कांस्टीट्यूएंसी में, खास तौर से कोठी का इलाका है। यहां पर एक बहुत बड़ी मार्केट पुरानी किताबों की थी। पूरे शहर से अज़ला के बच्चे आकर किताबें खरीदते थे। आज हाईकोर्ट का फैसला आया और उनको निकाल कर ऐसी जगह पर ले जाकर रखा गया, कि जहां पर कारोबार नहीं होता। हमको यह देखना जरूरी है, कि अगर ये लोग उस जगह पर बैठ कर अपना कारोबार करते हैं तो इसका मकसद क्या है कि वहां पर लोग आते हैं। अगर हम ये कहेंगे कि आप इनको हटाइए, क्योंकि ट्रैफिक ज्यादा हो गया। यकीनन ट्रैफिक ज्यादा हो गया, मगर अगर हम दूरदराज के इलाकों में ले जाकर इनको रखेंगे तो वहां पर ये अपना कारोबार नहीं कर सकते। तो यकीनन एक बीच का रास्ता तलाश करना बेहद जरूरी है। इसीलिए मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि मिनिस्टर साहिबा, हैदराबाद भी आएं। मैं निजामाबाद की मिसाल दे रहा हूं। मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया की टीम निजामाबाद आ रही थी, क्योंकि वहां एक नया मेडिकल कॉलेज शुरू किया जा रहा था। कलेक्टर ने धोखा देकर दो सौ से ज्यादा लोगों को वहां से निकाल दिया, जो फ्रुट का कारोबार करते थे। हम कानून तो बना रहे हैं, मगर इसका इतलाफ कैसे होगा? इसका इतलाख सही मायनों में हम कामयाब उस वक्त होंगे, जब नेकनीयती के साथ रियासत के जो इंतजामिया के लोग हैं, वे इस कानून को सही अमलावरी करेंगे। मैं उम्मीद करता हूं कि हमारी मिनिस्टर साहिबा पूरे हिन्दुस्तान के शहरी इलाकों का दौरा करेंगे

और वहां के इंतजामियों को बताएंगे कि ये एक बहुत बड़ा मसला है और यही लोग ऐसा कारोबार करते हैं। जिस वक्त पोलिंग का दिन होता है तो सबसे पहले यही लोग पोलिंग की लाइन में खड़े होते हैं। इसलिए बेहद जरूरी है, ये कानून जो बनाया जा रहा है, हम इसका खेरमकदम करते हैं। हम उम्मीद करते हैं कि इसकी जो स्पिरिट है, उसको सामने रख कर इस पर अमलावरी होगी।

डॉ. तरुण मंडल (जयनगर) : सभापति महोदय, आपने मुझे बोलने का समय दिया, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं। यह बिल सुनने और देखने से लगता है कि इससे हमारी स्ट्रीट वेंडर्स की भलाई होगी, लेकिन मेरे अंदर शक पैदा होता है, क्योंकि बहुत सारे बिल सरकार ऐसे लाई, जिससे जिसको फायदा मिलना था, उसको फायदा पहुंचा नहीं। वे लोग लाभ नहीं उठा सकते हैं।

सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार से आग्रह करूंगा, मंत्री जी, जो भी इस बिल के अंदर है, उसको कम से कम ठीक से और समय पर लागू करें। जिनके लिए यह बिल है, उनको इस बिल से कुछ फायदा मिल सकता है। यह एक महत्वपूर्ण मुद्दा है, हमारे देश के जो गरीब हैं, जो बहुत छोटे पैमाने में जीते हैं, उन लोगों के स्ट्रीट वेंडिंग में आता है, हॉकिंग में आता है। यह एक-दो करोड़ का मामला नहीं है, मेरे हिसाब से तीन करोड़ के ऊपर होगा। हमारे देश में जो वेंडिंग में हैं और गांव में जैसे काम नहीं मिल रहा है, रोजगार नहीं मिल रहा है, भले ही आप नरेगा कर रहे हैं, लाइवलीहुड मिशन लगा रहे हैं, काम के लिए लेकिन लोग शहर में आ रहे हैं। शहर में उनके खाने के लिए कुछ चीज नहीं है, रहने के लिए जगह नहीं है, सैनिटेशन की व्यवस्था नहीं है, उसके ऊपर पुलिस और ऑफिशियल्स लोगों के अत्याचार जारी हैं। मैं कहना चाहूंगा कि यह सब अनआर्गनाइज्ड सैक्टर के अंडर आता है। आप लोग जानते हैं, यह सेल्फ इंप्लायमेंट में हैं। इसके लिए जो सुप्रीम कोर्ट में कहा गया है, उसके जो ह्यूमन राइट्स हैं, उसे सरकार को जरूर देना चाहिए और उसे ठीक से लागू करना चाहिए।

तीसरी बात, मैं एफडीआई के बारे में कहना चाहूंगा। सरकार ने मल्टी ब्रांड रिटेल में एफडीआई की बात कही है। एफडीआई को इसमें लाने से हमारे स्ट्रीट वेंडर्स और हॉकर्स लोगों को बहुत ही भयंकर आघात लगेगा, इसलिए एफडीआई को रिटेल ब्रांड में नहीं लाना चाहिए, नहीं तो हमारे स्ट्रीट वेंडर्स और हॉकर्स लोग खत्म हो जाएंगे। जो पेंशन फंड रैग्युलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी बिल लाये हैं, उसे जिन लोगों को पेंशन मिलती है, उनका पूरा भविष्य अनिश्चित हो गया और उसके सुख और शांति को छीन लिया है।

महोदय, स्ट्रीट वेंडर्स के ऊपर बहुत अत्याचार होता है। एक तरफ पुलिस वाले करते हैं, दूसरी तरफ म्युनिसिपलिटी कॉर्पोरेशन के आफिशियल लोग करते हैं और वहां लोकल माफिया होता है, उनका अलग-अलग एरिया होता है। वे लोग उनसे टैक्स लेते हैं। जो वहां पॉलिटिकल रूलिंग पार्टी होती है, उसके पास उनका हफ्ता जाता है। यह बंद होना चाहिए। उन सबको लाइसेंस मिलना चाहिए और इसके ऊपर कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए। ऐसा होता है कि जिस पॉलिटिकल पार्टी का राज होता है, उसकी यूनियन के साथ जुड़ने से उनको लाइसेंस मिलेगा, दूसरों को नहीं मिलेगा। ऐसा कभी नहीं होना चाहिए, सबको लाइसेंस मिलना चाहिए।

महोदय, हमारे स्टेट वेस्ट बंगाल में ऐसा हुआ था, आप जानते हैं, क्योंकि आप पास में रहते हैं। आप जानते हैं कि ऑपरेशन सन शाइन, वेस्ट बंगाल जब लेफ्ट फ्रंट चलाते थे, सीपीएम गवर्नमेंट के रेजीम में, उन लोगों को हटाने के लिए कोलकाता के फुटपाथ से रात को बुलडोजर चलाकर आग लगाकर उनकी सब चीजों को खत्म कर दिया गया था। पूरे देश में उसका प्रोटेस्ट हुआ था। हम लोग भी प्रोटेस्ट में शामिल हुए थे। हमारी ट्रेड यूनियन, ऑल इंडिया यूनाइटेड ट्रेड यूनियन, सेंटर सब शामिल थे, सिविल सोसाइटी थी, जिससे लेफ्ट फ्रंट गवर्नमेंट उसे रोकने के लिए बाध्य हुयी थी। हमारी जो वर्तमान सरकार है, उसने बहुत सारे वादे किए हैं, लेकिन ज्यादा वादे उन्होंने अभी तक नहीं निभाये हैं। उसे अपने वादे पूरे करने चाहिए।

महोदय, अंतिम बात, सोशल सिक्योरिटी अनआर्गनाइज्ड सैक्टर के लिए जरूर देना चाहिए। जैसे ईएसआईसी की हेल्थ फैसिलिटी है, उसके लिए प्रोवीडेंट फंड होना चाहिए, अनआर्गनाइज्ड सैक्टर में रहने के लिए घर नहीं है, उनके लिए छोटे-छोटे मकान हों, जैसे इंदिरा आवास योजना है, ऐसी कोई स्कीम लाकर उनके लिए रहने का इंतजाम करना चाहिए। कभी उनको कोई बीमारी होती है, तो उनके घर में दूसरा कोई रोजगार देने के लिए नहीं है। कोई विकलांग हो जाए तो उसे कंपंसैशन या मुआवजा जरूर देना चाहिए। जैसे आदमी जीते हैं, वैसे वे जियें, एक जानवर के माफिक न जियें। वे आदमी जैसा जी सकें, वैसा सम्मान और मर्यादा उनको देना चाहिए। मैं सरकार से यही मांगा करूंगा।

श्रीमती पुतुल कुमारी (बांका) : महोदय, मैं माननीय मंत्री गिरिजा व्यास जी को बधाई देती हूं और साथ-साथ इस बिल का समर्थन भी करती हूं।

महोदय, यह बिल देखने में छोटा लगता है, लेकिन इस बिल का उद्देश्य और इसका ध्येय बहुत बड़ा है, इसकी आत्मा बहुत बड़ी है। यह बिल उन लाखों लोगों की जिंदगी, आजीविका और आत्म-सम्मान के साथ जुड़ा हुआ है, जो सड़क पर खोमचा लगाते हैं, रेहड़ी लगाते हैं, पटरियों पर दुकान लगाते हैं, सिर पर जामुन या आम की टोकरी रखकर बेचते

[श्रीमती पुतुल कुमारी]

हैं और दर-दर भटकते हैं। उनके लिए अभी तक कोई संरक्षण नहीं था। हम सभी लोग जनप्रतिनिधि हैं और इस बात की महत्ता से अच्छे तरीके से परिचित हैं कि शायद ही हम लोग ऐसा कोई कानून बना सकेंगे कि देश के जो लाखों लोग हैं, उन सबको रोजगार के अवसर मुहैया करा पायें। ऐसा कभी नहीं हो सकेगा।

दूसरी तरफ, जो सत्तर प्रतिशत कृषि से जुड़े हुए लोग हैं, वे दिनोंदिन कृषि से दूर होते जा रहे हैं, क्योंकि यह अपने आप में बहुत महंगा सौदा है और कृषि के लिए संसाधनों की कमी है। कृषि एक बहुत महंगी चीज होती जा रही है, जिसमें फायदा नहीं है। हम ऐसा एजुकेशन नहीं दे रहे हैं, जिससे स्किल डेवलपमेंट हो। ऐसी पढ़ाई नहीं दे पा रहे हैं, जो रोजगार के नए अवसर प्रदान कर सकें। हम चाहे बातें जितनी भी कर लें, लेकिन ऐसी पढ़ाई नहीं हो रही है। ऐसे में पढ़-लिख कर, थोड़े कम पढ़े-लिखे, अशिक्षित लोग एवं मेहनतकश लोगों के पास एक ही उपाय होता है कि वे शहर की रुख करें या जहां भी जाएं, वहां छोटे-मोटे खोमचा लगाएं, सड़क पर कुछ सामान बेचें और इस तरीके से अपना जीवनयापन करें।

महोदय, जो स्ट्रीट वेंडर्स हैं, यह कोई नई चीज नहीं है। ये केवल हिन्दुस्तान में ही नहीं हैं, बल्कि दुनिया के हर कोने में ये देखने को मिल जाते हैं। अगर हम एफील टावर के नीचे भी जाएं तो भी ये वेंडर्स हमें दिख सकते हैं, जो अपने साथ में सामान ले कर बेचते रहते हैं। सचमुच ये स्ट्रीट वेंडर्स वहां से जनजीवन और संस्कृति का एक हिस्सा होते हैं। अमृतसरी छोले हो, मुंबई का बड़ा पाव हो, बंगाल का मुरही हो, या हमारे बिहार का भुंजा और लिट्टी हो, ये सब हमारे संस्कृति के साथ में जुड़े हुए हैं। इसलिए दुनिया में हर जगह इनको महत्ता दी जाती है क्योंकि ये वहां की संस्कृति को दर्शाते भी हैं।

हमारे यहां इनको संरक्षित करने का कोई ऐसा कानून नहीं था, जिससे इनको संरक्षण प्राप्त हो सके। जिसके कारण वहां के स्थानीय नगरपालिका, नगर पंचायत हो या फिर वहां की पुलिस हों, ये सबके द्वारा प्रताड़ित होते रहते हैं। अभी बात हो रही थी कि सचमुच ऐसे संगठित कुछ लोग होते हैं, जो इनसे हफ्ता वसूलते हैं और हफ्ता नहीं देने पर पुलिस को खबर करते हैं और नगरपालिका के लोग आकर, इनके सामान को उठा कर ले जाते हैं, इनके सामान को तोड़फोड़ कर फेंक देते हैं और फिर उन्हें थाने जा कर हाजिरी लगानी पड़ती है, उनको पैसे देने पड़ते हैं, तभी सामान वापस लिया जा सकता है। यह लाखों लोगों के मान-सम्मान और आजीविका से जुड़ा हुआ प्रश्न है। आज संसद बहुत ऐतिहासिक फैसला करने जा रही है, जिससे उन लोगों को बहुत बड़ा संरक्षण प्राप्त हो सकेगा।

सभापति महोदय, यह बिल जिस तरह से आगे बढ़ा है, मैं आपके द्वारा सरकार से यही आग्रह करूंगी कि इसको जो कानूनी जामा पहनाया जा रहा है, उसका पूरे पारदर्शिता के साथ में पालन हो ताकि इस बिल का पूरा-पूरा लाभ, जिन लोगों को ध्यान में रख कर बनाया गया है, उनको प्राप्त हो सके।

***श्री गोरखनाथ पाण्डेय** (भदोही): डॉ. गिरिजा व्यास द्वारा पेश किए गए पथ विक्रेता (जीविका संरक्षण और पथ विक्रय विनियमन) विधेयक, 2012 पर मैं कुछ सुझाव देना चाहता हूं।

यह विधेयक जनहित में आवश्यक है। गरीबों के लिए यह विधेयक लाभकारी है। दलित, दबे-कुचले गरीबों को जीविका चलाने के लिए कोई व्यवसाय आवश्यक होता है। गरीब सूद पर रुपया महाजन से लेते हैं, छोटे-मोटा व्यवसाय करते हैं, फेरी, फुटपाथ पर ठेला चलाकर स्व-रोजगार कर अपने परिवार का भरण-पोषण करते हैं।

असंगठित पथ विक्रेता स्वरोजगार चलाकर, फेरी कर, ठेला चलाकर साग-सब्जी, फल, कुल्फी, पानी-पूरी बेच कर जीविका चलाते हैं। देश में करोड़ों लोग इस रोजगार में लगे हैं। इनका दर्द, इनकी परेशानी, मजबूरी को सरकार समझकर इस विधेयक में व्यवस्था देने की योजना बनाई है।

देश के करोड़ों लोग रोजी-रोजगार खोजने शहर की ओर भाग रहे हैं। वहां छोटा-मोटा रोजगार चलाते हैं, फेरी करते हैं। फुटपाथ पर धन्धा-व्यवसाय करते हैं किन्तु पुलिस, मुनिसिपल कॉर्पोरेशन तथा अन्य वसूली करने वाले लोग इन वसूली या ठेला चलाने वालों से वसूली करते हैं। जितना वे कमाते हैं उसमें से आधे से अधिक उनसे वसूल कर लिया जाता है।

ऐसे फेरी वाले, रेहड़ी वाले, हॉकरों तथा पथ विक्रेताओं के लिए जो व्यवस्था आप इस विधेयक में लाए हैं उसमें और भी सुधार की जरूरत है। इन्हें रोजी, रोजगार के लिए और सुविधा की जरूरत है। इनके परिवार के लिए सस्ता अनाज, मुफ्त शिक्षा, मुफ्त दवा तथा रहने के लिए गरीब निवास की जरूरत है। ऐसे कमजोर गरीब को 1 रुपये किलो गेहूं तथा चावल देने की व्यवस्था होनी चाहिए।

'देर आयद दुरुस्त आयद' सिद्धांत पर इन गरीबों, असहायों, असंगठित क्षेत्र को शोषण से बचाने के लिए और भी जरूरी संशोधन होने चाहिए। मेले, त्यौहारों, उत्सवों पर इन्हें फेरी करने, खोमचा लगाने, फुटपाथ पर समान बेचने से न रोका जाए। अवैध वसूली से सुरक्षा दी जाए, हॉकरों को डंडा न मारा जाए। इन्हें डंडा मारकर भगाया न जाए।

शहरों में छोटा धंधा करने वाले, फेरी करने वाले, सब्जी, फल बेचने वाले पर जुर्माना राशि कम की जाए। इनके रजिस्ट्रेशन व सर्टिफिकेट में

---

*भाषण सभा पटल पर रखा गया।

सरलीकरण कर इन्हें और सुविधा प्रदान करने की जरूरत है। मैं इस बिल का समर्थन करते हुए मैं कहना चाहता हूं कि इन गरीब, असंगठित, स्वरोजगार करने वालों को हर छोटे कस्बे, बाजारों तथा शहरों में संरक्षण और पुलिसिया जुर्म से बचाने की और सुधार करने की जरूरत है।

[अनुवाद]

***श्री आर. थामराईसेलवन** (धर्मापुरी) : मैं, पथ विक्रेताओं के हित में यह ऐतिहासिक विधेयक लाने के लिए माननीय मंत्री जी का धन्यवाद करता हूं।

मुझे विश्वास है कि विचाराधीन विधेयक को तैयार करते समय सरकार ने हमारे समान के इस वर्ग के हितों को पूरी तरह से ध्यान में रखा है जो कि पथ बिक्री से होने वाली अपनी दैनिक आय पर पूर्णत: निर्भर हैं।

यद्यपि, मैं विधेयक के कुछ पहलुओं के संबंध में कुछ निवेदन करना चाहता हूं जो कि सभा की कार्यवाही का केन्द्र बिन्दु है। अधिकांश पथ विक्रेता साक्षर नहीं है और सभी इस बात को जानते हैं। अत:, मुझे आशंका है कि सरकार इस विधेयक में लगाये गये विभिन्न प्रतिबंधों जैसे पंजीकरण हेतु आवेदन, पथ विक्रेताओं का पंजीकरण और पंजीकरण प्रमाण-पत्र जारी किये जाने के बारे में इन निरक्षर पथ विक्रेताओं का मार्गदर्शन किस प्रकार करेगी। पथ विक्रेता हमेशा पुलिसकर्मियों की दया दृष्टि पर निर्भर रहते हैं और हमारे समाज के इस वर्ग के मन में हमेशा यह भय रहता है कि पता नहीं कब पुलिसकर्मियों द्वारा उनकी आजीविका का जरिया छीन लिया जाएगा। अत:, मेरा यह मानना है कि विचाराधीन विधेयक में इन पहलुओं का ध्यान रखा जाएगा।

विधेयक में जो एक अन्य बात मेरे ध्यान में आई वह यह है कि विधेयक में असंगठित क्षेत्र में राष्ट्रीय उद्यम आयोग द्वारा शहरी पथ विक्रेताओं हेतु राष्ट्रीय नीति में की गई सिफारिश के महत्वपूर्ण खंडों को शामिल नहीं किया गया है। यदि सरकार शहरी गरीब कामगारों की जीविका का संरक्षण करने के लिए गंभीर है तो उसे न केवल राष्ट्रीय नीति के खंडों को समाविष्ट करना चाहिए अपितु इस क्षेत्र में राज्य सरकारों द्वारा उठाए गए प्रगतिशील कदमों को भी समाविष्ट करना चाहिए।

अंत में, जैसाकि मैंने पहले कहा कि हमारा पथ विक्रेता समुदाय उन सबमें बहुत अशिक्षित है इसलिए सरकार को आवेदन करने हेतु और पथ विक्रेता के रूप में पंजीकरण प्राप्त करने हेतु प्रक्रियाओं को आसान और सरल तरीके से बनाना चाहिए और लोगों को प्रमाण-पत्र जारी करने के लिए प्राधिकारियों हेतु समय-सीमा निर्धारित की जानी चाहिए, तथा साथ ही सरकार को पथ विक्रेताओं के अशिक्षित होने के कारण तथाकथित एजेंटों द्वारा किए जाने वाले उनके शोषण का भी ध्यान रखना चाहिए। यदि शोषण के किसी भी मामले का पता चलता है तो उसे गंभीरता से लिया जाना चाहिए और तद्नुसार उस पर कार्यवाही की जानी चाहिए।

इस ऐतिहासिक विधेयक को लाने के लिए मैं माननीय मंत्री जी को पुन: बधाई देता हूं। इसी के साथ मैं इस विधेयक का समर्थन करता हूं।

[हिन्दी]

आवास और शहरी गरीबी उपमशन मंत्री (डॉ. गिरिजा व्यास) : सभापति जी, सबसे पहले मैं सोचती हूं कि समस्त सदस्यगणों को, विशेष कर लोक सभा सदन के सदस्यगणों को बधाई दूं, धन्यवाद दूं, कि उन्होंने इस बिल का समर्थन किया। एनसीए का जिक्र हुआ और इसका जिक्र शाहनवाज भाई ने भी किया। इसलिए उसका जवाब यह देना चाहूंगी कि एनसीए ने जिस तरह से, इस काउंसिल ने बात को उठा कर रखा और उस बात को ले कर और जो सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन थी, उसके आधार पर भी और मैं कल भी कह चुकी हूं कि वर्ष 2004 से इस पर कवायद शुरू हुई थी, लेकिन वर्ष 2004 से ले कर वर्ष 2007, वर्ष 2009, वर्ष 2010 में मॉडल बिल और उसके बाद में बिल की प्रक्रिया, फिर नए रूप में, इन सब के बीच जाते-जाते अंत तमें राहत के रूप में हमारा यह बिल संसद में पेश हुआ है। मैं पूरे तौर पर इस बात के लिए आश्वस्त हूं कि ये बिल पास होगा।

महोदय, 13 मार्च को यह बिल स्टैंडिंग कमेटी से आ गया और अब एक कानून बनने जा रहा है, उन लोगों का कानून जो गरीब हैं, उन लोगों का कानून जिनके मुंह में जबां नहीं है, उन लोगों का कानून जो दहशत के साथ जीते हैं। उन लोगों के लिए कानून, विशेष कर महिलाओं के लिए जिन्हें कब और किधर भेज दिया जाएगा। उनके जामुन की बात आपने कही, लेकिन पता नहीं किसके सर पर रखा हुआ टोकरा, उसके सब्जी के साथ गिरा दिया जाएगा। यह कानून उन लोगों की रक्षा करने के लिए प्रतिबद्ध है। इसीलिए मैं सदन को धन्यवाद देना चाहती हूं। मैं यहां पर हमारे पूर्व माननीय मंत्री कुमारी सैलजा जी थीं और हमारे पूर्व मंत्री श्री माकन साहब को भी बहुत-बहुत धन्यवाद देना चाहती हूं।

अपराह्न 5.00 बजे

मैं प्रधानमंत्री जी विशेषकर यूपीए सरकार, यूपीए की चेयरपर्सन साहिबा, विपक्ष की नेता, माननीय आडवाणी साहब, जो इतनी देर से बहुत गौर से सुन रहे हैं, उनकी संवेदनशीलता को, हमारे सभी नेताओं की संवेदनशीलता को पूरे तौर पर धन्यवाद देना चाहती हूं। लेकिन मुझे वे स्ट्रीट वैंडर्स भी धन्यवादी के पात्र लगते हैं, जिन्होंने लगातार अहिंसात्मक ढंग से अपनी बात पहुंचाई। उन्होंने कभी कोई प्रदर्शन नहीं किया, कभी किसी की जान नहीं ली, कभी किसी को डंडा नहीं मारा, लेकिन अपनी

*भाषण सभा पटल पर रखा गया।

[डॉ. गिरिजा व्यास]

बात कहते रहे। इसलिए उन्हें सलाम करते हुए मैं उन्हें भी इस विषय के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद देना चाहती हूं।

मैं आज आपकी बात सुन रही थी। अगर मैं गिनूं, तो पुतुल कुमारी जी तक 21 सदस्यों ने इसमें अपनी बात रखी। 21 का आंकड़ा अच्छा होता है। मैं इस बात के लिए आपने आपको सौभाग्यशाली मानती हूं, क्योंकि मुझे बहुत कुछ सीखने का मौका मिला। अगर इस तरह और बातें होतीं तो शायद कुछ और बातें सम्मिलित कर दी जातीं। लेकिन यदि आप हमारे द्वारा लाए गए संशोधनों को भी ध्यान में पढ़ते, तो लगता कि आपकी कही हुई आधी बातें हमने संशोधनों में ले ली हैं। इसके लिए मैं स्टैंडिंग कमेटी के अध्यक्ष महोदय और सभी सदस्यों को ढेर सारी बधाई और धन्यवाद देना चाहती हूं।

भर्तृहरि जी, मैं आपसे बात करूंगी। आपने कहा कि यह समस्या नहीं समाधान है। यह बात सही है कि हमारे हॉकर्स समस्या नहीं हैं, बल्कि उन्हें ठीक करना हमारा समाधान है। मैं शाहनवाज जी की इस बात को भी पूरे तौर पर मानती हूं कि हम सब इबादत के तौर पर पॉलिटिक्स में आते हैं। मुझे पता नहीं, इसके दो-चार एक्सैप्शन हो सकते हों, लेकिन इबादत में दर्द छुपा होता है और दर्द के अनेक रूप होते हैं। मैंने दर्द को रूबरू रूप में देखा है।

अपराह्न 5.02 बजे

[**श्रीमती सुमित्रा महाजन** *पीठासीन हुईं*]

मैडम, अभी आप पीठासीन हुई हैं। आप महिलाओं से बहुत जुड़ी हुई हैं। मैंने उनके दर्द को बहुत ज्यादा महसूस किया। लेकिन जब मैं स्ट्रीट वैंडर्स के इस दर्द को देखती हूं कि जहां वे रहते हैं, वहां उनकी जगह उजाड़ दी जाती है। जब उनके हाथों से सामान खींचकर उन्हें मारा-पीठा जाता है, महिलाओं तक को नहीं बख्शा जाता, तब मुझे लगता है कि यह दर्द बहुत ही अधिक है। नीरज जी ने कहा था:—

दर्द था दिया गया कि हर दुखी को प्यार दूं
और आस यह कि स्वर्ग भूमि पर उतार दूं।

बहुत बार यह कार्य नहीं हो सकता। लेकिन यदि सरकार की मंशा हो, ओवेसी जी ने सही कहा कि नीयत ठीक हो, यूपीए सरकार की मंशा भी थी, यूपीए सरकार की नीयत भी ठीक थी। मैं सदन को भी कहना चाहती हूं कि सदन की नीयत एक स्वर में ठीक है कि हम उन अनबोले, अनकहे, अपनी बात को पूरे तौर पर न रखने वाले मगर खुद्दार लोगों की बात को आत्मसम्मान के साथ जीने का मौका इस बिल द्वारा देने जा रहे हैं। मैं खुद्दारी का एक उदाहरण देना चाहती हूं जिसमें मुझे शर्मिंदगी का सामना करना पड़ा। यदि मैं कभी अपनी आत्मकथा लिखूंगी तो उसमें मुझे शार्मिंदगी के बहुत कम मौके मिलेंगे।

महोदया, मैं आपको कहना चाहती हूं। एक बार एक छोटे से अपंग बच्चे की थड़ी को गिरा दिया गया। वह मेरे पास आया, लेकिन मैं कुछ कर नहीं पाई। मैंने अपनी जेब से पांच हजार रुपये निकाल कर उसे ऑफर किए कि वह उससे अपनी कुछ व्यवस्था कर ले। वह वहीं कच्ची बस्ती में दुकान लगाता था। वह धीरे से उठा। मैंने सोचा कि शायद मुझे धन्यवाद दे रहा हो, लेकिन उसने मेरे चरणों पर पैसे रखकर कहा कि मुझे पैसे नहीं, व्यवसाय चाहिए, मैं नौकरी करना चाहता हूं। मुझे उस तरह से आपकी सहायता की जरूरत है। वह फिर रुका और मुझसे कहा कि मुझे मालूम है कि आप शायर हैं। इसलिए क्या कहूं—

तेरा ज़ौक भी तेरा शौक भी
मेरे दर्द-ए-दिल की दवा नहीं।

उसका यह कथन मुझे आज भी याद है। मुझे दूसरा कथन भी याद है। इसलिए जैसे ही मुझे यह मंत्रालय मिला, मैंने अपने आपको इसमें बहुत जोड़ा। एक बार ऐसे ही एक केले वाले रहमान भाई से बातचीत हो गई। मैंने देखा, उसकी संवेदनशीलता को समझा। एक महिला अपने सिर पर मौसमी लेकर आई। केले वाले की थड़ी का शायद परमानैंट लाइसेंस था, इसलिए उसे उन्होंने कुछ नहीं कहा, लेकिन जब महिला को पीटकर भगाया जाने लगा, तब उसने अपनी जगह उसे दी। मैं यह देखकर रुकी और उसे धन्यवाद देने के लिए अपनी गाड़ी से उतरी, तब उसने एक शेर कहा। वह आज बड़ा शायर है और उसकी दो किताबें छपी हैं। उसने कहा था—

हमारे घरों में मिट्टी के दिए जलते हैं
लोग छोटे ही सही दिल के बड़े होते हैं।

ये लोग अपने स्वावलम्बन के साथ जीते हैं। ये बड़े दिल के हैं और उसी बड़े दिल की भावना को रखते हुए जहां सुप्रीम कोर्ट की मंशा थी, जहां वर्ष 2004 से अब तक इसकी लड़ाई जारी थी, जहां पर इसकी मंशा के बाद कुछ राज्यों ने इसे किया भी था, कुछ राज्यों की इस पर बेरुखी भी थी, सब कुछ मिलाकर कनकरैंट लिस्ट के साथ इसे लाया गया है। इसीलिए मेरे पहले प्रश्न का उत्तर यह है कि समय की कमी के कारण शायद मैं यहां समस्त माननीय सदस्यों की बात का जवाब नहीं दे पाऊं, लेकिन अलग से आपकी बातों का जवाब दूंगी। मैं कोशिश करूंगी कि आप लोगों को जल्दी बुलाकर इस संबंध में हम बात करें। एंट्री 20, 23 और एंट्री 24 कनकरैंट लिस्ट द्वारा इसे केन्द्र सरकार ने लिया है, क्योंकि दो-चार राज्य सरकारों को छोड़कर कोई भी राज्य सरकार जिसमें मेरे स्टेट की भी राज्य सरकार थी, उन्होंने इसे बनाया। लेकिन बहुत सी राज्य सरकारें

इस पर बिल्कुल उदासीन रहीं। उस हालत में यह एक यूनीवर्सल बिल बनकर आया है।

मैं महताब जी को विशेष तौर पर कहना चाहती हूं कि कनकरैंट लिस्ट के कारण इसे एंट्री 20, 23 और 24 के तहत लिया गया है। इसमें कुछ प्रश्न उठे। प्रश्न थे कि जो कमेटी है, उसमें संख्या कम है। मैं यहां पर निवेदन करना चाहती हूं कि टीवीसी में स्ट्रीट वेंडर्स हैं, मार्केट एसोसिएशन भी है और दस प्रतिशत एनजीओज भी होंगे। इस तरह उन लोगों की संख्या करीब 60-70 प्रतिशत हो जाती है। यदि मैं मार्केट एसोसिएशन को निकाल भी दूं, तो 50 प्रतिशत उनकी जनसंख्या होती है, जो लोग अपनी बात रख सकें।

अभी पीछे से यह प्रश्न उठाया गया थ: कि इसमें कौन लोग शामिल होंगे? मैं यहां स्पष्ट कर दूं कि सभी एग्जिस्टिंग वेंडर्स, जिनके पास पहले से सर्टीफिकेट हैं, उनको भी नहीं हटाया जायेगा। जब तक जोन स्थापित नहीं होंगे, उन लोगों को रजिस्टर नहीं किया जायेगा, उस दौरान भी नहीं हटाया जायेगा। सारे एग्जिस्टिंग वेंडर्स इसमें सम्मिलित होंगे, कवर्ड होंगे जब तक कि सर्वर और इनका सर्वे कम्पलसरी रूप में नहीं होगा। प्रत्येक पांच वर्ष में इनका सर्वे होगा। जो 2.5 परसेंट पापुलेशन है, प्रैक्टिकली उसमें से प्रत्येक व्यक्ति को यह लाइसेंस दिया जायेगा। वैंडिंग जोन फिक्स करने के लिए बिल्कुल लिबरली फिक्स किया जायेगा। आपने जिस बात के लिए प्रश्न उठाया, अपने दर्द को भी रखा कि कहीं दूर-दराज न कर दें। मुझे याद है कि मेरे उदयपुर में भी एक बार सब्जी वालों को उदयपुर से 8 किलोमीटर दूर सब्जी की दुकानें दी गयीं। सौभाग्य से आज वह बीच में आ गया है। लेकिन उस वक्त यदि कोई 8 किलोमीटर जाता था, तो रात को लौटकर वे महिलाएं मेरे घर के आगे अपनी सब्जी रख देती थीं और कहती थीं कि आप इसका जवाब दीजिए। इस तरह की बात न हो। जहां पर लोगों की जनसंख्या ज्यादा हो, जहां लोगों की चाहत ज्यादा हो और इसलिए इस बात को हम रूल्स में रखने की कोशिश करेंगे कि जिसमें जिसकी चाहत ज्यादा हो, कहीं सब्जी की मांग है, कहीं दूध और दही की मांग है, कहीं पर दूसरी चीजों की मांग है, उसे देखते हुए इसे ध्यान में रखा जायेगा।

अभी एक माननीय सदस्य ने मुम्बई के संबंध में जिस बात का जिक्र किया कि इसमें जो मार्केट है, वह नेचुरल मार्केट के कान्सैप्ट में होनी चाहिए। इसमें सारे एरियाज कवर हो जायेंगे, यह मैं माननीय सदस्य को कहना चाहती हूं उसमें छोटे हाथ भी हैं, उसमें टूरिज्म के संबंध में जो मेले लगते हैं, वे भी आ जायेंगे। यदि आपने किसान मार्केट की बात की, तो मुझे विदेशों में कुछ जगहों पर एक मार्केट ऐसी भी देखने को मिली जहां केवल महिलाओं की मार्केट है, जो शाम के 5 बजे से लेकर 7 बजे तक चलती है। इस तरह की मार्केट भी इवॉल्व होकर आ सकें जहां पर महिलाएं भी अपने कार्य को सुचारू रूप से कर सकें, इस बात को ध्यान में रखते हुए हम इसे देखेंगे और आगे चलकर इस संबंध में भी विचार करेंगे।

मैंने कहा कि जो डर है कि जब मर्जी से किसी को एविक्ट कर दिया जायेगा और जो नहीं चाहता, उसे कहीं दूसरी जगह का लाइसेंस दे दिया जायेगा। इस ओर से भी आप बिल्कुल निश्चित रहें। अति के मामलों में ही निष्कासन किया जाए। वह भी उसका जोन है। जहां पर स्कूल है, उन चुनिंदा स्थानों को देखते हुए बिल्कुल एविक्शन नहीं होगा, इसमें यह गारंटी दी गयी है। जहां तक पैनल्टी का सवाल है, तो वह केवल 250 रुपये है। सदस्य महोदय की दोनों बातों को, जिसका जिक्र उन्होंने अलग-अलग तौर पर किया, मैं सोचती हूं कि इन बातों में दोनों जगह पर अलग प्रावधान है और दोनों का कारण भी अलग है। लेकिन पेनल्टी केवल 250 रुपए है। यदि कोई बिना लाइसेंस का हो, तो उसके लिए पेनल्टी दो हजार रुपए है। मैं सोचती हूं कि इसमें भी हम लोग आपकी बात को ध्यान में रखेंगे। जहां तक प्रोपर्टी का सवाल है, उनके सामानों का सवाल है, उसमें मैं पहले ही निवेदन कर चुकी हूं कि ज्यादा-से-ज्यादा दो दिन का समय उनके एप्लिकेशन के प्रोसेस में लगेगा। यदि कोई चीज एडिबल है, तो उसी दिन, जिस वक्त वह कहता है, उसके साथ उसको रिलीज़ कर दिया जाए। इसमें आप लोगों ने एक शंका उठायी, आपकी शंका वाज़िब है, मैं इसका स्वागत करती हूं। इसमें इंश्योरेंस और क्रेडिट दोनों को जोड़ा गया है। एक तरफ तो हमने कहा कि जो 5 प्रतिशत एनएलयूएम है, उसके तहत तो वह इसमें होगा ही, लेकिन उएसके साथ-साथ हम बैंकिंग से भी मदद करेंगे ताकि उन लोगों को उसका समाधान मिल सके। वह एडमिसिबल है। यहां एक फैसीलिटी का सवाल है, मेरा ख्याल है कि श्री दारा सिंह जी ने कहा था या आपने इसका जिक्र किया था कि उस पर कहीं स्वच्छता का नियम न लागू कर दिया जाए। लेकिन स्वच्छता का अर्थ यह है कि आसपास की जगह को स्वच्छ रखा जाए और उसका दायित्व उस पर नहीं है, उसका दायित्व म्यूनिसिपैलिटी पर है। आपने इसका जिक्र बिल्कुल ठीक किया था। म्यूनिसिपैलिटी का दायित्व बनता है कि वह आसपास के स्थान को ठीक रखे। हमारे राजस्थान में एक कहावत है:-

> "फटे कपड़े और गरीब रिश्तेदारों से कभी नहीं घबराना चाहिए, लेकिन स्वच्छता उस गरीब कपड़े में भी हो, शायद यह बात जब जेब में पैसे होते हैं, जब पेट में रोटी होती है, उस वक्त यह ज़र्रा हीरा है, उस वक्त यह शबनम मोती है।"

जब उनके पेट में रोटी चली जाएगी, तो अपने आप स्वच्छता निकलकर सामने आएगी। इसे उस पर थोपा न जाए, इस बात से मैं आपसे सहमत हूं।

[डॉ. गिरिजा व्यास]

जहां तक पुलिस प्रोटेक्शन और म्यूनिसिपैलिटी का सवाल है, तो यह इस बिल का मूल आधार है। रोज़ के डण्डे, रोज़ की कवायद, रोज़ का निष्कासन, बहुत हो चुका *[अनुवाद]* बस बहुत हो चुका *[हिन्दी]* और अब उन लोगों को जीने का हक है। इसलिए पूरे तौर पर वे साथ हों। इसलिए ओवेसी जी, मैं आपकी इस बात से सहमत हूं। क्योंकि पांच पिलर्स बहुत जरूरी होते हैं। पहला होता है—कानून और कानून का कड़ा होना। अब तक इस संबंध में कोई कानून ही नहीं था। अब कड़ा कानून है। दूसरा होता है—कानून का एक्जिक्यूशन और उसके लिए मुझे आप लोगों की मदद की जरूरत है। हम रूल्स में ऐसी व्यवस्था करने की व्यवस्था करेंगे, यह मेरे मन की, मेरी इच्छा की बात है। व्यक्तिगत रूप से इसे कैसे लिया जाए। इसमें एम.पीज़ और एम.एल.एज. को भले ही विशेष रूप से आमंत्रित करें, लेकिन इसमें उन लोगों को इलेक्टेड मेम्बर्स को भी इनमें आमंत्रित करें ताकि वे एक्जिक्यूशन को अच्छी तरह से एक्जिक्यूट कराने में अपनी भूमिका निभा सके। एक्जिक्यूशन कितनी अच्छी तरह से भी कर दीजिए, म्यूनिसिपैलिटी आदि से मैं भी भयाक्रांत हूं। उसमें हमें हैमर करने की आवश्यकता है। तीसरा है—अवेयरनेस के कार्यक्रम। इसे सरकारें करें, म्यूनिसिपैलिटी करे, हम लोग करें ताकि यह लोगों तक पहुंचे और जैसा कि ओवेसी जी का कहना था, कमेटियां बनाकर हम सब मिलकर आएं और अलग-अलग जगहों पर अवेयरनेस के कार्यक्रम करके उनके हक़ूक के बारे में उन्हें जानकारी दें। चौथा है—सिविल सोसायटी की भूमिका। मुझे रात को बहुत फोन आए। सुषमा जी मैं खासकर आपसे निवेदन करना चाहती हूं क्योंकि लोग हम महिलाओं को फोन किया ही करते हैं। पहला फोन आया गुलमर्ग पार्क से, जो हमारे घर के सामने है। क्योंकि वे दर्द कहां सुनाएं? अपनी दर्द की बात वे वहीं करते हैं, एक महिला ने जानना चाहा कि क्या आप गुलमर्ग पार्क पर भी खड़िया लगा देंगे? मैंने उन्हें किसी तरह से शांत किया। दूसरा फोन था एक विकलांग का। वह कह रहा था कि आपने जो कहा, क्या वह सचमुच होगा? उन लोगों को अभी तक विश्वास नहीं है। तीसरा फोन स्ट्रीट वेंडर्स का था, वे कह रहे थे कि क्या हमारा सपना पूरा होगा। ये फोन इस बात के लिए संकेत कर रहे थे कि जब सदन एक हो, जब सदन की मंशा ठीक हो, शाहनवाज़ जी ने सही कहा कि हम इबादत के साथ आए हैं, आज की इबादत उन गरीब लोगों के नाम, जो अपनी बात को कह नहीं पाए, लेकिन उनकी बात कहने के लिए अनेक जुबान दे दी गयी। इसी संबंध में मेरे पास आप लोगों के 21 प्रश्न है, कुछ समाधान हैं, उन सभी का मैं लिखित रूप में आप लोगों को जवाब दूंगी। एक शेर, जिसे मैंने अभी-अभी लिखा था, उसके साथ अपने वक्तव्य को समाप्त करूंगी:

"खौफ़ देख, खौफ़ की ताबीर देख। दर्द पर लगाया है मरहम, तो उसकी ज़रा तामीर तो देख।"

श्री दारा सिंह चौहान (घोसी) : सभापति महोदया, मैंने कहा था कि रेलवे मंत्रालय से बात करके रेलवे की बेकार पड़ी जमीन गरीबों को दी जाए, जिससे उसकी रोज़ी-रोटी में ज्यादा इज़ाफा हो सकेगा।... *(व्यवधान)*

डॉ. गिरिजा व्यास : उस पर ध्यान दिया जाएगा, लेकिन मैं चाहती हूं कि इसके एक इंटर-मिनिस्टीरियल मीटिंग हो, हम लोग इंटर-मिनिस्टीरियल मीटिंग के लिए प्रयास कर रहे हैं।...*(व्यवधान)*

श्रीमती सुषमा स्वराज (विदिशा) : सभापति महोदया, माननीय मंत्री महोदया ने बड़े मार्मिक ढंग से इसका जवाब दिया। मुझे लगता है कि चार पंक्तियां उनके और इस सदन के नाम करके इस बिल को पारित करें तो ज्यादा अच्छा होगा। मैं आपको मुखातिब करके और इस सदन को संबोधित करके कह रही हूं:

"किसी मजबूर की मजबूरियों को सोचकर देखो,
प्रेम को इन झोपड़ियों के बीच खोजकर देखो,
अगर इंसानियत को फिर से धरती पर बुलाते हो,
किसी रोते हुए के आंसुओं को पोंछकर देखो,
किसी रोते हुए के आंसुओं को पोंछकर देखों।"

इन रोते हुए के आंसुओं को पोंछने के लिए आप यह बिल यहां लेकर आई हैं, इसीलिए बिना किसी दलगत राजनीति के पूरा सदन इसको पारित कर रहा है।

[अनुवाद]

सभापति महोदया : प्रश्न यह है:

"कि शहरी पथ विक्रेताओं के अधिकारों की रक्षा करने और पथ विक्रय गतिविधियों को विनियमित करने तथा उससे संबंधित अथवा उसके आनुषांगिक मामलों का उपबंध करने वाले विधेयक पर विचार किया जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

सभापति महोदया : अब सभा विधेयक पर खंडवार चर्चा आरंभ करेगी।

खंड 2 परिभाषाएं

संशोधन किए गए:

पृष्ठ 2, पंक्ति 9 से पंक्ति 19 **के स्थान** पर रखें— (2)

'(क) "समुचित सरकार" से संबंधित विषयों की बाबत निम्नलिखित अभिप्रेत है–

(i) विधान मंडल के बिना कोई संघ राज्यक्षेत्र, केन्द्रीय सरकार;

(ii) विधान मंडल सहित संघ राज्य क्षेत्र, यथास्थिति, राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र दिल्ली की सरकार या राष्ट्रीय राजधानी राज्यक्षेत्र पुदुचेरी की सरकार;

(iii) कोई राज्य, राज्य सरकार;'।

'(ख) "धारणा क्षमता" **से उन पथ** विक्रेताओं की अधिकतम संख्या अभिप्रेत **है जिन्हें कि**सी विक्रय जोन में स्थान दिया जा सकता है और नगर विक्रय समिति की सिफारिशों पर स्थानीय प्राधिकारी द्वारा उसे ऐसे रूप में अवधारित किया गया है;'।

पृष्ठ 2, पंक्ति 30 से पंक्ति 33 **के स्थान** पर रखें– (2)

'(ङ) "प्राकृतिक बाजार" से ऐसा बाजार अभिप्रेत है जहां विक्रेता और क्रेता विक्रय और उत्पादों या सेवाओं की खरीद के लिए परंपरागत रूप से एकत्र होते हैं और उसे नगर विक्रय समिति की सिफारिशों पर स्थानीय प्राधिकारी द्वारा उस रूप में अवधारित किया गया है;'।

पृष्ठ 2, पंक्ति 39, "जो लागू" शब्दों **के पश्चात्** "यथास्थिति" **अंत:स्थापित** करें। (2)

पृष्ठ 3, पंक्ति 6, से पंक्ति 8 **का लोप** करें। (2)

पृष्ठ 3, पंक्ति 13, "प्राइवेट क्षेत्र में या" शब्दों **के स्थान पर** "प्राइवेट क्षेत्र में" शब्द रखें। (2)

पृष्ठ 3, पंक्ति 23, "स्थानीय प्राधिकारी" से पूर्व "नगर विक्रय समिति की सिफारिशों पर" **अंत:स्थापित** करें। (2)

(डॉ. गिरिजा व्यास)

सभापति महोदया : प्रश्न यह है:

"कि खंड 2, संशोधित रूप में, विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड 2 संशोधित रूप में, विधेयक में जोड़ दिया गया।

खंड 3

सभापति महोदया : प्रश्न यह है:

"कि खंड 3, विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड 4
पथ विक्रेताओं का
पंजीकरण और
पंजीकरण प्रमाण-
पत्र जारी करना

संशोधन किए गए:

पृष्ठ 4, पंक्ति 1 से पंक्ति 13 **के स्थान** पर रखें–

"पथ विक्रेताओं का सर्वेक्षण और बेदखली या पुन:स्थापना से संरक्षण।

4. (1) नगर विक्रय समिति ऐसी अवधि के भीतर और ऐसी रीति में, जो स्कीम में विनिर्दिष्ट की जा सके, अपनी अधिकारिता के अधीन क्षेत्र में विद्यमान सभी पथ विक्रेताओं के सर्वेक्षण का संचालन करेगी और तत्पश्चात् प्रत्येक पांच वर्ष में कम से कम एक बार सर्वेक्षण किया जाएगा।

(2) नगर विक्रय समिति यह सुनिश्चित करेगी कि सर्वेक्षण में पहचान किए गए सभी विद्यमान पथ विक्रेताओं को पथ विक्रय के लिए योजना और पथ विक्रय जोनों की धारणा क्षमता के अनुसार, यथास्थिति, वार्ड या जोन या नगर या शहर की जनसंख्या के ढाई प्रतिशत के अनुरूप सन्नियम के अधीन विक्रय जोनों में समायोजित किया गया है।

(3) किसी पथ विक्रेता को उपधारा (1) के अधीन विनिर्दिष्ट सर्वेक्षण के पूरा होने और सभी पथ विक्रेताओं को विक्रय का प्रमाणपत्र जारी होने तक, यथास्थिति, बेदखल या पुन:स्थापित नहीं किया जाएगा।"। (9)

(डॉ. गिरिजा व्यास)

सभापति महोदया : प्रश्न यह है:

"कि खंड 4, संशोधित रूप में, विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड 4 संशोधित रूप में, विधेयक में जोड़ दिया गया।

खंड 5

व्यक्ति विक्रय प्रमाण-पत्र प्राप्त किए बिना पथ विक्रय में संलग्न नहीं होंगे

संशोधन किए गए:

पृष्ठ 4, पंक्ति 14 से पंक्ति 19 **के स्थान** पर रखें–

"विक्रय प्रमाण-पत्र जारी होना।

5. (1) धारा 4 की उपधारा (1) के अधीन क्रियान्वित सर्वेक्षण के अधीन पहचान किया गया प्रत्येक पथ विक्रेता को, जिसने चौदह वर्ष की आयु या ऐसी आयु, जो समर्पित सरकार द्वारा विहित की जा सके, पूरी कर ली है, ऐसे निबंधनों और शर्तों के अध्यधीन और पथ विक्रय के लिए योजना में विनिर्दिष्ट निर्बंधनों सहित स्कीम में विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर नगर विक्रय समिति द्वारा विक्रय का प्रमाण-पत्र जारी किया जाएगा:

परंतु कोई व्यक्ति चाहे वह धारा 4 की उपधारा (1) के अधीन सर्वेक्षण में सम्मिलित किया गया है या नहीं, जिसे इस अधिनियम के प्रारंभ से पूर्व विक्रय का प्रमाण-पत्र जारी किया गया है, चाहे अनुज्ञप्ति या अनुज्ञा (चाहे स्थिर विक्रेता के रूप में या चल विक्रेता या किसी अन्य प्रवर्ग के अधीन हो) के अन्य रूप में ज्ञात हो, उस अवधि के लिए, जिसके लिए ऐसे विक्रय का प्रमाणपत्र जारी किया गया, उस प्रवर्ग के लिए पथ विक्रेता समझा जाएगा।

(2) जहां दो सर्वेक्षणों के बीच मध्यवर्ती अवधि में कोई व्यक्ति विक्रय करना चाहता है, नगर विक्रय समिति, पथ विक्रय और विक्रय जोनों की धारण क्षमता के लिए स्कीम योजना के अध्यधीन ऐसे व्यक्ति को विक्रय का प्रमाणपत्र मंजूर कर सकेगी।

(3) जहां उपधारा (1) के अधीन पहचान किए गए पथ विक्रेताओं की संख्या या उपधारा (2) के अधीन विक्रय करने के लिए व्यक्तियों की संख्या विक्रय जोन की धारण क्षमता से अधिक है और बढ़े व्यक्तियों की संख्या को विक्रय जोन में समायोजित किया जाना है, वहां नगर विक्रय समिति उस विक्रय जोन के लिए विक्रय का प्रमाण-पत्र जारी करने के लिए लॉट से ड्रा का क्रियान्वयन करेगी और शेष व्यक्तियों को पुन:स्थापन से बचने में किसी समीपवर्ती विक्रय जोन में समायोजित किया जाएगा।

"विक्रय प्रमाण-पत्र जारी करने की शर्तें।

5क(1) प्रत्येक पथ विक्रेता को धारा 5 के अंतर्गत विक्रय प्रमाण-पत्र जारी होने से पूर्व नगर विक्रय समिति को एक वचन देना होगा कि–

(क) यह स्वयं या अपने परिवार के किसी सदस्य के माध्यम से पथ विक्रय का कार्य करेगा;

(ख) उसके पास जीविका का कोई अन्य साधन नहीं है;

(ग) वह किसी अन्य व्यक्ति को, किसी रूप में, जिसमें किराया शामिल है, विक्रय प्रमाण-पत्र या उसमें निर्दिष्ट स्थान पर हस्तांतरण नहीं करेगा।

(2) जहां किसी पथ विक्रेता, जिसे विक्रय प्रमाण-पत्र जारी किया जाता है, की मृत्यु हो जाती है या वह किसी स्थाई विकलांगता से ग्रसित हो जाता है या बीमार हो जाता है, तो निम्नलिखित प्राथमिकता क्रम में उसके परिवार का एक सदस्य उसके स्थान पर विक्रय प्रमाण-पत्र की वैधता तक विक्रय कर सकेगा–

(क) पथ विक्रेता की पत्नी या पति;

(ख) पथ विक्रेता का आश्रित बच्चा:

परन्तु जहां यह विवाद उत्पन्न होता है कि पथ विक्रेता के स्थान पर कौन विक्रय का पात्र है, धारा 20 के अंतर्गत मामले में समिति द्वारा निर्णय किया जायेगा।" (10)

(डॉ. गिरिजा व्यास)

सभापति महोदया : प्रश्न यह है:

"कि खंड 5, संशोधित रूप में, विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड 5 संशोधित रूप में, विधेयक में जोड़ दिया गया।

नियम 80(एक) के निलंबन के बारे में प्रस्ताव

डॉ. गिरिजा व्यास : मैं प्रस्ताव करती हूं:

"कि यह सभा, लोक सभा में प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमों के नियम 80 के खंड (स) को, जहां तक उसमें यह अपेक्षा की गई है कि संशोधन विधेयक की व्याप्ति के भीतर होगा और जिस खंड से उसका संबंध हो, उसके विषय से सुसंगता होगा, पथ विक्रेता (जीविका संरक्षण और पथ विक्रय विनियमन) विधेयक, 2012 की सरकारी संशोधन संख्या 41 को लागू करने के संबंध में, निलंबित करती है और यह कि इस संशोधन को पेश करने की अनुमति दी जाए।"

सभापति महोदया : प्रश्न यह है:

"कि यह सभा, लोक सभा में प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमों के नियम 80 के खंड (स) को, जहां तक उसमें यह अपेक्षा की गई है कि संशोधन विधेयक की व्याप्ति के भीतर होगा और जिस

खंड से उसका संबंध हो, उसके विषय से सुसंगत होगा, पथ विक्रेता (जीविका संरक्षण और पथ विक्रय विनियमन) विधेयक, 2012 की सरकारी संशोधन संख्या 41 को लागू करने के संबंध में, निलंबित करती है और यह कि इस संशोधन को पेश करने की अनुमति दी जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

नया खंड 5क **विक्रय प्रमाण-पत्र जारी करने की शर्तें**

संशोधन किए गए:

पृष्ठ 3, पंक्ति 43 **के पश्चात् अंत:स्थापित** करें:–

5क. (1) प्रत्येक पथ विक्रेता को धारा 5 के अंतर्गत विक्रय प्रमाण-पत्र जारी होने से पूर्व नगर विक्रय समिति को एक वचन देना होगा, कि–

(क) यह स्वयं या अपने परिवार के किसी सदस्य के माध्यम से पथ विक्रय का कार्य करेगा;

(ख) उसके पास जीविका का कोई अन्य साधन नहीं है;

(ग) वह किसी अन्य व्यक्ति को, किसी रूप में, जिसमें किराया शामिल है, विक्रय प्रमाण-पत्र या उसमें निर्दिष्ट स्थान पर हस्तांतरण नहीं करेगा।

(2) जहां किसी पथ विक्रेता, जिसे विक्रय प्रमाण-पत्र जारी किया जाता है, की मृत्यु हो जाती है या वह किसी स्थाई विकलांगता से ग्रसित हो जाता है या बीमार हो जाता है, तो निम्नलिखित प्राथमिकता क्रम में उसके परिवार का एक सदस्य उसके स्थान पर विक्रय प्रमाण-पत्र की वैधता तक विक्रय कर सकेगा–

(क) पथ विक्रेता की पत्नी या पति;

(ख) पथ विक्रेता का आश्रित बच्चा:

परन्तु जहां यह विवाद उत्पन्न होता है कि पथ विक्रेता के स्थान पर कौन विक्रय का पात्र है, धारा 20 के अंतर्गत मामले में समिति द्वारा निर्णय किया जायेगा।" (41)

(डॉ. गिरिजा व्यास)

सभापति महोदया : प्रश्न यह है:

"कि नया खंड 5अ विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

नया खंड 5अ विधेयक में जोड़ दिया गया।

खंड 6 **विक्रय प्रमाण-पत्र जारी होना**

संशोधन किए गए:

पृष्ठ 4, पंक्ति 20 से पंक्ति 23 **के स्थान पर** रखें:– (6)

"विक्रय प्रमाण-पत्र के प्रवर्ग और पहचान पत्रों का जारी होना।

6. (1) विक्रय प्रमाण-पत्र निम्नलिखित प्रवर्गों में से किसी प्रवर्ग के अधीन जारी किया जाएगा: –

(क) कोई स्थिर विक्रेता;

(ख) कोई चल विक्रेता; या

(ग) कोई अन्य प्रवर्ग, जो स्कीम में विनिर्दिष्ट किया जा सके।

(2) उपधारा (1) में विनिर्दिष्ट प्रवर्गों के लिए जारी किया गया विक्रय का प्रमाण-पत्र ऐसे प्ररूप में होगा और ऐसी रीति में जारी किया जाएगा, जो स्कीम में विनिर्दिष्ट किया जाए और उसमें उस विक्रय जोन को यहां पथ विक्रेता अपने विक्रय क्रियाकलाप करेगा, ऐसे विक्रय क्रियाकलापों को करने संबंधी समय-सीमा तथा उन शर्तों को विनिर्दिष्ट किया जाएगा जिनके अधीन रहते हुए वह ऐसे विक्रय क्रियाकलाप करेगा।

(3) प्रत्येक पथ विक्रेता जिसे उस उपधारा (1) के अधीन विक्रय का प्रमाण-पत्र जारी किया गया है, ऐसे प्ररूप और ऐसी रीति में, जो स्कीम में विनिर्दिष्ट की जा सके, पहचान पत्र जारी किया जाएगा।"।

पृष्ठ 4, पंक्ति 24 से पंक्ति 36 का **लोप** करें। (6)

(डॉ. गिरिजा व्यास)

सभापति महोदया : प्रश्न यह है:

"कि खंड 6, संशोधित रूप में, विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड 6, संशोधित रूप में, विधेयक में जोड़ दिया गया।

खंड 7 **विक्रय का प्रमाण-पत्र जारी करने के लिए मानदंड**

संशोधन किए गए:

पृष्ठ 5, पंक्ति 1 में, "जो विहित किए जाएं" **के स्थान पर** "जो स्कीम में विनिर्दिष्ट की जाएं" रखें:– (7)

(डॉ. गिरिजा व्यास)

सभापति महोदया : प्रश्न यह है:

"कि खंड 7, संशोधित रूप में, विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड 7, संशोधित रूप में, विधेयक में जोड़ दिया गया।

खंड 8 और 9 विधेयक में जोड़ दिए गए।

खंड 10 विक्रय के प्रमाण-पत्र का रद्दीकरण अथवा निलम्बन

संशोधन किए गए:

हिन्दी पाठ में संशोधन की आवश्यकता नहीं है। (10)

हिन्दी पाठ में संशोधन की आवश्यकता नहीं है। (10)

(डॉ. गिरिजा व्यास)

सभापति महोदया : प्रश्न यह है:

"कि खंड 10, संशोधित रूप में, विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड 10, संशोधित रूप में, विधेयक में जोड़ दिया गया।

खंड 11 नगर विक्रय समिति के निर्माण पर अपील

संशोधन किए गए:

पृष्ठ 5, पंक्ति 21, "धारा 4 के अधीन रजिस्ट्रीकरण या" का **लोप** करें। (16)

पृष्ठ 5, पंक्ति 24 में, "स्कीम में विनिर्दिष्ट की जाए" **के स्थान पर** "विहित की जाए" रखें:– (17)

(डॉ. गिरिजा व्यास)

सभापति महोदया : प्रश्न यह है:

"कि खंड 11, संशोधित रूप में, विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड 11, संशोधित रूप में, विधेयक में जोड़ दिया गया।

खंड 12 पथ विक्रेता के अधिकार

संशोधन किए गए:

पृष्ठ 5, पंक्ति 30 से पंक्ति 32 **के स्थान पर** रखें–

"**12.** (1) प्रत्येक पथ विक्रेता को, विक्रय प्रमाण-पत्र में वर्णित निबंधनों और शर्तों के अनुसार पथ विक्रय क्रियाकलापों का कारबार करने का अधिकार होगा।"। (18)

(डॉ. गिरिजा व्यास)

सभापति महोदया : प्रश्न यह है:

"कि खंड 12, संशोधित रूप में, विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड 12, संशोधित रूप में, विधेयक में जोड़ दिया गया।

खंड 13 पुनःस्थापन पर किसी नई जगह अथवा क्षेत्र हेतु पथ विक्रेता का अधिकार

संशोधन किए गए:

पृष्ठ 5, पंक्ति 38, में "जो" **के पश्चात्** "नगर विक्रय समिति से परामर्श करके" रखें। (19)

(डॉ. गिरिजा व्यास)

सभापति महोदया : प्रश्न यह है:

"कि खंड 13, संशोधित रूप में, विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड 13, संशोधित रूप में, विधेयक में जोड़ दिया गया।

खंड 14 से 17 विधेयक में जोड़ दिए गए।

खंड 18 पथ विक्रेताओं का पुनःस्थापन अथवा बेदखली

संशोधन किए गए:

पृष्ठ 6, पंक्ति 15 से पंक्ति 33 **के स्थान पर** रखें–

"पथ विक्रेताओं का पुनःस्थापन या बेदखली।

18. (1) स्थानीय प्राधिकारी नगर विक्रय समिति की सिफारिशों पर किसी जोन या उसके भाग को किसी लोक प्रयोजन के लिए कोई विक्रय जोन नहीं के रूप में घोषित कर सकेगा और उस क्षेत्र में विक्रय करने वाले पथ विक्रेताओं को ऐसी रीति में, जो स्कीम में विनिर्दिष्ट की जाए, पुनःस्थापित कर सकेगा।

(2) स्थानीय प्राधिकारी ऐसे पथ विक्रेताओं, जिनका धारा 10 के अधीन विक्रय का प्रमाण-पत्र रद्द कर दिया गया है या जिनके पास विक्रय का प्रमाण-पत्र नहीं है और ऐसे प्रमाण-पत्र के बिना बेचते हैं, को ऐसी रीति में, जो स्कीम में विनिर्दिष्ट की जाए, बेदखल करेगा।

(3) किसी पथ विक्रेता को स्थानीय प्राधिकारी द्वारा विक्रय के प्रमाण-पत्र में विनिर्दिष्ट स्थान से तब तक पुन:स्थापित या बेदखल नहीं किया जाएगा जब तक उसे उसी के लिए तीस दिन की सूचना ऐसी रीति में, जो स्कीम में विनिर्दिष्ट की जाए, न दे दी गई हो।

(4) स्थानीय प्राधिकारी द्वारा किसी पथ विक्रेता को सूचना में विनिर्दिष्ट अवधि की समाप्ति के पश्चात् विक्रय प्रमाण-पत्र में विनिर्दिष्ट स्थान को खाली करने में असफल रहने पर ही ऐसी रीति में जो स्कीम में विनिर्दिष्ट की जाए, वस्तुत: पुन:स्थापित या बेदखल किया जाएगा।

(5) प्रत्येक पथ विक्रेता; जो सूचना में विनिर्दिष्ट अवधि के समाप्ति के पश्चात् विक्रय प्रमाण-पत्र में विनिर्दिष्ट स्थान के पुन:स्थापन या खाली करने में असफल रहता है, प्रत्येक दिन के लिए ऐसे व्यतिक्रम के लिए शास्ति का संदाय करने के लिए दायी होगा जिसे दो सौ पचास रुपए तक बढ़ाया जा सकेगा, जो स्थानीय प्राधिकारी द्वारा अवधारित किया जाए, किन्तु यह अभिग्रहीत माल के मूल्य से अधिक नही होगा।"। (20)

(डॉ. गिरिजा व्यास)

सभापति महोदया : प्रश्न यह है:

"कि खंड 18, संशोधित रूप में, विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड 18, संशोधित रूप में, विधेयक में जोड़ दिया गया।

खंड 19 माल का अभिग्रहण और वापस लिया जाना

संशोधन किए गए:

पृष्ठ 6, पंक्ति 34 से पंक्ति 39 **के स्थान पर** रखें–

"माल का अधिग्रहण और वापस लिया जाना।

19. (1) यदि पथ विक्रेता धारा 18 की उपधारा (3) के अधीन दी गई सूचना में विनिर्दिष्ट अवधि के व्यपगत होने के पश्चात् विक्रय प्रमाणपत्र में विनिर्दिष्ट स्थान को खाली करने में असफल रहता है, स्थानीय प्राधिकारी धारा 18 के अधीन पथ विक्रेता को बेदखल करने के अतिरिक्त, यदि वह आवश्यक समझे, ऐसे पथ विक्रेता के माल का अभिग्रहण ऐसी रीति में, जो स्कीम में विनिर्दिष्ट की जा सके, कर सकेगा:

परंतु जहां कोई ऐसा अभिग्रहण किया गया है वहां स्कीम में यथा विनिर्दिष्ट अभिग्रहीत माल की सूची तैयार की जाएगी और माल का अभिग्रहण करने वाले प्राधिकृत व्यक्ति द्वारा सम्यक् रूप से हस्ताक्षरित उसकी एक प्रति पथ विक्रेता को जारी की जाएगी।

(2) पथ विक्रेता, जिसका माल, उपधारा (1) के अधीन अभिगृहीत किया गया है, अपने माल को ऐसी रीति में और ऐसी फीस का संदाय, जो स्कीम में विनिर्दिष्ट की जा सके, करने के पश्चात् वापस ले सकेगा:

परंतु यदि न खराब होने वाले माल की दशा में स्थानीय प्राधिकारी, पथ विक्रेता द्वारा किए जा रहे दावे के दो कार्य दिवसों के भीतर माल को छोड़ देगा और खराब, होने वाले माल की दशा में, स्थानीय प्राधिकारी, पथ विक्रेता द्वारा दिए जा रहे दावे के उसी दिन को माल छोड़ देगा।"। (21)

(डॉ. गिरिजा व्यास)

सभापति महोदया : प्रश्न यह है:

"कि खंड 19, संशोधित रूप में, विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड 19, संशोधित रूप में, विधेयक में जोड़ दिया गया।

खंड 20 पथ विक्रेताओं के विवादों को सुलझाने हेतु शिकायतों का समाधान

संशोधन किए गए:

पृष्ठ 7, पंक्ति 3 से पंक्ति 7 **के स्थान पर** रखें–

"**20.** (1) समुचित सरकार, अध्यक्ष, जो सिविल न्यायाधीश रहा हो, या एक न्यायिक मजिस्ट्रेट और दो अतिरिक्त वृत्तिकों, जिनके पास ऐसा अनुभव हो जो उपधारा (2) के अधीन प्राप्त आवेदनों के विनिश्चिय के प्रयोजन के लिए विहित किए जा

सकें, से मिलकर बनने वाली एक या अधिक समितियों का गठन कर सकेगी:

परंतु समुचित सरकार का कोई कर्मचारी या स्थानीय प्राधिकारी समिति के सदस्यों के रूप में नियुक्त नहीं किया जाएगा।"। (22)

(डॉ. गिरिजा व्यास)

सभापति महोदया : प्रश्न यह है:

"कि खंड 20, संशोधित रूप में, विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड 20, संशोधित रूप में, विधेयक में जोड़ दिया गया।

खंड 21 पथ विक्रेय योजना तैयार करना

संशोधन किए गए:

पृष्ठ 7, पंक्ति 24 से पंक्ति 30 **के स्थान पर** रखें–

"पथ विक्रय के लिए योजना।

21. (1) प्रत्येक स्थानीय प्राधिकारी, योजना के परामर्श से और नगर विक्रय समिति की सिफारिश पर प्रत्येक पांच वर्ष में एक बार पहली अनुसूची में अंतर्विष्ट विषयों में आने वाले पथ विक्रेताओं के व्यवसाय के संवर्धन के लिए एक योजना बनाएगा।

(2) स्थानीय प्राधिकारी द्वारा तैयार की गई पथ विक्रय योजना, समुचित सरकार को अनुमोदन के लिए प्रस्तुत की जाएगी और वह सरकार, योजना को अधिसूचित करने से पूर्व पथ विक्रेताओं को लागू मानदंडों का अवधारण करेगी।"। (23)

(डॉ. गिरिजा व्यास)

सभापति महोदया : प्रश्न यह है:

"कि खंड 21, संशोधित रूप में, विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड 21, संशोधित रूप में, विधेयक में जोड़ दिया गया।

खंड 22 नगर विक्रय समिति

संशोधन किए गए:

पृष्ठ 8, पंक्ति 4 से पंक्ति 14 **के स्थान पर** रखें–

"(ख) समुचित सरकार द्वारा नामनिर्दिष्ट किए जाने वाले स्थानीय प्राधिकरण, स्थानीय प्राधिकरण का चिकित्सा अधिकारी, योजना प्राधिकरण, यातायात पुलिस, पुलिस, पथ विक्रेता संगम, बाजार संगम, व्यापारी संगम, गैर-सरकारी संगठन, समुदाय आधारित संगठन, निवासी कल्याण संगम, बैंक और ऐसे अन्य हितों, जो वह उचित समझे, का प्रतिनिधित्व करने वाले ऐसे अन्य सदस्य जो विहित किए जाएं;

(ग) गैर-सरकारी संगठनों और समुदाय आधारित संगठनों का प्रतिनिधित्व करने के लिए नामनिर्दिष्ट सदस्यों की संख्या दस प्रतिशत से कम नहीं होगी;

(घ) पथ विक्रेताओं का प्रतिनिधित्व करने वाले सदस्यों की संख्या चालीस प्रतिशत से कम नहीं होगी जो स्वयं पथ विक्रेताओं द्वारा ऐसी रीति में निर्वाचित किए जाएंगे, जो विहित की जाएं:

परंतु पथ विक्रेताओं का प्रतिनिधित्व करने वाले एक तिहाई सदस्य महिला विक्रेताओं में से होंगे:

परंतु यह और कि पथ विक्रेताओं का प्रतिनिधित्व करने वाले सदस्यों में से अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों, अल्पसंख्यकों और नि:शकत व्यक्तियों को सम्यक् प्रतिनिधित्व दिया जाएगा।"। (24)

(डॉ. गिरिजा व्यास)

सभापति महोदया : प्रश्न यह है:

"कि खंड 22, संशोधित रूप में, विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड 22, संशोधित रूप में, विधेयक में जोड़ दिया गया।

खंड 23 नगर विक्रय समिति की बैठकें

संशोधन किए गए:

पृष्ठ 8, पंक्ति 17 "23." **के स्थान पर** "23. (1)" रखें। (25)

पृष्ठ 8, पंक्ति 19 **के पश्चात्, अंत:स्थापित** करें–

"(2) नगर विक्रय समिति का प्रत्येक विनिश्चय ऐसे विनिश्चय करने के लिए कारणों सहित अधिसूचित किया जाएगा।"। (26)

(डॉ. गिरिजा व्यास)

सभापति महोदया : प्रश्न यह है:

"कि खंड 23, संशोधित रूप में, विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड 23, संशोधित रूप में, विधेयक में जोड़ दिया गया।

खंड 24 और 25 विधेयक में जोड़ दिए गए।

खंड 26 मोहल्ला विक्रय समितियों का गठन

सभापति महोदय: प्रश्न यह है:

"कि खंड 26 विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव अस्वीकृत हुआ।

खंड 27 पथ विक्रेताओं के चार्टर और डाटाबेस का प्रकाशन तथा सामाजिक लेखा परीक्षण करना

संशोधन किए गए:

पृष्ठ 8, पंक्ति 30, "रजिस्ट्रीकरण प्रमाण-पत्र और" **का लोप** करें। (27)

(डॉ. गिरिजा व्यास)

सभापति महोदया : प्रश्न यह है:

"कि खंड 27, संशोधित रूप में, विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड 27, संशोधित रूप में, विधेयक में जोड़ दिया गया।

खंड 28 स्थानीय प्राधिकारी के कर्त्तव्य

सभापति महोदय: प्रश्न यह है:

"कि खंड 28 विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव अस्वीकृत हुआ।

सभापति महोदय : खंड 28 विधेयक से हटाया जाता है।

खंड 29 पुलिस और अन्य प्राधिकारियों के शोषण से बचाव

संशोधन किए गए:

पृष्ठ 9, पंक्ति 8, "ऐसी किसी भी पथ विक्रेता को" **के स्थान पर,** "तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए, ऐसे किसी भी पथ विक्रेता को" रखें। (28)

(डॉ. गिरिजा व्यास)

सभापति महोदया : प्रश्न यह है:

"कि खंड 29, संशोधित रूप में, विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड 29, संशोधित रूप में, विधेयक में जोड़ दिया गया।

खंड 30 उल्लंघन हेतु दंड

संशोधन किए गए:

पृष्ठ 9, पंक्ति 16 **का लोप** करें। (29)

(डॉ. गिरिजा व्यास)

सभापति महोदया : प्रश्न यह है:

"कि खंड 30, संशोधित रूप में, विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड 30, संशोधित रूप में, विधेयक में जोड़ दिया गया।

खंड 31 और 33 विधेयक में जोड़ दिए गए।

खंड 34 शोध प्रशिक्षण और जागरुकता

संशोधन किए गए:

पृष्ठ 10, पंक्ति 4 से पंक्ति 6 **के स्थान पर** रखें–

"(क) इस अधिनियम के अधीन अनुध्यात अधिकारों का प्रयोग करने के लिए पथ विक्रेताओं को समर्थ बनाने हेतु क्षमता वर्धन कार्यक्रमों का आयोजन कर सकेगी"। (34)

(डॉ. गिरिजा व्यास)

सभापति महोदया : प्रश्न यह है:

"कि खंड 34, संशोधित रूप में, विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड 34, संशोधित रूप में, विधेयक में जोड़ दिया गया।

खंड 35 अभिभावी प्रभाव के लिए अधिनियम

संशोधन किए गए:

पृष्ठ 10, पंक्ति 14 से पंक्ति 16 **का लोप** करें। (35)

(डॉ. गिरिजा व्यास)

सभापति महोदया : प्रश्न यह है:

"कि खंड 35, संशोधित रूप में, विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड 35, संशोधित रूप में, विधेयक में जोड़ दिया गया।

खंड 36 विधेयक में जोड़ दिया गया।

खंड 37 अनुसूचियों को संशोधित करने की शक्ति

संशोधन किए गए:

पृष्ठ 10, पंक्ति 26, "या तीसरी अनुसूची" **का लोप** करें।(32)

(डॉ. गिरिजा व्यास)

सभापति महोदया : प्रश्न यह है:

"कि खंड 37, संशोधित रूप में, विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड 37, संशोधित रूप में, विधेयक में जोड़ दिया गया।

खंड 38 नियम बनाने की शक्ति

संशोधन किए गए:

पृष्ठ 10, पंक्ति 30 से पंक्ति 31 **के स्थान पर** रखें–

"**38.** (1) समुचित सरकार, इस अधिनियम के प्रारंभ की तारीख से एक वर्ष के भीतर अधिसूचना द्वारा इस अधिनियम के उपबंधों को कार्यान्वित करने हेतु नियम बनाएगी।"। (33)

पृष्ठ 10, पंक्ति 34 से पंक्ति 36 **के स्थान पर** रखें–

"(क) धारा 4 की उपधारा (1) के अधीन पथ बिक्री के लिए आयु;

(ख) धारा 11 की उपधारा (1) के अधीन स्थानीय प्राधिकारी के पास अपील फाइल करने का प्ररूप, अवधि और रीति;"।

पृष्ठ 11, पंक्ति 11 **के पश्चात्, अंत:स्थापित** करें–

"(ञक) धारा 22 की उपधारा (2) के खंड (घ) के अधीन पथ विक्रेताओं के निर्वाचनों की रीति;"।

पृष्ठ 11, पंक्ति 20 से पंक्ति 22 **का लोप** करें। (36)

(डॉ. गिरिजा व्यास)

सभापति महोदया : प्रश्न यह है:

"कि खंड 38, संशोधित रूप में, विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड 38, संशोधित रूप में, विधेयक में जोड़ दिया गया।

खंड 39 विधेयक में जोड़ दिया गया।

खंड 40 पथ विक्रेताओं हेतु योजना

संशोधन किए गए:

पृष्ठ 12, पंक्ति 16 से पंक्ति 18 **के स्थान पर** रखें:–

"**40.** (1) इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए, समुचित सरकार अधिसूचना द्वारा स्थानीय प्राधिकारी और नगर बिक्री समिति के साथ सम्यक् परामर्श करने के पश्चात् इस अधिनियम के प्रारंभ की तारीख से छह मास के भीतर एक स्कीम विरचित करेगी जिसमें दूसरी अनुसूचीत में उपबंधित सभी का कोई विषय विनिर्दिष्ट हो सकेंगे।"। (37)

(डॉ. गिरिजा व्यास)

सभापति महोदया : प्रश्न यह है:

"कि खंड 40, संशोधित रूप में, विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड 40, संशोधित रूप में, विधेयक में जोड़ दिया गया।

खंड 41 विधेयक में जोड़ दिया गया

पहली अनुसूची

संशोधन किए गए:

पृष्ठ 12, पंक्ति 30 से पंक्ति 36 और पृष्ठ 13, पंक्ति 1 से पंक्ति 1 से पंक्ति 19 **के स्थान पर** रखें:–

"पहली अनुसूची

(धारा 21 **देखिए**)

पथ विक्रय योजना

(1) पथ विक्रय योजना में,–

(क) यह सुनिश्चित किया जाएगा कि, यथास्थिति, वार्ड, जोन, नगर या शहर की जनसंख्या का ढाई प्रतिशत के अनुरूप सन्नियम के अधीन रहते हुए सर्वेक्षण में अभिज्ञात किए गए सभी विद्यमान पथ विक्रेताओं को पथ विक्रय योजना में समायोजित किया जाएगा;

(ख) यात्रियों के निर्बाध आवागमन और बिना किसी अड़चन के सड़कों के उपयोग के अधिकार को सुनिश्चित किया जाएगा;

(ग) यह सुनिश्चित किया जाएगा कि पथ विक्रय के स्थान या क्षेत्र की व्यवस्था युक्तियुक्त और विद्यमान प्राकृतिक बाजारों से संगत हो;

(घ) पहचान किए गए स्थानों या क्षेत्रों का विक्रय जोनों के रूप में समुचित उपयोग किए जाने के लिए नागरिक सुख-सुविधाओं को ध्यान में रखा जाएगा;

(ङ) माल के वितरण तथा सेवाओं का उपबंध सुविधाजनक, दक्ष और कारगर लागत के रूप में संवर्धन किया जाएगा;

(च) ऐसे अन्य विषय होंगे, जो पथ विक्रय योजना को प्रभावी करने के लिए स्कीम में विनिर्दिष्ट किए जाएं।

(2) पथ विक्रय योजना में निम्नलिखित सभी विषय अंतर्विष्ट होंगे, अर्थात्:–

(क) पथ विक्रय के लिए स्थानिक योजना मानदंडों का अवधारण;

(ख) विक्रय जोनों के लिए स्थान या क्षेत्र का चिन्हांकन;

(ग) विक्रय जोनों का निर्बंधन मुक्त विक्रय जोनों, निर्बंधित विक्रय जोनों और विक्रय -निषेध जोनों के रूप में अवधारण;

(घ) उस नगर या शहर में पथ विक्रेताओं की प्रचलित संख्या के लिए और भावी बढ़ोतरी के लिए ऐसे मानदंड अपनाकर, जो आवश्यक हों, ऐसी स्थानिक योजनाओं का बनाया जाना, जो सहायक और पर्याप्त हों;

(ङ) ऐसे पारिणामिक परिवर्तन, जिनकी अभिहित विक्रय जोनों में पथ विक्रेताओं को समायोजित करने के लिए विद्यमान मास्टर प्लान, विकास योजना जोनल प्लान, अभिन्यास योजना और किसी अन्य योजना में आवश्यकता है।

(3) विक्रय निषेध जोन की घोषणा निम्नलिखित सिद्धांतों के अधीन रहते हुए पथ विक्रय योजना द्वारा क्रियान्वित की जाएगी, अर्थात्:–

(क) सर्वेक्षण के अधीन, यथा अभिज्ञात कोई विद्यमान बाजार या कोई प्राकृतिक बाजार, विक्रय निषेध जोन के रूप में घोषित नहीं किया जाएगा;

(ख) विक्रय निषेध जोन की घोषणा ऐसी रीति में की जाएगी जो पथ विक्रेताओं की न्यूनतम प्रतिशतता को विस्थापित करती है;

(ग) किसी स्थान की भीड़-भाड़ किसी क्षेत्र को एक विक्रय निषेध जोन के रूप में घोषित करने के लिए आधार नहीं होगी बशर्ते कि ऐसे व्यक्तियों को, जिन्हें सर्वेक्षण में पथ विक्रेताओं के रूप में अभिज्ञात नहीं किया गया है, ऐसे क्षेत्रों में विक्रय के प्रमाण-पत्र जारी करने पर रोक लगाई जा सकेगी;

(घ) सफाई समुत्थान किसी क्षेत्र को विक्रय निषेध जोन के रूप में घोषित करने के लिए आधार नहीं होगा जब तक कि ऐसे समुत्थानों को एक मात्र रूप से पथ विक्रेताओं के कारण न समझा गया हो और स्थानीय प्राधिकरण द्वारा समुचित नागरिक कार्रवाई के माध्यम से समाधान न कर लिया गया हो;

(ङ) ऐसे समय तक, जब सर्वेक्षण न किया गया हो और पथ विक्रय योजना तैयार न की गई हो, कोई भी जोन, विक्रय निषेध जोन के रूप में घोषित नहीं किया जाएगा।"। (38)

(डॉ. गिरिजा व्यास)

सभापति महोदया : प्रश्न यह है:

"कि पहली अनुसूची, संशोधित रूप में, विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

पहली अनुसूची, संशोधित रूप में, विधेयक में जोड़ दी गई।

दूसरी अनुसूची

सभापति महोदया : प्रश्न यह है:

"कि दूसरी अनुसूची, संशोधित रूप में, विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

तीसरी अनुसूची

संशोधन किए गए:

पृष्ठ 14, पंक्ति 1 से पंक्ति 35 **के स्थान पर** रखें:–

"दूसरी अनुसूची

(धारा 40 **देखिए**)

समुचित सरकार द्वारा विरचित पथ विक्रेताओं से संबंधित स्कीम में उपबंधित किए जाने वाले विषय:–

(क) सर्वेक्षण करने की रीति;

(ख) वह अवधि जिसके भीतर सर्वेक्षण के अधीन अभिज्ञात किए गए पथ विक्रेताओं को विक्रय प्रमाण-पत्र जारी किए जाएंगे;

(ग) वे निबंधन और शर्तें जिनके अधीन रहते हुए विक्रय प्रमाण-पत्र ऐसे किसी पथ विक्रेताओं को जारी किया जा सकेगा, जिसके अंतर्गत ऐसे व्यक्ति भी हैं, जो दो सर्वेक्षणों की मध्यवर्ती अवधि के दौरान पथ विक्रय करना चाहते हैं;

(घ) ऐसा प्ररूप और रीति, जिसमें किसी पथ विक्रेता को विक्रय प्रमाण-पत्र जारी किया जा सकेगा;

(ङ) पथ विक्रेताओं को पहचान-पत्र जारी करने का प्ररूप और रीति;

(च) पथ विक्रेताओं को विक्रय प्रमाण-पत्र जारी करने संबंधी मानदंड;

(छ) पथ विक्रय के प्रवर्ग के आधार पर संदत्त की जाने वाली विक्रय फीस, जो भिन्न-भिन्न शहरों के लिए भिन्न-भिन्न होगी;

(ज) बैंकों, स्थानीय प्राधिकरणों के पटलों और नगर विक्रय समिति के पटलों के माध्यम से विक्रय फीस, अनुरक्षण प्रभारों और रजिस्ट्रीकरण के लिए शास्तियों के संग्रहण, चल स्टॉलों के लिए पार्किंग स्थल के उपयोग और नागरिक सेवाओं का लाभ लेने की रीति;

(झ) विक्रय प्रमाण-पत्र की विधिमान्यता की अवधि;

(ञ) वह अवधि, जिसके लिए और वह रीति, जिसमें विक्रय प्रमाण-पत्र का नवीकरण किया जा सकेगा और ऐसे नवीकरण की फीस;

(ट) वह रीति जिसमें विक्रय प्रमाण-पत्र को निलंबित या रद्द किया जा सकेगा;

(ठ) स्थिर विक्रेताओं और चल विक्रेताओं से भिन्न पथ विक्रेताओं के प्रवर्ग;

(ड) विक्रय प्रमाण-पत्र जारी करने के लिए अधिमानता के संबंध में व्यक्तियों के अन्य प्रवर्ग;

(ढ) वह लोक प्रयोजन, जिसके लिए किसी पथ विक्रेता का पुन:स्थापन किया जा सकेगा और पथ विक्रेता के पुन:स्थापन की रीति;

(ण) किसी पथ विक्रेता को बेदखल करने की रीति;

(त) किसी पथ विक्रेता को बेदखल करने के लिए सूचना देने की रीति;

(थ) स्थल खाली करने में असफल रहने पर किसी पथ विक्रेता को वस्तुत: बेदखल करने की रीति;

(द) स्थानीय प्राधिकारी द्वारा माल के अभिग्रहण की रीति जिसके अंतर्गत अभिग्रहीत माल की सूची का तैयार किया जाना और उसे जारी किया जाना भी सम्मिलित है;

(ध) पथ विक्रेता द्वारा अभिग्रहीत माल को वापस लेने की रीति और उसी के लिए फीस;

(न) नगर विक्रय समिति के क्रियाकलापों की सामाजिक संपरीक्षा करने का प्ररूप और रीति;

(प) वे शर्तें, जिनके अधीन निजी स्थानों को निर्बंधन मुक्त विक्रय जोनों, निर्बंधित विक्रय जोनों और विक्रय निषेध जोनों के रूप में अभिहित किया जा सकेगा;

(फ) पथ विक्रय के लिए ऐसे निबंधन और शर्तें, जिनके अंतर्गत लोक स्वास्थ्य और स्वच्छता को बनाए रखने के लिए पालन किए जाने वाले मानक भी हैं;

(ब) राज्य स्तर पर पथ विक्रय से संबंधित सभी विषयों का समन्वय करने के लिए राज्य नोडल अधिकारी का पदाभिधान;

(भ) नगर विक्रय समिति, स्थानीय प्राधिकरण, योजना प्राधिकरण और राज्य नोडल प्राधिकरण द्वारा पथ विक्रेताओं की बाबत समुचित अभिलेखों और अन्य दस्तावेजों को बनाए रखने की रीति;

(म) समय विभाजन के आधार पर पथ विक्रय क्रियाकलाप करने की रीति;

(य) विक्रय जोनों का, निर्बंधन मुक्त जोनों, निर्बंधित विक्रय जोनों और विक्रय निषेध जोनों के रूप में अवधारणा करने के सिद्धांत

(यक) विक्रय जोनों की धारण क्षमता का अवधारण करने के लिए सिद्धांत और व्यापक जनगणना तथा सर्वेक्षण आरंभ करने की रीति;

(यख) निम्नलिखित के अधीन रहते हुए पुन:स्थापन के सिद्धांत:—

(i) पुन:स्थापन से यथासंभव बचना चाहिए जब तक प्रश्नगत भूमि के लिए स्पष्ट और अतिआवश्यकता न हो;

(ii) प्रभावित विक्रेता या उनके प्रतिनिधि, पुनर्वास परियोजना की योजना और कार्यान्वयन में अंतर्वलित होंगे;

(iii) प्रभावित विक्रेताओं को पुन:स्थापित किया जाएगा जिससे कि उनकी आजीविका और जीवन स्तर में सुधार हो सके या कम से कम उन्हें पूर्व बेदखलकृत स्तरों तक यथार्थ रूप से प्रत्यावर्तित किया जा सके;

(iv) नई अवसंरचनात्मक विकास परियोजनाओं द्वारा सृजित आजीविका के अवसर विस्थापित विक्रेताओं को समायोजित करेंगे ताकि वे नई अवसंरचना द्वारा सृजित आजीविका अवसरों का लाभ उठा सकें;

(v) आस्तियों की हानि से बचा जाएगा और किसी हानि की दशा में, उसकी क्षतिपूर्ति की जाएगी;

(vi) भूमि में हक या अन्य हित का कोई अंतरण, ऐसी भूमि पर पथ विक्रेताओं के अधिकारों को प्रभावित नहीं करेगा, और ऐसे अंतरण के परिणाम स्वरूप कोई पुन:स्थापन इस अधिनियम के उपबंधों के अनुसार किया जाएगा;

(vii) सरकारी तंत्र बलात बेदखली की प्रथा पर रोक लगाने और उसे नियंत्रित करने के लिए व्यापक उपाय करेगा;

(viii) जहां पथ विक्रेताओं ने पचास वर्ष से अधिक कारबार का संचालन किया है वहां प्राकृतिक बाजारों को विरासत बाजारों के रूप में घोषित किया जाएगा और ऐसे बाजारों में पथ विक्रेताओं को पुन:स्थापित नहीं किया जाएगा।

(यग) कोई अन्य विषय जिसे इस अधिनियम के प्रयोजनों को कार्यान्वित करने के लिए स्कीम में सम्मिलित किया जाए।" (39)

पृष्ठ 15, पंक्ति 1 से पंक्ति 12 **का लोप** करें। (40)

(डॉ. गिरिजा व्यास)

सभापति महोदया : प्रश्न यह है:

"कि तीसरी अनुसूची, संशोधित रूप में, विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

तीसरी अनुसूची, संशोधित रूप में, विधेयक में जोड़ दी गयी।

खंड 1 संक्षिप्त नाम, विस्तार, प्रारंभ और उपबंध

संशोधन किए गए:

पृष्ठ 2, पंक्ति 6 "2012" **के स्थान पर** "2013" रखें। (2)

(डॉ. गिरिजा व्यास)

सभापति महोदया : प्रश्न यह है:

"कि खंड 1, संशोधित रूप में, विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड 1, संशोधित रूप में, विधेयक में जोड़ दिया गया।

अधिनियमन सूत्र

संशोधन किए गए:

पृष्ठ 2, पंक्ति 1 "तिरसठ वर्ष" **के स्थान पर** "चौंसठ वर्ष" रखें। (1)

(डॉ. गिरिजा व्यास)

सभापति महोदया : प्रश्न यह है:

"कि अधिनियमन सूत्र, संशोधित रूप में, विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

अधिनियमपन सूत्र, संशोधित रूप में, विधेयक में जोड़ दिया गया।

विधेयक का पूरा नाम विधेयक में जोड़ दिया गया।

सभापति महोदया : मंत्री महोदय प्रस्ताव रख सकती हैं कि विधेयक, संशोधित रूप में, पारित किया जाए।

डॉ. गिरिजा व्यास : मैं प्रस्ताव करती हूं:

"कि विधेयक, संशोधित रूप में, पारित किया जाए।"

सभापति महोदया : प्रश्न यह है:

"कि विधेयक, संशोधित रूप में, पारित किया जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

[हिन्दी]

श्रीमती सुषमा स्वराज : माननीय सभापति महोदया, यह बिल तीन महिलाओं ने पास कराया है, महिला मंत्री, महिला सभापति और महिला नेता प्रतिपक्ष।

सभापति महोदय : महिला प्रतिपक्ष ने जोर से आपका साथ दिया है।

डॉ. गिरजा व्यास : धन्यवाद।...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

सभापति महोदया : माननीय सदस्यगण, अभी पारित किए गए विधेयक में तीन खंडों और एक अनुसूची को अस्वीकृत किया गया है। साथ ही एक नया खंड जोड़ा गया है।

अत:, मैं निदेश देती हूं कि जब कभी जरूरी हो, परवर्ती खंडों और उप-खंडों को तद्नुसार नया नंबर दिया जाए।

...(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री शैलेन्द्र कुमार (कौशाम्बी) : माननीय सभापति महोदया, साढ़े पांच बज गए हैं, मैंने हाफ इन आवर डिसकशन का नोटिस दिया हुआ है। यह मामला किसानों से जुड़ा हुआ है। हम आपका संरक्षण चाहते हैं। माननीय मंत्री जी भी मौजूद हैं।...*(व्यवधान)*

शहरी विकास मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्री (श्री कमल नाथ) : माननीय सभापति महोदया, माननीय सदस्य की बात सही है, इसमें कोई शक नहीं है। अगला बिल बहुत छोटा है।

श्री शैलेन्द्र कुमार : हमने कल भी संतोष किया था। हमें आज के लिए कहा गया था। आज साढ़े पांच बज गए हैं। अब आप आधे घंटे की चर्चा ले लीजिए।...*(व्यवधान)*

श्री कमल नाथ : अभी बिल ले लें और इसके बाद टेकअप करेंगे। यह मेरी रिक्वेस्ट है।...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

सभापति महोदया : अब हम मद संख्या 16 पर विचार करेंगे।

अपराह्न 5.42 बजे

राजीव गांधी राष्ट्रीय विमानन विश्वविद्यालय विधेयक, 2013

[अनुवाद]

नागर विमानन मंत्री (श्री अजित सिंह) : सभापति महोदया, आपकी अनुमत से, मैं यह प्रस्ताव* करता हूं:—

"कि विमानन अध्ययनों और अनुसंधान को सुकर बनाने और उसका संवर्धन करने, विमानन प्रबंध, नीति, विज्ञान और प्रौद्योगिकी, विमानन पर्यावरण, विमानन के रक्षा और सुरक्षा विनियमों के शासी क्षेत्रों में प्रशिक्षण और अन्य संबंधित क्षेत्रों में उत्कृष्टता प्राप्त करने के लिए, विमानन क्षेत्र की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए, क्वालिटी मानव संसाधनों को उत्पन्न करने के लिए, राष्ट्रीय विमानन विश्वविद्यालय की स्थापना और निगमन के लिए उससे संबंधित और उसके आनुषंगिक विषयों का उपबंध करने वाले विधेयक पर विचार किया जाए।"

महोदया, विधेयक में संसद के अधिनियम के अंतर्गत इंदिरा गांधी राष्ट्रीय उड़ान अकादमी परिसर फुरसतगंज, जिला रायबरेली, उत्तर प्रदेश में एक केन्द्रीय विश्वविद्यालय के रूप में एक राष्ट्रीय विमानन विश्वविद्यालय स्थापित किए जाने का प्रस्ताव है।

वर्ष 2006 में, काव समिति ने भारत में एक राष्ट्रीय विमानन विश्वविद्यालय स्थापित करने की सिफारिश की थी। 12वीं पंचवर्षीय योजना दस्तावेज़ में भी भारत में विमानन क्षेत्र हेतु योग्य और प्रशिक्षित श्रमशक्ति का संवर्धन करने हेतु ऐसी ही सिफारिश की गई थी।

---

*राष्ट्रपति की सिफारिश से प्रस्तुत।

भारत अगले दो दशकों के भीतर विश्व में श्रेष्ठ तीन विमानन बाजारों में से एक बनने वाला है। इसके लिए एयरलाइनों, विमानपत्तनों, ग्राउंड हैंडलिंग, कार्गो परिचालन, रख-रखाव, मरम्मत और ओवरहालिंग आदि जैसे क्षेत्रों में अवसंरचना के उन्नयन और परिचालन हेतु कुशल मानव संसाधनों की आवश्यकता की मांग की गई है। नागर विमानन में परिचालन अनुसंधान के क्षेत्र में निर्यात की स्थिति है और हवाई परिवहन, सुरक्षा, संरक्षा और विनियामक क्षेत्रों में विशेषीकृत तकनीकी और प्रबंधकीय प्रशिक्षण देने वाले विश्वसनीय संस्थाओं का अभाव है। ऐसी शिक्षा और प्रशिक्षण की गुणवत्ता के मानकीकरण की कमी है। अत: एक केन्द्रीय विश्वविद्यालय द्वारा संबद्धता और शैक्षिक पर्यवेक्षण, मानव संसाधन में आवश्यक निवेश की इस समय भारत के नागर विमानन क्षेत्र में नितंता आवश्यकता है।

यह प्रस्ताव किया गया है कि इंदिरा गांधी राष्ट्रीय उड़ान अकादमी के पास उपलब्ध भूमि के एक टुकड़े पर राष्ट्रीय विमानन विश्वविद्यालय स्थापित किया जाए। इस स्थान को चुनने का मुख्य कारण इंदिरा गांधी राष्ट्रीय उड़ान अकादमी परिसर में उपलब्ध 26.35 एकड़ भूमि और अवसंरचना का उपलब्ध होना है।

प्रस्तावित विधान का उद्देश्य नागर विमानन मंत्रालय कि प्रशासनिक नियंत्रण के अंतर्गत विमानन शिक्षा प्रशिक्षण, अनुसंधान और विस्तार कार्य को बढ़ावा देने के लिए एक स्वायत्त निकाय के रूप में एक सोसाइटी की भांति एक केन्द्रीय विश्वविद्यालय स्थापित करने का है। इस विश्वविद्यालय का प्रयास एक अंतर्राष्ट्रीय चरित्र और शिक्षण तथा अनुसंधान के सर्वोच्च मानकों को बरकरार रखना होगा। केन्द्र सरकार आईजीआरयूए के पास उपलब्ध भूमि पर 2014-2019 में पहले चरण में 202 करोड़ रुपए के अनुमानित वित्तपोषण से प्रस्तावित विश्वविद्यालय की स्थापना की लागत में सहायता करेगा। पूंजीगत व्यय 145 करोड़ रुपए, आवर्ती व्यय 170 करोड़ रुपए, सृजित राजस्व 113 करोड़ रुपए और कुल परियोजना व्यय 202 करोड़ रुपए है। राष्ट्रीय विमानन विश्वविद्यालय का शैक्षिक सत्र सितंबर, 2014 से शुरू होने की संभावना है।

सभापति महोदया, मेरा और अधिकांश माननीय सदस्यों का यह मानना है कि विमानन क्षेत्र में एक विश्व स्तरीय विश्वविद्यालय स्थापित करने का यह सही समय है। मैं माननीय सदस्यों से यह भी अनुरोध करता हूं कि वे इस विधेयक को बिना चर्चा के पारित करें ताकि अधिकाधिक सदस्यों को आज अगले दो घंटों में सभा की कार्यवाही में भाग लेने का अवसर मिल सके।

प्रो. सौगत राय (दमदम) : महोदया, मैं इस पर पांच मिनट बोलना चाहता हूं।

सभापति महोदया : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ:

"कि विमानन अध्ययनों और अनुसंधान को सुकर बनाने और उसका संवर्धन करने, विमानन प्रबंध, नीति, विज्ञान और प्रौद्योगिकी, विमानन पर्यावरण, विमानन के रक्षा और सुरक्षा विनियमों के शासी क्षेत्रों में प्रशिक्षण और अन्य संबंधित क्षेत्रों में उत्कृष्टता प्राप्त करने के लिए, विमानन क्षेत्र की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए, क्वालिटी मानव संसाधनों को उत्पन्न करने के लिए, राष्ट्रीय विमानन विश्वविद्यालय की स्थापना और निगमन के लिए उससे संबंधित और उसके आनुषंगिक विषयों का उपबंध करने वाले विधेयक पर विचार किया जाए।"

श्री अनंत कुमार बोलेंगे।

श्री अनंत कुमार (बंगलौर दक्षिण) : महोदया, मैं समझता हूं कि काफी महत्वपूर्ण विधेयक है और यह सभा में चर्चा किए जाने योग्य है।

मुझे इस बात पर आश्चर्य है कि हमारे माननीय नागर विमानन मंत्री इस विधेयक को इतनी जल्दबाजी में क्यों लाए हैं? हमने यह सोचा था कि विमानन विश्वविद्यालय विधेयक लाने से पहले वे देश में एक नागर विमानन प्राधिकरण की स्थापना के लिए एक विधेयक लाएंगे। जब देश में कोई नागर विमानन प्राधिकरण नहीं है और अचानक वह ये विमानन विश्वविद्यालय विधेयक लाए हैं, तो यह घोड़े से पहले घोड़ागाड़ी लाने के समान है।

हमारे पास सबसे पहले एक विनियामक प्राधिकरण होना चाहिए। हमारे यहां भारतीय चिकित्सा परिषद, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग है, हमारे पास विश्वविद्यालय, इंजीनियरिंग और मेडिकल कॉलेज शुरू करने से पहले अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद है। और यहां माननीय नागर विमानन मंत्री एक बिल्कुल उलट कार्य कर रहे हैं जिसे देखकर मैं चकित हूं।

हमारे माननीय संसदीय कार्यमंत्री श्री कमलनाथजी यहां बैठे हैं। अनेक महत्वपूर्ण विधेयक जो इस विधेयक से कहीं अधिक महत्वपूर्ण हैं, लंबित पड़े हैं। आज सत्र का आखिरी दिन होने के कारण मैं यह नहीं जानता हूं कि इस विधेयक को लाने में चौधरी अजित सिंह की क्या प्राथमिकता रही है? आज की कार्यसूची में इंदिरा गांधी राष्ट्रीय महिला विश्वविद्यालय का नाम था। हमारे पास बीज विधेयक है, जो किसानों को बीज निर्माता और विपणन कंपनियों के शोषण से बचाने वाला एक महत्वपूर्ण विधान है, उसे कोई प्राथमिकता नहीं दी गई है। बाल श्रम (प्रतिबंध और विनियमन) संशोधन विधेयक 2012 से लंबित है। लोकपाल

[श्री अनंत कुमार]

विधेयक भी लंबित है। महिला आरक्षण विधेयक भी है जिसके लिए हमारी नेता श्रीमिती सुषमा स्वराज ने लगातार संघर्ष किया है। किंतु दुर्भाग्यवश, अजित सिंह जी नागर विमानन प्राधिकरण के बारे में एक विधेयक लाने से पूर्व यह विमानन विश्वविद्यालय विधेयक ले आए।

मैं इस बात से भी विस्मित और आश्चर्यचकित हूं कि यह विमानन विश्वविद्यालय रायबरेली के फुरसतगंज में स्थापित किया जाएगा। रायबरेली में विमानन सुविधाओं का अभाव है। वहां पर विमानन विश्वविद्यालय नहीं बनाया जा सकता। यदि देश में विमानन विश्वविद्यालय बनाने हेतु कोई उपयुक्त स्थान है तो वह एयरोस्पेस कैपिटल बेंगलुरु है। *...(व्यवधान)* बंगलुरु क्यों ?*...(व्यवधान)* 2-3 महत्वपूर्ण कारक हैं। पहला, हमारे पास एक हवाईपट्टी होनी चाहिए; हमारे पास एक विमानपत्तन होना चाहिए; हमारे पास एक प्रशिक्षण कमान होना चाहिए; हमारे पास वायुसेना कमान होना चाहिए; हमारे पास ये सभी सुविधाएं होनी चाहिए। बंगलुरु में चार हवाईपट्टी हैं– हमारे पास एचएएल विमानपत्तन है; हमारे पास जक्कुर विमानपत्तन है; हमारे पास येलहंका विमानपत्तन है और हमारे पास एक नया अंतर्राष्ट्रीय विमानपत्तन है जिसका नामकरण नादप्रभु केम्पेगौड़ा के नाम पर किया गया है। यदि कोई शहर है जहां चार हवाईपट्टी हैं, तो वह बंगलुरु है।

मैं नागर विमानन मंत्री का ध्यान इस बात की ओर आकर्षित करना चाहता हूं कि बंगलुरु भारत की एयरोस्पेस राजधानी है, वहां इसरो है; भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन का मुख्यालय बंगलुरु में है। एक मात्र विमान विनिर्माण सुविधा, हिन्दुस्तान एयरोनॉटिकल लिमिटेड, एचएएल बंगलुरु में स्थित है। हमारे पास नेशनल एयरोनॉटिकल लेबोरेटरी, एनएएल है, जो आधुनिक वायुयान और हेलीकाप्टरों का शोध एवं विकास तथा परीक्षण करता है, बंगलुरु में है। बंगलुरु में तीन रक्षा और वायु सेना संस्थान हैं- एक रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन, डीआरडीओ है, दूसरा एयरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी, एडीए और तीसरा एयरोनॉटिकल डेवलपमेंट इस्टाबलिसमेंट है। इसका अर्थ है कि देश की पूरी वैमानिक कौशल, वैमानिक क्षमता एक ही शहर, बंगलुरु में स्थित है। जब जब बंगलुरु भारत की एयरोस्पेस राजधानी है तो फुरसतगंज और रायबरेली विमानन सुविधा की कमी वाली जगह हैं। वहां पर समुचित हवाईपट्टी भी नहीं है। *...(व्यवधान)*

[हिन्दी]

सभापति महोदया : आप अपनी बात बाद में रख सकते हैं।

...(व्यवधान)

[अनुवाद]

सभापति महोदया : कृपया बैठ जाइए।

...(व्यवधान)

[हिन्दी]

सभापति महोदया : जब आपका समय आएगा, तब आप अपनी बात रखना।

...(व्यवधान)

[अनुवाद]

सभापति महोदया : अपना स्थान ग्रहण करें।

...(व्यवधान)

श्री अनंत कुमार : श्री अजित सिंह जी जानते हैं और समझते हैं कि पिछड़े क्षेत्रों के विकास के लिए आपके पास विमानन विश्वविद्यालय की जरूरत नहीं है; बल्कि स्कूल, कॉलेज, सड़क और अन्य चीजों की आवश्यकता है। रायबरेली और अमेठी में मौलिक अवसंरचना नहीं है *...(व्यवधान)* महोदया, विमानन विश्वविद्यालय की स्थापना के लिए, आपको प्रशिक्षित श्रमशक्ति की आवश्यकता है। बंगलुरु में, आईआईएस, आईआईआईटी, कई इंजीनियरिंग और आईटी कॉलेज और आईटी विशेषज्ञ भी है। आपको जानकारी है कि सन् 2000, वाईटूके, के पश्चात् पूरी विमानन प्रणाली स्थल पर, सीएनएसएटीएम - वायु परिवहन प्रबंधन, संचार, मार्गनिर्देशन और निगरानी, इत्यादि पर स्थानांनतरित हो गया है। *...(व्यवधान)*

[हिन्दी]

सभापति महोदया : आप बाद में बंगाल के लिए मांग लीजिएगा।

...(व्यवधान)

[अनुवाद]

श्री अनंत कुमार : इसलिए, मैं माननीय मंत्री जी से आग्रह करता हूं।*...(व्यवधान)*

सभापति महोदया : आप भी अपने लिए स्थान मांग सकते हैं।

श्री अनंत कुमार : महोदया, मेरा माननीय मंत्री जी और सरकार से निवेदन है कि वे विश्वविद्यालय के स्थान को बदल दें; और रायबरेली से और फुरसतगंज से विमानन विश्वविद्यालय को भारत की एयरोस्पेस राजधानी, बंगलुरु में ला सकते हैं। यही मेरा निवेदन है।

मेरी एक और भारी आपत्ति है कि विमानन विश्वविद्यालय का नामकरण हमारे दिवंगत प्रधानमंत्री श्री राजीव गांधी के नाम पर किया जा रहा है। मेरी श्री राजीव गांधी के विरुद्ध कोई शिकायत नहीं है परंतु इसके साथ-साथ इस सम्माननीय सभा की जानकारी में यह लाना चाहता हूं कि केन्द्र सरकार की योजनाओं में, छह योजनाओं का नामकरण श्री राजीव गांधी के नाम पर हुआ है।...*(व्यवधान)* राज्य सरकार की योजनाओं में 25 योजनाओं का नामकरण उनके नाम पर हुआ है; 23 खेलकूदों और टूर्नामेंटों का नामकरण श्री राजीव गांधी के नाम पर हुआ है। स्टेडियमों, विमानपत्तन, विश्वविद्यालयों, पुरस्कारों, छात्रवृत्तियों, राष्ट्रीय पार्कों, अभयारण्यों, संग्रहालयों, अस्पतालों, चिकित्सा संस्थानों, सड़कों...*(व्यवधान)*

सभापति महोदया : यह सही तरीका नहीं है। कृपया बैठ जाइए।

...(व्यवधान)

[हिन्दी]

सभापति महोदया : जब आपका नंबर आएगा, तब आप बोल सकते हैं।

...(व्यवधान)

सभापति महोदया : आप बैठ जाइए।

...(व्यवधान)

सभापति महोदया : आप थोड़ी सहनशक्ति रखिए।

...(व्यवधान)

[अनुवाद]

श्री अनंत कुमार : मैं इससे सहमत नहीं हूं।

महोदया, मैं स्पष्ट करना चाहता हूं कि मुझे श्री राजीव गांधी से कोई शिकायत नहीं है परंतु इसके साथ-साथ मैं बदलाना चाहता हूं कि 444 संस्थाओं, विश्वविद्यालयों, सड़कों, पुलों, नहरों का नामकरण श्री राजीव गांधी के नाम पर हुआ है।...*(व्यवधान)* मैं समझ सकता हूं यदि श्री कमल नाथ जी, श्री वीरप्पा मोइली जी और कुमारी शैलजा जी... मैं* और ... में शामिल होते हैं परंतु मेरी समझ में नहीं आता कि क्यों श्री अजित सिंह जी... में शामिल हो रहे हैं क्योंकि चौधरी चरण सिंह सदैव कांग्रेस के विरुद्ध संघर्ष करते रहे। वे इस देश में गैर-कांग्रेसी आदोलन के बड़े नेताओं में एक थे। उस विचारधारा के साथ, यह मेरी समझ में नहीं आता।

मेरा माननीय मंत्रीजी को यह विनम्र सुझाव है कि यदि हमें किसी का नामकरण ही करना है तो इसका नामकरण महात्मा गांधी, स्वामी विवेकानंद, भगत सिंह, चन्द्रशेखर आजाद, सरदार वल्लभभाई पटेल, सुभाष चन्द्र बोस बाबा साहेब अम्बेडकर, रानी झांसी लक्ष्मीबाई...के नाम पर हो सकता है...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

सभापति महोदया : प्लीज बैठ जाइए। बार-बार ऐसे उठना अच्छा नहीं है। प्लीज बैठ जाइए।

...(व्यवधान)

सभापति महोदया : ऐसे टोकाटाकी करना अच्छी बात नहीं है। प्लीज बैठ जाइए। यह उचित नहीं है।

...(व्यवधान)

श्री अनंत कुमार : महोदया, साथ ही, यदि हमारे माननीय नागर विमानन मंत्री जी को इस विश्वविद्यालय का नामकरण किसी पायलट राजनीतिज्ञ के नाम पर ही करना है तो उसका नामकरण बीजू पटनायक के नाम पर कर सकते हैं। बीजू पटनायक ऐसे विमानचालक थे जो राष्ट्रपति सुकर्णो को विमान में बैठाकर वायुयान को उड़ाये थे, परंतु दुर्भाय से, मैं.... की मानसिकता को समझ नहीं पा रहा...*

आज मेरा माननीय मंत्री जी से यह अनुरोध है कि संकाय, प्रशिक्षण सुविधाओं, परिवेश और वहां मौजूद अनेक अन्य कारणों से हमें बंगलुरु में एक विश्वविद्यालय की आवश्यकता है। मैं यथार्थ रूप से ऐसा इसलिए मानता हूं क्योंकि हमें सिंगापुर, अमरीका तथा बोईंग और एयरबस कंपनियों से वहां लोगों की आवश्यकता पड़ती हैं। आपको सिम्युलेटर पर कार्य करना पड़ता है। मैं नहीं जानता कि किस प्रकार संकाय के ये सभी सदस्य रायबरेली आएंगे। वे आसानी से बंगलुरु आकर शिक्षा प्रदान कर सकते हैं।

न केवल यह बल्कि, एचएएल, एनएएल, एडीए, एडीई, डीआरडीओ भारतीय विज्ञान संस्थान से लेकर आईआईटी तक, इन सभी संस्थानों में से यदि आप शिक्षकों को विश्वविद्यालय में लाना चाहते हैं तो यह कार्य बहुत आसान होगा। परंतु, किसी अन्य स्थान पर यह कार्य काफी मुश्किल है। साथ ही मैं हमारे माननीय नागर विमानन मंत्री जी को यह भी बताना चाहता हूं कि हमारे यहां एक महान इंजीनियर सर एम विश्वेश्वरैया भी हुए हैं।

सायं 6:00 बजे

1959 में सर एम. विश्वेश्वरैया, की जन्मशती के अवसर पर भारत के प्रधानमंत्री के रूप में पंडित जवाहर लाल नेहरू भी उपस्थित थे। सर

*अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार कार्यवाही-वृत्तांत से निकाल दिया गया।

*अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार कार्यवाही-वृत्तांत से निकाल दिया गया।

[श्री अनंत कुमार]

एम विश्वेश्वरैया को भारत रत्न सम्मान प्रदान किया गया था। उन्होंने भारत के विमानन उद्योग में एक अग्रणी भूमिका निभाई। उन्होंने एचएएल की नींव रखी थी। अत:, यह विश्वविद्यालय सर एम विश्वेश्वरैया की स्मृति में उन्हें समर्पित होना चाहिए। मेरा यह अनुरोध है...*(व्यवधान)* हमने एक एयरोस्पेस क्लब आरंभ किया था और वह एयरोस्पेस क्लब भी सर एम विश्वेश्वरैया के नाम पर चल रहा है।

अब जबकि माननीय मंत्री जी इस विधेयक को प्रस्तुत कर रहे हैं तो मैं नागर विमानन महानिदेशक और स्थायी समिति ने क्या कहा है और डीजीसीए किस प्रकार कार्य कर रहा; वहां कितने पदरिक्त है तथा सुरक्षा, रखरखाव उड़ान योग्यता संबंधी कितनी खामियां हैं उसका विस्तार से ब्यौरा नहीं देना चाहता हूं।

[अनुवाद]

सभापति महोदया : अनंत कुमार जी, एक मिनट बैठिए। छ: बज गए हैं। कितना समय बढ़ाना चाहेंगे?

श्रीमती सुषमा स्वराज (विदिशा) : जब तक यह खत्म हो।... *(व्यवधान)*

[अनुवाद]

शहरी विकास मंत्री और संसदीय कार्य मंत्री (श्री कमल नाथ) : महोदया, हमें तीन और विधेयक प्रस्तुत करने हैं।

[हिन्दी]

सभापति महोदया : अभी तक तो 9 बजे तक बढ़ा देते हैं। तब तक ये सभी बिल कर लेंगे।

जो माननीय सदस्य अपने भाषण लिखित में देना चाहें, वे कृपया सभापटल पर रख सकते हैं।

...(व्यवधान)

सभापति महोदया : माननीय सदस्य आपस में बात नहीं करें।

...(व्यवधान)

[अनुवाद]

श्री अनंत कुमार : महोदया, मैं डीजीसीए के कार्यकरण के संबंध में स्थायी समिति द्वारा कही गई बात के ब्यौरे में नहीं जाना चाहता हूं।

श्री अजित सिंह : हम इन बातों पर चर्चा नहीं कर रहे हैं।

श्री अनंत कुमार : हम इस विषय पर चर्चा नहीं कर रहे हैं परंतु साथ ही इस विधेयक के उद्देश्यों के बारे में आपने यह कहा है कि इस संबंध में एक नागर विमानन प्राधिकरण की आवश्यकता है और नागर विमानन प्राधिकरण के लिए आपको एक नागर विमानन विधेयक पेश करने की आवश्यकता है। परंतु, नागर विमानन विधेयक प्रस्तुत किए बिना आपने यह विमानन विश्वविद्यालय विधेयक प्रस्तुत किया है।

माननीय मंत्री जी यह भी जानते हैं कि विमानन क्षेत्र 130 प्रतिशत की विकास दर के साथ बढ़ रहा है। यदि 130 प्रतिशत की विकास दर जारी है तो मेरा उनसे यह अनुरोध है कि इसका स्थान फुर्सतगंज, रायबरेली से बदलकर बंगलुरु किया जाए और इस विमान विश्वविद्यालय का नाम डॉ. मोक्षागुंडम विश्वेश्वरैया रखा जाए।

[हिन्दी]

श्री शैलेन्द्र कुमार (कौशाम्बी) : माननीय सभापति महोदया, मैं बहुत शॉर्ट में बोलूंगा। आपने मुझे राजीव गांधी राष्ट्रीय विमानन विश्वविद्यालय विधेयक 2013 पर बोलने का अवसर दिया, इसके लिए मैं आपका बहुत आभार प्रकट करता हूं। हमारे संसदीय कार्य मंत्री जी यहां बैठे हैं। इन्होंने यह कहा था कि जितने भी विधेयक ले रहे हैं, हम इस पर डिसकशन नहीं करेंगे। बीजेपी की तरफ से भी यही बात हुई थी। हम लोग तो आश्वस्त हो गए थे। जब डिसकशन शुरू हो गया है तो मैं इस विधेयक का पुरज़ोर तरीके से समर्थन करते हुए यह बात कहना चाहूंगा कि रेल कोच फैक्ट्री, राजीव गांधी पैट्रोलियम प्रौद्योगिकी संस्थान और इंदिरा गांधी महिला विश्वविद्यालय तथा इसके पहले बहुत से संस्थान बने। मैं इनका विरोध नहीं करता, लेकिन तमाम ऐसे क्षेत्र हैं जहां विश्वविद्यालय खुलने चाहिए, जहां विमानपत्तन खुलने चाहिए। मेरा सुझाव है कि ऐसे तमाम पिछड़े इलाके हैं। इससे व्यवसाय और पर्यटन क्षेत्र को बढ़ावा मिलेगा, लोगों को रोज़गार मिलेगा। आप और भी क्षेत्रों का चयन करके विस्तार कीजिए, न कि रायबरेली, अमेठी तक ही सीमित रहें। कम से कम इसका ध्यान रखें।

इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

***श्री सतपाल महाराज** (गढ़वाल) : वर्तमान में समय की आवश्यकता है कि हम अपने ही देश में अपने बच्चों को मौका दें कि वह अपनी प्रतिभा का विस्तार विमानन सेक्टर में करें। आज विश्व के अनेक देश अमेरिका जैसे देश भारतीय ब्रेन के बूते पर ही विकास की राह पर अग्रसर है। यदि हमारे बच्चों को आधुनिक तकनीकी विमानन शिक्षा अपने ही देश में अंतर्राष्ट्रीय स्तर की उपलब्ध होंगी तो निश्चित ही हमारा देश सफलता की नई बुलन्दियों को छुएगा।

---

*भाषण सभा पटल पर रखा गया।

मैं यहां यह भी कहना चाहता हूं कि राजीव गांधी विमानन विश्वविद्यालय शिक्षा के साथ-साथ रोजगारपरक होना चाहिए जिससे वहां से शिक्षा ग्रहण करते ही उसका सेवायोजन हो जाए। आज यह देखा जा रहा है कि देश के प्रशिक्षित पायलटों के लिए रोजगार उपलब्ध नहीं है। इतनी महंगी पढ़ाई करने के बाद जब रोजगार उपलब्ध नहीं होता तो देश के प्रशिक्षित युवाओं का मनोबल गिरता है। मेरे ही संसदीय क्षेत्र में देश की सबसे कम उम्र की पॉयलट कु. हिमांगी ऑबराय है, जो आज तक रोजगार की तलाश में भटक रही है। सिर्फ हिमांगी ही नहीं अनेकों ऐसे युवा हैं जो पायलट का प्रशिक्षण प्राप्त कर रोजगार के लिए भटक रहे हैं। हाल ही में किंगफिशर एयरलाइन बंद होने से अनेकों पायलट, केबिन क्रू और अन्य तकनीकी सहायक आदि बेरोजगार हो गए हैं। ऐसे में इन प्रशिक्षत पायलटों व तकनीकी सदस्यों के रोजगार के लिए भी सरकार को सोचना चाहिए।

हमारे रिमोट क्षेत्रों में सरकार को एयर टैक्सी का परिचालन करवाना चाहिए जिससे हमारे युवा प्रशिक्षित बच्चों को रोजगार उपलब्ध हो सके। सरकार को चाहिए कि वो एविएशन सैक्टर में भारत को हब के रूप में विकसित करे। इसके लिए सरकार को पूरा प्रयास करना चाहिए। हवाई जहाज की मरम्मत, रख-रखाव उनके कल पुर्जे निर्माण यह सब देश में ही होना सुनिश्चित होना चाहिए। जिससे विश्व के दूसरे देशों के जहाज भी सही होने के लिए हमारे देश में आए। ऑस्ट्रेलिया ने आज इस सेक्टर में काफी प्रगति की है, वहां के डॉक्टर भी मरीज को देखने के लिए अपना प्लेन ले जाते हैं। इसी प्रकार हमारे यहां भी इस संदर्भ में काफी गुंजाइश है। हमारे यहां प्रतिभाएं भी हैं और यदि इच्छाशक्ति हो तो इसे पूरा भी किया जा सकता है।

यहां मैं यह भी कहना चाहता हूं कि यदि इस विमानन विश्वविद्यालय की स्थापना उत्तराखंड में हो जाए तो यहां की तीन हवाई अड्डे हरिद्वार, देहरादून और पंत नगर मिल जाएंगे जिससे ट्रेनिंग में आसानी हो जाएगी। कैप्टन सतीश शर्मा जी ने इस संबंध में पहले भी नोट लिखा था।

आज भारत सरकार ने अपने देश की धरती से ड्रीमलाइनर जहाजों को उड़ा कर आज ऑस्ट्रेलिया जैसे देशों तक शीघ्र पहुंचने की शक्ति हासिल कर ली है। मैं इसके लिए सरकार को धन्यवाद देता हूं। साथ ही मेरा सुझाव है कि भारत से पनामा तक सीधी हवाई सेवा शुरू होनी चाहिए जिसे भारत, एशिया में एविएशन का हब बन जाएगा।

फ्लाइट स्कल्पचर के माध्यम से पायलट्स व टेक्निकल प्रशिक्षुओं को ट्रेनिंग प्रदान करवानी चाहिए। इससे बिना पेट्रोल के ही उन्हें फ्लाइंग एक्सपेयिरंस प्रदान होगा तथा वह जहाज उड़ाने की कुशलता को प्राप्त करेंगे।

मेरा यह भी सुझाव कि एयरपोर्ट का निर्माण किया जाए। जिससे हमारी कनेक्टविटी बढ़ सके। अभी ऐसा देखने में आता है कि एएआई के एयरपोर्ट्स भारतीय वायु सेना के साथ साझा कर रहे हैं, जिससे हमारी सामरिक ताकत प्रभावित होती है। यदि एएआई अपने बड़े एयरपोर्टस का निर्माण करेगा तो विश्व में सिविल एविएशन में तो हमारी ताकत बढ़ेगी ही साथ ही सामरिक ताकत भी बढ़ेगी। हाल ही में आई उत्तराखंड आपदा में बचाव कार्य के लिए एक भी बड़ा जहाज पहाड़ पर नहीं उतर पाया क्योंकि पहाड़ के गौचर, चिन्यालीसौड़ व पिथौरागढ़ में बने हवाई अड्डे छोटे हैं वहां सिर्फ छोटे जहाज ही उतर सकते हैं। यदि हम दूरस्थ पर्वतीय क्षेत्रों में बड़े एयरपोर्टस का निर्माण करेंगे तो किसी भी आपदा के समय में हम अधिक तीव्रता से राहत कार्य कर सकेंगे।

मेरा यह भी सुझाव है कि मेरठ में भी एक उत्तरी क्षेत्र के एक बड़े अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का निर्माण होना चाहिए जहां से अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें भरी जा सकें। मुझे आशा है मंत्री जी इस कार्य को शीघ्रता से संपादित करेंगे।

देहरादून हवाई अड्डे से अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें शुरू होनी चाहिए, जैसे नेपाल के लिए वहां से सीधी हवाई सेवा होनी चाहिए।

हमारा प्रयास होना चाहिए कि भारत में वर्ल्ड क्लास हवाई शिक्षा होनी चाहिए जिससे एविएशन सेक्टर में भारत का नाम पूरे विश्व में गूंजायमान हो सके। आज कॉरपोरेट्स के अपने जहाज हैं जो भविष्य में और बढ़ेंगे ऐसे में हमें अधिक पॉयलट्स की आवश्यकता पड़ेगी।

अंत में मैं अपनी बात समाप्त करता हूं मुझे आशा है कि आप एविएशन सेक्टर में एक नया कीर्तिमान स्थापित करेंगे। मैं बिल का समर्थन करता हूं।

[अनुवाद]

***श्री आर. थामराईसेलवन** (धर्मापुरी) : सर्वप्रथम मैं, राजीव गांधी राष्ट्रीय विमानन विश्वविद्यालय विधेयक, 2013 प्रस्तुत करने के लिए माननीय मंत्री जी को धन्यवाद देता हूं। सरकार ने ऐसे समय पर यह विधेयक प्रस्तुत किया है जबकि देश के विमानन क्षेत्र में काफी अनुशासनहीनता व्याप्त है। हम समाचार पत्रों में लगातार विमानों के रनवे पर फिसलने, विमानों के आमने-सामने की टक्कर होने की स्थिति पैदा होने, उड़ान के दौरान विमान में अनुशासनहीनता आदि की खबरें पढ़ते हैं। अत: वर्तमान विधेयक हमारे विमानन क्षेत्र में जवाबदेही सुनिश्चित करने की दिशा में सही दाम है।

यह विधेयक सही दिशा में उठाया गया कदम है मैंने ऐसा इसलिए कहा है कि 2020 तक भारत विमानन क्षेत्र में विश्व का तीसरा सबसे बड़ा

*भाषण सभा पटल पर रखा गया।

[श्री आर. थामराईसेलवन]

देश होगा और ऐसी आशा है कि देश के विमानपत्तन 2020 तक 120 बिलियन अमरीकी डॉलर के निवेश अनुमानित निवेश के साथ 336 मिलियन घरेलू और 85 मिलियन अंतर्राष्ट्रीय यात्री देश के विमानपत्तनों का उपयोग कर रहे होंगे।

नागर विमानन क्षेत्र में विशेषरूप से तकनीकी संवर्ग में श्रमशक्ति की बहुत कमी है। नागर विमानन क्षेत्र हेतु मानव संसाधन विकास संबंधी उप-समूह के अनुमान के अनुसार भारत को 5400 पायलटों की आवश्यकता होगी।

इसी प्रकार, बढ़ती हुई हवाई सेवाओं और विमानपत्तनों के साथ विमान रख-रखाव इंजीनियरों और हवाई यातायात नियंत्रकों की मांग में वृद्धि होगी। एक अरब से अधिक जनसंख्या को देखते हुए तकनीकी श्रमशक्ति की आवश्यकता बहुत महत्वहीन प्रतीत होती है परंतु, गुणवत्तायुक्त तकनीकी ग्रेड कार्मिकों की अल्प आपूर्ति दर, अल्प श्रमशक्ति वाले भारतीय विमानन क्षेत्र में जारी रह सकती है।

देश में लगभग 40 स्वीकृत उड़ान प्रशिक्षण संस्थान हैं जिनमें से 17 कार्यरत हैं। व्यावसायिक पायलटों के प्रशिक्षण में काफी समय लगता है। वर्तमान में प्रतिवर्ष इन उड़ान प्रशिक्षण स्कूलों से केवल 100 पायलट प्रशिक्षण प्राप्त करके निकलते हैं।

सेवानिवृत्तियों और सामान्य रूप से नौकरी छोड़ देने के कारण रिक्त होने वाले पदों को भरने के लिए लघु अवधि मांग के आधार पर प्रतिवर्ष कम से कम 150 पायलटों की आवश्यकता होगी।

अत:, देश को उपरोक्त चुनौती का सामना करने के लिए तैयार और सुसज्जित रहना चाहिए और मुझे आशा है कि वर्तमान विधेयक से उपरोक्त अपेक्षाओं की पूर्ति हो जाएगी।

विधेयक के खंड 3(3) में परिसरों और केन्द्रों की स्थापना अथवा उनके रख-रखाव का प्रावधान है। मैं यहां यह उल्लेख करना चाहता हूं कि विमानन क्षेत्र में अध्ययन करने के इच्छुक देश के दक्षिणी क्षेत्र के छात्रों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए ऐसे एक क्षेत्रीय केन्द्र की स्थापना चेन्नई में की जानी चाहिए। मैं माननीय मंत्री जी से यह आग्रह करना चाहता हूं कि सरकार जिन केन्द्रों की स्थापना करना चाहती है वे सभी सरकार के प्रत्यक्ष नियंत्रण में होने चाहिए और उक्त विधेयक के अंतर्गत संस्थानों की स्थापना करने के लिए कोई मान्यता प्रदान नहीं की जानी चाहिए।

विमानन क्षेत्र के बारे में बात करते समय हम अपनी राष्ट्रीय विमानन कंपनी एयर इंडिया की उपेक्षा नहीं कर सकते। मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि माननीय मंत्री जी एयर इंडिया को एक लाभकारी संगठन बनाने पर विशेष ध्यान दे रहे हैं और मुझे विश्वास है कि एयर इंडिया इस संबंध में कुछ सकारात्मक संकेत दे रहा है। तथापि, मैं माननीय मंत्री जी के ध्यान में यह बात लाना चाहता हूं कि एयर इंडिया अभी तक घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय दोनों में लाभकारी मार्गों पर परिचालित नहीं हो रही है। मैंने यह सुना है कि यदि एयर इंडिया कुछ ऐसे अंतर्राष्ट्रीय मार्गों पर चले जिनका वर्तमान में वह उपयोग नहीं कर रही है तो एयर इंडिया एक अच्छा राजस्व अर्जित कर सकती है। अत:, मेरा माननीय मंत्री जी से यह अनुरोध है कि यह एयर इंडिया को उन मार्गों पर उड़ान सेवाएं आरंभ करने के लिए एक व्यावहार्यता अध्ययन करने का निर्देश दे जिन पर अभी वह सेवाएं प्रदान नहीं कर रही है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं इस विधेयक को अपना समर्थन देते हुए अपनी बात समाप्त करता हूं।

[हिन्दी]

श्री गोरखनाथ पाण्डेय (भदोही) : सभापति महोदया, राजीव गांधी राष्ट्रीय विमानन विश्वविद्यालय विधेयक, 2013 बिल माननीय मंत्री जी ले कर आए हैं, इसके समर्थन में बोलने के लिए मैं खड़ा हुआ हूं लेकिन मैं दो-तीन बातें कहना चाहता हूं। उत्तर प्रदेश से मैं आता हूं और यह बहुत बड़ा प्रदेश है और पूर्वांचल बहुत पिछड़ा हुआ क्षेत्र है। कभी बाढ़ से प्रभावित होता है, कभी सूखे से। शिक्षा के लिए अलग से प्रदेश सरकार, केन्द्र सरकार व्यवस्था देती है, पूर्वांचल विकास निधि। मैं चाहूंगा कि भदोही लोकसभा क्षेत्र में जो ग्रामीण अंचल में है, वहां जमीन बहुत अधिक है। वहां इस विश्वविद्यालय की स्थापना की जाए, तो इससे ग्रामीण अंचल के लोगों को भी विमानन क्षेत्र में आने में सुविधा और सहूलियत मिलेगी। ग्रामीण अंचल के लोग जिस तकनीकी ज्ञान से पिछड़े हैं, वह भी अपने को इससे जोड़ पाएंगे। यह बहुत अच्छा बिल है, मैं इसके समर्थन में खड़ा हूं। मैं माननीय मंत्री जी से आग्रह करूंगा कि भदोही लोकसभा क्षेत्र में बहुत जमीन है। वहां इसकी स्थापना करें ताकि ग्रामीण अंचलों को भी इस तकनीकी ज्ञान का लाभ मिल सके।

[अनुवाद]

प्रो. सौगत राय (दमदम) : मैं बहुत संक्षेप में अपनी बात कहूंगा। मुझे फुर्सतगंज, रायबरेली में राजीव गांधी राष्ट्रीय विमानन विश्वविद्यालय स्थापित करने के लिए विधेयक के खिलाफ कुछ नहीं कहना है। हमारे स्वर्गीय प्रधानमंत्री, राजीव गांधी एक वाणिज्यिक पायलट थे जिन्होंने बोइंग लाइसेंस प्राप्त किया था। जब वह प्रधानमंत्री थे तो उन्होंने फुर्सतगंज, रायबरेली में इंदिरा गांधी राष्ट्रीय उड़ान अकादमी स्थापित की थी। वह बुनियादी ढांचा है। नया विश्वविद्यालय उस भूमि पर 202 करोड़ रुपए की लागत से स्थापित किया जाएगा। इस देश में विमानन प्रशिक्षण का मानकीकरण किए जाने की जरूरत है।

मैं ऐसे निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करता हूं जहां कोलकाता विमानपत्तन है। रातों रात सामने आने वाले बहुत से संचालक हैं। कोई आपको एयरक्राफ्ट का अनुरक्षण सिखाता है; और कोई आपको एयरहॉस्टेस बनना सिखाता है। इसलिए, जहां तक नागर विमानन का संबंध है तो प्रशिक्षण और शिक्षा में कोई मानकीकरण नहीं है।

इसके बहुत से पक्ष है जैसे-कारगो हैंडलिंग, एयरपोर्ट हैंडलिंग, फ्लाइट सेफ्टी इत्यादि। मैं उसके विस्तार में नहीं जाना चाहता। बहुत विशेषीकृत प्रशिक्षण की आवश्यकता है। उदाहरणार्थ, एयर ट्रैफिक कंट्रोलर का काम लीजिए। वे बहुत तकनीकी कार्य करते हैं। परंतु उसमें प्रशिक्षण देने के लिए कोई संस्थाए नहीं हैं।

इसलिए, इस बात को ध्यान में रखते हुए कि भारत शीघ्र ही दुनिया में एयरलाइंस के लिए तीसरा सबसे बड़ा बाजार बनने जा रहा है, एक विमानन विश्वविद्यालय का विचार आधुनिक और प्रगतिशील विचार है ...*(व्यवधान)* कृपया मुझे एक छोटी सी समस्या सामने रखने के लिए दो मिनट की अनुमति दें।

भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण बना हुआ है। यह बहुत से विमानपत्तन चलाता है। सरकार ने पहले ही चार विमानपत्तन निजी क्षेत्र को दे दिए हैं। दो कंपनियां, जीएमआर और जीवीके ने इन विमानपत्तनों में लूट की है। हमें नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट से पता चला है कि दिल्ली विमानपत्तन में जीएमआर द्वारा कितनी लूट की गई है। कोलकाता में नेताजी सुभाषचंद्र बोस अंतर्राष्ट्रीय विमानपत्तन है। इसका भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण द्वारा 2,300 करोड़ रुपए की लागत से आधुनिकीकरण किया गया था। नए आधुनिक विमानपत्तन का भारत के राष्ट्रपति द्वारा उद्घाटन किया गया था। नागर विमानन मंत्री भी वहां थे। हमारे मुख्य मंत्री भी वहां थे। इसका इस वर्ष 20 जनवरी को उद्घाटन किया गया था।

चैन्नई विमानपत्तन का भी भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण द्वारा 2,150 करोड़ रुपए की लागत से आधुनिकीकरण किया गया था। अब, नागर विमानन मंत्री योजना आयोग के उपाध्यक्ष और अन्य सदस्यों के दबाव में सोच रहे हैं कि इन विमानपत्तनों का निजीकरण किया जाए। इन दोनों विमानपत्तनों का राजकोष की लागत से आधुनिकीकरण किया गया था। वह गुवाहाटी, लखनऊ, जयपुर और अहमदाबाद विमानपत्तनों का भी निजीकरण करने की भी योजना बना रहे हैं। मैं राज्य की लागत से निर्मित इन विमानपत्तनों को निजी कंपनियों को सौंपने के पूरी तरह खिलाफ हूं।

जहां तक अनुरक्षण का प्रश्न है तो उन्हें आप बाहर से ले सकते हैं। परंतु इन विमानपत्तनों पर प्रबंधन, स्वामित्व और संचालन सरकार के हाथों में होना चाहिए।

महोदया, कृपया मुझे एक मिनट और बोलने दें। राज्य के धन से निर्मित किसी संपत्ति को जीएमआर, जीवके जैसी निजी कंपनियों को नहीं दिया जाना चाहिए। भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण के कर्मचारियों की ओर से मैं यह बात इस सभा को बताना चाहता हूं। मैं विमानपत्तनों के निजीकरण की योजना का विरोध करने के लिए आप सबका समर्थन मांगता हूं। यदि माननीय मंत्री जनविरोधी नीति नहीं छोड़ते और यदि वह राज्य विमानपत्तनों का निजीकरण करते जाते हैं तो विमानपत्तन प्राधिकरण के कर्मचारियों को नवंबर से सीधा मुकाबला करना पड़ेगा और पूर्ण हड़ताल करनी पड़ेगी।

श्री शरद यादव (मधेपुरा) : महोदया, मैं इस मुद्दे पर प्रो. सौगत राय का समर्थन करता हूं...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

***डॉ. किरीट प्रेमजीभाई सोलंकी** (अहमदाबाद पश्चिम) : मैं इस विधेयक का स्वागत करता हूं क्योंकि एविएशन क्षेत्र बहुत तेजी से प्रगति कर रहा है। इस क्षेत्र में समग्र विश्व में भारत अगले पायदान पर है। इसलिए एविएशन क्षेत्र में स्टेट ऑफ आर्ट, विश्वविद्यालय ऑफ एक्सलेंस की समय ही जरूरी है।

वर्तमान में विमानन क्षेत्र में कई संस्थाएं कार्यरत है, जो इसी क्षेत्र में पाइलेट्स, एयर हॉस्टेस एवं अन्य लोगों की ट्रेनिंग में कार्यरत है।

यह क्षेत्र जिस तेजी से बढ़ रहा है, उसे लेकर इस क्षेत्र में विश्वविद्यालय विधेयक का मैं स्वागत करता हूं। इस विद्यालय की बजट से पाइलेट्स, एयर हॉस्टेस, सिक्योरिटी स्टाफ, हेल्थ स्टाफ, कार्गो स्टाफ एवं होस्पिटलिटी क्षेत्र में वैज्ञानिक तरीके से ट्रेनिंग हो सकेगी। इस ट्रेनिंग की यूनिफार्मेटी होगी ओर एविएशन क्षेत्र में प्रगति होगी।

इस विद्यालय को सियासी तरीके से रायबरेली क्षेत्र में स्थापित करने का प्रस्ताव की जगह मैं उसे अहमदाबाद-गांधीनगर क्षेत्र में स्थापित करने का सुझाव देता हूं।

श्री सुशील कुमार सिंह (औरंगाबाद) : सभापति महोदया, मैं आपका आभार प्रकट करता हूं कि आप ने मुझे राजीव गांधी राष्ट्रीय विमानन विश्वविद्यालय विधेयक, 2013 पर बोलने का अवसर दिया है।

सभापति महोदया, मैं बताना चाहूंगा कि यह बिल तो बड़ा अच्छा है। इसका प्रारूप बहुत सुन्दर है। इसके जो उद्देश्य हैं, वे भी बहुत सुन्दर हैं। बाकी बातों को हमारे सहयोगियों ने कहा है, मैं उनको दोहराना नहीं

---

*भाषण सभा पटल पर रखा गया।

[श्री सुशील कुमार सिंह]

चाहूंगा। इतना जरूर कहना चाहूंगा कि पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय राजीव गांधी जी एक अच्छे पायलट थे। उनके नाम पर यह विश्वविद्यालय हो, इसमें हम लोगों को कोई आपत्ति नहीं है लेकिन विश्वविद्यालय की स्थापना वैसी जगह पर होनी चाहिए जहां इसके लिए आवश्यक सुविधाएं हों, आवश्यक इंफ्रास्ट्रक्चर हो।...*(व्यवधान)* फुरसतगंज बड़ी जगह हो सकती है लेकिन इस विश्वविद्यालय में जिस तरह के शिक्षण के कार्य, जिस तरह का प्रशिक्षण विमानन विज्ञान, विमानन मैनेजमेंट, सुरक्षा आदि की जो शिक्षा दी जाएगी, जो प्रशिक्षण दिया जाएगा, उसके लिए जिन आधारभूत सुविधाओं और संरचना की आवश्यकता है, वे जहां हैं, वहां इस विश्वविद्यालय की स्थापना होनी चाहिए। मैं यह कहना चाहूंगा कि जब हम कोई नया काम करते हैं तो हम अन्तरराष्ट्रीय मानक, अन्तरराष्ट्रीय स्तर की सुविधा की बात जरूरत करते हैं।

माननीय मंत्री महोदय, मैं आपको बताना चाहूंगा कि मैं बिहार में जिस इलाके से चुन कर आता हूं तो वहां मेरे सबसे नज़दीक का हवाई अड्डा गया है। कहने के लिए तो गया हवाई अड्डा अन्तरराष्ट्रीय हवाई अड्डा है लेकिन वहां सुविधा के नाम पर क्या है, इसका मैं आपको दो उदाहरण देना चाहूंगा। एक, उस अन्तरराष्ट्रीय हवाई अड्डा पर नाइट लैंडिंग की कोई सुविधा नहीं है। दूसरा, वहां के शौचालयों में आप चले जाएं तो आपको एक नैपकीन तक नहीं मिलेगा, एक टिश्यू पेपर तक नहीं मिलेगा और हम कहते हैं कि यह अन्तरराष्ट्रीय हवाई अड्डा है। हमारी नीयत और हमारी नीति दोनों में एकरूपता होनी चाहिए। केवल सस्ती लोकप्रियता के लिए, किसी क्षेत्र विशेष को उपकृत करने के लिए, किसी व्यक्ति विशेष को खुश करने के लिए यह काम नहीं होना चाहिए। नीति की बात होनी चाहिए और नीयत पक्का होना चाहिए। तब जाकर हम जो करना चाहते हैं, हमारा जो उद्देश्य है, उसमें हम सफल होंगे।

महोदया, मैं इस विश्वविद्यालय के स्थापना के बिल का स्वागत करता हूं और इसका समर्थन करता हूं। लेकिन, इसके साथ-साथ मैं यह भी कहता हूं कि देश में पहले इसका सर्वे करा लिया जाए। देश में जहां भी इसके लिए आवश्यक इंफ्रास्ट्रक्चर हो, वहां इसकी स्थापना होनी चाहिए। इसके नाम पर मेरा कोई विवाद नहीं है, कोई आपत्ति नहीं है। राजीव गांधी जी एक अच्छे पायलट थे। उनके नाम पर यह हो, इसमें हमें भी खुशी होगी लेकिन ऐसी जगह पर विश्वविद्यालय की स्थापना होनी चाहिए जहां सारे इंफ्रास्ट्रक्चर हों। पिछड़े क्षेत्र को विकसित करने के लिए तो सड़कें हैं, बिजली है, पानी है, स्कूल्स हैं, हॉस्पिटल्स हैं। इनको विकसित करके हम उस इलाके को विकसित कर सकते हैं।

महोदया, आपने मुझे बोलने का मौका दिया, इसके लिए धन्यवाद।

[अनुवाद]

सभापति महोदया : श्री टी.आर. बालू, क्या आप बोलना चाहते हैं?

श्री टी.आर. बालू (श्रीपेरुम्बुदूर) : हां, महोदय मैं बोलना चाहता हूं। महोदया, सबसे पहले मैं कहना चाहता हूं कि मैं महान नेता स्व. श्री राजीव गांधी के नाम पर रायबरेली में एक राष्ट्रीय विमानन विश्वविद्यालय स्थापित करने से संबंधित अपने मित्र श्री अजीत सिंह, नागर विमानन मंत्री द्वारा लाए गए इस विधेयक का समर्थन करता हूं।

इस विधेयक का समर्थन करते हुए मैं केवल यही कहूंगा कि मेरे निर्वाचन क्षेत्र श्रीपेरुम्बुदूर में ग्रीनफील्ड विमानपत्तन के प्रस्ताव, जिसके लिए भूमि भी उपलब्ध है, पर भारत सरकार चार या पांच वर्षों से अधिक समय से सफाई दे रही है। महोदय, मैं माननीय मंत्री से मांग करता हूं कि श्रीपेरुम्बुदूर में जहां राजीव गांधी स्मारक है वहां एक विश्वविद्यालय परिसर स्थापित करें।

दूसरे, जहां तक चेन्नई विमानपत्तन का प्रश्न है बहुत शोर मचाया जा रहा है कि इसका निजीकरण किया जा रहा है। इस संबंध में, मैं मंत्री जी से अनुरोध करता हूं कि उत्तर देते हुए इस पर प्रतिक्रिया दें।

तीसरे, सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा जो चार या पांच वर्षों से अधिक समय से लंबित है वह यह है कि सरकार और राज्य विधानमंडल के स्थानीय प्रतिनिधियों और सांसदों ने भारत सरकार को समझाने का प्रयास किया है कि यह सुनिश्चित करें कि मदुरै विमानपत्तन का नाम मुतुरामलिंगम देवर के नाम पर रखें जो तत्कालीन संविधान सभा के सदस्य और महान देशभक्त थे। मैं जानना चाहता हूं कि क्या मंत्रीजी मदुरै विमानपत्तन का नाम मुतुरामलिंगम देवर के नाम पर रखेंगे। मेरा यही निवेदन है। मैं माननीय मंत्री से इसका उत्तर देने का अनुरोध करता हूं।

[हिन्दी]

***श्री अर्जुन राम मेघवाल** (बीकानेर) : मैं राजीव गांधी राष्ट्रीय विमानन विश्वविद्यालय विधेयक, 2013 के संबंध में अपना वक्तव्य ले करना चाहता हूं:–

1. विमानन विश्वविद्यालय में पर्यावरण (विमानन पर्यावरण) के क्षेत्र में भी शोध करेगी। मेरा अनुरोध रहेगा कि एमआईजी-21 विमान किन पर्यावरण कारणों से क्षतिग्रस्त हो रहे हैं, इसका भी इस विश्वविद्यालय में अध्ययन होना चाहिए।

2. विमानन सुरक्षा विनियमों में भी यह विश्वविद्यालय शोध करेगा

*भाषण सभा पटल पर रखा गया।

एवं प्रशिक्षण भी देगा, लेकिन एमआईजी विमानों के दुर्घटनाग्रस्त होने में कौन-कौन से कारक जिम्मेदार रहे हैं इसका भी अध्ययन होना चाहिए।

3. आर एंड डी के क्षेत्र में ज्यादा बजट रखने की जरूरत है।

4. विमानन के क्षेत्र में एक्सीलेंसी सेंटर भी स्थापित हो यह भी इस विश्वविद्यालय का क्षेत्राधिकार होना चाहिए।

[अनुवाद]

शेख सैदुल हक (बर्धमान-दुर्गापुर) : धन्यवाद महोदया, माननीय मंत्री जी से मेरा पहला निवेदन यह है कि विश्वविद्यालय की स्थापना कोलकाता में की जाए और उसका नाम नेताजी सुभाष चन्द्र बोस के नाम पर रखा जाए।

मेरा अगला निवेदन यह है कि इस विश्वविद्यालय की स्थापना से किन लोगों के हितों की रक्षा होगी? वहां बड़ी संख्या में निजी संस्थान हैं जो ऐसी विमानन शिक्षा और प्रशिक्षण प्रदान कर रहे हैं जिसका स्तर अच्छा नहीं है। इस विश्वविद्यालय की स्थापना मान्यता प्रदान करने के लिए की जा रही है उद्देश्यों और कारणों के कथन में यह कहा गया है कि यह विश्वविद्यालय निजी संस्थानों को मान्यता प्रदान करेगा। इससे किसके हितों की रक्षा होगी?

मेरा एक अन्य निवेदन यह है कि इस विश्वविद्यालय को मानव संसाधन विकास मंत्रालय के अधीन क्यों नहीं लाया जा रहा है? इस विश्वविद्यालय का आकलन और प्रत्यायन कौन करेगा? यदि यह विश्वविद्यालय अन्य विश्वविद्यालयों का प्रत्यायन करेगा तो इसका प्रत्यायन कौन करेगा? नागर विमानन मंत्रालय किस प्रकार का प्रत्यायन करेगा? प्रत्यायन से स्तर में गिरावट आएगी। अनुभव यह दर्शाता है कि श्रीपेरुबंदूर में राजीव गांधी राष्ट्रीय युवा और खेल संस्थान की स्थापना की गई थी। यूजीसी ने उसे निम्नस्तरीय संस्थान मानकर काली सूची में डाल दिया। अब वे उसे उत्कृष्टता का केन्द्र बनाने जा रहे हैं।

नागर विमानन उद्योग और क्षेत्र में क्या हो रहा है? यह क्षेत्र पूर्णत: बर्बादी के कगार पर है और एयर इंडिया भारी कर्ज और नुकसान के अंतर्गत कार्य करते हुए लगभग मृतप्राय स्थिति में है। इसके लिए कौन जिम्मेदार है? इसके लिए नागर विमान मंत्रालय जिम्मेदार है। हमें 68 विमान खरीदने के लिए 50,000 करोड़ रुपए खर्च करने पड़े थे। मेरा मुद्दा यह है कि एयर इंडिया जो भारत में 42 प्रतिशत हिस्सेदारी के साथ एक 'मार्केट लीडर' है उसे पूर्णत: बर्बाद कर दिया गया है। नागर विमानन क्षेत्र में विदेशी कंपनियां आ रही हैं। अब मंत्री जी नागर विमानन क्षेत्र में 'एफडीआई' ला रहे हैं। इस संबंध में वास्तविक स्थिति क्या है? वर्तमान में केबिन क्रू, पायलटों आदि के संचालन में आउटसोर्सिंग की जा रही है; यह निजीकरण का एक स्रोत है।

मेरा नम्र निवेदन यह है कि जैसा कि अन्य माननीय सदस्यों ने कहा है यह मंत्रालय कोलकाता, चेन्नई और अन्य विमानपत्तनों का निजीकरण करने जा रहा है। हम अब भी इसका विरोध कर रहे हैं। 202 करोड़ रुपए की सार्वजनिक धनराशि से बनाए गए इस विश्वविद्यालय को भी निजी कंपनियों को सौंप दिया जाएगा। इसका यही कारण है। अत:, मेरा नागर विमानन मंत्री से यह अनुरोध है कि वह विश्वविद्यालय चलाने के बजाय सही समय पर उड़ानों का संचालन सुनिश्चित करें क्योंकि उड़ानों का सही समय पर संचालन नहीं हो रहा है। यदि ऐसे किसी विश्वविद्यालय का निर्माण किया जाना है तो यह कार्य मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा किया जाना चाहिए। पहले ही अनेक विश्वविद्यालय मौजूद हैं। इस प्रकार के नए पाठ्यक्रमों की पढ़ाई उनमें करायी जा सकती है। आपको इसके लिए इस विश्वविद्यालय की स्थापना करने की आवश्यकता नहीं है। आप समुचित रूप से अपना मंत्रालय चलाइए ताकि यह लाभकारी सरकारी उपक्रम अन्य कंपनियों के साथ प्रतिस्पर्धा कर सके।

इन शब्दों के साथ, मैं इस विधेयक का विरोध करता हूं।

[हिन्दी]

***श्रीमती दर्शना जरदोश** (सूरत) : राजीव गांधी राष्ट्रीय विमानन विश्वविद्यालय विधेयक 2013 जो सरकार द्वारा प्रस्तुत हो रहा है मुझे लगता है हड़बड़ी में लाया जा रहा है। उड्डयन विभाग द्वारा कई ऐसे संविधान और संशोधन है, जिसको लाना देश के हित में जरूरी था।

लेकिन रायबरेली में एक विमानन विश्वविद्यालय के सपोर्ट में जो अन्य सुविधा होनी चाहिए जैसे की इंटरनेशनल कक्षा की एयरपोर्ट, राष्ट्रीय एयरोनोटीकल कोर्स की सुविधा नहीं है। शहर में अगर ऐसी यूनिवर्सिटी होती है तो ज्यादा विद्यार्थी अच्छी तरह से उनसे शिक्षा ले सकें। अगर अंतरराष्ट्रीय कनेक्टिविटी भी ऐसे शहर में होने से ज्यादा तकनीकी एक्सपर्ट के लाभ भी ले सकते हैं। आवश्यक इन्फ्रास्ट्रक्चर वाली जगह में तालिम संबंधी सुविधा उपलब्ध होनी चाहिए। ज्यादा विद्यार्थियों को तालिम के साथ रोजगारी युक्त हो सके। विश्वविद्यालय की स्थापना का हम स्वागत करते हैं लेकिन ऐसी जगह ये स्थापना होनी चाहिए जहां ज्यादा तालीम की सुविधा हो।

***श्री महेन्द्रसिंह पी. चौहाण** (साबरकांठा) : माननीय मंत्री श्री अजीत सिंह जी द्वारा प्रस्तावित राजीव गांधी राष्ट्रीय विमानन विश्वविद्यालय विधेयक, 2013 का स्वागत करता हूं। इस विधेयक से विमानन क्षेत्र में

*भाषण सभा पटल पर रखा गया।

[श्री महेन्द्रसिंह पी. चौहाण]

काफी प्रगति कर रहा है तो विमानन अध्ययन एवं अनुसंधान को मजबूत बनाने हेतु उसका संवर्धन करने, विमान प्रबंध नीति, विज्ञान और प्रौद्योगिकी, विमानन पर्यावरण, विमानन के रक्षा और सुरक्षा विनियमों के शासी क्षेत्रों में प्रशिक्षण और अन्य संबंधित क्षेत्रों में उत्कृष्टता प्राप्त करने के लिए ये विधेयक द्वारा काफी मदद मिलेगी।

महोदया राष्ट्रीय विमानन विश्वविद्यालय के द्वारा देश को अच्छे प्रशिक्षित कर्मचारी मिलेंगे। अच्छे विमान चालक मिलेंगे। निजी संस्थानों में ट्रेनरों को शोषण होने की संभावना होती है।

महोदया जिस तरह हमारे विमानपत्तनों का निजीकरण हो रहा है मैं उसका विरोध करता हूं। इस विश्वविद्यालय का नामांकन राजीव गांधी के साथ कर रहे हैं उसका स्वागत करता हूं क्योंकि वो खुद एक अच्छे विमान चालक थे, वहीं से राजनीति में आए थे।

महोदया देश में जहां अच्छी सुविधा हो, इन्फ्रास्ट्रक्चर उपलब्ध हो वहां पर विश्वविद्यालय की स्थापना करनी चाहिए।

***श्रीमती जयश्रीबेन पटेल** (मेहसाणा) : मैं राजीव गांधी राष्ट्रीय विमानन विश्वविद्यालय विधेयक 2013 के बारे में अपने विचार रखना चाहती हूं। विमानन संबंधी अध्ययन और अनुसंधान को सुगम बनाने के लिए और उसका संवर्धन करने के लिए जो बिल लाया गया है उसमें गुणवत्ता और मानव संसाधनों का उन्नयन करने के लिए ज्यादा से ज्यादा इन्फ्रास्ट्रक्चर की आवश्यकता रहेगी और इस इन्फ्रास्ट्रक्चर के विकास के लिए हमें ज्यादा से ज्यादा प्रयत्न करने होंगे। मैं मांग करती हूं कि इस विश्वविद्यालय का नाम सरदार पटेल विश्वविद्यालय रखा जाना चाहिए। नागर विमानन के लिए कनेक्टिविटी होनी जरूरी है। इस विश्वविद्यालय के लिए हमें योग्य अभ्यासक्रम का निर्माण करना होगा। हमें रोजगार को बढ़ावा मिले इस बात का भी ख्याल रखना होगा। यहां हम ग्राहक क्षेत्र को जोड़ने की भी बात करते हैं। हमें यह देखना चाहिए कि जहां इस विश्वविद्यालय की स्थापना होती है वहां के लोग इस प्रवृत्ति के साथ जुड़ें और वहां का युवा वर्ग भी इसमें भाग ले। ऐसा करने से इसका लाभ बहुत सारे लोगों तक पहुंचेगा।

इस विश्वविद्यालय की स्थापना के लिए योग्य तकनीकी प्रशिक्षण आवश्यकता रहेगी। ज्यादा से ज्यादा लोग टेक्नॉलॉजी के साथ जुड़ेंगे जिसके फलस्वरूप राष्ट्र का विकास होगा। हम सब इस प्रस्ताव का समर्थन करते हैं।

---

*भाषण सभा पटल पर रखा गया।

[अनुवाद]

श्री एस. सेम्मलई (सलेम) : सभापति महोदया, भारतीय विमानन क्षेत्र की छवि को निखारने के लिए विशेष रूप से विमानन क्षेत्र में एक केन्द्रीय विश्वविद्यालय की स्थापना करना अत्यावश्यक है। परंतु मैं माननीय नागर विमानन मंत्री जी के समक्ष एक पहलू का उल्लेख करना चाहता हूं।

मैं इस बात पर बल देना चाहता हूं कि प्रस्तावित विश्वविद्यालय संबंधी विधेयक में विश्वविद्यालय और उद्योग के बीच एक वास्तविक साझेदारी स्थापित करने हेतु एक उपबंध को शामिल किया जाना चाहिए। यह अत्यावश्यक है ताकि विश्वविद्यालय से उत्तीर्ण होकर निकलने वाले छात्रों के पास विमान के रख-रखाव के संबंध में एक ठोस व्यावहारिक ज्ञान हो।

महोदया, इस विधेयक के अनुसार यह विश्वविद्यालय छात्रों को डिग्रियां और डिप्लोमा प्रदान करेगा। परंतु इस विधेयक में एक ऐसा प्रावधान है जिसमें यह कहा गया है कि किसी भी समय मूल्यांकन करने पर प्रदान की गई डिग्री और डिप्लोमा को वापस लिया जा सकता है। क्या कोई विश्वविद्यालय प्रदान की गई डिग्री को वापस ले सकता है? किस आधार पर ऐसा किया जा सकता है? मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या वर्तमान में किसी अन्य विश्वविद्यालय में ऐसा कोई प्रावधान मौजूद है। माननीय मंत्री जी को इस प्रश्न का उत्तर देना चाहिए।

मैं यह कहना चाहता हूं कि किसी प्रसिद्ध नेता के नाम पर या दिवंगत नेता की स्मृति में किसी विश्वविद्यालय की स्थापना करने में कोई बुराई नहीं है। परंतु ऐसा करते समय हमें यह सुनिश्चित करना होगा कि ऐसे संस्थान उत्कृष्टता के केन्द्र होने चाहिए। मैं माननीय मंत्री जी का ध्यान इस बात की ओर आकृष्ट करना चाहता हूं कि हमारे स्वर्गीय प्रधानमंत्री श्री राजीव गांधी जी के नाम पर श्रीपेरुबंदूर में स्थापित विश्वविद्यालय एक ऐसा संस्थान है, जिसकी गुणवत्ता युक्त शिक्षा और अवसंरचना के अभाव में टंडन समिति ने मान्यता रद्द कर दी है और गत वर्ष हमने इस संस्थान को राष्ट्रीय महत्व के संस्थान के रूप में विकसित करने के लिए एक कानून बनाया है। इस विश्वविद्यालय की नियति भी ऐसी नहीं होनी चाहिए। यही मेरी चिंता है। अत:, यह सुनिश्चित किया जाए कि प्रस्तावित राजीव गांधी राष्ट्रीय विमानन विश्वविद्यालय सभी क्षेत्रों में उत्कृष्ट कार्य करे। जहां तक निजीकरण का संबंध है, हम भारतीय विमानन क्षेत्र के निजीकरण का विरोध करते हैं।

[हिन्दी]

श्री नामा नागेश्वर राव (खम्माम) : मुझे आपने बोलने का अवसर दिया, इसके लिए धन्यवाद। मैडम, इस बिल को इंट्रोड्यूस करते ऑनरेबल

मिनिस्टर ने दो इंपोर्टेंट प्वाइंट्स को रेज किया है। वन इंपोर्टेंट प्वाइंट इज, लैक ऑफ क्वालिटी ऑफ एजुकेशन। उन्होंने क्वालिटी ऑफ एजुकेशन के बारे में कहा है। सेकेंड प्वाइंट में उन्होंने कहा है, इसमें 26.35 हेक्टेयर्स लैंड की ऑलरेडी एवलेबिलिटी है। हम ऑनरेबल मिनिस्टर का बहुत सम्मान करते हैं। किसान के बारे में कोई भी चीज आयी तो पिछले पांच साल में हम लोग उनके साथ चले हैं।

मैडम, हम आपके माध्यम से ऑनरेबल मिनिस्टर से रिक्वैस्ट करना चाहते हैं, एक तो यह कि क्वालिटी ऑफ एजुकेशन के मामले में हैदराबाद, आंध्र प्रदेश देश में नंबर वन पर है। एंटायर इंडिया में आईआईटी, आईआईएम में 20 से 25 परसेंट ऑफ दी स्टुडेंट्स आंध्र प्रदेश से आते हैं। साउथ से करीब 40 परसेंट लोग आते हैं। इसलिए क्वालिटी ऑफ एजुकेशन के लिए साउथ बहुत सुटेबल है, उसमें भी हैदराबाद काफी सुटेबल है।

सेकेंड प्वाइंट में, जो लैंड के लिए कह रहे हैं, हैदराबाद में ऑलरेडी एक गोल्ड एयरपोर्ट है, बेगमपेट एयरपोर्ट। पिछली तीन-चार दफा से कभी भी एविएशन ट्रेड शो होता है तो वह हैदराबाद से होता है।

वहां टोटल इंफ्रास्ट्रक्चर रेडी है। अगर स्टेट गवर्नमेंट लैंड नहीं दे रही है तो हम लोग तेलगुदेशम पार्टी की तरफ से 50 एकड़ लैंड यूनिवर्सिटी के लिए दे देंगे। 500 एकड़ में जो इंफ्रास्ट्रक्चर रेडी है, उसमें हम यह रिक्वेस्ट करना चाहते हैं कि, ये हैदराबाद में ये यूनिवर्सिटी को लगा दें, उसके साथ-साथ और भी फैसिलिटीज दें। सौगत राय साहब ने दिल्ली एयरपोर्ट के बारे जो एक महत्वपूर्ण मुद्दा उठाया था, उसके साथ हम पूरी तरह से सहमत हैं। वह प्रोजेक्ट शुरूआत में दो हजार नौ सौ करोड़ रुपए का था। पूरा होते-होते इसका कॉस्ट दस हजार करोड़ रुपए हो गया।

मैंने खम्माम में एक एयरपोर्ट के लिए रिक्वेस्ट किया था। मैं पुनः अनुरोध कर रहा हूं यह बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट है। यहां आप एक एयरपोर्ट दे दीजिए। कोल इंडिया के सिंगरैनी कोयलरिज को इसकी काफी जरूरत है। आपने नॉर्थ में एक यूनिवर्सिटी दी तो साउथ में, हैदराबाद में, मैं एक और यूनिवर्सिटी की मांग करता हूं।

***श्री अशोक अर्गल** (भिंड) : सभापति महोदया लोक सभा, मान्यवर, श्री अजीत सिंह, मंत्री, नागर विमानन जो प्रस्ताव राजीव गांधी राष्ट्रीय विमानन विश्वविद्यालय विधेयक 2013 लाये हैं उसका स्वागत करते है, लेकिन इस बात पर आपत्ति है कि यह एक छोटी जगह है - फुर्सतगंज रायबरेली, उत्तर प्रदेश स्थान रखा है - वो स्थान ठीक नहीं - वहां जो भी छात्र प्रवेश लेंगे उनको आने जाने में असुविधा होगी, यहां कहीं से भी डायरेक्ट फ्लाईट नहीं है। मेन ट्रेक, पर नहीं है। देश के कोने कोने से छात्र प्रवेश लेंगे उनको काफी परेशानी होगी यह स्थान, बैंगलोर, आगरा, लखनऊ, ग्वालियर के पास भिंड, मुरेना जैसे स्थान पर होता तो बहुत खुशी होती चूंकि स्वर्गीय राजीव गांधी देश के प्रधानमंत्री रहे हैं, पायलट भी थे। उनका निर्वाचित राज्य रहा है। इसका नामकरण आप कर रहे हैं ठीक है। वैसे दलितों के मसीहा भारत रत्न डॉ. भीमराव अंबेडकर, स्वामी विवेकानन्द जी, अमर शहीद सुभाष चन्द्र बोस, राम प्रसाद विस्मिल, चन्द्रशेखर आजाद, रानी झांसी लक्ष्मीबाई जैसे किसी महापुरुष के नाम को चुनते तो बहुत अच्छा रहता। आप एक तरफ राष्ट्रीय विमानन विश्वविद्यालय खोल रहे हैं वहीं आप छोटे-छोटे ट्रेनिंग संस्थानों को बंद करवा रहे हैं जो कि पूरी तरह न्यायोचित नहीं है। मैं चाहता हूं कि इससे स्थान को रायबरेली के फुर्सतगंज से बदलने का कष्ट करें।

[हिन्दी]

श्री सानछुमा खुंगुर बैसीमुथियारी (कोकराझार) : आपने मुझे इस बिल के ऊपर अपनी बात रखने का जो मौका दिया है उसके लिए मैं आपका आभार व्यक्त करता हूं। मैं मंत्री जी को इस बिल को लाने के लिए धन्यवाद देता हूं। मैं इस बिल का समर्थन करता हूं, इसके साथ-साथ मेरे तीन मुद्दे हैं।

मैं वर्ष 1998 से इस सदन का सदस्य हूं। हम बोडो लैंड एरिया के लिए लगातार एक डोमेस्टिक एयरपोर्ट की मांग कर रहे हैं। तीन-चार सिविल एविएशन मंत्री चले गए। उन्होंने इस सदन में वादा किया लेकिन आज तक हमें एयरपोर्ट नहीं मिला। ये लोग इतने कंजूस क्यों होते हैं। क्या बोडो लैंड अंचल में एक एयरपोर्ट देने से हिन्दुस्तान टूट जाएगा। क्या रामायण-महाभारत खत्म होगा? गीता भागवत खत्म हो जाएगा। *...(व्यवधान)*

[अनुवाद]

आश्चर्यजनक! यह बहुत दुर्भाग्य की बात है। अतः, महोदया, मैं भारत सरकार से विशेषरूप से केन्द्रीय नागर विमानन मंत्री श्री अजित सिंह जी से अपील करना चाहता हूं कि कोकराझार में तत्काल एक घरेलू हवाई अड्डे की स्थापना की जाए।

[हिन्दी]

सभापति महोदया : इस पर जरूर विचार किया जाएगा।

श्री सानछुमा खुंगुर बैसीमुथियारी : मेरा दूसरा मुद्दा जिसका जिक्र सौगत राय साहब ने किया है कि गुवाहाटी एयरपोर्ट को भी प्राइवेट कंपनी को देने जा रहे हैं।

*भाषण सभा पटल पर रखा गया।

[अनुवाद]

यह बहुत गंभीर किस्म का अभियान चल रहा है। मैं इस प्रकार के घातक नीति निर्णय का कड़ा विरोध करता हूं। गुवाहाटी हवाई अड्डे का निजीकरण करने की अनुमति न दी जाए।

सभापति महोदया : धन्यवाद। अब मंत्री जी बोलेंगे।

...(व्यवधान)

[हिन्दी]

सभापति महोदया : कृपया एक-एक करके बोलेंगे तो बात समझ में आएगी।

...(व्यवधान)

[अनुवाद]

श्री टी.आर. बालू (श्री पेरुम्बुदूर) : महोदया, मैं यह जानन चाहता हूं कि क्या सरकार राजीव गांधी के नाम पर श्री पेरुम्बुदूर में एक विश्वविद्यालय परिसर की स्थापना करेगी।*...(व्यवधान)*

सभापति महोदया : माननीय सदस्य श्री बैसीमुथियारी जी ने अभी अपनी बात पूरी नहीं की है, आप अपनी बात जारी रखिए।

[हिन्दी]

श्री सानछुमा खुंगुर बैसीमुथियारी : एनडीए की सरकार के समय में गुवाहाटी से बैंकाक तक एयर इंडिया की फ्लाइट शुरू की गई थी, लेकिन एक साल के बाद उसको बंद कर दिया गया। उसे दुबारा चालू करवाएं।

[अनुवाद]

मेरा माननीय मंत्री जी से अनुरोध है कि गुवाहाटी से बैंकांक तक शीघ्र एयर इंडिया की उड़ान फिर से आरंभ की जाए।*...(व्यवधान)*

[हिन्दी]

सभापति महोदया : आपकी बात पूरी हो गई, अब बैठ जाइए।

...(व्यवधान)

श्री सानछुमा खुंगुर बैसीमुथियारी : गुवाहाटी से बैंकांक जाने के लिए एयर इंडिया के फ्लाइट के चालू करने की जरूरत है*...(व्यवधान)*

सभापति महोदया : ऐसा नहीं होता है। अब आप बैठ जाइए।

...(व्यवधान)

[अनुवाद]

सभापति महोदया : कृपया बैठ जाइए। यह कोई तरीका नहीं है। कार्यवाही वृत्तांत में कुछ भी सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

*(व्यवधान)...**

[हिन्दी]

श्री अनंत कुमार (बंगलौर दक्षिण) : पार्लियामैंट्री अफेयर्स मिनिस्टर को बताना चाहिए।*...(व्यवधान)*

[अनुवाद]

डॉ. एम. तम्बिदुरई (करुर) : महोदया, मैं माननीय मंत्री जी से एक प्रश्न पूछना चाहूंगा। हमारी माननीय मुख्यमंत्री जी ने प्रधानमंत्री जी को एवं उनको भी नए डोमेस्टिक टर्मिनल (टी3) का नामकरण हमारे प्रिय नेता डॉ. एमजीआर, पुरुच्ची थलाईवर के नाम पर करने का आग्रह करते हुए पत्र लिखा था। मैं जानना चाहता हूं कि क्या वे इस पर विचार कर रहे हैं?*...(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्रीमती सुषमा स्वराज (विदिशा) : संसदीय कार्य मंत्री जी ने अभी आपसे कहकर हाउस को छः बजे की बजाए नौ बजे तक करवाया। नौ बजे तक इस अंडरस्टैंडिंग पर हुआ कि आज हाउस फाइनली एडजर्न होगा। अगर नौ की बजाय साढ़े नौ, दस बजे तक भी काम करना पड़े, लेकिन आज काम खत्म करके ही हम एडजर्न करेंगे। अभी-अभी खबर मिली है कि सिक्युरिटी को सर्कुलर आया है कि कल हाउस बैठेगा। जगह-जगह से पता चल रहा है कि कल हाउस बैठेगा। इसलिए संसदीय कार्य मंत्री खड़े हों ओर हमें बताएं कि परिस्थिति क्या है? उन्होंने बाकायदा हमारे साथ समझ बनाकर यह कहा था कि चाहे कितनी भी लेट हो जाए, लेकिन आज हाउस साइने-डाई एडजर्न होगा। इसीलिए आपने छः बजे हाउस की सैंस ली, नौ बजे तक बढ़वाया और यह भी सोचा कि अगर साढ़े नौ बजे तक भी काम खत्म होगा तो हम आज साइने डाई एडजर्न करेंगे। लेकिन यह कनफ्यूजन कैसे पैदा हुआ है, पहले इसका क्लैरीफिकेशन करें, उसके बाद हम जवाब सुनेंगे।*...(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्री सुदीप बंदोपाध्याय (कोलकाता उत्तर) : हम भी इसका समर्थन करते हैं।*...(व्यवधान)*

श्री टी.आर बालू : महोदया, हम भी इससे संबद्ध होना चाहते हैं। *...(व्यवधान)*

---

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

[हिन्दी]

शहरी विकास मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्री (श्री कमल नाथ) : मैडम, यह बात सही है कि इस पर दिनभर सबके साथ चर्चा हुई थी और यह तय हुआ था। सुषमा जी ने यह बात नहीं बताई कि जो बिल हैं, आइटम नम्बर 19 तक...*(व्यवधान)*

श्रीमती सुषमा स्वराज : आपने चार बिलों के लिए कहा था और अभी दूसरा बिल चल रहा है।...*(व्यवधान)*

श्री कमल नाथ : अगर आइटम नम्बर 19 तक आज समाप्त हो जाएंगे तो हमें हाउस को साइने डाई करने में कोई एतराज नहीं है। ...*(व्यवधान)* यह बात तय हुई थी और मैं वही दोहरा रहा हूं।

श्रीमती सुषमा स्वराज : आपने चार बिल कहे और अब 18वां भी कह रहे हैं। हम 18वां भी कर लेंगे। लेकिन आपने चार बिलों के लिए कहा था और अभी दूसरा बिल चल रहा है।...*(व्यवधान)* बाकी दोनों बिल भी हो जाएंगे।...*(व्यवधान)*

श्री शैलेन्द्र कुमार (कौशाम्बी) **:** अभी आधे घंटे की चर्चा भी है।. ..*(व्यवधान)*

श्रीमती सुषमा स्वराज : मैनुअल स्कैवैंजिंग है और उसके बाद आरपी है।...*(व्यवधान)*

श्री कमल नाथ : मैं किसी बात से मुकरा नहीं हूं।...*(व्यवधान)* मैं बहुत स्पष्ट बात कह दूं।...*(व्यवधान)*

श्रीमती सुषमा स्वराज : कल हाउस नहीं बैठेगा, कल हम लोग नहीं हैं।...*(व्यवधान)*

श्री अनंत कुमार : मैडम, हाउस की सैंस लेनी पड़ेगी, अकेले पार्लियामैंट्री अफेयर्स मिनिस्टर और सरकार तय नहीं कर सकते। ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्री टी.आर बालू : इसे आज ही होना चाहिए। इस पर सहमति थी।...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

सभापति महोदया : इसे आज ही पूरा करना है।...*(व्यवधान)*

श्रीमती सुषमा स्वराज : आप इसे आज ही खत्म कीजिए।

...*(व्यवधान)*

सभापति महोदया : मुझे लगता है कि मंत्री जी ने यह कहा है कि इसके बाद दो बिल और पास करने हैं।

श्री कमल नाथ : तीन बिल हैं- स्कैवैंजर्स और दो रीप्रैजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट के हैं।...*(व्यवधान)*

***श्री जगदम्बिका पाल** (डुमरियागंज) : इस बिल के माध्यम से सिविल एविएशन के क्षेत्र में राजीव गांधी नेशनल एविएशन यूनिवर्सिटी की स्थापना विकास में मील का पत्थर साबित होगा। कुछ वर्षों के पहले पायलट के प्रशिक्षण के लिए विदेश जाना पड़ता था। इधर कुछ वर्षों से दुनिया के प्रतिस्पर्धा में भारत के सिविल एविएशन के क्षेत्र में अभूतपूर्व प्रगति की है। पहले केवल नेशनल कैरियर के रूप में एयर इंडिया एवं इंडियन एयरलाइन्स ही थी। लेकिन अब भारत में निजी क्षेत्र में अन्य एयरलाइन्स आने से दुनिया का काफी बड़ी संख्या में पर्यटकों को आकर्षित कर रहा है। पहले अपने देश में केवल अभिजात्य लोग ही हवाई सफर करते थे लेकिन अब आम आदमी भी हवाई यात्रा करने लगे हैं। यहां तक कि विद्यार्थी भी बड़ी संख्या में आजकल हवाईयात्रा कर रहे हैं। इस विश्वविद्यालय की स्थापना से हवाई क्षेत्र में पढ़ाई, प्रशिक्षण, शोध एवं अन्य कार्यों का केन्द्र बिंदु बनेगा। आज बढ़ती हुयी हवाई प्रशिक्षण में सुरक्षा एवं छात्रवृत्ति तथा एडवांस्ड टेकनोलोजी की व्यवस्था होगी। सिविल एविएशन के क्षत्र में गुणवत्तापरक विमानन अध्ययनों और अनुसंधान को बेहतर बनाने और उसका संवर्धन करने, विमानन नीति, विज्ञान और प्रौद्योगिकी, विमानन पर्यावरण, विमानन के रक्षा और सुरक्षा विनियमों के शासी क्षेत्र के प्रशिक्षण और अन्य संबंधित क्षेत्रों में उत्कृष्टता प्राप्त करने के लिए इस विश्वविद्यालय की स्थापना हो रही है। इस विश्वविद्यालय की फुरसतगंज रायबरेली में स्थापित करना उचित कदम होगा क्योंकि फुरसतगंज में पिछले बीस वर्षों से ऊपर राजीव गांधी उड्डयन प्रशिक्षण केन्द्र चल रहा है। वहां बड़ी संख्या में काफी वर्षों से पायलट निकल रहे हैं जो केवल देश में नहीं बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी उस प्रशिक्षण केन्द्र से निकल करने पायलट विदेशों में हवाई जहाज चला रहे हैं, इसलिए उस प्रशिक्षण केन्द्र को अब एक विश्वविद्यालय के रूप में स्थापित करने से अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में पायलट को तैयार करने की दिशा में एक अग्रणी केन्द्र बनेगा। और उस विश्वविद्यालय से उच्च कोटि के पायलट प्रशिक्षण प्राप्त करने तैयार होंगे। इस राष्ट्रीय विमानन विश्वविद्यालय की स्थापना फुरसतगंज में स्थापित होने से अंतर्राष्ट्रीय स्तर का मानक होगा।

इसी के साथ में माननीय मंत्री जी के द्वारा राजीव गांधी नेशनल एविएशन यूनिवर्सिटी 2013 का भरपूर समर्थन करता हूं।

[अनुवाद]

***डॉ. विनय कुमार पाण्डेय** (श्रावस्ती) : राजीव गांधी उड्डयन विश्वविद्यालय की फुर्सतगंज में स्थापना का समर्थन करते हुए कहना चाहूंगा

---

*भाषण सभा पटल पर रखा गया।

[डॉ. विनय कुमार पाण्डेय]

कि अभी जो भी माननीय अनंत कुमार जी ने कहा वह भाजपा की दोहरी मानसिकता का परिचायक है। मैं मानता हूं कि बेंगलुरु विकास में हिन्दुस्तान ही नहीं विश्व में अपना स्थान रखता है परंतु पूर्वी उत्तर प्रदेश, बिहार और झारखंड जैसे पिछड़े इलाके के विकास की महत्ती आवश्यकता है जिसे भाजपा नहीं करने देना चाहती। मैं माननीय मंत्री जी का यूपीए चेयरपर्सन माननीय सोनिया जी का आभारी हूं कि उन्होंने उत्तर प्रदेश के पिछड़ेपन को देखते हुए वहां के नौजवानों को उड्डयन में भी रोजगार का अवसर प्रदान किया है।

बुद्ध सर्किट से जुड़े अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन को इससे बढ़ावा मिलेगा। मेरे क्षेत्र श्रावस्ती के एयरपोर्ट को उच्चीकरण कर इस विश्वविद्यालय से जोड़कर उस क्षेत्र के नौजवानों एवं पर्यटन को भी और पल्लवित होने का अवसर प्रदान किया जाए।

[अनुवाद]

नागर विमानन मंत्री (श्री अजित सिंह) : सभापति महोदया, मैं उन सभी सदस्यों का धन्यवाद करना चाहूंगा जिन्होंने इस चर्चा में भाग लिया। मुझे पता है कि नागर विमानन एक ऐसा क्षेत्र है जहां कई ऐसे मुद्दे हैं जिन पर लोग चर्चा करना चाहते हैं। यद्यपि, यह चर्चा विश्वविद्यालय की स्थापना के बारे में थी परंतु कुछ अन्य मुद्दे भी उठाए गए हैं। मैं जानता हूं, कई सदस्य कई अन्य मुद्दे उठाना चाहते हैं। परंतु मैं सदस्यों का धन्यवाद करना चाहूंगा क्योंकि कम या ज्यादा वे विश्वविद्यालय के मुद्दे से ही जुड़े रहे।

सबसे पहले, मैं कहना चाहूंगा कि श्री अनंत कुमार मेरे पुराने मित्र और पूर्ववर्ती नागर विमानन मंत्री, ने उल्लेख किया था कि यह विधेयक जल्दबाजी में लाया गया है। मैं इस बात का उल्लेख करना चाहूंगा कि वर्ष 2006 में, काव समिति ने सिफारिश की थी कि एक नागर विमानन विश्वविद्यालय स्थापित होना चाहिए; बारहवें योजना आयोग ने भी ऐसा उल्लेख किया था। हमने ऐसे ही इसे स्थापित नहीं किया; हमने विश्व प्रसिद्ध परामर्शदाता केपीएमजी की सेवाएं लीं। यह एक विश्व स्तरीय परामर्शदाता कंपनी है और उसने जांच किया और पाया कि फुरसतगंज में सभी आवश्यक अवसंरचना उपलब्ध है। वहां आईजीआरयूए भी है जो एक सर्वोत्कृष्ट पायलट प्रशिक्षण संस्थान का संचालन करता है और वहां एक विमानपत्तन भी है।

अत:, पहली बात यह है कि इसे जल्दबाजी में नहीं लाया गया, एक प्रबंधन परामर्शदाता की सेवाएं ली गईं और फुरसतगंज में सभी अवसंरचना है। मैं अन्य स्थानों की मांग को समझ सकता हूं कि वहां भी ऐसा विश्वविद्यालय स्थापित होना चाहिए। मैं बताना चाहूंगा कि यह इस तरह के कई विश्वविद्यालयों में शायद पहला विश्वविद्यालय है जिसे स्थापित करना है।

दूसरी बात यह है कि श्री अनंत कुमार जी बहुत ही चिंतित थे कि हमने यह विधेयक क्यों लाया और नागर विमानन अधिकरण विधेयक को नजरअंदाज कर दिया? सबसे पहले मैं कहना चाहूंगा कि इन दो विधेयकों में कुछ भी एक समान नहीं है कि इसे पहले होना चाहिए और उसे बाद में आना चाहिए। नागर विमानन अधिकरण विधेयक डीजीसीए को प्रतिस्थापित करता है और इसे और अधिक वित्तीय संचालन स्वायत्तता देता है। बस इतनी सी बात है। वह कार्य पहले से ही डीजीसीए द्वारा किया जा रहा है। अत:, एक विश्वविद्यालय की स्थापना से कोई समस्या नहीं उत्पन्न होती है कि वह विधेयक क्यों नहीं लाया गया या इस विधेयक को अब क्यों लाया जा रहा है! इनमें कोई संबंध नहीं है। यह विधेयक पुर:स्थापित हुआ था और हमने आपसे भी निवेदन किया था कि स्थायी समिति ने पहले ही इस विधेयक की सिफारिश कर दी थी और इसे स्थायी समिति के पास पुन: भेजने की कोई आवश्यकता नहीं है। परंतु, जैसा कि आपने आग्रह किया था कि इसे स्थायी समिति के पास भेजा जाना चाहिये, अत: इसे स्थायी समिति के पास भेज दिया गया है।

एक और बात है कि फुरसतगंज एक पिछड़ा क्षेत्र है और बंगलुरु एक विकसित क्षेत्र है। मैं सहमत हूं कि बेंगलुरु एक बहुत विकसित क्षेत्र है। मैं एक स्कूल, आईआईटी खड़गपुर गया था, जिस समय आईआईटी, खड़गपुर की एक ऐसी इमारत में स्थापित हुआ था जो पहले एक जेल थी और आप जानते हैं कि आज इस पूरे शहर और आईआईटी का क्या हुआ है? अत: कृपया यह मत कहिए कि फुरसतगंज एक पिछड़ा क्षेत्र है, इसलिए वहां कोई उत्कृष्ट विश्वविद्यालय स्थापित मत कीजिए।

अब मैं उस चिन्ता का जिक्र करूंगा जो कई सदस्यों ने - मेरे मित्र प्रोफेसर सौगत राय और मेरे पुराने मित्र श्री शरद यादव - ने व्यक्त की है कि भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण द्वारा निर्मित इस विमानपत्तनों का हम निजीकरण कर रहे हैं। मैं स्पष्ट रूप से कहना चाहूंगा कि इन सभी विमानपत्तनों का स्वामित्व भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण के पास ही बना रहेगा। हम उनका निजीकरण नहीं कर रहे हैं। हम विमानपत्तनों का निजीकरण नहीं कर रहे हैं। यह प्रबंधन संचालन और भावी विकास - हो सकता है कि पांच वर्ष के पश्चात वे एक टर्मिनल बनाना चाहें या कुछ विस्तार करना चाहें - पीपीपी मोड के माध्यम से किया जा रहा है परंतु भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण द्वारा निर्मित विमानपत्तनों को निजी हाथों में सौंपने नहीं जा रहे हैं।...*(व्यवधान)*

प्रो. सौगत राय (दमदम) : भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण के कर्मचारियों का क्या होगा? क्या उन्हें बाहर निकाल दिया जायेगा? यह बहुत ही महत्वपूर्ण है।...*(व्यवधान)*

सभापति महोदया : कृपया कोई सवाल-जवाब नहीं करें।

...(व्यवधान)

श्री अजित सिंह : अब, श्री बालू जी ने ग्रीनफील्ड विमानपत्तन के बारे में कुछ प्रश्न पूछा है। हमने अभी तक वहां पर भूमि का अधिग्रहण नहीं किया है। यह प्रक्रिया में है। वहां अधिसूचित क्षेत्र है परंतु सरकार को यह अभी तक प्राप्त नहीं हुआ है। सरकार ने अभी केवल अधिसूचना जारी की है। सरकार का इरादा वहां पर एक दूसरा विमानपत्तन बनाने का है। वास्तव में, आपने उस पीपीपी का उल्लेख किया होगा कि यह विमानपत्तन बनाया जा रहा है, और चेन्नई विमानपत्तन के लिए बोली के दौरान हम उसे ध्यान में रखेंगे।

दूसरी बात नामकरण के संबंध में है। किसी विमानपत्तन के नामकरण के लिए, एक सुस्थापित प्रक्रिया है। हमें राज्य से, विधायिका से सर्वसम्मत सिफारिश की आवश्यकता होती है और उसके बाद मंत्रिमंडल इस पर विचार करता है। अत: मदुरई के लिए, आप कुछ भेजिए।*...(व्यवधान)*

श्री टी.आर. बालू : महोदया, मैं एक परिसर, एक परिसर का नाम श्री राजीव गांधी के नाम पर रखना चाहता हूं।*...(व्यवधान)*

सभापति महोदया : नहीं, यह एक सवाल-जबाव का सत्र नहीं है। मुझे खेद है। कुछ भी कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं होगा। केवल माननीय मंत्री जी का भाषण ही कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित किया जायेगा।

*(व्यवधान)...**

श्री टी.आर. बालू : मैं श्रीपेरुम्बुदूर निर्वाचन क्षेत्र में एक परिसर का नामकरण श्री राजीव गांधी की स्मृति में चाहता हूं*...(व्यवधान)*

सभापति महोदया : यह प्रश्न काल नहीं है। जी नहीं, ऐसा नहीं हो सकता।

...(व्यवधान)

श्री अजित सिंह : सभापति महोदया, मेरे मित्र श्री बालू जी को पता है कि वे जिसका आग्रह करते हैं हम उसको ऐसे ही मना नहीं करते हैं। *...(व्यवधान)*

श्री टी.आर. बालू : मैं माननीय मंत्री जी की बात को समझा नहीं। *...(व्यवधान)*

श्री अजित सिंह : मैंने कहा, मेरे मित्र बालू जी को पता है कि वे जिस चीज के लिए आग्रह करते हैं हम उसको मना नहीं करते हैं। *...(व्यवधान)*

सभापति महोदया : मंत्री महोदय, आप पीठ को संबोधित करें।

...(व्यवधान)

श्री अजित सिंह : अत:, हम परिसर की स्थापना के बारे में निश्चित रूप से ध्यान देंगे।*...(व्यवधान)*

श्री टी.आर. बालू : इसका अर्थ है कि आप श्रीपेरुम्बुदूर में परिपसर की स्थापना के बारे में आश्वासन दे रहे हैं*...(व्यवधान)*

श्री अजित सिंह : हम निश्चित रूप से इसके बारे में सोचेंगे।*...(व्यवधान)*

श्री टी.आर. बालू : माननीय मंत्री जी ने हमें आश्वासन दिया है। *...(व्यवधान)*

सभापति महोदया : यह उचित नहीं है, श्री बालू जी। कृपया बैठ जाइए।

...(व्यवधान)

श्री टी.आर. बालू : माननीय मंत्री जी, आपने हमें एक परिसर की स्थापना का आश्वासन दिया है*...(व्यवधान)*

श्री अजित सिंह : श्री बालू, मैं कह रहा हूं कि मैं आपके अनुरोध को काफी गंभीरता से ले रहा हूं और मैं निश्चित रूप से उसपर गौर करूंगा *...(व्यवधान)*

श्री टी.आर. बालू : मंत्री जी, आपके लिए एक पर्ची है*...(व्यवधान)*

सभापति महोदया : यह कोई तरीका नहीं है।

...(व्यवधान)

डॉ. एम. तम्बिदुरई (करुर) : नए टर्मिनल का नाम करण एमजीआर के नाम पर रखने के तमिलनाडु विधानसभा के संकल्प का क्या हुआ? *...(व्यवधान)*

श्री अजित सिंह : महोदया, विमानपत्तनों के लिए कई अनुरोध आए हैं और उनमें से कई स्थानों पर विमानपत्तन होने चाहिए, मैं यह कहना चाहता हूं कि*...(व्यवधान)* विमानपत्तन प्राधिकरण अगले कुछ वर्षों में 50 छोटे विमानपत्तन बनाएगा। मुझे आशा है कि उस समय अनेक अनुरोध पूरे हो जाएंगे।*...(व्यवधान)* उत्तर प्रदेश से मेरे मित्र श्री शैलेन्द्र कुमार *...(व्यवधान)*

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

डॉ. एम. तम्बिदुरई : महोदय, आपने मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं दिया है। यहां पर प्रक्रिया का पालन किया गया है...*(व्यवधान)* नए टर्मिनल का नामकरण एमजीआर के नाम पर करने में क्या आपत्ति है?... *(व्यवधान)*

श्री अजित सिंह : एक प्रक्रिया है...*(व्यवधान)*, सभापति महोदया, मैं माननीय सदस्य को पहले बता चुका हूं। मैं उन्हें व्यक्तिगत तौर पर भी बता चुका हूं। मैं उन्हें फिर से बताना चाहता हूं। मैं यहां यह कहना चाहता हूं कि यह प्रश्न वर्तमान टर्मिनल का नाम बदलने के बारे में है और इसलिए आपको ऐसी अनेक चीजों के बारे में देखना होगा... *(व्यवधान)*

सभापति महोदया : डॉ. तम्बिदुरई जी, कृपया बैठ जाइए।

मंत्री जी, आप बोलिए।

श्री अजित सिंह : मेरे एक मित्र भदोही में एक विमानपत्तन चाहते हैं...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री मुलायम सिंह यादव (मैनपुरी) **:** सैंफई में हवाई अड्डा का क्या करेंगे?

श्री अजित सिंह : उत्तर प्रदेश में हवाई अड्डों की बहुत कमी है। वहां एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के केवल दो एयरपोर्ट हैं।...*(व्यवधान)* श्री मुलायम सिंह जी से भी बात हो चुकी है। प्रदेश सरकार से भी बात हुई है।...*(व्यवधान)* हम वहां पर 10 नये एयरपोर्ट्स या जो डिफेंस के एयरपोर्ट्स हैं, उनमें टर्मिनल बनाने के लिए मुख्यमंत्री जी को लिख चुके हैं।...*(व्यवधान)* राज्य सरकार के जो चार एयरपोर्ट्स हैं, उसे आप एयरपोर्ट्स अथॉरिटी को देने को तैयार हैं, हम सहर्ष उसे स्वीकार करेंगे और उनको डेवलप भी करेंगे।...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

सभापति महोदया, मैं, सभा से यह विधेयक पारित करने का अनुरोध करता हूं।

...(व्यवधान)

सभापति महोदया : प्रश्न यह है:

"कि विमानन अध्ययनों और अनुसंधान को सुकर बनाने और उसका संवर्धन करने, विमानन प्रबंध, नीति, विज्ञान और प्रौद्योगिकी, विमानन पर्यावरण, विमानन के रक्षा और सुरक्षा विनियमों के शासी क्षेत्रों में प्रशिक्षण और अन्य संबंधित क्षेत्रों में उत्कृष्टता प्राप्त करने के लिए, विमानन क्षेत्र की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए, क्वालिटी मानव संसाधनों को उत्पन्न करने के लिए, राष्ट्रीय विमानन विश्वविद्यालय की स्थापना और निगमन के लिए उससे संबंधित और उसके आनुषंगिक विषयों का उपबंध करने वाले विधेयक पर विचार किया जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

...(व्यवधान)

सायं 6.43 बजे

इस समय, श्री पी. कुमार और कुछ अन्य माननीय सदस्य आगे आकर सभा पटल के निकट खड़े हो गए।

सभापति महोदय : कृपया अपनी-अपनी सीट पर वापस जाएं।

...(व्यवधान)

श्री अजित सिंह : महोदया, मैं डॉ. तम्बिदुरई और अन्य सहयोगियों से यह अनुरोध करता हूं कि मैं आपसे यह चर्चा करूंगा कि हम टर्मिनल का नाम कैसे रख सकते हैं और क्या किया जा सकता है...*(व्यवधान)*

डॉ. एम. तम्बिदुरई : मुख्यमंत्री इस संबंध में पहले ही पत्र लिख चुके हैं...*(व्यवधान)*

श्री अजित सिंह : कृपया आइए और हम चर्चा करेंगे कि हम टर्मिनल का नाम कैसे रख सकते हैं...*(व्यवधान)* यह काम सभा में नहीं किया जा सकता है। प्रस्ताव कैबिनेट को भेजना पड़ता है और कैबिनेट इस पर विचार करता है...*(व्यवधान)*

सभापति महोदया : कृपया आप अपने स्थान पर वापस जाइए।

...(व्यवधान)

श्री अजित सिंह : डॉ. तम्बिदुरई काफी अच्छे व्यक्ति हैं। मैं अपने अनुभव के आधार पर यह कह रहा हूं। वे काफी अच्छे व्यक्ति हैं। मैं उनके साथ चर्चा करूंगा और फिर इस पर विचार करूंगा... *(व्यवधान)*

डॉ. एम. तम्बिदुरई : मैं कोई चर्चा नहीं करना चाहता हूं... *(व्यवधान)* यह सर्वविदित है कि हमारी मुख्यमंत्री ने प्रक्रिया का पालन किया है और एक पत्र लिखा है...*(व्यवधान)*

श्री अजित सिंह : मैं इस पर सहानुभूतिपूर्वक विचार करूंगा... *(व्यवधान)*

सायं 6.44 बजे

इस समय श्री पी. कुमार और कुछ अन्य माननीय सदस्य अपने अपने स्थान पर वापस चले गए।

सभापति महोदया : अब सभा विधेयक पर खंडवार विचार करेगी।

प्रश्न यह है:

"कि खंड 2 से 48 विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड 2 से 48 विधेयक में जोड़ दिए गए।

खंड 1, अधिनियमन सूत्र तथा विधेयक का पूरा नाम विधेयक में जोड़ दिये गये।

सभापति महोदया : अब मंत्री जी यह प्रस्ताव करेंगे कि विधेयक पारित किया जाए।

श्री अजित सिंह : महोदया, मैं प्रस्ताव करता हूं:

"कि विधेयक पारित किया जाए।"

सभापति महोदया : प्रश्न यह है:

"कि विधेयक पारित किया जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

सायं 6.45 बजे

राज्य सभा से संदेश

[अनुवाद]

महासचिव : महोदया, मुझे राज्यसभा के महासचिव से प्राप्त निम्नलिखित संदेश की सूचना देनी है:–

"राज्य सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमों के नियम 127 के उपबंधों के अनुसरण में, मुझे लोक सभा को यह बताने का निदेश हुआ है कि राज्यसभा 6 सितंबर, 2013 को हुई अपनी बैठक में लोकसभा द्वारा 4 सितंबर, 2013 को हुई अपनी बैठक में पारित पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण विधेयक, 2013 से बिना किसी संशोधन के सहमत हुई।"

सायं 6.46 बजे

हाथ से मैला उठाने वाले कर्मियों के नियोजन का प्रतिषेध और उनका पुनर्वास विधेयक, 2012

[अनुवाद]

सभापति महोदया : अब, सभा मद संख्या 17 पर विचार करेगी। माननीय मंत्री बोलेंगे।

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री (कुमारी सैलजा) : सभापति महोदया, मैं प्रस्ताव* करती हूं।

''कि हाथ से मैला उठाने वाले कर्मियों के रूप में नियोजन के प्रतिषेध, हाथ से मैला उठाने वाले कर्मियों और उनके कुटुंबों के पुनर्वास तथा उससे संबंधित या उसके आनुषंगिक विषयों का उपबंध करने वाले विधेयक पर विचार किया जाए।"

मैं विधेयक में संशोधन भी प्रस्तुत करती हूं जिसके लिए मैंने पहले ही महासचिव, लोक सभा को सूचना दे दी है।

महोदया, हाथ से मेला उठाने वाले कर्मियों के नियोजन का प्रतिषेध और उनका पुनर्वास विधेयक, 2012 लोक सभा में 3.9.2012 को पुर:स्थापित किया गया था। विधेयक को माननीय लोक सभा अध्यक्ष द्वारा 9.9.2012 की परीक्षण और प्रतिवेदन हेतु विभागों से संबद्ध स्थायी समिति के पास भेजा गया था। समिति ने 4.3.2013 को अपना प्रतिवेदन सभा-पटल पर रखा था। ध्यानपूर्वक विचार करने के पश्चात विधेयक में कुछ संशोधन करना उचित समझा गया।

सायं 6.47 बजे

[**डॉ. एम. तम्बिदुरई** *पीठासीन हुए*]

[हिन्दी]

श्री शैलेन्द्र कुमार (कौशाम्बी) : सभापति महोदया, हमें आश्वासन दिया गया था।...*(व्यवधान)* किसानों की समस्या पर बात नहीं हो रही है।...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

सभापति महोदय : माननीय मंत्री जवाब दे रही हैं। उन्हें अपना भाषण पूरा करने दीजिए। उसके बाद इसे उठा सकते हैं।

कुमारी सैलजा : शुष्क शौचालयों और हाथ से मैला उठाने के कार्य को समाप्त करना और हाथ से मैला उठाने वाले कर्मियों का वैकल्पिक व्यवसायों में पुनर्वास हमारी सरकार के लिए उच्च प्राथमिकता वाला क्षेत्र

*राष्ट्रपति की सिफारिश से प्रस्तुत।

[कुमारी सैलजा]

रहा है। विगत में हाथ से मैला उठाने की अमानवीय प्रथा को समाप्त करने के लिए किए गए ठोस प्रयासों के बावजूद यह प्रथा देश के विभिन्न भागों में अभी भी कायम है।

अस्वच्छ शौचालयों और हाथ से मैला उठाने की दोहरी बुराइयों को समाप्त करने में वर्तमान कानून पर्याप्त नहीं रहे हैं। ये बुराइयां गरिमापूर्ण जीवन जीने के अधिकार, जो हमारे संविधान के भाग-तीन में प्रदत्त मूल अधिकारों की आत्मा है, के खिलाफ हैं।

यह भी महसूस किया जाता है कि वर्तमान कानून इन कुरीतियों को समाप्त करने के लिए पर्याप्त रूप से कठोर नहीं है। उपर्युक्त के मद्देनजर, अस्वच्छ शौचालयों और हाथ से मैला उठाने वाले कर्मियों के नियोजन के प्रतिषेघ, हाथ से मैला उठाने वाले कर्मियों और उनके कुटुम्बों के पुनर्वास और प्रौद्योगिकी का प्रयोग करके सीवर और सैप्टिक टैंकों की हाथ से खतरनाक सफाई को बंद करने और उससे संबंधित मामलों के लिए व्यापक और कठोरतम उपबंध करने की आवश्यकता है।

हाथ से मैला उठाने के कार्य और अस्वच्छ शौचालयों को समाप्त करने के विचार से और हाथ से मैला उठाने वाले कर्मियों के पुनर्वास का उपबंध करने के लिए विधेयक के उपबंधों में एक बहुआयामी रणनीति तैयार की गई है जिसमें विधायी और कार्यक्रम संबंधी हस्तक्षेप शामिल हैं।

महोदय, मैं सभी दलों के माननीय सदस्यों और इस सभा के सभी सदस्यों से अनुरोध करती हूं कि इस विधेयक का समर्थन करें क्योंकि मैं जानती हूं कि वे इस विषय के बारे में अच्छी तरह समझते हैं। मैं जानती हूं कि हमारे पास बहुत सीमित समय है। किंतु मुझे आशा है कि माननीय सदस्य इसे समझेंगे; और अपने हस्तक्षेप और भाषण यथासंभव छोटे रखने का प्रयास करेंगे और सभी उचित बातें जो रखना चाहते हैं उन्हें रखेंगे।

सभापति महोदय : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ:

"कि हाथ से मैला उठाने वाले कर्मियों के रूप में नियोजन के प्रतिषेध, हाथ से मैला उठाने वाले कर्मियों और उनके कुटुंबों के पुनर्वास तथा उससे संबंधित या उसके आनुषंगिक विषयों का उपबंध करने वाले विधेयक पर विचार किया जाए।"

...(व्यवधान)

सभापति महोदय : मैं माननीय सदस्यों से अनुरोध करता हूं कि अपना भाषण बहुत संक्षेप में दें क्योंकि हमारे पास समया भाव है।

श्री यशवंत सिन्हा (हजारीबाग) : महोदय, यदि सभा सहमत हो तो इस विधेयक को चर्चा के बिना पारित करें।

सभापति महोदय : आप देखिये, कुछ माननीय सदस्यों ने पहले ही बोलने के लिए अपने अनुरोध भेज दिए हैं।

...(व्यवधान)

सभापति महोदय : जो अपने भाषण लिखित में सभा-पटल पर रखना चाहते हैं वे उन्हें सभा-पटल पर रख सकते हैं; और उन्हें रखा हुआ माना जाएगा।

...(व्यवधान)

सभापति महोदय : यदि फिर भी सदस्य बोलना चाहते हैं तो उन्हें एक मिनट के लिए संक्षेप में बोलने दें और उन्हें ज्यादा समय मत लेने दें।

अब, श्री अर्जुन राम मेघवाल बोलेंगे।

...(व्यवधान)

सभापति महोदय : यदि कोई बात कहनी है तो सदस्य संक्षेप में ही कहें।

...(व्यवधान)

सभापति महोदय : वह खड़े हुए हैं। श्री मेघवाल खड़े हुए हैं।

[हिन्दी]

श्री अर्जुन राम मेघवाल (बीकानेर) : सभापति जी, मैं प्रोहिबिशन ऑफ एम्प्लायमेंट एज़ मैनुअल स्क्वेंजर्स एंड देयर रिहेब्लिटेशन बिल, 2012 के संबंध में खड़ा हुआ हूं। इस सदन में मेरे द्वारा कई बार इस मुद्दे पर चर्चा की गई है। मेरे द्वारा इस सदन में ध्यानाकर्षण भी लाया गया था। उस समय इस बारे में मुझे यह विश्वास दिलाया गया था कि हम जल्द ही इसका सर्वे कराएंगे कि देश में कितने लोग मैला ढोने वाले हैं और उनके लिए कोई रिहेब्लिटेशन पैकेज लाएंगे। इसी सिलसिले में इस बिल को यहां पेश किया गया है और इसमें चार उद्देश्य बताए गए हैं, ड्राई लेटरिन पर रोक लगाना और वर्तमान में ड्राई लेटरिन अगर है तो उसे हटाना, हाथ से मैला उठाने पर प्रतिबंध लगाना, उनका पुनर्वास करना और उनके लिए नए जॉब ढूंढना। एक और है, जो संविधान की धारा 21 में है जिसमें यह अंकित है कि राइट टू लिव विद डिग्निटी को बढ़ावा देना।

मैं मंत्री जी को धन्यवाद देता हूं कि समाज के सबसे नीचे पायदान पर जो तबका है, जिसे समाज में सफाई कर्मचारी के नाम से जाना जाता है, वाल्मीकि के नाम से जाना जाता है, उसके लिए वह बिल लेकर आई

हैं। इसके द्वारा मैला ढोने वाली गतिविधियों पर पूर्णरूप से प्रतिबंध लगाने की बात है और उनके पुनर्वास की व्यवस्था की गई है। इसके लिए मैं मंत्री जी को बहुत-बहुत धन्यवाद देता हूं।

प्रधान मंत्री जी ने जून 2011 में सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रियों का सम्मेलन बुलाया था। उसमें उन्होंने कहा था कि हम छह महीने में मैला ढोने की प्रथा को समाप्त कर देंगे। चूंकि समय कम है इसलिए मैं संक्षेप में ही अपनी बात कहूंगा, वैसे मैं इसके लिए सदन में पूरी तैयारी से आया हूं। प्रधान मंत्री जी ने जब सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रियों के सम्मेलन में यह कहा था कि हम छह महीने के अंदर इस प्रथा को समाप्त कर देंगे। फिर भी यह प्रथा समाप्त नहीं होती है तो इस बिल के आने के बावजूद भी, 1993 में भी बिल आया, लेकिन आपका रिहेब्लिटेशन पैकेज ठीक नहीं था इसलिए यह काम नहीं हो पाया।

मैं इस बारे में इतना कहना चाहता हूं कि कुछ अच्छे एनजीओज़ देश में हैं, जो इस दिशा में काम कर रहे हैं। मैं राजस्थान से आता हूं, वहां पर अलवर में एक एनजीओ सुलभ है, जिसके प्रभारी बिंदेश्वर पाठक जी हैं। उन्होंने इस दिशा में बहुत अच्छा काम किया है। लेकिन आपने इस मामले में एनजीओज़ को ज्यादा इन्वॉल्वमेंट में नहीं लिया। मेरा कहना है कि हाथ से मैला ढोने वाली महिलाओं का काम इस एनजीओ ने छुड़वाया अलवर में और इसके बदले उन्हें टेलरिंग, पापड़ बनाने जैसे कामों में प्रशिक्षित करके उन्हें संयुक्त राष्ट्र संघ में भी विजिट कराया। ये महिलाएं रैम्प पर भी चलीं। अलवर की ये महिलाएं कभी मैला ढोती थीं, मानव मल-मूत्र उठाती थीं, तो लोग रोटी मांगने पर ऊपर से रोटी गिराते थे। मैं यह शब्द यूज कर रहा हूं कि 'रोटी ऊपर से गिराते थे।' अब यही महिलाएं खाद्य सामग्री बनाती हैं और सामान्य वर्ग में वितरित भी करती हैं। ऐसा परिवर्तन कर्त्तव्य के साथ समर्पण और सेवा की भावना से ही आ सकता है। यह काम सुलभ काम्प्लेक्स से बिंदेश्वर पाठक जी ने करके दिखाया है। ये महिलाएं लोक सभा में प्रति पक्ष की हमारी नेता सुषमा स्वराज जी से भी मिली थीं और अध्यक्ष महोदया मीरा कुमार जी से भी मिल चुकी हैं।

सभापति जी, मैं एक बात और कहना चाहूंगा। यह समाज के सबसे निचले तबके के लोगों के कल्याण का मामला है। आप रिहेब्लिटेशन की व्यवस्था करेंगे। आज देश में हाउसिंह की इनके लिए बहुत बड़ी प्राब्लम है। अगर इस बिल द्वारा शहरों में और गांवों में जहां ये लोग रहते हैं, हुडको के माध्यम से हाउसिंग की व्यवस्था नहीं करेंगे, तो इस बिल का उद्देश्य पूरा नहीं होगा। आप इनकी तकदीर सुधारना चाहते हैं, लेकिन ये सेप्टिक टैंक में बिना किसी उपकरण के अंदर घुसते हैं। इनका यह बहादुरी का काम है। ये सफाईकर्मी हैं, इन्हें हेय दृष्टि से नहीं देखा जाना चाहिए, इनका माइंडसेट भी चेंज होना चाहिए।

इनका अंदाज़ ही निराला है कि इन्होंने हर गम को खुशी में ढाला है,
इनका अंदाज़ ही निराला है, लोग जिन हादसों से डरते हैं,
उन हादसों ने इन्हें पाला है।

सभापति जी, मैं मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि इस बिल के माध्यम से इन लोगों की तकदीर सुधारिए। आप अच्छा बिल लाई हैं और हम इसका समर्थन करते हैं।

***श्री सतपाल महाराज** (गढ़वाल) : आज इतने प्रगति के दौर में भी जब पूरे विश्व में आधुनिक तकनीक का प्रयोग कर सफाई की जा रही है परंतु तकनीकी क्रांति के इस युग में भी हमारे कर्मी आज भी मैला उठा रहे हैं।

आए दिन समाचार पत्रों में प्रकाशित होता रहता है कि फलां गटर को साफ करते हुए तीन आदमी बेहोश हो गए, जिसमें से अस्पताल तक ले जाते हुए एक की मृत्यु हो गई। हमारे देश में आज भी हजारों कर्मी बिना किसी सुविधा के सीवर, मैन होल, सेप्टिक टैंक की सफाई के लिए उसके अंदर उतर जाते हैं और जहरीली गैस व दम घुटने के कारण मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं।

हमारा प्रयास होना चाहिए अपने कार्मिकों को आधुनिक सुविधाएं उपलब्ध करवाई जाएं। उनको नई तकनीकी से कार्य करना सिखाया जाए, आधुनिक उपकरण उपलब्ध करवाए जाएं जिससे कार्य करते हुए उन्हें किसी प्रकार का खतरा न रहे। उनके जीवन को सुरक्षित बनाने व उनके कार्य को सरल करने के लिए विश्व में प्रचलित उपकरणों को खरीदकर उन्हें उपलब्ध करवाया जाए।

हाथ से मैला उठाने के कार्य को रोकने के लिए जिला प्रशासन, नगर पालिका/नगर निगम तथा ग्राम पंचायतों की जिम्मेदारी तय की जानी चाहिए। विफल रहने पर जुर्माने तथा दंड का प्रावधान होना चाहिए।

अंत में मैं अपनी बात समाप्त करता हूं तथा मैं विधेयक का समर्थन करता हूं।

[अनुवाद]

***श्री भर्तृहरि महताब** (कटक) : यह विधेयक जो आज लोक सभा में हमारे समक्ष है और जिसका उद्देश्य हाथ से मैला उठाने की प्रथा को समाप्त करना और हाथ से मैला उठाने वालों का पुनर्वास करना है, इस अमानवीय और शर्मनाक प्रथा को समाप्त करने की दिशा में एक अन्य विधायी प्रयास है। परंतु, देश में इस प्रथा के जारी रहने का कारण कानून का न होना नहीं है। उच्चतम न्यायालय ने इस संबंध में अनेक बार सरकार

*भाषण सभा पटल पर रखा गया।

[श्री भर्तृहरि महताब]

की भर्त्सना की है। देश में ऐसे लाखों शुष्क शौचालय हैं जिनकी सफाई हाथ से मैला साफ करने वाले लोग करते हैं। देश के अनेक भागों में सैप्टिक टैंकों और सीवरों की सफाई भी हाथ से की जाती है। केवल प्रतिबंध लगा देने से इस प्रथा को समाप्त नहीं किया जा सकता। हाथ से मैला उठाने वाले लोगों को इस कार्य में लगाने के लिए सरकारी निकाय, निगम और पंचायतें भी दोषी हैं। इस आपराधिक कृत्य में रेलवे की बहुत बड़ी भूमिका है और इस बात में संदेह है कि निकट भविष्य में इस देशव्यापी प्रथा पर रोक लगाई जा सकेगी। यद्यपि, इस विधेयक में इस अपराध को गैर-जमानती बनाया गया है और अपराधियों पर संक्षिप्त मुकदमा चलाने का प्रावधान किया गया है परंतु, अधिकारियों को उनके अपराध के लिए जवाबदेह बनाने हेतु सरकार की इच्छा शक्ति होनी चाहिए।

इस संबंध में संसद द्वारा 1993 में पारित किया गया कानून एक दिखावा मात्र है। यह कानून लागू होने के बाद दो दशकों का समय बीत जाने पर भी इस कानून के अंतर्गत अभी तक एक भी व्यक्ति को अपराधी सिद्ध नहीं किया गया है। ऐसी स्थिति में क्या नया कानून प्रभावी सिद्ध होगा? वर्तमान कानून की संकल्पना भ्रामक थी और न्याय, समानता और सम्मानपूर्वक जीवन यापन की गारंटी के बजाय इसका एकमात्र उद्देश्य सार्वजनिक स्वास्थ्य और स्वच्छता समस्या का समाधान करना था। यह कानून संविधान की राज्य सूची के अंतर्गत बनाया गया था। इसे विभिन्न राज्य सरकारों द्वारा स्वीकार और लागू करना था। 2011 की दसवार्षिक जनगणना के निष्कर्षों से यह पता चला है कि देश में लगभग 2.6 मिलियन अस्वच्छ शौचालय हैं।

इस विधेयक में समवर्ती सूची की प्रविष्टि 24 (श्रमिकों का कल्याण और कार्य स्थितियां) के अंतर्गत हाथ से मैला उठाने की प्रथा पर ध्यान दिया गया है। यद्यपि, यह वर्तमान कानून में एक सुधार करने का प्रयास है परंतु, मुख्य मुद्दा ऐसी घृणित अमानवीय और अन्यायपूर्ण प्रथा को पहचानना है। सरकार को इस अतिमहत्वपूर्ण संशोधन को सम्मिलित करना चाहिए। देश के सबसे बड़े एकल नियोक्ता, भारतीय रेल ने दशकों से इस जाति-आधारित प्रथा को कायम रखने में अपनी भूमिका निभाई है। प्रतिवर्ष लगभग 8.4 बिलियन फेरों और 3000 अतिरिक्त कोचों की व्यवस्था करने के साथ, रेलगाड़ियों को मल अपशिष्ट प्रबंधन प्रणाली से सुसज्जित करना रेलवे की क्षमता से अधिक का कार्य नहीं होना चाहिए। मैं यहां यह उल्लेख करना चाहता हूं कि इस विधेयक में जोखिमपूर्ण तरीके से सीवरों और सैप्टिक टैंकों की सफाई हेतु व्यक्तियों के नियुक्त करने पर प्रतिबंध लगाने वाले खंड के महत्व को कम किया गया है। इसमें चयनित आधार पर यह विहित किया गया है कि 'सुरक्षा उपकरण' की सहायता से मल का निपटान करने वाले व्यक्ति को हाथ से मैला उठाने वाला नहीं माना जाएगा।

यदि 'सुरक्षा उपकरण' एक परोक्ष तकनीक के रूप में जोखिमपूर्ण सफाई हेतु व्यक्तियों के रोजगार बनाए रखने, में सहायक होते हैं तो यह एक तमाचा है। आज़ादी के 66 वर्षों के बाद, दलित समुदाय के लगभग 1.3 मिलियन लोग पूरे देश में रेलवे, सेना, नगरपालिकाओं और निजी घरों में हाथ से मैला उठाने के रोजगार में लगे हुए हैं।

हाथ से मैला उठाने की प्रथा अजा और अजजा अत्याचार निवारण अधिनियम, 1989 के अतिरिक्त संविधान के अनुच्छेद 14 (कानून के समक्ष समानता) अनुच्छेद 17 (अस्पृश्यता का उन्मूलन) अनुच्छेद 21 (जीने का अधिकार) और अनुच्छेद 23 (शोषण के विरुद्ध अधिकार की भावना के विपरीत है। डा. बी.आर अंबेडकर ने कहा था "भारत में कोई व्यक्ति अपने कार्य के कारण हाथ से मैला उठाने वाला सफाई कर्मी नहीं है बल्कि उसे अपने जन्म के आधार पर हाथ से मैला उठाने वाला व्यक्ति माना जाता है चाहे वह यह कार्य करता हो या नहीं। राज्य के नीति निर्देशक तत्व सरकार को हाथ से मैला उठाने की प्रथा पर रोक लगाने का अधिदेश देते हैं। परंतु न तो केन्द्र सरकार ने और न ही राज्य सरकारों ने इस संबंध में समुचित कानून बनाने में कोई गंभीरता दिखाई है। कानून से बचने के लिए स्थानीय निकाय ऐसे कार्य ठेकेदारों के माध्यम से बाहर से करा रहे हैं।

राष्ट्रीय शर्म, पूरे राष्ट्र की जिम्मेदारी है परंतु, कोई भी इस जिम्मेदारी को लेने को तैयार नहीं है। जनगणना आंकड़ों के कारण अब हमारे पास शुष्क शौचालयों संबंधी वास्तविक आंकड़े मौजूद हैं। अब यह कोई आम जनता की अज्ञानता की बात नहीं है बल्कि यह पितृसत्तात्मक मूल्यों में निहित एक जातिवादी दृष्टिकोण के समक्ष जागरूकता के कमजोर पड़ जाने की समस्या है। हम अपनी सोच को बदलकर ही अपने शौचालयों के स्वरूप में बदलाव ला सकते हैं। पहले इस बारे में कोई बात तक नहीं करता था। अब हाथ से मैला उठाने की प्रथा समाचारों का विषय बना हुआ है। परंतु, अभी तक इस संबंध में केवल बातें की जा रही हैं। और किस प्रकार हम इस बात को स्पष्ट कर सकते हैं कि यद्यपि, केन्द्र सरकार ने हाथ से मैला उठाने की प्रथा को समाप्त करने और हाथ से मैला उठाने वाले लोगों के पुनर्वास हेतु 2011-12 में 100 करोड़ रुपए का आवंटन किया था परंतु, इस बजट में से एक भी रुपए खर्च नहीं किया गया है। योजना आयोग ने मांग न किए जाने के कारण योजना के लिए बजट बढ़ाने से मना कर दिया है। इस संबंध में कोई हलचल नहीं हुई, कोई प्रश्न नहीं पूछा गया। सरकार को इस बारे में हाल की जनगणना के आंकड़े प्राप्त हुए हैं। यह और भी आश्चर्य की बात है क्योंकि जनगणना के आंकड़े केवल अस्वच्छ शौचालयों के बारे में है; देश में 7,94,390

शुष्क शौचालय हैं जहां मानव मल की सफाई व्यक्तियों द्वारा की जाती है। इनमें से 73 प्रतिशत शौचालय ग्रामीण क्षेत्रों में हैं और 27 प्रतिशत शहरी क्षेत्रों में हैं। 13,14,652 अन्य शौचालयों में मानवीय मल को खुले नालों में बहा दिया जाता है। अविश्वसनीय रूप से, जनगणना में पता चला है कि 4,97,236 शौचालय ऐसे हैं जहां मानव मल को साफ करने का कार्य पशुओं का होता है। अब, हम इस आंकड़े से हाथ से मैला उठाने वाले कर्मियों की संख्या का आकलन कैसे कर सकते हैं? कई राज्य सरकारों ने पिछले नवम्बर में, उच्चतम न्यायालय में यह कहते हुए नए सिरे से शपथपत्र दाखिल किया है कि जनगणना का आंकड़ा सही नहीं है। अनुमानत:, कोई भी आंकड़ा सही नहीं है। जो नया विधेयक आया है वह उस पृष्ठभूमि के विरुद्ध है। क्या वह अलग है? क्या इससे सहायता मिलेगी? ऐसे संभावना नहीं है। यह विधेयक लिंग के प्रति बहुत अधिक असंवेदनशील है। इसमें यह कहा गया है कि हाथ से मैला उठाने वाले सभी कर्मी और लोक अधिकारी पुरुष हैं। पुनर्वास योजना में महिलाओं की आवश्यकताओं, समस्याओं और मुद्दों का समाधान किया जाना चाहिये। इस विधेयक में हाथ से मैला उठाने वाले कर्मियों की पहचान करने या नया सर्वेक्षण करने का उत्तदायित्व स्थानीय निकायों को सौंपा गया है। ये स्थानीय निकाय हमेशा ऐसा करने से मना करते हैं और इन्होंने वास्तव में, उच्चतम न्यायालय में झूठे शपथपत्र दाखिल किए हैं। क्या संख्या निर्धारित करने का कार्य, ऐसी राज्य सरकारों और स्थानीय निकायों को देने में समझदारी है, जिन्होंने अपने क्षेत्रों में, हाथ से मैला उठाने का कार्य और अस्वच्छ शौचालयों के अस्तित्व को ही चुनौती दी है? इस विधेयक का मुख्य उद्देश्य हाथ से मैला उठाने वाले कर्मियों को मुक्त करने का होना चाहिए। अस्वच्छ शौचालयों की पहचान, उन्हें गिराने और बदलने का कार्य इसी परिप्रेक्ष्य में होना चाहिए।

नया विधेयक, मार्च 2012 में लोक सभा में पुर:स्थापित हुआ था। इसमें स्पष्ट रूप से यह कहा गया है कि इस अधिनियम के लागू होने के बाद कोई भी व्यक्ति, स्थानीय प्राधिकारी या अभिकरण अस्वच्छ शौचालय का निर्माण नहीं करेगा हाथ से मैला उठाने वाले कर्मी से काम नहीं लेगा या सेवा पर रखने का कार्य नहीं करेगा और 9 महीने के अंदर प्रत्येक अस्वच्छ शौचालय को गिरा दिया जायेगा या उसे स्वच्छ शौचालय में बदल दिया जायेगा। इस अधिनियम के तहत किया जाने वाला कोई भी अपराध संज्ञेय और गैर-जमानती होगा। इस अधिनियम का उद्देश्य निर्मल भारत अभियान के माध्यम से खुले में शौच की समस्या का समाधान करना है। भारतीय रेल वर्ष 2021-2022 तक सभी रेलगाड़ियों में पर्यावरण अनुकूल जैविक शौचालय लगायेगा। फिर भी इस कानून की आत्मा खंड 13 है जो पुनर्वास पैकेज के कार्यान्वयन पर बल देता है। मुझे आशा है कि कुछ संशोधनों के साथ इस विधान के पारित होने के पश्चात, सफाई कर्मियों, जो मुख्यत: देश की अन्यायपूर्ण जाति व्यवस्था का परिणाम हैं की प्रतिष्ठा को बनाये रखने के लिए, कानून के प्रभावी और शीघ्रतापूर्वक कार्यान्वयन के लिए नियम बनाये जायेंगे।

अपनी बात समाप्त करने से पहले, मुझे डॉ अम्बेडर की वह बात याद आ रही है, जब वे 25 नवंबर, 1949 को संविधान सभा में बोलने के लिए खड़े हुए थे - उन्होंने भारतीय लोकतंत्र की दिशा के बारे में चेतावनी दी थी और "26 जनवरी, 1950 को कहा था कि हम एक विरोधाभासी जीवन में प्रवेश करने जा रहे हैं। राजनीति में, हमारे यहां समानता होगी और सामाजिक और आर्थिक जीवन में असमानता होगी...हम अपने सामाजिक और आर्थिक ढांचे के कारण एक-व्यक्ति-एक-मूल्य के सिद्धांत को निरंतर अस्वीकार करते रहेंगे। हम कब तक इस विरोधाभासी जीवन में जीते रहेंगे?

क्या यह प्रश्न हमारे कानों में अभी भी नहीं गूंज रहा है? हम कब तक इस विरोधाभासी जीवन में जीते रहेंगे? कब तक?

हाथ से मैला उठाने वाले कर्मियों की मुक्ति डॉ बीआर अम्बेडकर के अंतिम शब्दों की भावना के तहत प्रारंभ होनी चाहिए"... हमारी लड़ाई धन या शक्ति के लिए नहीं है। यह स्वतंत्रता के लिए संघर्ष है। यह मानव व्यक्तित्व के पुनरूद्धार की लड़ाई है।"

श्री राजय्या सिरिसिल्ला (वारंगल) : सभापति महोदय, मुझे यह अवसर देने के लिए आपका धन्यवाद। मैं आज हाथ से मैला उठाने वाले कर्मियों के नियोजन का प्रतिषेध और उनका पुनर्वास विधेयक, 2012 के समर्थन में खड़ा हुआ हूं।

सर्वप्रथम, मैं राष्ट्रीय सलाहकार परिषद की अध्यक्ष, श्रीमती सोनिया गांधीजी को बधाई देना चाहता हूं जिन्होंने हाथ से मैला उठाने वाली प्रथा को समाप्त करने के लिए काफी प्रयास किया है। अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों में से अधिकांश, विशेषत: महिलाएं इस कार्य में लगी हुई हैं। स्वतंत्रता प्राप्ति केर समय से, अनेक प्रयास किए गए हैं परंतु हम हाथ से मैला उठाने की प्रथा को समाप्त नहीं कर सके। 1993 के दौरान, जब कांग्रेस की सरकार थी, पहली बार सफाई कर्मचारी नियोजन और शुष्क शौचालय सन्निर्माण (प्रतिषेध) अधिनियम लाया गया था। परंतु, राजनीतिक इच्छाशक्ति की कमी और नौकरशाही उदासीनता के कारण अभी तक हमने अपने देश को हाथ से मैला उठाने वाले कार्य से मुक्त घोषित नहीं कर पाए हैं।

अनेकों आंदोलन हुए, कई लोगों ने आवाज उठायी परंतु, हम लक्ष्य प्राप्त नहीं कर सके। बाद में, कई संगठनों ने राष्ट्रीय सलाहकार परिषद के समक्ष अभ्यावेदन प्रस्तुत किए। यह उन सभी लोगों का प्रयास है कि यह विधेयक 3 सितंबर, 2012 को पुर:स्थापित किया गया।

[श्री राजय्या सिरिसिल्ला]

इस संबंध में, मैं तीन सुझाव दूंगा। मेरा पहला सुझाव सर्वेक्षण के संबंध में है। हाथ से मैला उठाने वाले कर्मियों के नियोजन का प्रतिषेध और उनका पुनर्वास विधेयक के अंतर्गत सर्वेक्षण के लिए केवल 3546 सांविधिक शहरों को लिया गया था। परंतु, मैं यह बताना चाहता हूं कि हाथ से मैला उठाने का कार्य 70 प्रतिशत ग्रामीण भारत में होता है और 18 प्रतिशत शहरी क्षेत्रों में होता है। चूंकि केवल 3546 सांविधिक नगरों के सर्वेक्षण पर आधारित प्रतिवेदन दिया गया था, अत: वे कहते हैं कि कहीं भी हाथ से मैला उठाने वाले कार्य नहीं हो रहा है। यदि पुन: हम उनसे प्रतिवेदन देने के लिए कहते हैं तो वे वही बात पुन: दोहरायेंगे क्योंकि यह उच्चतम न्यायालय को दिया गया था और अभिलेखित हुआ था। परंतु वास्तविकता अलग है और हमें वास्तविकता पर विचार करना है। मैं पुन: कहूंगा कि हमें पुन: एक सर्वेक्षण कराना चाहिए जिसमें सरकारी एजेंसियां भी शामिल हों।

मेरी दूसरी बात 2(छ) के तहत दिया गया स्पष्टीकरण है जिसमें केवल 'नियमित' या 'संविदा' कार्मिकों को ही शामिल किया गया है। कई दिहाड़ी मजदूर हैं, जो निजी और सरकारी कंपनियों में ठेकेदारों के अधीन कार्य कर रहे हैं। मैं यह कहना चाहता हूं कि वास्तविक लक्ष्य प्राप्त करने के लिए इन लोगों को भी इस स्पष्टीकरण में शामिल किया जाना चाहिए।

मेरी तीसरी बात यह है कि इस विधेयक में इस बात का उल्लेख हुआ है कि यदि कोई व्यक्ति ऐसे किसी उपकरण की सहायता से और रक्षात्मक वस्त्र का प्रयोग करके हाथ से मैला उठाने के कार्य में शामिल है या नियोजित है, तो वह इस विधेयक के क्षेत्र से मुक्त है। यदि ऐसी त्रुटियां रहती हैं तो हम अपने लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर पायेंगे और इससे विधेयक लाने का सारा उद्देश्य ही विफल हो जायेगा। अत:, हमें इस खंड को हटाना होगा और हमें हाथ से मैला उठाने वाले सभी प्रकार के कार्यों को इसमें शामिल करना होगा।

मैं कहना चाहता हूं कि उनको इन उपकरणों के प्रयोग की अनुमति देकर हम यह नहीं कह सकते कि वे हाथ से मैला उठाने वाले कार्य से मुक्त हैं। विज्ञान और प्रौद्योगिकी की सहायता से, सरकार हाथ से मैला उठाने वाले कार्य को रोकने हेतु ऐसे उपकरणों और साधनों का विकास कर सकती है। मैं सरकार से यह भी अनुरोध करता हूं कि इस कार्य के लिए एक विशेष पैकेज की घोषणा की जाए।

[हिन्दी]

***श्रीमती दर्शना जरदोश** (सूरत) : हाथ से मैला उठाने वाले कर्मियों के नियोजन का प्रतिषेध और उनका पुनर्वासन विधेयक, 2012 का स्वागत करते हुए, मैला ढोने वाले लोग कितने हैं उनका सर्वे करना, जिसमें लाईव टू वीद डिगनीटी का समर्थन करते हुए बाल्मीक समाज के लिए ये प्रथा बंद करते हुए एनजीओ के माध्यम से उनका रीहैबेलिटेशन के साथ अच्छा काम दिलाते हुए ये प्रथा से मुक्त करते हुए जो, बिल में प्रावधान करते हुए सबसे नीचे तबके से आते हुए लोगों के लिए उनकी तकदीर को सुधारते हुए, उनके स्वास्थ्य, सेफ्टी का काम करते हुए उनके रहने का प्रबंधन भी हमें करना चाहिए। ये बिल में कई महिला भी शामिल है। उनको भी तालीम देते हुए अन्य स्वावलंबी कार्य में जोड़ना चाहिए।

***श्रीमती जयश्रीबेन पटेल** (मेहसाणा) : मैं हाथ से मैला उठाने वाले कर्मियों के नियोजन एवं प्रतिबंध और पुनर्वासन विधेयक 2012 के बारे में अपने विचार व्यक्त करना चाहती हूं। आज भी हाथ से मैला उठाने की प्रथा चालू है। इन लोगों को जो तकनीकी सुविधाएं मिलनी चाहिए वह उनको नहीं मिल रही है। आज तक सरकार ठीक से सर्वे नहीं कर पाई है कि कितने लोग हाथ से मैला उठाने का काम करते हैं। आज जो यह बिल आया है वह सराहनीय है। 1993 में भी एक बिल आया था किंतु उस समय पुनर्वासन का काम ठीक से नहीं हुआ था। हमें महिलाओं के बारे में भी सोचना चाहिए और देखना चाहिए कि वे समाज की मुख्य धारा से जुड़ें। हमें उनको प्रोत्साहित करना चाहिए। सबसे बड़ी समस्या हाउसिंग की है, जिसे हमें सुलझाना चाहिए। जहां भी हाथ से मैला उठाने की कुप्रथा चालू है, हमें उसे तुरंत ही खत्म कर देना चाहिए।

सायं 7.00 बजे

श्री शैलेन्द्र कुमार (कौशाम्बी) : सभापति महोदय, आपने मुझे हाथ से मैला उठाने वाले कर्मियों के नियोजन का प्रतिषेध और उनका पुनर्वास विधेयक, 2012 पर बोलने का अवसर दिया, इसके लिए मैं आपका आभारी हूं।

महोदय, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार देखा जाए तो सात लाख लोग हैं, जिसमें से 5,86,000 ग्रामीण क्षेत्रों में हैं। इंसान को मल के नरक से बचाने के लिए सरकार के पास धन की कमी है। वर्ष 2011-12 में केवल सौ करोड़ रुपए सरकार खर्च नहीं कर पायी। अभी हमारे साथी अर्जुन मेघवाल जी बता रहे थे कि बजबजाते सीवर, सोकपिट में काम करने वाले अपनी जान को जोखिम में डालते हैं। शराब पीकर गैर कानूनी तरह से जोखिम भरे समय में काम करते हैं। इनको कोई ट्रेनिंग नहीं दी जाती है। अगर पूरा बजट खर्च नहीं हो पा रहा है तो इसके लिए सरकार ही जिम्मेदार है। मैं कहना चाहूंगा कि एससी और एसटी के साथ अमानवीय अत्याचार रोकने के लिए जो निवारण अधिनियम बनाया गया है, उसको सख्ती से लागू किया जाए। मैं सुलभ शौचालय के इंटरनेशनल सोशल

*भाषण सभा पटल पर रखा गया।

*भाषण सभा पटल पर रखा गया।

सर्विस ऑर्गेनाइजेशन के डॉ. बिन्देश्वर पाठक को बधाई देना चाहूंगा कि ऑर्गेनाइजेशन तैयार करके सुलभ शौचालय की व्यवस्था की, जो बहुत बड़ी राहत है। अगर 15 राज्यों का रिकॉर्ड देखा जाए तो 225 जिलों का सर्वे हुआ है, जिसमें उत्तर प्रदेश में 80 हजार बिहार में 30 हजार, उत्तराखंड में 5 हजार और एमपी में 20 हजार लोग इस कुप्रथा के शिकार हैं।

मैं आपके माध्यम से सरकार से मांग करना चाहूंगा कि जातिगत पेशे के आधार पर जो नौकरी इनको मिली है, वह पक्की होनी चाहिए। अभी तक यह लोग डेली वेजिज या संविदा के आधार पर सर्विस करते हैं। आज भारत में 60 प्रतिशत लोग खुले स्थानों पर शौच करते हैं। हम लोगों के माध्यम से इन लोगों के लिए "झाड़ू छोड़ो और कलम उठाओ" का एक नारा होना चाहिए। दलितों के अलावा इस काम को कोई गैर जाति का नहीं करता है। उत्तर प्रदेश सरकार में सफाई कर्मियों की भर्ती हुई है, जबकि दलितों को उसमें भर्ती किया जाना चाहिए, लेकिन उसमें गैर बिरादरी के लोगों को समावेश किया गया है और ऊंची जाति के लोगों को रखा गया है, जबकि दलितों को रखा जाना चाहिए। कुछ जगहों पर देखा गया है कि बच्चों से स्कूलों में प्राइमरी और जूनियर स्कूल में झाड़ू लगाते देखे गए हैं। आज 13 लाख 14 हजार परिवारों की गंदगी खुली नालियों में गिरती है, जिसकी सफाई यही कर्मी करते हैं। 7 लाख 94 हजार परिवार सिर पर मैला ढोने के लिए मजबूर हैं। इस विधेयक का मैं पुरजोर समर्थन करता हूं लेकिन सुलभ शौचालयों के लिए ग्रामीण क्षेत्रों में जो राशि दो, ढाई हजार रुपए की दी जाती है, वह पांच हजार से ऊपर, 10 हजार रुपए की होनी चाहिए ताकि ग्रामीण क्षेत्रों में ज्यादा से ज्यादा सुलभ शौचालय बनें और गंदगी साफ हो सके। गंदगी से बीमारियां फैलती हैं, इसलिए इस विषय पर गंभीरता से विचार करने की आवश्यकता है।

इन्हीं बातों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

[अनुवाद]

***श्री भक्त चरण दास** (कालाहांडी) : मैं, हाथ से मैला उठाने वाले कर्मियों के नियोजन का प्रतिषेध और उनका पुनर्वास विधेयक, 2012 का समर्थन करता हूं।

अनेक अधिनियमों और सरकार द्वारा उठाए गए कदमों के बावजूद हम मैला उठाने वाले कर्मियों को न्याय दिलाने में असमर्थ रहे हैं।

इस विधेयक को बहुत पहले लाया जाना चाहिए था फिर भी यह विधेयक आज पारित होने जा रहा है। यह विधेयक इन परिश्रमी वर्ग के लोगों को मुसीबतों से राहत प्रदान करेगा।

मैं, संप्रग सरकार और माननीया मंत्री सैलजा जी को धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने गरीब लोगों के एक विशाल तबके को सामाजिक न्याय प्रदान करने हेतु यह संभव बनाया।

[अनुवाद]

***श्री वीरेन्द्र कश्यप** (शिमला) : हाथ से मैला उठाने वाले कर्मियों के नियोजन का प्रतिषेध और उनका पुनर्वास विधेयक, 2012 पर आज चर्चा हो रही है। हमें यह कहते हुये दु:ख भी है और क्षोभ भी है कि भारतवर्ष को आजाद हुये 66 वर्षों के बाद भी हम इस प्रकार का कानून तो बना सके हैं जहां पर कि हाथ से मैला उठाने वाले व सिर पर मैला ढोने पर पूर्ण पाबंदी लगा दी है परंतु आज भी देखा जाये तो यह प्रथा शहरों व छोटे-छोटे कस्बों में देखने को मिलती है। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार देश में 7.94 लाख शौचालय ऐसे थे जहां मनुष्यों द्वारा मल उठाया जाता था। सिर पर मैला ढोने वालों की मुक्ति और पुनर्वास संबंधी राष्ट्रीय योजना के दौरान 1992 से 2005 तक राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में 7.70 लाख हाथ से मैला उठाने वाले और उन पर आश्रित लोगों की पहचान की गई है।

यदि हम मंत्रालय की रिव्यू बैठक के आंकड़े देखें तो पता चलता है, कि देश के 25 करोड़ हाऊस होल्ड में 13 करोड़ के पास अपने घरों में शौचालय नहीं है। और शहरों के 2 लाख घरों व गांवों के 5.9 लाख घरों में लोग ही रात के शौच को उठाने का काम करते हैं। आज आवश्यकता है कि इस प्रकार के रोजगार में लगे लोगों को किस प्रकार से पुनर्वास किया जाये ताकि उन्हें इस प्रकार के अस्वच्छ काम से छोड़ाया जाये। यह हर्ष का विषय है कि आज इसके लिये कानून बन रहा है। नि:संदेह इस कानून के बनने के बाद शुष्क शौचालयों और हाथ से मैला उठाने की प्रथा को समाप्त करना और सफाई कर्मचारियों का किसी अन्य व्यवसाय में पुनर्वास करना सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। परंतु यह देखने वाली बात है कि कई प्रकार के प्रयासों के बावजूद भी हम इसे पूरी तरह समाप्त नहीं कर पा रहे हैं। इसका कारण है कि कहीं न कहीं जो कानून बने हैं उसके कार्यान्वयन में कमी रही होगी। हाथ से मैला उठाने और अस्वास्थ्यकर शौचालयों को समाप्त करने तथा सफाई कर्मचारियों का पुनर्वास करने के उद्देश्य इस कानून में इस प्रकार को प्रोत्साहित करने वालों के विरुद्ध सख्ती से निबटना होगा। और जो लोग शहरों में अन्य स्थानों में सफाई का काम कर रहे हैं उन्हें हर सुविधा देने की उदार योजना सरकार को बनानी चाहिये। यहां तक कि कोई अन्य काम करने के लिये बैंकों से ब्याजमुक्त (शून्य प्रतिशत ब्याज) ऋण व उनके बच्चों को मुफ्त शिक्षा व उनके रोजगार को कोई न कोई योजना बनाकर देना जरूरी है। यही नहीं आज इस समाज के लोगों को शहर में आज भी कोई रहने के लिये मकान भी किराये पर नहीं देता इसलिये सरकार को चाहिये कि वह शहरों

*भाषण सभा पटल पर रखा गया।

*भाषण सभा पटल पर रखा गया।

[श्री वीरेन्द्र कश्यप]

में इस वर्ग के लोगों को मकान बनाकर दे। भारत सरकार द्वारा 2001 में बनाई योजना मलिन बस्ती आवास योजना (वैमबे) जिसके अंतर्गत बीपीएल लोगों को आश्रय प्रदान करने और उनके वर्तमान आश्रम को उन्नयन करने की दृष्टि से आरंभ की गई थी उसे ठीक तरह से लागू किया जाये। इसके अंतर्गत केन्द्र सरकार को अधिक धन राशि राज्यों को प्रदान करनी चाहिये।

हालांकि सरकार के कानून द्वारा इस प्रकार के अस्वच्छ कार्यों को निरूत्साहित तो किया गया परंतु जमीनी तौर पर देखा गया है कि इसमें लोगों ने अपनी रोजी रोटी कमाने के लिये क्योंकि उन्हें कहीं भी रोजगार न मिलने के कारण इसी को अपना काम चुना है। जोकि बहुत दु:ख का विषय है। एक एनजीओ ने सफाई कर्मचारी आंदोलन के अनुसार 1989 में इस प्रकार के काम करने वालों की संख्या 6,00,000 थी जो कि 1995-96 में बढ़कर 787,000 हो गई यानि 31.6% बढ़ोतरी हुई है। इसी तरह सुखी शौचालयों की संख्या 1989 में 720,500,000 थी जो बढ़कर 2000 में 9,600,600 अधिक हो गई। इसका मुख्य कारण कि शहरीकरण हुआ परंतु इस प्रकार की सुविधाएं उपलब्ध नहीं कराई गई जिससे उसे निरूत्साहित किया जाये। इस पर गहराई से विचार करना चाहिये। मैं कुछ सुझाव पुनर्वास पैकेज के रूप में निम्नलिखित दे रहा हूं इस पर विचार करना जरूरी है। मंत्री महोदया उस पर विचार कर कार्यान्वित करेगी ऐसा मेरा सुझाव है–

- पुर्नवास पैकेज के तहत जो ऑथोरिटी जिसमें बैंक, वित्त निगम, हाउसिंग बोर्ड, हुडको आदि काम नहीं करें तो उनके अधिकारियों को बुलाना और उनके विरुद्ध कार्यवाही करने की शक्ति भी सफाई कर्मचारी आयोग की होनी चाहिए।
- यह ऐसा इसलिए जरूरी है क्योंकि एक स्टडी के अनुसार ऐसा पाया गया है कि 80 प्रतिशत सीवर कर्मचारी रिटायरमेंट की एज से पहले मर जाते हैं। उनकी सेवानिवृत्ति की आयु 60 वर्ष होती है, लेकिन 45-50 वर्ष में ही मृत्यु हो जाती है। सफाई के दौरान हादसों में मरने वाले लोग अलग हैं। अत: इनके लिए पृथक से स्वास्थ्य बीमा योजना भी होनी चाहिए। और ऐसी बीमा योजना बीपीएल की लिस्ट के साथ लिंक नहीं होनी चाहिए।
- मैं यह भी कहना चाहता हूं कि जब तक क्रियान्वित करने वाली एजेन्सियों के अधिकारियों के मन में परिवर्तन नहीं होगा तब तक इसकी क्रियान्विति सही ढंग से संभव होना मुश्किल है क्योंकि दिल्ली जल बोर्ड में ठेकेदार के यहां काम करने वाले सफाई कर्मचारियों की दुर्घटना में मौत की और मुआवजे की कहानी सबके ध्यान में है। मामला सुप्रीम कोर्ट में गया, इस सदन में चर्चा हुई तब कहीं जाकर मुआवजा मिला।
- अत: मेरा सुझाव है कि सेप्टिंग टैंक और कटर साफ करने वालों के पर्याप्त बजट की व्यवस्था केन्द्र सरकार के स्तर पर ही की जानी चाहिए।
- बाल्मिकी समाज के लोगों के लिए सबसे बड़ी समस्या शहरों में नई कॉलोनियों का विकास नहीं होना है, इसके लिए हुडको या हाउसिंग बोर्ड लॉ कास्ट के मकान विकसित करें और बिना गारंटी के 10-20 लाख तक का लॉन बैंकों से देने की व्यवस्था हो।
- सरकार/बैंक या किसी पीएसयू संस्था में जनरल अटन्टेंड के नाम पर सफाई कर्मचारी रखने की व्यवस्था या संविदा पर सफाई कर्मचारी रखने की व्यवस्था समाप्त होनी चाहिए।

डॉ. बलीराम (लालगंज) : सभापति महोदय, हाथ से मैला उठाने वाले कर्मियों के नियोजन का प्रतिषेध और उनका पुनर्वास विधेयक, 2012 जो मंत्री जी लाए हैं, मैं उसका स्वागत और समर्थन करता हूं। इस विधेयक को बहुत पहले लाना चाहिए था, क्योंकि वर्ष 1953 काका कालेलकर आयोग बना और 1955 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की थी। उस रिपोर्ट में कहा गया था कि यह अमानवीय प्रथा है और इसके लिए कोई नई टेक्नोलोजी लाई जाए, जिससे लोगों को हाथ से मैला उठाना न पड़े। इसी तरह से 12 अक्टूबर, 1957 में मलकानी समिति बनी और मलकानी समिति ने भी इसी तरह की रिपोर्ट दी।

इस देश में यह विडम्बना है कि जो गंदा करता है, उसे ऊंचा कहा जाता है। जो गंदगी को साफ करता है, उसे नीचा कहा जाता है। अभी हमारे साथी ये कह रहे थे कि उत्तर प्रदेश में सफाई कर्मचारियों की भर्ती हुई, उसके पीछे एक ही मंशा रही कि इसमें हर समाज के लोग सफाई कर्मचारी बनें ताकि कोई किसी को न ऊंचा कह सकें और न किसी को नीचा कह सकें। इस मानसिकता के आधार पर वहां भर्ती कराई गई। लेकिन आज मैं यह कहना चाहूंगा कि बिन्देश्वरी प्रसाद पाठक ने जो सुलभ शौचालय बनाया है, लेकिन उन सुलभ शौचालयों में अगर आप जाकर देखें तो जिनको उसमें भर्ती होना चाहिए जिसमें उसकी तैनाती होनी चाहिए, उनकी तैनाती पांच प्रतिशत भी नहीं है। वहां दूसरे लोग तैनात हैं। *...(व्यवधान)* क्योंकि पैसा वसूलने के लिए वहां दूसरा बैठा हुआ है। सफाई करने के लिए 50 रुपए में दूसरे को पकड़कर वे सफाई करवाते हैं। इसलिए हम यह कहना चाहेंगे कि चाहे टाउन एरिया हो चाहे नगर पालिका हो, यहां पर जो सफाई कर्मचारी लगे हुए हैं, वे ठेके पर काम कर रहे हैं।

वे 200-300 रुपए पर काम कर रहे हैं। सरकार को चाहिए कि ऐसे लोगों के लिए सरकार उनकी पूरी परमानेंट नियुक्ति करे और जो उनका वेतन होता है, वह पूरा वेतन उनको दे। इसी के साथ-साथ मैं यह कहना चाहूंगा कि जो हमारे सफाई कर्मचारी हैं, इन सफाई कर्मचारियों को आदर और सम्मान देना चाहिए। कोई यहां न ऊंचा है और न कोई यहां नीचा है। इसलिए इस समभाव से सारे लोगों को देखना चाहिए और उनके पुनर्वास की व्यवस्था भी करनी चाहिए ताकि वे अच्छे स्थानों पर रह सकें।

***श्री महेन्द्रसिंह पी. चौहाण** (साबरकांठा) : मैं हाथ से मैला उठाने वाले कर्मियों के नियोजन का प्रतिषेध और उनके पुनर्वास विधेयक, 2012 का पुरजोर समर्थन करता हूं। महोदय, आजादी हासिल करने के लगभग साढ़े छह दशक के बाद भी समाज का एक तबका सिर पर मैला ढोने के लिए मजबूर है तो यह विकास के तमाम दावों पर सवालिया निशान है। हाशिए पर जलालत भरी जिंदगी गुजारते लोगों की इस विकास में क्या जगह है?

सभ्य कहे जाने का दम भरने वाले किसी भी समाज के लिए यह शर्मिंदगी का विषय होना चाहिए कि वह अपने बीच के ही इंसानों को ऐसे काम से बाहर नहीं निकाल पा रहा है जिसकी कल्पना करना भी एक संवेदनशील व्यक्ति के लिए बहुत भयावह है। किसी काम का मतलब सिर्फ कुछ मेहनताना मिल जाना नहीं होता, उसे मानवीय और सम्मानजनक भी होना चाहिए। आज हैरानी इस बात पर है कि देश में हर दो-तीन महीने पर उच्च क्षमता वाले अंतरिक्ष यानों के प्रक्षेपण से लेकर ग्रामीण इलाकों तक टीवी, मोबाइल टावरों और इंटरनेट जैसी तकनीकी सुविधाओं के पहुंच जाने के इस दौर में हाथ से मैला उठाने और सिर पर ले जाने की त्रासदी जारी है। इस सामाजिक अभिशाप को तत्काल खत्म किया जाना चाहिए तथा हर इंसान को गरिमापूर्णय जीवन का हक मिलना चाहिए। इसी के साथ मैं पुन: इस बिल का समर्थन करता हूं।

***प्रो. रामा शंकर** (आगरा) : माननीय मंत्री जी कुमारी सैलजा द्वारा हाथ से मैला उठाने वाले कर्मियों के नियोजन का प्रतिषेध और उनका पुनर्वास विधेयक, 2012 का समर्थन करते हुए मांग करता हूं कि जो समाज में सबसे नीचे स्तर पर है जिसे आज भी मनुष्य का सम्मान प्राप्त नहीं हुआ। यह अत्यंत दुखद विषय है। देश की आजादी के इतने दिनों के बाद आज अपमान और अछूत की जिन्दगी जी रहे हैं।

मेरी मांग है कि सफाई करने वालों को किसी प्रकार से मैला उठाने पर प्रतिबंध लगे। ऐसे सभी सफाईकर्मियों को नवीन उपकरणों के साथ सरकारी कर्मचारी का पूरा वेतन तथा आवास उपलब्ध कराने की व्यवस्था सुनिश्चित हो सके।

*भाषण सभा पटल पर रखा गया।

श्री महेश्वर हज़ारी (समस्तीपुर) : सभापति महोदय, आपने समय दिया, इसके लिए मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं। माननीय मंत्री जी ने हाथ से मैला उठाने वाले कर्मियों के नियोजन का प्रतिषेध और उनका पुनर्वास विधेयक, 2012 लाए हैं। मैं अपने दल की ओर से उनके बिल का समर्थन करता हूं और धन्यवाद देता हूं कि समाज के सबसे अंतिम पायदान पर रहने वाले जो व्यक्ति हैं, उनकी आवाज उठाने का काम किया है, उनके हक के लिए आप यह बिल लाए हैं। लेकिन मुझे दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि आजादी के 66 वर्ष के बाद भी आज जिस तरह से जो गरीब लोग हैं, जो दलित लोग हैं, जिनको समाज के लोग हाथ से मैला उठाने का काम दिया करते थे और आज़ादी के बाद कहते हैं कि हम 21वीं सदी में जा रहे हैं लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि अभी भी वे व्यक्ति हाथ से मैला उठाने का काम कर रहे हैं। मैं इसे भारत का दुर्भाग्य समझता हूं।

इसलिए माननीय मंत्री जी से मैं आग्रह करना चाहता हूं कि आप ऐसे लोगों के लिए रोजगार की व्यवस्था करिए और मैला उठाने वाले को चिन्हित करके उनके लिए भवन की व्यवस्था की जाए। इसके साथ ही मैं भारत सरकार से मांग करता हूं कि दलितों के लिए जो आरक्षण दिया गया था, उसमें सामाजिक, आर्थिक और शैक्षणिक स्तर पर आरक्षण दिया गया था लेकिन जो समाज में अच्छे से अच्छे लोग हैं, वे भी इस कतार में शामिल हो जाएंगे लेकिन आरक्षण की सीमा वही है और उसी सीमा के अंदर आप और लोगों को शामिल करते जा रहे हैं। मुझे दुख है कि सभी सरकारें जो भी आती हैं, वे सिर्फ दलितों के लिए भजन करने का काम करती हैं लेकिन दलितों को कहीं भी कोई भी सुविधाएं नहीं दी जा रही है। जहां तक सर्विस की बात है, नौकरी वेकेंट करके जनरल लोगों को भर्ती कर दिया जाता है।

मैं समझता हूं कि दलितों की गाथा गाई जाती है लेकिन कहीं भला नहीं होता है। आप बिल लाए हैं, मैं इसका स्वागत करता हूं। लेकिन इसके साथ कहना चाहता हूं कि भवन की व्यवस्था कीजिए, शिक्षा की व्यवस्था कीजिए, उनकी हर तरह से मदद कीजिए। आपने सुलभ शौचालय में काम दिया है, इसके लिए 1500 रुपए देते हैं। 1500 रुपए सिर्फ नाम का है। जिस भी गरीब के लिए यहां से पैसा जाता है, वह नियम के अनुसार गरीबों तक पहुंचना चाहिए।

इन्हीं चंद शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

[अनुवाद]

डॉ. रत्ना डे (हुगली) : माननीय सभापति महोदय, इस विधेयक पर बोलने की अनुमति देने के लिए मैं आपको धन्यवाद देती हूं। मुझे लगता है कि इस विधेयक की लंबे समय से प्रतीक्षा थी। चाहे जितनी

[डॉ. रत्ना डे]

भी चर्चा क्यों न कर ली जाए, हम हाथ से मैला ढोने को न्यायसंगत नहीं ठहरा सकते हैं। यह मानवजाति पर एक कलंक है। यह इतना अपमानजनक है कि मुझे यह कहने में कोई हिचक नहीं है कि हमें इस बात पर शर्म महसूस करनी चाहिए कि भारत की आजादी के 65 वर्ष बाद भी एक मानव दूसरे मानव के मल-मूत्र को साफ कर रहा है।

मैं यहां पर वर्षों से मैला ढोने वालों की संख्या में वृद्धि का उल्लेख करना चाहता हूं। 1989 में हमारे यहां मैला ढोने वालों की संख्या 6 लाख थी किंतु 1995-96 में यह संख्या बढ़कर 7.87 लाख हो गई अर्थात् 31.76 प्रतिशत से अधिक की वृद्धि दर्ज की गई। कोई भी सही सोच वाला व्यक्ति इस कटु सच्चाई को नकार नहीं सकता है कि तेजी से बढ़ते शहरीकरण के साथ हाथ से मैला ढोने के काम में भी बढ़ोतरी हो रही है। समाज के वंचित और निर्धन वर्ग को हाथ से मैला उठाने का काम करने के लिए बाध्य किया जाता है क्योंकि उन्हें अपनी आजीविका चलाने के लिए और कोई काम नहीं मिलता है।

यद्यपि सफाई कर्मचारी नियोजन और शुष्क शौचालय सन्निर्माण अधिनियम, 1993 में बनाया गया था किंतु यह देश से हाथ से मैला उठाने के काम को समाप्त करने में विफल रहा। 2003 में नियंत्रक-महालेखापरीक्षक ने यह बताया था कि केवल 16 राज्यों ने उक्त अधिनियम अपनाया था किंतु किसी भी राज्य ने इसे लागू नहीं किया था।

विधेयक में अनेक अन्य पुनर्वास उपाय भी कि गए थे। मैं उनके बारे में विस्तार से बात नहीं करना चाहती हूं जिस दिन हम हाथ से मैला ढोने की प्रथा का उन्मूलन कर देंगे। वह दिन देश के लिए एक महान दिन होगा। यह ठीक है कि हाथ से मैला ढोने की प्रथा के उन्मूलन में भारी धनराशि खर्च होगी। यह राशि लगभग 4,825 करोड़ रुपए है। कोई भी राशि हमारे देश में प्रचलित हाथ से मैला उठाने वाले कर्मियों के अपमानजनक नियोजन को समाप्त करने से बड़ी नहीं हो सकती है।

यह अनुमान लगाया गया है कि दलित समुदाय के लगभग 1-3 मिलियन लोग हाथ से मैला उठाने का काम कर रहे हैं। यह शर्म की बात है। यह केवल सरकार की विफलता ही नहीं है अपितु हम देशवासियों के लिए भी यह बड़े दुख की बात है कि हमारी विकास गाथा उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण के 20 वर्ष बीत जाने के बाद भी 65 वर्षों से हाथ से मैला उठाने की प्रथा चली आ रही है। सफाई-कर्मियों की गरिमा सुनिश्चित करने में हम सबको बड़ी भूमिका निभानी है।

महोदय, विगत में हाथ से सफाई करने के काम के स्थान पर मशीनीकृत पम्पिंग योजना को लागू करने हेतु प्रयास किए गए हैं। उदाहरण के लिए सेप्टिक अैंक की सफाई आदि का काम।

योजना आयोग ऐसी योजना को जवाहरलाल नेहरु राष्ट्रीय नवीकरण मिशन से जोड़ना चाहता है। क्या मंत्री जी बताएंगे कि मशीनीकृत पम्पिंग योजना का क्या हुआ?

महोदय, मैं अब अपनी बात एक चेतावनी के साथ समाप्त कर रही हूं। सरकार को हाथ से मैला उठाने की प्रथा समाप्त करते समय इन सफाई कर्मियों के पुनर्वास की एक स्पष्ट रूपरेखा बनानी चाहिए। यहां तक कि हमारी अध्यक्ष महोदया ने भी यह कहा है कि जातिप्रथा और अस्पृश्यता ने हाथ से मैला उठाने की प्रथा को बढ़ावा दिया है।

अब समय आ गया है कि हाथ से मैला उठाने की प्रथा को समाप्त किया जाए और हाथ से मैला उठाने वाले कर्मियों को इस काम से मुक्त किया जाए। आइए हम सब साथ मिलकर इस विधेयक को पारित करके हाथ से मैला उठाने की प्रथा को अलविदा करें। मैं सरकार द्वारा किए जा रहे प्रयासों का पूर्णतया समर्थन करती हूं और यह आशा करती हूं कि भारत के मानचित्र से हाथ से मैला उठाने की प्रथा मिट जाएगी।

[अनुवाद]

श्री आधि शंकर (कल्लाकुरिची) : महोदय, हाथ से मैला उठाने वाले कर्मियों के नियोजन का प्रतिषेध और उनका पुनर्वास विधेयक, 2012 पर चर्चा में भाग लेने की अनुमति देने के लिए आपका धन्यवाद।

मैं द्रमुक पार्टी की ओर से इस विधेयक का समर्थन करने के लिए खड़ा हुआ हूं। भारत में, कोई आदमी अपने कार्य के कारण मैला उठाने वाला कर्मी नहीं है। वह अपने जन्म के कारण मैला उठाने वाला कर्मी है। भले ही वह मैला उठाता है या नहीं। गांधीवाद ने सिखाया था कि मैला उठाना एक महान व्यवसाय है।

मैला उठाने वाले से तात्पर्य है ऐसा व्यक्ति जो आंशिक तौर पर या पूर्णतया हाथ से मल और गंदगी हटाने के घृणित या अमानवीय व्यवसाय में लगा हुआ है।

जल की सुविधायुक्त शौचालयों की सफाई, शवों और मृत पशुओं को हटाना हाथ से मैला उठाने की तीसरी सबसे कॉमन प्रथा है। श्रमिकों के सामाजिक-आर्थिक और शैक्षिक स्तर इतने खराब थे कि यह मुख्यतया तमिलनाडु में अरुंथाथियार समुदाय में प्रचलित है।

सभापति महोदय : कृपया संक्षेप में कहें और मुद्दे पर आएं।

...(व्यवधान)

श्री आधि शंकर : मैला उठाने वाले कर्मी और मेहतर एक व्यावसायिक श्रेणी और जाति इकाई दोनों हैं। अधिकतर मेहतर अरुंथाथियार समुदाय

से ही हैं। प्रदूषण-शुद्धि की विचारधारा शहरीकरण के साथ गुनमी हुई है और स्वच्छता की राजनीतिक अर्थव्यवस्था का परिणाम यह रहा कि जाति जाति इस अमानवीय प्रथा की शिकार बन गई। उन प्रौद्योगिकियों पर पैसा खर्च करने के बजाय, जो लोगों को दूसरों के मल-मूत्र के सीधे संपर्क में आने से दूर कर सकती हैं, स्थानीय सरकार सामाजिक कीमत चुकाने के लिए इन जाति और समुदायों के लोगों पर निर्भर रहती है।

महोदय, मैला उठाने वालों को कार्य करते हुए दस्ताने, मास्क, बूट और झाड़ू जैसे सुरक्षा उपकरण नहीं मिलते हैं। बहुत से मैला उठाने वाले कर्मियों ने पैरासाइट के संक्रमण, गेस्ट्रो बीमारियों और त्वचा संबंधी रोगों की बात बताई है। वे यह भी नहीं जानते कि हाथ से मैला उठाना संवैधानिक तौर पर अवैध है।

हमने यह पता लगाने के लिए कि हाथ से मैला उठाने वाले कितने कर्मियों का पुनर्वास किया गया और हाथ से मैला उठाने वाले कितने कर्मी अभी तक कार्य कर रहे हैं, तमिलनाडु आदि द्रविडर हाउसिंग डेवलपमेंट कारपोरेशन के पास एक आरटीआई आवेदन पेश किया था। उन्होंने कहा कि तमिलनाडु में कोई भी हाथ से मैला उठाने वाला कर्मी नहीं है। सर्वे दर्शाता है कि तमिलनाडु हाउसिंग कार्पोरेशन में मैला उठाने के समय केवल 174 से मैला उठाने वाले हैं। उन मैला उठाने वाले कर्मियों का भी दिसंबर, 2008 में पुनर्वास कर दिया गया था।

महोदय, तमिलनाडु में मदुरै, पुदुकोट्टई, तिरुवरुर और डिंडीगुल में अभी भी हाथ से मैला उठाने का कार्य किया जाता है। द्रमुक ने अपने चुनाव घोषणा-पत्र में वैकल्पिक कार्य प्रदान करके हाथ से मैला उठाने की घृणित प्रथा को समाप्त करने का वायदा किया था। 2006-07 में तमिलनाडु सरकार द्वारा करुणानिधि कलैग्नार के नेतृत्व में 12000 हाथ से मैला उठाने वाले कर्मियों को व्यवसायिक प्रशिक्षण प्रदान करने और उनके पुनर्वास के लिए 50 करोड़ रुपए की राशि आबंटित की गई थी। अगले वर्ष 2007-08 के बजट में वैकल्पिक नौकरियां प्रदान करने के लिए 59 करोड़ रुपए आबंटित किए गए थे...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय : आप मुख्य बात कहिए।

...(व्यवधान)

श्री आधि शंकर : तमिलनाडु में कलैग्नार के समय में उन्होंने सफाई कर्मियों और हाथ से मैला उठाने के घृणित कार्य में लगे हुए लोगों के सामाजिक-आर्थिक विकास के लिए पूर्ण समर्थन दिया था। कलैग्नार के नेतृत्व में तमिलनाडु सरकार ने ही उनके लिए अलग एक अलग कल्याण बोर्ड की स्थापना की थी। उन्होंने उनके पुनर्वास और वैकल्पिक आजीविका के लिए योजनाएं जारी रखीं। हमने अरुंधतिमारों को विशेष रियायत दी है क्योंकि वे अभी भी सामाजिक-आर्थिक स्थिति सबसे निचले स्तर पर है।

सभापति महोदय : अब, श्रीमती सुस्मिता बाउरी बोलेंगी।

...(व्यवधान)

श्री आधि शंकर : कलैग्नार सरकार ने उनके लिए अनुसूचित जातियों के लिए आरक्षण-कोटे के भीतर विशेष आरक्षण प्रदान करने की संभावना पर सभी राजनीतिक दलों से परामर्श करने और किसी निर्णय पर पहुंचने का प्रस्ताव किया था।

मैं भारत सरकार से अनुरोध करता हूं कि मैला उठाने वाले कर्मियों और उनके आश्रितों की पहचान करें और स्वरोजगार का कार्य करने के लिए राजसहायता और ऋण प्रदान करें।

सभापति महोदय : कुछ भी कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

*(व्यवधान)...**

[हिन्दी]

श्रीमती सुस्मिता बाउरी (विष्णुपुर) : सभापति महोदय, आपने मुझे इस बिल पर बोलने का मौका दिया, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देती हूं। यह बिल उन लोगों के लिए है, जिनके बारे में इतने समय के बाद आज सरकार विचार-विमर्श कर रही है। यह 1993 का बिल था और इसे आज बीस साल हो गये हैं, आज माननीय सैलजा जी इस बिल पर बोली हैं और हम सब माननीय सदस्य भी बोल रहे हैं। लेकिन मुझे इस बात का दुख है कि इस बिल के लिए अधिक समय देना चाहिए था, क्योंकि यह बहुत महत्वपूर्ण बिल है। हाथ से मैला उठाने वाले लोगों के बारे में यहां बहुत से माननीय सदस्यों ने अपने विचार व्यक्त किये हैं। मुझे याद है कि महात्मा गांधी जी ने भी इन लोगों के बारे सोचा था, बाबा अम्बेडकर भी इनके बारे में बोले थे कि जो हमारे देश की दलित माताएं हैं, जब उनके संतान होती थी वे सोचती थीं कि क्या मेरा बेटा या बेटी सफाई कर्मचारी बनेगा। वे लोग यह कभी नहीं सोचते थे कि मेरा बेटा या बेटी ऑफीसर बनेगी या डॉक्टर बनेगी। ऐसी बात हम लोगों को आज बहुत खेद के साथ कहनी पड़ रही है कि वे लोग अभी भी हमारे देश भर में मौजूद हैं। लेकिन सरकार के पास आंकड़ें हैं, वे सही नहीं हैं। इसीलिए अगर सरकार आज पुनर्वास के लिए सोच-विचार कर रही है तो मैं सरकार से यह आग्रह करती हूं कि आप उन आंकड़ों का ठीक से आकलन कीजिए नहीं तो जो लोग सही मायने में हकदार हैं, उनको सुविधा नहीं मिलेगी।

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

[श्रीमती सुस्मिता बाउरी]

आप लोग कह रहे हैं कि कुछ राहत मिलेगी। जैसे एजुकेशन, हैल्थ, हाऊस आदि ये सब होने चाहिए। ये लोग बहुत कट में हैं। हम लोग रेलवे में भी देखते हैं कि वहां पर भी कितने लोग काम करते हैं। हम लोग बैंगलोर गए थे, वहां पर देखा कि कुछ लोग रेलवे में कॉन्ट्रेक्ट बेस पर हाथ पर मैला उठाने वाला काम करते हैं। उन लोगों को रेलवे से 7 हज़ार रुपए मिलते हैं, लेकिन उन लोगों के कॉन्ट्रेक्टर, जो उनको नियोजित करते हैं, वे लोग उन लोगों को 3 हज़ार रुपए देते हैं। वे लोग बोल भी नहीं पा रहे हैं। हमने उनसे पूछा तो उन्होंने बताया कि मैडम, हमें 3 हज़ार रुपए मिलते हैं। यह कितने शर्म की बात है कि जब सात-साढ़े हज़ार रुपए रेलवे से मिलते हैं, तब भी वह पैसा सही मायने में काम करने वाले लोगों के हाथ में नहीं आता है। यह बहुत दुख की बात है। बहुत सी महिलाएं भी इसके साथ जुड़ी हैं। मैं देखती हूं कि आज ज्यादा से ज्यादा सफाई कर्मचारी महिलाएं हैं। माननीय मंत्री जी भी महिला हैं। इनसे पहले के मंत्री, मुकुल जी सन 2012 इस बिल को ले कर आए थे। आज मैं मंत्री जी से आग्रह करती हूं कि बहुत दिनों के बाद इन लोगों के लिए कुछ करने का मौका मिला है। इनके पुनर्वास के लिए बताया है कि इनके बच्चों को ट्रेनिंग पीरियड में पैसा मिलेगा। लेकिन यह पैसा ट्रैनिंग पीरियड तक ही मिलेगा। लेकिन ट्रेनिंग करने के बाद इन लोगों को नौकरी मिलेगी या नहीं, इसके लिए कुछ भी प्रावधान नहीं है। इसीलिए मैं चाहती हूं कि बजट में इन लोगों के लिए थोड़ा पैसा बढ़ाइए क्योंकि उनको आगे आने के लिए नौकरी की जरूरत है। यह जो काम है, यह शर्मनाक है। सुप्रीम कोर्ट ने कई बार सरकार को इसके लिए फटकार लगाई है। इसके लिए आपको कुछ सोचना चाहिए। मैं ज्यादा समय न लेते हुए अपनी बात को समाप्त करती हूं।

***श्री जगदम्बिका पाल** (डुमरियागंज) : माननीय मंत्री जी ने हाथ से मैला उठाने वाले कर्मियों के रूप में नियोजन के प्रतिषेध, हाथ से मैला उठाने वाले कर्मियों के रूप में नियोजन के प्रतिषेध, हाथ से मैला उठाने वाले कर्मियों और उनके कुटुम्बों के पुनर्वास तथा उससे संबंधथ्त या उसके अनुषंगिक विषयों का उपबंध करने वाले विधेयक को लेकर के आयी है। ये केवल विधेयक हाथ से मैला उठाने वालों पर पूर्ण प्रतिबंध लगायेगा बल्कि भारत में एक नये अध्याय का प्रारंभ होगा। क्योंकि आज भारत दुनिया के एक विकसित राष्ट्र के रूप में स्थान प्राप्त कर चुका है। फिर भी हाथ से मैला उठाने वाले की परंपरा आज भी भारत में जारी है। यहां तक कि शहरों में भी आपको हाथ से मैला उठाने वालों की संख्या दिखाई पड़ जाती है ये कितना दुर्भाग्यपूर्ण है। भारत में आज भी पूर्णरूप से मैला हाथ से उठाने वालों को पूर्ण रूप से प्रतिषेध नहीं हो सका। उनके पुनर्वास का तो अभी तक ठीक से कोई व्यवस्था नहीं प्राप्त होगी। तो उन्हें कैसे पुर्नवासित किया जा सकता है। इस दिशा में ये विधेयक एक महत्वपूर्ण कदम होगा। अभी भी लोगों के घरों में लैट्रिंस नहीं है। सबसे पहले तो स्थानीय संस्थाओं द्वारा ड्राई लैट्रिन्स को चिन्हित करना होगा तथा उसे पूर्ण रूप से ड्राई लैट्रिन्स को समाप्त करना होगा। इस विधेयक के माध्यम से समाज के बाल्मीकी समाज को वैकल्पिक रोजगार देने की व्यवस्था करना होगा। भारत के प्राधनमंत्री डॉ. मनमोहन सिंह ने भी भारत से इस प्रथा को पूर्णरूप से खत्म करने का संकल्प लिया है। अभी भी हाथ से मैला उठाने के सबसे बड़े नियोजक के रूप में देश के सभी राज्यों में स्थानीय निकाय इस तरह के लोगों को रोजगार में रखती है। अभी भी सीवर की सफाई हेतु गंदे नालों में सफाईकर्मी इस तरह का काम करते हैं। इसी तरह रेलवे में भी बहुत बड़े पैमाने पर आज भी इस तरह के कामों में लोग लगे हुये हैं। जबकि आर्टिकल 46 गरीब, अनुसूचित जाति एवं जनजाति को शोषण से मुक्त होने की सुरक्षा प्रदान करता है।

आर्टिकल 46-स्टेट शैल प्रोटेक्ट एंड वीकर सेक्शनंस पार्टीकुलरली द सीडियूल्ड कास्टस तथा सिडियूल्ड ट्राइबस फ्रॉम सोशल इनजस्टिस एंड ऑल फार्मस ऑफ एक्सपोलाईटेशन।

अभी तक देश में यह भी चिन्हित नहीं हो पाया है कि हाथ से मैला उठाने वालों की वास्तविक संख्या कितनी है। यहां तक कि अभी स्थानीय निकाय ने इनसैनिटेरी लैट्रिन्स को भी चिन्हित नहीं कर पायी है।

इस पर कई समितियां बन चुकी हैं। पहली काका कालेलकर समिति बनीं जिसने अपनी रिपोर्ट में इस प्रथा को प्रतिषेध करना आवश्यक है तथा सामूहिक लैट्रिन बननी चाहिये जो हाईजिनिक हो। "सत्यमेव जयते" के दसवें एपीसोड में जब आमिर खाने ने सिर पर मैला ढोने वालों की हकीकत बताई तो एक बार फिर इक्कीसवीं सदी में भारत के दुनिया से नजरें मिलाने पर सवाल खड़ा हो गया। इस बिल से इस काम में लगे लोगों की जिंदगी को बेहतर बनाने की कोशिश हो रही है। सफाई कर्मचारी आंदोलन के अध्ययन बिल्सन का कहना है कि इसकी रोकथाम के लिए 19 साल से कानून है लेकिन आज तक किसी को सजा नहीं मिली और एक नया कानून आने से कुछ नहीं बदलेगा। बिल के मुताबिक सिर पर मैला ढोने को खतरनाक काम की श्रेणी में रखा जाय, लोगों को इस काम में रोजगार देने या लगाने को जुर्म करार दिया जाए।

अत: मैं इस ऐतिहासिक विधेयक का पुरजोर समर्थन करता हूं और इसके पास होने से एक नया अध्याय शुरू होगा।

[अनुवाद]

श्री मोहन जेना (जाजपुर) : महोदय, सबसे पहले मैं माननीय मंत्री

*भाषण सभा पटल पर रखा गया।

को यह विधेयक लाने के लिए बधाई देता हूं। अपनी पार्टी बीजू जनता दल की ओर से मैं इस विधेयक का समर्थन करता हूं।

महोदय, हाथ से मैला उठाने का कार्य शुष्क शौचालयों से मानव मल-मूत्र साफ करने का निम्न स्तर का और अवैध कार्य है। यह मुख्यतया दलितों के लिए पुश्तैनी कार्य है। वे अस्पृश्यता के सबसे बुरे शिकार हैं क्योंकि उन्हें अस्वच्छ और अशुद्ध माना जाता है और जाति क्रम के सबसे निचले स्तर पर रखा जाता है। दलित श्रेणी के भीतर भी वे अनुसूचित जातियों के निचले भाग के प्रतिनिधित्व करते हैं।

मैं जोर देकर कह सकता हूं कि स्वतंत्र भारत में ये लोग गुलामी में रह रहे हैं। आजादी के 66 वर्ष बाद भी पूरे देश में दलित वर्ग के 1.3 मिलियन लोगों के हाथ से मैला उठाने वाले कर्मी के रूप में नियोजित होने का अनुमान है। यह अमानवीय पेशा मानव अधिकारों और मानवीय गरिमा के खिलाफ है। यह अनुच्छेद 14 की भावना के खिलाफ है; यह अनुच्छेद 17 की भावना के खिलाफ है; यह अनुच्छेद 21, जिसमें जीवन और गरिमा के बारे में कहा गया है, के खिलाफ है; यह अनुच्छेद 23 अर्थात शोषण के विरुद्ध अधिकार के खिलाफ है। यह अमानवीय प्रथा इस संसद द्वारा अधिनियमित अर्थात अनुसूचित जातियां और अनुसूचित जनजातियों (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 और नियम 1995 के विरुद्ध है।

सरकार ही नहीं बल्कि संपूर्ण प्रणाली, यहां तक कि वर्तमान जातिगत समाज उनके कष्टों के लिए जिम्मेदार है। यहां मैं भारत रत्न डॉ. बाबा साहेब अम्बेडकर को उद्धृत करता हूं। उन्होंने कहा है, भारत में कोई आदमी अपने कार्य के कारण मैला उठाने वाला कर्मी नहीं है। वह अपने जन्म के कारण मैला उठाने वाला है, भले ही वह मैला उठाने का कार्य करता है या नहीं। यह हमारे समाज की वास्तविक तस्वीर है।

इस पृष्ठभूमि में, मैं कुछ महत्वपूर्ण मुद्दों को उठाना चाहता हूं। पहले, इस सम्माननीय सभा ने एक अधिनियम अधिनियमित किया- हाथ से मैला उठाने वाले कर्मी और शुष्क शौचालयों का निर्माण (निषेध) अधिनियम, 1993 जिसमें हाथ से मैला उठाने वाले कर्मियों के नियोजन अथवा शुष्क शौचालयों के निर्माण के लिए सजा या जुर्माने का उपबंध किया गया है। मैं कहना चाहता हूं कि सरकार हाथ से मैला उठाने वाले कर्मियों के सबसे बड़े नियोक्ता के रूप में इस अधिनियम का उल्लंघन करने की दोषी है। आज भी, इस संसद द्वारा अधिनियमित अधिनियम लागू नहीं किया जाता है। अब माननीय उच्चतम न्यायालय तथा मानव अधिकार संबंधी आंदोलन और अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के दबाव में सरकार इस नए विधेयक को पारित करने जा रही है।

इसमें कोई संदेह नहीं है कि यह एक अच्छा प्रयास है और मैं अपनी पार्टी की ओर से पूरे दिल से विधेयक का समर्थन करता हूं। मौजूदा विधेयक- हाथ से मैला उठाने वाले कर्मियों के नियोजन का प्रतिषेध और उनका पुनर्वास विधेयक, 2012 में आठ अध्याय और 39 खंड शामिल हैं, परंतु, यह विधेयक काफी नरम है। कार्यान्वयन प्राधिकारी के कर्त्तव्यों और जिम्मेदारियों का बहुत महत्व है परंतु, विधेयक में इस संबंध में कोई उल्लेख नहीं किया गया है। इस संदर्भ में, मैं स्थायी समिति की एक सिफारिश का उद्धरण देना चाहता हूं।

4 मार्च, 2013 को स्थायी समिति ने यह सिफारिश की थी कि संबंधित अधिकारियों के कर्त्तव्यों और जिम्मेदारियों को निर्धारित किया जाए तथा अधिनियम को लागू करने में विलंब के लिए उन पर कुछ दंड लगाया जाए। इसी प्रकार सरकार जिला स्तरीय सर्तकता और निगरानी समिति में अनुसूचित जातियों के संसद सदस्यों की भागीदारी के लिए प्रावधान करना चाहिए, जिससे जिला परिषद सदस्य के लिए समिति में स्थान बन जाएगा।

सरकार को इस संबंध में स्थायी समिति की सिफारिश को नहीं भूलना चाहिए।

4 मार्च, 2013 को समिति ने यह नोट किया कि नए अधिनियम का सफल कार्यान्वयन मुख्य रूप से इस बात पर निर्भर करेगा कि नगर निगम, नगर पालिकाएं और ग्राम पंचायतों जैसे स्थानीय निकायों को किस प्रकार नए अधिनियम द्वारा पैदा की गई चुनौतियों का सामना करने के लिए प्रेरित और तैयार किया जाएगा।

मैंने पहले ही विधेयक में कुछ संशोधन प्रस्तुत किए हैं और मैं उनका पुन: उल्लेख नहीं करना चाहता। इन्हीं शब्दों के साथ मैं पूरे दिल से इस विधेयक का समर्थन करता हूं।

[हिन्दी]

डॉ. संजीव गणेश नाईक (ठाणे) : महोदय, मैं सरकार को और मंत्री महोदया जी को धन्यवाद करता हूं। मैं हमारी एनसीपी पार्टी की ओर से इस बिल के पक्ष में बोलने के लिए खड़ा हुआ हूं। मैं धन्यवाद करूंगा कि बहुत सालों के बाद इस तरीके का बिल लाकर, हमारे जितने भी दलित, खासकर जो हमारे बाल्मीकि समाज के लोग हैं, उनके ऊपर जो इतने सालों से अन्याय हो रहा था, उसको आज सरकार न्याय दे पा रही है।

मैं ज्यादा समय न लेते हुए दो ही चीजों के बारे में कहना चाहूंगा। जैसा अभी एक माननीय सदस्य ने कहा कि खासकर ग्राम पंचायत, नगर पंचायत, नगरपालिका, महानगरपालिका में सबसे ज्यादा इन चीजों की तकलीफों का सामना करना पड़ता है। इसके लिए उस नगर पालिका के

[डॉ. संजीव गणेश नाईक]

जो लोग हैं, सदस्य के बारे में आपने मॉनीटरिंग कमेटी में लिखा है, उसमें उनके जो सदस्य हैं, जैसे कारपोरेटर होते हैं, उनको उसमें इंक्ल्यूड करने की जरूरत है, क्योंकि जो डे-टू-डे फंक्शनिंग होती है, रोज मैला निकालना, रोज लेकर जाना, यह कौन करेगा? आखिर में जो आफिसर होते हैं उनसे ज्यादा फोन कारपोरेटर के पास आते हैं कि यहां साफ-सफाई नहीं हुयी, यहां काम ठीक से नहीं हुआ है। मैं समझता हूं कि उनको इंक्ल्यूड करने की जरूरत है। मैं सरकार से विनती करूंगा कि उनको इसमें इंक्ल्यूड किया जाए, उसमें रखा जाए।

दूसरी बात मैं उनकी सेहत के बारे में कहना चाहूंगा। मैं एक आपको उदाहरण दूंगा कि ऐसे कितने लोग हैं, जिनके यहां पारंपरिक रूप से यानी सालों-साल से उनके परिवार में आज भी वही काम हो रहा है। जब हम उनसे कहते हैं कि अपने बच्चों को आप स्कूल में डालो, तो वे कहते हैं कि क्या करना है, मेरे बच्चे को भी तो यही काम करना है। मैं इसे बहुत ही गलत बात समझता हूं। उसके लिए उनकी शिक्षा के बारे में ध्यान देना चाहिए। उनके नजदीक ही उनके लिए शिक्षा की व्यवस्था होनी चाहिए। अगर वे पढ़ेंगे-लिखेंगे तो ही आगे बढ़ेंगे, ऐसा मुझे लगता है। वैसे तो बहुत से बिल बनेंगे, लेकिन वे बिल सिर्फ कागज पर नहीं रहने चाहिए, ऐसा मैं समझता हूं। मैं अपनी ओर से और अपनी पार्टी की ओर से इस बिल का समर्थन करता हूं और आपको धन्यवाद करना चाहता हूं।

[अनुवाद]

***श्री एम. आनंदन** (विलुपुरम) : माननीय सभापति महोदय, हाथ से मैला उठाने वाले कर्मियों का नियोजन का प्रतिषेध और उनका पुनर्वास विधेयक पर बोलने का अवसर देने के लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूं। यह विधेयक देश में हाथ से मैला उठाने की प्रथा को समाप्त करने के लिए लाया गया है। मैं इसका स्वागत करता हूं। आजादी के 66 वर्षों के बाद हाथ से मैला उठाने की प्रथा पर रोक लगाने के लिए इस प्रकार का विधेयक लाना बहुत महत्वपूर्ण हैं। देश में हाथ से मैला उठाने वाले कर्मियों का होना शर्म की बात है। आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग, अनुसूचित जातियां और अरुंथाथियार समुदाय के लोग मुख्यत: हाथ से मैला उठाने के व्यवसाय में लगे हुए हैं। ये लोग बहुत दयनीय स्थिति रहते हैं और हाथ से मैला उठाने वाले कर्मी के रूप में इनके नियोजन पर किसी भी कीमत पर रोक लगाई जानी चाहिए। तमिलनाडु की माननीय मुख्यमंत्री डॉ. पुराची थैलेवी अम्मा सफाई कर्मियों के उत्थान और पुनर्वास के लिए विभिन्न कल्याणकारी योजनाएं लागू कर रही हैं। इन योजनाओं को सफाई कर्मियों का सामाजिक आर्थिक विकास सुनिश्चित करने के लिए लागू किया जा रहा है। डॉ. पुराचीथैलवी अम्मा ने सफाई कर्मियों की सामाजिक असमानता को दूर करने उनकी आर्थिक स्थिति में सुधार लाने और उनके बच्चों को नि:शुल्क तथा गुणवत्तायुक्त शिक्षा प्रदान करने के लिए योजनाएं लागू की है। तमिलनाडु में सफाई कर्मियों के बच्चों को नि:शुल्क साईकिल, नोटबुक और शिक्षा प्रदान की जाती है। माननीय मुख्यमंत्री ने विशेष रूप से तमिलनाडु आदि द्रविड आवास विकास निगम के माध्यम से सफाई कर्मियों के कल्याण हेतु अनेक दूरगामी पहल की हैं। सरकारी अधिकारियों की सिफारिश और राजसहायता सहित ऋण आवेदनों को बैंकों को भेजा जा रहा है। परंतु, इसके बावजूद बैंक आवेदकों को ऋण प्रदान नहीं करते। बैंक ऋण के वितरण हेतु समर्थक-ऋणाधार कोलेटरल सिक्युरिटी की मांग करते हैं। ये सफाई कर्मी बैंकों से ऋण लेने के लिए समर्थक ऋणाधार कैसे दे सकते हैं। मेरे निर्वाचन क्षेत्र में विशेष रूप से हाथ से मैला उठाने वाले कर्मियों को सिफारिश के बाद भी स्व रोजगार करने के लिए बैंक ऋण प्रदान नहीं किया जा रहा है। मेरा सरकार से यह अनुरोध है कि बिना समर्थक ऋणाधार के हाथ से मैला उठाने वाले कर्मियों को ब्याज मुक्त ऋण प्रदान किया जाए। तमिलनाडु की संभी पंचायतों में विशेष रूप से अस्वच्छ शौचालयों को इस्तेमाल करने वाली महिलाओं के लिए माननीय मुख्यमंत्री डॉ. पुराचीथैलेवी अम्मा के नेतृत्व में राज्य सरकार ने 24 घंटे जलापूर्ति सहित सभी सुविधाओं से युक्त स्वच्छता परिसरों का निर्माण कराया है। माननीय मुख्यमंत्री ने तमिलनाडु राज्य में हाथ से मैला उठाने की प्रथा पर रोक लगाने की पहल की है। अरुंथाथियार समुदाय के लोग जो मुख्य रूप से मैला उठाने के व्यवसाय में लगे हुए हैं, की आर्थिक स्थिति में सुधार लाने के अतिरिक्त उन्हें विधायी निकायों में उचित प्रतिनिधित्व दिया जाता है। राज्यों से प्राप्त आंकड़ों के अनुसार, भारत में 7,70,338 मैला उठाने वाले कर्मी और उन पर आश्रित लोग हैं। एनएसएलआर योजना के अंतर्गत देश में 4,27,870 मैला उठाने वाले लोगों को सहायता प्रदान की जा रही है और शेष का पुनर्वास किया जाना शेष है। यह पुनर्वास कार्य शीघ्र आरंभ किया जाना चाहिए चिन्हित किए गए मैला उठाने वाले कर्मियों को कौशल विकास प्रशिक्षण, ऋण और राजसहायता प्रदान की जानी चाहिए। केन्द्र सरकार को उक्त सफाई कर्मियों के बच्चों को शिक्षा प्रदान करनी चाहिए और यह सुनिश्चित करना चाहिए कि उनके जीवन स्तर में सुधार हो। केन्द्र सरकार को भी राज्यों को पर्याप्त धनराशि प्रदान करनी चाहिए। तमिलनाडु में, अनुसूचित जाति के लोगों की संख्या काफी अधिक है। एक सरकारी उपक्रम एनएसएफडीसी, उन्हें वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए तैयार है परंतु, इस संबंध में बैंक सहयोग नहीं करते। बैंक, संसद सदस्य की सिफारिश पर ऋण प्रदान नहीं करते। बैंक अधिकारियों का यह कहना है कि उनके पास इस संबंध में कोई आदेश नहीं है। अन्य राज्यों को भी तमिलनाडु का अनुसरण करना चाहिए, जिसने

*मूलत: से तमिल में दिए गए भाषण के अंग्रेजी अनुवाद का हिन्दी रूपांतर।

मैला उठाने वाले कर्मियों के उत्थान के लिए प्रशंसनीय कार्य किया है। 'तमिलनाडु की माननीय मुख्यमंत्री डॉ. पुराचीथेलैवी अम्मा द्वारा लागू की गई विभिन्न योजनाओं से अनुसूचित जातियों, पिछड़े वर्गों और अरुंथाथियार समुदाय के लोग लाभान्वित हो रहे हैं। केवल इतना ही नहीं मैं यह भी कह सकता हूं कि तमिलनाडु में सफाई कर्मियों के जीवन स्तर में काफी सुधार आया है।

इन शब्दों के साथ मैं अपना भाषण समाप्त करता हूं।

[हिन्दी]

***डॉ. किरीट प्रेमजीभाई सोलंकी** (अहमदाबाद पश्चिम) : मैं इस बिल का स्वागत करता हूं, साथ साथ ये भी कहना चाहता हूं कि ऐसा महत्वपूर्ण विधेयक बहुत देर के बाद लाया गया है।

मैं समझता हूं कि यह एक राष्ट्रीय शर्म की बात है। कोई व्यक्ति अपने हाथो से मैला उठाते हैं, वह पूरे समाज एवं देश के लिए बड़ी दु:ख की बात है।

दलित समाज के सफाईकर्मी समाज, जो सबसे पिछड़ा है, ये उनके प्रति अन्याय है। मैं समझता हूं कि इसके लिए हम सबको प्रायश्चित करना चाहिए। ये घृणित कार्य के लिए हम सब, पूरा समाज जवाबदार है। मैं ये भी आपके संज्ञान में लाना चाहता हूं कि मैनहोल में उतरते वक्त सफाईकर्मी का दूषित गैस की वजह से मौत भी होती है। मेरी मांग है कि इस प्रथा को त्वरित बंद करनी चाहिए और नए टेक्नीक को इस्तेमाल करके उसे वैज्ञानिक तरीके से करना चाहिए।

मैं स्वच्छता का पवित्र कार्य करने वाले अपने शोषित बंधुओं को प्रणाम करता हूं और मैं मांग करता हूं कि उनके रीहैबीलिटेशन, उनके स्वास्थ्य के प्रति जवाबदेही रखना चाहिए। उनको आवास, उनके बच्चों को शिक्षा उपलब्ध करवाना चाहिए।

यह घृणित प्रथा शीघ्र ही बंद करनी चाहिए। रेल मार्गों पर जो गंदगी होती है, उनके लिए रेलवे डिपार्टमेंट को अपना दायित्व निभाना चाहिए।

पुन: मैं इस विधेयक का समर्थन करता हूं।

[अनुवाद]

श्री नामा नागेश्वर राव (खम्माम) : सभापति महोदय, हाथ से मैला उठाने वाले कर्मियों के नियोजन का प्रतिषेध और उनका पुनर्वास विधेयक, 2012 पर चर्चा में भाग लेने हेतु यह अवसर प्रदान करने के लिए आपको धन्यवाद।

*भाषण सभा पटल पर रखा गया।

[हिन्दी]

महोदय, यह बिल तो बहुत पहले लाना चाहिए था मगर देर से ही सही, ऑनरेबल मिनिस्टर शैलजा जी इस बिल कोई को लाई हैं, उसके लिए मैं उनको बधाई देना चाहता हूं। जो भी किसान और गरीब लोग हैं, उनकी याद सरकार को इलैक्शन्स के एक साल पहले ही आती है। उसी प्रकार से जो भी बिल सरकार अभी ला रही है, वह इलैक्शन्स को ध्यान में रखते हुए ला रही है, ऐसा इंडीकेशन सरकार दे रही है। पिछले 9 सालों में हम इस सदन में बहुत बार मैनुअल स्कैवैन्जर्स के बारे में डिसकस कर चुके हैं। हम सभी लोगों ने कहा था कि इसके ऊपर यदि बिल लाएंगे तो हम सब इसे सपोर्ट करेंगे।

इस बिल को सपोर्ट करते हुए मैं कुछ पॉइंट्स रखना चाहता हूं। आज बिल पास हो जाएगा, एक्ट बन जाएगा मगर इसमें सबसे बड़ा चैलेन्ज इस बिल का इंप्लीमैन्टेशन है। इम्पलीमेंटेशन के लिए माननीय मंत्री जी को कैम्पेनिंग करनी चाहिए। कॉर्पोरेशन्स, म्युनिसीपेलीटिज़ लोकल बॉडीज़, ग्राम पंचायतों को एजुकेट करके इम्पलीमेंटेशन के लिए मीटिंग्स करनी चाहिए। सबसे ज्यादा इस समय रेलवे स्टेशन्स पर प्राब्लम है। रेलवे स्टेशन्स में मैकेनिकल आटामेशन सिस्टम को लाना चाहिए। आज रेलवे में फंड की बहुत प्राब्लम है। जितनी भी जरूरत है, विशेषकर इस एक्ट के अंतर्गत जो भी आएगा, उसके लिए फंड्स की जितनी भी जरूरत है, उसके लिए सेंटर गवर्नमेंट का प्रोविजन्स होना चाहिए। आटोमेशन सभी जगह होना चाहिए और टेक्नोलॉजी को यूटीलाइज करना चाहिए। टेक्नोलोजी का आटोमेशन करते हुए जो भी लोग इस काम को करते हैं, उनको डबल वेजिज़ देने चाहिए। उनके बच्चों को सर्व शिक्षा अभियान के तहत टेक-केयर करना चाहिए। इसके साथ-साथ मैं यही कहना चाहता हूं कि डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर में जो भी मॉनिटरिंग कमेटी रहेगी, कारपोरेशन में जो कमेटी होगी, म्युनिसिपेलिटी में जो कमेटी होगी, उन लोगों को इन्वाल्व करना चाहिए, कारपोरेटर्स को इन्वाल्व करना चाहिए। डिस्ट्रिक्ट लेवल में एमपीज़ और एमएलएज़ को इन्वाल्व करना चाहिए।

***श्री पन्ना लाल पुनिया** (बाराबंकी) : 21वीं शताब्दी में आज भी भारत जैसे देश में आदमी ही आदमी का मैला ढोने का कार्य कर रहा है। वर्ष 2006 में 7.73 लाख सफाई कर्मी यह कार्य कर रहे थे, जिनकी संख्या घटकर नवम्बर 2012 में 3.42 लाख ही रह गयी।

भारतीय संस्कृति के समक्ष समाज के लिए इस कार्य को कलंक के रूप में देखा जाता है। इस धंधे में किसी को कोई आनन्द नहीं आता, मजबूरी में गरीबी के कारण यह कार्य करना पड़ता है। यह कार्य एक प्रथा के रूप में देखा जा रहा है, हालांकि राज्य प्रथा की समाप्ति की पुष्टि

*भाषण सभा पटल पर रखा गया।

[श्री पन्ना लाल पुनिया]

करते हैं, लेकिन वास्तविकता में ऐसा नहीं है। भविष्य में लोग मजबूरी के कारण इस कार्य में ना लगे इसके लिए आवश्यक कदम उठाने की आवश्यकता है। इस संबंध में केन्द्र व राज्य सरकारों ने काफी योजनाएं बनाई, लेकिन धरातल पर इन योजनाओं का असर देखने में नहीं आता। इस बिल के माध्यम से मैनुवल स्कैवन्जर्स और अस्वच्छ शौचालयों को पहचानने के लिए मैनुवल स्कैविंजिंग की परिभाषा का विस्तार करते हुए रेलवे ट्रैक, खुली नालियां, मैनहॉल, अस्वच्छ शौचालयों की सफाई आदि कार्यों को इसमें शामिल किया गया है, ताकि इन कार्यों से जुड़े लोगों को राहत पहुंचाई जा सके। यह एक अत्यंत गंभीर सामाजिक समस्या है, जिसे जड़ से मिटाने के लिए पूरे समाज को साथ देना होगा।

वर्ष 1993, से हाथ से मैला उठाने वाले कर्मियों का नियोजन और शुष्क शौचालयों का निर्माण (प्रतिषेध) अधिनियम लागू है, जिसमें सुरक्षा उपकरण, सफाई कर्मियों का पुनर्वास एवं सर्वे का प्रावधान नहीं किया गया था। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय के अनुसार आज भी 14 राज्यों में हजारों लोग मैला ढोने का कार्य कर रहे हैं। मिडिया रिपोर्ट 2012 के अनुसार उत्तर के 42 जिलों में 5530 *[अनुवाद]* हाथ से मैला उठाने वाले कर्मी हैं। वर्ष 2011 तक इस कार्य से जुड़े 78000 लोगों का पुर्नवास किया जा चुका है, जो कि नाकाफी है। 2011 के सेन्सस के अनुसार अभी भी 23 लाख गड्डा शौचालय और अस्वच्छ शौचालय हैं। मंत्रालय ने इन लोगों की वास्तविक संख्या एवं स्थिति जानने के लिए एक सर्वे कराने का निर्णय लिया है, जिसे तत्काल प्रारंभ किया जाना आवश्यक है। सफाई कर्मचारियों के हितों की रक्षा के लिए राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी आयोग भी बना है, जो अपना काम पूरी जिम्मेवारी से कर रहा है। आयोग को इस एक्ट के इम्पलीमेंटेशन की जिम्मेवारी दी गयी है।

केन्द्र सरकार द्वारा भी सफाई कर्मचारियों के लिए अनेकों कल्याणकारी योजनाएं तैयार की गयी हैं। 1993 में हाथ से मैला उठाने वाले कर्मियों का नियोजन और शुष्क शौचालयों का निर्माण (प्रतिषेध) अधिनियम के तहत संविधान के अनुच्छेद 15,16,17 में नौकरी का प्रावधान किया गया था।

वित्तीय सहायता देकर स्वरोजगार स्कीम के अंतर्गत पुनर्वास करने की योजना (हाथ से मैला उठाने वाले कर्मियों के पुनर्वास हेतु स्वयं रोजगार योजना। 2007 में प्रारंभ की गयी, जिसमें पिछले तीन वर्षों में 173.50 करोड़ की धनराशि जारी तथा 147.61 करोड़ खर्च किए जा चुके हैं।

संपूर्ण स्वच्छता अभियान जो अब निर्मल भारत अभियान के नाम से जानी जाने वाली योजना के तहत ग्रामीण क्षेत्रों में टॉयलेट उपलब्ध कराने के उद्देश्य से पिछले 3 वर्षों में 4009.25 करोड़ की धनराशि राज्यों को जारी की गयी, जिसमें से 3844.86 करोड़ की धनराशि खर्च की जा चुकी है।

शहरी क्षेत्रों के गरीबों को एकीकृत अल्प लागत स्वच्छता योजना के अंतर्गत शुष्क शौचालयों को अल्प लागत वाले जल बहाव शौचालयों और जहां किसी भी प्रकार के शौचालय नहीं है वहां नये बनाने हेतु 215.16 की धनराशि राज्यों को जारी की गयी, जिसमें से 113.91 करोड़ खर्च किए जा चुके हैं।

अनुसूचित जाति/जनजाति के कल्याण से संबंधित अनेकों बिल पास करने हेतु संसद में लंबित है, जिसमें से एक हाथ से मैला उठाने वाले कर्मियों और उनका पुनर्वास विधेयक, 2012 भी है, जो कि 3 सितंबर, 2012 को लोकसभा में पेश किया गया है, जिस पर स्टैंडिंग कमेटी ने अपनी रिपोर्ट 4 मार्च, 2013 को दी। इस बिल को अनेकों बार चर्चा हेतु कार्यसूची में सम्मिलित किया गया, आज इस महत्वपूर्ण बिल पर चर्चा हो रही है।

यूपीए सरकार ने शुष्क शौचालय एवं मेनूवल स्कैविंजिंग जैसे कार्य को प्राथमिकता के आधार पर समाप्त करने, हाथ से मैला ढोने तथा सेप्टिक टैंक एवं सीवर लाईन से बिना सुरक्षा उपकरणों के उतर कर सफाई करने जैसे कार्यों को पूर्णतया प्रतिबंधित करते हुए इस कार्य से जुड़े लोगों का पुनर्वास के साथ-साथ उनके स्वास्थ्य और सुरक्षा करने का निर्णय लिया है। इस बिल में किए गए प्रावधानों का उल्लंघन करने तथा उल्लंघन करने के लिए बाध्य करने पर सजा का प्रावधान भी किया गया है, जिसकी जिम्मेवारी स्थानीय निकाय, कन्टोमेंट बोर्डउ एवं रेलवे की तय की गयी है। इस बिल में सरकार ने केन्द्रीय मॉनिटरिंग कमेटी के साथ-साथ राज्य स्तरीय मॉनिटरिंग कमेटी, जिले के लिए विजिलेंस कमीशन बनाने तथा आवश्यक जांच हेतु इंस्पेक्टर की नियुक्ति का प्रावधान किया गया है।

इस बिल के अनुसार कानून को लागू करने के लिए तथा उल्लंघन करने की स्थिति में सजा देने के लिए एक ही व्यक्ति (कार्यकारी मजिस्ट्रेट) को जिम्मेदार बनाया गया है, जो कि अनुचूति प्रतीत होता है। इस बिल में संक्षिप्त जांच के बाद 5 साल तक की सजा का प्रावधान है जबकि आपराधिक दंड प्रक्रिया संहिता के तहत दो साल तक की सजा का प्रावधान के मामले ही संक्षिप्त जांच से निस्तारित किए जा सकते हैं।

मेरा अनुरोध है कि हाथ से मैला उठाने वाले कर्मियों से जुड़े लोगों की संख्या एवं उनकी स्थिति जानने के लिए सर्वे तुरंत प्रारंभ कराया जाए। आवास एवं शहरी गरीबी उपशमन मंत्रालय के साथ मिलकर वैकल्पिक कारोबार एवं रोजगार के अवसर प्रदान किए जाने चाहिए। यह देखने में आया है कि इस कार्य से जुड़े लोग शिक्षा के महत्व को नहीं समझे कम उम्र में ही अपने बच्चों को भी साथ काम कराने लगते है। उन्हें जागरूक करने की आवश्यकता है, उनकी स्किल डवलपमेंट की भी आवश्यकता

है, उनके बच्चों को शिक्षा प्रदान करने के लिए आवश्यक कदम उठाने चाहिए, एससीपी फंड के माध्यम से रेजिडेन्शियल स्कूल खोले जाने चाहिए। शिक्षा के अधिकार कानूनम में ऐसे बच्चों के लिए 50 प्रतिशत तक आरक्षण की व्यवस्था की जा सकती है। शहरी क्षेत्र में सफाई कर्मचारियों की संख्या अधिक है, सरकार को इस वर्ग पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। मैं सत्यमेव जयते कार्यक्रम की पूरी टीम और अभिनेता आमिर खान जी को भी इस समस्या को देश के सामने रखने और इनके निदान के लिए सहयोग करने के लिए धन्यवाद देता हूं।

अत: मैं इस बिल का समर्थन करता हूं।

[अनुवाद]

श्री प्रबोध पांडा (मिदनापुर) : महोदय, मैं हाथ से मैला उठाने वाले कर्मियों के नियोजन का प्रतिषेध और उनका पुनर्वास विधेयक, 2012 का समर्थन करता हूं।

महोदय, हाथ से मैला उठाने का काम एक अमानवीय जाति आधारित परंपरा है जिसमें नंगे हाथों से मानव मल का निपटान किया जाता है। दलितों और मुस्लिम दलितों की कितनी ही पीढ़ियां सफाई के काम में संलग्न रही है और उनमें से 98 प्रतिशत महिलाएं हैं। इसलिए, अब समय आ गया है, यद्यपि यह लंबे समय से प्रतीक्षित था, कि इस तरह की अमानवीय परंपरा का उन्मूलन किया जाए। यह मात्र प्रोत्साहन अथवा पुनर्वास हेतु नहीं है अपितु यह मानवीय गरिमा पर ध्यान देने का प्रश्न है। इसलिए, इस संबंध में, मैं माननीय मंत्री के विचार हेतु कुछ सुझाव रखना चाहता हूं। पहला, एक व्यावहारिक और मजबूत पुनर्वास योजना बनानी चाहिए। इस योजना में क्षतिपूर्ति, शिक्षा, आवास और रोजगार हेतु पर्याप्त प्रावधान होने चाहिए। इस विधेयक में शहरी स्थानीय निकायों, पंचायती और सरकारी कार्यालयों के उन अधिकारियों के विरुद्ध जेल और अर्थदंड का प्रावधान होना चाहिए जो उनके स्वयं के परिसरों अथवा उनके अधिकार क्षेत्रों में शुष्क शौचालयों के अस्तित्व हेतु उत्तरदायी हो। मुक्त कराए गए परिवारों के बच्चों हेतु एक राष्ट्रीय छात्रवृत्ति कार्यक्रम की शुरूआत की जानी चाहिए। हाथ से मैला उठाने के काम से मुक्त कराए गए परिवारों को सरकार द्वारा पर्याप्त भूमि उपलब्ध कराई जानी चाहिए। कौशल विकास हेतु पर्याप्त प्रशिक्षण सहित स्व-रोजगार उपलब्ध कराना चाहिए। पीड़ितों को उनकी इच्छा के अनुरूप पुन:कौशल और स्वयं के पुन:रोजगार में सहायता के लिए ऋण और राजसहायता के स्थान पर प्रत्येक को कम से कम 3 लाख रुपए का विशुद्ध अनुदान दिया जाए। 1993 के बाद भारत सरकार द्वारा हाथ से मैला उठाने वालों के पुनर्वास और इस कार्य के उन्मूलन हेतु बनाई गई सभी योजनाओं की संपूर्ण लेखापरीक्षा की जानी चाहिए।

मुझे नहीं मालूम कि रेलवे क्षेत्र को इसमें शामिल क्यों नहीं किया गया है। रेलवे में बड़ी संख्या में कर्मचारी हाथ से मैला उठाने के काम में संलग्न हैं। इसलिए इसे नहीं छोड़ना चाहिए। महोदय, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय, पेयजल और स्वच्छता मंत्रालय, ग्रामीण विकास मंत्रालय, गरीबी उन्मूलन मंत्रालय, शहरी विकास मंत्रालय, रेलवे मंत्रालय जैसे कुछ मंत्रालय हैं। इस तरह, आठ मंत्रालय हैं। इसलिए, मेरा प्रस्ताव और अनुरोध यह है कि कृपया हर चीज पर निगरानी के लिए आठ मंत्रालयों की एक समन्वय समिति का गठन करें ताकि इन सब कार्यक्रमों को लागू किया जा सके।

मैं इस तरह का विधेयक लाने के लिए मंत्री को बधाई देता हूं। मैं उनको धन्यवाद देता हूं और इस विधेयक का समर्थन करता हूं।

[हिन्दी]

श्री जगदानंद सिंह (बक्सर) : सभापति जी, हाथ से मैला उठाने वाले कर्मियों के नियोजन का प्रतिषेध और उनका पुनर्वास विधेयक, 2012 का मैं पुरज़ोर समर्थन करता हूं।

महोदय, यह आज की आवश्यकता है। आज भी हाथ से मैला उठाना एक राष्ट्रीय शर्म है। राष्ट्र को इससे बचना होगा। केवल कानून बना देने से कार्य नहीं चलेगा।...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

सभापति महोदय : कृपया व्यवस्था बनाए रखिए।

...(व्यवधान)

सभापति महोदय : उन्हें पूरा करने दीजिए।

...(व्यवधान)

सभापति महोदय : विधेयक पर बोलने वाले वह आखिरी सदस्य हैं।

...(व्यवधान)

सभापति महोदय : विधेयक पर बोलने वाले वह आखिरी सदस्य हैं। उसके बाद मंत्री जवाब देंगे। और तब आप इस मुद्दे को उठा सकते हैं।

...(व्यवधान)

सभापति महोदय : माननीय सदस्यों, कृपया अपने स्थान पर बैठ जाइए।

...(व्यवधान)

सभापति महोदय : हर कोई यह महसूस करता है कि यह एक बहुत महत्वपूर्ण विधेयक है। इसलिए हम इस विधेयक को पारित कर सकते हैं। तब, आप मुद्दा उठा सकते हैं।

...(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री जगदानंद सिंह : महोदय, जब तक राजनीतिक इच्छा शक्ति का अभाव रहेगा कभी भी इस देश में हाथ से मैला उठाने की प्रथा समाप्त नहीं होगी।*...(व्यवधान)*

[अनुवाद]

सभापति महोदय : ठीक है, कृपया बैठ जाइए।

...(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री जगदानंद सिंह : सभापति जी, वर्ष 2011 से तय है कि इस देश में सर्वे किया जाए कि इनकी संख्या कितनी है? आज तक सही सर्वे नहीं हुआ है।*...(व्यवधान)* सबसे बड़ी बात है कि हाथ से मैला उठाना केवल जीविका का साधन नहीं है, बल्कि यह छुआछूत का भी मामला है। *...(व्यवधान)*

[अनुवाद]

सभापति महोदय : कृपया समाप्त कीजिए।

...(व्यवधान)

श्री जगदानंद सिंह : महोदय, जब तक बच्चे स्कूलों में नहीं पहुंचेंगे तब तक उनका घरों में काम करने का, दूसरे रोज़गार के अवसर प्राप्त नहीं होंगे।

सभापति महोदय : माननीय मंत्री।

...(व्यवधान)

सभापति महोदय : कृपया अपने स्थान पर बैठ जाइए।

...(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री जगदानंद सिंह : सभापति जी, इस देश में सात लाख सत्तर हजार लोग अभी भी हाथ से मैला उठाने के कार्यों में लगे हुए हैं।*...(व्यवधान)* बिहार जैसे राज्य में करीब-करीब तीस हजार लोग इस कार्य में लगे हुए हैं।*...(व्यवधान)*

महोदय, मैं एक अन्तिम बात कहना चाहता हूं और माननीय मंत्री जी भी शायद इसका जवाब देंगी। वर्ष 2011-12 में इस कार्य के लिए 100 करोड़ रुपए आवंटित था लेकिन एक पैसा भी खर्च नहीं हुआ। हाथ से मैला उठाने वाले परिवार के बच्चों को पढ़ने के लिए जो पैसे दिए गए थे, उसमें एक भी पैसा खर्च नहीं हुआ। इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूं कि राजनीतिक इच्छा शक्ति से आप आगे बढ़िए।

[अनुवाद]

सभापति महोदय : कृपया शांत रहिए।

...(व्यवधान)

सभापति महोदय : ठीक है। माननीय मंत्री।

...(व्यवधान)

सभापति महोदय : कृपया समाप्त कीजिए।

...(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री जगदानंद सिंह : महोदय, जब तक एक भी व्यक्ति हाथ से मैला उठाने वाला रहेगा, कभी भी इस देश में यह कानून सफल नहीं होगा।

कुमारी सैलजा : सभापति महोदय, आपको धन्यवाद। मैं उन सभी माननीय सदस्यों की आभारी हूं जिन्होंने इस चर्चा, इस बहस में भाग लिया। *...(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री शैलेन्द्र कुमार (कौशाम्बी) **:** हिन्दी में बोलिए। इस देश का दलित सुन रहा होगा।*...(व्यवधान)*

कुमारी सैलजा : मैं दोनों भाषाओं में बोलूंगी- अंग्रेजी में भी और हिन्दी में भी। मैं हरियाणवी में भी बोल सकती हूं।

[अनुवाद]

सभापति महोदय : वह दोनों भाषाओं में बोलेंगी।

[हिन्दी]

कुमारी सैलजा : मैं सभी माननीय सदस्यों की बहुत शुक्रगुज़ार हूं जिन्होंने इस बिल पर अपने-अपने विचार व्यक्ति किए। समय कम था, लेकिन इसके बावजूद काफी महत्वपूर्ण बातें यहां पर आयी हैं, सुझाव यहां पर आए हैं।

सर, पहला बिल वर्ष 1993 में लाया गया और एक कानून बना। लेकिन हमने पाया कि पिछले तकरीबन बीस सालों में जहां यह प्रथा बहुत पहले खत्म हो जानी चाहिए थी, वह खत्म नहीं हुई। जैसा कि कुछ सदस्यों ने कहा, मेघवाल जी ने कहा कि एक मानसिकता होनी चाहिए थी, माइंडसेट भी होना चाहिए था।...*(व्यवधान)* बोलने को बहुत कुछ है।...*(व्यवधान)* मैं जानती हूं आप समर्थन में हैं और मैं आपकी इस बात के लिए बहुत ही शुक्रगुजार हूं। मैं यह बात भी रिकॉर्ड पर रखना चाहूंगी कि सन् 1993 के बाद यह महसूस किया गया कि ये पूरी तरह से और सही ढंग से लागू नहीं हो पाया। इसको दोबारा हम लाए, इसलिए 2012 में मेरे प्रीडिसेसर श्री मुकुल वासनिक जी ने यह बिल यहां पर इंट्रोड्यूस किया था और उसके बाद स्टैंडिंग कमेटी को यह बिल गया। मैं यह बात भी रिकॉर्ड पर रखना चाहूंगी, हालांकि अनंत कुमार जी कह रहे हैं, ये पूरा समर्थन दे रहे हैं। हाउस के सभी सैक्शंस इसको समर्थन दे रहे हैं। यह बात भी मैं रिकॉर्ड पर रखना चाहूंगी कि यह 2012 में भी नहीं आता, अगर हमारी यूपीए की अध्यक्षा, श्रीमती सोनिया गांधी जी,...*(व्यवधान)* इसके पीछे ड्राइविंग कोच श्रीमती सोनिया गांधी जी, बेशक हमारे साथी माननीय सदस्य, श्री अनंत कुमार जी को उनके नाम से एतराज हो और हमारे कहने पर भी शायद उन्हें एतराज हो, लेकिन आपकी कमिटमेंट आपके किस नेता के प्रति है, मैं नहीं जानती, कौन से आपके नेता हैं, किन के प्रति आपकी कमिटमेंट है, लेकिन हमारी कमिटमेंट अपनी नेता श्रीमती सोनिया गांधी जी के प्रति है। हम उनकी बात को एकनॉलेज करते हैं। उनके कारण ही यह बिल यहां पर आया।

संक्षेप में मैं कहूंगी कि पहले बिल एनेक्ट करने के बावजूद ये इसलिए लागू नहीं हो पाया, क्योंकि इसे लागू करने की स्टेट्स को हमने ऑप्शन दे दी थी। लेकिन अब जब हम ये प्रपोज़ बिल यहां पर लेकर आए हैं, ये सेंट्रल बिल होगा। *[अनुवाद]* यह संविधान की सातवीं अनुसूची के अंतर्गत है- सातवीं अनुसूची की सूची-तीन की 97वीं प्रविष्टि *[हिन्दी]* जिसके तहत ये सेंट्रल एक्ट बनेगा और यह सब पर लागू होगा। यह भी बेशक सुप्रीम कोर्ट ने कहा, लेकिन सुप्रीम कोर्ट की बात जहां तक हम कहें, वहां पर तकरीबन सभी राज्यों ने यह लिख कर कह दिया कि हमारे यहां यह प्रथा ही नहीं है। जहां इस तरह की बात, हम डिनायल मोड में होंगे, यह मानसिकता तो वहीं से सभी राज्यों की नजर आ जाती है कि क्या वे इस बात को मानते हैं, पहचानते हैं। यह हमारे ऊपर, समाज के ऊपर और देश के ऊपर एक कलंक है। मैंने पढ़ा कि जब हमारा देश आजाद हुआ, सिंगापुर आजाद हुआ, तब वहां पर भी ये प्रथा थी। लेकिन उनकी मानसिकता थी, उन्होंने इसे पहचाना, माना, रिकोग्नाइज़ किया और उसे खत्म किया। लेकिन क्या कारण है कि आज तक हम इस प्रथा को खत्म नहीं कर पाए हैं और कहने को कह देते हैं कि ये प्रथा है ही नहीं, मानते ही नहीं। जब मैं हाउसिंग और अरबन पावर्टी एलिविएशन मंत्रालय में थी, तो इसे लागू करने की हमारे पास एक स्कीम थी, ड्राइ लेट्रिंस को कंवर्ट करने की। हम राज्यों को लिख-लिख कर, उनसे बात कर-कर के थक जाते थे कि आप हमसे पैसे लीजिए, आप इस प्रथा को खत्म कीजिए, ड्राइ लेट्रिंस को कंवर्ट कीजिए, लेकिन हमारे पास प्रपोजल ही नहीं आते थे, क्योंकि सब राज्यों ने लिखकर दे रखा है, एफिडेविट दे रखे हैं तो वे कैसे मानें, कि ये प्रथा अभी भी चल रही है। इसलिए ये मानसिकता चेंज करने की जरूरत है। जहां मानसिकता चेंज करने की जरूरत है, वहां एक बहुत ही स्ट्रांग कानून की भी जरूरत है। इसीलिए हम ये कानून यहां पर लेकर आए हैं।

मैं संक्षेप में कहना चाहूंगी कि ये कानून बहुत ही व्यापक रूप से, डिटेल में जो माननीय सदस्यों ने प्वाइंट्स उठाए, सबको एड्रेस करता है, चाहे रिहेबिलिटेशन की बात हो, सर्वे की बात हो। सर्वे की बात भी मैं कहना चाहूंगी। वर्ष 2011 के मुताबिक हमने पाया है कि आज 26 लाख इनसैनिट्री लैट्रिंस हमारे देश में हैं। यह कोई छोटी संख्या नहीं है। यह माना गया है, लेकिन हमारे सामने सर्वे के आंकड़े नहीं आए हैं कि कितने लोग मैला ढोने की प्रथा में अभी भी इंगेज्ड हैं, जो यह कार्य कर रहे हैं। यह हमारे सामने नहीं आया है। इसका सर्वे चल रहा है। रूरल डेवलपमेंट मिनिस्टर भी यहां पर मौजूद हैं। इनसे भी इस पर हमारी करेस्पांडेंस होती है, बातचीत होती है। अभी सर्वे चल रहा है। जो सोशियो-इकॉनामिक सर्वे है, वह रूरल एरियाज का भी होगा और हो रहा है। इससे और आंकड़े हमारे सामने आएंगे, तो सारी बात साफ हो जाएगी। लेकिन बात इसकी नहीं है, इंतजार उसका नहीं है। यह कानून बनेगा। इसमें हर जगह, हर शहर में जहां भी म्युनिसपलिटीज हैं, जो भी शहर या गांव हैं, सब जगह सर्वे होगा। हमारे इस एक्ट में सभी प्रावधान हैं, सर्वे के लिए, पीनल एक्शन के लिए कि कैसे हम लोगों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई कर पायेंगे, फाइन भी होगा, इम्प्रिजनमेंट की भी बात है, वह सारा कुछ इसमें है।

इसके अलावा रीहैबिलिटेशन की भी एक मेजर बात सामने आयी है,...*(व्यवधान)* एजुकेशन की, रीहैबिलिटेशन की, तो यह जो सैक्शन 13 है, उसमें बहुत ही डिटेल में इस पर हमने बताया हुआ है कि हम कैसे इनका रीहैबिलिटेशन करेंगे। मैकेनाइजेशन की बात कही कि आज के दिन जहां टेक्नोलॉजी इतनी आगे बढ़ गयी है, हमारा देश बहुत आगे बढ़ चुका है, लेकिन इन चीजों में हम क्यों पीछे हैं? इस पर भी हम ध्यान दे रहे हैं। सेप्टिक टैंक्ट्स और सीवेज के बारे में बहुत से हमारे साथियों ने कन्सर्न जाहिर की है तो उसके लिए भी मैं बताना चाहूंगी कि इसको हमने रैग्युलेटेड एक्टिविटी इस बिल में बताया है, ताकि उसे ध्यान से देखा जायेगा और उस पर क्या स्टेप्स लिये जायेंगे, वह भी होगा।

[कुमारी सैलजा]

सीवेज ओर सेप्टिक टैंकों में संलग्न लोगों की गतिविधियों को विनियमित करने हेतु मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एक नया बिल ला रही है। ये चिंताएं वास्तविक हैं, और मेरी यह चिन्ता सभी अन्य मंत्रालयों के साथ साझी है। अंदर मिनिस्ट्रीज जिनसे भी हमें बात करनी होगी, जिनसे ताल्लुक होगा, इसके अलावा रिप्रजेंटेशन की बात आयी, तो इसमें कमेटीज बनेंगी। हर तरह से लोगों का रिप्रेजेंटेशन, इलेक्टैड मेंबर्स का रिप्रेजेंटेशन उसमें होगा, ताकि हर लेवल से लोग ध्यान दें, क्योंकि जब तक पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव्स उसमें नहीं होंगे, तब तक यह एक्टिविटी केवल अधिकारियों पर छोड़ दें तो शायद उतनी इफेक्टिव नहीं हो सकती। उसका भी ध्यान रखा गया है। हमने इसमें सभी प्रकार के प्रावधान किए हैं।

हालांकि यह भी प्रपोजल आया था कि हम बिना डिस्कशन के इसे पास कर दें और तकरीबन काफी माननीय सदस्यों ने इसका सपोर्ट भी किया, लेकिन मुझे खुशी है कि इसके बावजूद बहुत से माननीय सदस्य इस पर अपने विचार रख सकें। इसमें आपकी बहुत सी कंसर्न्स बिल में ही एड्रेस हो गयी हैं, लेकिन अगर कुछ रह गया है, तो हम जरूर उनको रूल्स में फ्रेम गाइडलाइंस में डाल लेंगे।

इन्हीं शब्दों के साथ मैं आप सभी का धन्यवाद करती हूं कि आपने इस डिस्कशन में भाग लिया और जिन्होंने नहीं भाग लिया, मैं यह भी जानती हूं कि – आप इस विधेयक के बारे में बहुत दृढ़ महसूस करते हैं। देश में हमें आज करोड़ों लोग देख रहे हैं कि यह पूरा सदन किस तरह से अपनी कमिटमेंट यहां पर दिखाता है, हमारे उन भाइयों और बहनों के प्रति, जो आज भी इस शर्मनाक काम में लगे हुए हैं। किस तरह से हम उन्हें जल्दी से जल्दी निजात दिला सकें और यह कलंक हमारे देश और समाज से हटा सकें। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आप सबका धन्यवाद करती हूं।

सभापति महोदय : प्रश्न यह है:

"कि हाथ से मैला उठाने वाले कर्मियों के रूप में नियोजन के प्रतिषेध, हाथ से मैला उठाने वाले कर्मियों और उनके कुटुंबों के पुनर्वास करने तथा उससे संबंधित अथवा उसके आनुषांगिक विषयों का उपबंध करने वाले विधेयक पर विचार किया जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

सभापति महोदय : अब यह सभा विधेयक पर खंड-वार चर्चा आरंभ करेगी।

खंड 2

परिभाषाएं

संशोधन किए गए:

पृष्ठ 3 पंक्ति 4,–

"मल-मूत्र का पूर्णतया विघटन किए जाने के" **के पश्चात्** "ऐसी रीति से, जो विहित की जाए" **अंत:स्थापित** करें। (3)

पृष्ठ 3 पंक्ति 21, –

"मल-मूत्र का पूर्णतया विघटन किए जाने के" **के पश्चात्** "ऐसी रीति से, जो विहित की जाए" **अंत:स्थापित** करें। (4)

(कुमारी सैलजा)

सभापति महोदय : श्री मोहन जेना, क्या आप खंड 2 के लिए संशोधन संख्या 23, 24 और 25 प्रस्तुत कर रहे हैं?

श्री मोहन जेना (नागपुर) : सभापति महोदय, इस संशोधन में मैं "सशरीर प्रवेश करके या कूदकर या नंगे हाथ" शब्द रखना चाहता हूं।

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री (कुमारी सैलजा) : सभापति महोदय, माननीय मंत्री ने अभी एक महत्वपूर्ण बिन्दु बताया है और अन्य माननीय सदस्यों ने भी बहुत महत्वपूर्ण बिन्दुओं का उल्लेख किया है। हम नियमों के अंतर्गत उन पर विचार करेंगे।

श्री मोहन जेना : महोदय, जैसा कि माननीय मंत्री ने भरोसा दिया है, इसलिए मैं अपने संशोधन प्रस्तुत नहीं कर रहा हूं।

सभापति महोदय : प्रश्न यह है:

"कि खंड 2, संशोधित रूप में, विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड 2, संशोधित रूप में, विधेयक में जोड़ दिया गया।

खंड 3, विधेयक में जोड़ दिया गया।

खंड 4 स्थानीय प्राधिकारियों द्वारा स्वच्छ शौचालयों का सर्वेक्षण किया जाना और स्वच्छ सामुदायिक शौचालयों का उपलब्ध कराया जाना

संशोधन किया गया:

पृष्ठ 5, पंक्ति 24 **के पश्चात्** निम्नलिखित **अंत:स्थापित** करें–

"स्पष्टीकरण- इस धारा के प्रयोजनों के लिए रेल प्राधिकारियों के संबंध में "समुदाय" से यात्री, कर्मचारिवृन्द और रेल के अन्य प्राधिकृत उपभोक्ता अभिप्रेत हैं।'। (5)

(कुमारी सैलजा)

सभापति महोदय : श्री मोहन जेना, क्या आप खंड 4 में संशोधन संख्या 26 प्रस्तुत कर रहे हैं?

श्री मोहन जेना : मैं माननीय मंत्री जी से इस बारे में आश्वासन देने का निवेदन करता हूं।

सभापति महोदय : आप अपना संशोधन पेश कर रहे हैं या नहीं?

श्री मोहन जेना : महोदय, मैं अपना संशोधन पेश कर रहा हूं।

मैं प्रस्ताव करता हूं:

पृष्ठ 5, पंक्ति 16,–

'सामुदायिक शौचालयों' **के पश्चात्**

"जिनमें पर्याप्त और बाधित भरोसेमंद जलापूर्ति और ऐसे अन्य उपकरण हैं जो यह सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक हैं कि ऐसे स्वच्छ शौचालय अस्वच्छ शौचालय न बन जाएं।"

प्रतिस्थापित किया जाए। (26)

(कुमारी सैलजा)

सभापति महोदय : अब मैं श्री मोहन जेना द्वारा प्रस्तुत खंड 4 से संबंधित संशोधन संख्या 26 को सभा में मतदान के लिए रखता हूं।

संशोधन रखा गया और अस्वीकृत हुआ।

श्री मोहन जेना : प्रश्न यह है:

"कि खंड 4, संशोधित रूप में, विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड 4, संशोधित रूप में, विधेयक में जोड़ दिया गया।

खंड 5 अस्वच्छ शौचालयों और हाथ से मैला उठाने वाले कर्मियों के नियोजन और उस रूप में लगाये जाने का प्रतिषेध

सभापति महोदय : भी भर्तृहरि महताब, क्या आप खंड 5 से संबंधित संशोधन संख्या 13 और 14 पेश कर रहे हैं?

भी भर्तृहरि महताब (कटक) : हां, मैं प्रस्तुत कर रहा हूं।

मैं प्रस्ताव करता हूं :

"पृष्ठ 5, पंक्ति 36 से 39 और पृष्ठ 6, पंक्ति 1 से 6,–

के स्थान पर

"(2) इस अधिनियम के प्रारंभ की तारीख को विद्यमान प्रत्येक अस्वच्छ शौचालय को या तो समुचित सरकार द्वारा या अधिभोगी द्वारा या तो तोड़ दिया जाएगा या उसे एक स्वच्छ शौचालय से संपरिवर्तित कर दिया जाएगा और ऐसे विध्वंश या संपरिवर्तन का खर्च केन्द्रीय सरकार और संबंधित राज्य सरकार द्वारा ऐसे अनुपात में वहन किया जाएगा जैसाकि केन्द्रीय सरकार द्वारा संबंधित राज्य सरकार के साथ परामर्श करके विहित किया जाए।"।

प्रतिस्थापित किया जाए। (13)

पृष्ठ 6, पंक्ति 7 से 20 **का लोप** किया जाए। (14)

महोदय, मैं बताना चाहता हूं कि राष्ट्र के लिए शर्म की बात उसके लिए जिम्मेदारी की बात बन जाती है। इस विधेयक पर चर्चा में भाग लेने वाले सदस्य इस बात का ही रोग अलाप रहे हैं। यह निश्चित रूप से राष्ट्र के लिए शर्म की बात है। हम में से कितने लोग राष्ट्र के प्रति जिम्मेदारी के बारे में सचेत हैं? इसलिए, मैंने इसे लोप किए जाने का संशोधन पेश किया हूं, क्योंकि उन प्राधिकारियों, जो ऐसे शौचालयों का पता लगाने और गिराने के लिए और उसे अभी तक प्रयोग करने वाले लोगों को दंडित करने के प्रभारी हैं, का निर्धारण और उनकी जिम्मेदारी निश्चित नहीं की गई है।...*(व्यवधान)* यह विधेयक में नहीं है। कृपया इसे पढ़िए। इसमें यही कमी है। सन् 1993 में, हमने एक विधान पारित किया और मैं रिकॉर्ड देख रहा था। उस समय हममें से कितने सदस्यों ने वास्तव में, कुछ संशोधन पेश किये थे? यही कारण है कि, 20 वर्ष के बाद भी हम पुन: समवर्ती सूची में एक विधेयक ला रहे हैं। इस प्रकार मेरे संशोधन में कहा गया है कि प्रत्येक अस्वच्छ शौचालय, जो इस अधिनियम के प्रारंभ होने की तारीख पर मौजूद है, उसे उपयुक्त सरकार द्वारा या अधिभोगी द्वारा या तो गिरा दिया जायेगा या स्वच्छ शौचालय में बदल दिया जायेगा और इस प्रकार गिराये जाने या बदलने का व्यय, केन्द्र सरकार और संबंधित राज्य सरकार द्वारा उस अनुपात में, जैसा केन्द्र सरकार

संबंधित राज्य सरकार से विचार-विमर्श के बाद निर्धारित करे, वहन किया जायेगा। यही मेरा संशोधन है।

सभापति महोदय : मैं श्री भर्तृहरि महताब द्वारा पेश खण्ड 5 से संबंधित संशोधन संख्या 13 और 14 को सभा में मतदान के लिए रखता हूं।

सभापति महोदय : प्रश्न यह है:

"कि खंड 5 विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड 5 विधेयक में जोड़ दिया गया।

रात्रि 8.00 बजे

सभापति महोदय : प्रश्न यह है:

"कि खंड 6 विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड 7 सीवर और सेप्टिक टैंकों की जोखिमपूर्ण सफाई हेतु व्यक्तियों की सेवाएं लेने अथवा नियोजन का प्रतिबंध

सभापति महोदय : श्री महताब, क्या आप खंड 7 के लिए अपने संशोधन 15 और 16 प्रस्तुत कर रहे हैं?

श्री भर्तृहरि महताब : महोदय, मैं खंड 7 के लिए अपना संशोधन सं.-15 और 16 प्रस्तुत कर रहा हूं।

मैं प्रस्ताव करता हूं:

पृष्ठ 6, पंक्ति 31,—

"7" के **स्थान पर**

"7. (1)" **प्रतिस्थापित** किया जाए। (15)

पृष्ठ 6, पंक्ति 35 **के पश्चात्,**—

"(2) समुचित सरकार और संबंधित स्थानीय प्राधिकारी इस अधिनियम के प्रारंभ होने की तारीख से एक वर्ष की अवधि के भीतर मलनाली और मल विगलन कुंड की यांत्रिकृत सफाई तंत्र स्थापित करेंगे।" **अंत: स्थापित** किया जाए। (16)

महोदय, मैं इस सरकार को यह याद दिलाना चाहता हूं कि केन्द्र सरकार ने मैला उठाने की प्रथा के उन्मूलन और हाथ से मैला उठाने वाले कर्मियों के पुनर्वास हेतु 2011-12 में 100 करोड़ रुपए आवंटित किए थे। आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि एक भी पैसा खर्च नहीं किया गया है और योजना आयोग ने भी मांग की कमी का हवाला देते हुए बजट बढ़ाने से इंकार कर दिया है। कोई भी लहर उत्पन्न नहीं हुई है। *[हिन्दी]* कहीं कुछ तरंग भी शुरू नहीं हुई। कोई प्रश्न नहीं पूछा गया और मैं यह कहूंगा कि इसी कारण मैं बार-बार यह पूछ रहा हूं और मैं माननीय मंत्री जी से अनुरोध करता हूं कि वे इस पर गौर करें।

कुमारी सैलजा : महोदय, यह माननीय सदस्य का अधिकार है कि वह संशोधन प्रस्तुत करें किंतु मैं यह कहना चाहती हूं कि हमें राज्यों से प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुए हैं।

सभापति महोदय : अब, मैं श्री भर्तृहरि महताब द्वारा खंड 7 के लिए प्रस्तुत किए गए संशोधन सं.15 और 16 को सभा में मतदान हेतु रखता हूं।

संशोधन मतदान के लिए रखे गए और अस्वीकृत हुए।

सभापति महोदय : प्रश्न यह है:

"कि खंड 7 विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड 7 विधेयक में जोड़ दिया गया।

खंड 8 से 10 विधेयक में जोड़ दिए गए।

खंड 11 नगरपालिकाओं द्वारा शहरी क्षेत्रों में हाथ से मैला उठाने वाले कर्मियों का सर्वेक्षण

सभापति महोदय : माननीय मंत्री जी खंड 11 के लिए संशोधन संख्या 6 प्रस्तुत करेंगे।

संशोधन किया गया:

पृष्ठ 7, पंक्ति 25

'नगरपालिका' **के पश्चात्**

"तथा उन पात्रता शर्तों को, जो विहित की जाएं, पूरा करते हुए" **अंत:स्थापित** करें। (6)

(कुमारी सैलजा)

सभापति महोदय : श्री महताब, क्या आप खंड 11 के लिए अपना संशोधन संख्या 17 प्रस्तुत कर रहे हैं?

श्री भर्तृहरि महताब : महोदय, मैं खंड 11 के लिए अपना संशोधन संख्या-17 प्रस्तुत कर रहा हूं।

मैं प्रस्ताव करता हूं:

पृष्ठ 7, पंक्ति 16 **के पश्चात्,–**

"परंतु यह कि कोई भी व्यक्ति हाथ से मैला उठाने वाले कर्मी के रूप में पहचान किए जाने के योग्य नहीं होगा जब तक कि वह इस अधिनियम के लागू होने से पूर्व दो वर्ष से अन्यून समयावधि तक हाथ से मैला उठाने वाले कर्मी के रूप में कार्य न कर रहा हो" **अंत:स्थापित** किया जाए। (17)

महोदय, मैं चाहता हूं कि कम से कम माननीय सदस्य डॉ. बाबा साहेब अम्बेडकर द्वारा 25 नवम्बर, 1949 को संविधान सभा में दिए गए भाषण के उल्लेख के समय सभा में उपस्थित रहें। उन्होंने भारतीय लोकतंत्र के बारे में चेतावनी दी थी और यह कहा है और मैं उसे उद्धृत करता हूं:–

"26 जनवरी, 1950 को हम परस्पर विरोधी जीवन में प्रवेश करने जा रहे हैं। राजनीति में हम समान हैं और सामाजिक और आर्थिक जीवन में हम असमान हैं।..."

कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री (श्री वी. नारायणसामी) : आपका क्या संशोधन है?

श्री भर्तृहरि महताब : उन्हें कृपया यह सुनना चाहिए कि डॉ. अम्बेडकर ने क्या कहा है। मुझे नहीं पता कि क्या उन्होंने संविधान सभा वाद-विवाद को पढ़ा है अथवा नहीं।

"हम अपने सामाजिक और आर्थिक ढांचे के कारण एक व्यक्ति एक मूल्य के सिद्धांत को नकारण जारी रखेंगे। हम इस परस्पर विरोधी जीवन को कब तक जीते रहेंगे?"

क्या यह प्रश्न आपके कानों में कोई घंटी बजाता है? हम इस परस्पर विरोधी जीवन को कब तक जीते रहेंगे? कबतक? आज, मैं इस संशोधन को प्रस्तुत कर इसे दोहराता हूं।

सभापति महोदय : अब मैं श्री भर्तृहरि महताब द्वारा खंड 11 के संशोधन संख्या 17 को सभा में मतदान हेतु रखता हूं।

संशोधन रखा गया और अस्वीकृत हुआ।

सभापति महोदय : प्रश्न यह है:

"कि खंड 11, संशोधित रूप में, विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड 11, संशोधित रूप में, विधेयक में जोड़ दिया गया।

खंड 12 विधेयक में जोड़ दिया गया।

खंड 13 नगरपालिका द्वारा हाथ से मैला उठाने वाले कर्मियों के रूप में पहचान गए व्यक्तियों का पुनर्वास

सभापति महोदय : श्री जेना, क्या आप खंड 13 के अपने संशोधन संख्या 27 और 28 को प्रस्तुत कर रहे हैं?

श्री मोहन जेना : जी हां, महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं:

पृष्ठ 8 पंक्ति 28 से 30,–

'(ग) हाथ से मैला उठाने वाले कर्मी की पात्रता और रजामंदी तथा केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार या संबद्ध प्राधिकरण की सुसंगत स्कीम के उपबंधों के अधीन रहते हुए' **के स्थान पर**

"केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार या स्थानीय प्राधिकरण द्वारा वरीयता के आधार पर।"

प्रतिस्थापित किया जाए। (27)

पृष्ठ 8, पंक्ति 35 और 36,–

'3 हजार रुपए' के **स्थान पर** '5 हजार रुपए'

प्रतिस्थापित किया जाए।

सभापति महोदय : मैं अब श्री मोहन जेना द्वारा प्रस्तुत संशोधन संख्या 27 और 28 सभा के मतदान के लिए रखूंगा।

संशोधन मतदान के लिए रखे गए और अस्वीकृत हुए।

सभापति महोदय : प्रश्न यह है:

"कि खंड 13 विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

खंड 13 विधेयक में जोड़ दिया गया।

खंड 14 से 17 विधेयक में जोड़ दिए गए।

खंड 18 प्राधिकारी जिन्हें इस अधिनियम के उपबंध लागू करने हेतु विनिर्दिष्ट किया जा सकता है

सभापति महोदय : श्री जेना, क्या आप खंड 18 में अपना संशोधन संख्या-29 प्रस्तुत कर रहे हैं?

श्री मोहन जेना : जी हां, महोदय। महोदय, यह स्थायी समिति की सिफारिशें को लागू करने के लिए नया खंड है। स्थायी समिति ने सिफारिश की थी संबंधित अधिकारियों के कर्त्तव्यों और जिम्मेदारियों की तय किया जाना चाहिए और विलंब के लिए उन पर कुछ दंड भी लगाया जाए।

मैं प्रस्ताव करता हूं:

पृष्ठ 9, पंक्ति 43 **के पश्चात्,–**

'(2) जहां जिला मजिस्ट्रेट या कोई अन्य अधीनस्थ अधिकारी अपने कर्त्तव्य का पालन करने में विफल रहता है, तो वह समुचित अनुशासनिक कार्यवाही और पचास हजार रुपए के दंड का दायी होगा' जोड़ा जाए। (29)

सभापति महोदय : मैं अब श्री मोहन जेना द्वारा प्रस्तुत संशोधन संख्या 29 को सभा के मतदान हेतु रखूंगा।

संशोधन मतदान के लिए रखा गया और अस्वीकृत हुआ।

सभापति महोदय : प्रश्न यह है:

"कि खंड 18 विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड 18 विधेयक में जोड़ दिया गया।

खंड 19 विधेयक में जोड़ दिया गया।

खंड 20 निरीक्षकों की नियुक्ति और उनकी शक्तियां

सभापति महोदय : श्री जेना, क्या आप खंड 20 में अपने संशोधन संख्या 30 और 31 प्रस्तुत कर रहे हैं?

श्री मोहन जेना : महोदय, मैं नहीं रख रहा हूं।

सभापति महोदय : प्रश्न यह है:

"कि खंड 20 विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड 20 विधेयक में जोड़ दिया गया।

खंड 21 से 23 विधेयक में जोड़ दिए गए।

खंड 24
सतर्कता समितियां

संशोधन किए गए:

पृष्ठ 12, पंक्ति 19, "कार्यकर्ता" के **स्थान पर** "कार्यकर्ता, जिनमें से दो महिलाएं होंगी" रखें। (7)

पृष्ठ 13, पंक्ति 5, " सामाजिक कार्यकर्ता" के **स्थान पर** "सामाजिक कार्यकर्ता, जिनमें से दो महिलाएं होंगी" रखें। (8)

(कुमारी सैलजा)

सभापति महोदय : श्री जेना, क्या आप अपने संशोधन संख्या 32 और 33 प्रस्तुत कर रहे हैं?

श्री मोहन जेना : जी हां महोदय, मैं प्रस्तुत कर रहा हूं। यह एक महत्वपूर्ण संशोधन है। सतर्कता निगरानी समिति में हम सांसदों को शामिल करना चाहिए। अनुसूचित जातियों से संबंधित संसद सदस्यों को शामिल करना चाहिए। यह महत्वपूर्ण है। विधायक भी वहां हैं। मैं प्रस्ताव करता हूं:

पृष्ठ 12 पंक्ति 1 और 2,–

'(ख) जिले से निर्वाचित राज्य विधान-मंडल के अनुसूचित जातियों के सभी सदस्य-सदस्य:' **के स्थान पर**

'जिले से निर्वाचित संसद और राज्य विधान-मंडल के अनुसूचित जातियों के सभी सदस्य-सदस्य:'

प्रतिस्थापित किया जाए। (32)

पृष्ठ 12, पंक्ति 26,–

के पश्चात्

''(ञ) अनुसूचित जातियों का एक निर्वाचित जिला परिषद सदस्य जिसका संबंधित जिले की जिला परिषद द्वारा निर्वाचन किया जाएगा।' जोड़ा जाए। (33)

सभापति महोदय : मैं अब श्री मोहन जेना द्वारा प्रस्तुत संशोधन संख्या 32 और 33 को सभा के मतदान के लिए रखूंगा।

संशोधन मतदान के लिए रखे गए और अस्वीकृत हुए।

सभापति महोदय : प्रश्न यह है:

"कि खंड 24, संशोधित रूप में, विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड 24, संशोधित रूप में, विधेयक में जोड़ दिया गया।

खंड 25 विधेयक में जोड़ दिया गया।

खंड 26 राज्य निगरानी समिति

संशोधन किया गया:

पृष्ठ 14, पंक्ति 12, "कार्यकर्ता" के **स्थान पर** "कार्यकर्ता, जिनमें से दो महिलाएं होंगी।" रखें।

(कुमारी सैलजा)

सभापति महोदय : प्रश्न यह है:

"कि खंड 26, संशोधित रूप में, विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड 26, संशोधित रूप में, विधेयक में जोड़ दिया गया।

खंड 27 और 28 विधेयक में जोड़ दिए गए।

खंड 29 नियंत्रण निगरानी समिति

संशोधन किया गया:

पृष्ठ 15, पंक्ति 22, "कार्यकर्ता" के **स्थान पर** "सामाजिक कार्यकर्ता, जिनमें से दो महिलाएं होंगी।" रखें। (10)

(कुमारी सैलजा)

सभापति महोदय : प्रश्न यह है:

"कि खंड 29, संशोधित रूप में, विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड 29, संशोधित रूप में, विधेयक में जोड़ दिया गया।

खंड 30 से 35 विधेयक में जोड़ दिए गए।

खंड 36 समुचित सरकार की निगम बनाने की शक्ति

संशोधन किया गया:

पृष्ठ 17, पंक्ति 5 के **पश्चात, अंत: स्थापित** करें:–

"(कक) वह रीति जिसमें धारा 2 की उप-धारा(1) के खंड (ङ) तथा खंड (छह) के अधीन मल-मूत्र का पूर्णतया विघटन किया जाता है (11)

पृष्ठ 17, पंक्ति 12, "के अधीन" **के पश्चात्**

"(3) हाथ से मैला उठाने वाले कर्मियों की पहचान हेतु पात्रता शर्तें और प्रकाशन" **अंत: स्थापित करें।** (12)

(कुमारी सैलजा)

सभापति महोदय : प्रश्न यह है:

"कि खंड 36, संशोधित रूप में, विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड 36, संशोधित रूप में, विधेयक में जोड़ दिया गया।

खंड 27 और 39 विधेयक में जोड़ दिए गए।

खंड 1 संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारंभ

संशोधन किया गया:

पृष्ठ 2, पंक्ति 5,–

"2012" के **स्थान पर**

"2013" **प्रतिस्थापित** किया जाए। (2)

(कुमारी सैलजा)

सभापति महोदय : प्रश्न यह है:

"कि खंड 1, संशोधित रूप में, विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड 1, संशोधित रूप में, विधेयक में जोड़ दिया गया।

अधिनियमन सूत्र

संशोधन किया गया:

पृष्ठ 2, पंक्ति 1,–

"तिरसठ" के **स्थान पर**

"चौंसठ" **प्रतिस्थापित** किया जाए। (1)

(कुमारी सैलजा)

सभापति महोदय : प्रश्न यह है:

"कि अधिनियमन सूत्र, संशोधित रूप में, विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

अधिनियमन सूत्र, संशोधित रूप में, विधेयक में जोड़ दिया गया।"

प्रस्तावना और विधेयक का पूरा नाम विधेयक में जोड़ दिए गए।

कुमारी सैलजा : मैं प्रस्ताव करती हूं:

"कि विधेयक, संशोधित रूप में, पारित किया जाए।"

सभापति महोदय : प्रश्न यह है:

"कि विधेयक, संशोधित रूप में, पारित किया जाए।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

[अनुवाद]

श्री अनंत कुमार (बंगलौर दक्षिण) : महोदय, माननीय मंत्री जी यहां उपस्थित हैं, उन्हें चीन के मुद्दे पर उत्तर देना चाहिए...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय : नहीं, हमें सभा का समय और बढ़ाना पड़ेगा।

...(व्यवधान)

सभापति महोदय : हमें दो विधेयक पारित करने हैं।

...(व्यवधान)

श्री अनंत कुमार : महोदय, सबसे पहले चीन के मुद्दे पर चर्चा की जाए...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय : माननीय सदस्यगण, कृपया बैठ जाइए।

...(व्यवधान)

सभापति महोदय : पहले मैं सभा से यह जानना चाहता हूं कि हम दो विधेयकों पर चर्चा करना चाहते हैं अथवा नहीं और तत्पश्चात् हम आधे घंटे की चर्चा आरंभ करेंगे।

...(व्यवधान)

सभापति महोदय : मुझे सभा से यह जानना है कि हम आधे घंटे की चर्चा आरंभ करें अथवा दो विधेयकों को चर्चा हेतु लें। पहले इसका निर्णय किया जाना आवश्यक है। तत्पश्चात्, हम उस मद पर चर्चा करेंगे जैसा आप चाहते हैं।

...(व्यवधान)

श्री अनंत कुमार : महोदय, सबसे पहले चीन के मुद्दे पर चर्चा की जानी चाहिए।...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्रीमती सुषमा स्वराज (विदिशा) : ...*(व्यवधान)* अगले दोनों बिल बिना डिस्कशन के होते हैं तो प्रिवेंशन ऑफ डिस्क्वालिफिकेशन में चेयरमैन को ऑफिस ऑफ प्रोफिट से निकालना, उस पर डिस्कशन की जरूरत नहीं है। जो दूसरा बिल आरपी एक्ट का है, उस पर जो एमेंडमेंट आ रहे हैं, यह पुलिस कस्टडी वाला है, उस पर भी सबकी सहमति है, आप केवल उसको पास करवा दीजिए, इसे पास करवाकर चाईना का मुद्दा ले लें और उसके बाद इसे ले लें। आज हाऊस साईन डाई होगा। कल के लिए नहीं बैठेंगे। यदि मोशन लाएंगे, तो हम विरोध करेंगे।

रात्रि 8.15 बजे

संसद (निरर्हता निवारण) संशोधन विधेयक, 2013

[अनुवाद]

सभापति महोदय : अब हम मद संख्या 18 पर चर्चा आरंभ करेंगे। माननीय मंत्री जी।

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री तथा विधि और न्याय मंत्री (श्री कपिल सिब्बल) : सभापति महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं:

"कि राज्य सभा द्वारा यथापारित संसद (निरर्हता निवारण) अधिनियम, 1959 में और संशोधन करने वाले विधेयक, पर विचार किया जाए।"

सभापति महोदय : प्रश्न यह है:

"कि संसद (निरर्हता निवारण) अधिनियम, 1959 में और संशोधन करने वाले विधेयक, राज्य सभा द्वारा यथापारित, पर विचार किया जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

सभापति महोदय : अब सभा विधेयक पर खंडवार विचार आरंभ करेगी।

प्रश्न यह है:—

"कि खंड 2, विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड 2 विधेयक में जोड़ दिया गया।

खंड 1, अधिनियमन सूत्र और विधेयक का पूरा नाम विधेयक में जोड़ दिए गए।

सभापति महोदय : अब माननीय मंत्री प्रस्ताव करे कि विधेयक को पारित किया जाए।

श्री कपिल सिब्बल : मैं प्रस्ताव करता हूं:

"कि विधेयक पारित किया जाए।"

सभापति महोदय : प्रश्न यह है:

"कि विधेयक पारित किया जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

रात्रि 8.17 बजे

लोक प्रतिनिधित्व (संशोधन और विधिमान्यकरण) विधेयक, 2013

[अनुवाद]

सभापति महोदय : अब हम मद संख्या 19 पर चर्चा करेंगे। माननीय मंत्री।

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री तथा विधि और न्याय मंत्री (श्री कपिल सिब्बल) : सभापति महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं:

"कि लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951, राज्य सभा द्वारा यथा पारित, में और संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाए।"

...(व्यवधान)

श्री भृर्तहरि महताब (कटक) : महोदय, इस विधेयक पर चर्चा करने की आवश्यकता है। हम इसे बिना चर्चा किए पारित नहीं कर सकते।

...(व्यवधान)

सभापति महोदय : तृतीय वाचन के चरण में, आप बोल सकते हैं। तृतीय वाचन के चरण में मैं आपको बोलने की अनुमति दूंगा।

...(व्यवधान)

सभापति महोदय : प्रश्न यह है:

"कि लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951, राज्य सभा द्वारा यथा पारित, में और संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाए।"

...(व्यवधान)

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

सभापति महोदय : अब सभा विधेयक पर खंडवार विचार आरंभ करेगी।

प्रश्न यह है:

"कि खंड 2 से 4 विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड 2 से 4 विधेयक में जोड़ दिए गये।

खंड 1, अधिनियमन सूत्र और विधेयक का पूरा नाम विधेयक में जोड़ दिए गए।

सभापति महोदय : अब माननीय मंत्री विधेयक को पारित कराने के लिए प्रस्ताव प्रस्तुत कर सकते हैं।

श्री कपिल सिब्बल : मैं प्रस्ताव करता हूं:

"कि विधेयक पारित किया जाए।"

सभापति महोदय : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ:

''कि विधेयक पारित किया जाए।''

श्री भृर्तहरि महताब (कटक) : सभापति महोदय, जिस तरह से इस विधेयक को पारित कराया जा रहा है उससे मैं बहुत व्यथित हूं। इसमें कोई संदेह नहीं कि इस विधेयक को पारित कराने के लिए सर्वसम्मति है परंतु जिस तरह से हम इस विधेयक को लेकर जल्दबाजी दिखा रहे हैं इससे हम स्वयं की आलोचना को निमंत्रण दे रहे हैं। इसमें ऐसा कुछ है जिसकी सर्वोच्च न्यायालय में व्याख्या की गई है। दो दिन पहले, सर्वोच्च न्यायालय ने याचिका के पुनरीक्षण हेतु सहमति दी है। लेकिन अभी भी मैं कहूंगा कि यह संशोधन जो राज्य सभा में प्रस्तुत हुआ है और जो कुछ बुद्धिमान लोगों द्वारा उच्च सदन में विचार विमर्श के पश्चात् हमारे समक्ष आया है तथा बेहतर होता यदि हम दलगत राजनीति से हटकर इस पहलू पर विचार करते क्योंकि एक मुद्दा अभी भी है। पेशे से मैं कोई वकील नहीं हूं। एक मुद्दा अभी भी है। स्पष्टत:, यदि कोई दोषी होता है, तो उसे जेल भेजा जाएगा, यदि कोई पकड़ा जाता है, तो उसे पुलिस थाने ले जाया जाएगा और भले ही उसका नाम मतदाता सूची में हो, हमारा कानून कहता है कि वह मतदान करने के लिए बाहर नहीं आ सकता। लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम के उस खंड का उल्लेख करते हुए न्यायालय ने यह पूछा है कि कोई व्यक्ति जो मतदान के अयोग्य है वह उम्मीदवार कैसे हो सकता है? हम सभी, कानून का थोड़ा ज्ञान रखने वाले लोग यह कह सकते हैं:

[श्री भृर्तहरि महताब]

"मेरा नाम अभी मतदाता सूची में है। यदि मेरा नाम मतदाता सूची में है तो मुझे उम्मीदवार बनने से कोई कैसे रोक सकता है?" एक ज्वलंत उदाहरण 1977 में श्री जॉर्ज फर्नांडीज का था। वह जेल में थे और उन्होंने जेल में रहते हुए चुनाव लड़ा। किसी ने उस मुद्दे को नहीं उठाया। लेकिन आश्चर्यजनक रूप से यह निर्णय पटना उच्च न्यायालय से आया और सर्वोच्च न्यायालय द्वारा इसकी पुष्टि की गई। इसके बाद, एक सर्वदलीय बैठक में एक निर्णय लिया गया; राय ली गई। और सरकार ने सोचा कि "हम एक पुनरीक्षण याचिका दायर करेंगे और इस तरह का संशोधन भी लायेंगे। परंतु यहां प्रश्न यह है। हां इस संशोधान विधेयक में इस प्रावधान के साथ जो व्यक्ति चुनाव लड़ना चाहते हैं वे लड़ सकते हैं। परंतु एक बड़ा मुद्दा अभी भी है; और मैं चाहूंगा कि माननीय विधि और न्याय मंत्री हमारा ज्ञानवर्धन करें। जब दो विचाराधीन कैदियों को सर्वोच्च न्यायालय द्वारा अनुमति दी गई, भारत सरकार द्वारा उन्हें मतदान करने के लिए इटली जाने दिया गया तो हम अपने नागरिकों को मतदान करने से कैसे मना कर सकते हैं? क्या इस संशोधन विधेयक में इसका उत्तर दिया गया है? नहीं।

फिर भी, हम बिना सोचे समझे इस विधेयक के मामले में जल्दबाजी कर रहे हैं। मुझे इसकी चिन्ता है। बाहर इस मुद्दे को उठाया जाएगा। मुझे आश्चर्य नहीं होगा यदि कुछ जागरूक लोग इसे न्यायालय में भी उठाएं। यह मेरी चिन्ता है। यही कारण है, हम यहां केवल अपने हितों की रक्षा करने के लिए नहीं हैं; हम यहां केवल राजनीतिक श्रेणी की रक्षा करने के लिए नहीं हैं; हम यहां इस देश के प्रत्येक नागरिक और उसके अधिकारों की रक्षा करने के लिए है। व्यस्क मताधिकार हमें यह अधिकार प्रदान करता है।

इन शब्दों के साथ, मैं कहना चाहता हूं कि सरकार को इस सब पर विचार करने की आवश्यकता है।...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय : माननीय सदस्य, अब आप अपनी आशंका व्यक्त कर सकते हैं। माननीय मंत्री उसका उत्तर देंगे।

श्री कीर्ति आजाद (दरभंगा) : महोदय, मुझे अवसर प्रदान करने हेतु आपको बहुत धन्यवाद।

[हिन्दी]

सभापति जी, सर्वदलीय बैठक में यह तय हुआ था, जब पटना उच्च न्यायालय से निर्णय आया था। मैं केवल एक उदाहरण दूंगा। इस सदन में प्रत्येक व्यक्ति के साथ दर्जनों बार, 50 बार या 100 बार भी ऐसा हुआ होगा, जब भी उसने अपने क्षेत्र का प्रतिनिधित्व किया होगा। मैं चाहता था कि इस बिल पर चर्चा हो और हमें बोलने का अवसर मिले। मेरे संसदीय क्षेत्र में एक नया क्षेत्र जुड़ा है, उसका नाम बेरौल है, वह सब डिवीजन है। आगामी 11 तारीख को उस सब डिवीजन के सामने मैंने एक धरना रखा है। मैं प्रत्येक न्यायालय का आदर करता हूं, जिस तरह से हिन्दुस्तान में कानून मानने वाला प्रत्येक व्यक्ति करता है। आगामी 11 तारीख को मैंने धरना रखा है, क्योंकि बेरौल के एसडीओ से तीन बार मेरी बात हुई थी। माननीय उच्च न्यायालय पटना के ही एक आदेश की अवमानना हुई है। हमारे यहां पर महेश्वर हजारी जी बैठे हैं, जो मेरे संसदीय क्षेत्र के साथ वाले क्षेत्र समस्तीपुर से सांसद हैं। वहां सुपौल बाजार होते हुए एक सड़क जाती है। उस पर पटना के माननीय उच्च न्यायालय ने 2011 में एक आदेश दिया था। वहां कुछ दबंग लोगों ने सुपौल बाजार से जो सड़क जाती है, वह संकरी हो गई है, क्योंकि वहां पर सरकारी सड़क पर जो बननी थी, उस पर इन लोगों ने अतिक्रमण किया हुआ है। वह सड़क इनके क्षेत्र में जाती है, जिसे कुशेश्वर स्थान कहते हैं। बरसात न भी हो तो वह क्षेत्र पानी में डूबा रहता है। उसे लेकर कई बार मैंने बात की, दो साल से उनसे बार-बार बात कर रहा हूं कि संभवत: वे मान जाएं और उस अतिक्रमण को हटा लें, लेकिन नहीं किया गया है। लोग आक्रोश में हैं।

[अनुवाद]

सभापति महोदय : कृपया अपनी बात संक्षेप में बताइये।

श्री कीर्ति आजाद : हां महोदय, मैं बहुत संक्षेप में ही कह रहा हूं। यह बहुत महत्वपूर्ण मामला है। मेरा मानना है कि हर कोई इससे गुजरा है और आप भी। बहुत बार, अपने निर्वाचन क्षेत्र से संबंधित बहुत से मामलों के लिए आप भी सभा के बीचों-बीच आये हैं। इसलिए, जो कुछ मेरे निर्वाचन क्षेत्र में हो रहा है, मैं उसका सटीक उदाहरण दे रहा हूं; और उनके निर्वाचन क्षेत्र में लोग किस स्थिति से गुजर रहे हैं।

इसलिए महोदय, मेरी बात ध्यान से सुनी जाए। मैं इसके लिए आपका बहुत आभारी होऊंगा।

[हिन्दी]

मैं यह कहना चाहता हूं...*(व्यवधान)* यह बिल पर ही डिसकशन हो रहा है। अगर इस तरीके से बिल पास करेंगे तो लोग हंसेंगे। हम सब पर मीडिया हंसेगा। इसलिए यह जानना जरूरी है। मैं उस धरने की बात बताना चाहता हूं। आगामी 11 तारीख को हो सकता है कि मुझे डिटेन कर लें और सुबह से शाम तक जेल में कर दें। अगर सुबह से शाम तक मुझे जेल में बंद देंगे, तो इस कानून के अंतर्गत जो अभी आया है, मैं दोबारा चुनाव नहीं लड़ सकता हूं। अगर मेरा किसी पड़ोसी के साथ झगड़ा

हो जाए तो धारा 7 11 के अंतर्गत मुझे जेल में बंद कर दिया जाए तो संभवत: मैं चुनाव नहीं लड़ सकता हूं।

मैं उस प्रकार से उतना बड़ा कानून नहीं जानता हूं जिस प्रकार से आदरणीय सुषमा जी जो एक बहुत बड़ी वकील हैं या कपिल साहब, विजय बहादुर जी या कल्याण बनर्जी साहब जानते हैं। लेकिन मैं वहां प्रदर्शन करूंगा और इसलिए करूंगा कि लोग वहां प्रताड़ित हैं। वहां एक रैफरल हॉस्पिटल बना हुआ है जो 30 बैड का अस्पताल है। जिस रैफरल अस्पताल का इस्तेमाल लोगों के इलाज के लिए किया जाना चाहिए, उस अस्पताल में वहां के एसडीओ और डीसी ने घर बना रखा है। जो वहां पर इंस्पैक्शन बंगला बैरोल में है उसमें डीएसपी रहता है जहां पर मैं रहना चाहता हूं अपने लोगों से मिलना चाहता हूं। मैं कोई पूंजीपति नहीं हूं कि अपने क्षेत्र के हर ब्लॉक में घर बना सकूं। लेकिन अगर मैं उस इंस्पैक्शन बंगले में जाकर रहना चाहता हूं तो नहीं रह सकता और वह मेरे क्षेत्र की जनता से मुझे दूर करता है। इसलिए मैं उस पर प्रदर्शन करूंगा। मैं क्रिकेट खेलते हुए भी एक आक्रमक बल्लेबाज और खिलाड़ी था और अपने राजनैतिक जीवन में भी मैं एक आक्रमक व्यक्ति हूं लेकिन मैं वहां शांतिपूर्ण धरने पर बैठूंगा और यदि वहां पर लोग आक्रोशित होकर डंडा उठाएंगे, वहां पर किसी भी सरकारी स्थान का नुकसान पहुंचाएंगे, तो वह केस मुझे पर होगा। एक व्यक्तिगत अपराध में और जन-आंदोलन में बहुत फर्क होता है। आजादी के पहले से आंदोलन होते रहे हैं। मैं अपने को महात्मा गांधी या शहीद भगत सिंह नहीं मानता लेकिन आप इतिहास उठाकर देखें तो 8 अगस्त 1942 में "भारत छोड़ो" आंदोलन जब महात्मा गांधी ने किया था तो उस समय कहा था कि "करो या मरो"। अगर उस चीज को देखा जाए और आज के इस आदेश से तुलना की जाए तो सबसे बड़े क्रीमनल, माफ कीजिए मैं कहना नहीं चाहता हूं अंग्रेजों के समय में महात्मा गांधी जी ही थे क्योंकि उन्हें जेल जाना पड़ा था। जैसे लोग तेलंगाना, पूर्वांचल या दूसरी जगह की बात कर रहे हैं उसी तरह से मेरे यहां मिथिला राज्य को लेकर एक बहुत बड़ा आंदोलन खड़ा हो रहा है। मैं सीता मां की पवित्र जन्म भूमि मिथिला से आता हूं और मिथिला राज्य बने, उसके लिए मैं आंदोलन करूंगा। मुझे एक बार नहीं अनेकों बार जेल जाना पड़ सकता है और मैं जेल जाऊंगा। जनता के लिए आंदोलन करना और कोई अपराधी हो, कोई हत्यारा हो, कोई फिरौती मास्टर हो, कोई अपहरणकर्ता हो, उसके साथ मेरे इस जन-आंदोलन को नहीं जोड़ा जा सकता है। इसलिए मैं इस बात को कहना चाहता था कि आपराधिक मामले और जन-आंदोलन ये अलग चीजें हैं और उन्हें एक तराजू में नहीं तोलना चाहिए, एक तरीके से नहीं देखना चाहिए। आपने मुझे ज्यादा कहने नहीं दिया लेकिन मैं चाहूंगा कि इस विषय पर चर्चा होनी चाहिए और हमारी आवाज ऊपर तक पहुंचनी चाहिए। आपने कम अवसर दिया लेकिन जो भी दिया उसके लिए धन्यवाद।

[अनुवाद]

श्री पी. करुणाकरन (कासरगोड) : महोदय, मैं इस विधेयक के पारित होने के विरुद्ध नहीं हूं, परंतु जब हम संसद में किसी विधेयक पर चर्चा करते हैं और उसे पारित करते हैं, तो यह हमारा उत्तरदायित्व है कि लोगों को भी समझायें। अन्यथा, इससे एक गलत संदेश जायेगा कि यह कुछ अन्य हितों के लिए है। अब, हमने यह निर्णय लिया है कि बिना किसी चर्चा के हम सभी विधेयक पारित करने जा रहे हैं। मैं दूसरे विधेयक में, वास्तव में, कुछ स्पष्टीकरण चाह रहा था, परंतु आपने मुझे अवसर नहीं दिया। परंतु, सांसद के रूप में, चर्चा करना हमारा कर्त्तव्य है। यदि हमारा संदेह पूरी तरह दूर नहीं होता तो हम लोगों को कैसे समझा सकते हैं? कई चर्चाएं चल रही हैं। अत: यह सांसदों का कर्त्तव्य है कि वे चर्चा करें। इसीलिए, मेरा कहना है कि विधेयक पारित करने में कोई आपत्ति नहीं है, परंतु इसके साथ-साथ विस्तृत चर्चा के लिए भी पर्याप्त समय दिया जाना चाहिए।

श्री कल्याण बनर्जी (श्रीरामपुर) : महोदय, मैं श्री भर्तृहरि महताब द्वारा दिए गए भाषण का सम्मान करता हूं। मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूं।

सभापति महोदय : तृतीय वाचन का चरण चल रहा है। अत:, कृपया बहुत संक्षेप में कहें।

श्री कल्याण बनर्जी : मैं इस विधेयक का समर्थन कर रहा हूं। परंतु, मैं कह रहा हूं कि इस बात से हम अनभिज्ञ नहीं हैं कि सर्वोच्च न्यायालय असंगत आदेश और निर्णय देता है। यह केवल अपने ही देश में संभव है। ऐसा नहीं है कि सर्वोच्च न्यायालय कोई गलती नहीं कर सकता। परंतु कोई दूसरा सर्वोच्च न्यायालय नहीं है। इसीलिए, सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय और आदेश अंतिम हैं। कई आदेश और निर्णय उसके आदेश और निर्णय से भी असंगत हैं। परंतु, जिस मामले का श्री महताब ने उल्लेख किया है, वह एक समझदारी की बात है। वह एक आदेश था, निर्णय नहीं था। परंतु, पटना उच्च न्यायालय का जो निर्णय आया है उसे संशोधित करना होगा ताकि लोग एक मतदाता के रूप में अपने मतदान कर सकें। मैं पुन: श्री महताब जी के भाषण की प्रशंसा करता हूं। परंतु, इस देश के एक नागरिक के रूप में, आज हम एक निष्कर्ष पर आते हैं कि हमारा सर्वोच्च न्यायालय, वास्तव में, विभिन्न पीठों, विभिन्न आदेशों और विभिन्न निर्णयों में असंगत दृष्टिकोण अपनाने के लिए प्रसिद्ध है। सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय अंतिम है और इसे हमें स्वीकार करना होगा।

श्री टी.के.एस. इलेंगोवन (चेन्नई उत्तर) : सभापति महोदय, धन्यवाद। सर्वोच्च न्यायालय के कई निर्णय कानूनी दायरे की अपेक्षा राजनीतिज्ञों के प्रति गुस्से से अधिक प्रेरित होते हैं।...*(व्यवधान)* एक

[श्री टी.के.एस. इलेंगोवन]

व्यक्ति, जो मतदान नहीं कर सकता, एक ऐसा व्यक्ति नहीं है जो मतदान के लिए पात्र नहीं है। यही अंतर है। एक व्यक्ति, जो मतदाता नहीं है, उम्मीदवार के रूप में खड़ा नहीं हो सकता। परंतु, एक व्यक्ति, जो मतदान नहीं कर सकता, चुनाव लड़ सकता है। परंतु, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम में कई अन्य विसंगतिया हैं। सरकार इसी उद्देश्य से यह संशोधन लाई है। मैं कहूंगा कि लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम का पूरी तरह अध्ययन किया जाना चाहिए और इसमें अधिक संशोधन लाए जाने चाहिए ताकि, यह पूर्ण हो सके और सर्वोच्च न्यायालय का गुस्सा इस लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम में नहीं दिखाया जा सकता।

[हिन्दी]

श्री शैलेन्द्र कुमार (कौशाम्बी) : सभापति महोदय, माननीय कपिल सिब्बल जी जो विधेयक लेकर आए हैं, यह बहुत ही गंभीर बिल है। इस बारे में आम सहमति बनी थी कि इस पर डिस्कशन नहीं किया जाएगा और पास कर दिया जाएगा। लेकिन चूंकि सवाल उठा है, मैं अपने यहां का ताजा उदाहरण देना चाहता हूं। क्षेत्र पंचायत का चुनाव हुआ था। उसमें जो केंडिडेट था, उस पर मुकदमा एससी, एसटी लगा कि उसे जेल भेजा गया।... *वह आज की तारीख में ब्लॉक प्रमुख है। उसे जेल भेजा गया और वह वोट नहीं दे पाया। अगर वह रहता तो मेरे ख्याल से निश्चित जीतता।...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

सभापति महोदय : कृपया किसी व्यक्ति का नाम न लें। नाम लेने की अनुमति नहीं है।

[हिन्दी]

श्री शैलेन्द्र कुमार : जनहित में लड़ने के लिए, जनता के हित में लड़ने के लिए धरना, प्रदर्शन देने पड़ते हैं। हम लोगों को निरुद्ध किया जाता है। सुबह से लेकर शाम को छोड़ दिया जाता है या दूसरे दिन या चौदह दिन की ज्यूडिशियली कस्टडी में भेजा जाता है। ऐसी स्थिति में, ज्यूडिशियरी हमसे स्वयं नाराज है, तमाम पोलिटीशियनों से नाराज है। यह बिल कहीं बाधक न बने, इस पर विचार करना चाहिए।

[अनुवाद]

श्री दिनेश त्रिवेदी (बैरकपुर) : महोदय, आपका बहुत धन्यवाद। मुझे पता है कि सभी को विधेयक पारित करने की जल्दी है। मैं बहुत नम्रता के साथ केवल अपना विरोध दर्ज कराना चाहता हूं। हमने माननीय सर्वोच्च न्यायालय के बारे में बात की। परंतु, इस लोकतंत्र में इस देश के लोग सर्वोच्च हैं। हम लोगों ने ही यह संविधान बनाया है। लोगों के बारे में, बात करते हुए, मेरी केवल यही आपत्ति है कि चर्चा हेतु कोई अवसर दिए बिना इस विधेयक के पारित होने से, गलत संदेश जायेगा। मैं व्यक्तिगत रूप से, महसूस करता हूं कि हमें स्वयं इस पर विचार करना चाहिए और इस विधेयक पर चर्चा करनी चाहिए।...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय : कृपया समाप्त करें।

श्री दारा सिंह चौहान।

...*(व्यवधान)*

श्री दिनेश त्रिवेदी : महोदय, कृपया, शीघ्रता न करें। मेरा बोलने का अधिकार है।...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय : आप क्यों नहीं बोलते, श्री दारा सिंह चौहान जी? मैं पहले ही आपका नाम पुकार चुका हूं। श्री दारा सिंह चौहान, जब मैं आपका नाम पुकारूं, आपको बोलना चाहिए।

त्रिवेदी जी, आपने पहले ही बोल दिया है। कृपया बैठ जाइये।

...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय : मैंने उनको पहले ही बोलने का समय दे दिया है।

...*(व्यवधान)*

श्री दिनेश त्रिवेदी : महोदय, मेरा बोलने का अधिकार है... *(व्यवधान)* आप मुझे बोलने नहीं दे रहे हैं।...*(व्यवधान)* महोदय, मैं विरोध में सदन से बाहर जा रहा हूं।...*(व्यवधान)*

रात्रि 8.34 बजे

इस समय, श्री दिनेश त्रिवेदी सभा भवन से बाहर चले गए।

...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री दारा सिंह चौहान (घोसी) : सभापति महोदय, कुछ मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट से डायरेक्शन मिले थे और खासकर जो पालिटीशियन लोग हैं, जिन्हें राजनीतिक द्वेष वश किसी न किसी मुकदमे में झूठा फंसा कर उन्हें चुनाव लड़ने से रोकने की साजिश की जाती है। जिसे लेकर आल पार्टी मीटिंग में तय हुआ था कि सरकार की तरफ से जब संशोधन विधेयक आएगा, जिस पर सभी लोग संशोधन में साथ देकर वापिस भेजेंगे, कानून का रूप देंगे। मैं खुद उसका गवाह हूं कि मेरे ऊपर खुद जब

*अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार कार्यवाही-वृत्तांत से निकाल दिया गया।

उत्तर प्रदेश में और मैं नाम नहीं लेना चाहता कि किसकी सरकार थी? मैं उस समय मीटिंग कर रहा था। मेरे ऊपर गलत मुकदमा लगाकर, विभिन्न राजनीतिक मामलों में करके मेरे ऊपर वह गलत मुकदमा लगाया गया। अगर इस एक्ट से काम होगा तो हमारे जैसे लोग राजनीति से वंचित हो जाएंगे, चुनाव लड़ने से वंचित हो जाएंगे। ऐसे तमाम लोग हैं जो पोलिटिकल काम करते हैं। राजनीतिक आंदोलन, धरने में साथ देते हैं। ऐसे लोगों के खिलाफ साजिश की शंका है। इसलिए मैं इस बिल का समर्थन करता हूं।

[अनुवाद]

श्री कपिल सिब्बल : महोदय, मुझे बहुत खुशी है कि इस सभा के प्रतिष्ठित सदस्यों ने इस चर्चा में भाग लिया। मैं सिर्फ दो या तीन चीजें कहना चाहता हूं।

[हिन्दी]

यह जो विधेयक है और यह अमेंडमेंट बिल इसीलिए लाया गया क्योंकि अगर यह निर्णय सुप्रीम कोर्ट का सही है तो चुनाव के एक दिन पहले इस हाउस के लीडरान को अगर एसएचओ अपने हिरासत में कर ले तो अगले दिन वह अपना नामांकन-पत्र नहीं दे पाएगा। यह इसका नतीजा है क्योंकि सुप्रीम कोर्ट से *[अनुवाद]* जो कोई भी विधि सम्मत रूप से हिरासत में है, मतदान नहीं कर सकता और यदि वह मतदान नहीं कर सकता तो वह निर्वाचक नहीं हो सकता।

[हिन्दी]

इसलिए ज्यादा बहस की जरूरत तो है नहीं क्योंकि यह अपने आप में ही बिल्कुल गलत है। *[अनुवाद]* सर्वोच्च न्यायालय सही है क्योंकि यह अंतिम है; यह इसीलिए सही नहीं है क्योंकि यह सही है। यह वास्तविकता है। यह इसलिए सही है क्योंकि इसका निर्णय अंतिम है। हम सभी मनुष्य है अत: गलती कर सकते हैं।

[हिन्दी]

हम भी सदन में गलती कर सकते हैं और सुप्रीम कोर्ट भी गलती कर सकता है और अगर उनकी कोई गलती हुई है तो हमारा संवैधानिक कर्त्तव्य है कि उसको हम ठीक करें। आज हम ठीक करने जा रहे हैं। *...(व्यवधान)*

श्री मुलायम सिंह यादव (मैनपुरी) : सभापति महोदय, मैं इनसे सहमत हूं। क्या ये जज संविधान निर्माताओं से बड़े हैं?*...(व्यवधान)* क्या बाबा भीमराव अम्बेडकर और पंडित जवाहर लाल नेहरू से ये जज बड़े हैं?*...(व्यवधान)* क्या आप ये मानते हैं?*...(व्यवधान)*

श्री कपिल सिब्बल : नेता जी, मैं इसीलिए कह रहा हूं कि कल जल्दी से जल्दी ज्युडिशियल अपॉइन्टमेंट बिल लाइए और उसको पास कीजिए।*...(व्यवधान)* यह अपने आप में एक बहुत बड़ा कदम होगा। हमें बाहर ये संदेश भेजना चाहिए कि इस सदन में हम इकट्ठे हैं।*...(व्यवधान)*

श्री मुलायम सिंह यादव : पार्लियामेंट के मैम्बर भी हैं, वकील भी हैं।*...(व्यवधान)* आप ढीलीपीली बात क्यों करते हैं?*...(व्यवधान)* उनको अधिकार नहीं है।*...(व्यवधान)*

श्री कपिल सिब्बल : यही तो मैं कह रहा हूं। मुझे अचम्भा हुआ जब मैंने यह जजमेंट पढ़ा।*...(व्यवधान)*

श्री मुलायम सिंह यादव : सीधा कहिए कि नहीं रोका जाएगा। यह कानून लेकर आइए।*...(व्यवधान)*

श्री कपिल सिब्बल : वह तो कर दिया। इसी कानून के अंतर्गत हमने कर दिया और एक क्लेरिफिकेशन दे दी। पूरी तरह से हुआ है। यह क्लेरिफिकेशन भी दे दी कि अगर कोई वोटर अगर वोट नहीं कर सकता क्योंकि हिरासत में हैं। इसका मतलब यह नहीं कि वह इलैक्टर नहीं है। यह हमने सही कर दिया। वह हिरासत में सही तरीके से है या गलत तरीके से है, वह तो कोर्ट तय करेगा। लेकिन यह जज तय नहीं करेंगे कि वह सही या गलत हिरासत में है। इसीलिए मैं यह विधेयक लाया हूं।*...(व्यवधान)*

श्री विजय बहादुर सिंह (हमीरपुर, उत्तर प्रदेश) : अगर उसको सजा हो गई और सजा होकर तो वह डीबार हो गया। उसका इलैक्शन रद्द और वह जीत गया।*...(व्यवधान)*

श्री कपिल सिब्बल : नहीं, नहीं, ऐसा नहीं है। मैं आपको बताता हूं। उसके लिए भी वह चर्चा करने की जरूरत नहीं है क्योंकि सजा की बात तो बाद की है। इस जजमेंट ने यह तय कर दिया कि अगर वह हिरासत में है और उसको वोट करने का हक नहीं है तो वह इलैक्टर भी नहीं हो सकता। यह अपने आप में साफ गलत है। इसलिए इसमें ज्यादा चर्चा करने की जरूरत नहीं है। मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि जल्दी से जल्दी इसको पास किया जाए।

[अनुवाद]

सभापति महोदय : प्रश्न यह है:

"कि विधेयक पारित किया जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

रात्रि 8.39 बजे

राज्य सभा से संदेश...*जारी*

[अनुवाद]

महासचिव : सभापति महोदय, मुझे राज्य सभा के महासचिव से प्राप्त निम्नलिखित संदेश की सूचना देनी है:–

"राज्य सभा के प्रक्रिया और कार्य संचालन नियमों के नियम 127 के उपबंधों के अनुसरण में मुझे लोक सभा को यह बताने का निदेश हुआ है कि राज्य सभा 6 सितंबर, 2013 को हुई अपनी बैठक में लोक सभा द्वारा 24 अगस्त, 2013 को हुई अपनी बैठक में पारित किए गए संविधान (अनुसूचित जनजातियां) आदेश (संशोधन) विधेयक, 2013 से बिना किसी संशोधन के सहमत हुई।"

रात्रि 8.40 बजे

सदस्यों द्वारा निवेदन...*जारी*

(चार) राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार बोर्ड के अध्यक्ष श्री श्यामसरन द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट के बारे में

[हिन्दी]

श्री यशवंत सिन्हा (हज़ारीबाग) : माननीय सभापति महोदय, कल शाम को मैंने इसी सदन में प्रश्न उठाया था जो राष्ट्रीय सुरक्षा का एक गंभीर मुद्दा है कि चीन ने हमारी भूमि पर कब्जा कर लिया है। मैंने एक रिपोर्ट का हवाला दिया था जो किर प्रधानमंत्री जी के विशेष दूत श्री श्याम सरन ने लद्दाख के भ्रमण के बाद उनको सौंपी थी। मैंने यह मांग की थी, शायद गलती की थी क्योंकि रक्षा मंत्री का इस तरह बयान आया है। मुझे लगा कि गलती मैंने इसलिए की क्योंकि जो बयान रक्षा मंत्री जी का आया है उसमें बातें छुपाई गई हैं और सच्चाई को दबाया गया है। हम सब जानते हैं, चूंकि अंग्रेजी भाषा ऐसी भाषा है जिसमें अगर कुछ बात कह दी जाए तो तथ्यात्मक दृष्टिकोण से नहीं कह सकते कि यह गलत है लेकिन सच्चाई छुपाने के लिए वह काफी है। इसी प्रकार अंग्रेजी भाषा का प्रयोग करते हुए सच्चाई को छुपाने का प्रयास किया गया।

महोदय, मैंने गोर से इस स्टेटमेंट को देखा है। मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय का ध्यान एक खास वाक्य की ओर दिलाना चाहता हूं जो उनके बयान में है:–

[अनुवाद]

"मैं स्पष्ट रूप से यह कहना चाहता हूं कि इस प्रतिवेदन में श्री श्याम सरन ने यह नहीं कहा है कि चीन ने कब्जा कर लिया है अथवा भारतीय क्षेत्र के किसी हिस्से में भारत की पहुंच को नकारा है।"

रात्रि 8.42 बजे

[**श्री पी.सी. चाको** *पीठासीन हुए*]

चीन ने कब्जा नहीं किया है अथवा भारतीय क्षेत्र के किसी हिस्से में भारत की पहुंच को नकारा है। स्पष्टत: *[हिन्दी]* ऐसा लगता है कि उन्होंने बिल्कुल सही कहा है। अब चीन ने लिखित क्या दिया है कि आप नहीं जा सकते हैं। चीन ने नोट पर बल दिया है कि आप नहीं जा सकते हैं, चीन ने सच्चाई में, यथार्थ में जमीन पर यह कर दिया है। यह जो बात है इसे मंत्री महोदय अपने बयान में छुपा गए हैं। हम सब जानते हैं कि हमारी एक अंडरस्टैंडिंग लाइन आफ एक्चुअल कंट्रोल की है और शायद चीन की दूसरी है। ईस्टर्न लद्दाख, जिस इलाके के बारे में हम चर्चा कर रहे हैं, चीन लाइन आफ एक्चुअल कंट्रोल उसे मानता है जो उस समय के चीनी प्रधानमंत्री चाओ एन लाई ने हमारे प्रधानमंत्री जवाहर लाल नेहरू को पत्र लिखकर 7 जनवरी, 1959 को भेजा था। उसमें उन्होंने एक लाइन का जिक्र किया था, चाइनीज मानते हैं कि यही लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है। हमारे यहां सरकारी पदाधिकारियों का चाइना स्टडी ग्रुप है, इसमें मिलिट्री पदाधिकारी भी हैं। इस ग्रुप ने 1976 में तय किया था कि 1962 की लड़ाई की सच्चाई के आधार पर लाइन आफ एक्चुअल कंट्रोल क्या है। हम इसे लाइन ऑफ कंट्रोल नहीं कहते हैं जैसे पाकिस्तान की सीमा को लाइन ऑफ कंट्रोल कहते हैं। यह लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है जहां दोनों आर्मीज 1962 युद्ध के बाद आमने सामने रही, यह वही लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है। उस मंत्रालय को छोड़े बहुत दिन हो गए हैं, मैं याद्दाश्त से बोल रहा हूं कि लाइन ऑफ कंट्रोल हमारा है। यह उनका लाइन ऑफ कंट्रोल 1959 का है जो इंडिया-चीन युद्ध 1962 में हुआ था। यह उसके पहले का है। उसके बहुत सारे एग्रीमैन्ट्स हुए, 1966 का एग्रीमैन्ट हुआ और 2005 का एक प्रोटोकोल है, जिसे प्रोटोकोल के अनुसार अगर पैट्रोलिंग करते समय दोनों देशों की आर्मी आमने-सामने आ जाए तो उस परिस्थिति में हम क्या करेंगे, इसके बारे में 2005 का प्रोटोकोल है। उसमें एक तो यह है कि हिंसा नहीं करेंगे, एक-दूसरे के ऊपर आक्रमण नहीं करेंगे, विदड्रा कर जायेंगे, अपने देश के प्रतिनिधियों को बतायेंगे, वे इसके बारे में चर्चा करेंगे। लेकिन उसमें एक बहुत महत्वपूर्ण बात है और वह यह है कि यह जो इलाका है, इसमें कोई कंस्ट्रक्शन नहीं होगा, इसमें कोई कंस्ट्रक्शन न हम करेंगे और न वे करेंगे। 2005 का बॉर्डर प्रोटोकोल यही कहता है। अभी हाल में अप्रैल में जब डिपसांग में चीनी सेना घुस आई थी, हम सब जानते हैं कि वे 20 या 25 किलोमीटर हमारी भूमि के अंदर, सीमाओं के अंदर आ गये थे और उन्होंने कैम्प लगा दिया था, कैम्प लगाया था, एक स्ट्रक्चर बनाया था, जो 2005 के बॉर्डर प्रोटोकोल का खुला

उल्लंघन था और हम कुछ सकपकाये रहे, हम हेजिटेट करते रहे, हमने इसका मुकाबला नहीं किया और बहुत दिनों के बाद जब उनकी मर्जी में आया तब वे वहां से हटे वहां से वापस गये। हमने उन्हें हटाने के लिए कुछ नहीं किया। वे स्वयं आये, हमें एक संदेश दिया और वह संदेश क्या था, वह संदेश यह था कि हम जो चाहे वह कर सकते हैं और अगर तुममे हिम्मत है तो हस्तक्षेप करके देख लो और हमने हिम्मत नहीं दिखाई जब उनकी मर्जी में आया, तब वे वहां से गये।

महोदय, मैं मंत्री महोदय से बिल्कुल स्पष्ट जानना चाहता हूं कि यह जो चाइना का इनकर्शन हुआ, मेरी जानकारी यह है कि एक डिपसांग बल्ज है, जो मैप में इस तरह का इलाका है, जिसे बल्ज कहते हैं। वह हमारा इलाका था, आज वह हमारे पास नहीं है और मैं गंभीरता और जिम्मेदारी के साथ मंत्री महोदय से आज इस सदन के फ्लोर पर जानना चाहता हूं कि क्या डिपसांग बल्ज आज भारत के नियंत्रण में है या हम उसे खो चुके हैं? आप छोड़ दीजिए 570, 540 या 640 स्कवायर किलोमीटर्स है या कितना था, कल मैं गलत था। कल मैंने कहा था कि 640 स्कवायर किलोमीटर्स चीन ने कब्जा कर लिया है। जब मैंने इसकी तहकीकात की तो मुझे पता चला कि उन्होंने जो हरकत लाइन आफ एक्चुअल कंट्रोल पर की है, उसमें एक्चुअली 750 स्कवायर किलोमीटर्स का इलाका उन्होंने ऐसा कर दिया है कि भारत की आर्मी के पैट्रोल वहां नहीं जा सकते और उन्होंने इसी तरह 2005 के प्रोटोकोल का वायलेशन करते हुए क्या किया है, एक ट्रैक जंक्शन है और मैं मंत्री महोदय से इसके बारे में जानकारी चाहता हूं कि दौलत बेग ओल्डी के पास एक ट्रैक जंक्शन है, उस ट्रैक जंक्शन में उन्होंने एक सड़क बनाई है, जो मोटरेबल है। चाइना की आर्मी मोटराइज्ड ट्रांसपोर्ट में उस रोड का इस्तेमाल करती है और उस रोड का असर यह पड़ा है कि हमने जैसा कहा कि 750 स्क्वायर किलोमीटर्स जिसमें हमारी सेना पैट्रोलिंग कर सकती थी, उससे आज के दिन हम वंचित हैं। यह कैसे हुआ, कब हुआ? इसके अलावा जो चुमार इलाका है, वहां पर भी हम पैट्रलिंग करते थे। वहां पर प्वाइंट्स मैप में दिए हुए हैं - 10, 11, 11ए और 13 जहां हम जाते थे, हमारी सेना पैट्रोलिंग करते हुए जाती थी, परंतु आज हम वहां पर नहीं जा सकते हैं, क्योंकि चीन ने रोक दिया है, उसकी फौज वहां पर खड़ी है। अब वह वहां क्यों खड़ी है, क्योंकि एक पाकीनाला है, उस पाकीनाला से आगे जाने से उन्होंने हमें रोक दिया है तो हम उन प्वाइंट्स पर नहीं जा सकते हैं।

फिर हम सब जानते हैं कि एक पैंगोंग चो लेक है, जिसमें एक स्वीजाप एरिया है, वहां पर चीन आज डॉमिनेट कर रहा है, उसने वास्तविक नियंत्रण रेखा के साथ अपनी पोज़िशंस को स्ट्रेंथन किया है। वह ज्यादा आक्रामक भूमिका में आ गया है। बार-बार हमारी भूमि के अंदर, सीमा के अंदर जो घुसपैठ हो रही है, वह इसीलिए हो रहा है, क्योंकि चीन की फौज ने वहां पर ताकत बनाई है और हमने ताकत नहीं बनाई है। इसीलिए प्रधान मंत्री जी ने श्री श्याम सरन, जो उनके विशेष दूत हैं, उनको भेजा कि लद्दाख का जो एरिया है, वहां से लेकर नॉर्थ-ईस्ट तक आप जाइए और पूरी वास्तविक नियंत्रण रेखा को देखिए। यह सही है, जैसा मंत्री महोदय ने कहा कि उसमें यही मुद्दा था कि इंफ्रास्ट्रक्चर के दृष्टिकोण से आप देखिए। हम सब जानते हैं, हम लोग जब सरकार में थे, तो हमने शुरूआत की थी कि वहां इंफ्रास्ट्रक्चर मज़बूत हो। मुलायम सिंह जी जब डिफेंस मिनिस्टर थे, इन्होंने कोशिश की थी कि वहां इंफ्रास्ट्रक्चर मज़बूत हो। लेकिन हमसे बहुत तेज़ी से आगे बढ़ते हुए, चीन ने अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को मज़बूत कर लिया और हम अभी भी बहुत पीछे हैं। उसका नतीजा क्या हो रहा है? चीन के इंफ्रास्ट्रक्चर के कारण, उसको सुविधा ज्यादा है। वे जहां चाहें वहां आसानी से जा सकते हैं। हमारे पास में साधन नहीं हैं। अभी भी हम बहुत सारे इलाके में खच्चरों पर डिपेंड करते हैं। जहां वे कुछ घंटों में पहुंच सकते हैं, वहां हमको पहुंचने 15 दिन लगते हैं सब मिला-जुला कर श्याम शरण जी को यह देखने के लिए भेजा गया कि ईस्टन लद्दाख का यह जो इलाका है, इसमें इंफ्रास्ट्रक्चर को देखें और सब बातों को देखें। मेरी अपनी जानकारी है और मैं मंत्री महोदय से कहना चाहूंगा, क्योंकि इन्होंने कहा था कि श्याम शरण 2-9 अगस्त, 2013 को गए थे और लौट कर उन्होंने एक रिपोर्ट सब्मिट की थी, जो इनके मंत्रालय को 2 सितंबर, 2013 को प्रधान मंत्री कार्यालय से भेजा गया। लगभग एक महीने के बाद। लेकिन मैं जानता हूं कि श्याम शरण जी ने लौटने के बाद व्यक्तिगत रूप से प्रधान मंत्री जी से 10 अगस्त को मिल कर इन सारी बातों की चर्चा की थी कि कैसे यह पूरा एरिया जो है, उस इलाके में वास्तविक नियंत्रण रेखा पर चीनी आधिपत्य है। हमारा जो पेट्रोलिंग वाला इलाका है।, वह आज हमको उपलब्ध नहीं है। जब हम 750 किलोमीटर की बात करते हैं तो हमारा यही मतलब है कि 750 किलोमीटर में जहां पर हमारे सेना के पेट्रोल जा सकते थे, आज नहीं जा सकते हैं क्योंकि चीनियों ने हमको रोक दिया है। हम खामोश हैं और हम अपनी सेना को आदेश को नहीं दे रहे हैं कि तुम मुकाबला करो। चीन की पॉलिसी है, अंग्रेजी में उसको कहते हैं निबलिंग, जैसे चूहा धीरे-धीरे काटता है, वैसे *[अनुवाद]* चीनी वास्तविक नियंत्रण रेखा को धीरे-धीरे काट रहे हैं और वे उस रेखा का पुनर्निर्धारण कर रहे हैं। यह एक गंभीर मामला है और पूरी विनम्रता के साथ मैं यह कहूंगा कि इसमें कोई राजनीति नहीं है। इसमें राजनीति इसलिए नहीं है क्योंकि यह गंभीर राष्ट्रीय महत्व का मामला है। इसलिए मैं हाथ जोड़कर सरकार से अनुरोध करता हूं। कृपया हमें स्पष्ट रूप से बताइए कि सच क्या है। कृपया हमें बताइए कि वास्तविक नियंत्रण रेखा पर हमें किस प्रकार की चुनौती का सामना करना पड़ रहा है और पूरा देश आपके साथ होगा, आपके साथ खड़ा होगा यदि आप कड़ी कार्यवाही करते हैं। *[हिन्दी]* यहां कहा गया है कि हमारी सेना कमजोर

[श्री यशवंत सिन्हा]

नहीं है। दुनिया की सबसे बहादुर सेनाओं में हमारी सेना की गिनती होती है। उनको सिर्फ आदेश देने की जरूरत है। *[अनुवाद]* इसलिये यह शारीरिक दमखम का प्रश्न नहीं है; यह मानसिक मजबूती और इच्छा शक्ति, राजनीतिक इच्छाशक्ति का प्रश्न है। महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार से, रक्षा मंत्री से अनुरोध कर रहा हूं जोकि यहां सभा में उपस्थित हैं, कि कृपया उस क्षमता उस साहस को विकसित कीजिए जो चीनी दुस्साहस को टक्कर देने में समर्थ हो; हमारी सेना को उनका सामना करने के निर्देश दीजिए। मुझे पूरा विश्वास है, हमारी महान और गौरवशाली सेना इसमें अपने आपको साबित करेंगी जैसा कि उन्होंने अतीत में किया है। इसलिए मैं चाहती हूं कि मंत्री सभा को बताएं कि सच क्या है और सभा को आश्वस्त करें कि वास्तविक नियंत्रण रेखा पर चीनी खतरे का सामना करने के लिए वह भारतीय सेना को कुछ भी करने की पूरी छूट देंगे। हम चुपचाप नहीं बैठेंगे। यह मेरा उनसे अनुरोध है और यह उनसे मेरी आशा है।

[हिन्दी]

श्री मुलायम सिंह यादव (मैनपुरी) : महोदय, माननीय यशवंत सिन्हा जी ने विस्तार से बता दिया है। इस सवाल को आज से नहीं, मैं चौदह साल से लगातार सदन में और सदन के बाहर बोल रहा हूं। मैंने सबसे मिलकर भी, हम नाम लेंगे, सत्ता में बैठे उच्च पदाधिकारियों से या मिनिस्टर जो भी हैं या प्रधानमंत्री जी तक मैंने इस बारे में बात की है और सावधान किया है। मंत्री जी, आप यहां बैठते थे, मैं रोज सावधान करता था और आपको बताता था।...*(व्यवधान)* यह बात सही है, ऐसा नहीं है मंत्री जी सच बोल रहे हैं। चीन के बारे में हमने कहा कि इतना धोखेबाज दुनिया में कोई दूसरा देश नहीं है। यह मैं कह रहा हूं।... *(व्यवधान)* मैंने यहां कहा था कि नेहरू जी की मौत केवल चीन के कारण हुयी, मैंने यहां ऐसा कहा था। आपको याद होगा कि लोहिया जी ने लेख लिखा था तो तब कहा था कि नेहरू जी को जो धोखा हुआ है, चीन ने धोखा दिया है, चाउ एन लाई ने धोखा दिया है, वह सद्मा उनको लगा, वे उस सद्मे को बर्दाश्त नहीं कर पाए और उनका निधन चीन की वजह से हुआ, लेकिन इनकी समझ में नहीं आ रहा है। मैंने कई बार सावधान किया कि इस बात को गंभीरता से लीजिए। यह देश का सवाल है, यह देश के स्वाभिमान का सवाल है और आप दुनिया में हिन्दुस्तान को किस तरह से अपमानित करने जा रहे हैं हमारा जो सम्मान है, जो सम्मान बढ़ रहा था, हमारा बड़ा देश है, विशाल देश है और जैसा मैं कई बार कहता हूं कि हमारी सेना दुनिया की सबसे बहादुर सेना है। हमें अपने देश की सेना पर वर्ग है। सेना के बड़े जनरल तक से कई दौर में मेरी बात हुयी। उन्होंने कहा कि नहीं देते, नहीं देते हैं हुक्म हमको। रक्षा मंत्री जी, आप साफ जवाब दीजिए। हर सप्ताह में सुरक्षा की रक्षा संबंधी देश की सीमा संबंधी मीटिंग होती है। आपने यह मीटिंग हर हफ्ते चलायी या नहीं। जब हम रक्षा मंत्री थे, तो हर हफ्ता मीटिंग करते थे। हमसे पहले कांग्रेस के रक्षा मंत्री थे, तब वे हर हफ्ता मीटिंग करते थे, बीजेपी के रक्षा मंत्री थे, तब हर हफ्ता मीटिंग होती थी। मेरे से एक अधिकारी ने स्वीकार किया था कि मीटिंग होती है। फिर मैंने सेना के एक बहुत वरिष्ठ अधिकारी से पूछा, मैंने कहा कि क्या यह सच है, यह आज से डेढ़ साल पहले की बात है, एक फंक्शन में हम मिले थे, उन्होंने कहा कि यह सच है। मैंने कहा कि आप क्या कर रहे हो, तो उन्होंने कहा कि हमें हुक्म ही नहीं देते हैं। मैंने कहा कि हर हफ्ते मीटिंग होती है और उसमें जनरल रहता है तो उन्होंने कहा कि मैं रहता हूं और मैं कहता हूं। मैंने कहा कि क्या जवाब मिलता है, उसमें प्रधानमंत्री जी रहते हैं, रक्षा मंत्री जी रहते हैं, मैंने कहा कि क्या जवाब मिलता है तो उन्होंने कहा कि मौन, आज तक हमें कोई निर्देश नहीं दिया। उन्होंने कहा कि हर हफ्ते, हर मीटिंग में हम बात रखते हैं कि चीन हम पर कब्जा कर रहा है। ऐसा नहीं है कि आप अनजान हों। यह क्या कमजोरी है, आप इस बारे में बतायें। हम कह रहे हैं कि इस मामले में यह पूरा सदन, पूरे देश की जनता साथ है। कमजोरी किस बात की है? हमारी फौज कमजोर नहीं है।

रात्रि 9.00 बजे

हम भी रक्षा मंत्री रहे हैं। अपने पुराने अधिकारियों को बुलाकर पता लगा लीजिए। चीन ने एक किलोमीटर पर निशान लगा दिये तो मैंने तीनों जनरल को बुलाकर कहा कि सावधान हो जाइए, और चार किलोमीटर पर निशान लगाइए तो हमने चार किलोमीटर पर निशान लगा दिये। आप पूछ लीजिए। उसके बाद एक दिन भी चीन एक इंच आगे नहीं बढ़ पाया, वह कुछ नहीं बोला। आज मैंने चीन के बारे में बता दिया है। उधर वह अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश कर रहा है, कश्मीर की तरफ से प्रवेश कर रहा है। कई जगह से प्रवेश करने की योजना वह बना चुका है, मैं सदन में कह चुका हूं। वह चारों तरफ से हमें घेर रहा है। उसके बाद यह सरकार सारा सामान चीन से खरीद रही है। आर्थिक दृष्टि से हिन्दुस्तान चीन को मज़बूत कर रहा है। बाज़ार में छोटे-छोटे खिलौने तक सब चीन के आ रहे हैं।

[अनुवाद]

सभापति महोदय : मुलायम सिंह जी, कृपया कुछ देर के लिए अपने स्थान पर बैठिए।

माननीय सदस्यों, अभी रात्रि के नौ बजे हैं। यदि सभा सहमत हो तो हम बैठक का समय एक घंटा बढ़ा सकते हैं।

अनेक माननीय सदस्य : ठीक है।

सभापति महोदय : मुलायम सिंह जी, कृपया जारी रखिए।

[हिन्दी]

मुलायम सिंह यादव: मैं एक बात कहना चाहता हूं। सिन्हा साहब ने बहुत अच्छा किया और आपने बहुत अच्छी तरह से सहयोग किया है। मैंने बताया कि चीन ने नेहरू जी से लेकर सबको धोखा दिया है। आज मैं फिर सदन में बता रहा हूं कि चीन हिन्दुस्तान पर हमले की पूरी तैयारी कर चुका है और जब मौका पाएगा तब हमला करेगा। रक्षा मंत्री जी बताएं कि यह बात सच है या गलत है। अगर सच है तो आपने क्या किया? आप कहेंगे कि कोई खतरा नहीं है। सवेरे भी कह गए, फिर कह देंगे लेकिन इससे हम सदन के लोग सहमत नहीं होंगे। आपके भी कई लोग बैठे हैं। उनको पता है, वे भी चिन्तित हैं। आपको चिन्ता क्यों नहीं हुई? हम तो आपसे कई सालों से कह रहे हैं कि मैं इनकी बहुत इज्ज़त करता हूं। यहां सिन्हा साहब कहते रहे, हमने आपको राय भी दी। आपके साथ बैठकर आपको कहा कि यह करिए, वह करिए, दिक्कत हो रही है, चीन ऐसा कर रहा है। आपकी मजबूरी क्या थी वह मैं जानना चाहता हूं। मजबूरी किस स्तर पर हुई, वह मैं जानना चाहता हूं। सेनापतियों से मजबूरी नहीं हुई। जब मीटिंग हर हफ्ते हुई है और हर मीटिंग में उन्होंने रखा है तो आपने पालन क्यों नहीं किया? सिन्हा साहब, हर हफ्ते देश की रक्षा संबंधी मीटिंग होती है। मैं रक्षा मंत्री रहा हूं। और कोई मीटिंग पोस्टपोन हो, लेकिन यह पोस्टपोन नहीं होती है। उसमें जनरल पूरी सच्चाई से सब बात रखते हैं और उसका पालन होता है या नहीं। यह बताएं कि क्या जो जनरल हैं, उन्होंने आपकी मीटिंग में यह बात कही या नहीं कही कि चीन से खतरा है और चीन हमारी ओर बढ़ रहा है? अगर उन्होंने नहीं बताया है तो पता चल जाएगा। अगर बताया है तो आपने क्या किया और नहीं किया तो क्यों नहीं किया?

महोदय, आज स्थिति ऐसी बन गई है कि चीन आगे बढ़ा और चीन पहले ही 1 लाख वर्ग किलोमीटर पर कब्ज़ा कर चुका है। अभी जो कब्ज़ा किया है, यह ध्यान रखना कि मैंने आपको सावधान किया था कि चीन के पहले वे कैम्प वाले हट गए। लेकिन वे पूरे का पूरा देख गए कि कैसे हमला करेंगे, कहां से प्रवेश करेंगे, पहाड़ों से होकर कैसे आएंगे और कैसे हिन्दुस्तान को कब्ज़े में करेंगे। यह मैंने यहां सदन में कहा था और वह कार्यवाही में है कि वे रास्ता देख गए हैं, तैयारी कर गए हैं। ऐसा मत सोचो कि वे चले गए हैं। जब सड़कें बन रही थीं तो मैंने आपको सावधान किया था। मैंने यह भी पूछा था कि जब चीन सड़क बनवा रहा था तो हमने भी जो सड़कें बनवाईं और हमारी सरकार नहीं रही तो वे सड़कें जो अधूरी बनी हुई थीं, उनका आपने क्या किया? कितनी मरम्मत करवाई? नहीं करवाई तो मरम्मत क्यों नहीं करवाई? वे तो उखड़ गई होंगी। उस पर ध्यान नहीं दिया। कोई परवाह नहीं की तो देश को चला कैसे रहे हैं?

हमारी सेना बहादुर है और यह सही है कि दुनिया में सबसे बहादुर सेना है, सबसे ज्याद कुर्बानी करने वाली सेना है। दुनिया में भेजी गई और देशों की रक्षा के लिए और बहादुरी से काम करके दुनिया में नाम करके आयी है। सभी जगह हमारी सेना गई। सेना हमारी मजबूत, सेना हमारी बहादुर तो कमजोरी कहां है। मैं यह कह रहा हूं कि सेना के वरिष्ठ अधिकारियों ने कहा कि सरकार कनफ्यूज़न में कभी कोई क्लीयर हुक्म नहीं देती है। आप किसी अधिकारी से चुपचाप पूछ लेना, अगर विश्वास का हो, तो सेना के वरिष्ठ अधिकारी बता देंगे कि सरकार ने आज तक स्पष्ट कभी भी कोई निर्देश नहीं दिया। आप सेना को दुविधा में रखेंगे। अगर सेना को दुविधा में रखेंगे तो देश को आप बचा नहीं सकते हैं। सेना को यह क्लीयर होना चाहिए कि हमारे रक्षा मंत्री, हमारे प्रधानमंत्री, हमारी सरकार क्या चाहती है? अभी तक इस सरकार ने सिन्हा साहब मैसेज नहीं दिया है कि हम क्या चाहते हैं कि हमारी सीमा सुरक्षित रहे, हमारी सीमा में कोई कदम बढ़ाने न पाए। आज तक क्या स्पष्ट निर्देश दिया गया है, मैं पूछना चाहता हूं। जब निर्देश नहीं दिया है तो सेना क्या करेगी? सेना तैयार है कि हम खदेड़ देंगे। मुझसे एक जनरल ने कहा था कि मुझे आप कहिए, उन्होंने मुझसे कहा था कि आप सदन में इतना भाषण दे दो, चीफ जनरल ने कहा था कि आप यह भाषण कर दो कि जो सड़कें मैंने बनवायी थीं उनका क्या हुआ? उसके कहने से मैंने सदन में आपसे डेढ़-दो साल पहले पूछा था, आप कार्रवाई देख लीजिए। उन सड़कों का क्या हुआ? हम लोग तो आपको सावधान करते हैं और आपका साथ दे रहे हैं। इस मामले में देश की जनता और पूरा सदन आपके साथ है, फिर रक्षा मंत्री जी क्या कमजोरी है? कमजोरी क्यों है? क्या आप लडेंगे, आप तो लड़ाएंगे। अगर आप डर रहे हैं तो वह बात अलग है। सेना लड़ेगी, आप तो जाकर नहीं लड़ोगे। वहां जो कुछ होगा, कुर्बानी वह करेंगे, शहीद होंगे या मारेंगे भी। यह क्या है, आप इसे गंभीरता से नहीं ले रहे हो। आप जैसे लोग गंभीरता से नहीं लेंगे, तो देश को फिर कैसे बचाएंगे? मैं इसीलिए सख्त होकर बोल रहा हूं और देसी भाषा में बोल रहा हूं ताकि आपका दिमाग ठनके। मुझे बोलने की जरूरत नहीं थी। मैं भी तो रक्षा मंत्री रहा हूं। पाकिस्तान ने क्या नहीं किया था? हमने उन्हें खदेड़ दिया था। उसकी सीमा के अंदर मैदान में, लाहौर वाले मैदान तक हमारी फौज ने क्या कार्रवाई नहीं की है? पता लगा लेना आप। उसने हमारे जवानों का हेलीकॉप्टर गिरा दिया था। मैंने उसका प्रचार कर दिया सदन के अंदर की दुर्घटना हुई। मैंने ऐसा जवाब दिया था और सारे कश्मीर के उस समय के सातों पार्लियामेंट मेंबर्स मिलकर मुझे बधाई देने गए थे कि आपने पहली बार जवाब दिया पाकिस्तान पर। उस दिन से पाकिस्तान कभी भी हमारे समय में उंगली नहीं उठा सका। हमारा हेलीकॉप्टर गिरा

[मुलायम सिंह यादव]

दिया था हमारी सीमा में, फिर हमने क्या किया था, पता लगा लेना और यहां मैंने कह दिया कि दुर्घटना हुई। नहीं बताया कि पाकिस्तान ने गिराया, मैंने प्रचार दुर्घटना का किया। सेना में हिम्मत है, अगर हमारे रक्षामंत्री, प्रधानमंत्री और सरकार में हिम्मत है, तो हमें चीन भी पीछे नहीं कर सकता है। हमारा एक सैनिक उनके तीन सैनिकों के बराबर है। तीन के बराबर है।...*(व्यवधान)* इतनी बहादुर सेना है हमारी। अगर वे कुश्ती भी लड़ें, तो तीन को उठाकर पटक देंगे। हां, ऐसा हुआ है। जब हथियार नहीं थे 1962 की लड़ाई में, तो बेचारे पटक-पटककर ही लड़े थे।...*(व्यवधान)* हमारे भाई साहब थे वहां, हमें इसीलिए यह सब जानकारी है। वह बच गए थे। हमसे पूछिए सेना के बारे में, अभी हमारे परिवार के चार लोग हैं। इसलिए मैं आपसे अपील करना चाहता हूं कि अभी समय है, आपके साथ पूरा सदन है, जनता आपके साथ है। चनी पर कभी विश्वास मत करना और चीन को हिम्मत के साथ जवाब देना, यही अब एक उपाय है। हम सब लोग आपके साथ हैं। आप जिस तरह की भी मदद चाहोगे, मदद करेंगे। जनता में भी विश्वास भरेंगे। देश के सवाल पर हम आपके साथ हैं। हिम्मत से रक्षा मंत्री जी और सरकार के यहां बैठे मंत्रीगणों से कहूंगा कि चीन को जवाब दीजिए। अगर आप चीन को जवाब देंगे तो चीन आपकी सीमा के पास नहीं आएगा। जितना ही आप चीन से डरेंगे, उतना ही चीन आपकी सीमा के भीतर घुसता जाएगा। चीन के ये पांच हजार साल के संस्कार हैं। जब चीन कमज़ोर देख लेता है तो हमला करता है और जब देखेगा कि हिन्दुस्तान मज़बूती के साथ खड़ा है तो चीन भाग जाएगा। यह पांच हजार साल का इतिहास है।

इसलिए हिम्मत के साथ आप एक बार चीन का मुकाबला करके दिखाइए। हम सब आपके साथ हैं।

[अनुवाद]

सभापति महोदय : धन्यवाद। माननीय सदस्यगण, कृपया संक्षेप में अपनी बात कहिए। प्रो. सौगत राय।

...(व्यवधान)

प्रो. सौगत राय (दमदम) **:** सभापति महोदय, मैं बहुत ही संक्षेप में अपनी बात कहूंगा क्योंकि न तो मैं पूर्व विदेश मंत्री हूं और न ही पूर्व रक्षा मंत्री। मैं यह कहकर प्रतियोगी राष्ट्रवाद में शामिल नहीं होऊंगा कि हम युद्ध के लिए तैयार हैं। इस संसद में यह कहना बहुत ही गैर जिम्मेदाराना है कि, "अपने सैनिकों से कहिए कि जाओ और चीनियों को भगा दो।" हम एक बड़े देश हैं और हमें सावधानीपूर्वक सभी निर्णय लेने चाहिए।

मुझे विश्वास है, श्री एंटनी को लंबे समय से जानते हुए कि वह जल्दबाजी में कोई निर्णय नहीं लेंगे। यह पूरी चर्चा श्री श्याम सरन, पूर्व विदेश सचिव और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार बोर्ड के अध्यक्ष द्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदन के संबंध में है। मैं माननीय रक्षा मंत्री से जानना चाहता हूं कि क्या श्री श्याम सरन ने वास्तव में यह कहा है कि चीन ने हमारे 640 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र पर कब्जा कर लिया है अथवा यह कुछ पत्रकारों की कल्पना की उपज है।

दूसरा प्रश्न यह है।...*(व्यवधान)* पूरी चर्चा सीमा पर अवसंरचना तैयार करने के बारे में है। रक्षा मंत्री के तौर पर क्या वह यह महसूस करते हैं कि क्या लद्दाख में चीनी सीमा पर हमारी अवसंरचना उनके संतोष के अनुरूप है, उचित है? अथवा इसमें सुधार की आवश्यकता है?

अंत में, चीन के साथ हमारी बड़ी लंबी सीमा है। पश्चिम में लद्दाख, अक्साई चिन से शुरू कर उत्तराखंड तक हमारी चीन के साथ सीमा है। यदि आप इस तरफ देखें तो सिक्किम, भूटान से शुरू कर अरुणाचल तक हमारी चीन के साथ सीमा है। अब, चीन के साथ लगातार सीमा वार्ताएं होती रहती है, बिजिंग और दिल्ली क्षेत्रों में। श्री शिव शंकर मेनन सीमा वार्ता हेतु हमारे दल का नेतृत्व कर रहे थे। मैं माननीय रक्षा मंत्री से जानना चाहता हूं कि क्या सीमा का निर्धारण किया गया है। यदि नहीं, तो उन्हें कब तक की उम्मीद है कि इन वार्ताओं के माध्यम से सीमा का निर्धारण हो पाएगा।

भारत और चीन दो बड़े देश हैं। दोनों परमाणु संपन्न राष्ट्र हैं। स्पष्टरूप से हम युद्ध झेलने की स्थिति में नहीं हैं। हम गैर जिम्मेदाराना वक्तव्य देनो भी नहीं झेल सकते।

हमारे महान नेता, जवाहरलाल नेहरू ने एक छोटा सा वक्तव्य दिया था जो मुझे नहीं लगता कि गैर जिम्मेदाराना था और इतिहासकार भी नहीं मानते कि यह गैर-जिम्मेदाराना था। चीनी घुसपैठ के बारे में इसी लोक सभा में एक प्रश्न के जवाब में उन्होंने सिर्फ इतना कहा था: "मैंने अपने सैनिकों को उन्हें बाहर खदेड़ने के लिए कह दिया है।" क्या हुआ? 20 अक्टूबर, 1962 को चीन ने बड़े स्तर पर आक्रमण कर दिया और बोमडिला सेला दर्रा हाथ से निकल गया। यह हम सबको पता है। इसे भारी असफलता, बहुत बड़ी गलती कहा जाता है। हमें ऐसा कोई काम नहीं करना चाहिए जिससे भारत की प्रतिष्ठा पर आंच आए। हर कार्यवाही पर विचार किया जाना चाहिए।

मुझे विश्वास है, जैसा मैं रक्षा मंत्री को जानता हूं कि एक बड़े राष्ट्र के तौर पर, एक जिम्मेदार और शान्तिप्रिय देश के रूप में भारत की स्थिति को बनाए रखने के लिए वह सोच समझकर निर्णय लेंगे।

[हिन्दी]

श्री दारा सिंह चौहान (घोसी) : सभापति जी, मुझे आपने बोलने का अवसर दिया, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं। इस गंभीर सवाल पर जो चर्चा हो रही है,...*(व्यवधान)* यह चर्चा तब आयी, जब कल हाउस के दौरान इस सदन को माननीय जसवंत सिंह जी के द्वारा यह सूचना दी गयी, कहीं मीडिया से उनको यह सूचना मिली कि चीन की सेना हमारे देश में 640 वर्ग किलोमीटर अंदर चली आयी है।

सभापति महोदय, सवाल केवल सीमा में घुसने का नहीं, अतिक्रमण का नहीं, बल्कि देश की अस्मिता का सवाल है। इस देश का इतिहास गवाह है कि जब-जब इस देश की **सीमा पर** अतिक्रमण करने का अगर किसी विदेशी ताकत ने प्रयास किया **तो हमारे** देश की सेना ने अपनी जान की कुर्बानी देकर इस देश की सीमा की सुरक्षा की है। सदन में ऐसे मौके कम आते हैं, जब पूरा सदन एक साथ अपने सरहद की सुरक्षा में खड़ा होता है। आज पूरा देश इसके लिए खड़ा है।

सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से इतना ही कहना चाहता हूं कि चीन द्वारा बार-बार सीमा पर अतिक्रमण को लेकर जो सवाल खड़े किए गए, मंत्री जी की तरफ से जवाब दिया गया और उसके बाद भी हमारी सीमा से सटे देश चाहे जो भी हों, अगर वे हमारे देश की सीमा पर अतिक्रमण करते हैं, जैसी सूचना मीडिया के माध्यम से मिल रही है, तो मैं माननीय मंत्री जी से केवल इतना ही जानना चाहता हूं, हम केवल जवाब के लिए नहीं, हम कार्रवाई चाहते हैं कि आप आने वाले दिन में क्या कार्रवाई करना चाह रहे हैं? यह सदन और देश जानना चाहता है।

[अनुवाद]

डॉ. एम. तम्बिदुरई (करुर) : सभापति महोदय हम राष्ट्र की सुरक्षा पर चर्चा कर रहे हैं। हम अपने सीमा क्षेत्र पर अतिक्रमण के चीनी प्रयास पर चर्चा कर रहे हैं।

महोदय, इस संबंध में बहुत सारे समाचार हैं। हम समाचार पत्रों में पढ़ रहे हैं और हमें मीडिया से पता चला है कि चीन हमारे क्षेत्र पर अतिक्रमण करने का प्रयास कर रहा है। साथ ही, हाल ही में, रक्षा मंत्री ने कहा है - मैंने दो दिन पहले समाचारपत्रों में पढ़ा था - कि भारत और चीन के बीच सीमा का मुद्दा अभी तक नहीं सुलझा है। कहीं किसी समारोह में, माननीय मंत्री ने यह कहा था। मैंने कल समाचार पत्रों में पढ़ा था।

इस संबंध में, मैं माननीय मंत्री से वास्तविक स्थिति जानना चाहता हूं। हमारा क्या रुख है? सीमा क्षेत्र के संबंध में अभी हमारी क्या स्थिति है? क्या अभी भी चीन के साथ हमारा विवाद है? मैं यह प्रश्न इसलिए उठा रहा हूं कि चीन भारतीय क्षेत्र के बहुत से हिस्सों पर अपना दावा कर रहा है। हम उसके खिलाफ हैं।

साथ ही, महोदय, यह केवल सीमाक्षेत्र का मुद्दा नहीं है। उदाहरण के लिए, आर्थिक तौर पर भी, चीन हमारे भारतीय बाजार में प्रवेश कर रहा है। चीन से बहुत सी वस्तुएं भारत आ रही हैं। व्यापार के नाम पर, वे हर तरह की वस्तुएं यहां डम्प कर रहे हैं। जैसे एक बार अंग्रेज आए थे, चीन भी वही काम कर रहा है।...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय : जिस मुद्दे पर हम चर्चा कर रहे हैं कृपया उसी तक सीमित रहिए।

डॉ. एम. तम्बिदुरई : मैं यह बताना चाहता हूं कि चीन किस तरह बढ़ रहा है। यह उसी तरह बढ़ रहा है जिस तरह अंग्रेज लोग व्यापार के लिए आये थे। उसके बाद, उन्होंने भारत को जीत लिया, लगभग 200 वर्षों तक इस देश पर शासन किया। हमने स्वतंत्रता हेतु संघर्ष किया। इसलिए, सैनिक कार्यवाही के अलावा, चीन भारतीय बाजार पर भी कब्जा कर रहा है। यह एक बहुत गंभीर और खतरनाक चीज है। साथ ही हमें यह भी जानना होगा कि चीन किस प्रकार पाकिस्तान और श्रीलंका जैसे देशों के साथ मित्रता बढ़ा रहा है। हम बहुत अच्छे से जानते हैं कि जब से कच्चातिवू और दूसरी चीजों को लेकर विवाद शुरू हुआ है तब से श्रीलंका क्या कर रहा है, यही कि वह श्रीलंका क्षेत्र में भी कई बेस बनाने के लिए चीन को आमंत्रित कर भारत को धमका रहा है। यह भी आने का दूसरा तरीका है। पाकिस्तान में, वे आगे बढ़ रहे हैं। बांग्लादेश में भी, वे इसकी कोशिश कर रहे हैं। वे म्यांमार में भी कोशिश कर रहे हैं। मैं यह इसलिए बता रहा हूं कि सैनिक कार्यवाही के अलावा, चीन मित्रता बढ़ा रहा है और यह भारत को घेरने की कोशिश कर रहा है। यह एक गंभीर मामला है। यही कारण है कि मैं माननीय रक्षा मंत्री से इन सब तरीकों के तथ्यों को गंभीरता से लेने का अनुरोध कर रहा हूं। साथ ही, श्रीलंका को भी स्थिति को नहीं बिगाड़ना चाहिए।

चीन एक मित्र की तरह व्यवहार कर रहा है लेकिन साथ ही, वे भारतीय क्षेत्र में घुसपैठ करने का प्रयास भी कर रहे हैं। इसलिए मैं माननीय मंत्री से स्पष्ट वक्तव्य देने का अनुरोध करता हूं कि स्थिति क्या है। चीन का इरादा क्या है? क्या वास्तव में चीन एक मित्र है? मित्रता के नाम पर, हर तरह की शत्रुतापूर्ण गतिविधियां कर रहा है। यह एक बहुत गंभीर मामला है। इसलिए, मैं माननीय मंत्री से इसे स्पष्ट करने का अनुरोध करता हूं।

[हिन्दी]

श्री नामा नागेश्वर राव (खम्माम) : सभापति महोदय, पन्द्रहवीं लोक सभा में कई बार चाइना के इश्यू के बारे में डिसकसन किया गया है। बार्डर इश्यू पर कई दफा डिसकसन किया गया है। डिसकसन करने के बाद माननीय मंत्री जी ने पहले भी स्टेटमेंट्स दिए हैं और गवर्नमेंट की तरफ से हाउस को और पूरे देश को एश्योरैंस भी दिया गया है। चीन के साथ कोई सीमा विवाद नहीं है। अभी हाल में जब 750 स्कवायर किलोमीटर अकुपेशन का इश्यू आया तो, इस हाउस में तीन-चार दिन पहले इस पर डिसकसन करने के बाद, पूरे सदन ने माननीय मंत्री जी के स्टेटमेंट की मांग की। फाइनली, माननीय रक्षामंत्री जी ने स्टेटमेंट दिए। माननीय रक्षामंत्री ए.के. एंटोनी साहब आदरणीय व्यक्ति हैं। हम लोगों ने आशा की थी कि ऐक्चुअल पोजिशन स्टेटमेंट में आएगी। इस स्टेटमेंट में यह बहुत स्पष्ट है। इस स्टेटमेंट में तीन पैरा है। पहले पैरा में, चेयरमैन श्याम शरण उधर इंफ्रास्ट्रक्चर को देखने और इंफ्रास्ट्रक्चर को रिव्यू करने के लिए गए थे।

दूसरे पैरा में, यह स्पष्ट है कि उसका प्रोग्रेस रिव्यू करके, उधर रोड चाहिए, टनल चाहिए, क्या करना है, यही दूसरे पैरा का मीनिंग है।

तीसरे पैरा में चाइना के बारे में नहीं है। श्याम शरण जी वहां इंफ्रास्ट्रक्चर रिव्यू करने के लिए गए हैं। पर्टिकुलर इश्यू जो हाउस में डिसकस हुआ है, उसके बारे में रिपोर्ट दी है, अगर वह रिपोर्ट दी है, तो गवर्नमेंट रिपोर्ट में नहीं लिख पाई है। व्हाइट पेपर के साथ, फैक्चुअल पोजिशन देश को बताने की जरूरत है, अगस्त हाउस को बताने की जरूरत है, जो इंटरनल बात हुई है। हमें एंटोनी साहब पर बहुत विश्वास है। हम उनके रिप्लाई में ओपेन हार्ट से व्हाइट पेपर रिलीज करने के लिए मांग करते हैं।

[अनुवाद]

श्री प्रबोध पांडा (मिदनापुर) : कल, माननीय रक्षा मंत्री ने एक वक्तव्य दिया था और श्री श्याम सरन की रिपोर्ट के संबंध में समाचारपत्रों में प्रकाशित कुछ समाचारों से प्रश्न पैदा हुए थे। आज भी, मंत्री जी द्वारा वक्तव्य दिए जाने के बाद कुछ संदेह उत्पन्न हुआ है। अतः मैं समझता हूं कि मंत्री जी को सब स्पष्ट करना चाहिए। किंतु मैं तीन बातों का उल्लेख करना चाहता हूं।

पहली, हमारे देश के सीमावर्ती क्षेत्र में अवसंरचना के निर्माण की क्या स्थिति है? उसमें क्या खामियां हैं? वे अपने कार्यक्रमों को किस हद तक लागू कर पाएंगे? वे कार्यक्रम क्या हैं?

दूसरी, हमें अपनी सेना और सशस्त्रबलों पर गर्व है। हम यह देखेंगे कि उनके मनोबल की रक्षा की जाए; वे हतोत्साहित न हों। किंतु इसका अर्थ यह नहीं है कि हमें युद्ध के लिए तैयार रहना चाहिए। हमें अपनी सेना का चीनी सेना का मुकाबला करने के लिए कहना चाहिए।

यह प्रश्न ऐसे समय उत्पन्न हुआ है जब दोनों सेनाएं सीमा विवाद पर एक-दूसरे से बात कर रही है। मैं समझता हूं कि सरकार भी सीमा विवाद पर चर्चा शुरू कर रही है और हम इस संबंध में काफी आशावान हैं।

मैं अंतिम बात यह कहना चाहता हूं कि मंत्री जी को इस सभा में बैठें माननीय सदस्यों के संदेह दूर करने हेतु यह स्पष्ट करना चाहिए कि इस समय वास्तविक नियंत्रण रेखा पर क्या स्थिति है ताकि सभी प्रकार के संदेह दूर हो जाएं।

श्रीमती विजया चक्रवर्ती (गुवाहाटी) : माननीय सभापति महोदय, मैं केवल दो मिनट का समय लूंगी। मैं माननीय यशवंत सिन्हा जी की बात को ही आगे बढ़ाना चाहती हूं। उन्होंने लद्दाख क्षेत्र का उल्लेख किया था। किंतु मैं अरुणाचल प्रदेश का उल्लेख करना चाहती हूं जिसके बारे में मैंने 18 अगस्त को भी भाषण दिया था। चीन ने पूर्वी अरुणाचल प्रदेश के पोम्पोम क्षेत्र में घुसपैठ की थी जो तिनसुकिया से 400 कि.मी. दूर है। तिनसुकिया से वाहनयोग्य सड़क मार्ग चांगलांग क्षेत्र तक जाता है। इसके बाद कोई वाहनयोग्य सड़क नहीं है और सैनिकों को सीमा तक 15 कि.मी. पैदल जाना पड़ता है। 10 अगस्त को चीन द्वारा घुसपैठ किए जाने के बाद हमारे भाजपा स्वयं सेवकों ने पहली, दूसरी तीसरी और अंत में चौथी आउटपोस्ट पर कब्जा किया। उन्होंने अरुणाचल प्रदेश में 55 कि.मी. के क्षेत्र को कवर किया और तत्पश्चात् वे स्वयं वापस आ गए। वहां कोई निर्धारित सीमा नहीं है और केवल आईटीबीपी के सैनिक वहां पर हैं। वे बहुत कम इस क्षेत्र का दौरा करते हैं और फिर वे वापस आ जाते हैं। वहां कोई सड़क नहीं है और हमारी सेना के जवानों को 105 कि.मी की दूरी तय करने के लिए 15 दिन पैदल चलना पड़ता है। चीन की तरफ सड़कें और हवाई क्षेत्र आदि है। 1962 के चीनी आक्रमण और हिन्दी-चीनी, भाई-भाई दिनों के 51 वर्ष बाद, चीन अरुणाचल प्रदेश में 400 कि.मी अंदर तक आया और असम सीमा में प्रवेश करने के बाद वे वापस चले गए। 1962 के चीनी आक्रमण के 51 वर्ष बाद भी कोई निर्धारित सीमा क्यों नहीं है? अरुणाचल प्रदेश के लोग काफी भयावह स्थिति में हैं? क्या आप चीन को अरुणाचल प्रदेश देने जा रहे हैं? वहां कोई बॉर्डर पोस्ट क्यों नहीं है? आप वहां सेना को काम करने और लड़ने की अनुमति क्यों नहीं देते हैं? मैं माननीय मंत्री जी से इन प्रश्नों का उत्तर देने का अनुरोध करती हूं...*(व्यवधान)* चीनी सेना अरुणाचल प्रदेश के पोम्पोम क्षेत्र में घुस गई थी और मंत्री जी यह जानते हैं। मैं इस मुद्दे का राजनीतिकरण नहीं कर रही हूं। मंत्रीजी को मेरे प्रश्न का उत्तर देना चाहिए।

डॉ. थोकचोम मैन्या (आंतरिक मणिपुर) : माननीय सभापति महोदय, इस समय की परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए, मैं यह कहना चाहता हूं कि म्यांमार की सेना द्वारा मणिपुर में अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर घुसपैठ हो रही है। हाल ही में, मणिपुर सरकार का एक दल वहां गया और भारत सरकार ने भी अपना एक दल वहां भेजा। किंतु अब यह बताया गया है कि अंतर्राष्ट्रीय सीमा के पिलर सं.-76 के समीप स्थित होलनफाई गांव को क्षेत्र खाली करने को कहा गया है क्या म्यांमार सेना वहां अपनी एक पोस्ट बनाना चाहती है। मैं माननीय मंत्री जी का ध्यान इस तथ्य की ओर दिलाना चाहता हूं।

[हिन्दी]

सभापति महोदय : शैलेन्द्र कुमार जी, क्या आपको एक प्रश्न पूछना है?

श्री शैलेन्द्र कुमार (कौशाम्बी) : जी हां, मैं एक ही प्रश्न पूछूंगा।

माननीय सभापति महोदय, यशवंत सिन्हा जी, माननीय मुलायम सिंह जी, सौगत राय जी, तम्बिदुरई जी आदि जिन माननीय सदस्यों ने अपने विचार व्यक्त किए, मैं उनसे अपने को संबद्ध करते हुए आपके माध्यम से एक प्रश्न पूछना चाहूंगा। माननीय मुलायम सिंह जी जब रक्षा मंत्री थे, उस वक्त जब सीमा पर खतरा हुआ, उन्होंने सीमा पर जाकर बहादुरों की हौसला अफजाई की, मुकाबला करवाया। मैं आपके माध्यम से माननीय रक्षा मंत्री जी से कहना चाहूंगा कि लद्दाख पर चीनी सेना की बराबर घुसपैठ हो रही है। क्या आप लद्दाख गए? आपने सेना के लोगों का मनोबल बढ़ाया? आप वहां जाने का काम करेंगे या आपकी इच्छा शक्ति मर गई, यह आप बताने का काम करें।

अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री निनोंग ईरींग) : सभापति महोदय, मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा।...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय, मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूं कि आपने मुझे बोलने का मौका दिया। मैं जानता हूं कि रक्षा मंत्री जी इसका पूरा जवाब देंगे। चूंकि यह मेरे क्षेत्र से संबंधित है, इसलिए मैं घुसपैठियों के विषय में दो शब्द बोलना चाहूंगा। कुछ दिन पहले खबर आयी थी कि हमारे क्षेत्र चाकलाहांग में घुसपैठ हुई थी। उसमें अनजाऊ डिस्ट्रिक्ट है, जो बहुत दूर-दराज का एरिया है। वहां अभी भी सड़क और यातायात की सुविधा में कमी है। सदन के सभी सदस्यों ने जिस प्रकार हमें सहमति दी, जिस प्रकार उन्होंने हमारा ध्यान रखा, खासकर हम एक्स डिफैंस मिनिस्टर और प्रतिपक्ष के नेता का बहुत आभार प्रकट करते हैं। लेकिन फिर भी मैं यह कहना चाहता हूं कि हमारे वहां के जितने भी नौजवान हैं, सीमा एरियाज़ में, चाहे आईटीबीपी के जवान हैं, चाहे एसएसबी, आर्मी के जवान हैं, वे सब अभी सशक्त हैं, बहुत ही सतर्क हैं। मैं खुद उन एरियाज का मुआयना करके आया हूं और मैंने वहां के जिला प्रशासन से बातचीत भी की है। उनकी जो पैट्रोलिंग होती है, जिसे हम घुसपैठ कहते हैं, शायद उसमें कुछ लोग जो चीन के फौजी हैं, वे आये थे, ऐसी बात नहीं है कि वे नहीं आये थे। लेकिन उन्हें आने में कम से कम दो दिन लगते हैं और वापिस जाने में भी दो दिन लगते हैं इस तरह शायद चार दिन लगे हों। वह बहुत ही घना जंगल हैं। हम चाहते हैं कि चीन के साथ हम अपना दोस्ती का हाथ बढ़ायें। लेकिन इसका यह मतलब नहीं होता कि चीन हमारे ऊपर दबदबा डाले, चीन हमें डराए-धमकाए। हम जानते हैं कि हमारे जितने जवान हैं, फौज हैं, वे पूरी तरह तैनात हैं और हम भी पूरी तरह सुरक्षित हैं। लेकिन मेरी आप सबसे गुजारिश है कि हमारे वहां के जो देशभक्ति के प्रतीक हैं, देश के पक्ष में हैं, उन्हें आपको सलाम करना होगा। मैं आप सबको धन्यवाद देता हूं कि हमने देश भक्ति की प्रेरणा जो आप सबसे पायी, चाहे पंडित जवाहर लाल नेहरू, लाल बहादुर शास्त्री जी, स्वर्गीय इंदिरा गांधी, राजीव गांधी जी या विपक्ष के हमारे जो नेता थे, उनको भी हम सलाम करते हैं। हम भारत का एक अंग हैं और हमारी जो देश भक्ति की भावना है, वह सदा हमारे देश के लिए रहेगी।

[अनुवाद]

सभापति महोदय : अब, माननीय रक्षा मंत्री जी बोलेंगे।

...(व्यवधान)

श्री पी. करुणाकरन (कासरगोड) : महोदय, कृपया मुझे एक मिनट के लिए बोलने की अनुमति दें...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय : श्री करुणाकरन, हमने काफी लंबी चर्चा कर ली है। आप सभा में अनुपस्थित थे। मैं आपको ढूंढ रहा था। कृपया सहयोग कीजिए। सभी महत्वपूर्ण बातें सभा के समक्ष लाई जा चुकी हैं।

...(व्यवधान)

सभापति महोदय : ठीक हैं। कृपया संक्षेप में बोलिए।

श्री पी. करुणाकरन : महोदय, मैं आपका बहुत आभारी हूं। माननीय रक्षा मंत्री ने सभा में वक्तव्य दिया था। मैं समझता हूं कि माननीय रक्षा मंत्री के पास रिकॉर्ड और सबूत है जिसे उन्होंने ठीक किया है और सभा के समक्ष प्रस्तुत किया है। इसके साथ-साथ यह रिपोर्ट आई है कि चीन ने नियंत्रण रेखा पार की है और यह ठीक है या गलत, यह बताना अभी संभव नहीं है। निस्संदेह देश की संरक्षा और सुरक्षा काफी महत्वपूर्ण है किंतु इसके साथ-साथ हमें जल्दबाजी में कोई कदम नहीं उठाना चाहिए और यह महसूस करना चाहिए कि यह ठीक है या नहीं। अत: हमें धैर्य रखना चाहिए। मुझे आशा है कि माननीय रक्षा मंत्री ऐसा करने में सक्षम है...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय : हां, रक्षा मंत्री जी कृपया बोलिए।

...(व्यवधान)

[हिन्दी]

डॉ. बलीराम (लालगंज) : सभापति महोदय, आप मुझे भी एक मिनट बोलने का मौका दीजिए...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

सभापति महोदय : जी नहीं।, श्री दारा सिंह जी पहले ही बोल चुके हैं। कृपया अपने स्थान पर बैठिए।

...(व्यवधान)

सभापति महोदय : कृपया अपने स्थान पर बैठिए। अब, माननीय रक्षा मंत्री जी, कृपया आप बोलिए।

...(व्यवधान)

रक्षा मंत्री (श्री ए.के. एंटनी) : सभापति महोदय, हमारी सीमाओं की सुरक्षा के संबंध में बहुमूल्य सुझाव देने के लिए मैं सभी माननीय सदस्यों का आभारी हूं। चर्चा के दौरान कुछ सदस्यगण सरकार से कुछ नाराज हो गए। मैं इस बात को समझ सकता हूं।

सबसे पहले मैं एक बात का उल्लेख करना चाहता हूं। आज की चर्चा भारत-चीन सीमा के संबंध में कोई व्यापक चर्चा नहीं है। मेरा वक्तव्य श्री श्याम शरन द्वारा प्रधानमंत्री कार्यालय को कथित रूप से दी गई रिपोर्ट के संबंध में उठाए गए मुद्दे पर ही केन्द्रित है। यह रिपोर्ट कुछ मीडिया में आई। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार श्री श्याम शरन ने लद्दाख का दौरा करने के बाद पीएमओ को एक रिपोर्ट दी कि चीन ने 640 किमी. भारतीय भूभाग को अपने कब्जे में ले लिया है। यही मुद्दा उठाया गया था और मैंने शत प्रतिशत सत्य और तथ्यात्मक रिपोर्ट दी है। रिपोर्ट में यह कहा गया था "मैं स्पष्ट रूप से यह कहना चाहता हूं कि श्याम शरन ने इस रिपोर्ट में यह नहीं कहा है कि चीन ने कब्जा कर लिया है अथवा भारतीय भूभाग के किसी क्षेत्र में भारत की पहुंच पर कोई रोक लगाई है।" यह तथ्यात्मक रूप से सही है। तथ्यात्मक रिपोर्ट यही है; रिपोर्ट में उस बात का कहीं उल्लेख नहीं है। मैं इस बात को सिद्ध कर सकता हूं।

श्री श्याम शरन जिन्होंने इस रिपोर्ट को तैयार किया है, ने स्वयं कल इस संबंध में एक वक्तव्य जारी किया था। एनएसएबी के अध्यक्ष श्याम शरन ने मीडिया रिपोर्टों का खंड किया है कि उन्होंने पीएलए पर 640 वर्ग किमी. भारतीय भूभाग पर कब्जा करने का आरोप लगाते हुए पीएमओ को कोई अधिकारिक रिपोर्ट सौंपी है। अत:, श्याम शरन ने स्वयं यह कहा है कि मेरे पास ऐसी कोई रिपोर्ट नहीं है। और सरकार के पास भी ऐसी कोई रिपोर्ट नहीं है। अत:, ऐसी कोई रिपोर्ट प्राप्त किए बिना मैं उस क्षेत्र में कथित रूप से चीन के कब्जे के बारे चर्चा कैसे कर सकता हूं? इसलिए मैंने तथ्यात्मक रिपोर्ट दी। रिपोर्ट को बदल देने जैसी कोई बात नहीं है; यह एक वास्तविक रिपोर्ट है।

दूसरी बात यह है कि जैसाकि श्याम शरन ने स्वयं कहा है "एनएसएबी स्वयं को अपने संक्रियात्मक मामलों से नही जोड़ती। उसका सरोकार कुछ और था कि सीमा पर अवसंरचना और अन्य मुद्दों के संबंध में सुधार कैसे किया जाए।"

रिपोर्ट में यही बात थी। अत:, मैंने जांच के अनुसार इस सभा अर्थात् राज्य सभा में स्व प्रेरणा से एक संक्षिप्त रिपोर्ट और एक वक्तव्य दिया था। किसी विशेष मुद्दे के संबंध में यह एक बहुत संक्षिप्त रिपोर्ट है। मेरा वक्तव्य भारत-चीन सीमा के बारे में कोई व्यापक वक्तव्य नहीं हैं। आप जानते हैं कि भारत चीन सीमा विवाद कोई नहीं बात नहीं है। भारत की चीन के साथ काफी लंबी सीमा है। यद्यपि, भारत की सीमा कई अन्य देशों के साथ भी लगती है, परंतु, हमारी सबसे बड़ी सीमा चीन के साथ लगती है। आप सभी यह जानते हैं कि चीन के साथ हमारे सीमा संबंधी विवाद का समाधान नहीं हो पाया है। मेरे मित्र प्रो. सौगत राय ने मुझसे यह पूछा कि क्या सीमा का निर्धारण हो चुका है। सीमा का निर्धारण नहीं हुआ है। भारत-चीन सीमा का निर्धारण नहीं हुआ है। यह पूरा क्षेत्र अनिर्धारित है। यद्यपि, यह पूरा क्षेत्र अनिर्धारित है परंतु, बहुत बड़े क्षेत्र के संबंध में, वास्तविक नियंत्रण रेखा के बारे में चीन और भारत के बीच एक समझौता है। कुछ क्षेत्र ऐसा है जिसके संबंध में वास्तविक नियंत्रण रेखा के बारे में भारत और चीन के बीच आज भी कोई समझौता नहीं है। इन क्षेत्रों को विवादित क्षेत्र कहा जाता है। इन क्षेत्रों में दोनों देश गश्त के लिए अपनी सेनाओं की तैनाती करते हैं। चीन का यह मानना है कि कुछ निश्चित क्षेत्र में उनकी सेना को गश्त करनी चाहिए। भारत का भी यही मानना है कि एक निश्चित सीमा तक हमारा क्षेत्र है। कुछ क्षेत्रों में आईटीबीपी भी गश्त करती है।

जैसा कि श्री यशवंत सिन्हा जी ने शुरू में उल्लेख किया था, यह सही है कि 1976 में उस समय की सरकार ने अन्तत: गश्त क्षेत्र की सीमा का निर्धारण करते हुए यह निश्चित किया था कि वहां किस प्रकार और कहां तक गश्त की जाएगी। इन सभी मुद्दों के बारे में 1976 में निर्णय किया गया था। उसके बाद अनेक सरकारें आईं और चली गईं परंतु, मूल रूप से 1976 में निर्धारित की गई गश्त की सीमा अभी तक कायम है। आज भी हमारी सेनाएं उस वास्तविक नियंत्रण रेखा पर नियमित रूप से गश्त लगाती हैं। मेरे कुछ सहयोगियों ने मुझसे यह पूछा "क्या इसका यह अर्थ है कि भारत का कोई भी क्षेत्र चीन के कब्जे में नहीं है? जी हां,

अब कोई क्षेत्र उनके कब्जे में नहीं है। सब यह जानते हैं कि वर्ष 1962-63 दो वर्षों में भारतीय भूभाग पर उनका कब्जा था; 1962 में अरुणाचल प्रदेश में और 1963 में पीओके में उनका कब्जा था। यह हमारी विरासत है। अब वहां उनका कब्जा नहीं है। यह 50 वर्ष पहले की बात है। यह विवाद अभी तक चल रहा है। परंतु, इस विवाद का अभी समाधान नहीं हुआ है। दोनों सरकारों के बीच काफी लंबी वार्ता के पश्चात् दोनों सरकारों ने यह निर्णय लिया है कि लंबे समय से लंबित पड़े भारत-चीन सीमा विवाद का समाधान होना चाहिए। इस उद्देश्य के लिए दो लोगों अर्थात् भारत की तरफ से राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार और चीन की तरफ से उनके समकक्ष को नामित किया गया। वे सीमा विवादों का समाधान तलाशने के लिए वार्ता कर रहे हैं। यह वार्ता एनडीए के कार्यकाल में जारी रही और यूपीए के कार्यकाल में भी चल रही है। यह वार्ता उसी पैटर्न पर चल रही है। किसी ने भी उस पैटर्न को नहीं बदला है। सरकारें बदलती हैं पर पैटर्न नहीं बदलते।

लंबे समय से चले आ रहे भारत-चीन विवाद का स्थायी समाधान तलाशने के प्रयास किए जा रहे हैं। परंतु इसमें कुछ समय लगेगा। इसमें किसी चमत्कार की उम्मीद नहीं करनी चाहिए। इस दौरान बहुत सी घटनाएं हुई हैं। मुझे वास्तविकता स्वीकार करने में कोई झिझक नहीं है। भारत की तुलना में चीन अवसंरचना के निर्माण में काफी आगे है। उनका अवसंरचना निर्माण भारत की तुलना में बेहतर है। हम केवल उनकी नकल कर रहे हैं। यह भी एक इतिहास बन चुका है। इसमें क्या बात है? स्वतंत्र भारत की अनेक वर्षों तक यह नीति रही थी सर्वश्रेष्ठ सुरक्षा नीति यह है कि सीमा को विकसित न किया जाए। विकसित सीमाओं की तुलना में अविकसित सीमाएं अधिक सुरक्षित हैं। अत:, अनेक वर्षों तक सीमावर्ती क्षेत्रों में सड़कों अथवा हवाई क्षेत्रों का निर्माण नहीं किया गया। उस समय तक चीन सीमावर्ती क्षेत्रों में अपनी अवसंरचना विकसित कर रहा था। इसके परिणामस्वरूप वे हमसे आगे निकल गए हैं। सीमावर्ती क्षेत्रों में अवसंरचना एवं क्षमता की दृष्टि से वे हमसे आगे हैं; मैं इस बात को स्वीकार करता हूं। यह इतिहास का एक अंग है। परंतु, बाद में, गत 20-25 वर्षों के दौरान भारत सरकार ने इस गलती को स्वीकार किया और अपनी नीति को बदला। अब हम भी सीमावर्ती क्षेत्रों में अपनी क्षमताओं में वृद्धि कर रहे हैं। मैं इस बात का खंडन नहीं कर रहा हूं। जब श्री मुलायम सिंह यादव जी रक्षा मंत्री थे तब उन्होंने भी सीमावर्ती क्षेत्रों में क्षमता विकसित करने, सशस्त्र बलों को मजबूत बनाने के लिए काफी कार्य किया था। एनडीए सरकार ने भी सीमावर्ती क्षेत्रों को सुदृढ़ बनाने और क्षमता निर्माण करने तथा सशस्त्र बलों का आधुनिकीकरण करने के लिए काफी कार्य किया था।

परंतु, बात को बढ़ा चढ़ाकर कहे बिना मैं आपको यह बता सकता हूं कि गत नौ वर्षों के दौरान ही यूपीए सरकार के दौरान हमने सीमावर्ती क्षेत्रों में क्षमता निर्माण करने के लिए काफी कार्य किया है। यूपीए-I और यूपीए-II सरकारों के कार्यकाल में भी यह कार्य किया जा रहा है; और शायद भावी सरकारें भी यह कार्य जारी रखेंगी; किसी की भी सरकार बने वह इस कार्य को जारी रखेगी।

मैं आपको पूरा ब्यौरा नहीं दे सकता परंतु, आपको यह बता सकता हूं कि 29 वर्षों के बाद, चार वर्ष पहले हमारी सरकार ने सीमावर्ती क्षेत्रों में दो माउन्टेन डिविजन बनाईं। अनेक हवाई पट्टियां, तथा एएलजी और अन्य विकास कार्य चल रहे हैं। कुछ माह पूर्व हमारी सरकार ने एक अन्य बल प्रत्यायन परियोजना के अंतर्गत सीमावर्ती क्षेत्रों को मजबूत बनाने की स्वीकृति दी। लोग इसे अनेक नामों से संबोधित कर रहे हैं। किंतु वास्तव में विचार बलों की अभिवृद्धि का है। इसलिए, पिछले बहुत वर्षों से हम निरंतर अपने सशस्त्र बलों को मजबूत कर रहे हैं।

इसलिए, इस समय भारतीय सशस्त्र बलों का मनोबल बहुत ऊंचा है। इसीलिए, जब आप देपसंग की घटना की बात करते हैं तो वह घटना 17/04/2013 को हुई थी और कई दिनों तक 05/05/2013 तक जारी रही थी। परंतु भारतीय सेना वहीं खड़ी रही। वे पीछे नहीं हटे। आखिर में, जब चीन की पीएलए देपसंग बल्ज के सामान्य क्षेत्र से अलग हो गए तब यह मुद्दा सुलझ गया।

इसलिए, हमारी सेना इस समय बेहतर स्थिति में है; उनका मनोबल बहुत ऊंचा है। किंतु दुर्भाग्य से एक चीज हो रही है। हो यह रहा है कि पहले के समय में दोनो देशों का अवसंरचना विकास बहुत धीमा था। परंतु इतने वर्षों में चीन बहुत तेजी से बढ़ा। परंतु अब हम भी साथ चल रहे हैं। इसलिए, भारत अवसंरचना विकास में भी आगे बढ़ रहा है। परिणामस्वरूप, अब लगभग सभी सीमावर्ती क्षेत्रों में भारतीय सेना और चीन की सेना निकट आ रही हैं। पहले यह नहीं था। वे लगभग 1000 किलोमीटर की दूरी पर थे परंतु अब वे नजदीक आ रहे हैं।

जब चीन का पक्ष हमारे धारणा के क्षेत्रों में आता है तो हम उसे आक्रमण कहते हैं; जब हमारे लोग वहां जाते हैं तो वह कहते हैं: "हमारे लोग वहां जा रहे हैं।" हमारे पेट्रोल भी हर जगह अधिदेशित क्षेत्रों में जा रहे हैं। कुछ क्षेत्रों के बारे में आपने कहा है कि हमारी गश्त वहां नहीं जा रही हैं। यह सच और तथ्यात्मक रूप से सही नहीं है कि चाहे देपसंग, या पांगोग या चुन्नर ही हमारी गश्त नियमित रूप से जा रही हैं। देपसंग में भी आमाना-सामना हुआ। अब, हमारे लोग वहां जा रहे हैं। हमने वहां गश्त बंद नहीं की है। हमारी गश्त विभिन्न हितधारकों के समूह से निर्धारित होती है जिसमें थलसेना की प्रमुखता होती है। यह निर्णय 1976 में लिया

[श्री ए.के. एंटनी]

गया था। वह अब भी जारी है। इसलिए, दोनों पक्ष अपनी क्षमताएं विकसित कर रहे हैं। यद्यपि, पहले चीन आगे बढ़ गया था परंतु भारत भी अब मुकाबला कर रहा है। इसलिए, बहुत से अवसर हैं। विगत कई वर्षों में आमना-सामना भी हो रहा है। वे नजदीक आ रहे हैं किंतु सौभाग्य से हमारे लिए ये सब शांतिपूर्ण हैं। परंतु अब दोनों सरकारें इस पर विचार कर रही हैं कि इससे कैसे बचा जाए। दोनों सेनाएं आमने-सामने अधिक निकट आ रही हैं। इस तरह के तनाव को कैसे टाला जाए? इसलिए, हमारी समझ यह है कि सीमा-विवाद का स्थायी समाधान तलाश करने के लिए विशेष प्रतिविधियों को अपनी बातचीत जारी रखने दें। उन्हें इस चीज से निपटने दो। जब तक सीमा मुद्दे का अंतिम निपटारा नहीं हो जाता तब तक हमारी एक सूत्री कार्यसूची है अपनी एक भी इंच भूमि जिसकी रक्षा की जाती है, को कुर्बान किए बिना भारत-चीन सीमा पर शांति और प्रशांति और स्थिरता कायम रखी जाए।

इसलिए, विशेष प्रतिनिधियों के अलावा हम जो वार्ता कर रहे हैं, हमारी सेना जो वार्ता कर रही है वह है सीमावर्ती क्षेत्रों में शांति और प्रशांति कैसे कायम रखी जाए। इसलिए, अब बहुत से तंत्र हैं किंतु अभी भी इस तरह की घटनाएं घटती है। केवल अभी नहीं बल्कि विगत कई वर्षों से यह हो रहा है। इसलिए, हम अब नया तंत्र पता लगाने पर विचार कर रहे हैं जो और प्रभावी हो सकता है ताकि जब भी कोई घटना घटित हो तो तत्काल दोनों सेनाएं हस्तक्षेप करके मामले को हल कर सकें। सेना इस प्रकार की विश्वास पैदा करने वाली चर्चा कर रही है। राजनयिक स्तर पर चर्चाओं के अलावा अब हम दोनो देशों की ओर से विश्वास बहाली के लिए सेना से सेना की चर्चाओं को प्रोत्साहित कर रहे हैं ताकि जब भी मुद्दे सामने आएं तो सेना, स्थानीय फील्ड आफिसर तत्काल हस्तक्षेप करके उनका समाधान कर सकें।

मैं अपने आदरणीय सहयोगी के साथ विवाद नहीं करना चाहता। किंतु भारत सरकार ने ऐसा कोई ऐसा निर्देश नहीं दिया है जिससे हमारे सशस्त्र बल कार्रवाई न करें। जब भी सीमावर्ती क्षेत्रों में ऐसी स्थिति उत्पन्न होती है तो वे स्थिति की मांग के अनुसार निपटने के लिए मुक्त हैं। स्थानीय स्थिति से वे ही निपटते हैं। प्रत्येक वर्ष, हर महीने बहुत सी घटनाएं हो रही हैं। वे उनसे निपट रहे हैं। हम निर्देश नहीं दे रहे हैं। यहां तक कि सैन्य मुख्यालय ने भी निर्देश नहीं दिए हैं। स्थानीय फील्ड के लोग ही कार्रवाई कर रहे हैं। वे इसी तरह से कार्रवाई कर रहे हैं। अब, हम कुछ और तंत्र, प्रभावी मंच तलाशने का प्रयास कर रहे हैं ताकि हम इस प्रकार के अप्रिय और दुर्भाग्यपूर्ण मुकाबले और अन्य घटनाओं को टाल सकें।

इसलिए, हमारा दृष्टिकोण त्रिआयामी है। एक है विशेष प्रतिनिधियों तंत्र के माध्यम से भारत और चीन के बीच इस सीमा-विवाद का स्थायी समाधान तलाश करना। दूसरा है और तंत्र विकसित करना ताकि जब भी आक्रमण का विवाद या समय-समय पर आमना-सामना होता है तो दोनों पक्ष हस्तक्षेप करके मामले का समाधान निकाल सकें। यह दूसरा भाग है। ऐसा करते हुए हमारी सरकार इस बारे में बिल्कुल स्पष्ट है। चूंकि, चीन पहले ही अवसंरचना निर्माण में आगे बढ़ गया है तो एक चीज बहुत स्पष्ट है कि हम सीमावर्ती क्षेत्रों में अपनी क्षमताओं को मजबूत बनाने की प्रक्रिया जारी रखेंगे। यह स्पष्ट नीति है। हमारी क्षमताओं को मजबूत करने की अपनी योग्यता पर समझौता करने का कोई प्रश्न ही नहीं है। हम उस पर समझौता नहीं करेंगे। इसलिए, यह त्रिआयामी रणनीति है। हम इस तरह कार्य कर रहे हैं।

मैं आपसे सहमत हूं कि कुछ मुद्दे हैं परंतु हमें समाधान तलाश करने होंगे। परंतु जिम्मेदार लोगों के रूप में हम तत्काल मीडिया रिपोर्ट के आधार पर बढ़चढ़कर प्रतिक्रिया नहीं कर सकते। वस्तुतः, रिपोर्ट के लेखक के अनुसार वह मीडिया रिपोर्ट सही नहीं है। यहां तक कि श्याम सरन ने भी कहा है कि मैंने ऐसी रिपोर्ट नहीं दी है। इसलिए, एक जिम्मेदार सरकार इस तरह की मीडिया रिपोर्ट पर प्रतिक्रिया कैसे दे सकती है? इसीलिए, हमने इस तरह कार्य किया है। परंतु मैं सभा को भरोसा दिला सकता हूं कि यद्यपि भारत सीमा मुद्दे का स्थायी समाधान तलाशने के लिए उत्सुक है; यहां तक कि भारत भी सीमावर्ती क्षेत्रों अप्रिय घटनाओं को रोकने के लिए उत्सुक है परंतु भारत सरकार कभी भी क्षमताओं का मजबूत करने की प्रक्रिया से समझौता नहीं करेगी और हम इससे समझौता नहीं करेंगे कि एक इंच भारतीय भूमि पर भी किसी विदेशी देश द्वारा अतिक्रमण किया जाए। जहां तक राष्ट्रीय सुरक्षा का प्रश्न है तो हम सब एक हैं। हम देश और दुनिया को यह संदेश दें कि राष्ट्रीय सुरक्षा के मुद्दे पर भारत एक है। मेरा यही अभिप्राय है।

सभापति महोदय : आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। अब हम मद संख्या-7 लेते हैं - श्री शैलेन्द्र कुमार जी।

...(व्यवधान)

सभापति महोदय : श्री मुलायम सिंह, कृपया बैठ जाइये। हम अब अगली मद पर विचार करेंगे।

...(व्यवधान)

सभापति महोदय : श्री यशवंत सिन्हा जी, कृपया बैठ जाइये।

...(व्यवधान)

श्री यशवंत सिन्हा : क्या देपसांग बल्ज हमारे नियंत्रण में है, हमारे

कब्जे में है या नहीं?...*(व्यवधान)* मंत्री इसका उत्तर नहीं दे रहे हैं।...*(व्यवधान)* बल्ज वास्तविक नियंत्रण रेखा के उस पार था।...*(व्यवधान)* वास्तविक नियंत्रण रेखा में बल्ज भी शामिल था।...*(व्यवधान)* अब देपसांग बल्ज की स्थिति क्या है? क्या चीनी लोग देपसांग बल्ज में आ रहे हैं; क्या वे इस पर गश्त कर रहे हैं? वह हमारा क्षेत्र है। यही बात मैं पूछना चाहता हूं?...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय : कृपया, शोर मत मचाइये। माननीय मंत्री जी द्वारा इस प्रश्न का उत्तर देने से पहले मुलायम सिंह यादव जी भी एक प्रश्न पूछना चाहते हैं। और बस इतना ही। उसके बाद कोई अन्य प्रश्न नहीं पूछा जायेगा।

...(व्यवधान)

श्री ए.के. एंटनी : सर्वप्रथम, मैं श्री यशवंत सिन्हा द्वारा उठाए गए सवाल का जवाब देना चाहूंगा। उनका प्रश्न देपसांग बल्ज के बारे में है, जहां घटना घटित हुई। हमने चीन को यथास्थिति बनाए रखने के लिए कहा है। मामला हल कर लिया गया। पीपल्स लिबरेशन आर्मी (पीएलए) ने स्वयं को देपसांग बल्ज के क्षेत्र से अलग कर लिया है। हमारे लोगों ने वहां जाना शुरू कर दिया है। वे आदेशानुसार गश्त कर रहे हैं। मैं सभा को बताना चाहूंगा कि वास्तव में इस वर्ष ही हमारी सेना 27 बार इस क्षेत्र में गई है।

और, श्री मुलायम सिंह जी चिंतित हैं। चीन भारत की भूमि के एक बड़े क्षेत्र पर दावा कर रहा है। परंतु, अभी से नहीं। जैसा कि यशवंत सिन्हा जी ने कहा, सन् 1959 में, चीन ने भारत सरकार को एक पत्र लिखा था। उसी समय से वे इस क्षेत्र पर दावा कर रहे हैं। परंतु, सन् 1959 में ही, इस पत्र के प्राप्त होने के बाद उस समय की सरकार ने उनके दावे को पूरी तरह खारिज कर दिया था। अब दोनों देश इस मुद्दे पर एक समाधान का प्रयास कर रहे हैं।

[अनुवाद]

सभापति महोदय : आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। अगला मद अर्थात् मद संख्या-27 पर विचार करने से पहले, यदि सभा सहमत होती है, तो हम 'आधे घंटे की चर्चा' पर सभा के समय को बढ़ाएंगे।

...(व्यवधान)

सभापति महोदय : हम सभा के समय को आधे घंटे और बढ़ाएंगे। यह 'आधे घंटे की चर्चा है।'

श्री शैलेन्द्र कुमार जी।

रात्रि 10.00 बजे

आधे घंटे की चर्चा

फसल के नुकसान के लिए किसानों को मुआवजा

[हिन्दी]

श्री शैलेन्द्र कुमार (कौशाम्बी) : माननीय सभापति महोदय, आपने मुझे इस देश के अंदर फसल के नुकसान के लिए किसानों को मुआवजा देने के बारे में तारांकित प्रश्न 241 के संबंध में 27-08-2013 को कृषि मंत्री द्वारा दिये गये उत्तर से उत्पन्न बिन्दुओं पर चर्चा उठाने का मौका दिया। इसके लिए मैं आपका आभार व्यक्त करता हूं।...*(व्यवधान)* माननीय मंत्री जी ने बाढ़ और सूखे पर...*(व्यवधान)* सर, हाउस ऑर्डर में नहीं है। सर, हाउस ऑर्डर में कराएं।...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

सभापति महोदय : कृपया सभा में व्यवस्था बनाए रखें।

...(व्यवधान)

सभापति महोदय : माननीय सदस्य जो गलियारे में खड़े हैं कृपया अपने स्थान पर बैठ जायें।

[हिन्दी]

श्री शैलेन्द्र कुमार : माननीय मंत्री जी ने अपने वक्तव्य में इस बात को कहा कि बाढ़ और सूखे से फसल खराब होने पर हम छोटे और सीमान्त किसानों को पूरी मदद करेंगे। जहां तक सवाल है कि कहीं पर बारिश हुई और कहीं पर सूखा पड़ा यानी कहीं बाढ़ है तो कहीं सुखाड़ है। तेज बारिश से खड़ी फसल को व्यापक पैमाने पर नुकसान हुआ देश में बरसात कहां अच्छी हुई, कहां नहीं हुई, कितनी भूमि सिंचित है, कितनी असिंचित हैं, माननीय मंत्री जी इसका जवाब देंगे।

दूसरे, इस प्रश्न के उत्तर में माननीय मंत्री जी ने कहा कि देश के अंदर ओलावृष्टि, बाढ़ या सूखे के कारण चक्रवात, बादल फटने, भूकंप, भू-स्खलन, कीट-आक्रमण, सुनामी, शीत लहर और पाला से जो आपदाएं हुई हैं, उनके लिए हम किसानों की मदद करेंगे। देश का जो किसान संगठन है, वह बराबर पर्याप्त मुआवजे की मांग कर रहा है। मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी को बताना चाहूंगा क्योंकि अगर शरद पवार जी होते तो मेरे ख्याल से बहुत अच्छा होता लेकिन हमारे कृषि राज्य मंत्री जी यहां बैठे हैं, वह इसका जवाब देंगे। केवल फसल ही नहीं बल्कि तमाम हमारे जो फल हैं, जैसे अमरूद के बाग हैं, रेशम के कीट पालने वाले तमाम ऐसे बाग हैं, अन्य फसलों को भी बराबर का नुकसान हुआ है। सरकार इसमें क्या कदम उठा रही है? सरकार का क्या प्रस्ताव है? यह हमें बताएं।

[श्री शैलेन्द्र कुमार]

रात्रि 10.03 बजे

[**श्री जगदम्बिका पाल** *पीठासीन हुए*]

तीसरे, नुकसान के लिए छोटे और सीमान्त किसानों को आप क्षतिपूर्ति हेतु क्या राशि प्रदान करने जा रहे हैं? यह आप अपने उत्तर में बताइएगा। केन्द्र और राज्य की राष्ट्रीय आपदा अन्नप्रिया कोष दिशानिर्देश तैयार किया गया है। वित्त आयोग के समीक्षा संशोधन में भी बराबर यह जिक्र किया जाता है लेकिन जीवन और सम्पत्ति, हानि-क्षतिपूर्ति के लिए इसमें व्यवस्था नहीं है लेकिन फसलों के लिए जून 2013 में यह वृद्धि की गई है। हम कहना चाहेंगे कि सदन के हमारे सम्मानित साथी चाहे शाहनवाज़ जी, नीरज शेखर जी, रामकिशुन जी, तूफानी सरोज जी, राधे मोहन जी और तमाम साथियों ने यहां पर और आपने भी अपनी जगह पर खड़े होकर इस बात की मांग की है कि पूरे उत्तर भारत में मध्य प्रदेश से लेकर उत्तर प्रदेश, बिहार, बंगाल में पूरी तरीके से तबाही मची हुई है। गंगा, यमुना में व्यापक पैमाने पर बाढ़ आई हुई है। इसमें तमाम किसानों की लाखों एकड़ फसलें जलमग्न हो गईं। जो बागान थे। उनको नुकसान हुआ है। दलहन और यहां तक कि चावल, तिलहन, दलहन की खेती को व्यापक नुकसान हुआ है। मूंग, उर्द, अरहर, बाजरा और पचास से ज्यादा फसलों को सौ प्रतिशत नुकसान हुआ है। वे डूब गई हैं। मैं आपके माध्यम से मांग करना चाहूंगा कि जान-माल का तो जहां नुकसान हुआ ही है लेकिन जो किसानों का अगर पचास प्रतिशत से ज्यादा उनका नुकसान हुआ है या सौ प्रतिशत हुआ है तो मंत्री जी ने अपने वक्तव्य में कहा है कि हम उनको पूरी तरीके से मुआवजा देंगे। मैं आपके माध्यम से कहना चाहूंगा कि समय समय पर जो ये तमाम सवाल उठाये जाते रहे हैं, क्या मंत्री जी सबका जवाब देंगे? चूंकि किसान बहुत ही गरीब और निरीह है। वह लघु, सीमान्त किसान है, वह साल भर का अनाज का उत्पादन करता है, साग-सब्जी लगाता है, फलों का उत्पादन करता है।...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय : कृपया आप शांति बनाये रखें, माननीय शैलेन्द्र जी बोल रहे हैं, माननीय सदस्यों से अनुरोध है कि कृपया सदन में शांति रखें।

श्री शैलेन्द्र कुमार : सभापति महोदय, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। मैं कहना चाहता हूं कि सप्लिमैन्टरी क्वैश्चन भी आया था, उसमें मैंने भी सप्लिमेन्टरी क्वैश्चन किया था और माननीय शरद पवार जी ने यह बयान दिया था कि अगर राज्यों की सरकारें हमें निवेदन करती हैं या पत्र लिखती हैं तो हम यहां केन्द्रीय दल भेजकर तमाम फसलों, बागानों, साग-सब्जियों, दलहन-तिलहन की फसलों का जो नुकसान हुआ है, उसका पूरा मुआवजा देने की व्यवस्था करेंगे।

मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि अब तक जिन राज्यों के मुख्य मंत्रियों ने माननीय मंत्री जी को निवेदन पत्र भेजे हैं, क्या आपने उन राज्यों में केन्द्रीय दल भेजे हैं या नहीं तथा अब तक आपके पास पूरे आंकड़े आये हैं या नहीं? अगर आंकड़े आये हैं तो आपने क्या अनुमान लगाया है, कितनी फसलें नष्ट हुई हैं, उस पर मुआवजा देने की आप क्या व्यवस्था कर रहे हैं, मैं आपके माध्यम से यह जानकारी चाहूंगा। मैं इसलिए जल्दी बैठ रहा हूं कि आधे घंटे की इस चर्चा में तमाम हमारे साथी भी प्रश्न पूछना चाहेंगे, मैं उन्हें मौका देने के लिए अपनी बात समाप्त करता हूं।

श्री विजय बहादुर सिंह (हमीरपुर, उत्तर प्रदेश) : महोदय, इसमें तीन प्वाइंट्स हैं, हमारे मित्र शैलेन्द्र कुमार जी का जो प्रश्न है, उसमें जो सबसे बड़ी बात है, आप इसे तीन भाग में डिवाइड कीजिए। एक तो आपकी मानसिकता क्या है? मेरा कहना है कि अगर यह राहत है तो आपकी मानसिकता उन गरीब किसानों को वास्तव में कम्पैनसेट करने की है या नहीं? अगर आपकी मानसिकता नहीं है और सिर्फ फॉर्मेलिटी करनी है तो अभी उत्तर प्रदेश में तीन-तीन साल पुराने मामलों में सौ-सौ रुपए और बीस-बीस रुपए के चैक आते थे।

दूसरी बात हम कहना चाहते हैं कि आकलन का जो प्रोसेस है, वह बहुत गलत है। लेखपाल पर छोड़ दिया जाता है और लेखपाल यह बताते हैं कि कलक्टर साहब हमसे कहते हैं कि चालीस परसैन्ट से ज्यादा...

सभापति महोदय : इस पर आपका सवाल और सुझाव क्या है?

श्री विजय बहादुर सिंह : मेरा सुझाव यह है कि इसका प्रोसैस ट्रांसपेरेन्ट हो, जो आकलन हो, वहां के जनप्रतिनिधि, खासकर मैम्बर ऑफ पार्लियामैन्ट को पहले बताइये और विधायकों को बताइये।

दूसरी बात यह है कि जो भी प्रोसैस हो, मैं एक उदाहरण दूंगा, अगर पूरे साल की फसल नष्ट हो जाए तो राज्य सरकार की डिमांड है कि दस हजार रुपए प्रति हैक्टेअर दिया जाए, हालांकि यह भी बहुत कम है। ढाई एकड़ का एक हैक्टेअर होता है तो दस हजार एक हैक्टेअर पर दिया जाए, यानी अगर पूरी फसल नष्ट हो जाए तो दस हजार रुपए दिये जाएं।

सभापति महोदय : कृपया सवाल करें।

श्री विजय बहादुर सिंह : आप चार हजार दे रहे हैं, यह चार हजार आप फॉर्मेलिटीज में क्यों दे रहे हैं। जब 100 प्रतिशत लॉस है और दस हजार रुपए की मिनिमम मांग है तो फिर आप चार हजार रुपए क्यों दे रहे हैं? मेरा कहना है कि आप इस रेट को चेंज करिये।

मेरा लास्ट पाइंट यह है कि आप इसे टाइम बाउंड कीजिए। नवम्बर और दिसंबर की फसल के पहले अगर किसान को आप नहीं देंगे तो सब

बेकार है, क्योंकि वह तैयारी नहीं कर पाता। इसलिए प्रथम आप इसे टाइम बाउंड करिये, दूसरा प्रोसैस को ट्रांसपैरेन्ट करिये और तीसरा मानसिकता राहत देने की और उन्हें हील अप करने की करिये। यही मैं कहना चाहता हूं।

सभापति महोदय : अभी माननीय मंत्री जी जब उत्तर देंगे तो बतायेंगे कि राज्य से मेमोरेंडम प्राप्त हुआ कि नहीं। माननीय महेन्द्र सिंह चौहाण आप बोलिये और कृपया सवाल पूछिये।

श्री महेन्द्र सिंह चौहाण (साबरकांठा) : महोदय, हम सब जानते हैं कि किसान अनेक तकलीफों एवं मुसीबतों का सामना करके कृषि का काम करता है, सारे राष्ट्र का पोषण करता है। हम किसान को जगत का तात कहते हैं, लेकिन इस तात की स्थिति आज दयनीय बनी हुई है। एक सर्वे में पाया गया है कि देश के 42 प्रतिशत किसान कृषि से दुखी होकर इसे छोड़ना चाहते हैं। किसान खेती करता है तो या तो अपना राष्ट्र धर्म समझकर करता है या अपनी मजबूरी समझकर करता है। बाढ़, सुखाड़, अतिवृष्टि, ओलावृष्टि, पाले, हिम, वर्षा आदि अनेक कुदरती कारणों से फसल को नुकसान होता है तो बीमा सुरक्षा योजना से थोड़ी सी राहत मिलती है। लेकिन कभी-कभी फर्जी बियारण (बीज), फर्जी कीटनाशक, नीलगाय, भुंड, रोज, बंदर, हाथी आदि जैसे जंगली जानवर तैयार फसल को बरबाद कर देते हैं तथा कभी-कभी चोरी और आगजनी जैसे कारणों से भी कृषि को नुकसान होता है।

मेरा माननीय मंत्री जी से प्रश्न है कि क्या इन्हीं कारणों से फसल को नुकसान होने पर किसान को पर्याप्त मुआवजा मिलेगा?

श्री दारा सिंह चौहान (घोसी) : सभापति महोदय, बाढ़ और सूखा से पूरे देश में नुकसान हो रहा है, खास करके उत्तर भारत में ज्यादा नुकसान हो रहा है! उत्तर भारत जो हमेशा बाढ़ और सूखा से परेशान रहता है, किसानों का लाखों-करोड़ों का नुकसान होता है। मैं खास कर अपने आजमगढ़ मंडल की बात कह रहा हूं कि चाहे आजमगढ़ हो या बलिया हो, मऊ जनपद हो जो बड़े पैमाने पर घरा और गंगा के बीच में बसा हुआ है, बाढ़ के समय में पूरी फसल डूब जाती है। सूखे के समय में हमारा देवारा इलाका है, जो घाघरा के किनारे है, अगर एक चिंगारी हुई तो पांच किलोमीटर-दस किलोमीटर तक पूरी की पूरी फसल से लेकर पूरा आवास स्वाहा हो जाता है। उसके लिए कोई परमानेंट नीति नहीं बनी है।

हमारे संसदीय क्षेत्र में नई बाजार से लेकर के दोहरीघाट, जो बहुत महत्वपूर्ण तीर्थस्थल है, जहां दोहरी का मिलन हुआ आठ किलोमीटर तक पूरी सड़क और घाघरा के किनारे मुश्किल से पांच सौ किलोमीटर भी नहीं बचा हुआ है, तब सड़क कट जाएगी, इसका कोई भरोसा नहीं है। सारी फसलें नष्ट हो गई हैं। दोहरा घाट से लेकर के बलिया बॉर्डर तक बंधे के किनारे सारा कुछ नष्ट है। लेकिन इसके लिए कोई स्थायी नीति नहीं बनाई गई है।

सभापति महोदय, मैं जानता हूं कि उत्तर भारत और खास कर उत्तर प्रदेश का पूर्वांचल का जो हिस्सा है, वहां बाढ़ और सूखे की चपेट में आने से बड़े पैमाने पर नुकसान होता है, उसके लिए कोई स्थायी नीति बनाने का काम करें। तब जाकर किसानों का भला हो सकता है।

डॉ. विनय कुमार पांडेय (श्रावस्ती) : सभापति जी, मेरे निर्वाचन क्षेत्र से ही श्रावस्ती, बलरामपुर, बहराइच सिद्धार्थनगर, महराजगंज राप्ती के कहर से फसलें बिल्कुल बर्बाद हो जाती हैं। न सिर्फ फसलें ही बर्बाद होती हैं, बल्कि जन-जीवन अस्त-व्यस्त हो जाता है, पालतू पशुओं को भी चारा मुहैया नहीं होता है। किसानों की बड़ी ही दुदर्शा है। तमाम मकान भी कट गए लेकिन मुआवज़े की जो नीति बनाई गई है, उसमें जन-प्रतिनिधियों को शामिल न किए जाने से बड़ी ही विसंगतियां उत्पन्न होती हैं।। आपसे मेरा निवेदन है कि उन विसंगतियों को ध्यान में रखते हुए जो मुआवज़े की नीति बने, जन-प्रतिनिधियों को भी उसमें शामिल किया जाए और उसमें उनके विचार भी लिए जाएं।

माननीय महोदय, इसी क्रम में सर्व शिक्षा अभियान के तहत शिक्षा मित्रों की जगह उनकी नियुक्तियां हुई हैं। वे 13 वर्ष से काम कर रहे हैं और वर्तमान में उनके लिए टीईटी अनिवार्य कर दिया गया था। उससे मुक्त करने के लिए जो किसानों के बेटे हैं, उनकी ओर भी आपकी तरफ से एक ध्यान चाहूंगा।...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय : माननीय मंत्री जी, आप कृपया सभी माननीय सदस्यों के द्वारा उठाए गए प्रश्नों का उत्तर दीजिए।

रात्रि 10.13 बजे

[**अध्यक्ष महोदया** *पीठासीन हुईं*]

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तारिक अनवर) : महोदय, मैं सबसे पहले श्री शैलेन्द्र कुमार और उन तमाम सदस्यों को धन्यवाद देना चाहता हूं, जिन्होंने बहुत ही महत्वपूर्ण विषय आज यहां उठाया है। किसानों को मुआवज़ा देने की बात और किसानों के जो नुकसान हुए हैं, उसकी बात इन्होंने कही है।

मुझे इस बात की खुशी है कि पूरा सदन इस बात की चिंता कर रहा है कि किसानों की फसल की जो क्षति होती है, उसकीर पूर्ति कैसे की जाए। यह हमारे देश का और हमारे किसानों का दुर्भाग्य है कि जो पूरे देश के लोगों का पेट भरते हैं, जिन्हें हम अन्नदाता कहते हैं, वह किसान लगभग हर वर्ष कहीं न कहीं इस देश के अंदर जो प्राकृतिक प्रकोप होता

[श्री तारिक अनवर]

है, उससे उसको क्षति पहुंचती है, नुकसान पहुंचता है। वह खून पसीना बहाकर कोशिश करता है कि अपनी आर्थिक स्थिति को सुधारे, लेकिन वैसा नहीं हो पा रहा है। उन्हीं बातों को लेकर हमारे माननीय सदस्य ने इस मसले को उठाया है।

महोदया, मैं आपके माध्यम से माननीय संसद सदस्यों को यह जानकारी देना चाहता हूं कि जो हर वर्ष प्राकृतिक प्रकोप होता है, उसका सामना करने के लिए भारत सरकार ने वर्ष 2005 में यह फैसला किया कि नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फंड और स्टेट डिजास्टर रिस्पांस फंड बनाया जाए और उसके माध्यम से राज्यों में जो भी आपत्ति आती है, जो भी आपदा आती है और किसानों को उससे जो क्षति पहुंचती है, उससे उनको राहत पहुंचाने का काम किया जाए। इस दिशा में केन्द्र सरकार की ओर से राज्यों को पूरी आर्थिक मदद दी जाती है। जो समान राज्य हैं, उन्हें 75 और 25 के अनुपात में राशि दी जाती है, उनको आर्थिक सहायता दी जाती है। जो ऐसे राज्य हैं, खासतौर पर जो विशेष श्रेणी में आते हैं, उन राज्यों में लगभग 90 और 10 के रेश्यो में सहायता की जाती है। जो राज्य स्तर पर डिजास्टर रिस्पांड फंड बनाया गया है, वह इसीलिए बनाया गया है कि जब इस तरह का कोई प्राकृतिक प्रकोप हो, जिसका जिक्र शैलेन्द्र जी ने किया, चाहे वह सूखा हो, फ्लड हो, फसल में कीड़े की बीमारी लग जाये, भूकंप आ जाये, शीत लहर है या इसी प्रकार की जितनी भी आपदा हों, जिनका जिक्र आपने किया, उन सब चीजों से किसानों को उस समय कैसे अविलंब राहत पहुंचायी जाए, इसी उद्देश्य से उसका गठन किया गया।

जो राज्य स्तर पर डिजास्टर रिस्पांस फंड है, राज्यों को यह जिम्मेदारी दी गयी है कि जैसे ही ऐसी कोई आपदा आती है और किसानों का नुकसान होता है, तो उनको अविलंब राहत पहुंचायी जाए। उस दिशा में जैसा अभी कहा गया कि आपदा के समय उस योजना के तहत जो मदद की जाती है, भारत सरकार द्वारा जो अनुमोदित है, उसमें चार हजार पांच सौ रुपए प्रति हैक्टेअर वर्षा सिंचित क्षेत्रों को दिया जाता है।...*(व्यवधान)* आपने कहा कि दस हजार रुपए के लिए राज्यों ने मांग की है।...*(व्यवधान)* चूंकि इस पर जैसा मैंने आपसे कहा, 13वें वित्त आयोग का जिक्र आपने किया कि 13वें वित्त आयोग के तहत यह अलोकेशन दिया गया है, उसके तहत यह तय किया गया है। इसमें कई प्रक्रियायें हैं और उस प्रक्रिया से गुजरने के बाद इस नतीजे पर हम लोग पहुंचते हैं। केन्द्र के गृह मंत्रालय ने, कृषि मंत्रालय ने सबने मिलकर यह फैसला किया, जैसा मैंने कहा कि चार हजार पांच सौ रुपए प्रति हैक्टेअर,...*(व्यवधान)* उसके बाद न्यूनतम सहायता कम से कम सात सौ पचास रुपए और अधिसिंचित क्षेत्र के लिए नौ हजार रुपए प्रति हैक्टेअर है।...*(व्यवधान)* एक मिनट मुझे बोलने दीजिए।...*(व्यवधान)* कम से कम 1500 रुपए की फसलों को देने का फैसला हुआ। लगभग 12 हज़ार रुपए जो न्यूनतम सहायता...*(व्यवधान)* और सभी प्रकार की बारहमासी फसलों के लिए 12 हज़ार रुपए प्रति हैक्टेअर दिये जाते हैं।...*(व्यवधान)*

श्री शैलेन्द्र कुमार : वह तो जवाब में दिया गया है।

श्री तारिक अनवर : उसकी जानकारी मैं आपको देना चाहता हूं। ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदया : मंत्री जी को बोलने दीजिए।

श्री विजय बहादुर सिंह : वित्त आयोग एंटी फार्मर है।...*(व्यवधान)*

श्री तारिक अनवर : वित्त आयोग ने जो रिपोर्ट दी है या जो उनका आधार है, सभी चीज़ों पर विचार करने के बाद वे इस नतीजे पर पहुंचे हैं, जो हम लोगों ने तय किया है। एक बात मैं स्पष्ट करना चाहता हूं कि यह मुआवज़ा नहीं है। यह राहत है, क्षतिपूर्ति नहीं है।...*(व्यवधान)*

श्री शैलेन्द्र कुमार : राहत, क्षतिपूर्ति और मुआवज़े का फर्क बताइए।...*(व्यवधान)*

श्री तारिक अनवर : राहत जो दी जाती है, वह तत्काल दी जाती है ताकि उस समय जो भी किसानों को नुकसान हुआ है, उनको कुछ राहत मिले, इसी उद्देश्य से उनको राहत दी जाती है। लेकिन अगर आप चाहते हैं या किसान चाहता है कि उसको पूरी तरह से फसल का मुआवज़ा मिले तो उसके लिए एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री की ओर से कई योजनाएं हैं जिसमें नेशनल एग्रीकल्चरल इंश्योरैन्स स्कीम है, मॉडिफाइड नेशनल एग्रीकल्चर इंश्योरैन्स है, पाइलट वैदर बेस्ड क्रॉप इंश्योरैन्स है, कोकोनट पाम इंश्योरैन्स स्कीम है। ये तमाम स्कीमें ऐसी हैं कि जिनका राज्य सरकार द्वारा नोटिफिकेशन होना चाहिए मगर बहुत से राज्यों में अभी तक इसका नोटिफिकेशन भी नहीं हुआ है। इनके आधार पर उनको पूरा मुआवज़ा मिलेगा। जो नुकसान हुआ है, उसका पूरा मुआवज़ा तभी मिलेगा, जब इन स्कीमों को किसान अपनाएंगे।...*(व्यवधान)*

श्री मुलायम सिंह यादव (मैनपुरी) : आप लंबा भाषण न दें। आप यह बताएं कि क्या राहत देंगे या क्या मुआवज़ा देंगे।

श्री तारिक अनवर : अभी जो प्रावधान है, वह हमने आपको बताया कि यह प्रावधान सरकार की ओर से है, कृषि मंत्रालय की ओर से है और जो आपदा को लेकर बनाया गया संगठन है, उसके द्वारा वह दिया जाता है। इसमें राज्य सरकार को पूरा अधिकार दिया गया है कि ऐसी कोई आपदा हो तो अविलंब उस फंड से उसको दिया जाए और अगर उसमें फंड की कमी हो जाए तो फिर वह केन्द्र से और सहायता मांग सकता है।... *(व्यवधान)*

श्री शैलेन्द्र कुमार : हम वही मांग कर रहे हैं कि आप बताएं कि केन्द्र क्या मदद कर रहा है?...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदया : मंत्री जी, आप चेयर को एड्रेस कीजिए।

श्री तारिक अनवर : मैं शैलेन्द्र जी को बताना चाहता हूं कि आपने उत्तर प्रदेश का ज़िक्र किया कि उत्तर प्रदेश में बहुत नुकसान हुआ है। पांडे जी ने भी किया, और लोगों ने भी किया लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं कि अभी तक उत्तर प्रदेश से क्षतिपूर्ति के लिए कोई भी मैमोरंडम नहीं आया है।...*(व्यवधान)* हमारे पास नहीं आया है।...*(व्यवधान)*

श्री शैलेन्द्र कुमार : आप जानकारी कर लीजिए। आपके पास गया है।...*(व्यवधान)*

श्री तारिक अनवर : आज की तारीख तक नहीं आया है। कल आ जाए तो अलग बात है।...*(व्यवधान)*

श्री शैलेन्द्र कुमार : आप फाइलें गुम कर देते हैं। कोलगेट में फाइलें गुम कर देते हैं।...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदया : आप मंत्री जी को सुनिये। कुछ भी अन्य कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं होगा।

*(व्यवधान)...**

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदया : आप सब लोग बैठ जाइए।

...(व्यवधान)

श्री तारिक अनवर : अध्यक्ष महोदया, अभी हमारे पास कल जो मैमोरेंडम आया है फ्लड को लेकर, उसमें सिर्फ गवर्नमैंट ऑफ महाराष्ट्र का है, उसमें पंजाब के बादल साहब की चिट्ठी है, लेकिन उसमें ज्ञापन नहीं है, पूरी रिपोर्ट नहीं है। उसी तरह से कर्नाटक के मुख्यमंत्री का भी पत्र है कृषि मंत्री जी के नाम, जिसमें उन्होंने इस बात का जिक्र किया है। लेकिन इसकी जो प्रक्रिया है, उसको इन लोगों ने पूरा नहीं किया है। ...*(व्यवधान)* अगर आप मदद लेने को तैयार होंगे तब न।...*(व्यवधान)* मदद लेने को तैयार तो होइये।...*(व्यवधान)* नहीं हैं।...*(व्यवधान)* आप इस मसले को यहां उठा रहे हैं। आपको इस मसले को वहां उठाना चाहिए था।...*(व्यवधान)* कहीं से भी नहीं आया है।...*(व्यवधान)* झारखंड से भी नहीं आया है।...*(व्यवधान)*

श्री मुलायम सिंह यादव : आपकी कोई कमेटी यहां से जाती है तो क्या आपने वह भेजी है? अगर भेजी है तो उसकी रिपोर्ट क्या आयी है?...*(व्यवधान)*

श्री तारिक अनवर : नहीं आया।...*(व्यवधान)* किसी राज्य से नहीं आया।...*(व्यवधान)*

आपका कहना सही है कि पहले वहां से जो रिपोर्ट आती है, जो राज्य सरकार की तरफ से जो रिपोर्ट आती है।...*(व्यवधान)* उसी के आधार पर यहां से हाईलेवल कमेटी भेजी जाती है।...*(व्यवधान)* कृषि मंत्रालय से फिर हाईलेवल की कमेटी जाती है, वह कमेटी आकर रिपोर्ट करती है।...*(व्यवधान)* उसके बाद ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स की मीटिंग होती है और उसकी जो भी प्रक्रिया होती है, उसको पूरा करके उसी हिसाब से उसको किया जाता है।...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदया, हम इनको इस बात का विश्वास दिलाते हैं, जो भी हमारे माननीय सदस्य ने यह उठाया है।...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदया : मंत्री जी, आप बोलिए।

...(व्यवधान)

श्री तारिक अनवर : आपने बिल्कुल सही कहा...*(व्यवधान)* अभी तक नहीं आया है।...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदया : कृपया अध्यक्षपीठ को संबोधित करें।

...(व्यवधान)

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदया : आप लोग बैठ जाइए। उनको उत्तर देने दीजिए। आप अपनी बात कह चुके हैं।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदया : चर्चा का समय पूरा होने जा रहा है।

...(व्यवधान)

श्री तारिक अनवर : अध्यक्ष महोदया, सूओमोटो केन्द्र सरकार उसमें दखल नहीं दे सकती है, जब तक राज्य सरकार की ओर से अगर 50 प्रतिशत से ज्यादा नुकसान हुआ है और वहां से अगर हमारे पास रिपोर्ट आती है तो उसी के आधार पर हम अपनी टीम वहां भेजते हैं और जब उस टीम की रिपोर्ट आ जाती है तो उसी आधार पर उनको आर्थिक सहायता दी जाती है।...*(व्यवधान)*

---

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

अध्यक्ष महोदया : आप लोग बैठ जाइए। दारा सिंह जी बैठ जाइए। समय होने जा रहा है।

...(व्यवधान)

श्री तारिक अनवर : किसी भी राज्य से अभी तक, जैसा कि मैंने कहा कि महाराष्ट्र को छोड़कर*...(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदया : आप बैठ जाइए।

...(व्यवधान)

श्री तारिक अनवर : बिलकुल नहीं।*...(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदया : इसके अलावा कुछ भी कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं होगा।

*(व्यवधान)...**

श्री तारिक अनवर : अध्यक्ष महोदया, कृषि मंत्रालय को जो अभी तक चिट्ठी आयी है, दो मुख्यमंत्रियों की चिट्ठी आयी है, जिसमें कर्नाटक और पंजाब के मुख्यमंत्री हैं। दूसरा, जो रिपोर्ट आयी है, जो ज्ञापन के रूप में आया है, वह सिर्फ महाराष्ट्र का आया है और किसी दूसरे राज्य का, चाहे मध्य प्रदेश हो, चाहे झारखंड हो, उत्तर प्रदेश हो, बिहार हो, किसी का भी नहीं आया है।*...(व्यवधान)* मध्य प्रदेश से भी कोई रिपोर्ट नहीं आयी है।*...(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदया : आप लोग क्या कर रहे है?

...(व्यवधान)

श्री तारिक अनवर : मध्य प्रदेश से भी कोई ज्ञापन नहीं मिला है *...(व्यवधान)* आप उसको भिजवाइए।*...(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदया : आप लोग क्या कर रहे हैं?

...(व्यवधान)

श्री तारिक अनवर : अध्यक्ष महोदया, मैं माननीय सदस्यों को इस बात का विश्वास दिलाता हूं कि जैसे ही उनके राज्य से हमारे पास ज्ञापन आएगा,*...(व्यवधान)* हम उस पर अपनी टीम भेजेंगे*...(व्यवधान)* और अविलंब उनको आर्थिक मदद दी जाएगी।*...(व्यवधान)* यह हम आपके माध्यम से माननीय सदस्यों को विश्वास दिलाते हैं।*...(व्यवधान)*

रात्रि 10.28 बजे

राष्ट्र-गीत

अध्यक्ष महोदया : सभी माननीय सदस्यों से अनुरोध है कि वह वंदे मातरम के लिए खड़े हो जाएं।

राष्ट्र-गीत की धुन बजाई गई।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदया : सभा अनिश्चित काल के लिए स्थगित होती है।

रात्रि 10.30 बजे

तत्पश्चात् लोक सभा अनिश्चितकाल के लिए स्थगित हुई।

---

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

इंटरनेट

लोक सभा की सत्रावधि के प्रत्येक दिन के वाद–विवाद का मूल संस्करण भारतीय संसद की निम्नलिखित वेबसाइट पर उपलब्ध है:

http://www.parliamentofindia.nic.in

लोक सभा की कार्यवाही का सीधा प्रसारण

लोक सभा की संपूर्ण कार्यवाही का लोक सभा टी. वी. चैनल पर सीधा प्रसारण किया जाता है। यह प्रसारण सत्रावधि में प्रतिदिन प्रातः 11.00 बजे लोक सभा की कार्यवाही शुरू होने से लेकर उस दिन की सभा समाप्त होने तक होता है।

लोक सभा वाद-विवाद बिक्री के लिए उपलब्ध

लोक सभा वाद–विवाद के मूल संस्करण, वाद–विवाद के हिन्दी संस्करण और वाद–विवाद के अंग्रेजी संस्करण, तथा संसद के अन्य प्रकाशन तथा संसद के प्रतीक चिन्ह युक्त स्मारक मदें **विक्रय फलक, स्वागत कार्यालय, संसद भवन, नई दिल्ली-110001 (दूरभाष : 23034726, 23034495, 23034496)** पर बिक्री के लिए उपलब्ध है। इन प्रकाशनों की जानकारी उपर्युक्त वेबसाइट पर भी उपलब्ध है।

© 2013 प्रतिलिप्यधिकार लोक सभा सचिवालय

लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमों (चौदहवां संस्करण) के नियम 379 और 382 के अंतर्गत प्रकाशित
और इंडिया ऑफसैट प्रैस, ए-1 मायापुरी इण्डस्ट्रीयल एरिया, फेज 1, नई दिल्ली-110064 द्वारा मुद्रित।